ला, खंड 13, अंक 7 गुरुवार, 16 जुलाई, 1992
25 आषाढ़, 1914 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

चौथा सत्र

(दसवीं लोक सभा)

(खंड 13 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: चार रुपये

[अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।]

दशम माला, खंड 13, चौथा सत्र, 1992/1914 (शक)

अंक 7, गुरुवार, 16 जुलाई, 1992/25 आषाढ़, 1914 (शक)

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर:		
*तारांकित प्रश्न संख्या:	123 से 127	1—18
प्रश्नों के लिखित उत्तर:		
तारांकित प्रश्न संख्या	122 और 128 से 142	18—29
अतारांकित	1296 से 1342, 1344 से 1368, 1370 से 1375 और 1377 से 1476	29—147
राज्य सभा से संदेश		147—148
विधेयक पुरःस्थापित		
(एक) प्रतिलिप्यधिकार उपकर विधेयक		148—149
(दो) प्रतिलिप्यधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक		149—150
नियम 377 के अधीन मामले		150—153
(एक) महाराष्ट्र के रत्नगिरि और सिन्धु दुर्ग क्षेत्रों में मत्स्य व्यापार के लिए कतिपय आधारभूत सुविधाएं प्रदान किए जाने की आवश्यकता		
श्री सुधीर सावन्त		150
(दो) महाराष्ट्र के अहमद नगर को विमान सेवा से जोड़े जाने की आवश्यकता		
श्री यशवन्तराव पाटिल		150—151
(तीन) बिहार के छोटानागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग "वनांचल" राज्य बनाए जाने की आवश्यकता		
श्री राम टहल चौधरी		151

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित+चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

पृष्ठ

(चार) पूर्वी उत्तर प्रदेश में रेल सेवाओं में सुधार किए जाने की आवश्यकता

श्री हरि केवल प्रसाद 151

(पांच) मद्रास और कन्याकुमारी के बीच के राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किए जाने की आवश्यकता

डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम 151—152

(छः) उच्च न्यायालयों की खंडपीठ स्थापित करने के बारे में जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों का विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन किए जाने की आवश्यकता

श्री भगवान शंकर रावत 152

(सात) राजस्थान में बीकानेर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को और अधिक धनराशि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री मनफूल सिंह 152—153

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव 153—167

श्री संतोष मोहन देव 153—156

श्री चन्द्रशेखर 156—166

श्री बूटा सिंह 167

168—174

श्री इन्द्रजीत गुप्त 174—184

श्री बलराम जाखड़ 184—193

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ 193—208

श्री मनमोहन सिंह 208—217

श्री पीयूष तीरकी 218—220

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट 221—224

श्री पी०जी० नारायण 224—228

श्रीमती गीता मुखर्जी 228—230

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे 230—234

श्री चित्त बसु 234—237

मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी 237—243

श्री के०पी० रेड्डय्या यादव 244—248

श्री भोगेन्द्र झा 248—252

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक 252—255

श्री पी०सी० थामस 255—257

श्री तेज नारायण सिंह 257—258

सभा पटल पर रखे गए पत्र 167—168

लोक सभा

ई, 1992/25 आषाढ़, 1914 (शक)

11 बजे मध्या० पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[हिन्

छोटे और मझोले कस्बों की पहचान

*123. **श्री राम लखन सिंह यादव:**

श्री श्रीकान्त जेना:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1991-92 और 1992-93 के दौरान समन्वित विकास योजनाओं के अन्तर्गत बिहार, उड़ीसा, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में छोटे और मझोले कस्बों की सूची तैयार कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1992-93 और आठवीं योजना के लिए इस प्रयोजनार्थ राज्य-वार कितना धन आवंटित किया गया है?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

लघु तथा मध्यम श्रेणी के नगरों के समेकित विकास के तहत कर्नाटक में पांच, मध्य प्रदेश में चार, उड़ीसा में तीन तथा बिहार में एक शहर को शामिल किया गया है। संभवतः आप जानना चाहेंगे कि चयन के विभिन्न चयनित शहरों की संख्या में यह अन्तर क्यों है। राज्यों को शहरों की प्राथमिकता सूची भेजनी होती है। कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा ने 1991-92 के लिए अपनी सूची भेज दी है। परन्तु बिहार से कोई सूची प्राप्त नहीं हुई है। अतः बिहार में हम केवल एक नगर बांका का चयन कर सके। किन्तु अन्य राज्यों जैसे कर्नाटक और मध्य प्रदेश में क्रमशः पांच तथा चार शहर चुने गए हैं। केवल उड़ीसा में एक शहर चुना गया है, किन्तु हमने अधिक शहरों का चुनाव किया क्योंकि उन्होंने हमें समग्र परियोजना सूचना भेजी है। अतः हमने एक के स्थान पर उन्हें तीन शहर दिए हैं। जबकि उन्होंने एक की सूची दी थी हमने उन्हें तीन शहर दिए। बिहार के लिए हमारे पास और गुंजाइश थी किन्तु हमे केवल एक शहर देना पड़ा क्योंकि कोई परियोजना रिपोर्ट नहीं मिली थी।

विवरण

(क) से (ग) केंद्रीय सहायता के लिए छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की समन्वित विकास योजना के अंतर्गत कस्बों की शिनाख्त संबंधित राज्य सरकारों द्वारा की जाती है और अनुमोदन के लिए परियोजना प्रस्ताव केंद्रीय सरकार को प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्य द्वारा दर्शाई गई प्राथमिकता के आधार पर और निधियों की उपलब्धता के अनुसार कस्बों का चयन किया जाता है और योजना के अंतर्गत राज्य सरकारों को निधियां रिलीज की जाती है। 1991-92 के दौरान इस योजना के अंतर्गत कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्यों में लाभान्वित कस्बे नीचे दर्शाए गए हैं:—

क्र०सं०	कर्नाटक	मध्य प्रदेश	उड़ीसा	बिहार
1.	चिन्तामणि	दतिया	भाइक	बांका
2.	चिकमंगलूर	खारगौन	सुन्दरगढ़	
3.	डाबेली	रायगढ़	जगतसिंहपुर	
4.	मालावेली	शिवपुरी		
5.	रबकवी			
	बानावन्ती			

वर्ष 1992-93 के लिए प्राथमिकता कस्बों की सूची मध्यप्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक से प्राप्त हो गई है तथापि, बिहार सरकार ने कोई सूची प्रस्तुत नहीं की है। आठवीं पंचवर्षीय योजना, जिसे राष्ट्रीय विकास परिषद ने 22/23 मई, 1992 को अनुमोदित किया था, में शामिल की गई योजना के आधार पर छोटे और मध्यम दर्जे के कस्बों की समन्वित विकास योजना के मार्ग निर्देश राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से संशोधनाधीन है। 1992-93 के लिए प्राथमिकता कस्बों का चयन और किया जाने वाला नियतन, संशोधित मार्ग, निर्देशों के आधार पर राज्य सरकारों से प्राप्त विस्तृत परियोजना रिपोर्टों पर निर्भर करेगा।

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की समन्वित विकास योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को केंद्रीय सहायता के रूप में 145 करोड़ रुपए का प्रावधान शामिल किया गया है। इसके वर्ष 1992-93 के लिए 13 करोड़ रुपए शामिल हैं। राज्य-वार नियतन शिनाख्त किए गए छोटे तथा मध्यम दर्जे के कस्बों की संख्या और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रस्तुत की गई परियोजना प्रस्तावों पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

श्री राम लखन सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि जैसा जवाब में कहा गया है कि और प्रदेशों ने आठवीं पंचवर्षीय योजना हेतु सूची भेज दी है, लेकिन बिहार ने नहीं भेजी है। ऐसी निष्क्रियता हो गई है तो ऐसी स्थिति में इसका मापदंड क्या है सिलेक्शन का और केन्द्र अपनी ओर से कोई कदम उठायेगी या नहीं और बिहार का केस नेगलेक्टेड नहीं हो और मैं विशेष रूप से एक शहर का नाम लेना चाहता हूं। जिसमें 1857 में स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी हुई और बाबू कुंवर सिंह ने वह लड़ाई छेड़ी थी तो आरा शहर को अंग्रेजों ने नेस्तनाबूद कर दिया था। उस शहर की आजकल वैसी ही हालत पड़ी हुई है जहां पानी और दूसरी चीजों की कमी है। ऐसी जगहों के लिए सरकार विशेष रूप से कोई राशि देगी और अपनी ओर से कोई कदम उठायेगी या नहीं।

श्रीमती शीला कौल: अध्यक्ष महोदय, इन शहरों का जो चयन किया जाता है, वह स्टेट्स से सजेशन आता है क्योंकि इसके अंदर स्टेट को अपना हिस्सा देना पड़ता है इन शहरों के लिए इसलिए अगर जो भी आप चाहें कि शहर का नाम इसमें होना चाहिए प्रायोरिटी लिस्ट में तो आप अपने स्टेट से कहें कि उस शहर का नाम उस लिस्ट में यहां भेज दीजिए। इसका कायदा यही है, ऐसा होगा तो हमें सहूलियत होगी और आपका शहर भी बन जायेगा।

श्री राम लखन सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, सिक्सथ प्लान में बांका शहर आया था और उसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सब जगह से चिट्ठियां आ गई हैं। आठवीं योजना मंजूरी की दिशा में है, वैसी हालत में बिहार उपेक्षित हो जायेगा, उस हालत में केन्द्र सरकार बिहार सरकार को क्या यह सिफारिश करेगी कि अपनी सूची भेजे?

श्रीमती शीला कौल: हमारे पास बहुत सारा पैसा है, अगर आप अपने वहां से भिजवायेंगे तो आपका सूची में नाम हो जायेगा, जो भी शहर आप चाहेंगे हम टेकअप कर लेंगे।

श्री राम लखन सिंह यादव: मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सूची की बात कर रहा हूं।

श्रीमती शीला कौल: अध्यक्ष महोदय, यह जो मांग रहे हैं आरा को हम कवर कर चुके हैं।

[अनुवाद]

श्री श्रीकांत जेना: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि ए डी एस एम टी की योजना के लिए मार्गनिदेशों का संशोधन किया जा रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि मार्गनिदेशों को संशोधित किया जायेगा। किन्तु अब तक संशोधित मार्गनिदेश नहीं दिए गए हैं। इसको देखते हुए यदि राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करती है तो केंद्र सरकार इसको अन्तिम रूप कैसे देगी? केंद्र सरकार राज्य सरकारों तथा संघशासित क्षेत्रों के परामर्श से मार्गनिदेशों को अन्तिम रूप देगी। क्या मैं माननीय मंत्री जी से यह बात पूछ सकता हूं कि इन मार्गनिदेशों को अन्तिम रूप कब दिया जायेगा ताकि राज्य अपनी संशोधित सूची भेज सके और केंद्र सरकार 1992-93 के लिए इसे अन्तिम रूप दे सके? आबंटन कार्य अभी तक लम्बित पड़ा है और अभी तक उन्हें राज्य को नहीं सौंपा गया है?

[हिन्दी]

श्रीमती शीला कौल: जो रिवाइज्ड गाइडलाइन्स के बारे में माननीय सदस्य ने पूछा है, वे सब राज्यों को संकुचित कर दी है। मैं आपको बता सकती हूं कि वे क्या हैं।

[अनुवाद]

राज्य अगले दस वर्षों के लिए शहरी नीति तैयार करेंगे और लघु तथा मध्यम नगरों की समेकित विकास सहायता योजना हेतु किसी विशेष शहर का चयन करने के कारणों के बारे में विस्तार से बतायेंगे।

छोटे शहरों को प्राथमिकता दी जानी है।

शहर विकास के लिए अधिक निधि देने के लिए संस्थागत वित्त पोषण को प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसमें तीन लाख तक जनसंख्या वाले नगरों को शामिल किया जायेगा। पहले यह संख्या एक लाख थी और अब यह तीन लाख है।

सहायता की मदें बढ़ा दी गयी हैं और अधिक संरचनात्मक बना दी गयी है।

इसी तरह, और भी कई हैं। यदि आप चाहते हैं तो मैं इन्हें पढ़ दूंगी। क्या आप चाहते हैं कि मैं इन्हें पढ़ दूं?

श्री श्रीकान्त जेना: आपने उसे पहले ही परिचालित कर दिया है। किन्तु क्या आपने कोई विशिष्ट तिथि निर्धारित की है जब तक राज्य अपनी राय दें देंगे ताकि आप मार्गनिदेशों को अन्तिम रूप देने की स्थिति में पहुंच सकें और यह भारत सरकार को विभिन्न राज्यों को धन भेजने में समर्थ बनायेगा?

श्रीमती शीला कौल: हमने इस तरह की कोई तिथि निर्धारित नहीं की है। किन्तु यह अपेक्षा की जाती है कि चूंकि उनकी इसके प्रति रूचि है, वे उसे यथाशीघ्र भेजेंगे।

श्री अंकुशराव राव साहब टोपे: इस योजना के तहत महाराष्ट्र के लघु तथा मध्यम नगरों को क्यों नहीं शामिल किया गया है? क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकार ने भेजा ही नहीं है अथवा उनके भेजने के बावजूद इसे शामिल नहीं किया गया है?

श्रीमती शीला कौल: वास्तव में यह प्रश्न केवल चार राज्यों, नामतः कर्नाटक, उड़ीसा, बिहार और मध्य प्रदेश से संबंधित है। यदि आप महाराष्ट्र राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो आप प्रश्न कर सकते हैं।

श्री वी० धनन्जय कुमार: हम समझते हैं कि इस योजना के तहत पेय जल तथा भूमिगत जल निकास प्रणाली जैसी सुविधायें प्रदान करने में सहायता दी जाती है। माननीय मंत्री जी से मैं जानना चाहूंगा कि क्या

कर्नाटक सरकार ने वर्ष 1992-93 के लिए कोई नई सूची दी है और क्या उडिपी तथा डोड्डाबेलापुरा शहरों को वर्ष 1992-93 की सूची में शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त जैसाकि मैंने उत्तर में देखा है, वर्ष 1992-93 के लिए समग्र देश के लिए केवल 13 करोड़ रु० आबंटित किए गए हैं। इस राशि में से कर्नाटक के लिए कितना आबंटन किया जायेगा? क्या कर्नाटक द्वारा दिया गया प्रस्ताव पूर्ण रूपेण स्वीकृत कर लिया जायेगा?

श्रीमती शीला कौल: माननीय सदस्य ने कर्नाटक के बारे में पूछा है। कर्नाटक के मामले में चुने गए शहर हैं टिप्तुर तथा के आर नगर।

श्री वी० धनन्जय कुमार: वर्ष 1992-93 के लिए क्या कर्नाटक ने एक सूची प्रस्तुत की है और क्या उडिपी तथा डोड्डाबेला को उस सूची में शामिल किया गया है?

श्रीमती शीला कौल: नहीं इन्हें शामिल नहीं किया गया है।

श्री वी० धनन्जय कुमार: वर्ष 1992-93 के लिए निर्धारित 13 करोड़ रु० की राशि में से कर्नाटक के लिए कितना धन आवंटित किया गया है? पूरे देश के लिए आपने केवल 13 करोड़ रु० आबंटित किए हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप एक साथ बहुत से प्रश्न पूछ रहे हैं।

श्रीमती शीला कौल: राज्यों के हिस्से सहित 550 लाख रु० का व्यय हो चुका है। अर्थात् कर्नाटक को हम यथासंभव धन तथा सहायता देने का प्रयास करते रहे हैं। इस संबंध में अलग से निर्धारण नहीं किया गया है। यह उस परियोजना रिपोर्ट पर निर्भर करता है जो कि हमें विभिन्न शहरों से प्राप्त होती है। वह हमें राज्य सरकार भेजती है।

[हिन्दी]

श्री बृजिण पटेल: अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि बिहार से जो सूची आनी थी, वह नहीं आयी और मैं समझता हूं कि हमारे देश के बहुत सारे राज्य ऐसे होंगे जिनकी अपनी दिक्कतें होंगी या जिनकी वजह से उनको सूची भेजने में दिक्कतें होंगी या किसी अन्य कारण से सूची नहीं भेज पाते हैं। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जिस तरह से प्राकृतिक आपदाओं के लिए हर राज्य के लिए वित्तीय सहायता तय कर दी जाती है, उसी तरह से हर राज्य के लिए इसमें भी कुछ धन आबंटन करने का इरादा करती है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इस प्रश्न का उत्तर दे दिया है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अब बैठ जाइए।

डा० कार्तिकेश्वर पात्र: महोदय, माननीय मंत्री ने स्पष्ट रूप से बताया है कि वर्ष 1991-92 में कर्नाटक, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार राज्य सरकारों की ओर से केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ योजनाएं भेजी गई हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अब तक उड़ीसा से कोई शहर चुना है या उसके संबंध में कोई निर्णय लिया है। तीन शहरों के लिए प्रस्ताव भेजे जा चुके हैं। क्या कोई शहर चुन लिया गया है? यदि शहर चुन लिया गया है तो केन्द्र सरकार द्वारा क्या राशि स्वीकृत की गई है? और राज्य सरकार द्वारा कितनी सहायता राशि खर्च की जाएगी। मैं स्पष्ट रूप से यह जानना चाहता हूं। इसके अतिरिक्त.....

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं, आप केवल एक ही प्रश्न पूछ सकते हैं। कृपया अब बैठ जाइए।

श्रीमती शीला कौल: महोदय, उड़ीसा में आरंभ से ही 23 शहर शामिल किए गए हैं। योजना के प्रारंभ से 711 लाख रु० जारी किया गया है। किन्तु वर्ष 1991-92 में इसकी आबादी के आधार पर एक शहर शामिल किया जाना था। कुछ मानदंड निर्धारित किए गए हैं। मानदंड यह होना चाहिए कि छोटे शहर की आबादी 1 लाख हो लेकिन अब हमारे पास संशोधित मार्गनिर्देश हैं कि जिसके अनुसार यह आबादी तीन लाख होनी चाहिए। लेकिन अब तक हमने ऐसे शहर चुने हैं जिनमें प्रत्येक की आबादी एक लाख है। किन्तु चूंकि उड़ीसा द्वारा अनेक परियोजनाएं और अनेक स्पष्टीकरण दिए गए हैं, एक शहर के स्थान पर हमने तीन शहर चुने हैं।

असम में जनजातीय लोग

*124. **श्री प्रद्युत बोरा:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) असम राज्य की कुल जनसंख्या की तुलना में वहां गरीबी रेखा के ऊपर के जनजातीय लोगों का प्रतिशत क्या है;

(ख) असम के जनजातीय लोगों का जीवन-स्तर सुधारने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) जनजातीय भाषाओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए अब तक क्या कदम उठाये गए हैं?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्रीमती कमला कुमारी): (क) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनुसूचित जनजातियों के विकास तथा कल्याण से संबंधित कार्य दल की रिपोर्ट के अनुसार स्थिति निम्नलिखित है:—

	अनुसूचित जनजातियों की प्रतिशतता		समस्त जनसंख्या (असम) की प्रतिशतता	
	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
1983-84 में गरीबी रेखा से ऊपर	74.50	79.80	76.24	78.44

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

(ग) सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना, पुस्तकों का प्रकाशन, अलग-अलग कलाकारों तथा गैर-सरकारी सांस्कृतिक संगठनों को सहायतानुदान जनजातीय लोक नृत्य कार्यशाला, असम इन्स्टीच्यूट आफ रिसर्च फार ट्राइब्लज़ एंड शिडयूल्ड कास्ट्स को अनुदान आदि जनजातीय कला आदि संस्कृति के परीक्षण के लिए किए गए कुछ उपाय हैं।

विवरण

असम के आदिवासियों की जीवन परिस्थितियों को बेहतर बनाने के लिए कल्याण मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं:—

1. आदिवासियों के लिए आय सृजन करने वाले और अवसंरचना विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता का आवंटन।

2. विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए राज्य योजना में से आदिवासी उपयोजना की निधियों का प्रवाह।

3. शैक्षिक विकास हेतु केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रमों के अन्तर्गत योजनाएं:—

(क) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

(ख) पुस्तक बैंक

(ग) कोचिंग तथा सम्बद्ध योजना

(घ) अनुसंधान तथा प्रशिक्षण

(ङ) लड़कियों के लिए होस्टल

(च) लड़कों के लिए होस्टल

4. अन्य योजनाएं

(क) लघु वन उत्पाद तथा अतिरिक्त कृषि उत्पाद के व्यापार हेतु आदिवासियों को लाभकारी मूल्य प्रदान करने के लिए भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) को सहायतानुदान।

(ख) आय सृजन करने वाली योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु राज्य अनुसूचित जनजाति विकास निगम को सीमान्त धन ऋण प्रदान करना।

श्री प्रबीन डेका : महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिए गए उत्तर को देखते हुए, आज तक की स्थिति के अनुसार गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले आदिवासियों की प्रतिशतता के संबंध में जानना चाहूंगा, क्योंकि विवरण में दिए गए आंकड़े वर्ष 1983-84 तक के हैं। मैं जानना चाहता हूं कि क्या वर्ष 1983 से 1992 के दौरान आदिवासियों की स्थिति में कुछ सुधार हुआ है, जिसका मुख्य उत्तर में जिक्र नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): मान्यवर, असम की आबादी 1,98/97,000 है। जहां तक आदिवासियों की आबादी है, वह 21,86000 है।

जहां तक उनका प्रश्न है कि पॉवर्टी लाइन के ऊपर क्या संख्या है, तो पॉवर्टी लाइन के ऊपर की संख्या पहले ही बताई जा चुकी है कि देहातों में 74.50% है और नगरों में 79.80% है। ग्रामीण क्षेत्रों में पॉवर्टी लाइन के नीचे 25.50% और शहरों में पॉवर्टी लाइन के नीचे 21.64% है।

[अनुवाद]

श्री प्रबीन डेका: मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न है कि क्या संघ लोक सेवा आयोग तथा अन्य ऐसी संस्थाओं द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा असम सिविल सेवा परीक्षा तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए आदिवासियों की जरूरत को पूरा करने हेतु उत्तर-पूर्वी राज्यों में कोचिंग प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है, जिससे कि इस राज्य के आदिवासी इससे लाभ प्राप्त कर सकें। यदि हां, तो मैं तत्संबंधी ब्यौरा जानना चाहूंगा। यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

[हिन्दी]

श्री सीताराम केसरी: मान्यवर, कंपीटीटिव ऐक्जामिनेशन के लिए कोचिंग का अरेंजमेंट है और वहां भी एक सेन्टर है और देश के अन्य भागों में भी अलग-अलग स्तरों पर है। जहां तक पोस्ट मैट्रिक की बात है, उसमें भी हमारे द्वारा अनुदान दिया जाता है और उसकी संख्या चाहें तो वह भी मैं बता सकता हूं और जहां तक कंपीटीटिव एक्जामिनेशन की बात है, उसका भी प्रबंध वहां पर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न केवल असम से संबंधित है। पहले इसे समझ लेते हैं।

(व्यवधान)

श्री कमलेन्द्र पुरकायस्थ: महोदय मेरे दिनांक 9.9.91 के अतारांकित प्रश्न के उत्तर में कल्याण मंत्री ने अनुसूचित जातियों की सूची में असम के कोच, राजवंशी तथा कारबिस को शामिल किए जाने संबंधी घोषणा सदन में की थी तथा कहा था इसे शीघ्र कर दिया जाएगा।

मैं माननीय मंत्री से जान सकता हूं कि इस संबंध में आज तक कितनी प्रगति हुई है?

मेरे प्रश्नों का दूसरा भाग यह है कि क्या सरकार को इस संबंध में जानकारी है कि वे आदिवासी जो सुरक्षित वन क्षेत्रों के निवासी हैं, उन्हें बहुत सुनियोजित ढंग से वहां से हटाया जा रहा है और उनकी भूमि पर घुसपैठियों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। सुरक्षित वन क्षेत्रों में आदिवासियों के हितों की रक्षा के लिए और घुसपैठियों की गतिविधियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी: मान्यवर, जहां तक माननीय सदस्य द्वारा कुछ जातियों को शैडयूल्ड ट्राइब्स में मिलाने की बात कही गयी है, उन जातियों के सम्बन्ध में, मैं इतना आश्वासन देता हूं कि यदि प्रादेशिक सरकार अनुशंसा करके हमारे पास भेजे और यहां के रजिस्टार ऑफ इण्डिया की कन्करैंस आ जाती है, तो उसके बाद, उनके बारे में विधेयक लोक सभा में लाकर, यह फैसला हो सकता है। मैं आपके माध्यम से, अध्यक्ष जी, इतना आश्वासन देना चाहता हूं कि उन जातियों के बारे में आप हमें लिखकर भेजें, क्योंकि बहुत सारी जातियों का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है जिनको एस०सी० और एस०टी० में लेने पर विचार चल रहा है। जहां तक उन्होंने दूसरा प्रश्न उठाया है जमीनों के मुतल्लिक, मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि आदिवासियों के जहां तक पट्टे का सवाल है, उनकी जो जमीनें हैं, मैं एक कदम और आगे बढ़कर कहना चाहता हूं कि जंगलों का मालिक वही है, जमीन उसी की है और अन्याय जो हम लोग करते हैं, मैं आपको आश्वासन इस सिलसिले में देना चाहता हूं कि 4 और 5 अक्तूबर को सारे देश के मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन प्रधानमंत्री की सदारत में हुआ था, उसमें सभी मुख्यमंत्रियों ने युनैनिमस रूप से यह निर्णय लिया था कि जिन जमीनों पर आदिवासी या हरिजनों का पट्टा है, वे ऑनर हैं, या जमीन फालतू बची हुई है, वह उनके बीच में वितरित की जाये। इसलिये आपके प्रश्न को मैं मानता हूं और मुझसे जो कोशिश होगी, इस दिशा में मैं कदम बढ़ाऊंगा और मदद करूंगा।

[अनुवाद]

डा० जयन्त रंगपी: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित अनेक कल्याण योजनाएं बताई हैं जिन्हें असम सरकार द्वारा राज्य आदिवासी उप-योजना तथा राज्य आदिवासी विकास निगम आदि एजेन्सियों के

माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है। असम में केवल दो जिले हैं अर्थात् करबी आंगलौंग और उत्तरी कछार जिन्हें असम राज्य में संवैधानिक रूप से आदिवासी क्षेत्र की मान्यता मिली है, किन्तु उक्त एजेन्सियां जैसे राज्य आदिवासी उप-योजना और राज्य आदिवासी विकास निगम और इसी तरह की अन्य एजेन्सियों को स्वायत पहाड़ी जिलों में जो संविधान की छठी अनुसूची के अनुसार गठित स्वायत्त जिला परिषद द्वारा शासित होते हैं, में कोई क्षेत्राधिकार नहीं है। चूंकि इन एजेन्सियों का इन जिलों पर कोई भी प्रशासनिक नियंत्रण नहीं है। ये केन्द्र द्वारा संचालित योजनाएं मान्यताप्राप्त आदिवासी क्षेत्रों अर्थात् असम के पहाड़ी जिलों में क्रियान्वित नहीं की गयी हैं। उदाहरण के लिए कई योजनाएं जैसे लड़के लड़कियों के लिए होस्टल पुस्तक बैंक आदि जिनका उल्लेख उत्तर में किया गया है उन्हें इन क्षेत्रों में क्रियान्वित नहीं किया गया है। असम के इन दो सबसे बड़े पहाड़ी जिलों में एक भी लड़कियों अथवा लड़कों का होस्टल नहीं है और ऐसा ही पुस्तक बैंकों और अन्य योजनाओं के मामले में है। अतः मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या माननीय मंत्री आवश्यक कार्यवाही करेंगे ताकि जहां तक असम राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्र अर्थात कारबी आगलौंग और उत्तरी कछार का संबंध है, केन्द्र द्वारा प्रायोजित कल्याण योजनाओं को स्वायत्त जिला परिषद् के माध्यम से क्रियान्वित किया जाए।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी: मान्यवर, सेंट्रल असिस्टेंस, जो हमारे यहां से जाता है और उनकी शिकायत है कि उन एरियाज में इसका उपयोग नहीं हो पाता है या वहां की स्थानीय सरकार इस ओर ध्यान नहीं देती है, तो मैं आपके द्वारा सदन को आश्वस्त करता हूं कि मैं इस दिशा में निश्चित रूप से जो उचित एक्शन लूंगा और जिन एरियाज को ये सहायता नहीं पहुंची है वहां के लिए प्रयास करूंगा।

[अनुवाद]

श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ: महोदय, मेरा प्रश्न यह नहीं है कि वे ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे ध्यान नहीं दे सकते क्योंकि ये दो जिले संविधान की अनुसूची के अंतर्गत स्वायत्त जिला परिषद के अधीन हैं तथा ये योजनाएं राज्य आदिवासी उप-योजना जैसी एजेंसियों द्वारा क्रियान्वित की जाती हैं।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी: मान्यवर, जो हमारे अधिकार में है, उसको निश्चित रूप से देखेंगे। जब इन्होंने कहा कि इन-इन इलाकों में, हिल एरियाज में, स्पेशल असिस्टेंस नहीं पहुंच पाती है, तो उसके लिए मैं आश्वासन देकर संबंधित विभाग को ही लिख सकता हूं। मेरे पास कोई तलवार तो नहीं है, मैं कोई होम मिनिस्टर तो नहीं हूं। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह: अध्यक्ष महोदय, इनके पास तलवार नहीं है, लेकिन तलवार किस-किस के पास है, यह तो बताएं? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सीता राम केसरी जी, कलम चलाइए, तलवार नहीं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी: अध्यक्ष महोदय, आश्वासन देने के सिवाय या संबंधित विभाग को लिखने के सिवाय मैं कर क्या सकता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह इसकी जांच करके उचित कार्यवाही करने के लिए राजी हो गए हैं।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी: मान्यवर, आपके द्वारा जिन्होंने यह प्रश्न किया है, जिन कमियों की ओर मेरा ध्यान दिलाया है, मैं उन कमियों को सुधारने के सम्बन्ध में आश्वासन दे सकता हूं। जहां तक मेरे अधिकार की बात है, उसका उपयोग करूंगा और जिस विभाग से सम्बन्धित हैं, उनको पत्र लिखकर उनसे भी निवेदन करूंगा। इसके अलावा मैं और क्या कर सकता हूं? **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री विजय कृष्ण हार्डिकः क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि क्या आदिवासियों को सरकार द्वारा किये जाने वाले लाभों की जांच और निगरानी करने के लिए सरकार के पास कोई तंत्र है ताकि निम्नतम स्तर के लोगों को ये लाभ प्राप्त हों और शिक्षित तथा विशिष्ट वर्ग के लोग जो कि अधिकांशतः आदिवासी नहीं हैं, अधिकारियों से मिली-भगत करके इसका सारा लाभ न ले जायें।

[हिन्दी]

श्री सीता राम केसरी: मान्यवर, जो प्रश्न हमारे सामने आया है, उस प्रश्न का हमने उचित उत्तर दिया है और जहां तक मानिटरिंग का सवाल है, हम मानिटरिंग करते हैं। यह ठीक है कि मानिटरिंग में कहीं कोई गड़बड़ी रह गई होगी, गैप रहा गया होगा। उसका हम स्ट्रेंथन करेंगे। जो सिस्टम जाता है, वह स्टेट पर निर्भर करता है कि स्टेट कितने दिनों में उसकी यूटिलाइजेशन रिपोर्ट हमको देती है। उस रिपोर्ट के आधार पर हम मानिटरिंग करते हैं। आपने बताया, हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं, इसलिए मैंने आश्वासन दिया है कि हम देखेंगे। मानिटरिंग का प्रबन्ध ठीक है मगर जो स्टेट्स के थ्रू होता है उसमें थोड़ी कठिनाई होती है।

श्री राम विलास पासवानः अध्यक्ष महोदय, जब मैं मंत्रिमंडल में था तो मेरे जिम्मे आसाम के ट्राइबल्स का मामला था। आसाम में ट्राईबल्स के साथ बहुत शोषण हो रहा है, इसका परिणाम है कि आज वहां बोडोलैंड की मांग हो रही है, सैपरेट डिस्ट्रिक की मांग हो रही है। वहां बोडो और कार्मी, दो मुख्य आदिवासी जातियां हैं। हमने बोडोस के सोशियो-इकोनोमिक और पोलीटिकल डैवलपमैंट के लिए तीन व्यक्तियों की एक्सपर्ट कमेटी बनाई थी। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि क्या उस एक्सपर्ट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी है? यदि उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और उस रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं?

श्री सीता राम केसरी: मैं इसके लिए आपका प्रैस नोटिस चाहूंगा।

श्री रवि रायः अध्यक्ष महोदय, आसाम के सिलसिले में क्या मंत्री महोदय को यह पता है कि गवर्नर की विशेश जिम्मेदारी है। संविधान के चलते ट्राईबल्स को जो अधिकार दिया गया है उसकी देखभाल करने के लिए वहां के गवर्नर को विशेष पावर दिए गए हैं। ट्राईबल्स के अधिकारों के बारे में क्या उनकी गवर्नर से बात हुई है? यदि हुई है तो गवर्नर की रिपोर्ट क्या है और भारत सरकार की जो विशेष जिम्मेदारी है उस सिलसिले में क्या कार्यक्रम बनाया गया है?

श्री सीता राम केसरी: सिर्फ आसाम के लिए ही ट्राईबल्स के संबंध में गवर्नर को विशेष अधिकार नहीं हैं बल्कि सभी स्टेट्स को इस संबंध में विशेष अधिकार हैं। मैं सूचना देना चाहता हूं कि आपने ठीक प्रश्न उठाया है। मध्य प्रदेश के गवर्नर ने ट्राईबल्स के संबंध में कुछ निर्णय लिया था, वह निर्णय अटारनी जनरल के पास आ गया। मैंने इसलिए कहा कि गवर्नर को अधिकार होते हुए भी उस अधिकार का उपयोग नहीं करते हैं। इसका मैंने एक उदाहरण मध्य प्रदेश का दिया। उसी तरह से आसाम के गवर्नर से मैंने सम्पर्क नहीं किया है।

श्री रवि रायः सम्पर्क करना चाहिए।

श्री सीता राम केसरी: मैं सदन के सामने गलत नहीं बोलूंगा। मैंने सम्पर्क नहीं किया है। आसाम को विशेष स्तर पर व्यवहार करना है, यह हम जानते हैं। यह प्रश्न चूंकि इस प्रश्न से संबंधित नहीं था फिर भी आपके प्रश्न के द्वारा हम इससे अवगत हुए। हम इसको देखेंगे।

[अनुवाद]

आवास योजनायें

*125. **श्री जीवन शर्मा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) न्यू पैटर्न (हुडको) योजना, 1979 आरम्भ करने के बाद डीडीए द्वारा चलाई गई आवासीय योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) उनमें से अब तक कितनी योजनायें पूरी हो चुकी हैं और शेष योजनाओं की स्थिति क्या है;

(ग) न्यू पैटर्न (हुडको) योजना, 1979 को पूरा करने के पहले अन्य नई योजनायें शुरू करने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार शुरू की गई अन्य योजनाओं की अपेक्षा न्यू पैटर्न (हुडको) योजना, 1979 को प्राथमिकता देने और इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत सभी लोगों को आवास आवंटित करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) से (ङ) एक विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा है।

विवरण

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यथा प्रस्तुत ब्यौरे अनुलग्नक में दिए गए हैं।

(ख) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के पश्चात् चलाई गई 9 स्कीमों में से 6 स्कीमें पूरी हो गई हैं और बकाया स्कीमें चल रही हैं।

(ग) से (ङ) न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के पश्चात् नई स्कीमें प्रारम्भ करने का निर्णय दिल्ली विकास प्राधिकरण ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विभिन्न आय समूहों से सम्बन्धित व्यक्तियों की अतिरिक्त आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया था।

फिलहाल, चलाई गई परिवर्ती अन्य स्कीमों का अपवर्जित करके न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 को प्राथमिकता देने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है, क्योंकि दिल्ली विकास प्राधिकरण के लिए सभी स्कीमों के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के पिछले बकायों को पूरा करना आवश्यक है।

अनुलग्नक

न्यू पैटर्न स्कीम, 1979 के पश्चात् चलाई गई स्कीमों के ब्यौरे

क्र० सं०	स्कीम का नाम	आय श्रेणी जिसके लिए स्कीम घोषित की गई	पंजीकरण का वर्ष
1.	स्व वित्त-पोषित स्कीम, III	उच्च आय समूह	1979
2.	स्व वित्त-पोषित स्कीम, IV	उच्च आय समूह	1981
3.	स्व वित्त-पोषित स्कीम के तहत सेवानिवृत्त हुए/सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष स्कीम	उच्च आय समूह	1981
4.	साधारण आवास स्कीम (सेवा निवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए स्कीम)	मध्यम आय समूह/ निम्न आय समूह/ जनता	1982
5.	स्व वित्त-पोषित स्कीम V	उच्च आय समूह	1982

क्र॰ सं॰	स्कीम का नाम	आय श्रेणी जिसके लिए स्कीम घोषित की गई	पंजीकरण का वर्ष
6.	स्व वित्त-पोषित स्कीम के तहत सेवानिवृत्त होने वाले व्यक्तियों के लिए विशेष स्कीम	उच्च आय समूह	1983
7.	स्व वित्त-पोषित स्कीम VI	उच्च आय समूह	1985
8.	साधारण आवास स्कीम (सेवानिवृत्त/सेवानिवृत्त होने वाले सार्वजनिक कर्मचारियों के लिए स्कीम)	मध्यम आय समूह/ निम्न आय समूह/ जनता	1985
9.	अम्बेडकर आवास योजना (केवल अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के लिए)	मध्यम आय समूह/ जनता	1989

[हिन्दी]

श्री जीवन शर्मा: अध्यक्ष महोदय, इसमें यह कहा गया है कि 1979 के बाद कई स्कीमें और लाई गई हैं। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा 1979 स्कीम के अन्तर्गत लोगों को अभी तक मकान नहीं मिले हैं लेकिन बाद के लोगों को नई स्कीम के द्वारा मकान दिए गए हैं। 1979 की स्कीम के अन्तर्गत जो लोग छूट गए हैं उनको मकान नहीं मिले हैं बाद वालों को मिल गए हैं, यह क्यों हुआ?

[अनुवाद]

श्रीमती शीला कौल: 1979 में हुडको की 'न्यू पैटर्न स्कीम' आरम्भ करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने नौ स्कीमें चालू की हैं। उसमें से छः स्कीमें पूरी हो चुकी हैं और शेष तीन स्कीमें चल रही हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा यह कदम अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विभिन्न आय समूहों के लोगों की अतिरिक्त आवास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाया गया था।

इस समय दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास न्यू पैटर्न स्कीम को प्रथमिकता देने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि दि॰वि॰प्रा॰ के लिए सभी योजनाओं के तहत पंजीकृत व्यक्तियों के पिछले बकायों को पूरा करना आवश्यक है।

हमने स्कीमों के नाम दिए हैं जो दि॰वि॰प्रा॰ के पास हैं और माननीय सदस्य ने विवरण में दी गई सूची को अवश्य देखा होगा।

जहां तक हुडको पैटर्न की स्कीम का संबंध है इस पैटर्न में हुडको पैटर्न और साथ ही फ्लैट के मूल्य और क्षेत्र के अनुसार हुडको स्कीम के अनुरूप निर्माण कार्य किया जाता है। अतः इस प्रकार हुडको स्कीम के लिए 1979 में पंजीकरण शुरू किया गया और लोगों ने मध्यम आय समूह, निम्न आय समूह और जनता फ्लैटों के लिए पंजीकरण करवाया। अतः इसके अंतर्गत बकाया कार्य को पूरा करना है।

[हिन्दी]

श्री जीवन शर्मा: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का जवाब यह दिया है कि जो बैकलॉग था, उसको पूरा करने के लिये ही नई स्कीम लागू की गई। मैं माननीय मंत्री जी से फिर से यही कहना चाहता हूं कि 1979 वालों को फ्लैट नहीं मिले जिस की वजह से बैकलॉग वैसा ही है। नई स्कीम के अन्तर्गत पहले लोगों को मकान क्यों दे दिये गये। मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि जो बाद की 9 स्कीमें हैं, उनमें से 6 पूरी कर दी गईं। बहुत अच्छा हुआ कि 6 पूरी कर दी गई। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जो पहले के छूट गये हैं, उनको मकान पहले क्यों नहीं दिये गये और बाद वालों को पहले क्यों दे गिये

गये? 1979 वाले जो वैसे ही रह गये हैं, ऐसे में उनका क्या होगा? उन्हें पहले क्यों नहीं दिये गये और बाद वालों को क्यों पहले दे दिये गये?

[अनुवाद]

श्रीमती शीला कौल: मैं यहां यह उल्लेख करना चाहूंगी कि न्यू पैटर्न स्कीम के अंतर्गत तीन वर्षों में (1992-1993, 1993-94 और 1994-95) में 1979 में पंजीकृत व्यक्तियों के एनपीएस को 26,803 फ्लैट आवंटित किए गए थे और शेष 24,461 फ्लैट 1995-96 और उसके बाद आवंटित किए जायेंगे। अतः शेष 51,264 पंजीकृत व्यक्तियों को आठवीं योजना के अंत तक अर्थात 31 मार्च तक यह योजना पूरी हो जाएगी, मकान आवंटित किए जायेंगे। परन्तु मैं यहां पर यह भी उल्लेख करना चाहूंगी कि दि०वि०प्रा० पहले के पंजीकृत व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित नहीं कर पा रहा है, पहले के पंजीकृत शेष व्यक्तियों के लिए दि०वि०प्रा० ने आवास सहकार योजना आरम्भ की है और दि०वि०प्रा० में बकाया लोगों को आवास प्रदान करने के लिए पहले के पंजीकृत व्यक्तियों को लिया जायेगा। अब वे इस पर भी विचार करना चाहते हैं।

श्री रमेश चेन्निथला: विवरण में यह उल्लेख किया गया है कि 1979 की न्यू पैटर्न स्कीम प्रस्तावित 9 स्कीमों में से 6 स्कीमें पूरी हो गई हैं और शेष स्कीमें चल रही हैं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सरकार ने इन स्कीमों को पूरा करने में होने वाले अनावश्यक विलम्ब को दूर करने के लिए कोई कदम उठाया है।

श्रीमती शीला कौल: हम सभी जानते हैं कि हम और अधिक मकान बनाना चाहते हैं क्योंकि यहां पर मकानों की भारी कमी है। हर कोई इसके लिए बहुत उत्सुक है परन्तु जैसा कि मेरे परम मित्र श्री खुराना जानते हैं कि कभी-कभी न्यायालय के स्थगनादेशों और अन्य कारणों से हमारा काम रुक जाता है। वे स्थानीय संसद सदस्य हैं और वे इस समस्या से अवगत भी हैं। न्यायालय के आदेशों से मकानों के निर्माण में बाधा उत्पन्न हो जाती है।

[हिन्दी]

श्री मदन लाल खुराना: अध्यक्ष जी, यह 1979 की जो न्यू पैटर्न योजना है, इसके लिए जनता से 16 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ और यमुना के किनारे जो अधूरा 95 परसेंट होटल बना हुआ है, वह सारा पैसा उसमें लग गया। मैं उस स्कैंडल में नहीं जाना चाहता। होटल बन गया, 95 परसेंट अधूरा होटल आज भी खड़ा हुआ है, 1979 से, इसी न्यू पैटर्न स्कीम के इकट्ठे किये हुए पैसे से बना हुआ। अध्यक्ष जी, मैं उसमें नहीं जा रहा हूं, मेरा निवेदन यह है कि दिल्ली में जब तक डी०डी०ए० द्वारा मकान बनाने की रफ्तार वार फूटिंग पर काम करके बैकलाग को पूरा करने के लिए तेज नहीं की जायेगी, यह जितनी मर्जी, 9 योजनाएं बना लें, 6 योजनाएं बना लें, वह पूरी नहीं होंगी। आज दिल्ली की हालत यह है कि दिल्ली में एक लाख मकान हर साल चाहिए, क्योंकि, चार लाख आबादी हर साल बढ़ती है। आज से तीन साल पहले, चाहे कांग्रेस राज था, चाहे बी०जे०पी० का राज था लेकिन 30-35 हजार मकान हर साल बनते थे, उनका कोई सुपरवीजन होता था, कहीं चर्चा होती थी लेकिन अब पिछले सालों में 6 हजार, 7 हजार मकान हर साल बन रहे हैं। चाहिए एक लाख, बन रहे हैं 6 हजार तो बैकलाग कहां से पूरा होगा। क्या मंत्री महोदया यह बताएंगी कि दिल्ली में डी०डी०ए०, वैसे केवल डी०डी०ए० के वश की बात नहीं है तथा अन्य एजेन्सियां, जैसे कोआपरेटिव सोसायटीज़ आदि के माध्यम से वार फूटिंग पर एक लाख हाऊसिंग यूनिट्स पर ईयर बनाने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए कोई एक्शन प्लान आपने बनाया है और बनाया है तो उसे कब तक पूरा करेंगे? दिल्ली की प्राब्लम यह है।

श्रीमती शीला कौल: उन्होंने बहुत बढ़िया क्वश्चन अभी पूछा है। डी०डी०ए० जमीन को एक्वायर कर रहा है, जिसके परपज़ के लिए इन्होंने कहा है। कंस्ट्रक्शन के लिए, पैसे के लिए, फाइनेंस और सर्विसेज के लिए

उसको बढ़ाया जा रहा है और हम यह चाहते हैं कि प्राइवेट एजेन्सियां भी इसमें आयें और मदद करें, तभी जाकर हो सकता है। क्योंकि, खाली एक एजेन्सी से इतना बड़ा काम, जैसा आप कह रहे हैं, पूरा नहीं हो सकेगा, मैं खुलकर यह कहना चाहती हूं, और लोग इसमे आ सकें, आपको यह भी याद होगा, शायद आपको भी अभी तक उसमें प्लाट नहीं मिला होगा, बेचारे अटल जी भी हैं, इनको भी नहीं मिला है तो हुआ क्या है।

मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये सभी योजनाओं, जिन पर हम काम करना चाहते हैं, में हमें कठिनाई आ रही क्योंकि हर कोई न्यायालय में जाकर स्थगनादेश ले आता है और इन योजनाओं पर कोई काम नहीं होता है।

सोयाबीन उत्पादन

126. श्री सुधीर गिरि: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सोयाबीन का राज्यवार उत्पादन कितना हुआ;

(ख) सोयाबीन की खेती मुख्यतः किन क्षेत्रों में की जाती है;

(ग) क्या सरकार का विचार और अधिक क्षेत्र में सोयाबीन की खेती करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाये गये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान सोयाबीन का राज्यवार उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है;

(ख) वे मुख्य इलाके जहां सोयाबीन उगाई जाती है वे हैं मध्य प्रदेश, जिसमें इसका अधिकतम क्षेत्र है, और उसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा गुजरात राज्य;

(ग) वर्ष 1992-93 के दौरान सोयाबीन के तहत लगभग 2 लाख हैक्टेयर क्षेत्र बढ़ाने का कार्यक्रम है।

(घ) सोयाबीन को तिलहन उत्पादन कार्यक्रम में शामिल किया गया है, जो एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत बीज के उत्पादन और वितरण, प्रदर्शन, पौध रक्षण उपायों, छिड़काव-सेटों, उन्नत उपकरणों, राइजोबियम कल्चर, वितरण तथा अन्य मदों के लिए सहायता देकर सोयाबीन की खेती को बढ़ावा दिया जाता है। सोयाबीन कार्यक्रम में 14 राज्य शामिल हैं।

विवरण

(उत्पादन हजार मीटरी टन में)

राज्य	1990-91	1992-92
आन्ध्र प्रदेश	0.4	1.0
अरुणाचल प्रदेश	2.6	*
गुजरात	14.7	19.0
हिमाचल प्रदेश	0.2	*
कर्नाटक	4.9	11.0
मध्य प्रदेश	2003.0	1887.0
महाराष्ट्र	189.3	133.0
मेघालय	0.9	*
नागालैंड	2.1	*
उड़ीसा	0.8	*
राजस्थान	160.4	149.0

राज्य	1990-91	1992-92
सिक्किम	7.5	*
उत्तर प्रदेश	31.8	24.0
पश्चिम बंगाल	0.3	*
*अन्य	—	2224.0
		10.0
कुल	2418.9	2234.0

*1991-92 के लिये कम उत्पादन वाले राज्यों के सम्भावित उत्पादन को मिलाकर "अन्य" शीर्ष के अंतर्गत रखा गया है।

श्री सुधीर गिरी: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, में माननीय मंत्री से एक अत्यधिक साधारण उत्तर जानना चाहता हूं। सोयाबीन पोषण तत्वों से पीरपूर्ण है तथा यह भोजन के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। पौष्टिक भोजन की आवश्यकता को कम कीमत पर पूरा करने के लिए सोयाबीन के उत्पादन की मात्रा तथा उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना आवश्यक हो गया है। यह आशा की गई थी कि कृषि मंत्रालय सोयाबीन के उत्पादन तथा उसके उत्पादन स्तर को बढ़ाने का भरसक प्रयास करेगा। लेकिन मंत्री द्वारा दिए गये व्यक्तव्य से यह पाया गया है कि सोयाबीन का उत्पादन करने वाले लगभग सभी राज्यों में सोयाबीन के उत्पादन की मात्रा में पर्याप्त रूप से कमी हुई है।

इसके परिप्रेक्ष्य में, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि (क) सोयाबीन के उत्पादन की मात्रा में कमी के विशेष कारण क्या हैं; और उत्पादन में वृद्धि करने के लिए कोन से सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे; तथा

(ख) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण हेतु सोयाबीन उपलब्ध कराया जायेगा?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न यह है कि सोयाबीन एक बहुत ही पोषक आहार है। हम इसके उत्पादन बढ़ाने के लिए अत्यधिक इच्छुक हैं, क्योंकि इसमें अत्यधिक प्रोटीन हैं। मैं माननीय सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि हमने वर्ष 1985-86 से सोयाबीन के उत्पादन में $2\frac{1}{2}$ गुणा वृद्धि की है। केवल विगत वर्ष में सोयाबीन का उत्पादन सूखे के कारण 1.77 लाख टन कम हुआ। लेकिन, वर्ष 1985-86 से प्रति हैक्टेयर उत्पादन 786 किलोग्राम से बढ़कर 1029 किलोग्राम वृद्धि हुई है, और अधिक सघन खेती करने तथा और अधिक प्रगतिशील, वैज्ञानिक उपायों की प्रक्रिया जारी है। नवीनतम जनकारी यह है कि मध्य प्रदेश मे हमारे यहां अति उन्नत किस्म के सोयाबीन है। इस वर्ष हम सोयाबीन सहित तिलहन कार्यक्रमों में लगभग 82.38 करोड़ रुपये का निवेश कर रहे हैं। सोयाबीन कार्यक्रम में चौदह राज्य शामिल हैं। हम उसमें और अधिक कार्य कर रहे हैं। हमें इसमें एक प्रमुख सफलता मिलने की आशा है तथा उसे प्राप्त करने में हमारी रुचि है। .....**(व्यवधान)**

श्री सुधीर गिरि: सोयाबीन का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा वितरण करने के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री बलराम जाखड़: जब उत्पादन उस स्तर पर आयेगा, तो हम वैसा करेंगे। पहले हमें उसका अधिक उत्पादन करना है।

श्री सुधीर गिरि: जहां तक सोयाबीन के पोषक तत्व तथा मानव स्वास्थ्य के लिए इसके महत्व का संबंध है, हमारे देश के अधिकांश लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इसलिए, उत्पादन को बढ़ाने तथा उसके उत्पादन क्षेत्र में विस्तार करने के उद्देश्य से संगोष्ठियों का आयोजन किया जाना चाहिए था। इसके अतिरिक्त उत्पादकता को बनाये रखने तथा उसमें वृद्धि करने के लिए अच्छी किस्म के बीज भी एक महत्वपूर्ण आदान है।

इसको ध्यान में रखते हुए, क्या मैं माननीय मंत्री से यह जान सकता हूं कि:

(क) वर्ष 1991-92 में इस उद्देश्य के लिए कितनी संगोष्ठियों का आयोजन किया गया था;

(ख) वर्ष 1991-92 में उत्पादित तथा वितरित सोयाबीन के अच्छी किस्म के बीजों की कुल कितनी मात्रा में उत्पादन हुआ तथा राष्ट्रीय बीज निगम के बीजों का कितना वितरण किया गया?

श्री बलराम जाखड़: हम इस के बारे में काफी कुछ कर रहे हैं। मुझे आपको यह बताना है कि हमने राज्य सरकारों को सोयाबीन के क्षेत्रों के विस्तार के लिए तिलहनों के संबंध में प्रौद्योगिकी मिशन का अनुसरण करने का सुझाव दिया है। वे कदम काफी विस्तृत हैं:

(एक) स्थान विशेष के लिये तैयार किए गए सुधरी किस्मों के सोयाबीन के बीजों को शीघ्रता से उपलब्ध कराने के परबन्ध करना क्योंकि जलवायु विषयक परिस्थितियों तथा क्षेत्रों को देखकर ही हमें तदनुसार उनका चुनाव करना है;

(दो) सोया के कार्य में लगे विकास अधिकारियों के प्रशिक्षण हेतु योजना तैयार करना;

(तीन) डा० पी०एन० भटनागर, निदेशक, सोयाबीन अनुसंधान केन्द्र, इन्दौर द्वारा तैयार की गई सोया उत्पादन संबंधी प्रशिक्षण नियमावली का क्षेत्रीय भाषणों में अुनवाद;

(चार) अधिकारियों और प्रगतिशील किसानों द्वारा मध्य प्रदेश में सोया उत्पादन करने वाले क्षेत्रों का दौरा। यह भी सुझाव दिया गया है कि संबंधित अधिकारी कोयम्बटूर स्थित गन्ने और सोयाबनी के फार्मों को भी देखने जाएं;

(पांच) सोयाबीन की सामूहिक खेती पर समुचित बल देते हुए इसे लोकप्रिय बनाना;

(छः) सोयाबीन के विकास को मौजूदा तथा साथ ही साथ प्रस्तावित पेराई क्षमता से सहबद्ध करना। सोयाबीन की खेती करने वाले किसानों को पेराई की ऐसी इकाइयों से जोड़ने का कार्य सोयाबीन विकास के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा क्योंकि हमें किसानों को इसकी बुवाई के विषय में बताना है।

पेराई का कार्य चल रहा है और यदि आप किसानों को एक बार इसे दिखाकर उन्हें बताएं कि इसका उत्पादन कितना लाभप्रद है तो वे स्वाभाविक रूप से इसकी खेती करना शुरू कर देंगे, जैसा कि मध्य प्रदेश में हुआ है। वर्तमान में मध्य प्रदेश सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन करने वाला राज्य है और अकेले ही 18 लाख टन से भी अधिक सोयाबीन का उत्पादन करता है। राजस्थान लगभग एक लाख अस्सी हजार टन का उत्पादन करता है। अन्य राज्यों का उत्पादन बहुत कम है, लेकिन हम इसका विस्तार अन्य राज्यों में भी प्रगति के साथ कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री महेन्द्र सिंह ठाकुर: माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यह जानती है कि मध्य प्रदेश में सोयाबीन की सबसे ज्यादा पैदावार होती है और यह पौष्टिक भी है। प्रतिवर्ष इसका रकबा भी बढ़ता जा रहा है, तो इन सारी बातों के देखते हुए क्या सरकार आठवीं पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में एक्सटेंशन प्लांट लगाने जा रही है, यदि हां, तो कितने प्लांट लगाने की सरकार की मंशा है।

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, जैसे-जैसे रकबा बढ़ता जाएगा, वैस-वैसे ही उसके एक्सटेंशन के लिए अपने आप काम होगा। वैसे हमने इस काम के लिए 82 करोड़ रुपये रखे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा सोयाबीन पैदा होता है, और इसके पौष्टिक तत्वों के देखते हुए उत्तर प्रदेश में भी इसकी खेती काफी होने लगी

है। लेकिन मार्केट में सोयाबीन के अच्छे दाम दिलाने के लिए सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है। मैं स्पेसिफिकली यह जानना चाहता हूं कि सोयाबीन के उत्पादकों के लिए, उनको अच्छा दाम दिलाने के लिए सरकार क्या कोई व्यवस्था कर रही है। क्या कोई रिसर्च सेंटर सरकार खोलने की व्यवस्था कर रही है, जिनके माध्यम से प्रति एकड़ उत्पादन अधिक से अधिक हो सके। इस संबंध में सरकार की क्या योजना है, ताकि सोयाबीन का प्रति एकड़ उत्पादन बढ़ सके।

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, यह चीज बहुत आवश्यक है। बगैर पैसे से किसान खेती क्यों करेगा और माननीय सदस्य को जानकारी होगी कि पिछले साल जितना उत्पादन बढ़ा है, उतना कभी नहीं बढ़ाया गया। आगे भी उत्पादन बढ़ाने के लिए जो भी कार्यवाही आवश्यक होगी, वही की जाएगी।

दूसरी बात जो आपने अच्छे बीज उपलब्ध कराने के बारे में कही है, इस काम को प्रायरिटी दी जाती है। अच्छे बीज के उत्पादन के लिए, संकर बीज तथा दूसरी किस्मों के अच्छे बीजों का उत्पादन हमारे यहां हो रहा है और मेरे ख्याल से मध्य प्रदेश का लेटेस्ट उत्पादन 2400 किलोग्राम प्रति हैक्टर तक चला गया है, इस तरह से इस दिशा में एक तरह का कायाकल्प हो जायेगा।

श्री नवल किशोर राय: अध्यक्ष महोदय, सोयाबीन के पौष्टिक आहार के रूप में विकास की बात मंत्री महोदय ने की है। मैं आपके माध्यम से भारत सरकार से और मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं कि देश के पिछड़े राज्य बिहार में भी इस पौष्टिक आहार सोयाबनी की खेती के विकास के लिए क्या भारत सरकार व्यापक सर्वेक्षण कराएगी और सर्वेक्षण कराकर बिहार राज्य में इसकी खेती कराने की व्यवस्था कराएगी?

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा आवश्यकता बिहार के लिए इस चीज की है कि बिहार जागे, यदि बिहार जाग जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा।

श्री रामविलास पासवान: बिहार जगा हुआ है।

श्री बलराम जाखड़: आपने बिहार को सुला रखा है, उसको जगाओ, यदि बिहार जाग जाए तो देश का कल्याण हो जाएगा और फिर आपको यह पूछने की आवश्यकता नहीं रहेगी कि बिहार के लिए क्या योजनाएं हैं। वहां पर सारा काम किया जाएगा, जो भी काम करने के लिए आप कहेंगे, उसको करने के लिए हम तैयार हैं।

श्री नवल किशोर राय: आप अपने स्तर पर क्या कर रहे हैं, यह बता दीजिए।

श्री बलराम जाखड़: मेरी तरफ से कोई कमी नहीं आएगी, जो आप कहेंगे, वह मैं करने के लिए तैयार हूं, जहां आप चलने के लिए कहेंगे, वहां चलने के लिए तैयार हूं, यह मेरा आश्वासन है।

[अनुवाद]

श्री बूटा सिंह: महोदय, देश में तेल उत्पादन बढ़ाने के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि सोयाबीन की खेती में विस्तार किया जाए। यह भी एक तथ्य है कि सोयाबीन कृषि उत्पादों में एक ऐसी चीज है जिसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार है और जिसकी समूचे विश्व में काफी मांग है। क्या मैं मंत्री महोदय से यह जान सकता हूं कि क्या उनके पास एक ऐसे किस्म के सोयाबीन की खेती करने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने हेतु कोई विशेष योजना है जो अंतर्राष्ट्रीय कोटि का है और जिसे बेचकर विदेशी मुद्रा की कमी को पूरा किया जा सके तथा साथ ही किसानों को भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अच्छी कीमत प्राप्त हो सके।

श्री बलराम जाखड़: महोदय, मैं बिल्कुल, शत-प्रतिशत, माननीय सदस्य की बात से सहमत हूं जो मेरे से पूर्ववर्ती मंत्री रह चुके हैं तथा इस बारे में बहुत कुछ जानते हैं। मैं उन्हें इसके सिवाय और अधिक क्या बात सकता हूं कि मैं जो कुछ उन्होंने कहा है, उसी का अनुपालन कर रहा हूं और हम वही करने का प्रयास कर रहे

हैं। इस समय सोयाबीन केक की मांग बहुत अधिक है और जैसा कि मैंने आपको बताया इस समय होने वाला उत्पादन 2,000 कि०ग्राम प्रति हैक्टेयर से अधिक है। अगर ऐसा होता रहा तो हमारे लिए यह एक वरदान होगा।

[हिन्दी]

दिल्ली में जल प्रदूषण

*127. **श्री साईमन मराण्डी:**
श्री शरद यादव:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में हो रहे जल प्रदूषण की जानकारी है जिससे हैजा, पीलिया तथा आंत्रशोथ जैसी पानी से होने वाली बीमारियों के फैलने का खतरा पैदा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो दिल्ली के निवासियों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): एक विवरण सभा पटल पर रखा है।

माननीय, अध्यक्ष महोदय, सरकार राजधानी में जल प्रदूषण की संभावना से अवगत है। दिल्ली जल आपूर्ति और जलमल व्ययन प्राधिकरण ने रिपोर्ट दी है कि उनके द्वारा आपूर्ति किए जाने वाले जल की समय-समय पर जांच की जाती है और प्रतिदिन जल वितरण स्थान से हर अवस्था में जल के 250 नमूने परीक्षण हेतु लाए जाते हैं। टूटी-फूटी पाइपों के लिए सर्वेक्षण किए जाते हैं तथा उन्हें बदला जाता है उसके अतिरिक्त, प्रभावित क्षेत्रों का सर्वेक्षण करने के लिए सर्वेक्षण दल गठित किए जाते हैं।

विवरण

सरकार को राजधानी से जल प्रदूषण की सम्भावनाओं और फलस्वरूप जल से उत्पन्न होने वाली बीमारियों की जानकारी है।

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि उनके द्वारा सप्लाई किये जा रहे जल की गुणवत्ता की कच्चे पानी की अवस्था से सेवा जलाशयों में भण्डारण तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचने की अवस्था तक भी हर स्तर पर जांच की जाती है। रैनी कुओं और नलकूपों से सप्लाई किये गये जल की भी नियमित आधार पर जांच की जाती है। संस्थान द्वारा जांच करने के लिये वितरण केन्द्रों से प्रतिदिन पानी के 250 नमूने लिये जाते हैं। यह सूचित किया जाता है कि दिल्ली जल प्रदाय एंव मल व्ययन संस्थान द्वारा सप्लाई किया गया जल पीने योग्य और निर्धारित मानकों के अनुरूप है। पुनर्वास कालोनियों में कीचड़ वाली नालियों और रुके हुये तालाबों के साथ लगे सभी उथले हैण्ड पम्पों को निष्क्रिय कर दिया गया है। अपक्षरित पाइपों के कारण जहां संदूषण के व्यक्तिगत मामले ध्यान में आते हैं, ऐसे पुराने पाइपों को बदलने के लिये एक विस्तृत कार्यवाही योजना बनाई गई है और प्रभावित क्षेत्रों के गहन सर्वेक्षण के लिये विशेष दस्तों का गठन किया गया है। दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा व्यक्तिगत शिकायतों पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है। झुग्गी-झोपड़ी समूहों को आवश्यकतानुसार, टैंकरों के द्वारा पेयजल सप्लाई किया जाता है।

उपभोक्ताओं के लिये लाइसेंसशुदा नलसाजों द्वारा नलसाजी की जांच के लिये जन चेतना उत्पन्न करने के लिए संस्थान द्वारा समाचार पत्रों, दूरभाष और आल इंडिया रेडियो के माध्यम से एक अभियान शुरू किया गया है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा झुग्गी-झोपड़ी समूहों तथा पुनर्वास कालोनियों पर विशेष जोर देते हुये पाने से उत्पन्न होने वाली बीमारियों को रोकने के लिये अनेक उपाय किये जाते हैं और स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय में स्थापित एक समिति द्वारा स्थिति पर निरन्तर निगरानी रखी जाती है।

[हिन्दी]

श्री साईमन मरान्डी: अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना में सुलभ शौचालय की जो अपेक्षित वयवस्था है, जल के प्रदूषण को दूर करने के लिए शुष्क और कमाऊ शौचालयों को क्या सरकार सुलभ शौचालयों में परिवर्तित करने का विचार रखती है?

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, यह प्रश्न सुलभ शौचालय पर नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर से सबाधत है।

श्री शरद यादव: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री महोदया ने जो जवाब दिया है, हमारा मकसद सवाल पूछने का यह है कि देशभर में पीने के पानी का संकट है, लेकिन दिल्ली में संकट बढ़ गया है। 1988 में हैजे की जो स्थिति थी उससे आप वाकिफ हैं और इनके जो जल के बावत बड़े अफसर हैं, एम० सी० जैन, उनकी यह रिपोर्ट है कि पीने के पानी में बहुत प्रदूषण है, बहुत गन्दा है। उनकी रिपोर्ट के बावजूद भी पानी का जो संकट है वह बहुत ज्यादा है, अभी भी कितने लोग हैं जिनको पीने का पानी नहीं मिल रहा है।.....

श्री शरद यादव: यह प्रदूषण का मामला है जिसके बारे में इसके अफसरों ने जो जल-प्रदूषण के एक्सपर्ट हैं, उन्होंने रिपोर्ट दी है। इसके बावजूद क्लोरीन से लेकर शुद्ध पानी लोगों को सप्लाई देने का मामला है, उसमें क्या कदम उठाएगए हैं और आपकी क्या व्यापक योजना है। 1988 के बाद हैजे के केस की बराबर रिपोर्ट हो रही है। प्रदूषण और गंदे पानी का बुरा हाल है, इसे सुधारने के लिए आपके पास कोई योजना है।

श्रीमती शीला कौल: मान्यवर, दिल्ली के पानी का बहाव दिल्ली में है या नहीं, सारे हिन्दुस्तान में है और आगे चलकर और भी कम हो जायेगा। हमारी धरती का पानी कम हो रहा है। हमने कुंए खोदे हैं दिल्ली में, लेकिन वे भी सूखते जा रहे हैं। एक सिचुएशन ऐसी है कि हमें ध्यान रखना है कि हम अपने पानी का कितना इस्तेमाल करें। हमने रैनी-वैल खोदे हैं.....(व्यवधान) दिल्ली वालों को मालूम है कि यहां की समस्या क्या है। पोल्युशन के बारे में कहा कि ढाई सौ तीन सौ सैम्पल लिए जाते हैं और उनका टैस्ट किया जाता है, यह जानने के लिए कि इसमे कितना पोल्युशन है और जब मालूम पड़ता है तो उसको सही किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आन्ध्र प्रदेश में मात्स्यिकी विकास

[अनुवाद]

122. **श्री के०पी० रेड्डय्या यादव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में मात्स्यिकी विकास हेतु स्वीकृत नई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्य को योजना-वार कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) और (ख) वर्तमान वर्ष के दौरान आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वयन के लिये अनुमोदित नई योजनाएं (1) अंतर्देशीय मछली विपणन के लिये बुनियादी तंत्र को मजबूत बनाना और (2) विश्व बैंक की सहायता प्राप्त झींगा और मछली पालन परियोजना।

आन्ध्र प्रदेश सरकार से मछली विपणन योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया है। राज्य सरकार इस योजना के तहत अनुदान पाने के लिये पात्र होगी।

झींगा और मछली पालन परियोजना इस राज्य में 83.13 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 15,300 हैक्टेयर जलाशय क्षेत्र तथा 1,393 हैक्टेयर झींगा पालन क्षेत्र के लिये मई, 1992 से ऋण हेतु पात्र हो गई है। [हिन्दी]

उत्तर प्रदेश की आवास योजनाएं

*128. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की आवास समस्या को हल करने हेतु आवास और शहरी विकास निगम के विचाराधीन योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या आवास और शहरी विकास निगम ने इन योजनाओं को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल: (क) से (घ) हुडको द्वारा दी गई जनकारी के अनुसार, 224.45 करोड़ रुपये की ऋण राशि के लिए आवास, अधसंरचना और अन्य स्कीमों की कुल 92 परियोजनाएं उत्तर प्रदेश में विभिन्न एजेंसियों द्वारा हुडको के अनुमोदन हेतु भेजी गई हैं। इनमें 57 शहरी आवास स्कीमें, 14 भूमि अधिग्रहण स्कीमें, 19 शहरी अधसंरचना स्कीमें और 2 वाणिज्यिक स्कीमें शामिल हैं। ये स्कीमें मूल्यांकन और अनुमोदन की विभिन्न अवस्था में हैं। अधिकतर स्कीमें हुडको द्वारा वांछित स्पष्टीकरणों के अनुपालन अथवा जानकारी भेजने के लिए उधार लेने वाली एजेंसियों के पास लम्बित पड़ी हैं और इसलिए हुडको इन स्कीमों का अनुमोदन अभी तक नहीं कर पाया है।

[अनुवाद]

"जीरो फ्लेयरिंग प्रोजेक्ट्स"

*129. **श्री हरि सिंह चावड़ा:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) शून्य गैस प्रज्वलन स्तर वाली परियोजनाओं (जीरो फ्लेयरिंग प्रोजेक्ट्स) के संघटक क्या-क्या हैं;

(ख) इन परियोजनाओं को सरकार की स्वीकृति के लिए कब भेजा गया और इन्हें वास्तव में कब स्वीकृति दी गयी;

(ग) इन परियोजनाओं की प्रारम्भिक लागत कितनी थी और अब इनकी संशोधित लागत कितनी है;

(घ) लागत में वृद्धि होने के क्या कारण हैं;

(ङ) इसके लिए विश्व बैंक द्वारा दी गयी सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(च) इनके पूरा होने पर जो अतिरिक्त गैस प्राप्त होगी, उसके उपयोग के लिए कौन-कौन सी सम्बद्ध सुविधाएं देने का विचार है और इनका वित्तपोषण कैसे किया जायेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) से (घ) पश्चिमी अपतट में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की गैस दहन न्यूनीकरण परियोजना के घटक निम्नवत हैं:—

(i) एन बम्बू पी प्रोसेस प्लेटफार्म।

(ii) एस एच जी प्रोसेस प्लेटफार्म।

(iii) द्वितीय बेसिन-हजीरा गैस ट्रंक लाइन तथा हजीरा गैस टर्मिनल का विस्तार।

(iv) आई० सी०पी० हीरा गैस ट्रंक लाइन।

ऊपर(i) तथा (ii) पर बताए गए घटकों से संबंधित प्रस्ताव अगस्त सितम्बर, 1990 के दौरान प्राप्त हुए और बम्बई हाई क्षेत्र के एल ii तथा एल iii भंडारों (रिजर्वायर) के अतिरिक्त विकास परियोजनाओं के भाग के रूप में 18 अप्रैल, 1991 को अनुमोदित किया गया था। ऊपर(iii) तथा (iv) पर बताये गये घटकों के संबंध में प्रस्ताव क्रमशः अप्रैल, 1991 और जून 1991 में प्राप्त हुए। ये विचार विमर्श के अग्रिम चरण में हैं।

मूल और संशोधित लागत अनुमान निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:—

(करोड़ रुपये)

क्रम सं०	परियोजना का नाम	मूल लागत	संशोधित लागत
(1)	एन बम्बू पी प्रोसेस प्लेटफार्म तथा संबद्ध सुविधाएं	581.53	1115.10
(2)	एस एच जी प्रोसेस प्लेटफार्म तथा संबद्ध सुविधाएं	1368.33	2577.96
(3)	द्वितीय बेसिन—हजीरा गैस ट्रंक लाइन तथा हजीरा गैस टर्मिनल का विस्तार	2301.78	3272.03
(4)	आई सी सी पी गैस ट्रंक लाइन	449.29	704.16

लागतों में वृद्धि के प्रमुख कारण हैं:—

(1) रुपए की विनिमय दर में तीव्र मूल्यह्रास।

(2) ऊपर (1) के परिणामस्वरूप सीमा शुल्क में परिवर्तन।

(3) सामान्य कीमत वृद्धि।

(ङ) बहुपक्षीय एजेंसियों से विश्व बैंक तथा एशिया विकास बैंक से ऋण, डेनमार्क तथा नार्वे से द्विपक्षीय सहायता, जापान के ऐक्जिम बैंक से ऋण, पूर्तिकर्त्ता के ऋण तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के आंतरिक संसाधनों से ऋण द्वारा परियोजना को वित्त प्रदान किए जाने की संभावना है।

(च) उपलब्ध हो सकने वाली अतिरिक्त गैस, जिसका आवंटन पहले की किया जा चुका है, एच बी जे पाइपलाइन के साथ हजीरा उरन में विद्युत, उर्वरक, इस्पात तथा औद्योगिक क्षेत्रों में इस्तेमाल की जाएगी।

केरल में खाद्य प्रसंस्करण एककः

*130. **प्रो० सावित्री लक्ष्मणन**: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल सरकार ने राज्य में 1991-92 और 1992-93 के दौरान खाद्य प्रसंस्करण एककों की स्थापना करने हेतु कोई सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य को उक्त अवधि के दौरान कितनी सहायता दी गयी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

इस मंत्रालय द्वारा 1991-92 और 1992-93 के लिए तैयार की गई योजना स्कीमों के अंतर्गत सहायता के लिए केरल सरकार से निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए थे:—

1991-92

1. अनन्नास विपणन सहकारी समिति लिमिटेड कोट्टायम, केरल द्वारा अनन्नास प्रसंस्करण यूनिट की स्थापना के लिए अनुदान सहायता। इस परियोजना के पूंजी व्यय के एक हिस्से को पूरा करने के लिए 1991-92 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को 7.33 लाख रुपये की धनराशि दी गई थी।

2. केरल राज्य के 6 जिलों के लिए बड़े मछली भण्डारण केन्द्रों और बड़े उपभोक्ता केन्द्रों में कोल्ड वेन और समुद्री मछली के परिरक्षण, परिवहन और विपणन के लिए इन्सुलेटिड परिवहन जैसी बुनियादी सुविधाओं की स्थापना हेतु 1991-92 के दौरान 49.5 लाख रुपये की अनुदान सहायता केरल सरकार को दी गई।

3. कम मूल्य की मछली को अधिक मूल्य के उत्पादों में परिवर्तित करने के लिए पांच जिलों में बेकार मछली से संबंधित परियोजनाओं की स्थापना हेतु केरल सरकार को 1991-92 के दौरान 45 लाख रुपये की अनुदान सहायता दी गई।

4. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से केरल मे एकीकृत बागवानी विकास कार्यक्रम के एक प्रस्ताव को अंतिम रूप दिया जा चुका है और 28.6 मिलियन ई०सी०यू० की सहायता के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय के साथ एक करार कर लिया गया है। इस प्रस्ताव में अन्य बातों के साथ-साथ केरल के विभिन्न स्थानों में फल प्रसंस्करण परियोजनाओं सहित 8 पायलट परियोजनाओं की स्थापना शामिल है।

1992-93

5. निम्नलिखित की स्थापना के लिए सहायता हेतु केरल राज्य सरकार के एक उपक्रम अर्थात् मै० मीट प्रोडक्ट्स इण्डिया लिमिटेड से राज्य सरकार के माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष में दो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं:—

(क) चेलाकुडी जिला त्रिचुर में एक भैंस मांस प्रसंस्करण परियोजना और

(ख) एर्नाकुलम में एक पाल्ट्री प्रसंस्करण परियोजना जिस पर कार्यवाही आरम्भ कर दी गई है।

तेल की खोज

*131. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में भारत-पाक सीमा पर चल रहा तेल खोज परियोजनाओं के नाम क्या हैं;

(ख) क्या उस क्षेत्र में गैस तथा हाइड्रोकार्बन की खोज भी की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो राजस्थान में भारत-पाक सीमा के समस्त शुल्क क्षेत्र में तेल, गैस और हाइड्रोकार्बन के लगभग कितने भण्डारों का पता लगा है; और

(घ) उस सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित समस्त तेल, गैस और हाइड्रोकार्बन भण्डारों का दोहन करने हेतु क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द): (क) पश्चिमी राजस्थान जो भारत-पाक सीमा के अति निकट है, में तेल और गैस के लिए अन्वेषण कार्य वर्ष 1956 से ही सर्वप्रथम तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा अकेले और बाद में वर्ष 1984-85 से तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग तथा आयल इंडिया लिमिटेड दोनों के ही द्वारा चरणों में किया जा रहा है।

(ख) जी, हां।

(ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने राजस्थान में प्राकृतिक गैस के 2.06 बिलियन क्यूबिक मीटर (बी सी एम) का भण्डार साबित किया है। आयल इंडिया लिमिटेड ने क्षेत्र में 8.1 मिलियन टन के क्रूड तेल (भारी तेल) तथा 6.9 बिलियन क्यूबिक मीटर के प्राकृतिक गैस के भण्डार स्थापित किए हैं।

(घ) सरकार ने राजस्थान में खोजे गए भारी तेल क्षेत्रों को संयुक्त उदयम व्यवस्था के तहत विकास के लिए निजी कंपनियों को सौंपने का निर्णय लिया है। तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के मनहेड़ा टिब्बा से प्रतिदिन 50,000 क्यूबिक मीटर गैस रामगढ़ में विद्युत संयंत्र को आबंटित की गई है।

मद्य निषेध नीति

*132. **श्री अन्ना जोशी:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जहरीली शराब से होने वाली मौतों में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए मद्यनिषेध नीति को उदार बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार एक ऐसा कानून बनाने का भी है जिसके आधार पर देशी शराब को बनाना तथा उसे एक राज्य से दूसरे राज्य में लाना/ले जाना और बेचना आसान हो जाये;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार को यह अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि देशी शराब पर लगे उत्पाद शुल्क में कमी की जाये ताकि यह सस्ती दर पर उपलब्ध हो सके, और

(च) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) जी, नहीं, नशाबन्दी संबंधी संवैधानिक दायित्व को पूरा करने की जिम्मेदारी, संविधान की 7वीं अनुसूची की प्रविष्टि संख्या 8 के अन्तर्गत राज्य सरकारों की है। नशाबन्दी नीति को उदार बनाने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

आवास योजनाओं के लिए ऋण

*1133.. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आवास और शहरी विकास निगम (हुडको) ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान राज्य की आवास योजनाओं के लिए ऋण स्वीकृत करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और कम आय वर्गों के लोगों के लिए कुल कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ग) उन राज्य के नाम क्या हैं जिन्हें "हुडको" ऋण देने के लिए सहमत है;

(घ) क्या हुडको ने 1992-93 के दौरान इस बीच कुछ राज्यों को ऋण दिये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्री (श्रीमती शीला कौल): (क) और (ख) संसाधनों की उपलब्धता के अध्यधीन, हुडको ने आवास के लिए 660 करोड़ रु० का नियतन किया है जिसमें से 363 करोड़ रु० शहरी और ग्रामीण क्षेत्रो, दोनों में आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग निम्न आय वर्ग के लिए अंतरिम रूप से उधिष्ट किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, नेहरु रोजगार योजना के अंतर्गत शहरी निर्धनों के लिए आश्रय उन्नयन के निमित्त 85 करोड़ रु० का नियतन किया गया है।

(ग) से (ङ) सभी राज्यों के लिए एक समान मानदंड पर हुडको द्वारा किए गए उपर्युक्त अंतरिम नियतन से 1-4-1992 से 31-5-1992 की अवधि के दौरान 8 राज्यों को अब तक 24.96 करोड़ रुपए की ऋण सहायता मंजूर की गई है। राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

आवास

(लाख रुपये में)

क्रम सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना की सं०	ई डब्लू एस (आर)	ई डब्लू एस (यू)	एल आई जी	एम आई जी	एच आई जी	अन्य	बी एम योग
1.	गुजरात	2	0.00	0.00	8.82	22.32	0.00	—	31.14
2.	हरियाणा	1	0.00	13.61	33.33	0.00	0.00	—	46.94
3.	महाराष्ट्र	2	62.76	23.26	0.00	0.00	0.00	—	86.02
4.	मध्य प्रदेश	4	0.00	33.08	30.72	164.55	84.74	—	313.09
5.	उड़ीसा	2	32.30	0.00	0.00	0.00	0.00	—	32.30
6.	पंजाब	1	0.00	0.00	47.04	36.65	0.00	—	83.69

अन्य-वाणिज्यिक और स्टाफ आवास शामिल है।
गैर पारम्परिक-केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, उच्च प्राप्ति स्कीमें, पैकेज ऋण और राष्ट्रीय आवास बैंक पुनः वित्त पोषण

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	योजना की सं॰	ईडब्लूएस (आर)	ईडब्लूएस (यू)	एलआईजी	एमआईजी	एचआईजी	अन्य	बी एम योग
7.	उत्तर प्रदेश	8	44.05	109.87	177.11	276.80	220.81	—	828.74
8.	पश्चिम बंगाल	4	200.00	0.00	0.00	0.00	875.08	—	1075.08
	योग	24	339.11	179.82	297.02	500.32	1180.63	—	2496.90

श्रेणी/टाइप

*ई डब्लूएस-आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग
*एल आई जी-निम्न आय वर्ग
*एम आई जी-मध्यम आय वर्ग
*एच आई जी-उच्च आय वर्ग
*बी एम-निर्माण सामग्री
*यू आई-शहरी आवसंरचना में कम लागत की स्वच्छता शामिल है।
*सी जी ई- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी
*एन एस-नैन बसेरा
आर एफ-राष्ट्रीय आवास बैंक पुनः वित्त पोषण
एल ए-भूमि अधिग्रहण
एन आर-नेहरू रोजगार योजना

तेल की खोज के लिए निविदाएं

*134. **श्री राम कापसे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न ब्लाकों में तेल की खोज के लिए वर्ष 1991-92 में निविदाएं आमन्त्रित की थीं;

(ख) यदि हां, तो उन विदेशी और भारतीय कम्पनियों के नाम क्या हैं जिन्होंने निविदाएं दी हैं;

(ग) जिन कम्पनियों को तेल की खोज का कार्य आवंटित किया गया है, उनका कम्पनी-वार तथा राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सभी ब्लाक आवंटित कर दिये गये हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी॰ शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) चौथे दौर की बोली के प्रत्युत्तर में 21 विदेशी कंपनियों और 10 भारतीय कंपनियों ने अपनी बोलियां प्रस्तुत की हैं।

(ग) से (ङ) ठेकों को अंतिम रूप देने के बाद ही विभिन्न कंपनियों को किये जाने वाले ब्लाकों के आवंटन के संबंध में जाना जा सकेगा।

आयल पाम की खेती हेतु भूमि

*135. **श्री वसुदेव आचार्य:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आयल पाम की खेती हेतु प्रत्येक जिले में 2000 हेक्टेयर भूमि निर्धारित करने का निर्णय लिया हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजना

*136. **श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव:**
श्री धर्मभिक्षम:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी कृषकों की सभी फसलों का बीमा करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल में आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में वर्तमान व्यापक फसल बीमा योजना के साथ-साथ कोई नई योजना आरंभ करने का निर्णय लिया गया था;

(घ) *यदि हां, तो बैठक में क्या-क्या मुख्य निर्णय लिये गये; और*

(ङ) *इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिये जाने की संभावना है?*

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) और (ख) सरकार का सभी किसानों को उनकी सभी फसलों के लिये वर्तमान बृहत फसल बीमा योजना के अन्तर्गत बीमा लाभ प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) वर्तमान योजन की समीक्षा करने के लिये हुई एक उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जबकि मौजूदा योजना जारी रहे, एक नई प्रायोगिक योजना प्रत्येक राज्य के एक जिले में कार्यान्वयन हेतु तैयार की जाये जिसमें सभी किसानों को तथा सभी फसलों को सभी जोखिमों के लिये शामिल किया जाये और किसी राजसहायता के बिना बीमांकित दर पर प्रीमियम लिया जाये।

इस योजना का प्रारूप टिप्पणियों के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा संबंधित सरकारी विभागों को भेजा गया है, जिसके बाद इस योजना को अंतिम रूप दिया जायेगा।

[हिन्दी]

डेरी विकास परियोजनाएं

*137. **श्री राजेश कुमार:**
श्रीमती शीला गौतम:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड का विचार देश के विभिन्न भागों में परियोजनाएं स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष डेरी विकास के लिए प्रत्येक राज्य में बोर्ड ने दुग्ध सहकारी समितियों को कितनी वित्तीय सहायता दी है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) और (ख) डेयरी विकास परियोजनाओं की स्थापना संबंधित राज्य डेयरी सहकारी परिसंघों/दुग्ध संघों द्वारा आपरेशन फ्लड कार्यक्रम की कार्यान्वयन एजेंसियों के नाते की जाती है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड उन्हें इस प्रयोजन के लिये वित्तीय और तकनीकी सहायता मुहैया करता है।

(ग) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1989-90, 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान राज्य-वार धन का वितरण दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(रुपये लाखों में) (अनन्तिम)

	राज्य	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	848.14	734.67	440.73
2.	असम	27.78	16.88	2.99
3.	बिहार	295.09	213.07	263.51
4.	गोवा	11.76	8.95	11.75
5.	गुजरात	799.52	1988.10	1332.22
6.	हरियाणा	161.42	146.90	212.44
7.	हिमाचल प्रदेश	9.05	7.85	(-)0.18
8.	कर्नाटक	968.29	327.57	613.26
9.	केरल	151.99	153.28	122.91
10.	जम्मू व कश्मीर	0.13	1.59	0.83
11.	मध्य प्रदेश	81.36	301.41	86.61
12.	महाराष्ट्र	64.38	175.64	203.21
13.	मणिपुर	0.00	0.46	0.33
14.	मिजोरम	0.00	0.13	0.00
15.	नागालैंड	0.00	0.19	0.00
16.	उड़ीसा	74.6	54.41	77.20
17.	पंजाब	325.17	981.19	257.71
18.	राजस्थान	164.30	(-)219.94	341.80
19.	सिक्किम	0.23	1.47	0.31
20.	तमिलनाडु	337.48	505.67	580.19
21.	त्रिपुरा	1.13	1.38	0.82
22.	उत्तर प्रदेश	245.68	370.47	225.16
23	पश्चिम बंगाल	34.15	14.64	69.13

[अनुवाद]

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग

*138. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:**
डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं; और

(ग) आयोग के सदस्यों का चयन किस प्रकार किया जाता है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) से (ग) यह मामला सरकार के सक्रिय विचाराधीन है।

एल० पी० जी० पर राज-सहायता

*139. **श्री अजय मुखोपाध्याय:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार एल०पी०जी० पर दी जा रही राज सहायता में और कमी करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) एल०पी०जी० सहित पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में संशोधन लागत, मांग में वृद्धि और अन्य सामाजिक आर्थिक घटकों को ध्यान में रखकर किया जाता है।

पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा एलपीजी एजेंसियों का आवंटन

*140. **श्री एच०डी० देवगौड़ा:**
श्री राजवीर सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा एलपीजी एजेंसियों की राज्य-वार, अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 1990-91 और 1991-92 में आवंटित किए गए खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा एलपीजी एजेंसियों की अलग-अलग संख्या कितनी है;

(ग) क्या सरकार को वर्ष 1992-93 के दौरान और अधिक पेट्रोल पम्प तथा एलपीजी एजेंसियां खोलने के प्रस्ताव मिले हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) दिनांक 1-4-1992 की स्थिति के अनुसार देश के विभिन्न राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों में 15142 पेट्रोल/डीजल के खुदरा बिक्री केन्द्र और 4038 एल०पी०जी० डिस्ट्रीब्यूटरशिपें थीं:—

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी०
आन्ध्र प्रदेश	1193	340
अरुणाचल प्रदेश	26	13
असम	324	108
बिहार	913	143
गोआ	65	29
गुजरात	965	294
हरियाणा	492	120
हिमाचल प्रदेश	77	46
जम्मू और कश्मीर	115	56
कर्नाटक	926	239
केरल	699	171
मध्य प्रदेश	870	217
महाराष्ट्र	1527	550
मणिपुर	28	9
मेघालय	49	15

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पेट्रोल/डीजल खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी०
मिजोरम	13	10
नागालैंड	26	14
उड़ीसा	330	84
पंजाब	947	166
राजस्थान	896	166
सिक्किम	10	2
तमिलनाडु	1408	307
त्रिपुरा	29	11
उत्तर प्रदेश	1910	450
पश्चिम बंगाल	1006	225
अंडमान और निकोबार	3	1
चंडीगढ़	20	26
दादर और नागर हवेली	3	1
दिल्ली	241	217
दमन और द्वीप	4	2
लक्ष्यद्वीप	0	1
पांडिचेरी	27	5
योग:	15142	4038

(ख) वर्ष	खुदरा बिक्री केन्द्र	एल०पी०जी०
1990-91	228	100
1991-92	85	81

(ग) और (घ) वर्ष 1992-93 में संपूर्ण देश में 1423 नये खुदरा बिक्री केन्द्र तथा 706 एल०पी०जी० की डिस्ट्रीब्यूटरशिपें खोलने के लिए तेल उद्योग से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड

*141. **डा० असीम बाला:**
श्री नवल किशोर राय:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद सलाहकार बोर्ड का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस बोर्ड के क्या उद्देश्य हैं; और

(ग) इस बोर्ड के सदस्य कौन-कौन हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

समेकित मत्स्य पालन परियोजना द्वारा अनुसंधान कार्य

*142. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समेकित मत्स्यन परियोजना जो मत्स्य पालन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य करती है, बाजार संभाव्यता का पता लगाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या जून, 1992 में "अधिक उत्पादन और निर्यात हेतु समुद्री मछली प्रजनन और विकास" विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था;

(घ) यदि हां, तो इसमें दिए गए सुझावों और सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) से (ङ) समेकित मात्स्यिकी परियोजना विभिन्न नगरों, कस्बों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के परिसंस्कृत मात्स्यिकी उत्पाद बेचने के बारे में सम्भावना अध्ययन करती रही है। इन उत्पादों में हिमित, डिब्बा बंद, सूखी और धूमित मात्स्यिकी उत्पाद शामिल हैं, जिनके लिये सस्ती तथा गैर-परंपरागत किस्मों की मछली सहित समुद्री मछली की लगभग सभी किस्मों का प्रयोग किया जाता है।

"अधिक उत्पादकता तथा नियति के लिये समुद्री मात्स्यिकी के विकास पर कार्यशाला" शीर्षक से 9-10 जून, 1992 को कोचिन में एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई। सरकार इस कार्यशाला के सुझावों और सिफारिशों की जांच कर रही है।

[अनुवाद]

तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास

1296. **श्री सुबास चन्द्र नायक**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में तिब्बती शरणार्थी रह रहे हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इन शरणार्थियों के पुनर्वास के लिए कोई धनराशि आवंटित की है; और

(ग) यदि हां, तो विगत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष राज्य-वार किये गए आवंटन का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ग) भारत में तिब्बती शरणार्थियों को हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में बसाया गया है। उन्हें घर बनाने, जल-आपूर्ति और नागरिक सुविधाओं की व्यवस्था जैसी आधारभूत सुविधाएं, हस्तशिल्प केन्द्रों के निर्माण, आदि के लिए सहायता उपलब्ध कराई जाती है। पिछले तीन वर्षों के दौरान हुए वास्तविक व्यय के आधार पर राज्यों को जारी की गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्रम० सं०	उस राज्य का नाम, जिसे धनराशि जारी की गई है।	वर्ष		
		1989-90	1990-91	1991-92
			(लाख रुपए में)	
1.	हिमाचल प्रदेश	—	8.69	—
2.	जम्मू और कश्मीर	30.00	—	31.67
3.	सिक्किम	—	10.00	7.00
4.	उत्तर प्रदेश	28.56	0.72	0.65
5.	कर्णाटक	51.09	—	40.07
6.	अरुणाचल प्रदेश	1.19	—	—
7.	पश्चिम बंगाल	—	—	0.55

दिल्ली में पानी के नमूनों का विश्लेषण

1297. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
महन्त अवैद्य नाथ:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत एक वर्ष अथवा समय के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने दिल्ली/नई दिल्ली की विभिन्न भागों से पानी के नमूने एकत्र किये थे, और उनका विश्लेषण किया था;

(ख) यदि हां, तो पानी के नमूने किन-किन स्थानों से लिये गये थे और प्रत्येक नमूने के विश्लेषण का क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या पानी के नमूने मानव उपभोग के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप थे;

(घ) यदि नहीं, तो इन खामियों के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है; और

(ङ) सरकार ने सुरक्षित पानी की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सूचित किया है कि विगत एक वर्ष के दौरान केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने केवल एक बार नमूने एकत्र किए थे।

(ख) और (ग) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने आकस्मिक परीक्षण जांच के लिए दिल्ली/नई दिल्ली में चार इलाकों से पानी के नमूने एकत्र किए। विश्लेषण परिणामों ने इंगित किया कि कुल द्रवीभूत ठोस (टी डी एस) और कुल कठोरता तथा अन्य साधान्य प्राचल, यह मानते हुए कि क्षेत्र में भूमिगत जल के वैकल्पिक स्रोतों का उपयोग किया जाता है, ठीक सीमा में हैं। पश्चिमी पटेल नगर और कालकाजी से एकत्र किए गए दो नमूनों में केवल, कालिफार्म पाई गई। भारतीय मानक ब्यूरो की अनुशंसाओं के अनुसार 100 मि० ली० के दो लगातार नमूनों में पता चलने योग्य कालिफार्म अवयवी नहीं होने चाहिए। चूंकि, विश्लेषण के लिए परीक्षण नमूने दो लगातार नमूने नहीं थे इसलिए, कालिफार्म के बारे में आई एक आई की अनुशंसा से तुलना करना संभव नहीं था।

(घ) और (ङ) दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने सूचित किया है कि कच्चे पानी की अवस्था से उपभोक्ता तक पहुंचाने की अवस्था तक हर स्तर पर पानी की कोटि की जांच की जाती है। सभी कनिष्ठ इंजीनियरों को जांच उपकरण (टेस्टिंग किट्स) मुहैया किए गए हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए कि पानी की कोटि भारतीय मानक ब्यूरो के मानकों के अनुरूप है, पांच पूर्णतया सुसज्जित परीक्षण प्रयोगशालाओं में जांच हेतु प्रतिदिन 250 से अधिक नमूने एकत्र किए जाते हैं। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई जांच के संदर्भ में

दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान ने बताया है कि नमूनों में उच्च अवशिष्ट क्लोरीन की विद्यमानता के बावजूद कालिफार्म भी पाया गया और अतः यह स्थिति स्थानीकृत संदूषण का परिणाम है। दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान द्वारा दिल्ली विकास प्राधिकरण और संस्थान के अधिकारियों को दोषनिवारक कार्रवाई करने की सलाह देने के लिए अविलम्ब कार्रवाई की गई थी। दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान का विचार है कि चार विशिष्ट नमूने इसके द्वारा सप्लाई किए गए पानी की कोटि के बारे में प्रतिकूल अक्षेप नहीं करते हैं क्योंकि संस्थान पेय और स्वास्थ्यकर पानी सप्लाई करने के उपाय कर रहा है। अतः दिल्ली जल प्रदाय एवं मल व्ययन संस्थान के संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई अपेक्षित नहीं है। संदूषण के एकाकी मामले संस्थान के ध्यान में लाने के लिए जनसाधारण से अपील की गई है।

विशेष पूल के नियत भागियों को सामान्य पूल के आवास

1298. **श्री लाल बाबू राय:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेष पूल के आवास के नियत भागी कर्मचारियों अथवा अधिकारियों को ऐसे कार्यालयों में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान, जो कार्यालय सामान्य पूल के अवाास के नियतन प्रावधानों के अन्तर्गत शामिल, हैं, उन्हें सामान्य पूल के सरकारी आवासों का आवंटन नहीं किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) सम्पदा निदेशालय ने ऐसे अधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर सामान्य पूल आवास का आवंटन करने के लिए क्या मानक निर्धारित किये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) वे कार्यालय, जिनमें विशेष विभागीय पूल हैं, में कार्यरत कर्मचारियों को उनके संबंधित पूलों से आवास का आवंटन किया जाता है। तथापि, यदि वे प्रतिनियुक्ति पर ऐसे कार्यालय में तैनात होते हैं जो साधारण पूल रिहायशी वास के पात्र हों तो उन्हें साधारण पूल से वास का आवंटन किया जाता है, यदि इसके लिए उनकी बारी आती है। यदि पात्रता टाइप के लिए उनकी बारी नहीं आती, तो उन्हें तदर्थ आधार पर तत्रिम्न श्रेणी में साधारण पूल वास का आवंटन किया जाता है। ताकि वे धारिक विभागीय पूल वास को खाली कर सकें।

एन०सी०आर० योजना का कार्यान्वयन

1299. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना का कार्यान्वयन इस योजना से सम्बद्ध राज्यों द्वारा अभी तक नहीं किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) यह कहना सही नहीं है कि सहभागी राज्यों द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ख) उपर्युक्त (क) के उत्तर को देखते हुई प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात सरकार की मल-व्ययन योजनाएं

1300. **श्री काशीराम राणा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार से मल-निकास योजनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) स्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अस्वीकृत की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण ने पश्चिमी अहमदाबाद शहरी परिसर क्षेत्र में सीवरेज और सीवरेज शोधन सुविधाओं के प्रावधान के लिए तकनीकी दृष्टि से अनुमोदन हेतु इस मंत्रालय के केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य और पर्यावरणीय इंजीनियरी संगठन को एक तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। इस परियोजना की अनुमानित लागत 470 करोड़ रुपये है जिसे दो भागों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है।

(ग) उपर्युक्त योजना को संशोधन के लिए अहमदाबाद शहरी विकास प्राधिकरण को भेज दिया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेप्सी फूड्स लिमिटेड का उत्पादन

1301. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पेप्सी फूड्स लिमिटेड में स्थापना के पश्चात 31 मार्च तक कुल कितने मूल का उत्पादन हुआ;

(ख) उत्पादन की मुख्य मदों का अलग-अलग ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान, मद-वार अलग-अलग कुल कितने मूल की सामग्री का निर्यात किया गया;

(घ) मद-वार मूल्य की दृष्टि से कितने प्रतिशत उत्पादन का निर्यात किया गया;

(ङ) कंपनी ने विदेशी मुद्रा और रुपए में कुल कितना पूंजी निवेश किया है;

(च) विदेशी पूंजी निवेश में कितने मूल्य के आयातित उपकरण शामिल हैं; और

(छ) बोटलिंग प्लान्टों की राज्यवार संख्या और क्षमता कितनी है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (छ) विस्तृत सूचना संग्लन विवरण में दी गई है।

विवरण

मै० पेप्सी फूड्स लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के आधार पर पैरावार उत्तर नीचे दिये गये हैं:

(क) कम्पनी की स्थापना से लेकर 31-3-1991 तक का कुल उत्पादन 1007.82 लाख रुपये था। 31-3-1992 को समाप्त अवधि के उत्पादन आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं क्योंकि कम्पनी के खाते लेखा परीक्षा के लिए सांविधिक लेखा परीक्षक के पास हैं।

(ख) मुख्य वस्तुओं के 31-3-1991 को समाप्त अवधि के उत्पादन आंकड़े इस प्रकार हैं :

वस्तु		मूल्य (रुपये लाखों में)
1.	प्रसंस्कृत आलू/अनाज से बने पदार्थ	235.64
2.	प्रसंस्कृत फल/सब्जी उत्पाद	47.30

वस्तु		मूल्य (रुपये लाखों में)
3.	मृदु पेय सांद्रण	126.44
4.	प्रसंस्कृत पैकेट बंद चावल	478.88
5.	पैकेट बंद चाय	60.33
6.	प्रसंस्कृत समुन्द्री खाद्य	59.23
		1007.82

(ग) कम्पनी की स्थापना से 31-3-1991 तक कुल निर्यात 974.46 लाख रुपये कुल मूल्य का था जिसके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:—

वस्तु	पोत भाड़ा मुक्त मूल्य (रुपये लाखों में)
चावल	522.31
चाय	54.43
समुन्द्री खाद्य	127.48
काजू	105.32
चावल ब्रान एक्सट्रेक्ट	72.07
काली मिर्च	27.18
लाल मिर्च	6.99
शतपुष्प बीज	3.28
तिल बीज	31.38
सनाय फली	2.83
कैसूरीना फली	1.35
तौलिये	11.68
जूते	4.92
ऊंचे जूते	1.98
आइस चेस्ट	1.26
	974.46

(घ) मूल्य वस्तुवार निर्यात किये गये उत्पादन का प्रतिशतः—

निर्यात की गई वस्तु	निर्यातित वस्तु के उत्पादन का फैक्ट्री मूल्य	सभी वस्तुओं के उत्पादन के कुल फैक्ट्री मूल्य में निर्यात की गई वस्तुओं के उत्पादन के फैक्ट्री मूल्य का प्रतिशत
1. प्रसंस्कृत पैकेट बंद चावल	478.88	47.51
2. पैकेट बंद चाय	60.33	5.99
3. प्रसंस्कृत खाद्य	56.77	5.63
योगः	595.98	59.13

सभी वस्तुओं के उत्पादन का कुल फैक्ट्री मूल्य 1007 लाख रुपये।

(ङ) 31-3-1992 तक कुल पूंजी निदेश 69.50 करोड़ रुपये है।

(च) 31-3-1991 तक आयातित पूंजीगत माल का लागत बीमा भाड़ा मूल्य 10.42 करोड़ रुपये है।

(छ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

[हिन्दी]

अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवा-निवृत्त जवानों को सुविधायें

1302. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा बलों के भूतपूर्व सैनिकों की तरह अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवा निवृत्त जवानों को केन्टीन सुविधा दी जा रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या अर्द्ध-सैनिक बलों के सेवा-निवृत्त जवानों को उनके जिलों/तहसील मुख्यालयों में यह सुविधा उपलब्ध कराई गई है; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन सेवा-निवृत्त जवानों को यह सुविधा उपलब्ध कराने पर विचार कर रहीं है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब) :

(क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति

1303. **श्री मृत्युंजय नायक** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) तेल मूल्य पुनरीक्षा समिति की रिपोर्ट पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[अनुवाद]

सड़क परिवहन क्षेत्र में कॉम्प्रेस्सड प्राकृतिक गैस

1304. **श्री राम नरेश सिंह** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क परिवहन क्षेत्र में डीजल के स्थान पर कॉम्प्रेस्सड प्राकृतिक गैस का उपयोग करने संबंधी परीक्षण के क्या परिणाम निकले; और

(ख) सड़क परिवहन में बड़े स्तर पर कॉम्प्रस्सड प्राकृतिक गैस का उपयोग करने की आर्थिक व तकनीकी व्यवहार्यता क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) और (ख) मद्रास रिफाइनरीज लिमिटेड ने द्वैध ईंधन प्रणाली में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी एन जी) और डीजल का प्रयोग करके प्रायोगिक आधार पर 10 बसों को बदलने और चलाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना को शुरू किया है। दिल्ली परिवहन निगम की दिसम्बर, 1992 से प्रायोगिक आधार पर पांच बसों को सी एन जी डीजल में बदलेगा और चलाएगा। सड़क परिवहन क्षेत्र में बड़े पैमाने पर सी एन जी के उपयोग की तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता इन प्रयोगों के तकनीकी आर्थिक परिणामों पर निर्भर करेगी।

पश्चिमी क्षेत्र में निम्नतम स्तर पर तेलशोधक कारखाने

1305. **श्री जार्ज फर्नान्डीज** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पश्चिमी क्षेत्र में निम्न स्तर पर तेलशोधक कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को रद्द करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

1306. **डा० वसंत पवार** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण में 1979 से पंजीकृत सभी व्यक्तियों को फ्लैट आवंटित करने का सरकार का विचार है;

(ख) क्या इस तथ्य के बावजूद कि विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत फ्लैट तैयार हैं, उन्हें आवंटित नहीं किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) 1979 के दौरान पंजीकृत सभी व्यक्तियों को कब तक फ्लैट आवटित कर दिए जाएंगे?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां, दिल्ली विकास प्राधिकरण का, 1979 से पंजीकृत सभी व्यक्तियों को फ्लैट/भूखंड आवंटित करने का विचार है।

(ख) और (ग) आवंटन के लिए ज्योंहि फ्लैट रिलीज किए जाते हैं, वे आवंटित किए जाते हैं।

(घ) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 1979 की स्कीम के पंजीकृत व्यक्तियों को भूमि और अर्धसंरचनात्मक सेवाओं की उपलब्धता के अध्यधीन आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक फ्लैट आवंटित करने के लिए योजनाएं बनाई हैं।

डी० डी० ए० (स्लम) की विशेष लेखा-परीक्षा

1307. **श्री मदन लाल खुराना** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने डी० डी० ए० (स्लम) की विशेष लेखा-परीक्षा कराई थी;

(ख) यदि हां, तो इस विशेष लेखा-परीक्षा के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां।

(ख) विशेष लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में दिल्ली विकास प्राधिकरण के स्लम विंग में वित्तीय अनियमितताओं और प्रशासनिक अव्यवस्था के उदाहरणों का उल्लेख है।

(ग) दिल्ली प्रशासन ने :

(i) प्रथम सलाह और आगे की आवश्यक कार्रवाई के निमित्त विशेष लेखा परीक्षा-रिपोर्ट की प्रति सहित मामला केन्द्रीय सतर्कता आयोग को भेजा है; तथा

(ii) उपाध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण को मामला इस अनुरोध के साथ भेजा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित व्यक्तियों के सम्बन्ध में विशेष प्रशासनिक कार्रवाई की जाए और स्लम विंग के कामकाज को सरल एवं कारगर बनाया जाए।

केरल में मत्स्य ग्रहण केन्द्र

1308. **श्री थाइल जान अंजलोज** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या केन्द्र सरकार को केरल में कट्टूर-पोल्लाथाई में मत्स्य ग्रहण केन्द्र निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) इस परियोजना में 33.00 लाख रुपये की अनुमानित लागत से साटिंग प्लेटफार्म, नीलामी कक्ष, मरम्मत शेड, प्रशासनिक खण्ड, सुरक्षा कक्ष, लाकर कक्ष, कैंटीन का निर्माण और जल तथा विद्युत की आपूर्ति की परिकल्पना निहित है।

केरल सरकार से परियोजना के प्रस्ताव से सम्बन्धित अतिरिक्त अपेक्षित जानकारी मिलने की प्रतीक्षा है।

[हिन्दी]

स्वयंसेवी संगठनों की गतिविधियां

1309. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या समाज सेवाओं हेतु सरकारी अनुदान प्राप्त कर रहे स्वैच्छिक संगठनों के क्रियाकलापों की विस्तार से जांच कराने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) जांच हेतु स्वैच्छिक संगठनों के चयन हेतु मानदण्ड क्या हैं?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) से (ग) कल्याण मंत्रालय से सहायता अनुदान प्राप्त करने वाले सभी स्वयंसेवी संगठनों का निरीक्षण केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा किया जाना अपेक्षित है। ऐसे स्वयंसेवी संगठनों के लेखे भारत के नियंत्रक तथा महालेखापरीक्षक द्वारा उनके स्वविवेक से नमूना परीक्षण के लिए भी उपलब्ध कराने होते हैं। इसके अतिरिक्त किसी संगठन के कार्यों के बारे में उसके विरुद्ध यदि कोई विशिष्ट शिकायत हो तो उसके बारे में आगे जांच भी की जाती है।

चयन के उद्देश्य से गैर-सरकारी संगठनों को इस योजना में निर्धारित दिशानिर्देशों को पूरा करना होता है। इसके अलावा ऐसे अनुदान प्रदान करने से पूर्व राज्य सरकार की सिफारिशें भी मांगी जाती हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम

1310. **श्री ललित उरांव** : क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम में इस समय कौन-कौन सदस्य हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार निर्वाचित लोक प्रतिनिधियों को इस निगम में नामनिर्दिष्ट करने का है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इस निगम के द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ राज्य को वर्ष-वार कितनी-कितनी धनराशि प्रदान की गई; और

(घ) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को आवासीय ऋण प्रदान करने के लिए इस निगम द्वारा क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : (क) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम के प्रथम निदेशक मण्डल का कार्यकाल 7.2.92 को समाप्त हो गया था और नए बोर्ड का गठन किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) अपेक्षित सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम आवास ऋण प्रदान नहीं करता है।

विवरण

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति — एवं विकास निगम द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान संवितरित की गई राज्यवार राशि

क्र० सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	रुपये लाखों में कुल
1.	असम	0.00	27.00	29.00	56.00
2.	बिहार	0.00	15.44	456.18	471.62
3.	मिजोरम	0.00	0.00	135.13	135.13
4.	नागालैंड	0.00	0.00	17.05	17.05
5.	मणिपुर	0.00	0.00	15.00	15.00
6.	उड़ीसा	0.00	0.00	239.70	239.70
7.	त्रिपुरा	0.00	0.00	91.93	91.93
8.	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	70.57	70.57
9.	दिल्ली	0.00	0.00	104.60	104.60
10.	हरियाणा	0.00	0.00	166.00	166.00
11.	हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00	166.05	166.05

क्र० सं०	राज्य का नाम	1989-90	1990-91	1991-92	रुपये लाखों में कुल
12.	जम्मू और कश्मीर	0.00	0.00	50.00	50.00
13.	पंजाब	0.00	0.00	291.52	291.52
14.	उत्तर प्रदेश	0.00	0.00	555.00	555.00
15.	आन्ध्र प्रदेश	35.00	42.05	933.98	1011.03
16.	कर्नाटक	0.00	0.00	316.52	316.52
17.	केरल	0.00	18.25	0.00	18.25
18.	तमिलनाडु	0.00	42.00	148.86	198.86
19.	मध्य प्रदेश	0.00	468.85	169.50	638.35
20.	महाराष्ट्र	0.00	0.00	94.13	94.13
21.	एम० पी० को अनुदान	0.00	0.00	1.00	1.00
	कुल योग	35.00	613.59	4051.72	4700.31

[अनुवाद]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आवास योजना

1311. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए व्यापक आवास योजना तैयार कर ली गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके अन्तर्गत कितने आवासीय एककों का निर्माण किये जाने का प्रस्ताव है और लागत इत्यादि का ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल की लम्बित योजनाएं/परियोजनाएं

1312. **श्री जितेन्द्र नाथ दास** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा तेल एंव प्राकृतिक गैस के संबंध में स्वीकृति हेतु भेजी गई लम्बित योजनाओं/परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा इन परियोजाओं/योजनाओं को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव लंबित नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए समयबद्ध कार्यक्रम

1313. **श्री सनत कुमार मण्डल** : क्या **शहरी विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए कोई समयबद्ध योजना/कार्यक्रम तैयार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1989 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना के आरम्भ होने से लेकर अब तक इसके कार्यान्वयन पर कुल कितना पूंजीगत व्यय किया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी हां, 8वीं योजना (1992—97) के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड द्वारा एक कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड के 8वीं योजना प्रस्तावों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं के कार्यान्वयन पर केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों तथा इनके अभिकरणों द्वारा 4/85 से 3/92 तक 127.96 करोड़ रुपये का पूंजीगत व्यय किये जाने की सूचना दी गई है।

विवरण

	राज्य क्षेत्र	(करोड़ रुपये)
1.	निम्नलिखित के लिए भूमि अधिग्रहण और विकास (क) रिहायशी उपयोग (ख) आर्थिक क्रिया-कलाप	648.00
2.	उप-क्षेत्रीय केन्द्रों का विकास	66.00
3.	काउन्टर मैग्नेट क्षेत्रों का विकास	100.00
4.	ब्याज पर अन्तरों को समाप्त करना	10.00
5.	योजना कार्यान्वयन के लिए सांस्थानिक सुदृढ़करण	5.00

राज्य क्षेत्र	(करोड़ रुपये)
6. क्षेत्रीय मार्गों का उन्नयन (आंतरिक और बाह्य)	176.00
7. बिजली विकास	397.00
8. दिल्ली महानगरीय क्षेत्र और प्राथमिकता नगरों में शहरी आधार भूत सेवाओं का सुदृढ़ीकरण और सुधार	111.00
योगः	1513.00 करोड़ रुपये

केन्द्रीय क्षेत्र	(करोड़ रुपये)
राष्ट्रीय राजमार्ग (भूतल परिवहन मंत्रालय)	259.00
एक्सप्रैस मार्ग (भूतल परिवहन मंत्रालय)	
रेल मार्ग (रेल मंत्रालय)	443.00
दूर संचार (दूरसंचार विभाग)	
(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सीमा के अन्दर	375.00
(ख) काऊन्टर मैग्नेट क्षेत्र	155.00
योगः	1327.00 करोड़ रुपये

[हिन्दी]

विदेश यात्रा

1314. **श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92 के दौरान उन्होंने कितने बार विदेश यात्राएं की हैं;

(ख) इन यात्राओं का उद्देश्य क्या था; और

(ग) इन यात्राओं के दौरान उनके स्टाफ के कितने सदस्य उनके साथ गये थे और इन यात्राओं पर कितना धन खर्च हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) 1991-92 के दौरान कृषि मंत्री जी ने दो-बार विदेश यात्रा की।

(ख) इन यात्राओं का मुख्य उद्देश्य सितम्बर, 1991 में ला तोजा स्पेन में द्वितीय मंत्रालयी मात्स्यिकी सम्मेलन में भाग लेना तथा नवम्बर, 1991 में रोम इटली में राष्ट्रमंडलीय कृषि मंत्रियों की बैठक तथा खाद्य तथा कृषि संगठन के 26 वें सत्र में भाग लेना था।

(ग) कृषि मंत्री जी के स्पेन यात्रा के दौरान स्टाफ का एक सदस्य उनके साथ गया था। उनकी रोम यात्रा के दौरान उनके निजी स्टाफ का कोई भी सदस्य उनके साथ नहीं गया था। कृषि मंत्री तथा उनके स्टाफ की यात्रा पर वहन किया गया कुल व्यय 4,30,200.00 रुपये था।

[अनुवाद]

असम में फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान

1315. **श्री उद्धव बर्मन** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि: (क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार सम्पूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए असम में विश्वनाथ चरियाली में फार्म मशीनरी प्रशिक्षण और परीक्षण संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसे कब तक स्थापित कर दिया जायेगा; और

(घ) इस संस्थान में कितने लोगों को रोजगार मिलेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन) : (क) से (ग) भारत सरकार ने 1990 में असम के सोनितपुर जिले के लिए विश्वनाथ चरियाली में कृषि मशीनरी प्रशिक्षण तथा परीक्षण संस्थान स्थापित किया है।

(घ) यह कृषि मशीनरी में प्रशिक्षण एवं परीक्षण हेतु केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है। यह योजना रोजगार उन्मुख नहीं है।

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कियोस्कों की बिक्री/नीलामी

1316. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने जनवरी 1992 से कितने कियोस्कों की बिक्री/नीलामी की है;

(ख) विकलांग व्यक्तियों के लिए कितने कियोस्क आरक्षित किये गये; और

(ग) वर्ष 1992 के दौरान अब तक विकलांग व्यक्तियों को कितने कियोस्क बेचे/नीलाम किये गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि नीति के अनुसार वर्ष के दौरान आवंटन के लिए प्राप्त कियोस्कों का 5% शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। जनवरी, 1972 से केवल दो कियोस्कों की बिक्री की गई है और वे दोनों शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को अनुकम्पा आधार पर आवंटित किए गए थे।

पेट्रोलियम उत्पादों का उत्पादन

1317. **श्री बी० देवराजन** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम उत्पादों के स्वदेशी उत्पादन की वृद्धि में गतिरोध हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या स्वदेशी उत्पादन पेट्रोलियम उत्पादों की खपत में वृद्धि के समरूप कार्य कर रहा है;

(घ) क्या वैकल्पिक स्वदेशी ईंधन का पता लगाने के लिए कोई अनुसंधान कार्य किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) देश में शोधन की अतिरिक्त क्षमता के सृजन के लिए अनेक परियोजनाएं कार्यान्वयन/स्वीकृति के विभिन्न चरणों में हैं। इन परियोजनाओं के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप पेट्रोलियम उत्पादों के देशी उत्पादन में वृद्धि होगी। तथापि, आगामी कुछ वर्षों की संभावित मांग की तुलना में देशी उत्पादन कम होने की संभावना है।

(घ) और (ङ) संपीड़ित प्राकृतिक गैस का आटोमोबाइल ईंधन के विकल्प के रूप में प्रयोग करने संबंधी प्रायोगिक पायलट परियोजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। मैथानोल को वैकल्पिक ईंधन के रूप में प्रयोग करने संबंधी कार्य पर जांच और परीक्षण चल रहे हैं।

अधिक उपज देने वाली दालों की किस्में तैयार करना

1318. **श्री माणिकराव होडल्या गावीत** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने गत छः माह के दौरान बेहतर उपज देने वाली दालों की किस्में तैयार की हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी हां।

(ख) भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ने अरहर (पिजनपी) की एक उन्नत किस्म "पूसा 9" विकसित की है। यह किस्म औसतन 20-25 क्विंटल प्रति हैक्टर उपज देती है, जो आलटरनेरिया ब्लाइट के प्रतिसहनशील है। इस किस्म का खरीफ तथा रबी मौसम से पूर्व उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र में उगाने के लिए पता लगाया गया है।

[हिन्दी]

बिहार में रसोई गैस की कमी :

1319. **श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी :**
श्री छेदी पासवान :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि बिहार में रसोई गैस की भारी कमी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) बिहार को तत्काल रसोई गैस के सिलेण्डरों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) से (ग) यद्यपि तेल कंपनियां बिहार की एल० पी० जी० की जरूरत को लगातार पूरी कर रही हैं, तथापि विभिन्न कारणों से कुछ क्षेत्रों में कभी-कभी ब्रेकलॉग हो भी सकता है।

शहर मूलभूत सेवा योजना के अंतर्गत विकसित किये गये बिहार के शहर

1320. **श्री छेदी पासवान** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार के उन शहरों के नाम क्या हैं जिनका वर्ष 1990-91 और 1991-92 के दौरान "शहर मूलभूत सेवा आयोग" के अन्तर्गत विकास किया गया है; और

(ख) प्रत्येक शहर में किये गये विकास कार्य का ब्यौरा क्या है और उक्त कार्य हेतु कितनी धनराशि का आवंटन किया गया था?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) शहरी मूलभूत सेवा योजना (यू० बी० एस०) 1998 में संशोधित की गई थी तथा एक नई योजना नामतः निर्धनों के लिए शहरी मूलभूत सेवाएं (यू बी एस पी) 1990-91 में आरंभ की गई थी। रज्य सरकार द्वारा यू बी एस पी के अंतर्गत निम्नलिखित 18 कस्बें शामिल किए गए हैं:

1. मुजफ्फरपुर
2. दरबंगा
3. मुंगेर
4. छपरा
5. बोकारों
6. सिमडिगा
7. जामतारा
8. लपेहर
9. खखावा
10. रांची
11. गया
12. भागलपुर
13. बिहार शरीफ
14. जमशेदपुर
15. आराह
16. कटिहार
17. धनबाद
18. पटना

(ख) राज्य में विभिन्न कस्बों को केन्द्रीय निधियों का नियतन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। यू बी एस/यू बी एस पी योजनाएं मलिन बस्ती निवासियों की महसूस की गई आवश्यकताओं के अनुसार कार्यान्वित की जाती हैं तथा इसलिए, कार्य की प्रकृति और विस्तार अलग-अलग कस्बों में भिन्न है। बिहार में यू बी एस/यू बी एस पी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान क्रमशः 169.45 लाख रुपयें तथा 149.50 लाख रुपये की राशि की केन्द्रीय निधियां रिलीज की गई थी।

[अनुवाद]

उड़ीसा में दाइतारी में तेल टर्मिनल

1321. **श्री गोपी नाथ गजपति:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में दाइतारी में तेल टर्मिनल स्थापित किया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो इसमें विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की सम्भावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) उड़ीसा के दाइतारी में तेल टर्मिनल स्थापित करने का प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन नहीं है।

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र

1322. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान के और अधिक क्षेत्रीय अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि नहीं, तो आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने नए अनुसंधान केन्द्र खोले जायेंगे; और

(ग) इसके लिए किन-किन स्थानों का चयन किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी, हां।

(ख) एक।

(ग) भुवनेश्वर, उड़ीसा।

विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के बीच तेल की पाइपलाइन

1323. **श्री धर्मेंधिक्षम:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आंध्र प्रदेश में आठवीं योजना में शुरू की जाने वाली योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन योजनाओं को किन-किन स्थानों पर कार्यान्वित किया जाएगा और अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) क्या सरकार विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम के बीच पाइपलाइन बिछाने पर विचार कर रही है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए जाने के लिए तेल कंपनियों द्वारा आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित योजनाएं निम्न प्रकार से हैं:—

चालू योजनाएं	**अनुमानित लागत (करोड़ रुपए में)**
1. विसाख रिफाइनरी	
(i) पर्यावरण योजनाएं	15.50
(ii) सल्फर वसूली इकाई	18.55
2. तातीपाका से काकीनाड़ा तक गैस अथारिटी ऑफ इंडिया लि० द्वारा गैस पाइपलाइन	45.44
नई योजनाएं	
1. उत्पाद गुणवत्ता में सुधार	1.00
2. 2.5 एम एम टी पी ए तक विसाख का विस्तारण	360.00
3. पर्यावरणीय योजनाएं	25.00
4. ऊर्जा संरक्षण योजनाएं	25.00
5. विसाख-विजयवाड़ा पाइपलाइन के लिए साध्यता अध्ययन	2.93
6. विसाख-विजयवाड़ा पाइपलाइन	290.0
7. विसाख-विजयवाड़ा पाइपलाइन टैप आफ प्वाइंट	60.00
8. विसाख बन्दरगाह से बाहरी पाइपलाइन	39.86
9. विसाख बन्दरगाह से बाहर एल पी जी सुविधाएं	20.00

(ग) विशाखापत्तनम से विजयवाड़ा तक पाइपलाइन बिछाने के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने प्रस्ताव किया है।

मक्खन के उत्पाद शुल्क में कटौती

1324. **डा० आर० मल्लू**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने "टेबल बटर" पर उत्पाद शुल्क में कटौती कर दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मक्खन के खुदरा मूल्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा;

(घ) क्या अमूल "टेबल बटर" का मूल्य विजया और "आरे" बटर के मूल्य से अधिक है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

तेल शोधक कारखाने

1325. **श्री सत्यगोपाल मिश्र**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना अवधि के दौरान देश में नए नए तेल शोधक कारखाने स्थापित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कहां-कहां?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) और (ख) आठवीं/नौवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र में जिन नई रिफाइनरियों के स्थापित किए जाने की योजना है, उन्हें निम्नलिखित स्थानों पर स्थापित करने का प्रस्ताव है:—

रिफाइनरी का नाम	स्थान
1. करनाल रिफाइनरी	पहले करनाल जिला, अब पानीपत जिला, हरियाणा।
2. नुमालीगढ़ रिफाइनरी	गोलाघाट जिला — असम
3. नारीमनम् में कूड डिस्टीलेशन एकक	नागापट्टिनम कैट-ए-मिलेथ जिला, तमिलनाडु
4. मैंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लि०	साउथ किनारा जिला, कर्नाटक
5. ईस्टर्न इंडिया रिफाइनरी 6. वैस्टर्न इंडिया रिफाइनरी 7. सेन्ट्रल इंडिया रिफाइनरी	संबंधित स्थल चयन समितियों की रिपोर्टें प्राप्त हो जाने पर स्थानों के बारे में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

तहखानों का दुरूपयोग और डी०डी०ए० द्वारा उनका सर्वेक्षण

1326. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डी०डी०ए० ने दिल्ली के आवासीय क्षेत्रों में सभी तहखानों (बेसमेन्टस) के दुरुपयोग का पता लगाने के लिए इनका सर्वेक्षण करने हेतु एक दल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितने तहखानों का सर्वेक्षण किया गया है और ये तहखाने किन-किन क्षेत्रों में स्थित हैं तथा इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला; और

(घ) इन तहखानों का दुरुपयोग करते पाए गए व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्रों में आने वाले रिहायशी भवनों में तहखानों के दुरुपयोग के सर्वेक्षण के लिए 17.6.92 से 16 दल गठित किए गए हैं।

(ग) विभिन्न इलाकों में कुल 1395 तहखानों का सर्वेक्षण किया गया है और 276 मामलों में दुरुपयोग पाया गया।

(घ) जहां दुरुपयोग प्रमाणित हो गया है, उन सभी मामलों में दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के तहत यथा निर्धारित अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

मात्स्यकी विकास

1327. **श्री केशरी लाल:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

[हिन्दी]

(क) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मात्स्यकी विकास को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान मछली के उत्पादन के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ग) क्या सरकार को लक्ष्य प्राप्त करने में सफलता मिली है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा राज्य सरकारों को दी गई धनराशि का ब्यौरा संलग्न है।

(ख) और (ग) गत तीन वर्षों के दौरान मत्स्य उत्पादन के लिए निर्धारित लक्ष्य और उपलब्धियां नीचे दी गई हैं:—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	लक्ष्य	उपलब्धि
1989-90	32.50	36.77
1990-91	36.25	38.36
1991-92	39.90	41.41

ये लक्ष्य पूरी तरह प्राप्त कर लिए गए हैं।

(घ) परश्न नहीं उठता।

मात्स्यिकी विकास कार्यक्रमों के लिए दी गई राज्यवार सहायता

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
1.	आंध्र प्रदेश	173.39	60.43	80.51
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.00	1.00	1.00
3.	असम	25.36	18.40	10.41
4.	बिहार	44.67	40.69	40.04
5.	गोवा	15.77	13.56	54.03
6.	गुजरात	96.53	178.38	206.99
7.	हरियाणा	11.00	28.35	31.50
8.	हिमाचल प्रदेश	2.45	1.02	2.10
9.	जम्मू और कश्मीर	2.18	2.00	2.15
10.	कर्नाटक	31.51	70.94	49.04
11.	केरल	68.71	240.45	347.94
12.	मध्य प्रदेश	61.81	46.25	92.83
13.	महाराष्ट्र	92.37	93.00	237.36
14.	मणिपुर	11.05	6.29	5.19
15.	मेघालय	—	1.00	—
16.	मिजोरम	1.00	1.00	1.00
17.	नागालैंड	4.60	1.00	1.00
18.	उड़ीसा	243.14	240.33	182.62
19.	पंजाब	21.41	6.00	32.00
20.	राजस्थान	13.64	11.00	—
21.	सिक्किम	—	1.00	—
22.	तमिलनाडु	245.41	167.51	216.44
23.	त्रिपुरा	23.15	4.42	10.03
24.	उत्तर प्रदेश	118.56	192.59	139.09
25.	पश्चिम बंगाल	308.76	405.26	212.16
26.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	5.90	0.25	8.25

क्रम संख्या	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	1989-90	1990-91	1991-92
27.	चंडीगढ़	—	0.03	—
28.	दादर और नागर हवेली	—	19.14	—
29.	दमन और दीव	—	—	10.28
30.	दिल्ली	—	—	—
31.	लक्षद्वीप	5.68	9.67	3.59
32.	पांडिचेरी	8.37	3.29	7.36
	योग	1637.42	1864.25	1984.91

सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों के विरुद्ध आरोप

1328. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की जानकारी में ऐसे कुछ मामले आए हैं जिनमें सीमा सुरक्षा बल के कुछ वरिष्ठ अधिकारी कश्मीर में उग्रवादियों के ठिकानों पर मारे गए छापों के दौरान जब्त की गई संपत्ति का सही-सही लेखा-जोखा देने में असफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ङ) दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) एक मामला सरकार के ध्यान में आया है जिसमें सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी कश्मीर में छापों के दौरान बरामद किए गए कुछ शस्त्रों, गोलाबारूद, स्वर्ण आभूषण, स्कूटरों इत्यादि का उचित हिसाब रखने में असफल रहे। इन वस्तुओं को अब सिविल पुलिस के पास जमा कर दिया गया है।

(ग) से (ङ) एक न्यायिक जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।

डिग्रियों और डिप्लोमाओं की कथित बिक्री

1329. **श्रीमती गिरिजा देवी:**

श्री शरण यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1992 के इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित "पे रूपीज 3050, बिकम-ए-डाक्टर" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या निष्कर्ष निकले हैं; और

(घ) दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (ख) दिनांक 26.5.1992 के इंडियन एक्सप्रेस के अंक में "पे रूपीज 3050, बिकम-ए-डाक्टर"

शीर्षक के अंतर्गत एक समाचार छपा था। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि उनकी जांच-पड़ताल से पता चला है कि वर्ष 1990-91 में गुप्ता नामक एक व्यक्ति मुनीरका में एक दुकान में "दिल्ली कैरियर्स एकाडेमी" नामक एक संस्थान चलाया करता था। यह दुकान गांव मुनीरका के एक रमेश नामक व्यक्ति की है, जो उसने श्री गुप्ता को किराये पर दी हुई थी। लगभग एक वर्ष तक यह संस्थान वहां पर रहा। करीब एक वर्ष पहले श्री गुप्ता द्वारा दुकान खाली कर दी गई थी। इस समय श्री गुप्ता के बारे में कोई जानकारी नहीं है तथा पुलिस द्वारा उसका पता लगाने के लिए पूछताछ की जा रही है।

उड़ीसा में कपास की खेती के अंतर्गत भूक्षेत्र

1330. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उड़ीसा में अब तक कपास की खेती कुल कितने भूक्षेत्र में की जाती है;

(ख) क्या सरकार के पास अपारम्परिक राज्यों में भी कपास की खेती करने का कोई प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो उड़ीसा में कौन-कौन से स्थान मिट्टी व जलवायु की दृष्टि से कपास की खेती के उपयुक्त हैं; और

(घ) आठवीं पंचवर्षीय योजना में इन स्थानों पर कपास की खेती करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) उड़ीसा में कपास की खेती के तहत अब तक कुल 7800 हैक्टेयर क्षेत्र (1989-90) लाया गया है।

(ख) से (घ) भारत सरकार ने 1992-93 के दौरान उड़ीसा सहित परियोजना राज्यों के नये क्षेत्रों में, जोकि कपास की खेती के लिये सस्य जलवायवी रूप में उपयुक्त हैं गहन कपास विकास कार्यक्रम का विस्तार किया है। इन क्षेत्रों के लिये गहन कपास विकास कार्यक्रम के तहत गुणवत्तापरक बीजों, पौधे रक्षण रसायनों और उपस्करों आदि जैसे निवेशों पर राजसहायता का प्रावधान किया गया है। फिर भी, राज्यों के केवल चयनित जिलों में ही प्रदर्शन और कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगे।

दिल्ली में सिक्के गलाने का कारखाना

1331. **श्री पंकज चौधरी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली में हाल ही में सिक्के गलाने के कार्य में लगे किसी कारखाने का पता लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कारखाने के मालिक के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) नांगलोई में स्थित एक फैक्ट्री में, भारतीय सिक्कों को, सल्फ्यूरिक एसिड की सहायता से गलाकर निकिल सल्फेट निकाले जाने के संबंध में सूचना प्राप्त होने पर छापा मारा गया और एसिड में डुबाए गए 15.500 कि०ग्रा० वजन के सिक्के बरामद किए गए। पुलिस थाना, नांगलोई में भा०दं०सं० की धारा 247/120-बी० के अंतर्गत एक मामला दर्ज किया गया और फैक्ट्री के मालिक सहित पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। खुले बाजार में, एक सिक्के में से निकाले गए निकिल की कीमत, उस सिक्के की कीमत से अधिक होती है।

कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशें

1332. **श्री राम नाईक:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा सामान्य रूप से खाद्य अर्थव्यवस्था के प्रबंधन से संबंधित सभी पहलुओं पर नये सिरे से विचार करने के लिए की गई मांगों / सिफारिशों की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो उन मांगों / सिफारिशों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं; और

(ग) केन्द्रीय सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) कृषि लागत एवं मूल्य आयोग ने, 1991-92 की खरीफ तथा रबी की फसलों के लिए मूल्य नीति से संबंधित अपनी रिपोर्टों में निधि गैर-मूल्य सिफारिशों में, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य-क्षेत्र, खाद्यानों पर राजसहायता, गेहूं के निर्गम मूल्य, खुले बाजार में गेहूं की बिक्री, आदि के संबंध में सिफारिशें की हैं। ये सिफारिशें खाद्य मंत्रालय को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए भेज दी गई हैं।

दिल्ली में जल आपूर्ति और यमुना का वाटरशेड

1333. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में जल आपूर्ति की स्थिति और यमुना के जल बंटवारे के लिए अन्य राज्यों के साथ समझौते को शीघ्रतापूर्वक अंतिम रूप देने के संबंध में प्रतिवेदन मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) दिल्ली में जल की आपूर्ति की स्थिति के बारे में अभ्यावेदनों तथा यमुना के नदी जल के बंटबारे के लिये अन्य राज्यों के साथ समझौते के शीघ्र निपटान निष्पादन की आवश्यकता के बारे में इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। तथापि, यमुनाजल के बंटवारे से सम्बन्धित स्थिति इस प्रकार है:—

यमुना जल बंटवारे और अन्य सम्बद्ध मुद्दों से सम्बन्धित विवादों के समाधान के लिये जल संसाधन मंत्री द्वारा यमुना थाले के राज्यों अर्थात् हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश के मुख्य मंत्रियों तथा दिल्ली के उप राज्यपाल के साथ अन्तर्राज्यीय बैठकें की गई थी। सभी राज्यों ने रेणुका बांध के निर्माण पर अपनी सहमति व्यक्त की, जो दिल्ली को जल की आपूर्ति करेगा तथा दिल्ली के लिये अतिरिक्त समानान्तर व्यवस्था करेगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि बेसिन राज्यों को पेयजल के लिये शेष पानी के आवंटन से सम्बन्धित समझौतों के ब्यौरों और हथनी कुंड बैराज के निर्माण पर आगे विचार अगली अन्तःर्राज्यीय बैठक में किया जायेगा तथा इन सभी चारों मुद्दों पर हुये समझौतों पर हस्ताक्षर किये जायेगें। सभी बेसिन राज्य किशाऊ बांध के निर्माण पर सिद्धान्त रुप से सहमत हो गये और इस पर अगली बैठक में आगे विचार करने का निर्णय लिया। ये राज्य यमुना नदी के सम्बन्धित विकास और प्रबन्ध के लिये यमुना नदी बोर्ड की स्थापना करने के सम्बन्ध में भी सहमत हुये।

महिलाओं पर अत्याचार

1334. **श्री एम० वी०. वी० एम० मूर्ति:**
श्री गंगाधरा सानीपल्ली:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 के दौरान और 1992 में अब तक विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में राज्य-वार और संघ राज्य क्षेत्र-वार दहेज के कारण हुई मौतों और महिलाओं पर किए गए अत्याचारों के कितने मामले प्रकाश में आए?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): वर्ष 1991 तथा 1992 के दौरान विभिन्न राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में दहेज के कारण हुई मौतों सहित, महिलाओं पर हुए अत्याचारों के सूचित किए गए मामलों की संख्या के बारे में उपलब्ध सूचना के दो विवरण संलग्न हैं।

विवरण-I

महिलाओं पर हुए अपराधों की घटनाएं (राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार)

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण तथा व्यपहरण	दहेज के कारण मौतें	महिला पर उसके पति तथा रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	अभद्र व्यवहार	छेड़छाड़	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9
राज्य								
1.	आंध्र प्रदेश	688	535	411	1444	1736	999	5813
2.	अरुणाचल प्रदेश	32	30	0	0	33	1	96
3.	असम	427	819	14	199	190	10	1659
4.	बिहार	633	413	263	315	209	24	1857
5.	गोआ	18	13	0	13	28	11	83
6.	गुजरात	253	670	103	1106	907	255	3294
7.	हरियाणा	134	158	144	185	213	272	1106
8.	हिमाचल प्रदेश	91	150	30	87	242	5	605
9.	जम्मू एवं कश्मीर	124	415	9	3	282	143	976
10.	कर्नाटक	177	264	227	826	852	42	2388
11.	केरल	203	75	13	242	580	5	1118
12.	मध्य प्रदेश	2532	1219	423	1409	6915	675	13171
13.	महाराष्ट्र	885	904	826	5396	2635	460	11108
14.	मणिपुर	13	81	0	0	47	1	142
15.	मेघालय	27	5	0	0	17	0	49
16.	मिजोरम	44	1	0	0	45	0	90
17.	नागालैंड	1	1	0	0	1	0	3
18.	उड़ीसा	285	172	63	245	722	62	1549
19.	पंजाब	59	117	99	27	16	3	321
20.	राजस्थान	803	2217	152	1033	1430	60	5695
21.	सिक्किम	9	3	0	0	8	0	20
22.	तमिलनाडु	250	513	97	222	676	1205	2963
23.	त्रिपुरा	57	68	7	41	82	4	259
24.	उत्तर प्रदेश	1400	2330	1597	1415	2116	2580	11438
25.	पश्चिम बंगाल	461	451	538	1608	353	354	3765
संघ राज्य क्षेत्र								
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	3	8	0	3	28	8	50
27.	चंडीगढ़	7	14	2	9	5	31	68
28.	दादरा एवं नागर हवेली	4	1	0	2	1	0	8
29.	दमन एवं दीव	1	2	0	3	1	0	7
30.	दिल्ली	161	644	133	112	203	2376	3629
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
32.	पांडिचेरी	11	7	4	4	37	697	760

नोट:—आंकड़े, मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और उन्हें अस्थायी समझा जाए।

विवरण-II

वर्ष 1992 के दौरान विभिन्न अपराध शीर्षों के अधीन महिलाओं पर हुए अपराधों की घटनाएं (उपलब्ध महीने तक) (राज्य और संघ राज्य क्षेत्रवार)

क्र०सं०	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार	अपहरण तथा व्यपहरण	दहेज के कारण मौतें	महिलाओं पर उसके पति तथा रिश्तेदारों द्वारा निर्दयता	अभद्र व्यवहार	छेड़छाड़	जोड़	टिप्पणी माह के आंकड़े
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
राज्य									
1.	आंध्र प्रदेश	250	173	158	560	579	373	2093	अप्रैल
2.	अरूणाचल प्रदेश	4	9	0	0	2	0	15	फरवरी
3.	आसाम	86	152	0	40	16	0	294	मार्च
4.	बिहार	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	0		
5.	गोआ	4	4	0	3	3	4	28	अप्रैल
6.	गुजरात	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	0	
7.	हरियाणा	28	43	22	39	52	23	207	फरवरी
8.	हिमाचल प्रदेश	21	35	2	28	59	1	146	अप्रैल
9.	जम्मू एवं कश्मीर	34	137	0	0	59	62	292	अप्रैल
10.	कर्नाटक	61	88	77	286	300	15	827	अप्रैल
11.	केरल	73	32	3	84	185	0	377	अप्रैल
12.	मध्य प्रदेश	431	186	42	234	1089	94	2076	फरवरी
13.	महाराष्ट्र	330	334	230	1906	927	105	3832	अप्रैल
14.	मणिपुर	8	51	0	0	9	0	68	मई
15.	मेघालय	3	1	0	0	6	1	11	मार्च
16.	मिजोरम	19	0	0	0	21	0	40	मई
17.	नागालैंड	0	0	0	0	0	0	0	मार्च
18.	उड़ीसा	97	61	30	56	199	19	492	मार्च
19.	पंजाब	20	31	21	11	4	1	88	अप्रैल
20.	राजस्थान	143	431	25	251	250	3	1103	फरवरी
21.	सिक्किम	1	3	0	0	4	0	8	अप्रैल
22.	तमिलनाडु	55	103	26	75	174	165	598	मार्च
23.	त्रिपुरा	28	21	0	8	43	0	100	अप्रैल
24.	उत्तर प्रदेश	573	769	479	546	698	885	3950	अप्रैल
25.	पश्चिम बंगाल	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
संघ राज्य क्षेत्र									
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	4	0	4	अप्रैल
27.	चंडीगढ़	2	10	0	4	3	15	34	मई
28.	दादरा एवं नागर हवेली	1	0	0	0	3	0	4	मई
29.	दमन एवं दीव	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	NA उ०न०	0	
30.	दिल्ली	71	251	36	33	62	734	1187	अप्रैल
31.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	फरवरी
32.	पांडिचेरी	1	4	3	2	17	163	190	मार्च छोड़कर

नोट:—आंकड़े, मासिक अपराध आंकड़ों पर आधारित हैं और उन्हें अस्थायी समझा जाए।

[हिन्दी]

उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता

1335. **श्री भोगेन्द्र झा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या छोटे और सीमांत कृषकों के लिए उर्वरक पर दी जाने वाली राजसहायता योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को धनराशि का आवंटन कर दिया गया है और 1991 में दी गयी उसकी पहली किश्त का राज्यों द्वारा पूरी तरह उपयोग कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के अंतर्गत कितने कृषकों को लाभ मिला है;

(ग) क्या इस योजना के अंतर्गत दी जानें वाली धनराशि की दूसरी किश्त राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी कर दी गयी है;

(घ) यदि हां, तो राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामाचन्द्रन): (क) और (ख) पहली किश्त के उपयोग और लाभान्वित हुये किसानों की संख्या के बारे में राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से सूचना की प्रतीक्षा है।

(ग) से (ङ) विस्तृत विवरण संलग्न किया गया है। इस योजना के कार्यान्वयन के बारे में रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण और धनराशियां निर्मुक्त नहीं की गई।

विवरण

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
1.	आन्ध्र प्रदेश	52.170
2.	केरल	9.140

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निर्मुक्त की गई धनराशि (करोड़ रुपये में)
3.	तमिलनाडु	40.646
4.	गुजरात	8.679
5.	महाराष्ट्र	23.916
6.	राजस्थान	3.839
7.	हरियाणा	5.726
8.	पंजाब	6.790
9.	उत्तर प्रदेश	71.288
10.	हिमाचल प्रदेश	1.294
11.	जम्मू और कश्मीर	2.131
12.	बिहार	26.576
13.	उड़ीसा	4.324
14.	पश्चिम बंगाल	27.866
15.	त्रिपुरा	0.632
16.	सिक्किम	0.023
17.	पांडिचेरी	0.511
	कुल	285.551

उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

1336. **श्री गया प्रसाद कोरी:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के प्रत्येक स्वयंसेवी संगठन को वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1991-92 तथा 1992-93 के दौरान उत्तर प्रदेश के स्वयंसेवी संगठनों को वित्तीय सहायता

क्र० सं०	संगठनों के नाम और पते	दी गई सहायता	
		1991-92	1992-93
		रुपये	रुपये
1.	ईश्वर श्रवण आश्रम, ईश्वर नगर, इलाहाबाद	2,45,950	1,25,438
2.	मानव सेवा धर्मार्थ न्यास, धारत, सी-334, निराला नगर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश	6,49,530	4,01,220
3.	बोधी सत्य बाबा साहेब, डा० बी० आर० अम्बेडकर स्मारक समिति, 68/368, छिदनापुर, बाजवा, लखनऊ	1,21,719	84,150

क्र० सं०	संगठनों के नाम और पते	दी गई सहायता	
		1991-92	1992-93
		रुपये	रुपये
4.	सामाजिक तथा आर्थिक विकास संस्थान, गोरव-सी 2116 इंदिरा नगर, लखनऊ, उ०प्र०	1,08,990	81,000
5.	उत्तर प्रदेश हरिजन एवं समाज सेवा संस्थान, बरफखाना, मिसरी की बाग पो०आ०चौ०, लखनऊ, उ०प्र०	79,132	71,215
6.	सार्वजनिक शिक्षा समिति, 565/180, पूरनसमिति लखनऊ, उ०प्र०	43,245	31,725
7.	अशोक आश्रम पो० आ० अशोक आश्रम, देहरादून, उ०प्र०	1,22,278	—
8.	दीनदयाल अनुसंधान संस्थान, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली	1,60,000	—
9.	भारतीय आदिम जाति सेवक संघ, डा० अम्बेडकर मार्ग, नई दिल्ली	1,50,343	—
10.	अभिनय रिप्रेट्रीथियेटर और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	48,973	—
11.	अखिल भारतीय आजाद सेवा संस्थान, लखनऊ	43,290	—
12.	बौधी संमता बाबा साहेब डा० अम्बेडकर स्मारक समिति, लखनऊ	1,51,560	—
13.	ग्राम्य विकास सेवा संस्थान, इलाहाबाद	2,86,560	—
14.	हरिजन एवं समाज सेवा संस्थान, लखनऊ	48,150	—
15.	भारतीय रेडक्रास समिति, इलाहाबाद	48,150	—
16.	काशी क्लब वाराणासी	10,25,460	—
17.	श्री कांची लाल शास्त्री स्मारक, संस्थान, कानपुर	70,890	—
18.	मेडिकल एडवाइजर्स एसोसिएशन, कानपुर	1,51,560	—
19.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर, शाहबाद, रामपुर	48,150	—
20.	निर्बल समाज कल्याण संस्थान, लखनऊ	48,150	—
21.	श्रीराम बाबू वर्मा सोसायटी, आगरा	6,15,922	—
22.	मुरादाबाद शहीद स्मारक समिति, लखनऊ	1,99,710	—
23.	सार्वजनिक शिक्षोनयन संस्थान, हरदोई	1,99,710	—
24.	सराय नहर उद्योग समिति, बदायूं	14,400	—
25.	सामाजिक एवं आर्थिक विकास संस्थान, लखनऊ	1,51,560	—
26.	सर्वोदय ग्राम एवं महिला विकास संस्थान, मिलाक	45,000	—
27.	सार्वजनिक शिक्षण समिति, लखनऊ	47,835	—
28.	तिलक शैक्षिक समिति, इलाहाबाद	1,51,560	—
29.	नेताजी सुभाष विद्या मंदिर, साहाबाद	—	1,26,920
30.	रोटरी प्रायोजित विकलांग और युवा कल्याण समिति, 13, लुकरगंज, इलाहाबाद	50,000	—
31.	अभिनय रिप्रेट्री थियेटर और अनुसंधान संस्थान, लखनऊ	1,50,000	—
32.	मंगलम लखनऊ	25,18,000	12,75,000
33.	रोटरी प्रायोजित विकलांग और युवा समिति, इलाहाबाद	12,39,000	6,25,000
34.	श्री रामशरण सेवा संस्थान, बिसोली, बदायूं	59,220	—

[अनुवाद]

महाराष्ट्र में पेयजल परियोजना

1337. **प्रो० अशोक आनन्दराव देशमुख:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार विश्व बैंक अथवा जीवन बीमा निगम की सहायता से महाराष्ट्र में कोई नई पेयजल परियोजना चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र में उन स्थानों के नाम क्या हैं, जिन्हें इन नई परियोजना से लाभ मिलेगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया

1338. **प्रो० रीता वर्मा:**
श्रीमती दीपिका एच० टोपीवाला:

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्टेट फार्म कारपोरेशन आफ इंडिया के अंतर्गत विभिन्न फार्मों के फिलहाल फसल वार कितने क्षेत्र में कृषि हो रही है; और

(ख) इनमें से प्रत्येक फार्म में कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) भारतीय राज्य फार्म निगम के विभिन्न फार्मों पर खेती (फसलवार) के तहत क्षेत्र का ब्यौरा (विवरण-1 से विवरण-3) पर दर्शाया गया है।

(ख) भारतीय राज्य फार्म निगम के विभिन्न फार्मों में कर्मचारियों की संख्या (श्रेणीवार) को दर्शानेवाला एक विवरण अनुबंध-4 पर संलग्न किया गया है।

विवरण—1

भारतीय राज्य फार्म निगम

खरीफ 1991 के दौरान फार्मवार और फसलवार बोया गया क्षेत्र

(क्षेत्र हैक्टेयर में)

फसल	सूरत-गढ़	सरदार गढ़	जेतसर	हिसार	लाढो-वाल	बहरा-इच	राय-बरेली	कोंकिल वाड़ी	बरपेटा	रायचूर	चेंगम	अरा-लम	मिजो-रम	कुल
धान	466	237	—	—	247	404	75	605	—	2	—	—	11	2047
बाजरा	—	—	52	36	—	—	—	—	—	—	—	—	—	88
मक्का	—	—	—	—	55	2	—	—	6	25	1	—	11	100
ज्वार	—	—	—	—	—	—	—	—	3	1	—	—	—	4
लोबिया	—	—	—	31	2	—	—	—	11	—	9	—	—	53
मूंग	328	10	497	445	26	—	—	—	7	—	—	—	—	1313
उड़द	192	173	—	123	5	—	—	—	3	8	—	—	—	504
अरहर	—	—	—	123	17	—	—	—	—	36	45	—	—	221

फसल	सूरत-गढ़	सरदार गढ़	जेतसर	हिसार	लाडो-वाल	बहरा-इच	राय-बरेली	कोकिल वाड़ी	बारपेटा	रायचूर	चेंगम	अरा-लम	मिजो-रम	कुल
मोठ	—	—	14	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14
कपास	125	73	230	501	—	—	—	—	—	43	43	—	—	1015
पटसन	—	—	—	—	—	—	—	56	16	749	—	—	4	825
मूंगफली	28	—	261	40	—	—	—	—	—	—	20	—	—	349
अरण्ड	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—	—	—	5
सोयाबीन	—	—	—	53	11	764	—	—	36	—	—	—	1	865
सूरजमुखी	17	55	52	25	—	—	—	—	—	289	—	—	—	437
रामतिल	—	—	—	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	10
तिल	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	12
मिण्डी	—	31	16	—	3	4	—	—	—	—	2	—	2	58
ग्वार	—	—	4	26	—	—	—	—	—	—	9	—	—	39
गन्ना	57	51	6	23	—	423	—	—	—	—	—	—	—	560
अन्य	—	—	—	—	2	2	—	—	1	—	1	—	7	13
कुल	1213	630	1144	1426	368	1599	80	661	83	1162	130	—	36	8532

विवरण—2

भारतीय राज्य फार्म निगम लिमिटेड

बागवानी और बागान फसलों के तहत फार्मवार क्षेत्र

फार्म	क्षेत्र हैक्टेयर में
सूरतगढ़	86
सरदार गढ़	100
जेतसर	87
हिसार	81
लाडोवाल	56
बहराइच	61
रायबरेली	46
कोकिलवाड़ी	52
बारपेटा	—
रायचूर	33
चेन्गम	537
अरालम	2357
मिजोरम	108
कुल	3584

विवरण—3

भारतीय राज्य फार्म निगम

रबी 1991-92 के दौरान फार्मवार और फसलवार बोया गया क्षेत्र (क्षेत्र हैक्टेयर में)

फसल	सूरत-गढ़	सरदार गढ़	जेतसर	हिसार	लाडो-वाल	बहरा-इच	राय-बरेली	बेकिल वाड़ी	बारपेटा	रायचूर	चेंगम	अग-लम	मिजो-रम	कुल
गेहूं	765	246	516	678	489	1369	66	78	11	—	—	—	—	4218
जौ	—	—	—	—	110	—	—	—	—	—	—	—	—	110
मक्का	—	—	—	—	—	—	—	11	6	3	—	—	—	20
बाजरा	—	—	—	2	—	—	—	—	—	1	8	—	—	11
ज्वार	—	—	—	—	—	—	—	—	—	14	—	—	—	14
चना	2386	2022	948	471	—	—	—	—	—	24	—	—	—	5851
राजमा	—	—	2	—	—	119	—	82	20	—	—	—	—	223
मसूर	20	—	—	40	9	—	—	—	—	—	—	—	—	69
गोलमटर	—	—	—	24	8	—	—	—	—	—	—	—	—	32
मटर	—	—	—	96	1	—	—	—	—	—	—	—	—	97
लोबिया	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	5
मूंग	31	40	10	1	29	—	—	—	—	—	—	—	—	111
उड़द	52	—	—	6	21	—	—	—	—	—	—	—	—	79
रेपसीड और सरसों	941	724	503	348	70	60	6	370	19	—	2	—	7	3050
अलसी	—	—	—	—	1	44	—	—	—	—	—	—	—	45
कुसुम	191	213	4	20	—	—	—	—	—	91	106	—	—	625
सूरज-मुखी	67	68	70	101	—	—	3	—	—	797	84	—	—	1190
जिन्जली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	61	—	—	61
रामतिल	—	—	—	—	—	—	—	32	—	8	—	—	—	40
मूंगफली	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	37	—	1	38
सोयाबीन	—	—	—	—	—	2	—	5	5	—	—	—	—	12
फरास-बीन	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	56	—	—	56
टमाटर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	60	—	—	60
आलू	—	—	—	—	34	—	—	—	—	—	—	—	—	34

जई	—	—	5	—	2	—	3	20	11	—	—	—	—	34
अन्य फसल	—	—	5	—	2	1	—	2	1	8	29	—	10	58
कुल अनुबंध	4453	3313	2058	1787	1774	1595	76	600	73	946	448	—	18	16143
कुल अनुबंध-1	1213	630	1144	1426	368	1599	80	661	83	1162	130	—	36	8532
कुल अनुबंध-2	86	100	67	81	56	61	46	52	—	33	537	2357	108	3584
कुल योग	5752	4043	3269	3294	1198	3255	204	1313	156	2141	1115	2357	162	28259

विवरण—4

क्रम सं॰	इकाई का नाम	वर्ग "क"	वर्ग "ख"	वर्ग "ग"	वर्ग "घ"
1.	मुख्यालय	24	22	73	21
2	केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ़	13	14	218	144
3.	" " सरदारगढ़	8	6	115	139
4.	" " जेतसर	7	5	107	56
5.	" " हिसार	8	9	98	13
6.	" " रायचूर	5	5	87	29
7.	" " लाडोवाल	4	6	70	15
8.	" " मिजोरम	3	2	27	14
9.	" " अरुणम	5	6	97	97
10.	" " चेन्नाम	6	3	81	61
11.	" " कोकिलाबाड़ी	5	2	54	9
12.	" " बहराइच	7	11	102	42
13.	" " रायबरेली	3	3	9	18
		98	94	1138	658

इसमें दिहाड़ी मजदूर शामिल नहीं हैं।

दिल्ली में अनधिकृत निर्माण

1339. **श्री बृज भूषण शरण सिंह:**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले छः महीनों के दौरान दिल्ली में कितने अनधिकृत निर्माण गिराये गये;

(ख) क्या अनधिकृत निर्माण को गिराने के लिए कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) दिल्ली नगर निगम, दिल्ली विकास प्राधिकरण, नई दिल्ली नगर पालिका और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने सूचित किया है कि पिछले छः माह के दौरान दिल्ली में कुल 3737 अनधिकृत निर्माण गिराए गए थे।

(ख) और (ग) दिल्ली नगर निगम के अनुसार, दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत् विभिन्न प्रकार के अनधिकृत निर्माणों को गिराने के लिए प्राथमिकताएं निर्धारित की गई हैं। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि अनधिकृत निर्माण को हटाने के निमित्त कार्रवाई दिल्ली विकास अधिनियम और लोक परिसर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार की जाती है। नई दिल्ली नगर पालिका अनधिकृत निर्माण को गिराने हेतु कार्रवाई पंजाब म्यूनिसिपल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रारम्भ करती है। जैसे ही अनधिकृत निर्माण ध्यान में आते हैं तो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग इन्हें हटाने के लिए शीघ्र कार्रवाई करता है।
[अनुवाद]

दिल्ली पुलिस में आयुक्त प्रणाली

1340. **श्री कड़िया मुण्डा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार दिल्ली में पुलिस आयुक्त प्रणाली समाप्त करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।
[हिन्दी]

फलदार पौधे लगाना

1341. **श्री विलासराव नागनाथराव गुंडेवार:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में वर्ष 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान कितने फलदार पौधे लगाए गये;

(ख) इस प्रयोजनार्थ कितने धन का नियतन किया गया और इस पर वास्तव में कितना व्यय किया गया; और

(ग) वर्ष 1992-93 के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) महाराष्ट्र में रोपे गए फलदार पौधों की संख्या के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है। बहरहाल 1989-90, 1990-91 और 1991-92 के दौरान फलदार पौधों के रोपण के तहत शामिल किए गए क्षेत्र क्रमशः 6032, 84333 और 1,12,269 हैक्टेयर है।

(ख) वर्षवार आबंटित धनराशि तथा व्यय निम्नवत् है:—

(करोड़ रुपये में)

	आवंटित धनराशि	खर्च की गई धनराशि
1989-90	1.12	1.62
1990-91	31.84	27.34
1991-92	67.32	64.16

(ग) 1992-93 के दौरान फलदार वृक्षारोपण के तहत शामिल किए जाने वाले क्षेत्र का लक्ष्य 1.20 लाख हैक्टेयर है।

भू संरक्षण

1342. **प्रो॰ रासा सिंह रावत**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान राजस्थान को भू-संरक्षण के लिए कितनी धनराशि जारी की गई;

(ख) राजस्थान सरकार ने कितनी धनराशि का उपयोग किया है; और

(ग) राज्य में भू-संरक्षण योजना के कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र की मृदा संरक्षण योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के दौरान निर्मुक्त धनराशि, राजस्थान सरकार द्वारा उपयोग की गई धनराशि तथा इस राज्य द्वारा की गई प्रगति का ब्यौरा निम्नवत् है:

क्रमांक	वर्ष	निर्मुक्त धनराशि (लाख रु॰)	उपयोग की गई धनराशि (लाख रु॰)	वास्तविक प्रगति (क्षेत्र है॰)
1.	1989-90	1010.84	1049.26	36009
2.	1990-91	1386.61	1350.66	27579
3.	1991-92	1457.85	1369.01	37910

[अनुवाद]

नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत मद्रास को आबंटन

1344. **श्री अन्नारास दुरा**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष शहरी शिक्षित बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार देने के लिए मद्रास शहर को कितना धन आंबटित किया गया; और

(ख) उससे कितने शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभ पहुंचा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उदयम की योजना मद्रास में कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना में शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है और उन व्यक्तियों पर लागू होती है जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे परिवारों से सम्बन्धित हैं। योजना तकनीकी औसत में सुधार और स्वरोजगार के अवसरों को सृजित करने हेतु बढ़ायी गयी है। गत तीन वर्षों के दौरान योजना के अन्तर्गत मद्रास शहर को आवंटित केन्द्रीय निधियां इस प्रकार हैं:—

1989-90 : 50.00 लाख रुपये
1990-91 : 20.00 लाख रुपये
1991-92 : 40.00 लाख रुपये

राज्य सरकार से अब तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार मद्रास शहर में 1785 लाभग्राहियों को लघु-एककों को स्थापित करने में सहायता दी गयी है और 2086 व्यक्तियों को औसत सुधार के लिए प्रशिक्षित किया गया है।

सरकारिया आयोग की सिफारिशें

1345. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री जार्ज फर्नांडीज:
श्री राम नरेशसिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र-राज्य संबंध पर सरकारिया आयोग की किन सिफारिशों पर अब तक अन्तर्राज्यीय परिषद की उप-समिति द्वारा विचार किया गया है और इस संबंध में उपसमिति के क्या विचार हैं;

(ख) आगामी बैठकों में आयोग की अन्य किन-किन सिफारिशों पर चर्चा किए जाने की संभावना है; और

(ग) उप-समिति द्वारा पहले ही चर्चा की गई सिफारिशों पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एस० जैकब: (क) केन्द्र-राज्य-संबंधों पर गठित सरकारियां आयोग द्वारा की गई सिफारिशों की जांच-पड़ताल करने के लिए गठित अन्तर-राज्य परिषद् की उप-समिति ने, अब तक, सरकारियां आयोग की रिपोर्ट के निम्नलिखित अध्यायों की 73 सिफारिशों पर विचार किया है:—

(I) अध्याय-II (विधायी संबंध)

(II) अध्याय-III (प्रशासनिक संबंध)

(III) अध्याय-IV (राज्यपाल की भूमिका)

(IV) अध्याय-V (राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा अध्यादेशों को लागू करने के लिए राज्यपाल द्वारा विधेयकों का आरक्षण)

(V) अध्याय-VI (आपातकालीन प्रावधान)

(VI) अध्याय-VII (लोक व्यवस्था ड्यूटी करने के लिए किसी राज्य में संघ के सशस्त्र बलों को तैनात करना)

उप-समिति ने इनमें से 48 सिफारिशों पर आम-सहमति व्यक्त की जब कि अन्य 25 सिफारिशों पर बाद में पुनः विचार किया जाएगा।

(ख) सरकारिया आयोग की शेष सभी सफिारिशों तथा उपरोक्त 25 सिफारिशों पर अन्तर-राज्य परिषद की उप-समिति की बाद की बैठकों में विचार किया जाएगा।

(ग) जिन सिफारिशों पर उप-समिति द्वारा विचार किया जा चुका है उन्हें अन्तर-राज्य परिषद की पूर्ण बैठक में रखा जाएगा।

[हिन्दी]

शीतल पेयों में फलों का रस मिलाना

1346. **प्रो॰ प्रेम धूमल:** क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हिमाचल प्रदेश सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव मिला है जिसमें यह सुझाव दिया गया है कि शीतल पेयों में फलों का रस मिश्रित करना अनिवार्य किया जाय;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (ग) हिमाचल प्रदेश सरकर से शीतल पेयों में 20% फलों का रस अनिवार्यतः मिलाने के लिए एक प्रस्ताव/सुझाव प्राप्त हुआ है। तकनीकी और कानूनी पहलुओं आदि सहित इस प्रस्ताव की संभाव्यता की जांच की जा रही है।

[अनुवाद]

फसल बीमा योजना की समीक्षा

1347. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव (वाड्डे):** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वर्तमान व्यापक फसल बीमा योजना की समीक्षा करने का है ताकि इसे और अधिक प्रभावी बनाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) सरकार ने व्यापक फसल बीमा योजना की समीक्षा की है तथा यह निर्णय लिया है कि यद्यपि वर्तमान योजना अपने प्रचलित रूप में जारी रह सकती है, तथापि सभी खतरों के प्रति सभी किसानों तथा सभी फसलों को शामिल करते हुए तथा बिना राज सहायता के प्रीमियम की बीमांककीय दरों को प्रभावित करते हुए, प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र के एक जिले में क्रियान्वयन हेतु एक पायलट योजना तैयार की जाए।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

घुसपैठ रोकना

1348. **श्री लाल कृष्ण आडवाणी:**
डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गुजरात सरकार ने केन्द्रीय सरकार से संवेदनशील सीमा क्षेत्रों में घुसपैठ रोकने के लिए इवाला और चालसा के बीच सतर्कता चौकी स्थापित करने का अनुरोध किया है जैसाकि 5 जून, 1992 के "नवभारत टाइम्स" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(हिन्दी)

बाम्बे हाई से विदर्भ तक गैस पाइपलाइन बिछाना

1349. **श्री पांडुरंग पुंडलिक फुंडकर:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बाम्बे हाई से विदर्भ तक गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु महाराष्ट्र सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) से (ग): यद्यपि अनुरोध प्राप्त हुए हैं तथापि बम्बई हाई से विदर्भ तक गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव व्यवहार्य नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

प्राइवेट डेवलपर्स, बिल्डर्स और भू-सम्पदा एजेंटों की गतिविधियां

1350. **श्री वी० श्रीनिवास प्रसाद:**
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति:

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार प्राइवेट डेवलपर्स, बिल्डर्स और भू-सम्पदा एजेंटों को लाइसेंस देने और उनकी गतिविधियों को नियमित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का तदनुसार शहरी भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में संशोधन करने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) विकासकर्त्ताओं और प्रापर्टी एजेंटों के लाइसेंस और विनियमन के लिए सरकार ने एक आदर्श विधान प्रतिपादित किया है। इसमें लाइसेंस के लिए मानदंड, उल्लंघन के लिए जुर्माना, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवर्तन आदि पर विचार किया गया है, अंतिम रूप देने पर आदर्श विधेयक को सभी राज्यों को इसी प्रकार के विधान का विचार करने के लिए भेजा जाएगा।

(ग) और (घ): नगर भूमि अधिकतम सीमा अधिनियम में प्रस्तावित संशोधनों में निजी विकासकर्त्ताओं और प्रापर्टी एजेन्टों को लाइसेंस देने और विनियमन के लिए विचार किया गया है। संशोधनों पर पहले अन्तर्राज्य परिषद द्वारा विचार किया जाएगा। संशोधन करने के लिए कोई निश्चित समय-सीमा नहीं दी जा सकती है।

पश्चिम बंगाल में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

1351. **डा० सुधीर राय:**
श्री जितेन्द्र नाथ दास:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा गत दो वर्षों में अब तक पश्चिम बंगाल के किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य शुरु किया गया है; और

(ख) इस कार्य में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जलपाईगुडी के भागों, पश्चिमी दीनापुर, नादिया और 24 परगना के जिले।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान 2301 एस एल के और द्विआयामी और त्रिआयामी का 58.65 एस एस के और गुरुत्व-चुम्बकीय आंकड़ों का 761 स्टेशन प्राप्त किये गये थे। राजगंज-1 (जलपाइगुडी) और लाहिल-1 (पश्चिमी दीनापुर) में दो अन्वेषण कूप पूरे किए गए थे और वे सूखे पाए गए थे। तीन अन्वेषण कूप गोल्फ ग्रीन-1 (24 परगना), इच्छापुर-1 और करीमपुर-1 (नादिया) में खुदाई चल रही है।

दिल्ली में अपराध

1352. **श्री चन्द्रजीत यादव:**
श्री रामविलास पासवान:
श्री शरद यादव:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों की रोक-थाम के लिए दिल्ली को कितने पुलिस क्षेत्रों (जोनों) में बांटा गया है;

(ख) वर्ष 1990, 1991 और 1992 में (अब तक) क्षेत्र की गश्त करने के लिए प्रत्येक क्षेत्र (जोन) को कितने वाहन (कार और मोटरसाइकिल) दिये गए थे; और

(ग) दिल्ली में अपराधों को रोकने में अतिरिक्त वाहनों से किस हद तक मदद मिली है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) कानून और व्यवस्था बनाए रखने और अपराधों को नियंत्रित करने के लिए दिल्ली को 9 पुलिस जिलों में विभाजित किया गया है।

(ख) वर्ष 1990, 1991 और 1992 (30.6.1992 तक) के दौरान प्रत्येक जिले में कारों, मोटर-साईकिलों और अन्य वाहनों की संख्या संलग्न विवरण-I से III में दी गई है।

(ग) गश्ती वाहनों की तैनाती से लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा हुई है, पुलिस द्वारा कार्रवाई करने में लिए जाने वाला समय कम हुआ है और इसका आपराधिक तत्वों पर निवारात्मक प्रभाव पड़ा है।

विवरण—I

वर्ष 1990 (31.12.90 को) के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन रखना

क्र०सं०	जिले यूनिट का नाम	कार	जीप	पी-अप	ट्रक	मोटर साइकिल	बसें	अम्बू	मिनी बस	मेटाडोर	स्कूटर	टी०एस०आर०	ट्रेकर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	उत्तरी	2	22	14	1	55	1	1	—	—	—	—	—
2.	पूर्वी	3	12	12	1	45	—	1	—	—	—	—	—
3.	केन्द्रीय	3	18	15	1	60	1	1	—	—	—	—	—
4.	दक्षिणी	4	22	18	1	75	1	1	—	—	—	—	—
5.	नई दिल्ली	3	19	15	2	57	1	1	—	—	—	—	—
6.	पश्चिमी	4	17	16	1	60	1	2	—	—	—	—	—
7.	उ० पूर्वी	2	12	11	1	41	—	1	—	—	—	—	—
8.	उ० पश्चिमी	1	19	19	1	60	—	1	—	—	—	—	—
9.	दक्षिणी पश्चिमी	1	15	16	1	57	—	1	—	—	—	—	—
10.	अपराध और रेलवे	8	12	9	—	36	—	2	1	1	3	4	1
11.	पी०ए०पी०	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—

विवरण—II

वर्ष 1991 (31.12.91 को) के लिए विभिन्न प्रकार के वाहन रखना

क्र०सं०	जिले/यूनिट का नाम	कार	जीप	पी०अप	ट्रक	मोटर साइकिल	बसें	अम्बू	मिनी बस	मेटाडोर	स्कूटर	टी०एस०आर०	ट्रेकर	अपराध वाहन	जल केनन	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	उत्तरी	2	22	14	1	55	1	1	—	—	—	—	—	—	—	96
2.	पूर्वी	3	12	12	1	45	—	1	—	—	—	—	—	—	—	74
3.	केन्द्रीय	3	16	14	1	60	1	1	1	—	—	—	—	—	—	99
4.	दक्षिणी	4	20	18	1	74	1	1	—	—	—	—	—	—	—	119
5.	नई दिल्ली	3	20	14	2	57	1	1	1	—	—	—	—	—	1	100
6.	पश्चिमी	4	17	16	1	59	1	2	—	—	—	—	—	—	—	100
7.	उ० पूर्वी	2	13	10	1	41	—	1	—	—	—	—	—	—	—	68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8.	उ० पश्चिमी	1	19	19	1	61	—	1	—	—	—	—	—	—	—	102
9.	दक्षिणी पश्चिमी	1	16	16	1	56	—	1	—	—	—	—	—	—	—	93
10.	अपराध एवं रेलवे	11	13	9	—	36	—	2	1	1	3	1	1	1	—	79
11.	पी०एम०पी०	—	3	—	—	2	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6

विवरण—III

क्र०सं०	जिले/यूनिट का नाम	कार	जीप	पी०अप	ट्रक	स्मोटर/साइकिल	बसें	अम्बू	मिनी बसें	मेटाडोर	स्कूटर	टी०एस०आर०	ट्रेकर	अपराध वाहन	जल केमन	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	उत्तरी	2	22	14	1	55	1	1	—	—	—	—	—	—	—	96
2.	पूर्वी	3	12	12	1	45	—	1	—	—	—	—	—	—	—	74
3.	केन्द्रीय	3	18	14	1	60	1	1	1	—	—	—	—	—	—	99
4.	दक्षिणी	4	20	18	14	74	1	1	—	—	—	—	—	—	—	119
5.	नई दिल्ली	3	19	14	2	57	1	1	1	—	—	—	—	—	1	99
6.	पश्चिमी	4	17	16	1	59	1	2	—	—	—	—	—	—	—	100
7.	उ० पूर्वी	2	13	10	1	41	—	1	—	—	—	—	—	—	—	68
8.	उ० पश्चिमी	1	19	19	1	61	—	1	—	—	—	—	—	—	—	102
9.	दक्षिणी पश्चिमी	2	16	16	1	58	—	1	—	—	—	—	—	—	—	94
10.	अपराध एवं रेलवे	12	13	9	—	36	—	2	1	1	3	1	1	1	—	80
11.	पी०एम०पी०	—	2	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	4

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में नशामुक्ति केन्द्र

1353. **श्री विश्वनाथ शास्त्री:** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्वयंसेवी संगठन नशामुक्ति केन्द्र चला रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे नशामुक्ति केन्द्रों की संख्या क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान नशे के आदी कितने व्यक्तियों का वर्षवार इलाज किया गया;

(घ) क्या इन केन्द्रों में नशे के आदी व्यक्तियों के इलाज में लापरवाही बरतने की किसी घटना की सूचना मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाई की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) और (ख) जी, हां।

उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार द्वारा सहायता प्राप्त स्वयं सेवी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे निव्यर्सन केन्द्रों की संख्या 31.3.92 को 11 थी।

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान, उत्तर प्रदेश में उपचार किए गए नशे के आदी व्यक्तियों की वर्षवार संख्या निम्नलिखित है:—

1989-90	—	1489
1990-91	—	1421
1991-92	—	1708

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

स्वतंत्रता सैनानियों को पेंशन

1354. **कुमारी प्रिंडा तोपनों** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि उड़ीसा में सुन्दरगढ़ के जनजातीय लोगों ने स्वर्गीय निर्मलमुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध विद्रोह किया था और 25 अप्रैल, 1939 को अमको-सिमको गोलीबारी में अनेक लोग मारे गए तथा अनेक लोगों को सात वर्ष से अधिक समय के लिए जेल भेज दिया गया;

(ख) क्या सरकार उन जनजातीय लोगों को स्वतंत्रता सेनानी घोषित करने और उन्हें पेंशन देने पर विचार कर रही है जो सात वर्षों से अधिक समय तक जेल में रहे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (घ): केन्द्र सरकार ने स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना 1980 के अंतर्गत पेंशन प्रदान करने के लिए कुछ आंदोलनों/विद्रोहों/संग्रामों को मान्यता दी है। तथापि, 1939 की अमको-सिमको घटना को मान्यता नहीं दी गयी है।

[हिन्दी]

सहकारिता के आधार पर कीटनाशकों का छिड़काव

1355. **श्री रतिलाल वर्मा:**
श्री बलराज पासी:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सहकारिता के आधार पर कीटनाशकों का छिड़काव करने की कोई योजना शुरू करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शहरीकृत गांवों की विकास योजनाएं

1356. **श्री अरविंद त्रिवेदी**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली तथा देश के अन्य भागों से शहरीकृत गांवों के विकास के लिए एक योजना तैयार करने के बारे में की गई मांग की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां। सरकार को दिल्ली में शहरीकृत गांवों के विकास हेतु योजना तैयार करने की मांग की जानकारी है। तथापि, देश के अन्य भागों से इस प्रकार की मांग की इसे जानकारी नहीं है।

(ख) दिल्ली में शहरीकृत गांवों के विकास की योजना सरकार द्वारा अनुमोदित की गई है जिसकी देख रेख दिल्ली नगर निगम द्वारा की जा रही है। योजना के अनुसार, दिल्ली के शहरीकृत गांवों में जलापूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, विद्युतीकरण विधियों और उप-विधियों में सम्पर्क मार्गों, सामुदायिक हाल, पार्कों और खुले स्थलों की व्यवस्था की जानी है। शहरीकृत गांवों में उपर्युक्त सेवाओं की व्यवस्था चरणों में की जाती है।

[अनुवाद]

गोवा में रसोई गैस एजेंसियां

1357. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गोवा में रसोई गैस की कितनी एजेंसियां हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितने कनेक्शन दिये गये हैं;

(ग) गोवा में रसोई गैस कनेक्शनों के लिए इस समय कितने लोगों के नाम प्रतीक्षा सूची में दर्ज हैं; और

(घ) इन्हें कब तक गैस कनेक्शन दे दिये जायेंगे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) 1.4.1992 की स्थिति के अनुसार 29.

(ख)

1989-90	—	9400
1990-91	—	2150
1991-92	—	4852
	कुल	16402

(ग) 1.4.1992 की स्थिति के अनुसार 54,000।

(घ) यथा संभव अधिकतम आवेदकों को एल०पी०जी० कनैक्शन देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

कूट (कोड) संदेशों का अवरोधन

1358. **श्री बारे लाल जाटव:** क्या गृह मंत्री कूट संदेशों के अवरोधन के बारे में 26 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4672 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्न के भाग (क) से (ग) के संबंध में जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार किसी भी कूटबद्ध संदेश का अवरोधन नहीं किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केन्द्रीय सरकार के क्वार्टरों का राज्य सरकार के कर्मचारियों को आवंटन

1359. **डा० कीर्तिकेश्वर पात्र:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सरकारी क्वार्टरों को अदला-बदली के आधार पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को आवंटित करती है; और

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में विभिन्न स्थानों पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को कितने क्वार्टर आवंटित किये हैं और केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में उड़ीसा सरकार के कर्मचारियों को आवास हेतु आज तक कितने क्वार्टर आवंटित किये हैं।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली में रेजिडेन्ट कमिश्नर के कार्यालय के कर्मचारियों को कुल 10 क्वार्टर (टाईप-I-1, टाईप-II-4, टाईप-III-2, टाईप-IV-1, टाईप-V-1, टाईप-VI-1) आवंटित किए गए हैं। राज्य सरकार द्वारा उड़ीसा में केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को किए गए आवंटन के सम्बन्ध में आंकड़े केन्द्रीय तौर पर नहीं रखे जाते हैं।

बिहार की आवास योजनाएं

1360. **श्री रामदेव राम:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने कुछ आवास योजनाएं स्वीकृति और वित्तीय सहायता के लिए केन्द्रीय सरकार के पास भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और केन्द्रीय सरकार ने किन-किन योजनाओं को स्वीकृति दे दी है; और

(ग) योजना-वार कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सीसे की कम मात्रा वाले पेट्रोल की सप्लाई

1361. **डा० रमेश चन्द्र तोमर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1994 तक देश में सीसे की कम मात्रा वाले पेट्रोल की सप्लाई करने की कोई योजना है, जैसा कि यूरोपीय साझा बाजार में किया जा रहा; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृति गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) जिन परियोजनाओं में सीसा के अंश में कमी करने के लिए सिफाइनरियों में संयंत्रों और सुविधाओं को स्थापित करने का कार्य शामिल है, कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। कम सीसा वाले पेट्रोल (लो लेड पेट्रोल) की आपूर्ति देश के अनेक भागों में पहले ही की जा रही है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल में शरणार्थियों की कॉलोनियों के विकास हेतु निधि

1362. **श्री चित्त बसु:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत जून में पश्चिम बंगाल के सर्वदलीय शिष्टमंडल द्वारा पश्चिमी बंगाल के शरणार्थियों की कॉलोनियों के विकास के लिए 400 करोड़ रुपये की मांग के बारे में कोई ज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचल): (क) जी, हां। 23 अप्रैल 1992 को शरणार्थी राहत और पुनर्वास के प्रभारी मंत्री, पश्चिम बंगाल सरकार के नेतृत्व में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल, शहरी विकास मंत्री से मिला था और एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था।

(ख) शिष्टमंडल ने निम्नलिखित पर कार्यवाही करने के लिए भारत सरकार से अनुरोध किया:—

(I) 400 करोड़ रुपये की संशोधित अनुमानित लागत से कुल 2.5 लाख प्लाटों को शामिल करने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में सभी श्रेणियों के शरणार्थियों के लिए कालोनियों का विकास आरम्भ करना,

(II) तकनीकी समिति की संस्तुति के अनुसार प्रति प्लाट संशोधित अधिकतम लागत को स्वीकार करना,

(III) चरण I और II के दौरान पश्चिम बंगाल में शरणार्थी कालोनियों के विकास के लिए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई सहायता से 2.32 करोड़ रुपये के आधिक्य व्यय की राज्य सरकार को प्रतिपूर्ति।

(ग) इस मामले की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र में आरक्षण नीति का क्रियान्वयन

1363. **श्री पवन कुमार बंसल:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को उसके विभिन्न विभागों में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण नीति को क्रियान्वित न करने के विरुद्ध अभ्यावेदन मिला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मामले में क्या कार्रवाई की गयी है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): **(क) से (ग)** संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ से प्राप्त सूचना के अनुसार चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को चंडीगढ़ में विभिन्न स्कूलों तथा मेडिकल कालिजों में अनुसूचित जनजातिजों के लिए आरक्षण से संबंधित एक अभ्यावेदन चंडीगढ़, जनजाति कल्याण संघ के अध्यक्ष से तथा दूसरा जनजातीय छात्र संघ के अध्यक्ष से प्राप्त हुआ है। संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया है, क्योंकि 1981 की जनगणना के अनुसार संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ में किसी भी जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप मान्यता नहीं दी गई है। तथापि, संघ राज्य क्षेत्र, चंडीगढ़ के अलावा, अन्य स्थानों पर स्थित संस्थानों से अर्हता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 1992-93 सत्र से आरक्षण किया गया है।

पंजाब में उग्रवाद

1364. **श्री बापूहरि चौरे:**
श्री माणिकराव होडल्या गावीत:
श्री परसराम भारद्वाज:
श्री एन० डेनिस:
श्री सुधीर सावंत:
श्री मोहन रावले:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि सीमा पर से स्वापक तथा साईकोट्रापिक औषधों का निर्बाध प्रवाह पंजाब में बढ़ते हुए उग्रवाद का एक कारण है जहां युवकों को पहले स्वापक औषधों का आदी बना दिया जाता है तथा फिर उन्हें स्वापक औषधों की अपनी आवश्यकता की पूर्ति हेतु उग्रवादियों के साथ शामिल होने के लिए बाध्य होना पड़ता है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेंसट्रोन जैसी औषध जिन पर भारत में स्वास्थ्य पर पड़ने वाले बुरे प्रभाव के कारण प्रतिबंध लगा दिया गया है, अमृतसर बाजार में इसके आदी लोगों को पाकिस्तान द्वारा आसानी से उपलब्ध करा दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठा गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): **(क) से (ग)** सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

अहमदाबाद के लिए सर्कुलर रेलवे

1365. **श्री हरिन पाठक:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को गुजरात सरकार की ओर से अहमदाबाद में सर्कुलर रेलगाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर या कार्रवाई की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्): (क) से (ग) अहमदाबाद नगर निगम/अहमदाबाद नगर विकास प्राधिकरण के अनुरोध पर महानगरीय परिवहन परियोजनाएं (रेलवे), मुम्बई ने वृहत्तर अहमदाबाद क्षेत्र के लिए जब द्रुतगामी परिवहन प्रणाली को प्रारम्भ करने हेतु रेल इण्डिया टेक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज (राइट्स) द्वारा तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन कराया। यह रिपोर्ट राइट्स ने दिसम्बर, 1988 में राज्य सरकार को प्रस्तुत की थी। परियोजना की कुल अनुमानित लागत 602 करोड़ रुपये है। तथापि, अहमदाबाद में सर्कुलर रेलवे के लिए गुजरात सरकार से अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

मयूर विहार में स्थानीय विपणन केन्द्र का निर्माण

1366. **श्री बी० एल० शर्मा "प्रेम"**:

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मयूर विहार, फेज-1, एक्सटेंशन क्षेत्र, दिल्ली में कोई विपणन केन्द्र न होने के कारण सहकारी सामूहिक आवास समितियों के निवासियों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(ख) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण का विचार वहां पर स्थानीय विपणन केन्द्र का निर्माण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्): (क) जी हां। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि आस-पास वाणिज्यिक सुविधाएं हैं।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि मयूर विहार फेज-1 एक्टेंशन में स्थानीय विपणन केन्द्र बनाने का प्रस्ताव है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

होलिडे होम्स

1367. **डा० सी० सिलवेरा:**

क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्रीय सरकार ने किन-किन स्थानों पर "होलिडे होम्स" बनाये हैं;

(ख) इन "होलिडे होम्स" की सुविधाओं का लाभ उठाने हेतु किन-किन मानदंडों को पूरा करना पड़ता है;

(ग) क्या सरकार का विचार वर्ष 1992-93 के दौरान ऐसे कुछ और "होलिडे होम्स" का निर्माण कराने का

(घ) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ किन-किन स्थानों का चयन किया गया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम्): (क) हालिडे होम्स शिमला, मसूरी और कन्याकुमारी में स्थापित किये गए हैं।

(ख) सम्पदा निदेशालय के दिनांक 15.1.92 के कार्यालय ज्ञापन संख्या डी-11028/23/82-रिजनल की एक प्रतिलिपि को दर्शाते हुए एक विवरण संलग्न है।

(ग) से (ङ) गोवा, ऊटी, मैसूर, अमरकन्टक, नैनीताल, पुरी, दार्जिलिंग, गंगटोक, कलिमपोंग, कोडीकोनाल, मदुरै, श्रीनगर, वाराणसी, और दिल्ली में हालिडे होम्स निर्माण करने के प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन हैं। चूंकि ये सारे प्रस्ताव प्रारम्भिक स्थिति में हैं इसलिए 1992-93 के दौरान कोई हालिडे होम का निर्माण करना सम्भव नहीं है।

विवरण

सं० डी-11028/23/82-प्रादेशिक
भारत सरकार
सम्पदा निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक: 15.01.92

कार्यालय ज्ञापन

विषय: केन्द्रीय सरकारी टूरिंग अधिकारी होस्टल और हॉलिडे होम्स में आवास के आवंटन के नियम और इनकी कार्यप्रणाली

उपर्युक्त विषय पर सभी पूर्व अनुदशों का अधिक्रमण करते हुए सम्पदा निदेशक ने, राज्य सभा की अधीनस्थ विधायी समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए एतद्द्वारा केन्द्रीय सरकारी टूरिंग आफिसर्स होस्टल/हालिडे होम्स में आवास के आवंटन की कार्यप्रणाली से संबंधित निम्नलिखित नियम बनाये हैं। यह 01.02.1992 से लागू होंगे।

(क) **केन्द्रीय सरकारी टूरिंग आफिसर्स होस्टल:** यह आवास सुविधा उपलब्ध करायेंगे और मुख्य रूप से सांसदों और टूर पर जाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। । छुट्टी पर जाने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, राज्य सरकार/सरकारी क्षेत्र स्वायत संगठनों के कर्मचारी चाहे वे टूर पर हैं अथवा छुट्टी पर हैं, सांसदों/केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के साथ जाने वाले गैर सरकारी व्यक्ति और सेवा निवृत्त केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी, उपलब्ध होने पर इस सुविधा को प्राप्त कर सकते हैं। तथापि, उनके मामलों में कोई अग्रिम बुकिंग आरक्षण नहीं किया जाएगा।

(ख) **हॉलिडे होम:** ये उपर्युक्त व्यक्तियों की सभी श्रेणियों को रहने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे।

(ग) **टूरिंग आफिसर्स होस्टल और हॉलिडे होम्स दोनों के लिए आरक्षण की शर्तें और उसकी कार्यप्रणाली:**

I. **ठहरने की अवधि:** आवास 10 दिन से अधिक अवधि के लिए उपलब्ध नहीं कराया जाएगा। अपवादात्मक मामलों में, सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली में संबंधित सम्पदा

उपनिदेशक के पूर्व लिखित अनुमोदन से दस दिन से अधिक और कुल 30 दिन तक की अनुमति दी जाएगी, जो जहां आवश्यक समझेगा सम्पदा निदेशक के आदेश प्राप्त करेगा।

II. **रहने के लिए प्रभार:** अनुबंध "ख" में दिखाई गई दर की राशि अग्रिम रूप से देय होगी। सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी पर टूरिंग आफिसर्स होस्टल में गैर सरकारी व्यक्तियों पर लागू दर प्रभारित की जाएगी। कन्याकुमारी में हॉलिडे होम के लिए वे सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के समतुल्य रहेंगे। हॉलिडे होम शिमला के मामले में भी प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल से 15 जुलाई की अवधि को छोड़कर जिसमें उन्हें गैर सरकारी व्यक्ति माना जाएगा उन्हें यह रियायत उपलब्ध कराई जाएगी।

ये दरें 31 दिसम्बर, 1994 तक लागू रहेंगी एवं भविष्य में जोड़े जाने वाले टूरिंग सरकारी होस्टल/हॉलिडे होम्स के संबंध में भी लागू होंगी।

III. **अन्य शर्तें:**

(क) केवल एक कमरा/सूट एक व्यक्ति/परिवार के लिए बुक किया जायेगा। अपवादात्मक मामलों में गैर सरकारी व्यक्तियों के लिए यथा प्रभारित भुगतान कराने पर अतिरिक्त कमरे के लिए विचार किया जा सकता है।

(ख) सूट/कमरें में खाना बनाने, चाय बनाने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि कमरे (रों) में उपलब्ध व्यवस्था कायम रहती है।

(ग) किसी अप्राधिकृत व्यक्ति को 10.00 बजे रात्रि के पश्चात होस्टल में आवास उपलब्ध कराए गए व्यक्ति के साथ रहने अथवा मिलने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(घ) होस्टल/हॉलिडे होम में कोई नशीली पेय वस्तु ले जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

IV. **अग्रिम बुकिंग:**

(क) **टूरिंग आफिसर्स होस्टल:** सांसदों और केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी जिन्हें सरकारी दौरे पर जाने की आवश्यकता होती है और केन्द्रीय सरकारी टूरिंग आफिसर्स होस्टल में जिन्हें आवास की आवश्यकता होती है, की पात्र श्रेणियों के अलावा कोई अग्रिम बुकिंग नहीं की जाएगी। वे आवश्यक विवरण देते हुए, 30 दिन की अवधि से अधिक एडवांस नहीं, आवेदन कर सकते हैं।

(ख) **होलिडे होम:** शिमला और कन्याकुमारी हॉलिडे होम के आरक्षण "प्रथम आओ-प्रथम पाओ" आधार पर किए जायेंगे। इस संबंध में सभी अनुरोध निर्धारित फार्म में अनुबंध "ग" और "घ" विधिवत् रूप भर कर इनमें दिए ब्यौरों के अनुसार अधिकारी को प्रस्तुत कर दिए जाने चाहिए। कोई आरक्षण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि आवेदनपूर्ण नहीं हो और प्रस्तावित ठहरने की अवधि के लिए प्रभार की पूरी राशि का बैंक ड्राफ्ट नहीं लगा हुआ हो। आवेदन प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल-15 जुलाई की अवधि को छोड़कर, जब आवेदन 1 मार्च से ही शुरू होकर आगे की अवधि के लिए स्वीकार किए जायेंगे, 60 दिन एडवांस से पहले, मंजूर नहीं किए जायेंगे।

(V) **टूरिंग आफिसर्स होस्टल/हॉलिडे होम्स का विवरण:** उन स्थानों पर जहां केन्द्रीय सरकारी टूरिंग आफिसर होस्टल/हॉलिडे होम हैं, आवास उपलब्ध है और इस संबंध में सम्पर्क किए जाने वाले अधिकारियों का ब्यौरा विवरण I में किया गया है।

तात्कालिक मामलों में कलकत्ता, बम्बई, मद्रास, लखनऊ और शिमला हॉलिडे होम्स में जाने वाले सांसदों के अनुरोध सम्पदा निदेशक, निर्माण भवन, नई दिल्ली द्वारा भी स्वीकार किए जा

सकते हैं। उनके द्वारा अपर्याप्त मांग के मामले में वरिष्ठ केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के भी इन स्थानों पर ठहरने पर विचार किया जा सकता है लेकिन सम्पदा निदेशक द्वारा यह निर्णय तीन दिन से पूर्व नहीं लिया जाएगा।

VI. **विविध:** शिकायतें, यदि कोई हो तो संबंधित सम्पदा प्रबंधक, सहायक सम्पदा प्रबंधक, कार्यपालक इंजीनियर को की जाएं जो कि होस्टलों/हॉलिडे होम्स में आवास के सही रख-रखाव को सुनिश्चित करने का उत्तरदायी होगा।

(रत्नदेव सहाय)
सम्पदा उप-निदेशक (नीति)

1. लोक सभा/राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली।

2. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग। उनसे अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन का व्यापक प्रचार करें।

3. राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य सचिव उनसे अनुरोध है कि वे इस कार्यालय ज्ञापन का व्यापक प्रचार करें।

इस निदेशालय के सभी अधिकारी/अनुभाग।

(5) सम्पदा प्रबन्धक/सहायक सम्पदा प्रबन्धक, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, शिमला, कार्यपालक इंजीनियर त्रिवेन्द्रम, बंगलौर, लखनऊ, विवेकानंद केन्द्र आदि।

(रत्नदेव सहाय)
सम्पदा उप-निदेशक (नीति)

विवरण I
टूरिंग आफिसर्स होस्टल/हॉलिडे होम्स के विवरण

क्रम॰ सं॰	स्थान	उपलब्ध आवास	जिसे अनुरोध को भेजा जाना है
1.	(क) टूरिंग आफिसर्स होस्टल		
319 125			
1.	निजाम पैलेस, कलकत्ता	सिंगल/डबल बेड सूट सिंगलकम कॉमनबाथ सहित	1. संपदा प्रबंधक, 5-एस्प्लानेड्इस्ट कलकत्ता (सांसदों और वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों के लिए) 2. अधीक्षक इंजीनियर (मुख्यालय) मुख्य अभियंता का कार्यालय (ई॰जैड) के॰लो॰नि॰ विभाग, 234/4, आचार्य जे॰सी॰ बोस रोड, कलकता।
2.	(क) चर्चगेट (औल्ड सी॰ जी॰ ओ॰ बिल्डिंग, बम्बई)। (ख) नैपियन सी॰ सरोड, बंबई	सिंगल/डबल सूट कमरे और डरासिटरीज़	संपदा प्रबंधक, प्रतिष्ठा भवन (औल्ड सी॰ जी॰ ओ॰ बिल्डिंग, 101, एम॰ के॰ रोड़, बम्बई)।

क्रम॰ सं॰	स्थान	उपलब्ध आवास	जिसे अनुरोध को भेजा जाना है।
3.	शास्त्री भवन, मद्रास	दो बिस्तरों वाला सूट और डरमिटरीज	संपदा सहायक प्रबंधक, प्रथम तल, शास्त्री भवन, 26 हैडोज रोड मद्रास।
4.	डोगलूर, बंगलोर	सिंगल/डबल रूम	कार्यपालक, इंजीनियर बंगलौर सेन्ट्रल सर्किल-I, के॰ लो॰ नि॰ वि॰ II मेन रोड, व्यालीकावल, बंगलौर।
5.	वेलेयर (पंकुला) त्रिवेन्द्रम	डबल बिस्तर वाले रूम	कार्यापालक इंजीनियर त्रिवेन्द्रम सेन्ट्रल डिविजन, के॰ लो॰ नि॰ वि॰ कोवेल्लोर बिल्डिंग, तिरूअनन्तपुरम, त्रिवेन्द्रम।
6.	केन्द्रांचल कालोनी, सैक्टर-के अली गंज, लखनऊ।	डबल बिस्तर वाले रूम	कार्यापालक इंजीनियर, लखनऊ (उ॰ प्र॰) लखनऊ सेन्ट्रल डिवीजन अली गंज स्कीम, लखनऊ (उ॰ प्र॰)।
	(ख) हॉलिडे होम्स		
1.	ग्रांड होटल, शिमला	सिंगल/डबल/चार बिस्तरों वाला सूट	सहायक सम्पदा प्रबन्धक, ग्रांड होटल, शिमला
2.	कन्याकुमारी	डबल/तीन बिस्तरों वाला (डीलक्स) सूट	संपदा सहायक निदेशक (प्रादेशिक) संपदा निदेशालय, कमरा नं॰, 411-सी, निर्माण भवन, नई दिल्ली या संपदा प्रबंधक, कलकत्ता सहायक संपदा प्रबन्धक, मद्रास, ई॰ ई॰, त्रिवेन्द्रम।

विवरण-II
201-02-92 से प्रभावी दरें

आवास की श्रेणी	ड्यूटी पर सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी/संसद सदस्य	छुट्टी पर सेवारत केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी	ड्यूटी पर राज्य/सरकारी उपक्रम इत्यादि के कर्मचारी	छुट्टी पर राज्य सरकारी उपक्रम इत्यादि के कर्मचारी	सरकारी कर्मचारियों/संसद सदस्यों के अतिथि के बतौर साथ आने वाले निजी व्यक्ति
(क) केन्द्रीय सरकारी टूरिंग आफिसर्स होस्टल					
सिंगल बेड	10 रु॰	15 रु॰	15 रु॰	30 रु॰	60 रु॰
डबल बेड सूट डरमिटरी	20 रु॰	30 रु॰	30 रु॰	60 रु॰	120 रु॰
पी॰ ए॰ एस॰ एस॰	5 रु॰	10 रु॰	10 रु॰	20 रु॰	40 रु॰ प्रति बिस्तर
(ख) हॉलिडे होम्स					
सिंगल बेड सूट	15 रु॰	15 रु॰	40 रु॰	40 रु॰	70 रु॰
डबल बेड सूट	20 रु॰	20 रु॰	60 रु॰	60 रु॰	100रु
थ्री बेड (डीलक्स) फोर बेड सूट	30 रु॰	30 रु॰	90 रु॰	90 रु॰	150 रु॰
(*) कन्याकुमारी में उपलब्ध					

टिप्पणी: इसके अतिरिक्त गीसर के लिए 2/-रु॰ प्रति बिस्तर प्रतिदिन और वातानुकुल (ए॰ सी॰) हेतु 10॰ प्रतिदिन की दर से प्रभारित किया जायेगा। साथ ही, शिमला में कम्बल भी दिए जाएंगे जिनेक लिए रु॰ 1.50 प्रति कम्बल प्रतिदिन की दर से चार्ज किया जाएगा।

विवरण - III

ग्रांड होटल (हॉलिडे होम) शिमला में वास के अग्रिम आरक्षण हेतु आवेदन पत्र

1. सांसद/अधिकारी/पर्यटक का नाम (बड़े अक्षरों में) _____

2. पद तथा विभाग/मंत्रालय जिससे सम्बद्ध है (रक्षा सेवा अधिकारी द्वारा व्यक्तिगत संख्या, रैंक तथा मूल यूनिट निर्दिष्ट की जानी चाहिए) _____

3. (क) पत्राचार का पूरा पता _____
   (ख) स्थाई पता _____

4. (क) अवधि-जिसके लिए वास की आवश्यकता है (10 दिनों से अधिक नहीं) _____
   (ख) परिवार के सदस्यों/मेहमानों का विवरण _____

5. सिंगल/डबल/चार बिस्तरों वाले किस तरह के वास की आवश्यकता है _____

6. जमा करायी गयी धनराशि का विवरण (बैंक ड्राफ्ट का विवरण दें) _____

घोषणा

(क) मैं प्रमाणित करता हूं कि ग्रांड होटल, शिमला में जिस आवास के लिए आवदेन किया गया उसमें मैं और मेरे परिवार के सदस्य ही रहेंगे। मैं, वास को ———————— को खाली करने का वचन देता हूं और सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली की पूर्व लिखित अनुमति की बिना समय से अधिक नहीं ठहरूंगा ऐसा न करने पर, नुकसान स्वरूप को बाजार दर पर लाइसेंस शुल्क के भुगतान तथा अन्य कानूनी कार्रवाई आदि के लिए उत्तरदायी होऊंगा।

(ख) यदि आरक्षित वास का मैं प्रयोग न करूं तो मैं धनराशि वापस लेने के लिए कोई दावा नहीं करूंगा।

(ग) मैं प्रमाणित करता हूं कि ऊपर दी गयी सूचना सत्य है तथा उसमें कुछ भी छिपाया नहीं गया है। मैं इस आवंटन से संबंधित नियमों और आदेशों का भी पालन करूंगा।

(घ) यदि भोजन का प्रबंध होगा तो मैं खाना लेने का अथवा खान-पान प्रबन्ध का सरकारी आदेशों के अनुसार सेवा प्रभार का नीचे भुगतान करने का वचन देता हूं।

स्थान हस्ताक्षर

दिनांक:—

दैनिक वास इस प्रकार है:

कमरों का विवरण	केन्द्र सरकार के कर्मचारी से	राज्य सरकार/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कम्पनियों के कर्मचारी से	गैर-सरकारी व्यक्तियों के लिए (सांसद/सरकारी कर्मचारी के अतिथि से)
एक बिस्तर वाला सूट	15.00 रुपये	40,00 रुपये	70.00 रुपये
दो बिस्तर वाला सूट	20.00 रुपये	60.00 रुपये	100.00 रुपये
चार बिस्तर वाला सूट	30.00 रुपये	90.00 रुपये	150.00 रुपये

आरक्षण के लिए आवेदन पत्र के साथ पूर्ण धनराशि वाला बैंक ड्राफ्ट जो सहायक सम्पदा प्रबन्धक, ग्रांड होटल, शिमला के पक्ष में हो तथा सीधे उन्हें ही भेजा जाए (अर्थात सहायक सम्पदा प्रबंधक, ग्रांड होटल, शिमला)

15 अप्रैल से 15 जुलाई के सीजन के दौरान हालिडे होम, शिमला में आरक्षण के लिए आवेदन पत्र पर सहायक सम्पदा प्रबंधक के कार्यालय में 1 मार्च के बाद विचार किया जाता है और आरक्षण "पहले आओ पहले पाओं" के आधार पर किया जाता है। अन्य अवधि के लिए दो माह अग्रिम से अधिक की अवधि न होने पर आवेदन पर विचार किया जाएगा।

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भरा जाए

संख्या———————— दिनांक————————————

सहायक सम्पदा प्रबंधक, ग्रांड होटल, शिमला को अग्रेषित। प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी————————————केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों की/का कर्मचारी है।

हस्ताक्षरः

कार्यालय की मुहरः

विवरण IV

विवेकानन्दपुरम, कन्याकुमारी (तमिलनाडु) में हालिडे होम में आवास के आवंटन हेतु आवेदन

1. अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में)
   पदनाम तथा कार्यालय पता (टेली० नं० सहित):
2. आवासीय/पत्राचार हेतु पता:
3. परिवार के सदस्यों/मेहमानों का विवरण:
4. किस प्रकार के आवास की जरूरत है:
5. अवधि, जिसके लिये आवास की जरूरत है:
   (ता० प्रदर्शित की जाएं) (दस दिन से अधिक नहीं)

6. जमा कराई गई धनराशि (बैंक ड्राफ्ट का विवरण दें)

7. **घोषणा:** मैं प्रमाणित करता हूं कि जिस आवास के लिये आवेदन किया गया है उसमें मैं और मेरे परिवार के सदस्य ही रहेंगे। मैं विवेकानन्द केन्द्र के अनुशासन में रहूंगा। यदि आरक्षित आवास का मैं प्रयोग न करूं तो मैं धनराशि वापिस लेने के लिये कोई दावा नहीं करूंगा।

अधिकारी के हस्ताक्षर
दिनांक

निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी के पास भी आरक्षण कराया जा सकता है:—

1.	संपदा सहायक निदेशक (प्रादेशिक) क० सं० 411-सी, विंग निर्माण भवन, नई दिल्ली-11	उपलब्ध स्यूट्स सं० दो तीन-बैड डीलक्स स्यूट्स दो दो-बैड स्यूट्स	आरक्षण हेतु आवेदन पत्र दो माह एड्वान्स से पहले स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
2.	संपदा प्रबंधक, 5-एस्प्लानेड ईस्ट कलकत्ता-69	एक दो बैड स्यूट	
3.	सहायक संपदा प्रबंधक, प्रथम तल, शास्त्री भवन, 26, हैडोज रोड़, मद्रास-6	एक दो बैड स्यूट	
4.	कार्यपालक इंजीनियर, त्रिवेन्द्रम सैन्ट्रल डिवीजन, सी०पी० डब्ल्यू० डी० त्रिवेन्द्रम-4।	एक दो बैड स्यूट	

यदि आवास हेतु आरक्षण क्रम० सं० 1 पर कराया जाए तो आवेदन-पत्र के साथ संपदा सहायक निदेशक (रोकड़) के पक्ष में देय बैंक ड्राफ्ट भी होना चाहिये। यदि आरक्षण क्रमांक 2 से 4 तक किसी अधिकारी से कराया जाए तो बैंक ड्राफ्ट भी उसी अधिकारी के पक्ष में देय होना चाहिये।

आवास हेतु प्रभार निम्नलिखित है:—

प्रतिदिन

	2-बैड	3-बैड डीलक्स सूट
केन्द्रीय सरकार कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए	रु.20/-	रु.30/-
राज्य सरकार/लोक उद्यम/उपक्रमों/केन्द्रीय सरकार के अधीन स्वायत शासी निकायों के कर्मचारियों के लिए	रु.60/-	रु.90/-

अतिरिक्त व्यक्तियों के लिए चार्जेज, विवेकानन्द केन्द्र, कन्याकुमारी के कैम्पस इंचार्ज द्वारा निदेशित समय-समय पर नियत की गई दरों के अनुसार लिया जाएगा।

(प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भरा जाए)

संख्या दिनांक:

———————————— को अग्रेषित। प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु० ———————————— द्वारा दिया गया विवरण सही है। वह केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/पी०एस०यू०/स्वायत्तशासी निकाय का कर्मचारी है।

हस्ताक्षर:
कार्यालय सील:

हालिडे होम मंसूरी (उत्तर प्रदेश) में वास के आरक्षण हेतु आवेदन

1. अधिकारी का नाम (बड़े अक्षरों में) _____
   पद तथा कार्यालय का पता _____
   _____
2. डाक पता अर्थात् आवासीय पता _____
   (टेलीफोन नं० सहित) _____
   _____
3. परिवार के सदस्यों/मेहमानों _____
   का विवरण (बच्चों का विवरण _____
   अलग से दें) _____
4. अपेक्षित बिस्तरों की संख्या _____
5. अवधि, जिसके लिए वास चाहिये _____
   (तारीख दें)
   टिप्पणी - 10 दिन से अधिक नहीं
6. जमा करायी गयी धनराशि _____
   (बैंक ड्राफ्ट का विवरण दें)
7. घोषणा:— मैं प्रमाणित करता हूं कि आवेदन किये गये वास में, मैं और मेरे परिवार के सदस्य ही रहेंगे। मैं वास को —————————————— खाली करने का वचन देता हूं और सम्पदा निदेशालय, नई दिल्ली की पूर्वलिखित अनुमति के बिना समय से अधिक नहीं ठहरूंगा। मेरे द्वारा आरक्षित वास के प्रयोग न करने की स्थिति में मैं धनराशि वापस लेने का दावा नहीं करूंगा।

मैं आवंटित वास का कब्जा प्रातः 9.00 बजे और सायं 5.00 बजे के बीच लेने का भी वचन देता हूं।

हस्ताक्षर
तारीख:

सामान्य निर्देश

1. दैनिक वास प्रभार इस प्रकार हैं:—

	कमरे का विवरण	केन्द्र सरकार के कर्मचारी से	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सरकारी कम्पनियों/राज्य सरकार आदि के कर्मचारी से	गैर सरकारी व्यक्ति (सांसद/सरकारी कर्मचारी के अतिथि से)
1.	2 बिस्तर वाला कमरा	20.00 रुपये	60.00 रुपये	100.00 रुपये
2.	4 बिस्तर वाला कमरा	30.00 रुपये	90.00 रुपये	150.00 रुपये

2. आरक्षण के लिए आवेदन पत्र के साथ पैरा 1 में दी गयी दरों पर वास के लिए किराये सहित सहा० सम्पदा निदेशक (रोकड़) के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट होना चाहिये और इसे सहायक सम्पदा निदेशक (रीजन्स), कमरा नं० 411-सी, सम्पदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को भेजा जाए ताकि वह अधिक से अधिक दो महीने पहले अवश्य पहुंच जाये।

निदेशालय में 15 अप्रैल से 15 जुलाई के लिये होलिडे होम, मंसूरी में आरक्षण के आवेदन पत्र 1 मार्च से प्राप्त किये जाते हैं और आरक्षण "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किया जाता है।

प्रशासनिक अधिकारी द्वारा भरा जाये

सं॰ दिनांक

सम्पदा निदेशालय, निर्माण भवन, नई दिल्ली को आवश्यक कार्रवाई के लिए अग्रेषित। प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कु॰———————————— केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/संघ शासित राज्य/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम स्वायत्तशासी निकाय का/की कर्मचारी हैं।

हस्ताक्षर
कार्यालय मुहर

केरल में रसोई गैस कनेक्शन

1368. **प्रो॰ के॰ वी॰ थामस:** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में रसोई गैस कनेक्शनों के लिये 1 जुलाई, 1992 को कितने आवेदन पत्र लम्बित पड़े थे;

(ख) केरल में 1 जुलाई, 1992 को रसोई गैस की कितनी एजेंसियां थीं; और

(ग) प्रतीक्षा सूची के सभी आवेदकों को रसोई गैस कनेक्शन देने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी॰ शंकरानंद): (क) दिनांक 1.4.92 तक केरल में प्रतीक्षा सूची करीब 2.86 लाख की थी।

(ख) दिनांक 1.4.92 तक 171.

(ग) एल॰ पी॰ जी॰ की उपलब्धता होने पर अधिकतम आवेदकों को एल॰ पी॰ जी॰ कनेक्शन यथाशीघ्र दिए जाने के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जनजातीय विकास हेतु धनराशि

1370. **श्री विजय एन॰ पाटिल:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सातवीं और आठवीं योजनाओं में इन योजनाओं के कुल प्रावधान में से कितने प्रतिशत धनराशि जनजातीय विकास हेतु स्वीकृत की गई;

(ख) सातवीं योजना के अन्त में और इस समय गरीबी-रेखा से नीचे रहने वाले जनजातीय लोगों की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) इन्हें गरीबी-रेखा से ऊपर उठाने हेतु क्या उपाय किये गये हैं/करने का विचार है?

कल्याण मंत्री (श्री सीता राम केसरी): (क) केन्द्रीय योजना में से अनन्य रूप से आदिवासी विकास हेतु निधियों की प्रतिशतता और उनकी राशि निम्न प्रकार है।

(रु॰ करोड़ में)

योजना	कुल केंद्रीय योजना	आदिवासी विकास के लिए आवंटन	केंद्रीय योजना की प्रतिशतता
सातवीं योजना	95,534.00	876.60	0.92
आठवीं योजना	2,47.865.00	1,391.00	0.56

(ख) 1983-84 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा तैयार किए गए अनुमानों के अनुसार, देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 58.40% अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे। शहरी क्षेत्रों में 39.90% अनुसूचित जनजाति के लोग गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे थे उसके बाद आगे कोई अनुमान तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) आदिवासियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने के लिए किए गए उपाय निम्न प्रकार:—

(1) निम्नांकित क्षेत्रों में विभिन्न आय सृजन करने वाली और अवसंरचना विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के माध्यम से आदिवासी उपयोजना कार्यनीति को अपनाना और कार्यान्वित करना;

(क) पांचवीं योजना के दौरान 50% या इससे अधिक की आदिवासी जनसंख्या वाले क्षेत्रों को शामिल करने के लिए विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में 193 समेकित आदिवासी विकास परियोजनाओं को रेखांकित किया गया।

(ख) छठी योजना के दौरान, संशोधित क्षेत्र विकास दृष्टिकोण (माडा) के अंतर्गत, 249 पाकेटों का पता लगाया गया।

(ग) सातवीं योजना के दौरान, आदिवासी जनसंख्या के 77 समूहों का भी पता लगाया गया।

(घ) आदिम आदिवासी समूहों के विकास के लिए 74 परियोजनाओं का भी पता लगाया गया है।

(ङ) उपरोक्त क्षेत्रों से बाहर रह रहे बिखरे आदिवासियों को भी शामिल किया जाता है। आठवीं योजना के दौरान ये योजनाएं जारी रहेंगी।

(2) 20 सूत्री-कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अन्तर्गत, आदिवासी उपयोजना वाले 20 राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में गरीबी की रेखा को पार करने के लिए अनुसूचित जनजाति परिवारों को सहायता देने हेतु लक्ष्य निश्चित किये जाते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के लिए परिवार लाभोन्मुखी आर्थिक कार्यक्रम कार्यान्वित किये जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के लाभ आदिवासी उपयोजना राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के समेकित आदिवासी विकास परियोजना क्षेत्रों से बाहर रहने वाले आदिवासियों को भी दिए जाते हैं। सातवीं योजना 1985-90 के दौरान 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 11 (ख) के अंतर्गत 41.56 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों की तुलना में 127% उपलब्धि दर्शाते हुए 52.89 लाख अनुसूचित जनजाति परिवारों को आर्थिक सहायता दी गई। इसी प्रकार, 1990-91 के दौरान उपलब्धि 108% और 1991-92 के दौरान उपलब्धि 114% थी जो लक्ष्यों से अधिक है।

(3) राज्य स्तर पर आदिवासी वित्त और विकास निगम भी स्व-रोजगारोन्मुखी आय सृजन करने वाली योजनाओं के लिए अनुसूचित जनजाति परिवारों को वित्त प्रदान करते हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एन०एस०एफ०डी०सी०) इनके कार्यकलापों को पूरा करने के लिए एक राष्ट्रीय स्तरीय निकाय है।

(4) आदिवासियों को लघु वन उत्पाद और अतिरिक्त कृषि उत्पाद के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने हेतु, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में आदिवासी विकास सहकारी निगम/वन विकास निगम कार्य कर रहे हैं। भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) इस प्रयोजन के लिए एक राष्ट्र स्तरीय शीर्ष निकाय है।

अनुसूचित जातियों/जनजातियों के कल्याण की योजनाएं

1371. **श्री बीर सिंह महतो:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्रकृतिक गैस आयोग के पास अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी॰ शंकरानन्द): (क) और (ख) जी हां, विवरण निम्नानुसार है:—

1. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए वार्षिक संघटक योजना जिसमें मुख्य तौर पर ये शामिल हैं:—

I—जिस क्षेत्र में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कार्य कर रहा है, उसमें शिक्षा सुविधाओं का प्रावधान और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के जीवन स्तर में सुधार लाना।

II—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के व्यक्तियों को सिलाई की मशीनें और टाइपराइटरों का प्रावधान करना।

III—दूर-दराज के गैर-विकसित क्षेत्रों में पेय जल और पानी के टैंकरों का प्रबंध करना।

IV—जिन क्षेत्रों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की प्रधानता है, वहां लोगों के उपयोग की सेवाओं, तथा विकास समुदाय केन्द्र और पहुंच सड़कों का निर्माण करना।

V—अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के घरों में सुधार लाना।

2. इंजीनियरिंग और स्नातकोत्तर अध्ययनों के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों के लिए तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग की छात्रवृत्ति।

3. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए भारत सरकार की आरक्षण नीति के अनुसार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को विभिन्न लाभ देना।

4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एसोसिएशन के कार्यालय के किराए, टेलीफोन सुविधा और विभिन्न केन्द्रों पर संपर्क अधिकारियों की नियुक्ति आदि के लिए आर्थिक सहायता देना।

नारियल में जड़ों के सूखने की बीमारी

1372. **श्रीमती सुशीला गोपालन**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जड़ों के सूखने की बीमारी से प्रभावित नारियल के पेड़ों पर बोडो मिश्रण का छिड़काव इस बीमारी को अन्य क्षेत्रों में फैलने से रोकने तथा नारियल के पेड़ों की उत्पादकता बढ़ाने हेतु प्रभावी पाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों को कापर सल्फेट सस्ती दर पर देने हेतु कदम उठाने का है;

(ग) क्या सरकार केरल में प्रभावी क्षेत्रों में बोडो मिश्रण के छिड़काव हेतु कोई योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (घ) नारियल में जड़ मुर्झान रोग का उपचार करने अथवा इस रोग को नियंत्रित करने के लिये बोरड्यूक्स मिश्रण का छिड़काव अपने आप में प्रभावशाली नहीं है। अतः प्रभावित क्षेत्रों में नारियल की खेती करने वाले कृषकों को कापर सल्फैट अथवा बोडो मिश्रण की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

झुग्गी-झोपड़ी वासियों को आवंटित भूमि/फ्लैट की बिक्री

1373. **श्री बन्दूलाल चन्द्राकर:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जिन झुग्गी वासियों को फ्लैट/भूमि का आवंटन किया जाता है वे उसे बेचकर फिर से अन्यत्र झुग्गी बसा लेते हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार झुग्गी वासियों को आवंटित की गई भूमि/फ्लैट की बिक्री पर कोई प्रतिबन्ध लगाने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां दिल्ली विकास प्राधिकारण ने सूचित किया है झुग्गी वासियों को आवंटित भूखण्डों की बिक्री के कुछेक मामले इसके ध्यान में आये हैं। तथापि दिल्ली विकास प्राधिकरण को ऐसे व्यक्तियों द्वारा अन्यत्र स्थानों पर झुग्गियां बनाये जाने के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) दिल्ली विकास प्रधिकारण ने सूचित किया है कि पुनः स्थापित झुग्गी परिवार को भूखण्ड के वास्तविक आवंटन से पूर्व आवंटी द्वारा इस आशय का एक शपथ पत्र दिया जाना अपेक्षित है कि आवंटित भूखण्ड किसी भी व्यक्ति को बेचा नही जायेगा।

बारी के बिना सरकारी आवास का आवंटन

1374. **डा० जी०एल० कनोजिया:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में मई 1991 के दौरान अब तक विभिन्न श्रेणियों के कितने सरकारी आवास का बिना बारी के आधार पर आवंटन किया गया है; और

(ख) बिना बारी-आधार पर सरकारी आवास का बिना बारी के आवंटन करने के लिए क्या मानदंड रखे गये हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) संलग्न विवरण -1 के अनुसार।

(ख) संलग्न विवरण-2 के अनुसार।

विवरण-1

बिना बारी आधार पर विभिन्न श्रेणियों में आवंटित (जून 91 से जनू 92 तक) सरकारी अवास की संख्या

टाईप	संख्या
I	363
II	746
III	472
IV	255
V	130
VI	29
होस्टल	40

विवरण-2

सरकारी कर्मचारियों को बिना बारी आधार पर आवंटन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है:—

I. क्षय रोग, कैन्सर और हृद्य रोग जैसे चिकित्सा आधार
II. शारीरिक रूप से विकलांग
III. सेवा-निवृत/मृत सरकारी कर्मचारियों के आश्रितों को
IV. मंत्रियों, उच्चतम न्यायलय के न्यायाधीशों, योजना आयोग के सदस्यों के वैयतिक स्टाफ आदि को
V. प्रधान मंत्री कार्यालय के महत्वपूर्ण कर्मियों को

उपर्युक्त के अलावा, मामले के गुण व गुणों को ध्यान में रखते हुए सक्षम प्राधिकारी उपयुक्त नियमों में छूट देते हुए बिना बारी आवंटन स्वीकृत कर सकते हैं।

मुछआरों की समस्याओं संबंधी समिति

1375. **श्री पी० एम० सईद:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में मुछआरों की समस्याओं की जांच करने हेतु एक समिति का गठन करने का सरकार का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक गठित किया जायेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

दिल्ली में बम विस्फोट

1377. **श्री कमल चौधरी:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में 1992 के दौरान अब तक हुए बम विस्फोटों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस तरह के बम विस्फोटों के प्रति दुर्घटना में कितने व्यक्ति मारे गये और कितने व्यक्ति घायल हुए तथा धन-जन को कितनी क्षति पहुंची;

(ग) कितने मामलों को हल कर लिया गया है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(ङ) इनसे पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों को दिये गए मुआवजे का ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) दिनांक 1 जनवरी, 1992 से 30 जून, 1992 के दौरान दिल्ली में बम विस्फोट की 7 घटनाएं हुई।

(ख) ब्यौरा निम्न प्रकार से है:—

1. दिनांक 29.1.92 को दि०प०नि० की एक बस में माल रोड पर बम फटा 1 व्यक्ति मारा गया और 32 घायल हुए। 40,000 रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।
2. दिनांक 6.2.92 को एक पुलिस वाहन में बम फटा। एक व्यक्ति घायल हो गया तथा पुलिस वाहन एवं वयरलैस सैट क्षतिग्रस्त हो गया। करीब 20,000 रुपए का नुकसान हुआ।
3. दिनांक 2.4.92 को "कुवेती एअरवेज" के दफ्तर के बाहर एक कम शक्ति का बम फटा। कोई भी व्यक्ति न तो मरा, न घायल हुआ सम्पत्ति को भी कोई नुकसान नहीं हुआ।
4. दिनांक 12.4.92 के गांव चांदनहूला, पुलिस थाना महरौली में श्री अरुण नेहरु के फार्म हाऊस पर एक बम विफोट हुआ। कोई भी व्यक्ति न तो मरा न घायल हुआ। सम्पत्ति को कोई नुकसान नहीं हुआ।
5. दिनांक 23.4.92 को पहाड़गंज में विवेक होटल के लीमा रेस्टोरेन्ट में एक बम फटा। कोई भी व्यक्ति मारा नहीं गया। 14 व्यक्तियों को चोटें आई । 20,000 रुपए की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।
6. दिनांक 25.4.92 को अपर सुभाष मार्ग पर दि०प०नि० की एक बस में बम विस्फोट हुआ। किसी व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई। 8 व्यक्तियों को चोटें आई। दि०प०नि० की बस क्षतिग्रस्त हो गई और 5,000 रु० की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।
7. दिनांक 26.4.92 को जामा मस्जिद के पास एक बम फटा एक व्यक्ति मारा गया और पांच घायल हो गये। 300 रुपये की सम्पत्ति का नुकसान हुआ।

(ग) 1.

(घ) 1.

(ङ) (1) दिनांक 29.1.92 को हुए विस्फोट में मृत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को 50,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान कर दिया गया है। 27 व्यक्तियों को 10,000 रुपए की दर से क्षतिपूर्ति प्रदान की गई। 15 व्यक्तियों को अस्पताल से छट्टी दे दी गई थी।

(2) दिनांक 23.4.92 को हुए बम विस्फोट में तीन घायल व्यक्तियों को 3,000 रुपए की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

(3) दिनांक 25.4.92 को हुए विस्फोट में तीन, घायल व्यक्तियों को 3,000 रुपए की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया।

(4) दिनांक 26.4.92 को हुए विस्फोट में मृत व्यक्ति के नजदीकी संबंधी को 58,000 रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। गम्भीर रूप से घायल दो व्यक्तियों को 10,000 रुपए की दर से क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया। साधारण रूप से घायल तीन व्यक्तियों को 3,000 रुपए की दर से भुगतान किया गया।

जैवमात्रा (बायोमास)

1378. **श्री गुमानमल लोढा:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जैवमात्रा (बायोमास) की कुल उपलब्धता कितनी है जिससे पशुधन के लिए चारे के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है;

(ख) क्या पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में गेहूं और धान की भूसी और पुआल को भारी मात्रा में जला दिया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो इस पुआल और भूसी को अल्प-आपूर्ति वाले क्षेत्रों मे भेजने और उसकी बचत करने और इसकी उपलब्धता बनाये रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) बायो-मास (फसल अवशेष, घास, हरा चारा तथा वृक्षों से पत्तियों का चारा) की कुल अनुमानित वार्षिक उपलब्धता जिसका देश में पशुधन हेतु चारे के रूप में उपयोग किया जा सकता है, लगभग 691 मिलियन मीटरी टन है।

(ख) पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में जलाए गए गेहूं के भूसा तथा धान के पुआल की मात्रा के बारे में प्रमाणिक सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) आठवीं योजनावधि के दौरान सूखा प्रवण क्षेत्रों मे चारा बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है। इस योजना के तहत चारा, जिसमें पुआल शामिल है, अधिकता वाले क्षेत्रों से एकत्र किया जाएगा भंडारण, परिरक्षण और किसानों में वितरण हेतु कमी वाले क्षेत्रों मे भेजा जाएगा।

हैदराबाद को महानगर घोषित किया जाना

1379. **श्री जे० चोक्का राव:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकर का विचार हैदराबाद को महानगर घोषित करने का है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम अरुणाचलम): (क) से (घ) जनगणना में ऐसे कोई महानगर परिभाषित नहीं हैं। तथापि, एक मिलियन और इससे अधिक आबादी वाले नगरों/नगर बस्ती समूहों का उल्लेख सामान्यतः "महानगर क्षेत्रों" के रूप में दिया जाता है। 1991 की जनगणना के अनन्तिम जनसंख्या आंकड़ों के अनुसार हैदराबाद नगर बस्ती समूहों की अनन्तिम जनसंख्या 42,80,261 और हैदराबाद नगर की 30,05,496 है। इसलिए इसका उल्लेख एक महानगर के रूप में किया जा सकता है।

खाद्यान्न उत्पादन

1380. **श्री वी० धनंजय कुमार:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1992-93 के लिए कितने खाद्यान्न की आवश्यकता है और इसका अनुमानित उत्पादन कितना है;

(ख) चावल, गेहूं, ज्वार और अन्य दालों के उत्पादन के लिए कितना-कितना लक्ष्य रखा गया है; और

(ग) खाद्यान्न उत्पादन की क्या संभावनाएं हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) खाद्यान्नों के उत्पादन के लक्ष्य सामान्यतया उस वर्ष की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये निर्धारित किये जाते हैं। 1992-93 हेतु खाद्यान्नों के उत्पादन का लक्ष्य 183 मिलियन मीटरी टन निर्धारित किया गया है। 1992-93 के लिए चावल, गेहूं, ज्वार तथा दालों का लक्षित उत्पादन निम्नवत् है:—

	(मिलियन मीटरी टन)
चावल	77.25
गेहूं	57.00
ज्वार	13.00
दलहन	14.50

कृषि फसल वर्ष 1992-93 अभी-अभी शुरू हुआ है। बहुत से राज्यों में खरीफ फसल, जिसमें धान की पौद लगाना शामिल है, की बुवाई चल रही है। 1992-93 के लिए आंकलित उत्पादन और संभावना का

उल्लेख करना अभी संभव नहीं है, क्योंकि यह बहुत हद तक आने वाले सप्ताहों में दक्षिण पश्चिम मानसून के रुख पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में गैर-सरकारी कम्पनियां

1381. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में गैर-सरकारी कम्पनियों को शामिल करने के बारे में विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) जी, हां। बोली के चौथे दौर जिसके अधीन ठेकों को अंतिम रूप देने के लिए बोली दाताओं के साथ वार्ता चल रही है, उसके अतिरिक्त सरकार ने पूरे साल सतत आधार पर निजी कंपनियों को अन्वेक्षण क्षेत्र देने का निर्णय लिया है। निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में कुछ मध्यम आकार के पता चले तेल क्षेत्रों का विकास करने और उत्पादन भागीदारी आधार पर विकास के लिए कुछ छोटे आकार के तेल/गैस क्षेत्रों को निजी कंपनियों को देने का भी निर्णय लिया गया है। निजी कंपनियों के साथ संयुक्त उद्यम में रिफाइनरियां स्थापित करने का भी एक निर्णय लिया गया है।

[अनुवाद]

कर्नाटक में रसोई गैस कनैक्शन

1382. **श्री जी० माडेगौड़ा:** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कर्नाटक में हुई 1992 के दौरान गैर-घरेलू (वाणिज्यिक) तथा घरेलू उपयोग के लिए कितने रसोई गैस कनैक्शन दिए गए;

(ख) गैर-घरेलू तथा उपयोग हेतु रसोई गैस कनैक्शनों के लिए मई, 1992 तक कितने व्यक्तियों के नाम पंजीकृत किये गये हैं; और

(ग) कर्नाटक में 1992 के दौरान कितने नये घरेलू तथा गैर-घरेलू रसोई गैस कनैक्शन देने का विचार है?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) घरेलू कनैक्शन 38,000 (अनुमानत:)

गैर घरेलू कनैक्शन: 140 (अनुमानत:)

(ख) गैर घरेलू श्रेणी के लिए कोई प्रतीक्षा सूची में नहीं रखी जाती है तथापि कर्नाटक राज्य में दिनांक 1.4.1992 तक घरेलू कनैक्शनों की प्रतीक्षा सूची पर 3.55 लाख (अनुमानत:) व्यक्ति हैं।

(ग) एल पी जी उपलब्धता होने पर नए एल पी जी कनैक्शनों को चरणबद्ध ढंग से जारी किया जाता है।

बॉम्बे हाई में गैस का जलाया जाना रोकने के लिए परियोजना

1383. **श्रीमती चन्द्रप्रभा अर्स:** क्या **पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने 1994 तक बॉम्बे हाई में गैस का जलाया जाना रोकने के लिए विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक की सहायता से कोई परियोजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना के लिये कितनी सहायता मांगी जाएगी;

(ग) यह सहायता कब से मिल रही है;

(घ) बॉम्बे हाई में प्राकृतिक गैस का वर्तमान उत्पादन कितना है और;

(ङ) बॉम्बे हाई में प्राकृतिक गैस का उत्पादन कब तक दुगना हो जायेगा?

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जबकि विश्व बैंक ने 450 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण को पहले ही अनुमोदित कर दिया है, 3000 मिलियन अमरीकी डालर के ऋण पर एशिया विकास बैंक के साथ चर्चा की जा रही है।

(घ) 14.2 एम एम एस सी एम डी।

(ङ) वर्ष 1994-95 तक बम्बई हाई क्षेत्र में संबद्ध गैस उत्पादन 25,44 एम एम एस सी एम डी तक पहुंच जाने की संभावना है।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन

1384. **श्री एन० जे० राठवा:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 31 मई, 1992 को मुम्बई में राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन में की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इन सिफारिशों को कार्यान्वत करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) यशवन्त राव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुम्बई तथा महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक ने संयुक्त रूप से बैकुण्ठ भाई मेहता शताब्दी समारोह के भाग के रूप में 30 मई तथा 31 मई, 1992 को बम्बई में दो दिन के "राष्ट्रीय सहकारी सम्मेलन" का आयोजन किया था। आयोजकों ने अब तक सरकार के विचारार्थ सम्मेलन की कोई भी सिफारिश नहीं भेजी है।

[अनुवाद]

हिरासत के दौरान बलात्कार

1385. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्रों में 1989, 1990, 1991 और 1992 में अब तक की अवधि तक हिरासत के दौरान बलात्कार की कितनी घटनाएं हुई हैं;

(ख) कितने मामलों में न्यायालयों ने पुलिस की भर्त्सना की है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) हिरासत के दौरान बलात्कार को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय मे राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में वर्ष 1989 के दौरान हिरासत में बलात्कार की दो घटनाएं हुई। अंडमान और लक्षद्वीप समूहों में हिरासत में बलात्कार की कोई घटना सूचित नहीं की गई। अन्य संघ शासित क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

(ख) दिल्ली पुलिस ने बताया है कि किसी भी मामले में पुलिस अधिकारियों की भर्त्सना नहीं की गई है।

(ग) (I) जांच पड़ताल करने वाले अधिकारियों को निदेश दिए गए हैं कि वे गिरफ्तार की गई महिलाओं के संबंध में जांच करते समय कानून में निर्धारित प्रक्रिया का कड़ाई से पालन करें।

(II) इस आशय के अनुदेश भी जारी किए गए हैं कि गिरफ्तार की गई महिलाओं को महिलाओं के लिए अलग से बनाई गई हवालात में ही रखा जाए।

(III) ऐसी घटनाओं की रोकथाम करने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधिकारी थानों का दौरा करते हैं।

(IV) हवालात की ड्यूटी के लिए महिला कांस्टेबल को तैनात किया जाता है तथा चाबियां महिला कांस्टेबल की अभिरक्षा में रहती हैं।

(V) दोषी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कानूनी/विभागीय कार्रवाई की जाती है।

[हिन्दी]

विदेशी जासूसों और आतंकवादियों की गतिविधियां

1386. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या गृह मंत्री विदेशी जासूसों और आतंकवादियों की गतिविधियों के बारे में 12 मार्च, 1992 के आतारांकित प्रश्न संख्या 2668 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रश्न के भाग (ख) और (ग) संबंधी जानकारी इस बीच एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) से (ग) बिहार सरकार से अपेक्षित सूचना आने की प्रतीक्षा की जा रही है।

[अनुवाद]

डी०डी०ए० द्वारा निर्मित फ्लैट

1387. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत दो वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष डी०डी०ए० द्वारा विभिन्न श्रेणियों के कितने फ्लैटों का निर्माण किया गया;

(ख) डी०डी०ए० के पास फ्लैटों के आवंटन के लिए अभी भी श्रेणी-वार कितने पंजीकृत व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ग) इन पंजीकृत व्यक्तियों को कब तक फ्लैट आवंटित किए जाएंगे।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा विवरण—'क' में दिया गया है।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत ब्यौरा विवरण 'ख' में दिया गया है।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सभी पंजीकृतों को फ्लैट मुहैया कराने के लिए योजनाएं तैयार की गई है, बशर्ते वित्त भूमि और मूलभूत सेवाएं उपलब्ध हों।

विवरण — 'क'

दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा वर्षवार निर्मित फ्लैट

वर्ष	स्वयं पोषित	मध्यम आय वर्ग	निम्न आय वर्ग	जनता/आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्ग/कम लागत आवास	योग
1990-91	1625	273	2832	4116	8846
1991-92	1982	1508	1615	5810	10915

विवरण — 'ख'

लम्बित पंजीकृतों का विवरण इस प्रकार है:—

न्यू पैटर्न स्कीम, 1979

जनता:	3304
निम्न आय वर्ग:	25680
मध्यम आय वर्ग:	22280
	51264

स्ववित्त पोषित स्कीम

स्ववित्त पोषित: v	3948
स्ववित्त पोषित: vi	9328
	13276

अम्बेडकर आवास योजना

जनता:	3000
निम्न आय वर्ग:	10000
मध्यम आय वर्ग:	7000 (अभी पंजीकृत किये जाने हैं)
	20000

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता

1388. **श्री ललित उरांव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार वस्तुओं के भंडारण हेतु गोदामों के निर्माण के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के माध्यम से प्रत्येक राज्य को गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि दी गई?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने बिहार राज्य को पिछले तीन वर्षों के दौरान उर्वरकों, बीजों, कृमिनाशकों, खपत योग्य वस्तुओं, जिसमें आवश्यक जिंस, कृषि उत्पाद आदि शामिल हैं, के भण्डारण हेतु गोदामों के निर्माण के लिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय परियोजना के तहत 642.109 लाख रुपये की धनराशि दी है, जिसका ब्यौरा निम्नवत् है:—

वर्ष	दी गई राशि (लाख रुपयों में)
1989-90	170.290
1990-91	273.829
1991-92	197.990
	कुल: 642.109

पिछले तीन वर्षों में यूरोपीय आर्थिक समुदाय सहायता प्राप्त भण्डारण परियोजना में अन्य किसी राज्य को शामिल नहीं किया गया।

उत्तर दिल्ली में शॉपिंग काम्प्लेक्सों का निर्माण

1389. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उत्तरी दिल्ली में 1992-93 के दौरान शापिंग कालेक्सों का निर्माण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य कब से शुरू होगा?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा उत्तरी दिल्ली में शापिंग काम्प्लेक्सों का निर्माण पहले पहले ही प्रगति पर है। 1992-93 के दौरान ऐसे परिसरों जिनका निर्माण दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा किये जाने की सम्भावना है, का ब्यौरा विवरण 'क' में दिया जाता है।

विवरण 'क'

1992-93 में पूर्ण होने वाले शापिंग काम्प्लेक्सों का विवरण

स्थानीय विपणन केन्द्र	सुविधा विपणन केन्द्र
1. पाकिट एल०यू० पीतमपुरा	1. यू०पी० समाज, सी०एच०सी०एस०(दीपाली) प्लाट 120-123 के सामने पीतमपुरा
2. सम्राट एनक्लेव पीतमपुरा	2. ब्लाक "ए" के पास सैक्टर 17 रोहिणी।
3. रोहतास एनक्लेव पीतमपुरा	3. 656 डी यू एल०आई०जी०, जहांगीरपुरी पर।
4. डी ब्लाक, प्रशान्त विहार रोहिणी	4. ब्लाक "सी" पाकेट "सी" शालीमार बाग।
	5. इंजीनियरिंग सोसाइटी के पास अशोक विहार, फेज-III
	6. सैक्टर ए-9 नरेला स्थल
	7. सी एस सी सं० 5, सैक्टर 3 रोहिणी।
	8. सी एस सी सं० 2, सैक्टर 6 रोहिणी।
	9. सी एस सी सं० 9, सैक्टर 7 रोहिणी।
	10. सी एस सी सं० 3, सैक्टर 11 रोहिणी।
	11. सी एस सी सं० 5, सैक्टर 11 रोहिणी।
	12. सी एस सी सं० 9, सैक्टर 13 रोहिणी।
	13. सी एस सी सं० 9, सैक्टर 15 रोहिणी।
	14. सी एस सी सं० 1, सैक्टर 16 रोहिणी।
	15. सी एस सी सं० 6, सैक्टर 16 रोहिणी।
	16. सी एस सी सं० 9, सैक्टर 16 रोहिणी।
	17. सी एस सी सं० 12, सैक्टर 16 रोहिणी।
	18. सी एम सी सं० 13, सैक्टर 16 रोहिणी।
	19. सी एस सी सं० 2, सैक्टर 184 रोहिणी।

तेल और प्राकृतिक गैस भंडार

1390. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 मई, 1992 के "द आब्जर्वर आफ बिजनेस एण्ड पालिटिक्स" नई दिल्ली में "आयल, नेचुरल गैस रिजर्वज टु लास्ट 25 इयर्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) उक्त संसाधनों के खत्म की स्थिति को देखते हुए आयात के अलावा और कौन-कौन से वैकल्पिक स्रोतों को काम में लाया जा रहा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) जी, हां।

(ख) यह निष्कर्ष कि देश के तेल एवं प्राकृतिक गैस के भंडार केवल 25 वर्षों तक के लिए है वसूली योग्य भंडारों के वर्तमान अनुमानित शेष पर आधारित है तथा इसमें नई खोंजों से होने वाली परिणामी वृद्धि तथा अन्वेषण से भविष्य में होने वाली नई उपलब्धियों के माध्यम से ऐसे भंडार आधार का विस्तार और यहां तक कि वृद्धि पर भी विचार नहीं किया जाता है। पेट्रोलियम संसाधनों की मात्रा सीमित होने के कारण, भंडार आधार में ह्रास होना और निष्कर्षणीय भविष्य में संभवतः उपलब्ध न होना किसी एक समय में अनिवार्य हो सकता है।

(ग) तरल पेट्रोलियम उत्पादों के प्रतिस्थापन के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस तथा एल्कोहलों का प्रयोग शामिल है, बशर्ते कि परिवहन के क्षेत्र में तथा ऊर्जा के विभिन्न गैर पारंपरिक स्रोतों के अन्य क्षेत्रों में तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य हो।

हिमाचल प्रदेश में अनिवासी भारतीयों के लिए मकानों का निर्माण

1391. **श्री गुरुदास कामत** : क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिमाचल प्रदेश में अनिवासी भारतीयों के लिए मकानों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उड़ीसा में आवास समितियों के लिए हुडको से ऋण

1392. **श्री श्रीकांत जेना**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा की आवास समितियों ने 1990-91 के दौरान राज्य में मकानों का निर्माण करने तथा शहरी नागरिक सुविधाओं में सुधार लाने के लिए हुडको से ऋण हेतु अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा की आवास समितियों द्वारा ऋण के लिए किये गये विभिन्न प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) हुडको द्वारा स्वीकृत किये गये उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनके लिए ऋण मंजूर किया गया?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) हुडको के अनुसार ऐसा कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार में पेट्रोल/डीजल के डीलरों, खुदरा बिक्री केन्द्रों और रसोई गैस एजेंसियों के विरुद्ध शिकायतें

1393. **श्री लाल बाबू राय:**
मोहम्मद अली अशरफ फातमी:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान बिहार में पेट्रोल/डीजल/रसोई गैस के डीलरों/वितरकों के विरुद्ध कालाबाजारी और मिलावट करने की कितनी शिकायतें प्राप्त हुई; और

(ख) दोषी पाये गये डीलरों/वितरकों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) वर्ष 1990-91 के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली जबकि वर्ष 1991-92 के दौरान पेट्रोल तथा डीजल मालिकों के खिलाफ 4 शिकायतें प्राप्त हुई। वर्ष 1990-91 तथा 1991-92 के दौरान एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरों के खिलाफ प्रतिवर्ष दो शिकायतें प्राप्त हुई।

(ख) एम एस में पानी की मिलावट के बारे में मिली एक शिकायत जांच के दौरान साबित हो गई थी और उसमें से पानी को अलग किए जाने तक बिक्री रोक दी गई थी। एल पी जी की एक डिस्ट्रीब्यूटरशिप को समाप्त कर दिया गया तथा 3 मामलों में एल पी जी की डिस्ट्रीब्यूटरशिपों को सप्लाई रोक दी गयी थी।

[अनुवाद]

फलों और सब्जियों का निर्यात

1394. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक को फलों और सब्जियों का निर्यात करने का कार्य सौंपा गया है;

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम और राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान फलों और सब्जियों का निर्यात करने के लिए क्या कदम उठाये हैं; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) ये प्रश्न नहीं उठते।

पशुधन और कुक्कुट पालन का विकास

1395. **श्री गोपीनाथ गजपति:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वी तथा पूर्वोत्तर राज्यों में पशुधन तथा कुक्कुट पालन की स्थिति बड़ी दयनीय है;

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान स्थिति को सुधारने हेतु योजना को लागू करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका) : (क) और (ख) पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी राज्यों में पशुधन कुक्कुट विकास देश के अन्य भागों की तुलना में काफी पीछे है। स्थिति को सुधारने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:—

(1) राज्यों, केन्द्रीय तथा केन्द्र वारा प्रायोजित स्कीमों के माध्यम से, पक्षियों सहित, विभिन्न प्रजातियों के पशुओं के प्रजनन, भोजन तथा स्वास्थ्य कवर को सुधारने के लिए इन राज्यों में विभिन्न कार्यक्रम क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

(2) उड़ीसा तथा असम में स्थिति का अध्ययन करने तथा इन राज्यों में पशुधन तथा कुक्कुट परिदृश्य को सुधारने के लिए आवश्यक विभिन्न उपायों की सिफारिश करने के लिए बहु-विषयी उच्चाधिकार प्राप्त दलों ने उड़ीसा तथा असम का दौरा किया है।

(3) उत्तर पूर्वी राज्यों सहित नॉन-ऑपरेशनल फ्लड, पहाड़ी तथा पिछड़े इलाकों में, आठवीं पंचवर्षीय योजना के भाग के रूप में समेकित डेरी विकास परियोजना आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(4) उत्तर-पूर्वी राज्यों को केन्द्रीय तथा केन्द्र द्वारा प्रायोजित स्कीमों के अतिरिक्त उप-संघटक योजना तथा आदिवासी उप-योजना के अंतर्गत उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा सहायता दी जा रही है।

(5) उड़ीसा में एक बत्तख बहुलीकरण फार्म स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(6) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए उत्तर-पूर्वी परिषद द्वारा पशु आहार में आत्मनिर्भरता के लिए समेकित परियोजना का प्रस्ताव किया गया है।

(ग) कृषि मंत्रालय के अंतर्गत पशुपालन और डेरी क्षेत्र के विकास के लिए आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 1300 करोड़ रुपये की कुल धनराशि आबंटित की गई है।

कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि

1396. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कच्चे तेल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु उपाय किये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो आठवीं योजना के अंतिम वर्ष के अंत तक विभिन्न बेसिनों से कुल कितनी मात्रा में कच्चे तेल का उत्पादन होने की आशा है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना (1996-97) के टर्मिनल वर्ष में क्रूड तेल का बेसिन—वार उत्पादन निम्नवत अनुमानित है:-

क्रम सं०	बेसिन का नाम	क्रूड तेल का उत्पादन (एम० एम० टी०)
1.	कैम्बे	8.87
2.	असम	8.42
3.	कावेरी	0.502
4.	पश्चिमी अपतट	28.055
5.	कृष्णा-गोदावरी (बेसिन अपतट और तटवर्ती)	1.2355
	कुल	47.0825

तेल के कुएं खोदना

1397. **श्री धर्मसिंह:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कृष्णा और गोदावरी बेसिन में तेल के कुंए खोदने का कार्य निजी और विदेशी फर्मों को सौंपने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी शर्तें क्या-क्या होंगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) और (ख) जी, हां। चौथे दौर की बोली के अधीन कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्रस्तावित 4 ब्लाकों में से तीन ब्लाकों के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

(ख) चौथे दौर की बोली के अधीन उल्लिखित ठेके उत्पादन भागीदारी आधार पर होंगे। मुख्य शर्तें ये हैं:—

(I) ठेके की अवधि 25 वर्ष होगी जिसे 5 वर्ष तक बढाया जा सकेगा;

(II) अन्वेषण की अवधि अधिकतम 7 वर्ष होगी जिसके तीन चरण होंगे जिसमें से कोई भी चरण 3 वर्ष से अधिक की अवधि का नहीं होगा;

(III) प्रत्येक चरण के लिए बोलीदाता न्यूनतम कार्य दायित्व के लिए बोली देगा;

(IV) लाभ तेल की भागीदारी बोली देने योग्य मद है जो प्रति प्राप्ति की कर पश्चात दरों से जुड़े स्लाइडिंग स्केल अथवा पुनर्प्राप्त निवेश के गुणकों पर आधारित होती है;

(V) ठेके के क्षेत्र से कंपनी की कच्चे तेल की हकदारी को खरीदने का प्रथम विकल्प भारत सरकार का होगा;

(VI) हस्ताक्षर अथवा उत्पादन का कोई बोनस नहीं होगा;

(VII) आबंटन तब संभव होगा जब सरकार का अनुमोदन मिल जाएगा;

(VIII) सीमा शुल्क, रायल्टी अथवा उपकर के भुगतान से कंपनियों को मुक्त रखा गया है; और

(IX) विदेशी कंपनियों को 50% का निगम आयकर, और भारतीय कंपनियों को वर्तमान दरों पर निगम आयकर देना होगा।

अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम में संशोधन

1398. **श्री अन्ना जोशी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम में संशोधन करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) अपार्टमेंट स्वामित्व अधिनियम के कार्यक्षेत्र और व्याप्ति में वृद्धि का विस्तृत प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है, इसमें अधिनियम के प्रावधानों का उल्लघंन करने के निमित्त दण्डात्मक उपायों और नियम बनाने की शक्तियां केंद्रीय सरकार में निहित करने तथा अन्य आनुषंगिक संशोधनों का प्रावधान है।

बोडो समस्या

1399. **श्री उद्धव बर्मन:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज:
श्री चित्त बसु:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बोडो समस्या संबंधी विशेषज्ञ समिति द्वारा क्या मुख्य सिफारिशें की गई हैं;

(ख) क्या बोडो ग्रुपों ने इन सिफारिशों को मान लिया है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(घ) क्या इस समस्या का समाधान करने के लिए नए सिरे से पहल की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) असम में ब्रह्मपुत्र के उत्तर में दो जिलों के क्षेत्रों के मैदानी आदिवासियों को विशेषज्ञों की समिति ने विशेष रूप से, विधायी, प्रशासनिक, न्यायिक तथा वित्तीय शक्तियों का हस्तांतरण करने के लिए एक प्रक्रियाविधि की सिफारिश की है। इस प्रयोजन हेतु प्रत्येक क्षेत्र के लिए गांव स्तर गांवों का समूहस्तर तथा शीर्ष स्तर पर एक तीन-स्तरीय ढांचे की सिफारिश की गई है। असम राज्य के लिए विधान परिषद का गठन करने की भी सिफारिश की गई है।

(ख) और (ग) अखिल बोडो छात्र संघ तथा बोडो पीपुल्स एक्शन कमेटी ने इस विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया है। उनके अनुसार बोडो लोगों की आकांक्षाओं और आशाओं को यह सिफारिशें पूरा नहीं कर सकती है।

(घ) और (ङ) मैदानी, आदिवासियों की समस्या का सौहादपूर्ण रूप से एक स्वीकार्य हल खोजने की प्रक्रिया जारी है।

दिल्ली में सड़कों की स्थिति

1400. **श्री जीवन शर्मा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घटिया सड़क निर्माण/मरम्मत के कारण पिछले बरसात के मौसम में दिल्ली की सड़कों की हालत खस्ता हो गई थी;

(ख) क्या इस संबंध में कोई जांच कराई गई थी; और

(ग) यह सुनिश्चित करने के लिए कि इस वर्ष बरसात के मौसम में ऐसी स्थिति फिर न आए क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पिछले वर्ष के बरसात के मौसम के दौरान उनके क्षेत्राधिकार के भीतर कोई सड़क बेकार नहीं हुई। नई दिल्ली नगर पालिका ने भी सूचित किया है कि पिछले बरसात के मौसम के दौरान कोई ऐसी घटना नहीं घटी। दिल्ली प्रशासन ने यह भी बताया है कि घटिया कोटि का सड़क निर्माण/मरम्मत का कोई मामला नहीं है परन्तु सड़क के कुछ हिस्से जो सुदृढ़ीकरण/मरम्मत के लिए अपेक्षित थे, भारी वर्षा के दौरान भी क्षतिग्रस्त हो गए और कालान्तर में अत्यधिक यातायात सड़कों के चौराहों के समीप सड़कों पर गडढ़े और सड़क की सतह उबड़-खाबड़ सड़कों में खराबी आ जाती है अनुमत्त उपलब्ध निधियों की सीमा तक लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक सुदृढ़ीकरण/पुनः ठीक करना/मरम्मत कर दी गई है तथापि यह सूचित किया गया है। कि लोक निर्माण विभाग की अधिकांश सड़कें अच्छी स्थिति में है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी सूचित किया है कि उनके क्षेत्राधिकार में पिछले बरसात के मौसम में कोई सड़क बेकार नहीं हुई।

2. दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि वर्षा के मौसम से पूर्व उपायों के रूप में इन सड़कों को अनुवर्ती क्षतियों से बचाने के लिए सड़कों पर बरसाती पानी के जमाव को रोकने के तथा सुव्यवस्थित जल निकासी नाली को सुनिश्चित करने के लिए सड़क के किनारे की जल निकासी प्रणाली और नाले के मुहाने को गाद रहित/साफ करने के लिए उन्होने उपाय किए थे। नई दिल्ली नगर पालिका ने सूचित किया है कि रुका हुआ पानी या भारी वर्षा के कारण भरे हुए पानी को सड़क से निकालने/आकस्मिक मरम्मतों की देखभाल के लिए 5 नियंत्रण कक्ष खोले गए है। दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि भारी वर्षा की स्थिति में जैसा भी आवश्यक हो, सड़कों के अनुरक्षण के लिए आवश्यक कार्रवाई कर दी गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी सूचित किया है कि वर्षा काल के प्रारम्भ होने से पूर्व जहां कहीं अपेक्षित है, सड़कों की पुनः कारपेट के प्रयास किए जाते है।

3. दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, दिल्ली विकास प्राधिकरण और दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि जैसा कि ऊपर बताया गया है, को ध्यान में रखते हुए अपने संबंधित क्षेत्रों में घटिया कोटि का सड़क निर्माण/मरम्मत की जांच पड़ताल के लिए जांच करने का प्रश्न ही नहीं है।

[हिन्दी]

अनधिकृत गैस सिलेन्डर

1401. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी:**
श्री लाल बाबू राय:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में काफी संख्या में अनधिकृत गैस सिलेन्डर प्रचलन में हैं; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान सिलेन्डरों में गैस भरने वाले संयंत्रों में ऐसे कितने अनधिकृत गैस सिलेन्डर पकड़े गये हैं; और

(ग) सरकार द्वारा ऐसे सिलेन्डरों का प्रचलन रोकने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानंद): (क) तेल कंपनियों ने प्रणाली (सिस्टम) में नकली सिलेण्डरों के चलन में होने की रिपोर्ट दी है।

(ख) 1990-91	5028
1991-92	5439

(ग) तेल विपणन कंपनियों के क्षेत्र-अधिकारी प्रणाली में नकली सिलेण्डरों का पता लगाने में जुटे हुए हैं। तेल विपणन कंपनियों को जैसे ही नकली सिलेण्डरों का पता लगता है, वे उन्हें तत्काल नष्ट कर देती हैं। यदि एल पी जी एजेंसियां/ ट्रांस्पोर्टरों के पास ऐसे सिलेण्डरों के होने का पता लगता है तो उन्हें सावधानी/चेतावनी पत्र जारी किया जाता है और उनसे दण्डस्वरूप 1500 रुपए प्रति नकली सिलेण्डर, वसूल किया जाता है।

[अनुवाद]

राजधानी में आवास समस्या

1402. **श्री प्रवीन डेका:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को दिल्ली में मकानों की कमी होने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो मकानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी हां।

(ख) अनुमानित आवश्यकता को देखते हुए सार्वजनिक निजी और सहकारी क्षेत्रों के प्रयासों के माध्यम से 8वीं योजना अवधि के दौरान 7.5 लाख अतिरिक्त रिहायशी एकक मुहैया करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण ने योजनाएं तैयार की हैं।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में मत्स्यन का विकास

1403. **श्री अर्जुन सिंह यादव:**
श्री हरि केवल प्रसाद:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तर प्रदेश में मत्स्यन के लिए अनुमानतः कितना उपयुक्त क्षेत्र है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य के कुल कितने क्षेत्र में मत्स्यन किया गया;

(ग) राज्य में मत्स्यन के विकास के लिए सरकार ने अब तक क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को इस कार्य के लिए कुल कितनी धनराशि प्रदान की?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) अनुमान है कि उत्तर प्रदेश में मात्स्यिकी विकास के लिए 1.05 लाख हैक्टेयर उपयुक्त तालाब जलक्षेत्र है।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान लगभग 16,803.36 हैक्टेयर क्षेत्र मात्स्यिकी के तहत लाया गया है।

(ग) मात्स्यिकी के विकास के लिए उत्तर प्रदेश में 56 मत्स्य पालक विकास अभिकरण स्थापित किए गए है।

(घ) उत्तर प्रदेश में मत्स्य पालक विकास अभिकरण कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए गत तीन वर्षों (1989—92) के दौरान, भारत सरकार ने राज्य सरकार को 409 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की है। **[अनुवाद]**

गुजरात में पैट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्र और एल पी जी एजेंसियां

1404. **श्री हरि सिंह चावड़ा**: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गुजरात में वर्ष 1992 के प्रथम 6 महीनों के दौरान विभिन्न कम्पनियों द्वारा आवंटित किए गए पेट्रोल/डीजल के खुदरा विक्रय केन्द्रों तथा एल पी जी एजेंसियों की संख्या कितनी है; और

(ख) अगले दो वर्षों के दौरान गुजरात में कितनी एल पी जी एजेंसियां मंजूर करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) शून्य।

(ख) उत्पादन की उपलब्धता होने पर गुजरात में वर्ष 1993-94 और 1994-95 में विभिन्न स्थानों पर 54 एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपें स्थापित करने के प्रस्ताव तेल उद्योग के पास हैं?

मध्याह्न भोजन योजना

1405. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से विद्यालय में बच्चों की मध्याह्न भोजन योजना में अंडा शामिल किये जाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कहा है जिससे मुर्गी पालन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकारों की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) यह योजना इस समय किन-किन राज्यों में चल रही है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) और (ख) अण्डों के बढ़ते हुए उत्पादन का लाभ उठाने तथा बच्चों को पौष्टिक और प्रोटीन-युक्त पूर्ण आहार देने की दृष्टि से राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे विद्यालय जाने वाले बच्चों की मध्याह्न भोजन योजना में अण्डों को शामिल करने पर विचार करें।

(ग) अब तक गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, सिक्किम राज्यों से प्रत्युत्तर प्राप्त हुए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों का सार दर्शाने वाला एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(घ) महाराष्ट्र राज्य।

विवरण

राज्य सरकारों से मिले उत्तरों का सारांश

राज्य का नाम	उत्तर का सारांश
गुजरात	इस राज्य की आबादी का एक बहुत बड़ा भाग शाकाहारी है; और अतएव अंडे उनको स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं।
तमिलनाडु	पुराची और थालैवर और एम जी आर पोषक भोजन कार्यक्रम के तहत 2 + से 4 + की आयु समूह के बच्चों को और 5 + से 15 वर्ष के आयु समूह के स्कूली बच्चों को जून 1989 से एक पाक्षिक अवधि में एक बार एक उबला हुआ अंडा दिया जा रहा है। उबले हुये अंडे केवल उनको ही दिये जाते हैं, जो अंडे खाने की इच्छा जाहिर करते हैं।
हिमाचल प्रदेश	संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई के लिये निर्देश दिये जा रहे हैं।
मेघालय	इस मामले पर आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।
हरियाणा	स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए मध्य-दिवस भोजन की कोई योजना नहीं है और स्कूली बच्चों के लिए अंडों को अनुपूरक के रूप में उपयोग नहीं कर सकते हैं। फिर भी, आई सी डी सी कार्यक्रम के तहत 0 से 6 वर्ष के आयु समूह को हर सप्ताह कुछ दिनों के लिये अण्डे देने की शुरुआत करने पर विचार किया जा सकता है।
सिक्किम	पोषक तत्वों की अनुपूर्ति के लिये मध्य-दिवस भोजन कार्यक्रम में अण्डों को शामिल करना राज्य में अण्डों के उत्पादन से प्रत्यक्षतया जुड़ा हुआ है। अतः इस प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा।

बाम्बे हाई में गैस की खोज

1406. **श्री राम कापसे:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बाम्बे हाई में फरवरी, 1992 में दो स्थानों पर, प्राकृतिक गैस की खोज की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) महाराष्ट्र को गैस की कितनी मात्रा आवंटित करने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) यद्यपि बम्बई हाई उत्पादन तेल क्षेत्र है, फरवरी, 1992 में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र में अन्वेषणी कूप बी-149-4, बी-57-12 और सी-24-3 में प्राकृतिक गैस मिली। इन संरचनाओं के दौहन की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के रेखांकन के बाद जानी जाएगी और उसके बाद ही इन स्रोतों से गैस के किसी आबंटन की वचनबद्धता दी जा सकती है।

तिलहन उत्पादन

1407. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 1991-92 में तिलहन उत्पादन विगत वर्ष से अधिक था;

(ख) यदि हां, तो 1991-92 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना था;

(ग) क्या तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद भी इनके मूल्य बढ़ते जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस समय तिलहनों की वास्तविक मांग कितनी है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) और (ख) 1991-92 के दौरान तिलहन उत्पादन के 185.0 लाख मीटरी टन के लक्ष्य के स्थान पर, 1990-91 के 184.6 लाख मीटरी टन उत्पादन की तुलना में अनुमानित उत्पादन 183.4 लाख मीटरी टन है।

(ग) सरसों के तेल/सरसों के बीज तथा मूंगफली के तेल / बीज की कीमत गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में कम है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) योजना आयोग द्वारा यथा प्रक्षिप्त तेल वर्ष 1991-92 के लिए खाद्य तेलों की मांग 62.9 लाख मीटरी टन है।

शहरी शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का प्रस्ताव

1408. **श्री अन्धारासु इरा**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार के अवसर उत्पन्न करने का केंद्रीय सरकार का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) उद्योग मंत्रालय द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवकों के लिए स्व-रोजगार की एक योजना (एस०ई०ई०यू०वाई०) को क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य स्वीकृत ऋण की 25 प्रतिशत पूंजी आर्थिक सहायता सहित सहायता के एक पैकेज के प्रावधान के माध्यम से उद्योग, सेवा और व्यवसाय में स्व-रोजगार का जोखिम उठाने हेतु शिक्षित बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहित करना है। यह योजना उन सभी शिक्षित बेरोजगार युवकों को लाभान्वित करती है जो 18-35 वर्ष की आयु समूह के भीतर है, जो मैट्रिक पास हैं और जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 10,000/- रुपए से कम है। यह योजना 1981 की जनगणना के अनुसार सभी ग्रामीण क्षेत्रों और 10 लाख से कम की आबादी वाले कस्बों में विस्तारित की गई है। 1991-92 के दौरान लाभग्राहियों के 76,000 ऋण मामले अनुमोदित किए गए थे।

नेहरू रोजगार योजना की शहरी लघु उद्यम स्कीम शहरी क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले व्यक्तियों को स्व-रोजगार अवसर मुहैया कराने हेतु तैयार की गई है। इस स्कीम में कौशल उन्नयन और परियोजना लागत की 25 प्रतिशत आर्थिक सहायता के प्रावधान पर विचार किया गया है। इस स्कीम में शैक्षिक योग्यता की कोई शर्त नहीं है और इसलिए शहरी शिक्षित बेरोजगारों के प्रति विशेष रूप से लक्षित नहीं है। यह स्कीम सभी शहरी बस्तियों में लागू है। 1989 में स्कीम के प्रारम्भ से लेकर, लगभग 2.47 लाख लाभग्राहियों को लघु उद्यम स्थापना हेतु आर्थिक सहायता मुहैया की गई है।

राष्ट्रीय मुर्गी पालन विकास बोर्ड

1409. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे**: क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय मुर्गी पालन विकास बोर्ड गठित करने के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित बोर्ड का कार्य क्षेत्र क्या होगा और इसके सदस्य कौन-कौन होंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार मुर्गी पालन क्षेत्र के उत्पादकों के निर्यात को बढ़ावा देने हेतु कोई कार्यवाही करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): (क) और (ख) राष्ट्रीय कुक्कुट पालन विकास बोर्ड की स्थापना करने का प्रस्ताव आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है। इस संबंध में ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

(घ) निम्नलिखित कदम उठाने का प्रस्ताव किया गया है:

1. कुक्कुट पालन के लिए कतिपय अनिवार्य आहार अवयवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मूल्य प्रतिपूर्ति योजना को लागू करने का प्रस्ताव किया गया है।

2. बुनियादी सुविधाओं का विकास करना।

3. स्वास्थ्य प्रमाणपत्र जारी करने वाली निरीक्षण एजेंसियों द्वारा लगाए गए शुल्कों में कमी करना।

4. कुक्कुट उत्पादों के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए व्यापार संवर्द्धन प्रतिनिधि-मण्डल भेजना।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन / विचार गोष्ठियां

1410. **श्री राजेश कुमार:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में वर्ष 1991-92 के दौरान कृषि और इससे संबंधित कार्यों पर कितने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों / विचार गोष्ठियों का आयोजन किया गया;

(ख) क्या भारत ने इनमें से प्रत्येक सम्मेलन / विचार गोष्ठी में भाग लिया था; और

(ग) इनमें से प्रत्येक सम्मेलन / विचार गोष्ठी से जो मुख्य निष्कर्ष निकले उनका ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है।

[अनुवाद]

फ्री गैस का उत्पादन

1411. **डा० अमृतलाल कालिदास पटेल:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान मुम्बई के तट दूर का बाम्बे हाई तथा अन्य तट दूर क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष क्षेत्रवार कितनी-कितनी मात्रा में फ्री गैस का उत्पादन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री जी० शंकरानन्द): पश्चिमी अपतट के केवल दक्षिणी बेसिन क्षेत्र में असम्बद्ध गैस (या मुक्त गैस) का उत्पादन किया जाता है। वर्ष 1989-90, 1990-91 और वर्ष

1991-92 के दौरान क्रमशः 2628.4, 3682.3 और 5224.6 मिलियन घन मीटर असम्बद्ध गैस का उत्पादन किया गया है।

अनुसंधान और विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र

1412. **श्री एम०वी०वी०एस० मूर्ति:**
श्री डी० वेंकटेश्वर राव:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण हेतु उपयुक्त उपकरणों के अनुसंधान और विकास के लिए खाद्य प्रसंस्करण केन्द्रों की स्थापना करने की योजना को अंतिम रूप दे दिया है;

(ख) क्या इस तरह के किसी केन्द्र का पता किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो वे राज्यवार किन स्थानों पर हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) जी हां। आठवीं योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए उचित उपस्करों के अनुसंधान एवं विकास हेतु केवल एक खाद्य इंजीनीयरी केन्द्र की स्थापना का खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने प्रस्ताव तैयार किया है।

(ग) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकीय अनुसंधान संस्थान, मैसूर, कर्नाटक में एक खाद्य इंजीनीयरी केन्द्र की स्थापना करने का प्रस्ताव है।

दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की समाधियां

1413. **मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खन्डूरी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की कुल कितनी समाधियां है और प्रत्येक नेता की समाधि के लिए अलग-अलग कितनी भूमि अर्जित की गई है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक समाधि के रखरखाव पर वर्ष वार कितना खर्च किया गया है; और

(ग) ऐसी समाधियों की अनुमति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (खं) दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों की संख्या और इनके लिए आवंटित / चिन्हित क्षेत्र तथा गत तीन वर्षों के दौरान अनुरक्षण पर किए गए व्यय संबंधी ब्यौरे (संलग्न विवरण) में दिए गए हैं।

(ग) कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

विवरण

दिल्ली में राष्ट्रीय नेताओं की समाधियों / मजारों की संख्या

समाधि / मजार का विवरण	आवंटित / चिन्हित क्षेत्र	गत तीन वर्षों के दौरान किया गया व्यय (रु० लाख में)		
		1989-90	1990-91	1991-92
1	2	3	4	5
1. राजघाट	59 एकड़	24.65	26.31	34.64
2. शान्तिवन	60 एकड़	32.17	28.06	33.66
3. विजय घाट	70 एकड़	14.95	14 14	20.62

1	2	3	4	5
4. शक्ति स्थल	60 एकड़	20.34	19.81	27.79
5. किसान घाट* (कुल व्यय शक्ति स्थल पर प्रभारित किया गया है)	15 एकड़	—	2.21	4.99
6. राजीव गांधी की समाधि**	अभी आवंटित / चिन्हित नहीं	—	—	—
7. फखरूद्दीन अली अहमद की मजार	1020 वर्ग मी०	0.374	0.388	0.577
8. डा० जाकिर हुसैन की मजार	1330.90 वर्ग मी०	2.587	3.573	2.743
9. मौलाना अब्दुल कलाम आजाद की मजार	2946.125 वर्ग मी०	0.449	0.326	0.332

टिप्पणी:

* क्षेत्र राजघाट परिसर के अंतर्गत है। औपचारिक आवंटन अभी नहीं किया गया है।

** अभी औपचारिक रूप से भूमि आवंटित / चिन्हित नहीं की गई है।

बड़े क्षेत्रफल वाली समाधियों के मामले में समाधि बहुत छोटी है किन्तु भू-दृश्य और बागवानी कार्य कर दिए गए है।

[हिन्दी]

यमुना पुश्ता क्षेत्र में अपराध

1414. **श्री चन्द्रजीत यादव:**
श्री रामविलास पासवान:
श्री शरद यादव:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान 26 मई, 1992 के दि टाइम्स आफ इंडिया में प्रकाशित "ऑनली क्राइम पेज इन यमुना पुश्ता" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं; और

(ङ) यमुना पुश्ता क्षेत्र में अपराध रोकने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जेकब): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) से (घ) समाचार में अन्य बातों के साथ-साथ श्री असफाक, जिन्होंने शराब की बिक्री का विरोध किया था, की लड़की का अपहरण करने और पंडित राम नारायण जिन्होंने शराब की बिक्री के खिलाफ प्रदर्शन किया था, कि हत्या का उल्लेख है। दिल्ली पुलिस ने सूचित किया है श्री असफाक की लड़की जिसकी उम्र 17 वर्ष है, को अजमेर से बरामद किया गया और एक लड़के को गिरफ्तार किया गया। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने ब्यान दिया कि वह अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहती है और अभियुक्त के पास रहना चाहती है। मजिस्ट्रेट ने लड़की को नारी निकेतन भेजने का आदेश दिया। जहां तक पंडित राम नारायण की हत्या का प्रश्न है, 18.11.1987 को थाना कोतवाली में भा०दं०सं० की धारा 302 / 34 के अन्तर्गत मामला दर्ज करने के

बाद दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने आगे बताया है कि पंडित राम नारायण की हत्या का कारण, एक अभियुक्त के साथ उसके अप्राकृतिक संबंध होना था।

(ङ) पुलिस द्वारा सामान्य निगरानी रखी जा रही है। आपराधिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाए गए व्यक्तियों के खिलाफ सख्त कार्यवाई की गयी है। अपराध रोकने के लिए उठाए गए कदमों में गश्त गहन करना, सूचित मामलों की उपयुक्त जांच करना, आसूचना इत्यादि को सुदृढ़ करना सम्मिलित है।

कर्मचारियों के लिए सरकारी आवासों के आवंटन हेतु मानदण्ड

1415. **श्री विद्यनाथ शास्त्री:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली में अपने कर्मचारियों के लिए आवासों का आवंटन करने हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) दिल्ली में केन्द्रीय सरकार के कुल कितने कर्मचारियों को आवास आंवाटित किए गए हैं; और

(घ) उनमें से कितने क्वाटर संसद सदस्यों की सिफारिशों पर आवंटित किए गए हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) जी हां, सरकारी वास (दिल्ली में सांधारण पूल) का आवंटन नियमावली, 1963 में निर्धारित मानंदडों के आधार पर पात्र कार्यालयों में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को साधारण पूल रिहायशी वास का आवंटन किया जाता है इन नियमों को अनुपूरक नियम (एस०आर० 317-बी-1 से एस०आर० 317बी-26 तक) में सम्मिलित किया गया है।

(ग) दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के आवंटनार्थ साधारण पूल में 63,972 नियमित क्वार्टर (टाईप-I से III) और 1914 होस्टल सूट / कमरे उपलब्ध है। ये सभी क्वार्टर आवंटित हैं परन्तु आवंटियों के स्थानान्तरण / सेवानिवृत्ति / मृत्यु आदि पर वास की रिक्ति के कारण कब्जे की स्थिति प्रतिदिन भिन्न-भिन्न है।

[अनुवाद]

भारतीय सांड़ो की तस्करी

1416. **श्री अटल बिहारी वाजपेयी:**
श्री शंकर सिंह वाघेला:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में ईद अल मधा के अवसर पर लम्बे सींगों वाले भारतीय सांड बड़ी संख्या में मवेशी बाजार में मृत्यु के कगार पर खड़े थे जैसा कि 12 जून, 1992 के हिन्दुस्तान टाइम्स में समाचार प्रकाशित हुआ था;

(ख) यदि हां, तो मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस संबंध में कोई जांच कराई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और निष्कर्ष क्या हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) सरकार को इस मामले के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

---| १६

भारत-बांग्लादेश सीमा पर तस्करी

1417. **श्रीमती गिरिजा देवी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन प्रमुख वस्तुओं की भारत से बांग्लादेश में और बांग्लादेश से भारत में तस्करी की जाती है;

(ख) भारत-बांग्लादेश सीमा के किन-किन स्थानों से तस्करी की जा रही है;

(ग) देश से अनुमानतः कितने मूल्य की वस्तुओं की प्रतिवर्ष तस्करी की जाती है;

(घ) तस्करी रोकने के सभी उपाय असफल हो जाने के क्या कारण हैं जबकि तस्करी किये जाने वाले स्थानों का पता लगाया जा चुका है; और

(ङ) भारत-बांग्ला देश सीमा पर तस्करी के खतरे को रोकने हेतु और क्या उपाय किये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) चीनी, नमक, दालें, धान, चावल, मोलसेस, लहसुन, उर्वरक, स्टील के बर्तन, बाईसिकिल, मोटरपार्ट, पशुधन, दवाईयां, मिट्टी का तेल, सरसों का तेल, कपड़े, सूती साड़ियां आदि वस्तुओं की भारत से बंगलादेश में तस्करी की जा रही है, जबकि मछली, मुर्गी, सैन्थेटिक कपड़े, पामतेल, लौंग, बिजली के सामान, सोना, औषध तथा मादक औषध, पुराने कपड़े आदि वस्तुओं की बंगलादेश से भारत में तस्करी की जा रही है।

(ख) भारत-बंगलादेश सीमा तस्करी की दृष्टि से बहुत संवेदनशील है। दक्षिणी बंगाल, उत्तरी बंगाल, असम/मेघालय, कछार तथा त्रिपुरा क्षेत्रों के अनेक स्थानों में तस्करी की जा रही है।

(ग) लगभग 50 करोड़ रुपए।

(घ) भारत-बंगलादेश की सीमा का लम्बी तथा छिद्रिल प्रकृति का होना तथा अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर जीरो लाइन तक आबादी का होना, बड़ी मात्रा में तस्करी के लिए जिम्मेदार है।

(ङ) तस्करी को रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल द्वारा सभी संभाव्य प्रयास किए जा रहे हैं/तस्करी की गतिविधियों को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने सीमावर्ती जिलों के जिला अधिकारियों को कुछ अनुदेश जारी किए हैं, जिनमें सीमा के साथ-साथ 8 कि०मी० क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित आवश्यक वस्तुओं के व्यापार के लिए थोक लाईसेंस/परमिट/पंजीकरण परमाण-पत्र जारी करने पर प्रतिबंध लगाना, आवश्यक वस्तु अधिनियम के अधीन निषेधात्मक आदेश लागू करना, छापे मारना, सीमावर्ती क्षेत्रों में दं०प्र०सं० की धारा 144 के अधीन निषेधात्मक आदेशों को लागू करना, सीमावर्ती क्षेत्रों आदि में अनधिकृत बाजारों, हाटों को हटाना शामिल है।

राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक

1418. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**
श्री हरि किशोर सिंह:
श्री पी० एम० सईद:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे पर राष्ट्रीय एकता परिषद की हाल ही में कोई बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने प्रतिनिधि उपस्थित थे;

(ग) बैठक में क्या निर्णय लिये गये;

(घ) क्या अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा के लिए केन्द्रीय विशेषज्ञों के किसी दल ने कोई व्यापक योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो विशेषज्ञों ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(च) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) 2.11.91 को हुई राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक में "साम्प्रदायिक सौहार्द, राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद मुद्दे" पर विचार विमर्श किया गया।

(ख) कुछ विशेष आमंत्रित व्यक्तियों के अलावा 118 सदस्य उपस्थित थे।

(ग) दिन भर हुए विचार-विमर्श के बाद पारित संकल्प की प्रति संलग्न है।

(घ) से (च) राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर की सुरक्षा के लिए एक सुरक्षा योजना तैयार की गयी और कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को भेजी गयी। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ परिधीय सुरक्षा, प्रवेश नियंत्रण और रोशनी की व्यवस्था करना सम्मिलित है।

विवरण

राष्ट्रीय एकता परिषद को देश में पिछले 2 सालों के दौरान साम्प्रदायिक स्थिति में बिगाड़ आने पर गहरी चिन्ता है, जिससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ा है और हिंसा की ऐसी गंभीर घटनाएं हुई हैं जिनमें जान-माल की भारी हानि हुई है। देश के कतिपय भागों में आतंकवादियों तथा उग्रवादियों की सतत गतिविधियों के चलते साम्प्रदायिक विद्वेष से देश की एकता को गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। यह परिषद देश की एकता और अखण्डता तथा इसके धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक स्वरूप के प्रति किसी भी चुनौती का दृढ़ता से मुकाबला करने के जनता के संकल्प की पुष्टि करती है।

परिषद ने यह नोट किया कि साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न करने वाले कारणों में से एक राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद है। अयोध्या में हाल में हुई घटनाओं पर परिषद ने अपनी चिन्ता व्यक्त की है और आशा की है कि ऐसी परिस्थितियों की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का कोई संतोषजनक समाधान नहीं हो पा रहा है। परिषद सभी संबंधित पार्टियों और संगठनों से अपील करती है सहयोग तथा आपसी सूझ-बूझ की भावना से बातचीत के जरिए कोई सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए कार्य किया जाए।

परिषद ने उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा दिए गए निम्नलिखित आश्वासनों को नोट किया:—

1. इसे मुद्दे के सौहार्दपूर्ण समाधान हेतु सभी प्रयास किए जाएंगे,
2. अन्तिम रूप से समाधान हो जाने तक, उत्तर प्रदेश सरकार राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद ढांचे की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी,
3. भूमि अर्जन कार्यवाहियों के संबंध में न्यायालय के आदेशों का पूरी तरह से कार्यान्वयन किया जाएगा,
4. इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पास लंबित पड़े मामलों में न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं किया जाएगा।

परिषद ने किसी उपयुक्त तारीख को अयोध्या का दौरा करने के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री द्वारा उन्हें दिए गए निमंत्रण का स्वागत किया।

राष्ट्रीय एकता परिषद राजनैतिक दलों, धार्मिक नेताओं, मीडिया तथा अन्य संगठनों सहित संबंधित सभी का आह्वान करती है कि वे संयम से व इस तरह से काम लें जिससे सभी समुदायों के बीच सद्भाव तथा मैत्री को बढ़ावा मिले। हर कोई इस बात का प्रयास करे कि ऐसी बातें या कार्य न किए जाएं जिनसे साम्प्रदायिक भावनाओं के भड़कने की संभावना हो या विघटनकारी ताकतों को प्रोत्साहन मिले। भारतीय समाज की परम्परा से ही सहिष्णुता और एक दूसरे की आस्था के प्रति सम्मान की भावना रही है यही भावना हमारे विचारों और कार्यों का मार्गदर्शन करती रहे। परिषद सभी लोगों से यह अपील करती है कि यह अमन-चैन बनाए रखें और ऐसा वातावरण पैदा करें जिससे राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद विवाद का कोई संतोषजनक समाधान हो सके।

2-स्ट्रोक इंजिनों में एल्कोहल का प्रयोग

1419. **श्री रामआश्रय प्रसाद सिंह:**
कुमारी विमला वर्मा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार भारतीय पेट्रोलियम संस्थान देहरादून के सुझाव के अनुसार 2-स्ट्रोक इंजिन वाले स्कूटरों और मोपेडों में एल्कोहल का प्रयोग करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) दुपहिया वाहनों सहित स्वचालित वाहनों में पेट्रोल के विकल्प के रूप में ऐलकोहलों के प्रयोग से संबंधित संभाव्य प्रचालनगत समस्याओं के निवारण तथा तकनीकी आर्थिक संभाव्यता स्थापित करने के लिए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम (आई आई पी), वाहन निर्माताओं और तेल उद्योग द्वारा फिलहाल अध्ययन और परीक्षण किए जा रहे हैं। तथापि उपर्युक्त के अतिरिक्त इसका वाणिज्यीकरण ऐलकोहलों की लगातार उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

[हिन्दी]

मथुरा तेल शोधक कारखाने में आग लगने की घटनाएं

1420. **श्री विलास मुत्तेमवार:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मथुरा तेल शोधक कारखाने में जून, 1992 में आग लगने की कोई घटना घटी थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और आग लगने की इस घटना से कुल कितनी हानि हुई थी;

(ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न तेल शोधक कारखानों में आग लगने की कुल कितनी घटनाएं हुई हैं; और

(घ) आग लगने की ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिये क्या उपचारात्मक उपाय किये गये हैं अथवा करने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) एफ सी सी इकाई में लगी यह एक छोटी सी आग थी जिसमें गरम तरल तेल की थोड़ी मात्रा का रिसाव हुआ और स्वतः प्रज्वलनशील तापमान से ऊपर होने के कारण उसमें आग लग गई थी। आग पर 10 मिनट के अन्दर काबू पा लिया गया था। हानि नाममात्र की हुई थी।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान 12 रिफाइनरियों में आग की कुल 112 घटनाएं हुई। इनमें से अधिकांशतः छोटी किस्म की घटनाएं थी जिनमें हानि या क्षति नाममात्र की रही।

(घ) आग लगने की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए बहुमुखी मार्ग अपनाये गये। इस क्षेत्र में अपनाये गये कुछ उपायों में बेहतर रिपोर्टिंग पद्धतियां, आग लगने की सभी घटनाओं के मूल कारणों का विश्लेषण, सुरक्षा ऑडिट, सुरक्षा मानदण्डों की आवधिक समीक्षा, तकनीकी सुधारों द्वारा संयंत्र विश्वसनीयता का श्रेणी उन्नयन (अपग्रेडिंग), कार्मिकों का लगातार पुनः प्रशिक्षण, अनुभवों का रिफाइनरियों के बीच बंटवारा, प्रकाशित स्रोतों से सीखना तथा उन्हें अद्यतन रखना हैं। सभी रिफाइनरियां आधुनिक अग्नि शमन उपकरणों से और आग लगने की घटनाओं की प्रभावी नियंत्रण पद्धतियों से पूर्णतः सज्जित हैं।

[अनुवाद]

अपंग व्यक्तियों का कल्याण

1421. **श्री जितेन्द्र नाथ दास:**
श्री राम टहल चौधरी:
श्री श्रीकान्त जेना:
श्री ललित उरांव:

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किसी व्यक्ति की अपंगता निश्चित करने के लिए सरकार ने क्या मापदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) देश में अपंग व्यक्तियों की राज्य वार संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या कितनी है;

(ग) अपंगों के कल्याण के लिए देश में स्थित संस्थानों की राज्य / संघ राज्य क्षेत्र वार संख्या क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में देश में कुछ और संस्थान खोलने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) वर्ष 1991-92 और 1992-93 के दौरान केन्द्र सरकार ने अपंगों के लिए राज्य / संघ राज्य-वार कितनी धनराशि आवंटित की है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) अधिसूचना सं॰ 4-2 / 83-एच॰डब्ल्यू-3 दिनांक 6.8.1986 के अनुसार विकलांगता के लिए प्राधिकृत प्रमाणन प्राधिकारी जिला स्तर पर चिकित्सा बोर्ड होगा। किसी रियायत / लाभों का पात्र बनने के लिए विकलांगता की न्यूनतम मात्रा 40% होनी चाहिए।

(ख) राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण 1981 के अनुसार राज्य / संघ राज्य क्षेत्रवार विकलांग व्यक्तियों की संख्या से संबंधित ब्यौरा विवरण में संलग्न है।

(ग) विकलांगता के चार प्रमुख क्षेत्रों में निम्नलिखित चार संस्थान स्थापित किए गए हैं:—

संस्थान का नाम	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र
1. राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान, देहरादून	उत्तर प्रदेश
2. राष्ट्रीय अस्थित विकलांग संस्थान, कलकत्ता	पश्चिम बंगाल
3. राष्ट्रीय मानसिक विकलांग संस्थान, हैदराबाद	आन्ध्र प्रदेश
4. राष्ट्रीय श्रवण विकलांग संस्थान, बम्बई	महाराष्ट्र

इनके अतिरिक्त दो सेवा संस्थान हैं, अर्थातः—

(1) राष्ट्रीय पुनर्वास, प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, कटक, उड़ीसा

(2) विकलांग जन संस्थान, नई दिल्ली।

(घ) और (ङ) निकट भविष्य में देश में केन्द्रीय सरकार की ओर से कोई संस्थान खोलने का प्रस्ताव नहीं है।

(च) 1991-92 के दौरान विकलांग कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत किया गया खर्च 36.29 करोड़ रु० था। 1992-93 के लिए योजना के अंतर्गत 38 करोड़ रुपये तथा गैर-योजना के अंतर्गत 13.90 करोड़ रु० का आवंटन है।

1991-92 के दौरान प्रमुख स्कीमों के अंतर्गत राज्य / संघ राज्य क्षेत्र-वार निर्मुक्त निधियां विवरण-II के ब्यौरे में संलग्न है।

विवरण-I

1991-92 के दौरान राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों को विकलांग कल्याण की प्रमुख योजनाओं हेतु निर्मुक्त किए गए अनुदान दर्शाने वाला विवरण।

(रु० लाखों में)

क्रम सं०	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	योजना		
		विकलांग छात्रों को छात्रवृत्ति	सहायक यंत्र और उपकरण	विकलांगों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायतानुदान
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	45.00	8.36	58.61
2.	असम	5.75	—	1.72
3.	बिहार	30.00	13.10	25.60
4.	गुजरात	85.00	17.75	41.22
5.	हरियाणा	10.40	5.75	7.47
6.	हिमाचल प्रदेश	0.75	—	2.90
7.	कर्नाटक	42.00	6.52	67.90
8.	केरल	24.00	0.75	47.78
9.	मध्य प्रदेश	24.00	11.72	8.72
10.	मणिपुर	0.80	—	—
11.	महाराष्ट्र	50.00	13.15	67.04
12.	मेघालय	0.03	—	5.22
13.	मिजोरम	—	—	0.99
14.	नागालैंड	0.89	—	—
15.	जम्मू और कश्मीर	—	—	3.17
16.	उड़ीसा	12.00	9.00	5.51
17.	पंजाब	1.00	18.73	3.21
18.	राजस्थान	36.60	44.50	17.59
19.	उत्तर प्रदेश	35.00	439.07	97.24
20.	तमिलनाडु	41.00	14.73	44.43
21.	पश्चिम बंगाल	19.00	36.80	83.48
22.	सिक्किम	0.06	—	—

1	2	3	4	5
23.	त्रिपुरा	1.01	—	1.57
24.	चंडीगढ़	0.20	0.19	1.85
25.	दिल्ली	7.50	39.30	80.79
26.	गोवा दमन और दीव	0.55	—	5.24
27.	गोवा	0.60	0.18	—
28.	अंडमान और निकोबार	0.20	—	—
29.	दादर और नगर हवेली	—	—	—
30.	लक्षद्वीप	—	—	—
31.	पांडिचेरी	0.83	—	0.78
	कुल :	474.17	679.60	680.12

विवरण-II

कम से कम एक शारीरिक अक्षमता वाले शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों की संख्या दर्शाने वाला विवरण।

* 1981 की जनगणना में जनसंख्या की प्रचलित दर के अनुसार।

** शारीरिक अक्षमता में (1) दृष्टि (2) श्रवण और/या वाणी, तथा (3) सचल विकलांगता शामिल है।

क्रम सं॰	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	विकलांग व्यक्तियों की संख्या (आंकड़े लाखों में)		
		ग्रामीण	शहरी	योग
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	9.96	2.22	12.18
2.	असम	1.48	0.16	1.64
3.	बिहार	11.46	1.16	12.62
4.	गुजरात	3.54	1.18	4.72
5.	हरियाणा	1.95	0.63	2.58
6.	हिमाचल प्रदेश	0.66	0.035	0.695
7.	जम्मू और कश्मीर	0.83	0.117	0.947
8.	कर्नाटक	5.00	1.42	6.42
9.	केरल	3.40	0.79	4.19
10.	मध्य प्रदेश	5.79	1.17	6.90
11.	महाराष्ट्र	6.78	2.59	9.37
12.	मणिपुर	0.075	0.018	0.093
13.	मेघालय	0.123	0.013	0.136
14.	नागालैंड	सर्वेक्षण नहीं किया गया	0.004	—
15.	उड़ीसा	5.03	0.456	5.486
16.	पंजाब	3.13	0.76	3.89
17.	राजस्थान	5.55	1.17	6.72
18.	तमिलनाडु	6.88	3.36	10.24
19.	त्रिपुरा	0.389	0.034	0.423
20.	सिक्किम	सर्वेक्षण नहीं किया गया	—	
21.	उत्तर प्रदेश	17.31	2.94	20.25

1	2	3	4	5
22.	पश्चिम बंगाल	6.50	1.394	7.89
23.	अंडमान और निकोबार	सर्वेक्षण नहीं किया गया	—	
24.	अरूणाचल प्रदेश	सर्वेक्षण नहीं किया गया	—	
25.	चंडीगढ़	0.0032	0.063	0.0662
26.	दादर और नगर हवेली	0.0105	सर्वेक्षण नहीं किया गया	—
27.	दिल्ली	0.085	0.55	0.635
28.	लक्षद्वीप	सर्वेक्षण नहीं किया गया	—	
29.	गोना दमन और द्वीव	0.114	0.0365	0.150
30.	मिजोरम	0.57	0.0111	0.068
31.	पांडिचेरी	0.095	0.101	0.196
	कुल :	96.201	22.38	118.58

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में तेल शोधक कारखाने की स्थापना

1422. **डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:**
कुमारी पुष्पा देवी सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या होशांगाबाद के निकट खिरकिया में तेल शोधक कारखाने की स्थापना के लिए उपयुक्त स्थान का चयन करने के लिए गठित स्थल चयन समिति ने स्थान का चयन कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वहां इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) मध्य भारत में 6 मि०मी० टन प्रतिवर्ष की रिफाइनरी के लिए उपयुक्त स्थान के विनिर्देशन हेतु एक स्थल चयन समिति का गठन किया गया है। समिति की स्पिोर्ट प्राप्त हो जाने के पश्चात इस संबंध में कोई दृष्टिकोण अपनाया जाएगा।

(ग) निवेश अनुमोदन के पश्चात समय कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा।

एल पी जी एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों का बिना बारी के आवंटन

1423. **श्री राजवीर सिंह:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सामान्य श्रेणी और आरक्षित श्रेणियों के व्यक्तियों को वर्ष 1991-92 के दौरान राज्य वार बिना बारी के आवंटित एल० पी० जी० एजेंसियों और पेट्रोल पम्पों की संख्या अलग-अलग कितनी है; और

(ख) इस प्रयोजन हेतु अपनाये गये मानदंडों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) वर्ष 1991-92 के दौरान सरकार द्वारा स्वविवेक आधार पर इक्हत्तर खुदरा बिक्री केन्द्र और साठ एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का आवंटन किया गया था। चूंकि स्वविवेक आवंटन अनुकम्पा के आधार पर किए जाते हैं, अतः राज्यवार आवंटन या आरक्षण का मुद्दा नहीं उठता।

[अनुवाद]

बिक्री कर विभाग द्वारा छापे

1424. **डा० रमेश चन्द तोमर:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली प्रशासन के बिक्री कर विभाग द्वारा 1991 के दौरान मारे गए छापों का ब्यौरा क्या है;

(ख) छापों के परिणामस्वरूप करवंचकों से कितनी धनराशि वसूल की गई; और

(ग) राजस्व की हानि को रोकने और कमियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) वर्ष 1991 के दौरान बिक्री-कर विभाग ने 1748 विक्रेताओं के व्यापार स्थलों का सर्वेक्षण किया / उन पर छापा मारा।

(ख) सर्वेक्षण / छापे के दौरान विक्रेताओं द्वारा समर्पित / जब्त किए गए आपत्तिजनक सामान को, विक्रेताओं के कर निर्धारण के लिए और यदि आवश्यक होता है तो जुर्माना लगाने सहित, पहले जमा की गई "रिर्टन" में बताए गए "टर्न ओवर" में वृद्धि के लिए भी प्रयोग किया जाता है;

(ग) उपायों में निम्नलिखित शामिल हैं:—

1. अब तक अपंजीकृत विक्रेताओं का पंजीकरण करना, जिससे कि वे अपने बिक्री-कर रिर्टन जमा करें;
2. सांविधिक प्रपत्रों के गलत उपयोग को रोकना और जब कभी इन फार्मों के गलत उपयोग का पता चले, उन्हें निरस्त करना;
3. बिक्री-कर अधिशेष की वसूली करने के लिए विक्रेताओं का सर्वेक्षण किया जाता है / उन पर छापे डाले जाते हैं और उनका अद्यतन मूल्यांकन किया जाता है;
4. बिक्री कर के बकाएदारों की पहचान करना; और
5. उन जाली विक्रेताओं के पंजीकरण-प्रमाण-पत्र निरस्त करना जो केवल कागजी व्यापार में लिप्त होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए ऐसे विक्रेताओं का अद्यतन मूल्यांकन करना कि वे अपनी लेखा में हेर-फेर न कर सकें।

केरल में स्वयंसेवी संगठनों को अनुदान

1425. **श्री थाइल जान अंजलोज:** क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल के कितने स्वयंसेवी संगठनों ने 1991-92 के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं के लिए अनुदान हेतु आवेदन किया है;

(ख) अब तक कितने आवेदन पत्रों पर निर्णय ले लिया गया है; और

(ग) कितने आवेदन पत्र अभी तक लम्बित हैं और इसके क्या कारण है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) 54

(ख) 49

(ग) 5, इन पांच स्वयंसेवी संगठनों में से तीन को अनुदान निर्मुक्त नहीं किया जा सका क्योंकि उन्होंने पात्रता संबंधी मानदण्ड पूरे नहीं किए थे। शेष दो को अनुदान निर्मुक्त नहीं किए गए क्योंकि वर्ष 1991-92 के दौरान निर्माण अनुदान की निमुक्ति पर प्रतिबंध था।

समेकित पशुधन विकास परियोजनाएं

1426. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में विदेशी सहायता से कुछ समेकित पशुधन विकास परियोजनाएं चलाई गई हैं;

(2) यदि हां, तो इन परियोजनाओं की स्थापना उड़ीसा के किन-किन स्थानों पर की गयी है; और

(ग) 1992-93 में उड़ीसा के किन-किन सथानों पर इन परियोजनाओं को शुरू करने का विचार है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) और (ख) जी हां, फिलहाल स्विस सहायता से उड़ीसा के गंजम जिले में पशुपालन विकास के लिए एक परियोजना क्रियान्वयन के अधीन है।

(ग) डेनिस सहायता से उड़ीसा के कोरापुट जिले में समन्वित पशुधन विकास हेतु एक परियोजना प्रस्ताव पर डेनिस प्राधिकारियों की मंजूरी की प्रतिक्षा की जा रही है। इस परियोजना के ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं।

पीपावाव गैस आधारित परियोजना के लिए गैस का आबंटन

1427. **श्री हरिन पाठक:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गुजरात में गैस पर आधारित पीपावाव परियोजना को दो वर्ष पूर्व स्वीकृति दे दी है;

(ख) क्या इस परियोजना हेतु गैस का आबंटन कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ग) ताप्ती अपतटीय क्षेत्रों के विकास की शर्त पर प्रस्तावित पीपावाव विद्युत परियोजना के लिए गैस का आबंटन करने हेतु सैद्धान्तिक रूप में एक निर्णय लिया गया है।

मात्स्यिकी प्रोद्योगिकी मिशन

1428. **श्री संदीपान भगवान थोरात:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोई मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) मात्स्यिकी के विकास, मछलियों के निर्यात और मात्स्यिकी प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना हेतु बनाई गयी योजनाओं के लिये आठवीं योजना में शामिल किये गये प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान देश में मछलियों का कुल कितना उत्पादन हुआ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी नहीं

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारत सरकार का निम्नलिखित कार्यक्रमों के तहत आठवीं योजना के दौरान मात्स्यिकी विकास हेतु राज्य सरकारों को सहायता देने का प्रस्ताव है:—

(1) बड़े और छोटे मत्स्यन बंदरगाहों तथा अवतरण केन्द्रों का निर्माण,

(2) तटीय समुद्री मात्स्यिकी का विकास;

(3) ताजे तथा खारे जल क्षेत्र में जल कृषि का विकास;

(4) अंतर्देशीय मत्स्य विपणन;

(5) अंतर्देशीय मात्स्यिकी सांख्यिकी का विकास;

(6) प्रशिक्षण और विस्तार; और

(7) तीन केन्द्रीय संस्थान, नामत।

(i) केन्द्रीय मात्स्यिकी नौचालन और इंजीनियरी प्रशिक्षण संस्थान, कोचीन,

(ii) समेकित मात्स्यिकी परियोजना, कोचीन,

(iii) केन्द्रीय तटवर्ती मात्स्यिकी इंजीनियरी संस्थान, बंगलौर के प्रचालन के अलावा, मछुआरों का कल्याण।

(घ) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुल मत्स्य उत्पादन निम्नवत है:—

(लाख मीटरी टन में)

वर्ष	मत्स्य उत्पादन
1989-90	36.77
1990-91	38.36
1991-92	41.41

सीलमपुर, दिल्ली में दंगे

1429. **श्री मोहन सिंह (देवरिया)**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में, मई 1992, में हुए दंगों के कारण कितनी सम्पत्ति की क्षति होने का अनुमान है;

(ख) इस संबंध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाये गये;

(ग) पीड़ित परिवारों/व्यक्तियों को अनुग्रह के रूप में कितनी राशि का भुगतान किया गया;

(घ) क्या प्रभावी ढंग से स्थिति को नियंत्रित करने में पुलिस की कथित असफलता सहित स्थिति के विभिन्न पहलुओं की छानबीन करने हेतु कोई जांच की गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस जांच के निष्कर्ष क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) प्रभावित व्यक्तियों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार लगभग 47.16 लाख रुपये की सम्पत्ति की क्षति आंकी गई है।

(ख) 105 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए और उनके खिलाफ मामले दर्ज किए गए।

(ग) 4 मृत व्यक्तियों के निकटतम संबंधियों को प्रत्येक को 50,000 रु० की दर से अनुग्रह राशि का भुगतान किया जा चुका है।

(घ) से (च) ऐसी कोई जांच नहीं की गई है।

दक्षिणी गैस ग्रिड

1430. **श्री विजय एन० पाटिल:**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृति गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) या अन्तर मंत्रालयीय ग्रुप ने इस दक्षिणी गैस ग्रिड की स्थापना के प्रश्न की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) से (ग) दक्षिणी गैस ग्रिड की संभाव्यता की जांच करने के लिए स्थापित दल की रिपोर्ट पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

[हिन्दी]

फलों और सब्जियों का निर्यात

1431. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय ताजे संसाधित फलों और सब्जियों का कुल कितनी मात्रा में निर्यात किया जा रहा है;

(ख) इन उत्पादों के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार का इस संबंध में कोई नई योजना बनाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) विवरण संलग्न है।

(ख) निर्यात-आयात नीति को सरल बनाने और सरकार द्वारा दिये गये विभिन्न निर्यात प्रोत्साहनों के अलावा कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेडा), भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड (नाफेड) जैसे संवर्धक निकायों को सरकार द्वारा फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया गया है। अपेडा के पास, जिसे फलों और सब्जियों के निर्यात को बढ़ाने के लिए विशेष रूप से उत्तरदायित्व सौंपा गया है, विपणन विकास, उत्पाद संवर्धन उन्नयन, पैकेजिंग सुधार आदि की अनेक स्कीमें हैं। सरकार ने अनेक योजना स्कीमें भी तैयार की हैं जिनके अंतर्गत प्रसंस्कृत फल एवं सब्जी उद्योग के विकास के लिए राज्य सरकार के उपक्रमों/संयुक्त सेक्टर उपक्रमों/सहकारिताओं/स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता दी जाती है। आठवीं योजना अवधि के दौरान इन स्कीमों का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

(ग) और (घ) अपेडा ने बागबानी उत्पादों के लिए निर्यात संवर्धन कार्यक्रम तैयार किया है। इस कार्यक्रम में बुनियादी सुविधाओं के विकास, निर्यात संवर्धन और बाजार विकास के लिए बड़ा पूंजी निवेश शामिल है।

विवरण

(मात्रा मीट्रिक टनों में
(रुपये करोड़ो में)

क्रम॰ सं॰	उत्पाद	निर्यात निष्पादन 1990-1991 मात्रा	मूल्य	निर्यात 1991-92 मात्रा	निष्पादन मूल्य
1.	फल, सब्जी और पुष्प उत्पाद	367570	217.29	500000	362.12
2.	प्रसंस्कृत फल एवं रस	39510	61.98	45000	88.37

[अनुवाद]

जनगणना 1991

1432. **श्री सैयद शाहबुद्दीन:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या महा पंजीयक ने 1991 की जनगणना के संबंध में धर्म और भाषा से संबंधित जनगणना के आंकड़े राज्यवार और जिलावार संकलित किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन आंकड़ों को कब प्रकाशित करने का कार्यक्रम है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ एम॰ जैकब) (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) धर्म और भाषा से संबंधित आंकड़ों की 1994 तक प्रकाशित होनी की संभावना है।

[हिन्दी]

प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम

1433. **श्री एन॰ जे॰ राठवा:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कौन-कौन से राज्य प्रशिक्षण और भ्रमण कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं;

(ख) इन कार्यक्रमों के अंतर्गत अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन कार्यक्रमों पर गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितना व्यय हुआ है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश , जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, और पश्चिम बंगाल अर्थात् 17 राज्यों में कृषि विस्तार की प्रशिक्षण और दौरा पद्धति शुरू की गई है। फिर भी राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—1, 2 और 3 के तहत जो कि विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजनायें हैं, वर्तमान में 12 राज्यों को सहायता दी जा रही है। शेष 5 राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में प्रशिक्षण और दौरा पद्धति राज्य क्षेत्र तक ही सीमित है।

(ख) और (ग) इन कार्यक्रमों के तहत 31-3-92 तक हुई प्रगति निम्न प्रकार है:—

(1) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—1—कुल 1171.182 मिलियन रुपये की परियोजना की तुलना में 1021.509 मिलियन रुपये खर्च कर दिये गये हैं।

(2) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—2—कुल 1065.90 मिलियन रुपये की परियोजना लागत में से 950.42 मिलियन रुपये खर्च कर दिये गये हैं।

(3) राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—3—कुल 2311.35 मिलियन रुपये की परियोजना लागत में से 1426.012 मिलियन रुपये खर्च कर दिये गये हैं।

इस कार्यक्रम के तहत पिछले तीन वर्षों के दौरान खर्च का राज्यवार ब्यौरा विवरण—I में दिया गया है।

विवरण

राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना 1,2 और 3 के तहत प्रशिक्षण और दौरा कार्यक्रमों पर 1989-90, 1990-91 और 1991-92 (मार्च, 1992 तक) खर्च का ब्यौरा

(रुपये मिलियन में)

कार्यक्रम / परियोजना का नाम	1989-90	1990-91	1991-92
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—1			
1. उत्तर प्रदेश	—	96.970	299.430
2. मध्य प्रदेश	09.919	40.284	96.229
3. उड़ीसा	19.800	48.500	4.630
4. राजस्थान	48.500	63.900	70.900
योग	78.219	249.654	471.189
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—2			
1. गुजरात	30.600	48.500	48.300
2. हरियाणा	25.300	23.600	17.400
3. जम्मू और कश्मीर	63.100	73.410	41.200
4. कर्नाटक	48.900	44.200	40.900
योग	167.90	189.71	147.800
राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना—3			
1. असम	38.80	62.90	45.100
2. हिमाचल प्रदेश	30.00	65.00	56.929
3. पंजाब	16.02	19.59	31.780
4. उत्तर प्रदेश	134.69	154.23	130.610
5 बिहार	17.19	15.82	90.220
योग	236.70	317.54	354.639

[अनुवाद]

पशु-प्रजनन फार्म

1434. **श्रीमती वसुन्धरा राजः** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में केन्द्रीय पशु-प्रजनन फार्म चल रहे हैं,

(ख) उन पशु-प्रजनन फार्मों की सातवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान उपलब्धियां क्या थीं;

(ग) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान राजस्थान में और अधिक पशु-प्रजनन फार्म खोले जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो उन्हें किन-किन स्थानों पर खोला जाएगा।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के०सी० लेंका): (क) सात केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म निम्नलिखित स्थानों पर कार्य कर रहे हैं;

1. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, हैस्सरघट्टा, बंगलौर उत्तरी (कर्नाटक)।

2. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अलमाधी, मद्रास (तमिल नाडु)।

3. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन, फार्म, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

4.केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, अंदेश नगर, जिला लखीमपुर, खीरी (उत्तर प्रदेश)।

5. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, धाम रोड, जिला सूरत (गुजरात)।

6. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा जिला सम्बलपुर (उड़ीसा)।

7. केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, सेमिलीगुडा, जिला कोरापुट (उड़ीसा)।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान, केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्मों ने, राज्य सरकारों तथा देश में विभिन्न गोपशु विकास एजेंसियों को, उनके गोपशु विकास कार्यक्रमों के लिए कुल 1048 उत्कृष्ट किस्म के प्रजनन सांड सप्लाई किए हैं। इन फार्मों ने, विभिन्न नस्लों के 190 सांडों का संतति परीक्षण किया है जिनमें से 21 को प्रमाणित सांड घोषित किया गया है। केन्द्रीय गोपशु प्रजनन फार्म, चिपलिमा तथा सूरतगढ़ गोपशुओं की दो मूल्यवान स्वदेशी नस्लों अर्थात् रेड सिन्धी तथा थारपरकर, के संरक्षण में लगे हुए हैं।

(ग) जी नहीं,

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

आठवीं योजना में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने संबंधी कार्यक्रम

1435. **श्री गोपीनाथ गजपतिः** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या गहरे समुद्र में मछली पकड़ने में कोई वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए;

(ग) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गहरे समुद्र में मछली पकड़ने विकास के संबंध में कोई कार्यक्रम तैयार किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) जी हां,।

(ख) सूचना संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ग) और (घ) सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए मार्च, 1991 में एक नई गहन समुद्री मात्स्यिकी नीति की घोषणा की थी। इस नीति के अंतर्गत गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम, भारतीय जल में परिचालन के लिए विदेशी मात्स्यिकी जलयानों को पट्टे पर लेना और परीक्षण मात्स्यिकी शामिल हैं इसके अलावा आठवीं योजना अवधि के दौरान कार्यान्वयन के लिए अनेक स्कीमें तैयार की गई हैं जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

विवरण—I

(1) स्वदेशी, आयातित और किराये पर लिये गये मात्स्यिकी जलयानों को उचित रूप से मिलाकर गहन समुद्री मात्स्यिकी बेड़े में वृद्धि करना।

(2) स्वदेश में निर्मित गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयानों की लागत पर 33% सब्सिडी का प्रावधान।

(3) शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड द्वारा आसान शर्तों पर ऋण सुविधा का प्रावधान

(4) भारतीय विशिष्ट आर्थिक जोन में मात्स्यिकी संसाधनों का व्यवस्थित एवं गहन सर्वेक्षण।

(5) बड़े और छोटे पत्तनों पर बंदरगाह सुविधाओं का बढ़ाना।

(6) समुद्री उत्पाद निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर डीजल और तेल की आपूर्ति

(7) विशिष्ट आर्थिक जोन में विदेशी जलयानों और क्षेत्रीय जल में भारतीय स्वामित्व वाले जलयानों द्वारा मात्स्यिकी का विनियमन।

(8) मात्स्यिकी जलयानों में तैनात करने के लिए गहन समुद्री मात्स्यिकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण।

विवरण—II

आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान गहन समुद्री मात्स्यिकी के विकास के लिए तैयार किये गये कार्यक्रमों का विवरण

(1) गहन समुद्री मात्स्यिकी और प्रसंस्करण में एक्विटी भागीदारी स्कीम।

(2) गहन समुद्री मात्स्यिकी जलयान खरीदने के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी देने की स्कीम।

(3) विविध प्रकार की मात्स्यिकी के लिए सहायता।

(4) टूना और दूसरी मछलियों के प्रसंस्करण के लिए स्कीम।

(5) राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना।

(6) कोल्ड चेन स्थापित करने की स्कीम।

(7) तटरक्षकों के लिए संचार-सुविधाओं की स्थापना हेतु फण्ड देकर भारतीय समुद्री जोन अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन की स्कीम।

दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की भर्ती

1436. **श्री गुरुदास कामत:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

क्या दिल्ली पुलिस में सिपाहियों की भर्ती के लिये पिछले वर्ष आयोजित लिखित भर्ती परीक्षा रद्द कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) अब परीक्षा कब आयोजित करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राजय मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) दिल्ली पुलिस के अनुसार कुछ समाचार पत्रों में लिखित परीक्षा में अनियमितताओं के संबंध में आरोप लगाया गया था; इसकी जांच की गई लेकिन प्रश्न पत्र के लीक होने के आरोप में सच्चाई नहीं पाई गई। फिर भी, परीक्षा के आयोजन में कुछ कमियां पाई गई, जिसके कारण इसको निरस्त करना आवश्यक हो गया।

(ग) लिखित परीक्षा अब दिनांक 19.7.92 को आयोजित की जाएगी।

दिल्ली में वृक्षारोपण

1437. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत तीन वर्षों के दौरान दिल्ली प्रशासन, डी०डी०ए० और दिल्ली नगर निगम जैसी विभिन्न सरकारी एवं अर्ध-सरकारी एजेंसियों ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए दिल्ली में वर्ष वार कितने वृक्ष लगाए और इस पर कितना खर्च हुआ।

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम/संख्या	संस्था का नाम	रोपित वृक्षों की संख्या			व्यय			टिप्पणी
		1989-90	1990-91 (हजारों में)	1991-92	1989-90	1990-91	1991-92	
1.	नई दिल्ली नगर पालिका	35	85	73	13.96	7.28	5.32	
2.	निदेशक (निर्माण कार्य) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग	230	249	169	वृक्षों का रोपण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के बागवानी विभाग का कार्य है और इसके लिए अलग से व्यय निर्धारित नहीं किया गया है।			
3.	दिल्ली विकास प्राधिकरण	884	1023	908	केवल वृक्षारोपण हेतु किये गये व्यय का विवरण उपलब्ध नहीं है। अधिकांश पौधे डी०डी०ए० में उगाये गए थे। नर्सरी/बीज का कार्य बागवानी कार्य पर लगाए गए विभागीय मजदूरों द्वारा किया गया।			
4.	लोक निर्माण विभाग (दिल्ली प्रशासन)	145	131	217	2.80	2.50	4.20	
5.	दिल्ली नगर निगम	950*	734*	653*	6.84*	12.81*	22.15*	

*वृक्षों में झाड़ियां भी शामिल

[हिन्दी]

उर्वरकों में मिलावट

1438. **श्री मृत्युंजय नायक:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उर्वरकों में बड़े पैमाने पर मिलावट है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष उर्वरकों में मिलावट करने के लिए राज्यवार कितने लोगों को दोषी पाया गया; और

(ग) उर्वरकों में मिलावट रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) सरकार को उर्वरकों में बड़े पैमाने पर मिलावट होने की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) वर्ष 1989-90 से 1991-92 के दौरान, मिलावटी/घटिया उर्वरकों को बिक्री के 17 मामलों की मिली रिपोर्ट इस प्रकार है:-

राज्य	मिलावटी/घटिया के रूप में सूचित किए गए मामलों की वर्षवार संख्या		
	1989-90	1990-91	1991-92
1. बिहार	—	1	2
2. मध्य प्रदेश	1	—	—
3. राजस्थान	—	1	—
4. उत्तर प्रदेश	1	—	—
5. दिल्ली	1	—	—
6. आन्ध्र प्रदेश	—	—	9

(ग) उर्वरकों में मिलावट रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण उपाय निम्नलिखित हैं:-

1. उर्वरक उत्पादन में गुणवत्ता मानकों को लागू करने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 के तहत राज्य सरकारों को अधिकार दिए गए हैं तथा उर्वरक निरीक्षक विधिवत् अधिसूचित किए गए हैं।
2. राज्य प्रवर्तन अधिकारियों और उर्वरक विश्लेषकों को केन्द्रीय उर्वरक गुणवत्ता नियंत्रण एवं प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद द्वारा प्रशिक्षण दिया गया है।
3. उर्वरकों के गुणवत्ता नियंत्रण हेतु सुविधाएं दी गई हैं।
4. गुणवत्ता नियंत्रण प्रवर्तन में सुधार लाने के लिए उर्वरक (नियंत्रण) आदेश में समय-समय पर संशोधन किया गया है।

[अनुवाद]

सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि का आवंटन

1439. **श्री प्रवीन डेका:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली में भूमि के आवंटन के लिए अभी भी प्रतीक्षारत सहकारी सामूहिक आवास सहकारी समितियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख) इन समितियों को भूमि कब से आवंटित नहीं की गई है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) पंजीयक, सहकारी समितियों ने सूचित किया है कि भूमि के आवंटन के लिए 1450 सामूहिक आवास समितियां प्रतीक्षारत हैं, जिसमें से 17 समितियां 1983 से पूर्व पंजीकृत की गई थी तथा शेष 1433 समितियां 1983 में और उसके बाद पंजीकृत की गई थीं।

(ग) 1990 में, दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 8वीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान द्वारका और नरेला क्षेत्रों में 400 सहकारी सामूहिक आवास समितियों को भूमि आवंटित करने का प्रस्ताव किया था। प्रथम चरण में द्वारका फेज-1 में 260 समितियों के लिए सैक्टर निर्धारित करने के लिए 21.1.91 को एक ड्रा निकाला गया था। तत्पश्चात 227 सामूहिक आवास समितियों को आवंटन एवं मांग पत्र जारी किए गए थे। 32 समितियों को मांग पत्र जारी नहीं किए गए थे क्योंकि उच्च न्यायालय के अंतरिम आदेशों के तहत भूमि आरक्षित की जानी थी। द्वारका फेज-1 में समितियों को भूमि का आवंटन उच्च न्यायालय द्वारा इसके दिनांक 10.5.91 के आदेश से रद्द किया गया था। उच्च न्यायालय के आदेशों के विरूद्ध एक विशेष अनुमति याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की गई है तथा मामला न्यायाधीन है।

शेष समितियों को अनुवर्ती पंचवर्षीय योजना/योजनाओं के दौरान भूमि आवंटित किए जाने का प्रस्ताव है।

1983 पूर्व की 12 समितियों तथा "आवास साकार योजना" के अंतर्गत पंजीकृत 9 समितियों को भूमि का आवंटन दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व-निर्धारित दरों को अंतिम रूप देने पर किया जाएगा।

सरकारी आवास अपने पास रखा जाना

1440. **श्री जीवन शर्मा**: क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेवानिवृत्त हो रहे सरकारी कर्मचारी/मृत सरकारी कर्मचारी के निकट संबंधी को सरकारी आवास को अपने पास रखे जाने की अनुमति दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या दिल्ली प्रशासन इत्यादि में कार्यरत मृतक का आश्रित/निकट संबंधी भी सरकारी आवास को अपने नाम पर नियमित कराने का पात्र है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) और (ख) सरकारी कर्मचारी, जो साधारण पूल वास का आवंटिती है, सेवा से सेवानिवृत्त होता है अथवा सेवाकाल के दौरान मर जाता है तो उसके पुत्र, पुत्री अथवा पत्नी या पति जैसी भी स्थिति हो अथवा पिता/माता को तदर्थ आधार पर साधारण पूल से वास आवंटित किया जा सकता है अथवा उसी मकान के नियमन लाभ की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि कथित संबंधी साधारण पूल में वास के आवंटन हेतु पात्र सरकारी कर्मचारी हो। यह निर्धारित शर्तों की पूर्ति के अध्यधीन है।

(ग) से (ङ) जैसा कि साधारण पूल रिहायशी वास पात्र कार्यालयों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए है, समान सुविधा दिल्ली प्रशासन के कर्मचारियों को प्रदान की जा रही है बशर्ते कि इनके पास साधारण पूल रिहायशी वास हो और उनके आश्रित एक पात्र कार्यालय में कार्यरत भी हों।

आन्ध्र प्रदेश में भूमिगत रेलवे

1441. **श्री आर० सुरेन्द्र रेड्डी:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंध्र प्रदेश में भूमिगत रेलवे की कोई योजना केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके लिए कौन से क्षेत्र को चुना गया है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस योजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य कब से शुरू हो जाने की संभावना है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे तेल का आयात

1442. **श्री डी० वेंकटेश्वर राव:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिन्होंने भारत को वर्ष 1992-93 के दौरान कच्चे तेल की आपूर्ति करने का आश्वासन दिया है; और

(ख) रूस सहित प्रत्येक देश द्वारा तेल की कितनी मात्रा की आपूर्ति किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) और (ख) वर्तमान आवधिक करारों/व्यापार प्रोटोकोल के अनुरूप अप्रैल, 1992 से मार्च, 1993 के दौरान भारत को आपूर्ति की जाने वाली कच्चे तेल की मात्रा निम्नवत् है:—

देश का नाम	मात्रा (मि०मी० टन में)
सऊदी अरब	5.0
ईरान	2.0
संयुक्त अरब अमीरात	1.0
कुवैत	4.0
मलेशिया	0.790
रूस (कैलेंडर वर्ष 1992 के लिए)	4.0

पहचान-पत्र जारी करना

1443. **श्री मनोरंजन भक्त:**
मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खंडूरी:
श्री जार्ज फर्नान्डीज:
श्री वी०एस० विजयराघवन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जहां 1991 और 1992 में अब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को पहचान पत्र वितरित किये गये हैं;

(ख) इन राज्यों में से प्रत्येक राज्य में पहचान पत्र जारी करने के लिए निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कितने पहचान पत्र बांटे गये;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार कुछ और राज्यों में इस योजना को लागू करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

(ङ) क्या हाल ही में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने उनसे इस संबंध में मुलाकात की थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) वर्ष 1991 और 1992 के दौरान राजस्थान और गुजरात में "पहचान पत्र" वितरित किए गए।

(ख) पहचान पत्रों के वितरण के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। फिर भी, मार्च, 1992 तक राजस्थान और गुजरात में क्रमशः 2.84 लाख और 67,000 पहचान पत्र वितरित किए गए।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ङ) और (च) जनवरी, 1992 में गृह राज्य मंत्री और त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के बीच पहचान पत्रों की योजना पर बातचीत हुई। यह सूचित किया गया कि योजना के कार्यान्वयन की रूपरेखा तैयार की जा रही है।

[हिन्दी]

अनिवासी भारतीयों द्वारा भवनों और भूखंडों की खरीद

1444. **श्री विश्वनाथ शास्त्री:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऐसी कोई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत अनिवासी भारतीय देश के विभिन्न भागों में भवन और भूखण्ड खरीद सकते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने अनिवासी भारतीयों का ध्यान आकर्षित करने तथा इस योजना का प्रचार करने हेतु विदेशी समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया है;

(घ) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या है जहां पर समाचार पत्रों में ये विज्ञापन दिए गए है; और

(ङ) इन विज्ञापनों पर कितनी धनराशि खर्च की गई है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) और (ख) जी नहीं। किन्तु अनिवासी भारतीय नागरिकों को भारत में अचल सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के लिये भारतीय रिजर्व बैंक की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। हां, भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों के लिये ऐसी सम्पत्ति के क्रय-विक्रय के लिये विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियमन (फैरा), 1973 की धारा 31(1) के अधीन इस बैंक की अनुमति लेना आवश्यक है। रिजर्व बैंक ने भारतीय मूल के विदेशी नागरिकों को उपर्युक्त उपबन्धों के अधीन जनवरी, 1992 में भारत में अचल सम्पति के अधिग्रहण, धारण, अन्तरण तथा क्रय-विक्रय की आम अनुमति उस शर्त के साथ प्रदान की है, कि खरीद द्वारा अधिग्रहण के प्रसंग में ऐसी सम्पति क्रेता के वास्तविक रिहायशी उपयोगार्थ के लिए होगी तथा कीमत का भुगतान सामान्य बैंकिंग व्यवस्था के माध्यम से प्रत्यक्ष विदेशी मुद्रा में अथवा भारत के बैंकों में क्रेता के अनिवासी वैदेशिक (एन आर ई)/विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफ सी एम आर)/एफ सी एन आर विशेष खाते में जमा राशि से किया जायेगा। उपर्युक्त के अनुसार अचल सम्पति के क्रय-विक्रय की अनुमति केवल अप्रत्यावर्तन आधार पर है। सम्पति से होने वाली कोई आय अथवा यदि किसी बाद की तारीख में बेचे जाने पर होने वाली बिक्री-आय, अथवा ऐसी धनराशि के निवेश पर होने वाली आय को भविष्य में भी कभी भारत से बाहर भेजने की अनुमति नहीं होगी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

गहरे सागर में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम

1445. **श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक:**
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री एन० डेनिस:

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार को गत एक वर्ष के दौरान प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जिनमें गहरे सागर में मछली पकड़ने के लिए संयुक्त उद्यम परियोजनाएं स्थापित करने संबंधी प्रस्ताव हैं;

(ख) सरकार ने कौन-कौन से प्रस्तावों को मंजूरी दी है;

(ग) शेष प्रस्तावों के लम्बित पड़े रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) गहरे सागर में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए सरकार को पिछले एक वर्ष के दौरान 14 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनमें से 11 प्रस्ताव मंजूर किये गये हैं, एक प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया है और आशय-पत्र/अनुमति पत्र जारी किया गया है। प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) गहरे सागर में मछली पकड़ने हेतु संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिए लम्बित पड़े दो प्रस्तावों की जांच की जा रही है और निर्णय हेतु उन्हें गहन समुद्री मात्स्यिकी पर सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की अगली बैठक के समक्ष रखा जाएगा।

विवरण

गहन समुद्री मात्स्यकी में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के लिये कंपनियों से प्राप्त प्रस्तावों की सूची और प्रत्येक प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति।

क्रम सं०	कंपनी का नाम	आवेदन पत्र प्राप्ति की तारीख	वर्तमान स्थिति
1.	मै० सी० एम० ट्रेडिंग कं० लि०, कलकत्ता	मई, 1991	स्वीकृत
2.	मै० रीक्स बॉदन कं० लि०, नई दिल्ली	जुलाई, 1991	स्वीकृत
3.	मै० हाई० सी० फिशरीज लि०, नई दिल्ली	अगस्त, 1991	अस्वीकृत
4.	मै० सोथिन सी० फूड लि०, नई दिल्ली	दिसम्बर, 1991	स्वीकृत
5.	मै० चाइका एक्सपोर्ट्स नई दिल्ली	जनवरी, 1992	स्वीकृत
6.	मै० बोएंसी, नई दिल्ली	जनवरी, 1992	स्वीकृत
7.	मै० सी० जॉय फिशरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	फरवरी, 1992	स्वीकृत
8.	मै० इको फिशरीज प्रा० लि०, नई दिल्ली	फरवरी, 1992	स्वीकृत
9.	मै० इंदमार एक्वाटिक प्रा० लि०, नई दिल्ली	मार्च, 1992	विचाराधीन
10.	मै० इंदमार सी फूड प्रा० लि०, नई दिल्ली	मार्च, 1992	विचाराधीन
11.	मै० इंदमार फिशरीज लि०, नई दिल्ली	नवम्बर, 1991	स्वीकृत
12.	मै० के० एस० के० फिशरीज लि०, कलकत्ता	अप्रैल, 1992	स्वीकृत
13.	मै० इंडियन फिशरीज लि०, नई दिल्ली	फरवरी, 1992	स्वीकृत
14.	मै० ओरियन्टल हाई सी फिशरीज लि०, विशाखापत्तनम	अप्रैल, 1992	स्वीकृत

पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड भूमि में बदलना

1446. **श्री श्रवण कुमार पटेल:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को पट्टे की भूमि को फ्री होल्ड भूमि में बदलने की प्रक्रिया में बहुत अधिक लागत आने के खिलाफ कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गई?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) से (ग) सरकार द्वारा दिल्ली में लीज होल्ड भूमि का फ्री होल्ड में परिवर्तन से सम्बन्धित आदेशों के जारी करने के परिणाम स्वरूप परिवर्तन शुल्क की गणना करने के लिए सूत्र में परिवर्तन और उसमें कटौती करने हेतु अनेक अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। चूंकि लीज होल्ड से फ्री होल्ड के बारे में सरकार द्वारा फरवरी, 1992 में जारी किये गये संशोधित आदेशों में विगत में किये गये इसी प्रकार के विभिन्न अभ्यावेदनों को ध्यान में रखा गया है और परिवर्तन प्रभारों के लिये सूत्र में उपयुक्त समायोजन पहले ही शामिल कर दिये गये हैं और तथा 1.4.1987 से 31.3.1989 तक यथा प्रभावित भूमि दरों को लागू करने के लिए रियायतें इन आदेशों में दी गई हैं। देय परिवर्तन प्रभारों में और कटौती करने का सरकार का कोई विचार नहीं है। तथापि, फ्लैटों और 150 वर्ग मीटर से छोटे प्लाटों के लिए परिवर्तन प्रक्रिया वैकल्पिक बनाने के लिए वर्तमान में एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

[हिन्दी]

राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु बिहार के लंबित पड़े विधेयक

1447. **श्री ललित उरांव:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार विधान सभा द्वारा पारित उन विधेयकों का ब्यौरा क्या है जो राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु केन्द्र सरकार के पास लंबित पड़े हैं और कब से; और

(ख) इन विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) बिहार विधान सभा द्वारा पारित निम्नलिखित विधेयक, राष्ट्रपति के विचारार्थ तथा स्वीकृति के लिए उनके सामने दर्शायी गई तारीखों को प्राप्त हुए:—

विधेयक	प्राप्ति की तारीख
I. बिहार ऋण राहत (संशोधन) विधेयक, 1987	6.10.1987
II. मोटर वाहन (बिहार संशोधन) विधेयक, 1988	17.2.1988
III. बिहार वाहन कराधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1991	10.9.1991
IV. बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1991	1.10.1991
V. झारखंड क्षेत्र विकास परिषद, विधेयक, 1991	5.2.1992

(ख) सभी विधेयकों पर विचार किया गया है तथा बिहार सरकार से कुछ स्पष्टीकरण मांगे गए हैं, जिनके आने की प्रतीक्षा की जा रही है। जैसे ही राज्य सरकार स्पष्टीकरण भेज देगी, राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए बिलों पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

[अनुवाद]

केरल में तेल और प्राकृतिक गैस की खोज

1448. **श्री थाइल जान अंजलोज:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आयल इंडिया लिमिटेड ने केरल में किन-किन स्थानों पर तेल और प्राकृतिक गैस की खोज का कार्य शुरू किया है; और

(ख) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री वी० शंकरानन्द): (क) आयल इंडिया लिमिटेड ने केरल के किसी भी भाग में तेल और प्राकृतिक गैस का अन्वेषण कार्य हाथ में नहीं लिया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

दालों का उत्पादन

1449. **श्री के० पी० सिंह देव:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में केन्द्र द्वारा प्रायोजित सघन दाल विकास योजना कार्यान्वित की जा रही है;

(ख) उड़ीसा के कौन-कौन से क्षेत्र अब तक इस कार्यक्रम के अंतर्गत लिए गए हैं; और

(ग) इस योजना के अंतर्गत अब तक दाल की कौन-कौन सी किस्में विकसित की गयी हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) राष्ट्रीय दलहन विकास कार्यक्रम 26 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों नामतः आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अरूणाचल प्रदेश, गोवा, दिल्ली और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में क्रियान्वित किया जा रहा है।

(ख) इस कार्यक्रम में उड़ीसा से सात जिले, अर्थात् कोरापुट, धनकनाल, बालासौर, बोलांगीर, पुरी, गंजम और कटक शामिल किए गए हैं।

(ग) उड़ीसा के लिए सिफारिश की गई दालों की किस्में इस प्रकार हैं:—

फसल	किस्में
मूंग	के-851, पी०डी०एम०-54, पी०एस० 16, पंत-2, पूसा-105, सी० ओ०-4.
उड़द	टी०-9, पंत-4-30, एल०बी०जी०-17, पी०डी० के०-1
अरहर	आई०सी०पी०एल०-87, यू०पी०ए०एस०-120, टी०-21, सी-11
चना	एच-208, अन्नेगिरि
मटर	रचना, डी०एम० आर०-11

पशुपालन

1450. **मोहम्मद अली अशरफ फातमी:** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार सरकार ने राज्य में पशुपालन के विकास हेतु केन्द्र सरकार को कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है; और

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान बिहार में पशुपालन के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के० सी० लेंका): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) केन्द्रीय सरकार ने पिछले तीन वर्षों (1989-92) के दौरान बिहार राज्य में पशुपालन के विकास हेतु 263.41 लाख रुपये की धनराशि निर्मुक्त की है।

मिट्टी के तेल के कोटे में वृद्धि

1451. **डा० लक्ष्मी नारायरण पाण्डेय:** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिट्टी के तेल का पर्याप्त कोटा मिल रहा है; और

(ख) यदि नहीं, तो मध्य प्रदेश और राजस्थान को मिट्टी के तेल का अधिक कोटा देने के लिए केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मिट्टी के तेल का आवंटन पूर्ववर्ती आधार पर किया जाता है।

(ख) किसी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के आवंटन में वृद्धि का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

महानगरों की ओर प्रव्रजन

1452. **श्री विजय एन० पाटील:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली, कलकत्ता, मुम्बई और मद्रास महानगरों के संबंध में नवीनतम जनगणना आंकड़ों के आधार पर प्रव्रजन करने वालों की कोई सूची तैयार की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इन चारों शहरों में से प्रत्येक शहर में अनुमानित कितना वार्षिक प्रव्रजन होता है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

दिल्ली में महिला चोर

1453. **श्री राजवीर सिंह**: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष दिल्ली में विभिन्न रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों तथा अन्य महत्वपूर्ण थानों पर चोरी के मामलों में पकड़ी गई महिलाओं की संख्या कितनी है;

(ख) उनके पास जब्त की गई वस्तुओं का मूल्य कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार महिला चोरों को पकड़ने हेतु विशेष दस्ते तैनात करने का है;

(घ) यदि हां, तो कब तक; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) और (ख) दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 1989, 1990, 1991 और 1992 (दिनांक 30.6.92 तक) के दौरान पकड़ी गई महिला चोरों की संख्या और उनसे जब्त किए गए सामान की संख्या जिला-वार, संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) और (घ) इस समय सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ङ) इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए बस स्टापों, बसों और दूसरी महत्वपूर्ण जगहों पर महिला कांस्टेबलों द्वारा गश्त बढ़ा दी गई है। दिल्ली परिवहन निगम की बसों में यात्रा करने वाले पुलिस कर्मियों को भी ऐसी महिला चोरों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं।

विवरण

जिलेवार मामले, जिनमें वर्ष 1989, 1990, 1991 तथा 1992 (30-6-92 तक) के दौरान महिला चोर गिरफ्तार की गई।

	जिले का नाम	गिरफ्तार की गई महिला चोर		बरामद की गई मदों का मूल्य
1989	पश्चिम	9	2,665/- रु०	(घरेलू वस्तुएं बटुआ आदि)
	उत्तर-पूर्व	2	30,027/- रु०	(गहने तथा कपड़े)
	दक्षिण-पश्चिम	27	1,85,232/- रु०	(कपड़े, सोना, वी सी आर आदि)
	उत्तर-पश्चिम	5	9,700/- रु०	(नकदी, साड़ी, पैस आदि)
	उत्तर	3	471/- रु०	(कपड़े तथा एक थैला)
	पूर्वी	शून्य	शून्य	
	केन्द्रीय	22	32,800/- रु०	(नकदी, कपड़े आदि)
	दक्षिण	20	1,55,200/- रु०	(नकदी, सोने की जंजीर, सूट, बटुआ, वी सी आर, टू-इन-वन, सोने के कर्णफूल)
	नई दिल्ली	21	97,000/- रु०	(बटुआ, वी सी आर, टू-इन-वन, सोने के जेवरात आदि)
	अपराध तथा रेलवे	8	330/- रु०	(बटुआ)
	इंदिरा गांधी	शून्य	शून्य	
	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	———		
	कुल	117		
		———		

	जिले का नाम	गिरफ्तार की गई महिला चोर		बरामद की गई मदों का मूल्य
1990	पश्चिम	20	9,220/- रु०	(सोने की जंजीर, कपड़े आदि)
	उत्तर-पूर्व	5	14,000/- रु०	(सोने की जंजीर तथा कपड़े)
	दक्षिण-पश्चिम	14	20,665/- रु०	(साइकिल नकदी, सोने के कर्णफूल/टोप्स तथा पुराने लोहे के टुकड़े)
	उत्तर-पश्चिम	6	4,300/- रु०	(सोने का लोकेट, बिस्कुट, कपड़े तथा नकदी)
	उत्तर	14	19,700/- रु०	(तांबे की तार, नकदी, कपड़े, बिजली का सामान और एक चांदी की पैजेब)
	पूर्वी	शून्य	शून्य	
	केन्द्रीय	29	24,500/- रु०	(चांदी के जेवरात, नकदी, कपड़े)
	नई दिल्ली	16	15,000/- रु०	(नकदी, कैमरा, साड़ी, सोने की चेन, कान की बाली, इत्यादि)
	दक्षिण	25	3,74,500/- रु०	(साड़ी, बटुआ, कैमरा, टी वी, वी सी आर, कपड़े नकदी, टू-इन-वन, तार सोने के आभूषण इत्यादि)
	अपराध तथा रेलवे	4	148/- रु०	(बटुआ)
	इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	1	5,000/- रु०	(सूटकेस)
	कुल	134		
1991	पश्चिमी	30	46,022/- रु०	(नकदी, सोने के घरेलू आभूषण, कपड़े विद्युत मोटर, पीतल, बटुआ इत्यादि)
	उत्तर-पश्चिम	9	9,500/- रु०	(सोने की जंजीर, प्लास्टिक की बाल्टी, चांदी की पाजेब, तथा कपड़ा)
	दक्षिण-पश्चिम	11	9,813/- रु०	(नकदी, टेपरिकार्डर, घड़ी, कपड़े, विद्युत मशीन)
	उत्तर-पश्चिम	24	66,700/- रु०	(सोने की चेन, कपड़े, नकदी, विद्युत तार, इत्यादि)
	उत्तर	15	20,270/- रु०	(सोना, कपड़े, गुलदस्ता तथा नकदी)
	पश्चिम	शून्य	शून्य	
	केन्द्रीय	9	3,450/- रु०	(पीतल, कपड़े, नकदी और सोने की चेन)
	दक्षिणी	24	93,000/- रु०	(सोने की चेन, कपड़े, सूट, कान की बाली, कारपेट, कैमरा, कंगन इत्यादि)
	नई दिल्ली	13	16,800/- रु०	(बटुआ, कैमरा, सोने की अंगूठी, कारपेट इत्यादि)
	अपराध तथा रेलवे	4	1,160/- रु०	(बटुआ और कपड़े)

जिले का नाम	गिरफ्तार की गई महिला चोर	बरामद की गई मदों का मूल्य
इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	शून्य	शून्य
कुल 1992 30-6-92 तक	139	
पश्चिम	11	3,206/-रु० (कपड़े, जूते, पर्स, नकदी आदि)
उत्तर पूर्व	4	1,460/-रु० (सोने की नथ और नकदी)
दक्षिण-पश्चिम	10	1,08,365/-रु० (बिजली का सामान, कार, इस्तरी तथा नकदी)
उत्तर पश्चिम	10	15,500/-रु० (सोने की चेन, कपड़े और कलपुर्जे)
उत्तर	1	1,500/-रु० (एल्यूमिनियम प्लेट)
पूर्व	3	2,000/-रु० (सोने की चेन)
केन्द्रीय	2	2,000/-रु० (सोने की चेन)
दक्षिण	29	22,700/-रु० (टू-इन-वन, सोने की चेन, पर्स, कपड़े आदि)
नई दिल्ली	11	39,050/-रु० (कैमरा, जेकेट, नकदी, आभूषण आदि)
अपराध तथा रेलवे	4	32,080/-रु० (कपड़े, पर्स, सोने के गहने)
इंदिरा गांधी अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा	शून्य	शून्य
कुल	85	

सोयाबीन से शीतल पेय

1454. **श्रीमती सुमित्रा महाजन:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इस समय राज्यवार कितने एकक सोयाबीन से शीतल पेय तैयार कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार सरकारी क्षेत्र में भी ऐसे एकक स्थापित करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) सोयाबीन से शीतल पेय तैयार करने के लिए सरकार द्वारा मंजूर किये गये यूनिटों की संख्या इस समय निम्नलिखित है:—

1. मध्य प्रदेश	2
2. उत्तर प्रदेश	1

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

डी०डी०ए० की दुकानों की नीलामी

1455. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि डी०डी०ए० ने अपने द्वारा बनाई गई दुकानों के आवंटन हेतु अगस्त 1987 से कोई नीलामी नहीं की है;

(ख) डी०डी०ए० द्वारा कितनी दुकानें सार्वजनिक नीलामी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रक्रिया द्वारा आंवटित की गई है;

(ग) अप्रैल 1987 को कितनी दुकानें आवंटन हेतु उपलब्ध थी और कितनी अतिरिक्त दुकानें 1 अप्रैल 1987 से 31 मार्च 1992 की अवधि के दौरान आवंटन के लिए उपलब्ध हुई;

(घ) इस अवधि के दौरान कितनी दुकानें आवंटित की गई;

(ङ) उक्त अवधि के दौरान कितनी दुकानों का आवंटन डी०डी०ए० अथवा मंत्रालय के स्वविवेक पर समुचित प्रक्रिया का अनुसरण न करके बिना बारी के किया गया; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सामान्य प्रक्रिया से हटने के कारण क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 1.4.87 से 31.3.92 तक की अवधि के दौरान नीलामी के माध्यम के अलावा 1208 दुकानें आवंटित की गई थीं।

(ग) 1.4.87 की स्थिति के अनुसार 667 दुकाने उपलब्ध थी और 1.4.87 से 31.3.92 तक आवंटन के लिए 4770 दुकानें उपलब्ध थीं।

(घ) 1.4.87 से 31.3.92 तक की अवधि के दौरान निलामी अथवा अन्य प्रकार से 3568 दुकानें आवंटित की गई थीं।

(ङ) और (च) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचित किया है कि दुकानों के आवंटन हेतु कोई पंजीकरण स्कीम नहीं है। अतः दुकानों के बिना-बारी आधार पर आवंटन का प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

ऐलकोहॉल ऊर्जा

1456. **श्री एन० जे० राठवा:**

श्री नवल किशोर राय:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ऐलकोहॉल ऊर्जा का उत्पादन करने का है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस योजना को अंतिम रूप कब तक दिये जाने की संभावना है और इस पर कुल कितना व्यय होगा;

(घ) ऐलकोहॉल ऊर्जा के उत्पादन के परिणामस्वरूप पेट्रोल तथा पेट्रोलियम उत्पादों के आयात में कुल कितनी कमी आयेगी और कितनी विदेशी मुद्रा की बचत होगी; और

(ङ) ऐलकोहॉल ऊर्जा का उत्पादन किन-किन स्थानों पर आरंभ किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द): (क) से (ङ) पेट्रोल के साथ 3% ऐलकोहल (मिथानोल) के मिश्रण की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता की जांच करने और पेट्रोल के विकल्प के रूप में मिश्रित उत्पाद के प्रयोग से संबंधित संभाव्य प्रचालनगत समस्याओं के निवारण के लिए अध्ययन और परीक्षण किए जा रहे हैं। तथापि, उपर्युक्त के अतिरिक्त इसका वाणिज्यीकरण ऐलकोहल की लगातार उपलब्धता पर निर्भर करेगा। अतः इस संबंध में पुनः कोई विवरण देना समयपूर्ण होगा।

[अनुवाद]

मत्स्यन परियोजनाएं

1457. **श्रीमती वसुन्धरा राजे**: क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में देश में दस प्रमुख मत्स्यन परियोजनाओं की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च होगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) से (ग) भारत सरकार ने देश में केवल छः बड़े मत्स्यन पत्तनों को अब तक मंजूरी दी है। इसका विवरण नीचे दिया गया है:—

प्रमुख मत्स्यन बन्दरगाहों के नाम	मंजूरी की तारीख	कुल लागत (रुपये लाख में)	वर्तमान स्थिति
रायलौक	जनवरी, 1971	300	चालू
कोचिन	मई, 1971	494	चालू
मद्रास	अगस्त, 1973	1297	चालू
विशाखापत्तनम	नवम्बर, 1978	1565	चालू
ससून डॉक	मार्च, 1977	825	निर्माणाधीन
पारादीप	फरवरी, 1990	2834	निर्माणाधीन

उड़ीसा में काजू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

1450. **श्री गोपी नाथ गजपति**: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राज्य में काजू और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए उड़ीसा सरकार और निजी क्षेत्र के प्रतिवेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या निर्णय लिया गया है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) और (ख) जुलाई, 1991 से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना हेतु औद्योगिक लाइसेंस अथवा सहायता प्राप्त करने के लिए उड़ीसा सरकार के साथ-साथ निजी सेक्टर से कुल 26 प्रस्ताव प्राप्त हुए थे। सहायता मांगने वाले आठ प्रस्तावों में से तीन को मंजूर कर लिया गया है, सहायता रिलीज कर दी गई है और शेष प्रस्तावों पर कार्यवाही आरंभ कर दी गई है। औद्योगिक लाइसेंस के आवेदन-पत्रों पर भी कार्यवाही आरंभ कर दी गई है।

डी०डी०ए० में फ्लैटों/भू-खंडों के लिए पंजीकरण

1459. **श्री प्रवीन डेका:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भूमि/फ्लैट के आवंटन हेतु डी०डी०ए० द्वारा पंजीकरण कब से बंद किया गया है; और

(ख) उन योजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके अंतर्गत सरकार का पंजीकृत व्यक्तियों को भूमि/फ्लैट आवंटित करने कर विचार है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) अम्बेडकर आवास योजना, 1989 के पश्चात दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा कोई नई पंजीकरण योजना नहीं चलाई गई है।

(ख) पंजीकरण व्यक्तियों को प्लाट/फ्लैट मुहैया करने के लिए निम्नलिखित परियोजनाएं/योजनाएं चालू है:—

1. रोहिणी
2. द्वारका
3. नरेला
4. जसोला
5. धीर पुर

आवंटन से पूर्व सरकारी क्वाटरों का नवीकरण

1460. **श्री जीवन शर्मा:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्वार्टर का अगले आवंटी को आवंटित करने से पूर्व उसको रहने योग्य नहीं बनाया जाता है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ग) उसे आवंटित करने से पूर्व रहने योग्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) केवल रहने योग्य सरकारी वास, आबंटन के लिए रिलीज किया जाता है और अगले आवंटी द्वारा कब्जा लेने से पूर्व भी यह सुनिश्चित किया जाता है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषि को उद्योग का दर्जा

1461. **श्री मृत्युंजय नायक:**
श्री श्रवण कुमार पटेल:
श्री बारे लाल जाटव:
डा० आर० मल्लू:

क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि को उद्योग का दर्जा देने के संबंध में अंतिम निर्णय ले लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) कृषि को उद्योग के रूप में घोषित करने के लिए फिलहाल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कश्मीर घाटी में अफगान गुरिल्ला

1462. **श्री गुरुदास कामत:**
श्री सनत कुमार मंडल:
श्री मोहन रावले:

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कश्मीर के आतंकवादियों की सहायता के लिए कुछ अफगान गुरिल्ला कश्मीर घाटी में घुस आये है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) हाल ही में सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ों में ऐसे कितने गुरिल्ला मारे गए; और

(घ) सरकार नई समस्या से किस प्रकार निपटेगी?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) इस आशय की कोई पक्की रिपोर्ट नहीं है कि अफगान गुरिल्ला, आतंकवादी और तोड़-फोड़ की गतिविधियां करने के उद्देश्य से कश्मीर घाटी में चोरी छिपे घुस आए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) शून्य

(घ) आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों को रोकने के लिये सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई है तथा आसूचना अभियानों को और तेज कर दिया गया है।

सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों का आवंटन

1463. **श्री मदन लाल खुराना:** क्या **शहरी विकास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति से दो वर्ष पूर्व दिल्ली विकास प्राधिकरण के (डी०डी०ए०) फ्लैट प्राथमिकता आधार पर आवंटित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या करण हैं?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम): (क) से (ग) बिना बारी के दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों के आवंटन के बारे में मार्ग निर्देशों की पुनरीक्षा की जा रही है और उसके पश्चात् अंतिम रूप दिये जाने की आशा है।

पूछताछ के लिये व्यक्ति

1464. **श्री सैयद शाहाबुद्दीन:** क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूछताछ किये जाने वाले व्यक्ति की पूछताछ से पहले और उसके बाद में चिकित्सीय जांच की जाती है; और

(ख) क्या पूछताछ के दौरान उसे जो स्थायी अथवा अस्थायी चोट पहुंचती है उसके लिये उसे कोई मुआवजा दिया जाता है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) यदि कोई व्यक्ति औपचारिक रूप से गिरफ्तार है तो दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 53 और 54 लागू होती। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 53 में पुलिस अधिकारी के अनुरोध पर आरोपी का परीक्षण किसी चिकित्सक से कराये जाने का प्रावधान है। दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 54 में गिरफ्तार व्यक्ति के अनुरोध पर उसका परीक्षण किसी चिकित्सक से कराये जाने का प्रावधान है।

(ख) दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 में, दुर्व्यवहार के कारण हुये किसी नुकसान या उसे पहुंची किसी चोट के लिये, इसके शिकार व्यक्ति को क्षति-पूर्ति के भुगतान का प्रावधान है, जब यह क्षति पूर्ति किसी सिविल कोर्ट में वसूल की जानी हो। संवैधानिक रूप से सरकार किसी भी क्षति-पूर्ति के भुगतान के लिये बाध्य नहीं है।

[हिन्दी]

केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा

1465. **श्री एन० जे० राठवा:**
श्री विलास मुत्तेमवार:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र सरकार के प्रतिष्ठानों की सुरक्षा हेतु क्या उपाय किये गये हैं/किये जा रहे हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): सरकारी औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर संरक्षा और सुरक्षा के लिये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का गठन किया गया है। इस बल को औद्योगिक उपक्रमों में, संबद्ध उपक्रमों के अनुरोध पर और निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद तैनात किया जाता है।

[अनुवाद]

यंत्रीकृत मत्स्यन पर प्रतिबंध

1466. **श्रीमती वसुन्धरा राजे:** क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यंत्रीकृत मत्स्यन पर प्रतिबंध लगाने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य वस्तुओं का प्रसंस्करण

1467. **श्री प्रबीन डेका :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अदरक, हल्दी, अन्नानास और संतरे जैसी खाद्य वस्तुओं जिनका पूर्वोत्तर राज्यों में बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है, के प्रसंस्करण हेतु केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार इस क्षेत्र के विकास हेतु निकट भविष्य में ऐसा सर्वेक्षण करने पर विचार कर रही है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो): (क) से (घ) केन्द्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर, और मै० एग्रो हॉर्टीकल्चर सर्विसेज, नई दिल्ली द्वारा तैयार की गई दो

रिपोर्टें अर्थात् "उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कृषि बागवानी संसाधनों के उपयोग पर संभाव्यता रिपोर्ट और उत्तर पूर्वी क्षेत्र में बागवानी (1990-2015) का एकीकृत विकास" उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम (नेरामक) को प्राप्त हुई हैं। इन रिपोर्टों में अदरक, हल्दी, अनन्नास, संतरा आदि सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के विभिन्न बागबानी उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन का सुझाव दिया गया है और नेरामक द्वारा इनकी जांच की जा रही है।

पाकिस्तान द्वारा विद्रोही गतिविधियों को शह देना

1468. **श्री मनोरंजन भक्त:**
श्री जार्ज फर्नान्डीज :
श्री शरद यादव :

क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोही गतिविधियों को शह देने में पाकिस्तान की कोई भूमिका है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है / करने का विचार है;

(ग) क्या सरकार ने बंगलादेश में विभिन्न विद्रोही गुटों के किन्ही प्रशिक्षण शिविरों का पता लगा लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰एम॰ जैकब): (क) से (ख) रिपोर्टों से पता चलता है कि पाकिस्तान और उत्तर-पूर्वी राज्यों में कुछ विद्रोही ग्रुपों के बीच सम्पर्क है। सरकार इस मामले को अनेक अवसरों और विभिन्न स्तरों पर पाकिस्तान सरकार के ध्यान में लायी है, जिसने इससे इंकार किया है।

(ग) से (ङ) रिपोर्ट के अनुसार उत्तर-पूर्वी राज्यों के भारतीय विद्रोहियों / उग्रवादी ग्रुपों के शिविर बंगलादेश में होने की बात सरकार के ध्यान में आई है। यह मामला बंगलादेश सरकार के ध्यान में लाया गया है। जो उपलब्ध कराए गए साक्ष्यों की जांच करने पर सहमत हो गयी है।

दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992

1469. **श्री संदीपान भगवान थोरात** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध और दुग्ध उत्पाद आदेश, 1992 के अंतर्गत पूरे देश में दुग्ध और दुग्ध उत्पादों की सप्लाई और वितरण नियमित कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस आदेश को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के॰ सी॰ लेंका): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने पशुपालन और डेरी विभाग, कृषि मंत्रालय के संयुक्त सचिव (डेरी विकास) को आदेश के सामान्य क्रियान्वयन के लिए नियंत्रक नियुक्त किया है।

भारत में शरणार्थी

1470. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय भारत में कितने शरणार्थी हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को इन शरणार्थियों को अपने मूल देश में वापस जाने हेतु राजी करने के निर्देश जारी किये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय भारत में लगभग 3,22,975 शरणार्थी हैं।

(ख) और (ग) शरणार्थियों को अपने देश वापस जाने के लिए राजी करना सरकार की नीति है। तथापि, तिब्बती शरणार्थियों को भारत में ठहरने की अनुमति दी गई है।

जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद

1471. **श्री श्रवण कुमार :**
श्री पवन कुमार बंसल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद की स्थिति के बारे में केन्द्रीय सरकार द्वारा किये गये अद्यतन आकलन का ब्यौरा क्या है;

(ख) स्थिति से निपटने हेतु कौन से नये उपाय करने का विचार है; और

(ग) राज्य में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को बहाल किये जाने की क्या संभावनायें हैं?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० एम० जैकब): (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

जम्मू और कश्मीर में स्थिति अभी भी कठिन और चुनौतीपूर्ण बनी हुई है लेकिन स्थिति में गुणात्मक सुधार के संकेत दिखायी दिए हैं। सुरक्षा बल आतंकवादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और सीमा पार से प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ और आधुनिक शस्त्रों की आपूर्ति के विरुद्ध सख्त उपाय किए गए हैं। विशिष्ट सूचना और आसूचना के आधार पर चुनिन्दा तलाशियां और छानबीन अभियान चलाए गए हैं। हाल ही में सुरक्षा बलों को आतंकवादियों के खिलाफ किए गए कार्यों में उल्लेखनीय सफलता मिली है।

2. सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों के लिए अनुकूल वातावरण बनते ही चुनाव कराने की इच्छुक है। तथापि इस समय चुनाव के लिए कोई निश्चित समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

[हिन्दी]

वैध कागजात के बिना देश में रहने वाले विदेशी लोग

1472. **श्री राजवीर सिंह :**
श्री बारे लाल जाटव :

क्या गृह मंत्री वैध कागजात के बिना देश में रहने वाले विदेशी लोगों के बारे में 26 मार्च, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4779 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रश्न के भाग (क) से (ग) तक के संबंध में जानकारी एकत्र कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में विलम्ब के क्या कारण है?

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०एम० जैकब): (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अभी भी सूचना की प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

नरेला रोहिणी और द्वारका परियोजनाएं

1473. **श्री गुरुदास कामत :**
डा० वसन्त पवार :

क्या शहरी विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नरेला रोहिणी और द्वारका परियोजनाओं को छोड़ देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इनमें पंजीकृत व्यक्तियों को उनकी धनराशि लौटा दी जाएगी अथवा उन्हें किसी अन्य क्षेत्र में भूखंड उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

चावल का उत्पादन

1474. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चावल के उत्पादन में वृद्धि करने संबंधी योजनाएं केन्द्रीय सरकार के पास लम्बित पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन योजनाओं को स्वीकृति दे दी गई है;

(घ) यदि हां, तो इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) इन योजनाओं को किन-किन राज्यों में कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां। चावल उत्पादन योजना के कार्यान्वयन के लिए स्वीकृति जारी कर दी गई है।

(घ) चावल उत्पादन योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु 1992-93 के लिए 90.00 करोड़ रुपये का परिव्यय मुहैया कराया गया है।

(ङ) समन्वित चावल विकास कार्यक्रम (आई॰पी॰आर॰डी॰-1) को असम, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर देश, त्रिपुरा, आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु, गोवा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, केरल, पांडिचेरी, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में क्रियान्वित किए जाने का प्रस्ताव है तथा "बीज मिनिकिट कार्यक्रम तथा राज्य स्तर के प्रशिक्षण" (आई॰पी॰आर॰डी॰-2) को उन सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित करने का प्रस्ताव है, जहां चावल उगाया जाता है।

उड़ीसा में मसालों की खेती

1475. **श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या **कृषि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में मसाले की पैदावार की भारी गुंजाइश है;

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में किस संभावना का पता लगाया गया है; और अब तक कितने क्षेत्र को मसाले की खेती के अंतर्गत लाया गया है; और

(ग) इस राज्य में किन-किन मसालों की खेती की जाएगी?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन): (क) जी, हां।

(ख) उड़ीसा के सभी जिलों में मसालों की खेती के लिए क्षमता विद्यमान है। उड़ीसा में मसालों के तहत वर्तमान क्षेत्र 164.13 हजार हैक्टेयर है।

(ग) इस राज्य में मिर्च, हल्दी, लहसुन, धनिया और अदरक की खेती की जाएगी।

उपेक्षित बच्चों की देखरेख

1476. **श्री पवन कुमार बंसल** :
श्री जार्ज फर्नान्डीज :

क्या **कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में उपेक्षित बच्चों की देखरेख के लिए कोई नीति तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में स्वैच्छिक एजेंसियों के लिए क्या भूमिका निर्धारित की गई है?

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

अनाथ तथा निराश्रित बच्चों के लिए संस्थागत देखभाल उपलब्ध कराने के प्रमुख उद्देश्य से, "देखभाल तथा सुरक्षा की जरूरत वाले बच्चों का कल्याण" नामक एक योजना 1.4.74 को शुरू की गई थी। सामाजिक रूप से कुसमंजित बच्चों के लिए सरकार की "किशोर सामाजिक कुसमंजन की रोकथाम तथा नियंत्रण योजना" नामक एक योजना है। इसी प्रकार आवारा बेसहारा बच्चों की उभरती समस्याओं के संबंध में आठवीं योजना के अंतर्गत उनके लिए एक योजना प्रारम्भ की गई है। भिक्षावृत्ति में लगे बच्चों के लिए आठवीं योजना के अंतर्गत भिक्षा निवारण योजना प्रारम्भ की गई है। अंत में यूनिसेफ की सहायता से भारत सरकार ने विशेष रूप से

कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए एक योजना तैयार की है। इन सभी योजनाओं का लक्ष्य रक्षात्मक, शैक्षिक, व्यावसायिक तथा पुनर्वासात्मक पहलू हैं।

2. विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की योजना के मुख्य लक्ष्य निम्न प्रकार है:—

विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों की रक्षा की व्यवस्था करना तथा ऐसी स्थितियों की ओर ले जाने वाले मूल कारणों का निपटाना इसमें निम्नलिखित श्रेणियों के बच्चे शामिल होंगे। शारीरिक रूप से विकलांग मानसिक रूप से विकलांग; नशीली दवाओं के व्यसनी; प्राकृतिक तथा मानवकृत विपत्तियों के शिकार शरणार्थी बच्चे; आवारा बेसहारा बच्चे; गंदी बस्तियों के तथा प्रवासी, अनाथ तथा निराश्रित बच्चे, "एड्स" से पीड़ित बच्चे "एड्स-ग्रस्त" माता-पिताओं के बच्चे तथा "एड्स-ग्रस्त" अनाथ बच्चे, वेश्याओं के बच्चे, बाल-वेश्याएं तथा किशोर-अपराधी, बाल-श्रमिक।

3. विशेष रूप से कठिन परिस्थिति वाले बच्चों की देखभाल करने के लिए प्रस्तावित कार्यकलाप निम्न प्रकार हैं।

(क) विशेष कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के लिए अधिक समुदायिक सहयोग हेतु विद्यमान बाल देखरेख संस्थाओं और समुदायों तथा आम समाज के बीच सम्पर्क कायम करने के लिए प्रयास किए जाएंगे;

(ख) संस्थाओं तथा कार्यान्वयन निकायों के स्टाफ को सेवा-पूर्व तथा सेवाकालीन प्रशिक्षण दिया जाएगा:

(ग) समाज-सेवा क्षेत्र के संगत कार्यक्रमों के माध्यम से, नगर निकायों, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग आदि के सक्रिय सहयोग से आवारा बेसहारा बच्चों, तथा कठिन परिस्थितियों वाले अन्य बच्चों के लिए उपाए किए जाएंगे।

(घ) बाल श्रम की रोकथाम को मजबूत करने के लिए इस समस्या की ओर समृद्ध परिवारों का ध्यान आकृष्ट करके गरीबों तथा विकास कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने पर बल दिया जाएगा।

(ङ) विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों वाले बच्चों के कल्याण तथा विकास हेतु परियोजनाएं शुरू करने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता दी जाएगी।

(च) राष्ट्रीय बाल-श्रम नीति, 1987 का कार्यान्वयन और जोर दार ढंग से किया जाएगा;

4. सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई उपेक्षित बच्चों से संबंधित सभी योजनाओं में स्वैच्छिक एजेंसियों के सक्रिय भागीदारी की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

12.00 **मध्याह्न**

श्री ताराचन्द खण्डेलवाल (चांदनी चौक): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में पानी की विकट समस्या है, इस पर चर्चा के लिए समय बढ़ाइए.....**(व्यवधान)**

श्री कालकादास (करोलबाग): अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में इसकी वजह से बीमारियां फैल रही हैं, इस पर अलग से चर्चा की जाए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कल इस बात पर सहमति हुई थी कि हम आज प्रश्न काल के तुरन्त पश्चात् अप्रतिबन्धित कार्य नहीं करेंगे और ऐसा लगा था कि इस पर सभी सहमत हो गये थे और इसलिये मैं कार्यसूची में शामिल अगले विषय को लेता हूं।

(व्यवधान)

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): ऐसा प्रतीत होता है कि अविश्वास पर चर्चा अब समाप्त नहीं हो सकेगी। हम इस पर कल भी चर्चा करेंगे। क्या यह उचित है?

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह आप पर निर्भर करता है। मेरे पास ऐसे सदस्यों की लम्बी सूची है जो बोलना चाहते हैं? मेरे विचार से यह उपयुक्त होगा कि सदस्यों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने की अनुमति प्रदान कर दी जाये।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): महोदय, अयोध्या के सम्बन्ध में चर्चा करने के बारे में क्या विचार है। वहां निर्माण कार्य चल रहा है। यह हमारी रिपोर्ट है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़): महोदय, हमें कुछ महत्वपूर्ण मामले उठाने की अनुमति दी जानी चाहिये। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) महोदय, मैंने अविलम्बनीय मामला उठाने की सूचना दी है। कृपया मुझे अनुमति प्रदान की जाये।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया समझने की कोशिश करें। यदि आप एक-एक करके प्रश्न पूछेंगे तो तभी आपके प्रश्नों का उत्तर दिया जा सकता है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम आपके द्वारा किये गये प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं, लेकिन हमें यह समझने दो कि आप क्या कह रहे हैं। अब श्री चन्द्रजीत यादव बोल सकते हैं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव: महोदय, आपका कहना सही है कि कल हमारी तरफ से ही यह सुझाव दिया गया था कि हम आज प्रश्न काल के पश्चात कोई मामला नहीं उठायेंगे। क्योंकि हमें यह बताया गया था—न केवल बताया गया था बल्कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि अविश्वास प्रस्ताव पर केवल आठ घन्टे तक ही चर्चा होगी—कि इस पर चर्चा आज ही की जायेगी। उस स्थिति में हम इसके लिये सहमत हुए थे। लेकिन अब यह प्रतीत होता है कि प्रधानमंत्री शायद कल उत्तर देंगे और मतदान भी कल ही होगा। हमें यह बताया गया है। उक्त स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं अनुरोध करता हूं कि अब आप एक या दो महत्वपूर्ण मामले उठाने की अनुमति दें। **(व्यवधान)**

श्री अमल दत्त: मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रजीत यादव: यही बात मैं कह रहा हूं। महोदय मैं आपकी अनुमति से यह मामला उठाना चाहता हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सुन रहा हूं। आप सब बोलेंगे तो मैं किसी का जवाब नहीं दे सकता। आप क्यों बार-बार उठ रहे हैं। आप बैठ जाइये। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री जनेश्वर यादव: महोदय, प्रधान मंत्री ने कल इस सदन को यह जानकारी दी थी कि जो निर्णय आया था.....

अध्यक्ष महोदय: नहीं, नहीं।

श्री जनेश्वर यादव: क्यों नहीं? यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। अयोध्या में कार्य चल रहा है। यह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन है। वे न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। यदि आप चाहते हैं तो मुझे आज भी नियमित गैर-सूचीबद्ध कार्य करने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लेकिन फिर यदि आप एक मामला उठाते हैं और अन्य मामले उठाने की अनुमति मैं न दूं तो यह उपयुक्त नहीं होगा। कठिनाई यह है कि इस चर्चा के लिये केवल आठ घन्टे का समय निर्धारित किया गया है। चार घन्टे हम पहले ही गवां चुके हैं। और आप सभी जानते हैं, माननीय सदस्य जानते हैं कि हम सदस्यों को दिये गये समय पर कोई प्रतिबन्ध लगाये बिना सभी को अपने विचार व्यक्त करने की अनुमति देते हैं। आज भी बहुत से वरिष्ठ नेता बोलना चाहते हैं। और यह बेहतर होगा कि हमें चर्चा के लिये उपयुक्त समय देने की अनुमति दी जाये। यदि हम अविश्वास प्रस्ताव जैसे विषय पर चर्चा कर रहे हों तो यह आवश्यक हो जाता है कि आपको बोलने का अवसर मिले। यदि आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें भी उसी के अनुसार कार्य करना होगा। लेकिन यदि आप ऐसा चाहते हैं तो हमें इस मामले को आज नहीं उठाना चाहिये। आप इस मामले को अपनी चर्चा के दौरान भी उठा सकते हैं। श्री सन्तोष मोहन देव का भाषण समाप्त होने के तुरन्त पश्चात् मैं आपको भी अवसर दूंगा तब यदि आप चाहें तो इस मामले को उठा सकते हैं। लेकिन यदि मैं इस मामले को उठाता हूं तो मुझे अन्य सदस्यों को भी समय देने के लिये कहा जायेगा। अतः यह उचित है कि हम कल किये गये निर्णय पर ही कायम रहें। इसलिये मेरा अनुरोध है कि अगले विषय पर चर्चा की जाये।

अब श्रीमान् महासचिव।

[हिन्दी]

श्री रामविलास पासवान (रोसेडा): अध्यक्ष जी, मैंने प्रधान मंत्री जी के खिलाफ प्रिवीलेज मोशन दिया है वर्ल्ड बैंक के बारे में.....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने जानकारी मांगी है।

12.08 म०प०

राज्य सभा से सन्देश

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न सन्देशों की सूचना देनी है:—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन संबंधी नियमों के नियम 127 के उपबन्धों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 15 जुलाई, 1992 को हुई अपनी

[महासचिव]

बैठक में लोक सभा द्वारा 14 जुलाई, 1992 को पारित किये गये जम्मू और कश्मीर राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक, 1992 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वरिष्ठ सदस्यों, आप लोग बैठते क्यों नहीं हैं? मैंने आपको बोलने की अनुमति नहीं दी है। आपने मेरी अनुमति नहीं मांगी है। हर बार आप उठ रहे हैं तथा कुछ न कुछ पूछ रहे हैं। वरिष्ठ सदस्य होने के नाते आप मेरी सहायता करने के बजाय मेरे काम में अड़चनें डाल रहे हैं।

श्री अमल दत्त: क्या मैं यह अनुरोध कर सकता हूं कि कल क्या होने वाला है, कृपया आप यह स्पष्ट कीजिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: विधायी कार्य — श्री अर्जुन सिंह जी विधेयक को पुरःस्थापित करने का प्रस्ताव कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप लोग इस तरह का व्यवहार करते हैं, तो मैं इसके लिए जवाबदेह नहीं हूं। कृपया मेरे कक्ष में आइये वहां निर्णय करेंगे। मैं इस प्रकार सभी सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रश्नों का जवाब नहीं दे सकता। कृपया मेरी मजबूरी समझिये। आप लोग क्या कह रहे हैं, उसे समझे बिना मैं आपको जवाब नहीं दे सकता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब मैं आपका जवाब नहीं दे रहा हूं।

12.10 म०प०

विधेयक पुरःस्थापित

[अनुवाद]

(एक) प्रतिलिप्याधिकार उपकर विधेयक*

संसदीय कार्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद): मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रतिलिपिकरण उपस्कर पर उपकर का उद्ग्रहण आर संग्रहण करने और उसके अधिकारों के स्वामियों को अंतरण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

> "कि प्रतिलिपिकरण उपस्कर पर उपकर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने और उसके अधिकारों के स्वामियों को अंतरण करने तथा उससे संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री गुलाम नबी आजाद: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

---

*भारत के राजपत्र असाधारण भाग-दो खण्ड 2, दिनांक 16.7.1992 में प्रकाशित।

श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर): यह वास्तव में एक अविलम्बनीय मामला है। परन्तु मैं आपके निवेदन का सम्मान रखते हुए उसका उल्लेख नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आपको सदन की इच्छा के प्रति सम्मान दर्शाना होगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया, आप अपना स्थान ग्रहण किजिए मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा। मैंने आपको बताया कि सदन की क्या इच्छा है। सदन की इच्छा के प्रति सम्मान करते हुए, मैं कार्यसूची में दिए गए मामलों को उठाता हूं। आप, मैं क्या कह रहा हूं, उस पर ध्यान नहीं देते हैं आप, दूसरे लोग क्या कहते हैं उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। हर बार आप उठ कर ऐसा ही कर रहे हैं। आपकी इच्छा का आदर करना मेरे लिए काफी कठिन हो रहा है।

श्री अमल दत्त: मैं हर बार नहीं उठ रहा हूं। मैं केवल यही कह रहा हूं कि आज मैं उल्लेख नहीं करूंगा.....**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रकार वादा नहीं कर सकता। यह कोई अनुबन्ध नहीं है, जो कि ऐसे ही चलता रहेगा। आप उचित सूचना दीजिए, मैं उसे देखूंगा।

श्री अमल दत्त: यह अध्यक्ष पीठ द्वारा बड़ा ही अनोखा व्यवहार किया गया है। महोदय, कल क्या होगा, क्या आप आज नहीं बता सकते?

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको कैसे बता सकता हूं।

श्री अमल दत्त: आप हमें क्यों नहीं बतायेंगे?

अध्यक्ष महोदय: अध्यक्ष पीठ से झगड़ने से कोई फायदा नहीं है, यह बहुत ही अनुचित बातें हैं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ भी वह कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)*

[अनुवाद]

12.12 म०प०

(दो) प्रतिलिप्याधिकार (दूसरा संशोधन) विधेयक**

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा): महोदय, श्री अर्जुन सिंह की ओर से, मैं प्रस्ताव करती हूं कि प्रतिलिप्याधिकार विधेयक, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

**राष्ट्रपति की सिफारिश सहित पुरःस्थापित किया गया।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि प्रतिलिप्यधिकार विधेयक, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कुमारी शैलजा: मैं विधेयक पुरःस्थापित करती हूं।

12.13 म०प०

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग क्षेत्रों में मत्स्य व्यापार के लिए कतिपय आधारभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने की आवश्यकता

श्री सुधीर सावन्त (राजापुर): महोदय, रत्नागिरी और सिन्धुदुर्ग देश के सबसे अधिक पिछड़े इलाके हैं। यहां समुद्रतट काफी लम्बा है और अधिकांश जनता मछली पकड़ने के व्यवसाय पर निर्भर करती है। तथापि इस व्यवसाय के लिए वहां बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं है।

अतः मेरा अनुरोध है कि निम्नलिखित कदम शीघ्र उठाए जायें:

(क) राजपुर तहसील के देवगढ़, शाखरीवाटा, या जैतपुर तथा मलवान तहसील के सरोजकोट में वेगुरला तहसील के वेगुरला स्थानों पर मछली उतारने के लिए बन्दरगाह का निर्माण करवायें।

(ख) इन स्थानों पर नमक तथा अन्य सामग्री के लिए गोदामों का निर्माण करवायें,

(ग) दुर्घटनामुक्त नावों के लिए बीमा प्रीमियम पर रियायत की व्यवस्था करवायें।

(घ) नेफेड के माध्यम से बिक्री सुविधा का प्रबन्ध करवायें।

(ङ) निर्यात हेतु प्रोत्साहन गतिविधियां शुरू की जाएं।

(च) मछुआरा सहकारी संघों की सहायता से शत-प्रतिशत निर्यात एककों के रूप में संसाधन संयंत्रों की स्थापना।

(छ) इस व्यवसाय की समस्याओं को समझने और उपाय सुझाने के लिये महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के मछुआरों की एक समिति गठित की जाए।

(दो) महाराष्ट्र के अहमदनगर को विमान सेवा द्वारा जोड़े जाने की आवश्यकता

श्री यशवंतराव पाटिल: महोदय, अहमदनगर, महाराष्ट्र राज्य का एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक, औद्योगिक और व्यापारिक केन्द्र है। यह एक प्रमुख सेना केन्द्र भी है। जहां अनेक रक्षा संगठन तथा छावनी क्षेत्र है। इस जिले में चीनी की 17 मिलें हैं जिसके कारण यह अत्यंत महत्वपूर्ण व्यापार केन्द्र है। लेकिन इसके लिए विमान सेवा उपलब्ध नहीं है। यदि सरकार इसके लिए विमान सेवा उपलब्ध

कराती है तो वहां पर भारी यातायात उपलब्ध हो सकेगा। अतः सरकार से मेरा अनुरोध है कि अहमदनगर शहर को जल्दी से जल्दी विमान सेवा उपलब्ध करायें।

[हिन्दी]

(तीन) बिहार के छोटा नागपुर और संथाल परगना क्षेत्रों को मिलाकर एक अलग 'वनांचल' राज्य बनाये जाने की आवश्यकता

श्री राम टहल चौधरी (रांची): अध्यक्ष महोदय, बिहार के छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग राज्य "वनांचल" बनाया जाना चाहिये। चूंकि इस वनांचल क्षेत्र में आज तक आवागमन की सुविधा नहीं दी गयी, बिजली की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गयी। रांची शहर की आबादी करीब नौ लाख है। अभी तक बाईपास सड़क नहीं बनायी गयी। सिंचाई की व्यवस्था इस क्षेत्र में अभी तक नहीं हो पायी है, जिस कारण उस क्षेत्र के लोगों में काफी असन्तोष की भावना बढ़ती जा रही है। बिजली की कमी से उद्योग बंद होते जा रहे हैं।

अतः उस क्षेत्र का विकास की दृष्टि एवं प्रशासनिक दृष्टि को देखते हुए केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि छोटा नागपुर एवं संथाल परगना को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाये।

(चार) पूर्वी उत्तर-प्रेदश में रेल सेवाओं में सुधार किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री हरि केवल प्रसाद (सलेमपुर): अध्यक्ष महोदय, पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनायें लंबित पड़ी हैं, अनेक महत्वपूर्ण रेलगाड़ियां रद्द कर दी गयी हैं तथा वर्तमान समय-सारणी को यात्रियों के लिए अनुपयोगी बना दिया गया है। पूर्वोत्तर रेलवे के छीतौनी-वगहा रेल पथ का आमान परिवर्तन कई वर्षों से लंबित है। इसी प्रकार सलेमपुर-बरहज बाजार का आमान परिवर्तन करने के बाद भी पूर्वांचल के एक महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थान बरहज बाजार स्टेशन पर पुराने माल गोदाम का पुनर्निर्माण न कराकर बंद कर दिया गया है। इस क्षेत्र के यात्रियों की सबसे सुविधाजनक रेलगाड़ी कृषक एक्सप्रैस का संचालन, वाराणसी, लखनऊ के स्थान पर वाराणसी गोरखपुर कर दिया गया है। जिससे मउ जंक्शन, बेल्थरारोड, सलेमपुर जंक्शन, भटनी जंक्शन तथा देवरिया आदि महत्वपूर्ण स्टेशनों के यात्री लखनऊ तक की सीधी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह भटनी-छपरा स्टेशनों के यात्री लखनऊ तक की सीधी यात्रा नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह छपरा पैसेंजर को रद्द कर दिये जाने के कारण इस खण्ड के दैनिक यात्रियों को काफी कठिनाई हो रही है। पहली जुलाई से लागू की गई नई समय सारणी यात्रियों की सुविधा और आवश्यकता को न देखते हुए मनमाने ढंग से बनाई गई है। मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की लंबित रेल योजनाओं को शीघ्र पूरा कराया जाये। पूर्वोतर रेलवे के लखनऊ वाराणसी (गोरखपुर होकर) तथा लखनऊ छपरा खंड पर पूर्व की भांति रेलगाड़ियां चलाई जायें तथा जिन महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक्सप्रैस गाड़ियों का ठहराव रद्द किया गया है। उसे पूर्ववत् किया जाये।

(पांच) मद्रास और कन्याकुमारी के बीच राज्य मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा० (श्रीमती) के०एस० सौन्द्रम (तिरुचेंगोड़): अध्यक्ष महोदय, देश के पूर्वी समुद्री तट पर, कलकत्ता और मद्रास के बीच के बन्दरगाह भलीभांति राजमार्गों से जुड़े हुये हैं। लेकिन तमिलनाडु में मद्रास से कन्याकुमारी तक देश के पूर्वी समुद्री तट पर विभिन्न पत्तनों के बीच कोई संपर्क नहीं है।

[डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्द्रम]

केंद्र सरकार द्वारा 1981-2001 तक के लिए तैयार की गई बीस वर्षीय सड़क विकास योजना में कहा गया है कि वर्ष 2001 तक 100 कि०मी० के वर्ग ग्रिड के निर्माण हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड का विस्तार किया जाना चाहिए। तदनुसार, तमिलनाडु में वर्ष 2001 तक लगभग 2600 कि०मी० तक की लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार होने चाहिए। इस समय तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 2002 कि०मी० है। राज्य के स्वमित्व वाली शेष 598 कि०मी० लंबी सड़कों को वर्ष 2001 से पहले तमिलनाडु में अतिरिक्त राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में ग्रिड से मिला देना चाहिए।

अतः यह आवश्यक है कि तमिलनाडु में मद्रास और कन्याकुमारी के बीच राज्य सरकार की सड़कों के फैलाव को राष्ट्रीय राजमार्ग के रूप में तत्कालिक रूप से वर्गीकृत किया जाये। इसके सामरिक महत्व और प्रभावी तटरक्षक संचालन की दृष्टि से भी ऐसा करना बहुत आवश्यक है।

यदि इसे बढ़ाया जाता है तो तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्ग की कुल लंबाई लगभग 2739 कि०मी० हो जायेगी, जो वर्ष 2001 तक राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड के लिए निर्धारित लक्ष्य को पूरा कर सकेगा।

आपके माध्यम से मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र आरंभ करे।

(छः) उच्च न्यायालयों की खण्डपीठ स्थापित करने के बारे में जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों का विशेषकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यान्वयन किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा): अध्यक्ष महदोय, देश में अनेक प्रदेशों में उच्च न्यायालयों की अनेक खंडपीठें होने, छोटे अनेक प्रदेशों में भी उच्च न्यायालय होने तथा कतिपय बड़े प्रदेशों में उस अनुपात में वहां के उच्च न्यायालयों की खंडपीठ न होने के कारण वादकारियों को भारी कष्ट होता था। इसलिए भारत सरकार ने विभिन्न उच्च न्यायालयों में खंडपीठ की स्थापना के औचित्य को परखने के लिए जसवंत सिंह आयोग का गठन किया था। आयोग द्वारा प्रेषित संस्तुतियों को अभी तक कार्यान्वित कर खंडपीठों की स्थापना नहीं की गई।

केन्द्र सरकार कभी प्रदेश सरकार से, कभी उच्च न्यायालय से, कभी उच्चतम न्यायालय से जसवंत सिंह आयोग की संस्तुतियों पर राय मांगने के नाम पर निर्णय को टाल रही है जबकि संवैधानिक दृष्टि से केन्द्र सरकार ही खंडपीठ की स्थापना के बारे में निर्णय लेने में सक्षम है। पहले भी जिन खंडपीठों की स्थापना की गई है उन सभी मामलों में भी यह प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। इसके कारण अधिवक्तागण, गरीब वादकारी व सामान्य जनता अति उद्वेलित है। 1857 में आगरा में ब्रिटिश राज के प्रचंड विरोध के कारण वहां से उच्च न्यायालय हटा दिया गया था। जसवंत सिंह आयोग की आगरा में खंडपीठ की स्थापना की संस्तुति को अन्य कारणों के अतिरिक्त ब्रिटिश दमन के धब्बे को दूर कर गौरव की बहाली के रूप में आगरा व उसके निकटवर्ती जिलों के निवासी देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खंडपीठ की स्थापना की संस्तुति कर दी है।

अतः मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह वादकारी को सस्ता व सुलभ न्याय दिलाने के उद्देश्य से अविलंब जसवंत सिंह आयोग की संस्तुतियों को कार्यान्वित कर उच्च न्यायालयों में खंडपीठों की स्थापना करे।

(सात) राजस्थान के बीकानेर जिले के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में राहत कार्यों के लिए राज्य सरकार को और अधिक धनराशि प्रदान किये जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री मनफूल सिंह (बीकानेर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के बीकानेर जिले और फलोदी तहसील में 100 से अधिक बच्चे कुपोषण का शिकार होकर गत 4 महीनों के अन्दर मर चुके हैं।

इसी तरह बीकानेर जिले में हजारों भेड़े पानी और चारे के अभाव में मर चुकी हैं और पांच हजार के लगभग अच्छी नस्ल की राठी गायें चारे और पानी के अभाव में मर गयी हैं और पशुपालक निराश होकर गायों को घर से बाहर निकाल रहे हैं।

इसके अतिरिक्त बीकानेर जिले के अभावग्रस्त क्षेत्रों में कुओं का पानी खारा या मीठा था, वे प्रायः सूख गये हैं। इसलिये मनुष्यों और पशुओं के पीने के पानी की गम्भीर समस्या बनी हुई है।

इसी तरह बिजली कुओं के लिये नाममात्र को दी जा रही है जिसकी वजह से कुछ कुओं में खारा पानी भी निकालने में असमर्थ हो रहे हैं। भारत सरकार की स्वीकृति से सिंगरौली से राजस्थान को बिजली मिल रही है लेकिन बहुत थोड़ी मिल रही है। इसलिये भारत सरकार को सिंगरौली से और अधिक बिजली देने के आदेश करने चाहिये।

गरीब मजदूर राहत कार्यों के लिये अपने घर छोड़कर जगह-जगह भटक रहे हैं और बीकानेर जिले में नाममात्र के राहत कार्य खोले गये हैं, जिनमें बहुत थोड़े मजदूर लगे हुए हैं।

इसलिये केन्द्र सरकार से निवेदन है कि पशुधन राहत कार्यों के लिये और अनाज देने के लिये, राजस्थान सरकार की मदद करे और राजस्थान सरकार को आदेश दे कि केन्द्र से मिले धन को तुरन्त खर्च करे।

12.22 म०प०

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव — जारी

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा आरंभ करते हैं। आठ घंटे का समय दिया गया था। इसमें से तीन घंटे और अड़तालीस मिनट निकल गये हैं। श्री जसवंत सिंह जी ने 1 घंटा 15 मिनट, श्री अर्जुन सिंह जी ने 28 मिनट, श्री राम विलास पासवान ने 38 मिनट, श्री पी० चिदम्बरम ने 40 मिनट, श्री सोमनाथ चटर्जी ने 51 मिनट , श्री संतोष मोहन देव ने 11 मिनट लिए और आज छः घंटों से अधिक समय नहीं है। चार घंटे और दो घंटे, छः घंटे। हमें यह बात ध्यान में रखनी होगी। हम उससे अधिक नहीं जायेंगे।

इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): जब मैं कल खड़ा हुआ था, तो मैं सदन के समक्ष यह कहना चाहता था कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो देश की स्थिति क्या होगी और मैं सदन के ध्यान में यह बात भी लाना चाहता था कि भारतीय साम्यवादी पार्टी (मार्क्सवादी), भारतीय जनता पार्टी और जनता दल जैसे विरोधी दलों के नेतृत्व वाले विभिन्न राज्यों के कार्यों की स्थिति क्या है। मैं पश्चिम बंगाल की स्थिति के बारे में बोल रहा था जहां मार्क्सवादी साम्यवादी पार्टी और उनके अन्य सहयोग दल कुछ भी कार्य नहीं कर रहे हैं और लघु और बड़े, असंख्य उद्योग बंद हो गये हैं और परिणामस्वरूप उनके व्यक्ति बेरोजगार हो गये हैं। सदन को यह जानकार काफी हैरानी होगी कि भारत में केवल यही एक ऐसा राज्य है जो इस समय एक गैर-सरकारी वित्तपोषण संस्था से ऋण लेकर अपनी सरकार चला रहा है। उनके वित्तीय प्रबंधन का यह स्तर है।

श्री सोमनाथ चटर्जी ने सदन के समक्ष विभिन्न परिस्थितियाँ और मुद्दे रखे हैं। उनके अनुसार, आर्थिक कार्यों में उस सरकार का पूर्णतः कुप्रबंध है।

ऐसी सरकार, जिसे गैर-सरकारी वित्त द्वारा द्वारा चलाया जाता है, उसे राजनैतिक दल से संबंधित सज्जन व्यक्ति सदन में आकर एक ऐसी सरकार को उपदेश दे जाता है, जिसने अब नई नीति चलाई है.....**(व्यवधान)**

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): यह पश्चिम बंगाल की सरकार की नीति का एक भाग है।

एक माननीय सदस्य: व्यवधान मत डालिये। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव: मेरी बात पूरी होने पर, आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। आप इसमें फेर-बदल कर सकते हैं। **(व्यवधान)**। क्या मुझे बिना किसी व्यवधान के बोलने की अनुमति है?

अध्यक्ष महोदय: आपके भाषण की प्रशंसा की जा रही है।

श्री संतोष मोहन देव: एक विरोधी दल के सदस्य किसी विशेष मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा था। जब हम उनकी सरकार के बारे में कुछ कहते हैं यह उन्हें चुभता है और वे उछलना शुरु कर देते हैं। प्रजातंत्र में, आपको मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार अवश्य देना होगा और इस पर विचार करना राष्ट्र का कार्य है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव है?

श्री संतोष मोहन देव: यह किसी सरकार विशेष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है।

लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि यदि पी० वी० नरसिम्हाराव की सरकार न रहे तो उनके पास और कौनसा विकल्प हो सकता है। मैं यही पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। जहां तक सी०पी०एम० का संबंध है, मैं शांति बनाये रखना चाहता हूँ। में उनसे और कुछ नहीं पूछना चाहता। **(व्यवधान)**

मेरे विचार से इतना पर्याप्त है। कुछ भी हो, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री निर्मल कांति चटर्जी इस सदन के विद्वान सदस्य हैं और मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मेरा यह कहना है कि: विकल्प क्या है?

महोदय, आज **टाइम्स ऑफ इंडिया** और **दि हिन्दू** में हमने पटना से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का वक्तव्य देखा। अब में सोचता हूँ कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस सदन में यह अंतिम दिन है। **(व्यवधान)**

मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में खुलेआम यह घोषणा की कि यदि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से नहीं चुने जाते हैं तो वे त्यागपत्र दे देगें। गणना आरंभ हो चुकी है। परिणाम शाम के लगभग 6.30 अथवा 7.00 बजे तक आ जायेगें। **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। **(व्यवधान)**

उन्होंने केवल यह कहा है कि यदि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए किसी अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवार की सिफारिश नहीं करती है तो, ऐसी स्थिति में, वह त्यागपत्र दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय: वह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, चूंकि वी०पी० सिंह जी का नाम लिया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कल प्रेसीडेंट के मामले को जानबूझकर नहीं छेड़ा। यहां प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, मैं चाहता तो छेड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं छेड़ा आम सहमति के आधार पर। लेकिन जिस प्रेस कान्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, उस प्रेस कान्फ्रेंस में श्री वी० पी० सिंह के साथ मैं भी उपस्थित था और मैंने भी यह

घोषणा की थी और यह एस०सी०एस०टी० फोरम का विचार था कि यदि कांग्रेस ने अपना एस०सी०एस०टी० का उम्मीदवार नहीं दिया, तो जनता दल देगा और यदि जनता दल अपना उम्मीदवार नहीं देगा हम पार्लियामेंट्री सीट से रिजाइन करेंगे। हमने एस०टी० का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दिया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: कुछ भी हो, मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकार करता हूं। लेकिन उसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: आपने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट दिया था और हमारी सरकार ने 7 नवंबर को गिराया था। आपको याद रखना चाहिए, आपने एक साथ वोट दिया था .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं उसे नहीं मानता। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने किसी न किसी समय पर हमारा साथ न दिया हो। जिस समय साथ देते हैं उस समय तो समझते हैं कि हम देश की बहुत सेवा कर रहे हैं और जिस समय दूसरे साथ देते हैं, तो उनको कहते हैं कि क्या अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसने अलग-अलग मौके पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम न किया हो। और मैं समझता हूं कि इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। आप भी मत शर्माइए ....**(व्यवधान)** और इसी प्रकार से अगर सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता गलत है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अस्पृश्यता देश का भला नहीं करेगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी का आभारी हूं। मैं अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा था। यदि श्री लाल कृष्ण आडवाणी प्रधान मंत्री बन जाएं, श्री सोमनाथ चटर्जी वाणिज्य मंत्री और राम विलास पासवान कल्याण मंत्री बन जाएं तो सदन में यह परिदृष्य होगा। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उन्हें पता है कि सर्वाधिक कमाने वाला मंत्रालय कौन सा है। यह बात उन्हें पता है वह हमें बता सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव: मैं इस सदन में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं सदन का ध्यान एक पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सरकार के लिए विकल्प मध्यावधि चुनाव कराना है। अगर वे तैयार हैं तो उन्हें चुनावों का सामना करने दीजिए। उस ओर से हमें और अधिक सीटें प्राप्त होंगी। मैंने हाल ही में प्रधान मंत्री के साथ उत्तर-पूर्व राज्य का दौरा किया है। त्रिपुरा में तीन लाख लोगों की भीड़ थी। असम की एक सभा में एक लाख से भी अधिक लोग आए। यदि लोगों को प्रधान मंत्री तथा उनकी नीतियों में विश्वास ही न होता तो वे इन सभाओं में इतनी संख्या में क्यों आते? उन्होंने इस सरकार के बारे में और प्रधान मंत्री के बारे में कई समाचार पत्रों को उद्धृत किया है। मैं एक समाचार पत्र का उद्धरण देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप दे सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव: मेरी बात पूरी होने पर, आपको बोलने का अवसर दिया जायेगा। आप इसमें फेर-बदल कर सकते हैं। **(व्यवधान)**। क्या मुझे बिना किसी व्यवधान के बोलने की अनुमति है?

अध्यक्ष महोदय: आपके भाषण की प्रशंसा की जा रही है।

श्री संतोष मोहन देव: एक विरोधी दल के सदस्य किसी विशेष मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, ऊर्जा मंत्री और रेल मंत्री के विरुद्ध आरोप लगा रहे हैं। हमने कुछ नहीं कहा था। जब हम उनकी सरकार के बारे में कुछ कहते हैं यह उन्हें चुभता है और वे उछलना शुरु कर देते हैं। प्रजातंत्र में, आपको मुझे अपने विचार अभिव्यक्त करने का अधिकार अवश्य देना होगा और इस पर विचार करना राष्ट्र का कार्य है।

श्रीमती मालिनी भट्टाचार्य (जादवपुर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। क्या पश्चिम बंगाल सरकार के विरुद्ध यह अविश्वास प्रस्ताव है?

श्री संतोष मोहन देव: यह किसी सरकार विशेष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव नहीं है।

लेकिन जनता को यह पता होना चाहिए कि यदि पी० वी० नरसिम्हाराव की सरकार न रहे तो उनके पास और कौनसा विकल्प हो सकता है। मैं यही पेश करने का प्रयास कर रहा हूँ। जहां तक सी०पी०एम० का संबंध है, मैं शांति बनाये रखना चाहता हूँ। में उनसे और कुछ नहीं पूछना चाहता। **(व्यवधान)**

मेरे विचार से इतना पर्याप्त है। कुछ भी हो, श्री सोमनाथ चटर्जी और श्री निर्मल कांति चटर्जी इस सदन के विद्वान सदस्य हैं और मैं उनका आदर करता हूं। लेकिन मेरा यह कहना है कि: विकल्प क्या है?

महोदय, आज **टाइम्स ऑफ इंडिया** और **दि हिन्दू** में हमने पटना से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का वक्तव्य देखा। अब में सोचता हूँ कि श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह का इस सदन में यह अंतिम दिन है। **(व्यवधान)**

मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने प्रेस कांफ्रेंस में खुलेआम यह घोषणा की कि यदि भारत के राष्ट्रपति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय से नहीं चुने जाते हैं तो वे त्यागपत्र दे देगें। गणना आरंभ हो चुकी है। परिणाम शाम के लगभग 6.30 अथवा 7.00 बजे तक आ जायेगें। **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर): मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। **(व्यवधान)**

उन्होंने केवल यह कहा है कि यदि उनकी पार्टी राष्ट्रपति पद के लिए किसी अनुसूचित जाति/जनजाति उम्मीदवार की सिफारिश नहीं करती है तो, ऐसी स्थिति में, वह त्यागपत्र दे देंगे।

अध्यक्ष महोदय: वह ठीक है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, चूंकि वी०पी० सिंह जी का नाम लिया है, इसलिए मैं बताना चाहता हूं कि मैंने कल प्रेसीडेंट के मामले को जानबूझकर नहीं छेड़ा। यहां प्रधानमंत्री बैठे हुए थे, मैं चाहता तो छेड़ सकता था, लेकिन मैंने नहीं छेड़ा आम सहमति के आधार पर। लेकिन जिस प्रेस कान्फ्रेंस की बात ये कर रहे हैं, उस प्रेस कान्फ्रेंस में श्री वी० पी० सिंह के साथ मैं भी उपस्थित था और मैंने भी यह

घोषणा की थी और यह एस०सी०एस०टी० फोरम का विचार था कि यदि कांग्रेस ने अपना एस०सी०एस०टी० का उम्मीदवार नहीं दिया, तो जनता दल देगा और यदि जनता दल अपना उम्मीदवार नहीं देगा हम पार्लियामेंट्री सीट से रिजाइन करेंगे। हमने एस०टी० का उम्मीदवार राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए दिया। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: कुछ भी हो, मैं श्री राम विलास पासवान द्वारा किए गए संशोधन को स्वीकार करता हूं। लेकिन उसका तात्पर्य यह हुआ कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित उम्मीदवार को स्वीकार किया है।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान: आपने राम मंदिर और बाबरी मस्जिद के मामले के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर वोट दिया था और हमारी सरकार ने 7 नवंबर को गिराया था। आपको याद रखना चाहिए, आपने एक साथ वोट दिया था .... **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं उसे नहीं मानता। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधी नगर): अध्यक्ष महोदय, इस सदन में कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसने किसी न किसी समय पर हमारा साथ न दिया हो। जिस समय साथ देते हैं उस समय तो समझते हैं कि हम देश की बहुत सेवा कर रहे हैं और जिस समय दूसरे साथ देते हैं, तो उनको कहते हैं कि क्या अनर्थ कर रहे हैं। लेकिन कोई ऐसा नहीं है जिसने अलग-अलग मौके पर भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर काम न किया हो। और मैं समझता हूं कि इसमें शर्मनि की कोई बात नहीं है। आप भी मत शर्माइए ....**(व्यवधान)** और इसी प्रकार से अगर सामाजिक क्षेत्र में अस्पृश्यता गलत है, तो राजनीतिक क्षेत्र में भी अस्पृश्यता देश का भला नहीं करेगी। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: मैं श्री लाल कृष्ण आडवाणी का आभारी हूं। मैं अपनी बात कहने का प्रयास कर रहा था। यदि श्री लाल कृष्ण आडवाणी प्रधान मंत्री बन जाएं, श्री सोमनाथ चटर्जी वाणिज्य मंत्री और राम विलास पासवान कल्याण मंत्री बन जाएं तो सदन में यह परिदृष्य होगा। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): उन्हें पता है कि सर्वाधिक कमाने वाला मंत्रालय कौन सा है। यह बात उन्हें पता है वह हमें बता सकते हैं। **(व्यवधान)**

श्री संतोष मोहन देव: मैं इस सदन में अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं सदन का ध्यान एक पहलू की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इस सरकार के लिए विकल्प मध्यावधि चुनाव कराना है। अगर वे तैयार हैं तो उन्हें चुनावों का सामना करने दीजिए। उस ओर से हमें और अधिक सीटें प्राप्त होंगी। मैंने हाल ही में प्रधान मंत्री के साथ उत्तर-पूर्व राज्य का दौरा किया है। त्रिपुरा में तीन लाख लोगों की भीड़ थी। असम की एक सभा में एक लाख से भी अधिक लोग आए। यदि लोगों को प्रधान मंत्री तथा उनकी नीतियों में विश्वास ही न होता तो वे इन सभाओं में इतनी संख्या में क्यों आते? उन्होंने इस सरकार के बारे में और प्रधान मंत्री के बारे में कई समाचार पत्रों को उद्धृत किया है। मैं एक समाचार पत्र का उद्धरण देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: आप दे सकते हैं।

श्री संतोष मोहन देव: मैं उसे मानता हूं। मैं इसका उद्धरण देता हूं। यह केवल एक उद्धरण है। इसमें कहा गया है कि यह सत्य है लेकिन केवल एक सीमा तक। राजीव ने महसूस किया कि देश की आर्थिक स्थिति बुरी तरह चरमरा गई है और उन्होंने इसकी दिशा बदलने की कोशिश की लेकिन जब उन्होंने देखा कि व्यवस्था इसका विरोध कर रही है तो उनकी इच्छा मर गई। दूसरी ओर नरसिंह राव अपने दृष्टिकोण पर अड़े रहे। शायद उनके पास कोई भी विकल्प नहीं था (शून्य आर्थिक विकास, नगण्य विदेशी मुद्रा, मुद्रा स्फीति) लेकिन वह श्रेय दिए जाने के योग्य हैं क्योंकि अपने दृष्टिकोण पर सिर्फ डटे रहने से ज्यादा उन्होंने किया है। उन्होंने विख्यात सुधारवादियों मनमोहन सिंह तथा पी० चिदम्बरम को महत्वपूर्ण कार्य सौंपे और उनका हर तरह से समर्थन किया। उन्होंने देश के राजनैतिक कार्यक्रम का भी परिवर्तन आर्थिक कार्यक्रम में किया है।

यह मेरा पसंदीदा अखबार नहीं है। यह विरोधी दलों का एक मनपसन्द समाचार-पत्र है जिसे वे बाइबल की तरह मानते हैं — **'द इण्डियन एक्सप्रेस'**।

(व्यवधान)

मैं एक अन्य समाचार-पत्र का संदर्भ दे रहा हूं। यह कहता है— "समूचे-विपक्ष, वामपंथी और दक्षिण पंथी, ने समय-समय पर विभिन्न समस्याओं की वजह से उदारीकण प्रक्रिया की निंदा की है। उदाहरणार्थ, ऐसा दावा किया जाता है कि हाल का बैंक प्रतिभूति घोटाला ऐसा दावा वित्तीय क्षेत्र में उदारीकरण प्रक्रिया का परिणाम है। सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता। तथ्य यह है कि यह पुरानी प्रणाली है जिसने सभी प्रकार की भ्रष्ट और अक्षम प्रक्रियाओं को जन्म दिया है....."

(व्यवधान)

कृपया अपनी बेकार की बात बन्द कीजिए।

".....और इस प्रकार की समस्याएं, जिनकी जड़े सामान्यतया अतीत में हैं, समय-समय पर उभर कर सामने आती रहेंगी। सच्चाई यह है कि विपक्ष के पास उदारीकरण प्रक्रिया के बदले में कोई और तार्किक विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कुछ है ही नहीं। उनके परस्पर विरोधी ब्यान केवल उनके इस दिग्भ्रम को प्रदर्शित करते हैं कि जब सरकार ने ऐसे कदम उठाए हैं—जो मूल रूप से सही दिशा में हैं तथा विगत की विसंगतियों को दूर करने के लिए हैं — तो एक प्रभावशाली विपक्ष के रूप में कैसे कार्य किया जाए।"

ये समाचार-पत्रों द्वारा व्यक्त किए गए ये विचार हैं। जो बात मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि जो नीति हमने अपनाई है वह पूरी दृढ़-धारणा तथा विश्वास के साथ अपनाई है तथा हम अपनी इसी दृढ़ धारणा के साथ इस नीति को कार्यान्वित करेंगे। हमारे प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय मुद्दों पर अन्य राजनैतिक दलों के साथ सहमति के आधार पर सरकार चलाने का नारा दिया है। हम उससे पीछे नहीं हटेंगे। राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर हम विचार-विमर्श करेंगे।

अब मैं श्री जसवंत सिंह तथा चटर्जी द्वारा असम के बारे में उठाए गए प्रश्न पर बोलना चाहूंगा। उनका कहना है कि असम में अभी भी उपद्रव जारी है। असम के बारे में पहला सही निर्णय श्री चन्द्रशेखर जी द्वारा लिया गया था।

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): जिसका आपने विरोध किया था।

श्री सन्तोष मोहन देव: हमने उनसे अपील की थी और उन्होंने उस संबंध में निर्णय, एक साहसिक निर्णय, लिया था। वह निर्णय था राष्ट्रपति शासन लागू करना तथा सरकार की पुनः पुष्टि करना और एक स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव के लिए माहौल तैयार करना। उसके बाद एक सरकार सत्ता में आई है। अब उत्पन्न समस्या 90 प्रतिशत तक हल कर ली गई है। 2914 बन्दूकें सरकार को समर्पित कर दी गई हैं। 3,116 उत्पन्न नौजवानों ने

भी आत्म-समर्पण किया है। ये वे युवा थे जिन्हें देश के बाहरी तथा भीतरी कतिपय तत्वों ने गुमराह कर दिया था।

श्री चटर्जी ने आदिवासियों की समस्याओं के बारे में भी उल्लेख किया है। मुझे कहते हुए यह खुशी हो रही है कि गत सोमवार को कार्बी एंगलोंग के नाम से जाना जाने वाले स्वायत्तशासी जिले की समस्या हल कर ली गई है। अब बोडो समस्या पर बातचीत चल रही है और इसके समाधान की प्रक्रिया भी जारी है। वे हम पर दोष मढ़ रहे हैं कि हमने आदिवासी हितों को ध्यान में नहीं रखा है। श्री चटर्जी भूल गए हैं कि 1980 में जब सी०पी०एम० सत्ता में थी तो मन्धाई में एक हत्याकांड हुआ था और लगभग 3000 लोगों की जाने गई थीं। दिनेश सिंह समिति ने इसकी जांच की थी और अपनी रिपोर्ट दी थी। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि सी०पी०एम० ने इसे किया था।

यह वास्तव में एक ऐसी घटना थी जिसका संबंध जनजातीय क्षेत्रों तथा मैदानी भागों से था। यह मूल समस्या है जिसका सामना हम कर रहे हैं क्योंकि जातीय समूह एक-दूसरे के साथ भिड़ रहे हैं और ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। यहां तक कि अभी भी मणिपुर में बंगाली लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं। हमें पता है कि वहां हमारी सरकार है। और यहीं पर हमें राष्ट्रीय दृष्टिकोण अपनाना है।

आज, भारत में, अधिकांशतः उत्तर-पूर्व भारत में विद्रोह की समस्या हमारे सामने है। मिजोरम में, हमने अपनी सरकार की बलि दी है; हमने मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौता किया और उसके बाद जब चुनाव हुए तो श्री लालडेंगा की सरकार सत्ता में आई। असम में भी, जब अखिल असम छात्र संघ (आसू) का आन्दोलन अपनी चरम सीमा पर था तो श्री राजीव गांधी ने एक समझौता किया। और बाद में जब चुनाव हुए तो असम गण परिषद् की सरकार सत्ता में आई। हमने सत्ता प्राप्त करने के बारे में न तो कभी सोचा और न ही सोचते हैं। दोनों ही मामलों में हम चुनाव हार गए लेकिन हमने समस्या का समाधान करने का प्रयास तो किया।

दार्जीलिंग के बारे में भी समझौता हुआ था। तत्कालीन माननीय मंत्री श्री बूटा सिंह वहां थे, मैं वहां था। पश्चिम बंगाल सरकार ने हमारे सुझावों पर विचार किया। लेकिन अभी भी वहां तनाव है। मैं यह नहीं कह रहा कि पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए उत्तरदायी है; मैं यह नहीं कह रहा कि कोई विशेष राजनीतिक दल इसके लिए उत्तरदायी है।

इस प्रकार की स्थिति पूरे देश में है, चाहे वह कांग्रेस सरकार हो अथवा गैर-कांग्रेसी।

भिलाई में क्या हो रहा है? यह मेरा इस्पात नगर है और मुझे इसके सम्पर्क में रहना पड़ता है। वहां क्या हुआ है? मैं नहीं समझता कि श्री आडवाणी अनेक लोगों की हत्या से सहमत होंगे। न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

मैं लखनऊ में था और मैंने देखा है कि स्थिति काफी तनावपूर्ण है। इस सदन में हम सुनते हैं कि कुछ भी ऐसा नहीं है। आपने यहां रामजन्म भूमि बाबरी मस्जिद के बारे में चर्चा करने की अनुमति नहीं दी है। लेकिन यह सच नहीं है। क्या यह सच नहीं है कि हमने राष्ट्रीय प्रेस तथा अन्यत्र से भी यह सुना है कि.....

अध्यक्ष महोदय: श्री संतोष मोहन देव, आप कृपया इसमें संशोधन करेंगे। मैंने इसकी अनुमति दी है।

श्री संतोष मोहन देव: शून्य काल के दौरान नहीं; मैं बोलने का यह अवसर सबकी ओर से ले रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप कृपया इस पर शून्य काल के दौरान बोलेंगे?

श्री संतोष मोहन देव: नहीं, मान्यवर। मैं आपका उल्लेख इस प्रकार नहीं कर रहा हूं कि जैसे आप मुझे रोक रहे हों।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा): महोदय, आप को इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लेना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव: महोदय, राष्ट्रीय प्रेस तथा अन्य माध्यमों द्वारा यह बताया जा रहा है कि 20,000 लोगों को आज लखनऊ उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों की अवहेलना करने के लिए राम-जन्म भूमि भेजा गया है। समूचा देश उद्वेलित है। पूरा सदन ....

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान: आप तब क्या कर रहे थे?

श्री सन्तोष मोहन देव: निस्सन्देह, सदन इससे उत्तेजित होगा और मुझे विश्वास है कि सरकार इस पर उचित कार्यवाही करेगी क्योंकि इससे लोग उत्तेजित हो रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री हरि किशोर सिंह: आप क्यों नहीं कुछ कर सकते?

[हिन्दी]

श्री सन्तोष मोहन देव: इस इशू पर मैंने बोल दिया है।

[अनुवाद]

मैंने आप सभी की ओर से यह रिकार्ड करवा दिया है। आज देश की मौजूदा परिस्थिति पर विचार करते हुए, हम 'अविश्वास प्रस्ताव' पर चर्चा कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यह सदन अन्ततः एक निर्णय लेगा। मुझे आशा नहीं है कि सी०पी०एम० और जनता दल भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर मत देगें और न ही भारतीय जनता पार्टी उनके साथ मिलकर मत देगी। आखिरकार यही परिणाम निकलेगा। कल हम सभी को इसी सदन में उपस्थित होना है।

लेकिन सरकार की तरफ से हम आश्वासन दे सकते हैं कि आज की बहस से जो मान्य और सही मुद्दे हैं। उन पर सरकार द्वारा विचार किया जाएगा और उन सभी मुद्दों पर सरकार उपचारी उपाए उठाएगी। यह सभी मामलें हम से चूके नहीं हैं। महोदय, समाप्त करने से पूर्व मैं.... **(व्यवधान)**

एक माननीय सदस्य: गूंगे और बहरे हैं।

श्री सन्तोष मोहन देव: गूंगे और बहरे भी काफी प्रभावशाली हो सकते हैं। आप 11 महीने से अधिक नहीं टिक सके लेकिन हमने एक वर्ष पूरा कर लिया है और अगले चार वर्षों के लिए भी रहेंगे।

महोदय, समाप्त करने से पूर्व मैं एक बात कहना चाहता हूं। आज हमारे देश का विश्व में एक खास स्थान है मैं यह नहीं कह रहा कि इससे पहले यह स्थान नहीं था मैं पिछली सरकार अथवा वर्तमान सरकार की तुलना करने का प्रयास नहीं कर रहा हूं लेकिन हमने विश्व के देशों को सन्देश भेज दिया कि आज अपनी उदारवादी आर्थिक नीति को अपनाकर हम कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पर यह आरोप लगाया गया है कि हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ध्यान नहीं रख रहे। हम उनकी उपेक्षा कर रहे हैं। हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि जहां सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा संवेदनशील नहीं है वहां निजी क्षेत्र का आगे आने और पूंजी लगाने के लिए स्वागत किया जाएगा।

क्योंकि हमें महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए जो अपेक्षित हैं और ग्रामीण विकास के लिए धन की आवश्यकता है। हमें पुराने सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों जिनके आधुनिकीकरण और उन्नयन की आवश्यकता है, में स्थिरता लाने के लिए धन की आवश्यकता है। उर्वरकों पर राजसहायता देने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। खाद्यान्नों के लिए राजसहायता देने के लिए हमें धन की आवश्यकता है। हमें अपेक्षित ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं से पूरा करने के लिए धन की आवश्यकता है।

गत सदन के समक्ष और इस सदन के माध्यम से देश के सम्मुख मेरा अन्तिम मुद्दा यह है कि मान लो आज सरकार गिर जाती है तो देश में बजटीय स्थिति क्या होगी? जनता दल और कम्युनिस्ट दल (मार्क्सवादी) तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऋण नहीं लेंगे। वे इस के घोर विरोधी है हालांकि वह कलकत्ता शहर में लेते हैं।

भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकार नहीं करेगी। वे देश को कैसे चलाएंगे? या तो उन्हें लोगों पर कर लगाना पड़ेगा या उन्हें कहना पड़ेगा कि उनके पास धन नहीं है और इसलिए कोई भी विकास कार्य नहीं होगा।

श्री सोमनाथ चटर्जी: हम आप पर कर लगाएंगे।

श्री सन्तोष मोहन देव: यही अन्तर-विरोध है। वे केवल मुझ पर टैक्स लगाएंगे और न* कि

अध्यक्ष महोदय: वह नाम कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्री सन्तोष मोहन देव: में इसे वापस लेता हूं। इसके लिए मुझे खेद है मुझे *का नाम नहीं लेना चाहिए था।

ऐसी परिस्थिति के अर्न्तगत, मैं सदन में प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। आज तक इस सदन में 49 बार अविश्वास प्रस्ताव आया है। दो बार सभा में इसका सामना नहीं किया गया और अन्य अवसरों पर सरकार बनी रही क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। पिछले रिकार्ड को ध्यान में रखते हुए मैं समझता हूं कि इस अविश्वास प्रस्ताव का भी यही हश्र होगा।

अन्त में, मैं अपनी तरफ से आपको प्राधिकृत करता हूं कि अगर आप महसूस करते हैं कि मेरे भाषण को किसी भाग से किसी को ठेस पंहुची है तो आप उसे कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल सकते हैं।

श्री राम कापसे (ठाणे): महोदय मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री संतोष मोहन देव आपको उसे कार्य के लिए प्राधिकृत कर रहे हैं जिसके लिए आपको पहले से ही प्राधिकृत है। इसलिए क्या उनकी तरफ से ऐसा करना उचित है? क्योंकि वह कह रहे हैं। इसलिए यह कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

श्री सन्तोष मोहन देव: मुझे प्रसन्नता है। मैं उन्हें प्राधिकृत किए जाने वाली बात को वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको हल्के ढंग से गम्भीर मुद्दों को उठाने के लिए धन्यवाद देता हूं।

श्री सन्तोष मोहन देव: इन शब्दों के साथ में अपना भाषण समाप्त करता हूं। क्योंकि गुलाम नबी जी मुझे बैठ जाने का संकेत कर रहे हैं। इसलिए मैं बैठ रहा हूं।

[हिन्दी]

श्री चन्द्र शेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, बड़ी आशा और विश्वास से देश ने इस सरकार की ओर देखा था और यह कहने से मुझे कोई संकोच नहीं कि मैंने भी यह समझा था कि आज के प्रधान मंत्री आये हैं, माहौल बदलेगा, काम करने का तरीका बदलेगा। इस आधार पर था कि वर्षों से उनको जानता हूं, राष्ट्रीय आन्दोलन में उन्होंने हिस्सा लिया था। उन्होंने कांग्रेस की उस परम्परा में राजनीति शुरू की थी, जिस परम्परा को गांधी ने, नेहरू ने, मौलाना आजाद ने शुरू किया था और साथ ही प्रधान मंत्री ने शुरू में ही कहा था, सबसे विचार करके हम इस सरकार को चलाएंगे। देश में समस्याएं जटिल हैं, उन जटिल समस्याओं के समाधान के लिए सबसे सलाह लेंगे, बातचीत का रास्ता अपनाएंगे।

. यह आज मैं नहीं कह रहा हूं, चाहे मैं चन्द दिनों के लिए सरकार में रहा हूं, हमारे कुछ मित्रों के हिसाब से वही मेरे सबसे बड़े पाप के दिन थे लेकिन उन दिनों का मैं जिक्र नहीं करना चाहता, क्योंकि, उन दिनों का जिक्र करना बड़ा दुखद होगा। सारी उत्तेजना के बावजूद भी मैं अपने ऊपर आत्म नियंत्रण रखना ही सही समझता हूं मैंने इस पर सोचा और मेरे गुरूदेव अटल जी ने भी कहा, माहौल जब गर्म है तो गर्म माहौल में और गर्मी लाने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि गर्मी लाने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन मुझे अत्यन्त दुख के साथ यह कहना पड़ता है, मैं नहीं जानता देश का मोह भंग हुआ या नहीं, मैं नहीं जानता अन्य सदस्यों का मोह

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री चन्द्र शेखर]

भंग हुआ या नहीं लेकिन मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि हर मुद्दे पर इस सरकार से मेरे जैसे व्यक्ति का मोह भंग हो चुका है और मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का इसलिए समर्थन कर रहा हूं। मैं प्रारम्भिक दिनों की याद दिलाता हूं जब हमारे प्रधान मंत्री ने शपथ नहीं ली थी, अभी हमारे मित्र संतोष मोहन देव ने बड़ी कृपापूर्वक कहा कि मैंने असम में सही निर्णय लिया लेकिन क्या वह भूल गए मैंने केवल असम में निर्णय नहीं लिया था यही निर्णय पंजाब के लिए भी लिया था और हमने कहा था कि दोनों जगह चुनाव होना चाहिए, सबसे बातचीत करके मैंने कहा था। मैं नहीं जानता किस की सलाह पर, अध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र नहीं करता लेकिन इतिहास में यह एक ऐसी घटना है जिसके बारे में अगर मैं कुछ न कहूं तो मैं अपने कर्तव्य से पीछे हटूंगा। उस समय के राष्ट्रपति, जो आज भी राष्ट्रपति हैं उन्होंने कहा था कि पंजाब और असम में चुनाव नहीं किए जाने चाहिए और खुले तौर पर कांग्रेस पार्टी ने उसका समर्थन किया था। हमने उस बात को नहीं माना, हमने कहा कि नहीं, स्थिति ऐसी है कि असम और पंजाब दोनों में चुनाव हो सकता है। संतोष मोहन देव जी शायद यह न जानते हों लेकिन उनकी पार्टी ने असम के चुनाव का भी विरोध किया था।

हमने चुनाव कराए, असम के चुनाव हो गए और उसके ऊपर उपलब्धियों का जिक्र संतोष मोहन देव ने किया है। चुनाव जिन परिस्थितियों में हुए, जिस प्रकार हुए उसके लिए मैं कोई श्रेय नहीं लेना चाहता, लेकिन अध्यक्ष महोदय, बड़ी विनम्रता से मैं संतोष मोहन देव जी को याद दिलाना चाहता हूं, क्योंकि वह उस अंचल से आते हैं और वहां की हालत को जानते हैं। आप चुनाव जीत गए जिस चुनाव के आप विरोधी थे, आपके पक्ष में चुनाव हो गया आप प्रसन्न हैं लेकिन उस परिणाम के बाद आपने जो सरकार बनाई, मैं उस व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहता जो व्यक्ति वहां की समस्याओं को पैदा करने के लिए जिम्मेदार था उसको आपने बना करके किए पर पानी फेरने का काम किया। इससे अधिक में किसी सरकार या किसी मुख्य मंत्री के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि जब कठिन समय था उस समय असम में चुनाव शांतिपूर्वक हुए। जब आपकी सरकार है असम में जितनी उपलब्धियों का आप जिक्र कर लें लेकिन स्थिति संतोषजनक नहीं है।

दूसरी बात पंजाब की है। सहमति की सरकार चलाने वाले प्रधानमंत्री ने शपथ लेने के पहले उन चुनावों को स्थगित करने के लिए जोर डाला, चुनाव स्थगित करने के लिए मुझ से कहा गया, मैंने कहा कि मैं उन चुनावों को स्थगित नहीं करुंगा 24 घंटे चुनाव होने को बाकी थे आपने चुनाव को टाल दिया और आप में नैतिक साहस नहीं है कि आप कहें कि चुनावों को हमने टाल दिया। मैंने तो नहीं कहा था, मैंने तो जिन लोगों से बात की उनसे कहा कि ब्लू स्टार के बाद यह दूसरी बड़ी दुर्घटना होगी, अगर आप चुनाव को टालते हैं। अध्यक्ष महोदय, चुनाव टाले गए, क्या सहमति की सरकार का शुभारम्भ इस तरह से हो। एक सरकार थी आपकी कृपा से बनी हुई थी, आप उस समय प्रधानमंत्री नहीं थे प्रधानमंत्री कहने के लिए मैं था। उस प्रधानमंत्री की राय के बिना परवाह किए हुए एक पीछे के रास्ते से मैं इसलिए कहता हूं कि सरकार की बुनियाद तिकड़म पर है, इस सरकार की बुनियाद उन मान्यताओं पर है जो मान्यताएं जनतंत्र की मान्यताएं नहीं हैं, जो मान्यताएं पार्लियामेंटरी डेमोक्रेसी की मान्यताएं नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी गम्भीरता पूर्वक कहता हूं कि उस दिन मेरे हृदय को धक्का लगा था। क्या यह बात प्रधानमंत्री, जो राष्ट्रीय आन्दोलन की देन हैं, जिन्होंने जनतंत्र की रक्षा करने का वचन दिया था, जिन्होंने महात्मा गांधी के जमाने में कहा था यही नहीं एक कदम और आगे, मैं कोई व्यक्तिगत रूप से नहीं कह रहा हूं कहां भ्रष्टाचार हुआ, बोफोर्स में किस ने पैसा लिया, मैं बार-बार पहले से कह रहा हूं यह भ्रष्टाचार छोटी बात है लेकिन यह देश के साथ, इसके संविधान के साथ, इसकी मर्यादाओं के साथ, मान्यताओं के साथ जो विश्वासघात है यह सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है जिसके लिए इतिहास कभी क्षमा नहीं करेगा। चुनाव पंजाब में, जब हम कर रहे थे, जून में, आपने उसका बायकाट किया था। आपको याद होगा, माननीय मित्र अर्जुन सिंह जी

यहां बैठे हुए हैं आपने सभाएं की थीं। आपने जगह-जगह कहा था कि चुनाव कराने ठीक नहीं हैं इसको बायकाट करो। ठीक है आपने चुनाव टाल दिए। पिछले साल फरवरी में आपने चुनाव कराए। अकाली दल के लोगों से उस चुनाव का बायकाट कराया, क्या इस सरकार को जरा भी लज्जा नहीं आती, जरा भी अपने दामन में झांकने की कोशिश नहीं करते। अगर श्री राव और अर्जुन सिंह जी चुनाव का बायकाट करें तो यह देश प्रेम है और अगर बादल और टोहरा बायकाट करें तो देशद्रोही हो जाते हैं। यह जनतंत्र की परिभाषा इस कांग्रेस पार्टी में मैं सीखने के लिए तैयार नहीं हूं।

मैंने उस समय कहा था कि सोमनाथ जी यह जो कदम है सिक्खों से हमको और अलग करने का रास्ता है, यह देश की बर्बादी का रास्ता है। मैं भरे हृदय से, बड़े दुःख के साथ कहता हूं कि अटल जी आपने हमारी बात नहीं सुनी, विश्वनाथ जी आपने नहीं सुनी, सोमनाथ जी, इन्द्रजीत गुप्त ने नहीं सुनी और जो चुनाव हुए उस पर आपको अभिमान है। आप बयान देते हैं अखबारों में, किसको बेवकूफ बना रहे हैं किसको दुनिया में भ्रम में डाल रहे हो, पंजाब की जनता के मन में कोई भ्रम नहीं है, दुनिया की नजर में कोई भ्रम नहीं है, जिस तरह के लोगों ने चुनाव में मत डाले, जिस तरह से चुनाव कराए गए, क्या वह चुनाव कराने का तरीका था, मर्यादाओं से या जिम्मेदारियों से क्या आप कह सकते हैं कि यह सहमति की सरकार है, यह सरकार मान्यताओं और मार्यदाओं को रखने वाली सरकार है, क्या आप कह सकते हैं?

अर्जुन सिंह जी आप प्रधान मंत्री जी की भूरि-भूरि प्रशंसा कीजिए, वह आपकी मजबूरी हो सकती है, हमारी भी इच्छा होती है कि हम प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करें, दिल से कहता हूं, कोई छिपाकर नहीं कहता, लेकिन जिस दिन उन्होंने पंजाब में यह काम किया, उस दिन हमारे दिल को एक ठेस लगी। इतना ही नहीं, पंजाब को छोड़िए, मैं बहुत ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, केवल कुछ बिंदुओं पर जो राष्ट्रीय समस्याएं हैं, उनके बारे में आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आज ढिंढोरा पीटा जा रहा है नई इकनामिक पालिसी का, सोसायटी का री-स्ट्रक्चर किया जा रहा है। मैंने उस समय कहा था कि यह बर्बादी का रास्ता है, जसवंत सिंह जी को थोड़ी हमदर्दी है उस नीति से, आज भी है, बनाए रखिए हमदर्दी, हमें कोई ऐतराज नहीं है। मैंने अपने मित्र मनमोहन सिंह जी को कहा था कि यह रास्ता खतरनाक है, इस पर मत जाओ। हमारे मित्र जिक्र कर रहे थे कि दुनिया के दूसरे देशों ने इस रास्ते को अपनाया है, फिलीपाइन ने बहुत तरक्की की है, कल ही जिक्र किया था और आज से 10 दिन पहले फिलिपाइन में राजनेता का आपने बयान पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि फिलिपाइन में विकास तो हुआ, अर्थ-व्यवस्था बढ़ी, लेकिन फिलिपाइन प्रोस्टीट्यूशन का अड्डा बना गया है। जसवंत सिंह जी, उस संस्कृति को आप यहां पर लाना चाहते हैं, मैं जानना चाहता हूं।

आज बड़े अभिमान के साथ कहा जाता है कि जापान सरकार को हमने कहा है, वह यहां पर जेपनीज सिटी बनाए, वे एग्री भी कर रहे हैं। हमारे मित्र रवि राय जी जब सवाल उठाते हैं तो देश के प्रधानमंत्री जी महात्मा गांधी जी की परंपराओं में पले हैं, जो सादगी के अवतार हैं, वे उठ कर मजाक करते हैं। मुझे याद आता है सोमनाथ जी वह दिन, ओरोविलो में अरविन्द आश्रम में एक ऐसी ही कालोनी बन रही थी, किसी देश की नहीं, कितना हंगामा मचा था, आप उठा कर पढ़ लीजिए। आज ये मान्यताएं हमारी कितनी गिर गई हैं, हमारे सोचने के तरीके को क्या हो गया है, हमारी मानसिकता क्या हो गई है, इस पर आप कभी सोचें।

दूसरी बात, बड़े अभिमान के साथ कहा जाता है मनमोहन सिंह जी, 6-7 बिलियन डालर, आंकड़े मुझे नहीं आते हैं, कुछ मनचले नौजवान कंप्यूटर रखते हैं, उन्होंने इस देश को बिगाड़ दिया। मुझे अफसोस हुआ, इस मेगजीन में मैंने देखा हमारे प्रधानमंत्री जी अपने घर में एक कंप्यूटर रखे हुए हैं, बुढ़ापे में पता नहीं क्या शौक उनको उठा है। ठीक है, मैं कंप्यूटर का विरोधी नहीं हूं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, हम लोगों की उम्र अब वह

[श्री चन्द्रशेखर]

नहीं है। गांधी जी जो लकुटी लिए हुए झोंपड़ी में रहने वाले थे, मनमोहन सिंह जी के यहां कंप्यूटर चल सकता है, हमारे मित्र गहलोत जी कंप्यूटर चलाएं, राजेश पायलट का भी समझ में आता है, शरद पवार चलाएं, लेकिन कहीं होड़ में हम पीछे न रह जाएं, इसलिए प्रधानमंत्री ने अपने घर में कंप्यूटर लगा लिया, दुनिया की अखबारों में फोटो छपा, क्या यह हमारी मानसिकता इस देश को बनाने की है।

मैं मनमोहन सिंह जी से बड़ी नम्रता से कहूंगा कि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ आप अपने को जोड़ रहे हैं, जसवंत सिंह जी मैं आपसे कहूंगा, आप अपने दिल पर हाथ रख कर पूछिए कि क्या यह जो अर्थव्यवस्था अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए दुनियां में संघर्ष नहीं कराती है, क्या हजारों लाखों लोगों को लड़ाई कराकर उनकी मौत नहीं कराती है, कया दुनियां का एक भी आदमी इस बात से इन्कार कर सकता है कि जिस अर्थव्यवस्था की हम नकल कर रहे हैं, वह अर्थव्यवस्था 2 विश्वयुद्धों के लिए जिम्मेदार है। अनेक छोटे देशों को पदाक्रांत करने के लिए यह अर्थव्यवस्था जिम्मेदार है, जो लोग करोड़ों गरीबों की लाशों पर अपना व्यापार चलाते हैं, उनकी यह अर्थव्यवस्था है। जिनकी दवाओं का एक्सपेरीमेंट डेवलपिंग कंट्रीज में होता है, क्योंकि वहां के लोगों की जिंदगी बेशकीमती है, वहां एक्सपेरीमेंट नहीं हो सकता और उसी अर्थव्यवस्था का एक नजारा हमने भोपाल में देखा है, मैं नहीं जाऊंगा उस अर्थव्यवस्था पर। कितना मोह, कितनी विडम्बना, कितनी आत्म-प्रवंचना। अमेरिका की अर्थव्यवस्था अपने कुछ थोड़े से काले लोगों की समस्या को हल नहीं कर सकी, उनको मर्यादा की जिन्दगी नहीं दे सकी, वह हमारे करोड़ों गरीबों को मर्यादा की जिन्दगी देगी? अर्थव्यवस्था को आंकड़ों से सिद्ध न करो। कितनी कीमत घट गयी, कितनी बढ़ गयी, जसवन्त सिंह जी भी बोल रहे थे। मैं आपसे पूछता हूं कि वी० पी० सिंह की निकम्मी सरकार थी, चन्द्रशेखर की निकम्मी सरकार थी, आज की उजागर सरकार पिछले साल जून में जब आयी, आपने हकूमत ली, उस समय गरीब को जिस भाव पर आवश्यकता की चीजें मिलती थी, परसेंटेज में न बोलें, आंकड़ों पर मत बोलें, आटा, चावल, तेल का भाव क्या था, यह बोलें। सीधे बोलें कि उस वक्त इस कीमत पर चीजें मिलती थी। आंकड़ों से दुनिया को भ्रम में डालने की साजिश करने वाली सरकार भारत के गरीबों की सरकार नहीं हो सकती।

मैंने उसी दिन कहा था, जब बजट आया, बड़ी प्रशंसा उस वक्त इस तरफ से हुई। हमारे वित्त मंत्री जी ने बहुत चालाकी से काम किया, तीन फीसदी के लिए बैटर किया है, 97 फीसदी लोग उनकी नज़रों में हैं ही नहीं। कहां गयी स्वर्णिम हाथ मिलाने वाली योजना? 40 वर्ष की उम्र में, सोम नाथ जी, आपने कहा पैसा दे दो घर चले जाओ। वे भी आदमी हैं, कम्प्यूटर नहीं हैं, मशीन नहीं हैं, 40 वर्ष की उम्र में जिसको घर भेज दोगे, उससे काम नहीं होगा। वह आपको आसानी से छोड़ेगा नहीं। लेकिन अध्यक्ष महोदय, मुझे इन पर गुस्सा नहीं आता है, तरस आता है। मुझे इतिहास की एक गाथा, एक घटना याद आती है। फ्रांस में एक बार राज परिवर्तन हुआ। एक बाल काटने वाला भी आगे बढ़ गया, नेता हो गया। थोड़े दिनों बाद प्रतिक्रान्ति हुई, वे गिरफ्तार हो गए, जब उनको जेल में ले गए, फांसी की सज़ा हो गयी। तो अखबारों के लोगों ने पूछा कि कैसा लग रहा है। उसने एक ही वाक्य कहा, मनमोहन सिंह जी याद रखिए।

[अनुवाद]

"अगर मुझे मालूम होता कि राज के मामले इतने पेचीदा
है तो मैं इसमें उपरी तौर से दिलचस्पी नहीं लेता।"

[हिन्दी]

कहीं आपको यह न कहना पड़े।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मुस्कुराहट जो हजारों-करोड़ों की मुस्कुराहट छीनने के लिए जिम्मेदार है, यह एक दिन आंसुओं में बदले बिना नहीं रहेगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि करोड़ों गरीबों की

मुर्दली के ऊपर चलने वाली अर्थनीति हमें सकझा रहे हो, उस विश्व अर्थनीति से जोड़ने की, जो विश्व अर्थ-नीति शोषण पर, दोहन पर, आदमी की मौत पर दुनिया में संघर्ष के रास्ते पर चलने वाली है। हमें वह नहीं चाहिए। हमारे देश में हम गरीबी को उजागर नहीं करते। स्वदेशी और स्वावलम्बन अपने दायरे में रहने वाली बात थी। अध्यक्ष महोदय, जिस देश की धरती ने महात्मा गांधी पैदा किया, जिसने दुनिया को स्वावलम्बन, स्वदेशी, मितव्ययता और सादगी का नारा दिया उसी देश का वित्त मंत्री कहता है स्वदेशी और स्वावलम्बन का नारा आत्मप्रवंचना है, राजनीतिक ढोंग है। मैं इस बात को नहीं कहना चाहता, कोई शेम वहां नहीं होती, ''लज्जा'' शब्द इनके शब्दकोश से निकल चुका है। इसलिए उस शब्द के इस्तेमाल करने का कोई अर्थ नहीं रह गया है। अब इस फैलिसी के बारे में और नहीं कहूंगा। समय आएगा, जब ये खुद बोलने लगेंगे उस फैलिसी के बारे में। गरीब बोलेगा, उसकी भूख बोलेगी, पीड़ा बोलेगी, उसका दर्द बोलेगा। मैं इतना ही कह कर छोड़ देता हूं।

एक और घटना हुई। हमारे देश के विदेश मंत्री डावोस में जाते है, एक कागज देते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं, मैं बोफोर्स के बारे में कभी नहीं बोला, जब विरोध में था, सरकार में था, किसी भी समय नहीं बोला। लेकिन कांग्रेस के मित्रों से मैं बोलना चाहता हूं कि विदेश मंत्री ने कागज दिया दूसरे विदेश मंत्री को, कहा जाता है कोई वकील था, इनको याद नहीं है कि कौन वकील था। जसवन्त सिंह जी ने कुछ पैराग्राफ सुनाए, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है। दुनिया में आज कल आतंकवाद की जो हालत है, कहीं भी विश्व में राजनेता इकट्ठे हों, एक-एक कदम पर, एक-एक इंटैलीजेंस का आदमी बैठा रहता है। क्या कोई वकील घुस जाएगा वहां पर? यही नहीं अर्जुन सिंह जी मैं आपसे निवेदन करूंगा, अध्यक्ष महोदय, आपके ज़रिए, कलैक्टिव रिसपौंसिबिलिटी की गवर्नमेंट है, सामूहिक उत्तरदायित्व की सरकार है, अखबारों में खबर आती है और प्रधान मंत्री अखबारों को कहते हैं कि इस खत से हमारा कोई मतलब नहीं है। विदेश मंत्री का इस्तीफा होता है, जब इधर से शोर मचता है। प्रधानमंत्री इस्तीफे का बयान देने के लिए नहीं आते हैं, हमारे नौजवान मित्र गुलाम नबी आजाद कहते हैं कि सुना है, विदेश मंत्री ने त्याग पत्र दे दिया और प्रधान मंत्री ने उसको स्वीकार कर लिया है। जो प्रधान मंत्री अपने विदेश मंत्री के सम्मान की रक्षा नहीं कर सकते तो उस प्रधान मंत्री के हाथों में देश के सम्मान की सुरक्षा कभी नहीं। यह व्यक्ति का सवाल नहीं, यह संस्थाओं, मर्यादाओं, नियमों और परम्पराओं का सवाल है। मुझे श्री माधव सिंह सोंलकी से कुछ लेना-देना नहीं। वही हालत हमारे दूसरे मित्र की हुई जो कल बोल रहे थे। उनके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, पता नहीं कितनों की हालत होगी। उनसे हमारा विरोध या दोस्ती नहीं है। देश में ऐसा कभी हुआ है कि एक केबीनेट स्तर का मंत्री इस्तीफा दे और प्रधान मंत्री यहां आकर बोले तक नहीं। एक शब्द तो कह देते कि बड़े अच्छे थे, गलती हो गई, गलतफहमी में काम हो गया। किस तरह का आचरण है। इसकी प्रशंसा हमारे श्री अर्जुन सिंह जी कर रहे थे, जिसकी प्रशंका करते हुए हमारे मित्र श्री संतोष मोहन देव थकते नहीं थे। मैं उनके लिए बिना सम्मान के ऊपर, छींटाकशी किए हुए उनके कर्तव्यों की तालिका की सूची आपके सामने रख रहा हूं। ठण्डे दिल से इस पर सोचिए। विरोध पक्ष क्या कहता है और क्यों नहीं कहता है, इसको छोड़ दीजिए। इसलिए, दूसरा सवाल आया कि बैंकों का शेयर घोटाला हुआ। क्या इसके लिए कुछ कहने की जरूरत है। मैं यह कहना चाहता हूं कि अखबारों में रोज-रोज नयी खबरें आती हैं

कल दूसरे सदन के सदस्यों ने कहा कि पिछले साल जुलाई से घपला हो रहा है। मुझे सही खबर है या नहीं, देश के राष्ट्रपति ने इस सरकार से पूछा कि शेयर इतने बढ़ रहे हैं तो इस पर आपको क्या कहना है। इस सरकार के लोगों ने कहा कि हमारी आर्थिक नीति की यह सफलता है। दुनिया के शेयर मार्किट के द्वारा कहा गया कि हिन्दुस्तान में क्या हो रहा है। जापान के और अमेरिका के लोगों ने कहा लेकिन रूस के लोगों ने नहीं कहा और चिंता मत कीजिए। ज़िनके पदचिन्हों पर आप चल रहे हैं, उन्होंने कहा। मुझे कहा जाता है रिजर्व बैंक के गवर्नर ने दो महीने पहले कहा कि मुझे लोगों के खिलाफ कदम उठाने दीजिए। लेकिन उन्हें कदम नहीं उठाने दिया गया। हमारे मित्र श्री जसवन्त सिंह जी को उन पर बड़ा रोष है। उनको कुछ बचाया नहीं जा रहा है।

[श्री चन्द्रशेखर]

अपने को बचाने के लिए उनके खिलाफ कदम उठाने की ताकत नहीं है हुकूमत में, इसलिए इस सरकार को इन बातों का जवाब देना होगा। इतनी बड़ी घटना हो जाए और हमारे आंकड़े बढ़ रहे हैं। एक मंत्री के बाद दूसरा कहता है कि तरक्की हो गई। कर्जा लेकर आते हैं और रिजर्व बैंक में जमा कर दिया और कहते हैं कि हमारी बड़ी उपलब्धि हो गई। कर्जा लेकर कहां से दोगे। क्या एक्सपोर्ट बढ़ाया। कर्जा लेना बड़ी भारी उपलब्धि है तो इसको देश के लोग नहीं मानते हैं। घुटने टेक दो, आत्म-समर्पण कर जाओ, जितना चाहो कर्जा ले लो और हमारे मित्र श्री संतोष मोहन देव कह रहे थे कि दुनिया में बड़ी इज्जत बढ़ गई, लेकिन कार्ला हिल्स दिल्ली में आकर धमका जाती है। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई विदेशी दिल्ली आकर हमारी सरकार को चेतावनी देता है, अखबार में छपा हुआ है। श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि आइ एम एफ और वर्ल्ड बैंक के लोग बैठे हुए वित्त मंत्री से जवाब-तलबी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हो, क्या-क्या वायदे किए हैं। वर्ल्ड बैंक की एक दूसरी रिपोर्ट आई है। आपके वित्त मंत्री ने क्या-क्या वायदे उनसे किए और आगे क्या करने वाले हैं। देश की आर्थिक व्यवस्था के ऊपर निर्णय दिल्ली में नहीं वाशिंगटन में होगा। यह मर्यादा है इस देश को बढ़ाने के लिए। हमारे मित्र श्री जसवन्त सिंह ने जस्टिस के बारे में कहा, जो गिल्टी है, रिवर्स ज्युरीसप्रूडेंस, इस पर श्री अर्जुन सिंह जी ने एतराज किया। मैं लॉ का विद्यार्थी नहीं हूं और मैं राजनीति शास्त्र उतना नहीं जानता हूं जितना इधर के पंडित लोग जानते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत भारत के इतिहास और परंपराओं को मैं जानता हूं। किस आधार पर श्री जसवन्त सिंह जी ने कहा कि यह रिवर्स ज्युरीसप्रूडेंस है, हमारी सभ्यता, संस्कृति और हमारे अतीत की देन है। मैं यह कहना चाहता हूं कि श्री अर्जुन सिंह जी राम मंदिर से आपको कितना भी विरोध हो और मुझे कितना भी विरोध हो।...लेकिन जिस राम राज्य की कल्पना गांधी करते थे और जिसके नाम पर आप राजनीति चलाते हो उस राम ने एक धोबी के कहने पर सीता को घर से निकाल दिया, क्योंकि राजा हर सन्देह से ऊपर होना चाहिए। इसलिए मैं सीजर की बात नहीं करता, मैं भारत की बात कहना चाहता हूं। अगर राम राज्य की बात अतीत की बात हो, कांग्रेस के मित्रों को याद न हो तो उसी राम राज्य के ऊपर चलने वाले पण्डित जवाहर लाल नेहरू के राज में क्या टी०टी० कृष्णाचारी और केशव देव मालवीय इससे छोटी बातों पर इस्तीफा नहीं दे दिये थे? आप उनसे लज्जा की बात करते हो। यहां पर बहस होती है, मैं इस्तीफा नहीं मांगता, लेकिन जिस अधिकार से वित्त मंत्री कहते है कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं जवाब दूंगा जाइंट पार्लियामेंटरी कमेटी में। क्या शर्म नहीं आती आपको इस पार्लियामेंट पद्धति के ऊपर। मैं इस्तीफे की बात नहीं कहता, लेकिन क्या टी० टी० कृष्णाचारी, केशव देव मालवीय इससे बड़े अपराध के अपराधी थे। जो चाहे सो करो मत नैतिकता की शिक्षा दो। मत कहो कि हम नया देश बनाने की कोशिश कर रहे हैं, मत कहो कि हम गांधी के रास्ते पर चल रहे हैं, मत कहो कि हम नई परम्परायें डाल रहे हैं, मत कहो कि इस देश में एक अनोखा प्रधान मंत्री पैदा हुआ। जो किसी पर अपनी बोली नहीं बोलता। चुप रहेंगे, अगर चुप रहना ही सबसे बड़ी बात है तो शायद किसी मौनी बाबा के लिए ठीक हो सकता है, प्रधान मंत्री के लिए नहीं। भेज दो मठ में मौनी बाबा बना के, आरती होगी, पूजा चढ़ेगी, लेकिन प्रधान मंत्री के पद पर बैठकर तो बोलना होगा। समस्याओं पर कुछ न कुछ कहना पड़ेगा। आज हर समस्या इसी तरह से चल रही है।

दूसरा सवाल अयोध्या का है। मैं केवल संकेत कर रहा हूं कुछ सवालों पर। अयोध्या का सवाल आज आया है क्या, पहले भी था। पहली राष्ट्रीय एकता परिषद की मीटिंग हुई। आडवाणी जी और अटलजी दोनों मौजूद हैं विश्वनाथ जी थे। वे भी यहां मौजूद हैं। उस समय मैंने कहा था सुलह-समझौते से कोई रास्ता निकालो। एक प्रस्ताव आया, हमने कहा कि इस प्रस्ताव को दूर रखो, करो काम, एक प्रस्ताव पास करो कि एक साल तक अयोध्या में कुछ नहीं होगा, केवल बातचीत होगी। मैंने आडवाणी जी से बात की, मैंने अटलजी से बात की और उनसे कहा कि गुरूदेव कुछ करो, देश टूटने जा रहा है, इसको बचाओ। उन्होंने कहा कि मैं बोलने के लिए तैयार हूं। दो बार मैं उठकर कहता हूं, प्रधान मंत्री जी अटलजी को बोलने की इजाजत नहीं देते हैं, सब लोग बोले,

अटलजी नहीं बोल पाये। मैं सबके सामने यहां यह बात कह रहा हूं। एक साल के बाद आज आप कह रहे हो इसका रास्ता निकालो। आडवाणी जी से मैंने कहा, उन्होंने हमसे कहा कि ठीक कह रहे हो, लेकिन सरकार जिस रास्ते पर चल रही है मैं क्या करूं। तुम से बात करना आसान था, इनसे नहीं। इसका क्या अर्थ है। मैंने कहा प्रधान मंत्री जी यह प्रस्ताव निरर्थक है, निरर्थक प्रस्ताव राष्ट्रीय एकता परिषद में मत पास कीजिये। प्रधान मंत्री जी को मैंने एक बार तैश में आते हुए देखा है, मैं हंस कर रह गया। यह असहाय हंसी कोई पुरूषार्थ की द्योतक नहीं है, पौरूष का प्रतीक नहीं है, चुप रह गया। एक साल तक बैठे रहे। अगर साधु और संत पूछते हैं कि एक साल तक आपने क्या किया कोई है जवाब आपके पास अर्जुन सिंह जी, कोई है जवाब आपके पास कि आपने क्या किया और क्या कदम उठाया।

राम की अनेक व्याख्यायें हैं। राम सबके हैं, राम को कई रूप में देखा है।

जाकी रही भावना जैसी
हरि मूरत देखी तिन तैसी।

हमारे राम एक हो सकते हैं, अटली जी के राम एक हो सकते हैं, आपके राम दूसरे हो सकते हैं, यहां कटियार और दीक्षित जी भी हैं, उनके राम दूसरे हो सकते हैं। हमारे भगवान मर्यादा पुरूषोतम राम हैं। हमारे राम वे हैं जो मैथिलीशरण गुप्त ने हमको सिखाया।

राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या
विश्व में रमे हुए सभी कहीं नहीं हो क्या।
तब मैं निरीश्वर हूं, ईश्वर क्षमा करो
तमुने रमो तो मन तुमे में रमो करे।।

लेकिन उस राम की उदुत्त भावना की अभिव्यक्ति करने वाले बी० जे० पी० में बहुत से लोग हैं। मैं आज नहीं कह रहा हूं, बार-बार कह चुका हूं क्या उनसे आपने सम्पर्क किया? उनको असहाय स्थिति में डाल दिया, आपने उनसे बात नहीं की। बाबरी मस्जिद कमेटी वालों से बात या चर्चा नहीं की। हर समय चुप रहने की बात, वही मौनी बाबा की कहानी, यह मौनी बाबा की कहानी चलने वाली नहीं है। मैं मानता हूं कुछ सन्त, कुछ महात्मा जिनके मन में राम की दूसरी धारणा है, वे गलत रास्ते पर जा रहे हैं, मैं उसका विरोध करता हूं। लेकिन सरकार के नाते आपकी भी कोई जिम्मेदारी होती है। इसीलिए मैं कल आपसे कह रहा था क्षमा कीजिए अध्यक्ष महोदय मैं अपने मित्र अर्जुन सिंह से कह रहा था, आपकी धर्म-निरपेक्षता मैं समझ सकता हूं, आपकी सरकार और आपकी पार्टी की धर्म-निरपेक्षता मेरी समझ में नहीं आती। मैं आज भी यह कहता हूं कि अगर बाबरी-मस्जिद का कोई ऐसा हल सम्मानजनक निकाल सकें, देश की मर्यादा बचा सकेंगे, देश की एकता भी बचा सकेंगे। मैं अपने मित्रों से दूसरी तरफ भी कह चुका हूं, फिर कहता हूं— याद रखो, बाबर आया था, राणा सांगा जैसे दस हजार लोग थे। मैंने अपने मित्र श्री मदन लाल खुराना से कहा-भाई, तुम्हारे जैसे बहादुर नहीं होंगे लेकिन उनमें से कुछ तो बहादुर होंगे जिन्होंने उसका विरोध किया होगा, नहीं तो पुरुषार्थ, पराक्रम, पौरूष कम रहा हो लेकिन फिर भी तुम्हारे हिसाब से मन्दिर टूट गया तो आज इन परिस्थितियों में टूटा, क्यों टूटा? लोग एक दूसरे से अलग हो गये थे, बिखर गये थे। आज हिन्दू-मुसलमान का सवाल नहीं है, इस राष्ट्र की एकता का सवाल है। 12-13 करोड़ लोगों के जज्बात जो मस्जिद से जुड़े हुए हैं, उनको अलग करके आप क्या देश को एक रख सकोगे? क्या देश की प्रभुसत्ता को बचा सकोगे? मैं उस दिन भी कह रहा था कि हमारे कुछ नौजवान गुस्से में आये, मैं गुस्सा नहीं करता लेकिन मैं दर्द और दुख के साथ कहता हूं कि उमा भारती ने मुझको लिखा कि आप हमारा उपहास करते हो। मैंने कहा--उमा जी, क्षमा कीजियेगा, मैं उपहास नहीं करता हूं, मैं आपकी बात को गंभीरता से लेता हूं। हमारा दिल शंका से भर जाता है कि आपने जो निश्चय किया है, अगर वह रास्ता चलता

[श्री चन्द्रशेखर]

रहा तो हमें लगता है कि भयावह परिणाम होंगे और अगर नहीं हो तो मुझे प्रसन्नता होगी लेकिन उस परिणाम को सोचकर मैं दुखी हो जाता हूं, परेशान हो जाता हूं।

अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं अपनी बात कहता हूं कि इस पर भी जो सरकार का रवैया रहा है, मैं कौन शब्द इस्तेमाल करूं, कैसे कहूं कि सरकार का यह रवैया क्षम्य नहीं है। बड़े ज़ोरों से कहा जाता है कि हम एक साल कुर्सी पर बने रहे। कुर्सी पकड़े रहना आसान है, कुर्सी छोड़ना मुश्किल है संतोष मोहन देव जी। जनतंत्र में कुर्सी पकड़ लेना बड़ी बात नहीं है। मौका आने पर अगर मर्यादा का सवाल हो, देश की राजनीति की संसदीय परम्परा का सवाल हो, तो कुर्सी को छोड़ देना बड़ी भारी मर्यादा और पुरुषार्थ की बात है। चिपके रहो कुर्सी से। अखबारों में लिखते रहो कि रोज़ 10 मिनिस्टर हैं या 12 मिनिस्टर हैं जो सब देखते रहते हैं कि कल हमारा नाम तो नहीं आ जायेगा? यह मर्यादा नहीं है। क्या कैबिनेट मिनिस्टर्स खड़े होकर अपने प्रधानमंत्री के पास जाकर नहीं पूछ सकते हैं कि क्यों नहीं इसका फैसला आज या कल कर देते हो? जहां देश की कैबिनेट के एक दो नहीं, दर्जनों मिनिस्टर्स पर उंगली रोज़ उठायी जाती हो, और देश का प्रधानमंत्री चुप हो? अध्यक्ष महोदय, आप इस सदन के गार्जियन हैं, संरक्षक हैं, क्या उस सरकार को एक मिनट भी रहने का अधिकार है? हम समझ सकते हैं कि क्या-क्या स्कैंडल बन रहे हैं? हम समझ सकते हैं कि बैंकों की कार्यवाही न हो? मैं समझ सकता हूं कि इस देश में और काम ठप्प रहें लेकिन मर्यादा-विहीन कैबिनेट के साथ इस देश का संसदीय जनतंत्र नहीं चल सकता है। इन सवालों के ऊपर मैं सरकार के विरुद्ध हूं, किसी व्यक्ति के विरुद्ध नहीं हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो बुनियादी सवाल हैं, आज भी समय है लेकिन संतोष मोहन देव जी कहते हैं कि हम फिर जीत जायेंगे। जीते हुए तो थे ही, सालभर तो सरकार चलायी है। इतिहास में क्या लिखा जायेगा कि आपने क्या किया? पंजाब, कश्मीर, असम ही नहीं, दूसरी जगहों पर भी लोगों की मौत के लिए आप जिम्मेदार हैं। आप लोगों की बरबादी के लिए जिम्मेदार हैं, समाज को तोड़ने के लिए आप जिम्मेदार हैं और आप हमसे कहते हैं। आखिरकार चार महीने की सरकार, 54 लोगों के समर्थन की सरकार और जिसमें आप हर समय अड़ंगा लगाने की कोशिश करते थे। अगर विश्व-हिन्दू परिषद् बाबरी मस्जिद उसको बैठा सकती है तो आज की सबल, प्रबल सरकार जिसकी शान-शौकत दुनिया के सामने घुटने टेक रही है, यह काम क्यों नहीं करती है? दुनिया में आपकी मर्यादा बढ़ रही है लेकिन देश में आप यह छोटा सा काम नहीं कर सके। मैं नहीं कहता कि दुनिया के और देशों के साथ आपके रिश्ते क्या है? वाशिंगटन की सड़कों पर चप्पल चटखाते हुए सूट-बूट पहने हुए हमारे मंत्री भिखारी की हैसियत से घूम रहे हैं, आप अभिमान की बात कहते हैं। करो अभिमान। सोवियत रूस में फेल हो गया, मार्क्स पढ़ रहे हो। मार्क्स को कोई समझा है? मार्क्स ने सरकार नहीं बनाई थी, मार्क्स ने मानव भावनाओं की अभिव्यक्ति की थी, इन्सान के ज़ज्बातों की बातें की थीं। जब-जब शोषण होगा, गरीबी रहेगी, भूख रहेगी। जब तक आदमी-आदमी का दोहन करता रहेगा, तब तक मार्क्स का सिद्धान्त अमर रहेगा। रूस में मार्क्स की सरकार बरबाद हो सकती है, रूस की राज्य-क्रान्ति में कुरबानी करने वालों की क्रान्तियां गड़बड़ हो गयीं। महात्मा गांधी की एक-एक बात को चिथड़ा उठाकर फैंक दो, यह सरकार महात्मा गांधी को इतिहास में दफनाने की कोशिश करे। लेकिन महात्मा गांधी अमर रहेंगे और इस दूसरे गांधी को कोई पूछेगा नहीं। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मत कहो रूस की बात। मैं सोमनाथ चटर्जी और इंद्रजीत गुप्ता जी से कहूंगा कि इन बातों से मत घबराओ।

श्री इंद्रजीत गुप्ता: हम नहीं घबराएंगे।

श्री चन्द्रशेखर: समाजवाद एक शाश्वत सिद्धांत है। समाजवाद मानव मर्यादा का सिद्धांत है, समाजवाद आदमी को एक नयी जीवनशक्ति देने का सिद्धांत है, नई जीवन-विधा है और मनमोहन सिंह जी इसको समझ नहीं सकते। उसको हमारे मित्र चिदंबरम नहीं समझ सकते। शायद अर्जुन सिंह को कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन कुछ समझें तो बोलें। चुप रहने से नहीं चलेगा। याद रखिए, दिनकर ने कहा था कि जब लड़ाई होती है तो जो लड़ाई में हिस्सा लेता है वही दोषी नहीं है, जो अन्याय के पक्ष में चुप रह जाता है, वह भी उतना ही बड़ा दोषी है। आज हमारे मित्र जो इस तरफ बैठे हुए हैं, ये इतिहास के सामने दोषी हैं। यह आज जो राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक अपराध हो रहा है, उसके मूक दर्शक हैं। मैं उनको निवेदन करूंगा कि इस प्रस्ताव का चाहे जो कुछ हो मगर अपने अंदर कुछ पौरुष लाओ, कुछ बोलने की शक्ति लाओ। नया देश बनाना हो तो इस दिशा में चलो और यह सरकार जितनी जल्दी जाए, देश के लिए उतना ही अच्छा है।

श्री बूटा सिंह (जालौर): आदरणीय अध्यक्ष जी, आज आपके सामने आदरणीय जसवंत सिंह जी का प्रस्ताव पेश है जिसमें श्री पी० वी० नरसिंहराव जी की सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया है।

श्रीमन् प्रस्ताव को प्रस्तुत करते वक्त श्री जसवंत सिंह जी ने कुछ मुद्दे उठाऐ, उन्हीं पर मैं अपने विचार व्यक्त करूंगा।

[अनुवाद]

श्री लाल कृष्ण आडवानी (गांधीनगर): महोदय मध्याह्न अवकाश का क्या होगा।

अध्यक्ष महोदय: आज भोजन का समय निर्धारित नही हैं। बिना निर्धारित समय के भोजन किया जाएगा।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या सदन मध्याह्न भोजन के लिए अवकाश करना चाहता है।

कई माननीय सदस्य: जी हां।

अध्यक्ष महोदय: श्री बूटा सिंह, आप मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपना भाषण जारी रखें।

हम सभी 2 बजे तक वापिस आए। आज बहुत कम समय का मध्याह्न भोजन अवकाश है।

1.18 म०प०

तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजे म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2.05 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2 बजकर 5 मिनट पर पुनः समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सभापटल पर रखे गए पत्र

आदर्श किराया नियंत्रण विधान

[अनुवाद]

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) श्रीमती शीला कौल की ओर से मैं आदर्श किराया नियंत्रण विधान की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए सं० एल० टी 2235/92]

केरल कृषि उद्योग निगम लिमिटेड के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की समीक्षा तथा वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभापटल पर रखने मे हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय (इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रंगाराजन कुमारमंगलम): श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):—

(एक) केरल कृषि उद्योग निगम लि० के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) केरल कृषि उद्योग निगम लि० के वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभापटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** सं० एल० टी० 2236/92]

विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 1992 संबंधी प्रत्यायोजित विधान के बारे में संशोधित ज्ञापन

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद): मैं विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) विधेयक, 1992 संबंधी प्रत्यायोजित विधान के बारे में संशोधित ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभापटल पर रखता हूं। [ग्रंथालय में रखे गए। **देखिए** सं० एल० टी० 2237/92]

[अनुवाद]

मंत्रिपरिषद में अविश्वास प्रस्ताव—जारी

अध्यक्ष महोदय: श्री बूटा सिंह अपना भाषण आरम्भ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री बूटा सिंह (जालौर): आदरणीय अध्यक्ष जी, कल से सदन में माननीय जसवन्त सिंह जी के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। अब तक सदन के प्रमुख दलों की तरफ से सम्माननीय नेता बोल चुके हैं और जो विचार व्यक्त हुए, उनसे ऐसा लगता है कि सभी दलों के नेताओं ने कुछ ऐसे सुझाव दिए, जो वे चाहते हैं आदरणीय नरसिंह राव जी की सरकार उनके ऊपर अमल करे। कुछ पर काम हुआ, कुछ पर काम नहीं हुआ, मगर मुझे सभी नेताओं के भाषणों से अब तक यही प्रतीत होता है, आदरणीय जसवंत सिंह जी को शामिल कर के कि सब के मन में एक बात के ऊपर तो विश्वास था, आज तक के संदर्भ में, मैं इस देश को यदि आज स्थायी और स्थिर सरकार कोई दे सकता है, तो वे पी०वी० नरसिंह राव और उनके सहयोगी, जो यहां पर बैठे हुए हैं, वे ही दे सकते हैं।

यह सदन देशवासियों की भावनाओं को व्यक्त करता है। यदि हम आदरणीय जसवंत सिंह जी का भाषण ध्यान से पढ़ें, तो उसमें देशवासियों की भावना अभी तक व्यक्त नहीं हुई है। उसमें भारतीय जनता पार्टी की भावना व्यक्त हुई है। इसलिए उनका एक बहुत ही संकीर्ण दृष्टिकोण है। उस दृष्टिकोण को लेकर के यदि मैं कहूं, इस सदन में लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास से ही राजसत्ता चलती है और इस सदन में चूंकि मैं उन सदस्यों में से हूं जिन्हें यह गौरव हासिल है कि सबसे पुराने सदस्यों में से हूं। तीसरी बार मैं लोक सभा में आया हूं। थोड़े वक्त के लिए बाहर भी रहा, लेकिन इस सदन के लिए यह फख्र की बात है कि विपक्ष की ओर से रखा गया अविश्वास प्रस्ताव हमेशा खारिज होता रहा है और मैं यह मानता हूं कि...(व्यवधान)

आपने पक्ष में रहकर भी कर लिया। इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इस प्रस्ताव की भी वही दशा होगी, जो आज तक के अविश्वास प्रस्तावों की हुई है। आज तक, दसवीं लोक सभा में, 21 अविश्वास प्रस्ताव पेश हुए और उनमें पद्म विभूषण श्री अटल बिहारी वाजपेयी भी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पेश कर चुके हैं, नतीजा यही हुआ कि जितनी बार भी अविश्वास प्रस्ताव इस सदन में आया, इस सदन ने उसको उठाकर बाहर फेंक दिया और हमेशा मंत्रिमण्डल को मौका दिया कि वह इस देश का नेतृत्व करे।

श्रीमन्, आज जब हम विपक्ष की ओर देखते हैं, तो हिन्दी के पत्रकार प्रमुख दलों का नाम इस तरह से लिखते हैं—एक रामो, एक वामो और एक भारतीय जनता पार्टी और दूसरे छोटे-छोटे दलों के लिए हमारे देश का दूरदर्शन कहता है-गैर भारतीय जनता पार्टी। जब हम संसद् की समीक्षा सुनते हैं, तो सभी दलों का नाम लेकर बोलते हैं, यह रामो, यह वाम या यह भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के लिए कहा जाता है—गैर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य। मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि इस सदन में और दूसरे सदन में कोई गैर-भाजपा के भी हो सकते हैं। हम सब तो भारतीय हैं। इसलिए इस सदन में जब हम इस तरह का प्रस्ताव लेकर आते हैं तो हमें सबसे पहले एक ही बात से प्रेरित रहना चाहिए कि हम देश की प्रभुसत्ता और देश के सम्मान को ठेस तो नहीं पहुंचा रहे हैं।

अभी माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर जी, जिनका मैं बहुत सम्मान करता हूं ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री होने के नाते अपने कुछ अनुभव कहे। उन्होंने बहुत सी बातों पर अपने विचार बड़े जोरदार शब्दों में कहे, प्रधानमंत्री जी को मौनी बाबा कहा। पहली बार मैंने उनके मुंह से मौनी बाबा का शब्द सुना है। श्री नरसिंह राव जिन कठिन परिस्थितियों में देश की सेवा के लिए सामने आए वे परिस्थितियां किसी से छिपी हुई नहीं हैं। देश में एक बहुत बड़े लोकमत का मंथन चल रहा था और वर्तमान सांसदों का निर्वाचन हो रहा था। उस समय एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय त्रासदी हुई। हमारे देश के महान् नायक श्री राजीव गांधी की निर्मम हत्या हुई। चुनाव को स्थगित करना पड़ा और उसके बाद दूसरे चरण में श्री नरसिंह राव ने सत्ताधारी पक्ष का नेतृत्व संभाला और चुनाव सम्पन्न हुआ। उसका परिणाम यह हुआ कि देशवासियों ने श्री नरसिंह राव के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त करते हुए कांग्रेस पार्टी को सत्ता के लिए यहां पर मैनडेट देकर भेजा ताकि वह देश को बचा सके।...(व्यवधान)

भारतीय एकता आन्दोलन के माध्यम से मुझे देश के कोने-कोने में जाने का मौका मिला। मैं पूरे प्रान्तों में गया हूं। पब्लिक प्लेटफार्म में सभी दल के लोगों के मुंह से निकलता है कि ऐसी परिस्थितियों में यदि कोई देश को स्थिरता दे पाया है तो वह श्री नरसिंह राव है।...(व्यवधान)

भाजपा के महान नेता श्री आडवाणी विदेश यात्रा पर गए और वाशिंगटन में उनसे एक प्रश्न पूछा गया तो उस प्रश्न का जवाब उन्होंने भी यही दिया कि आज के संदर्भ में भारतवर्ष की एकता और अखंडता को बचाकर रखने के लिए देश के सर्वांगीण विकास के लिए यदि कोई एकमात्र व्यक्ति है तो वह श्री नरसिंह राव हैं।

श्री जसवन्त सिंह शायद वह स्टेटमेंट देख नहीं पाए। आज मैं जसवन्त सिंह जी से समझना चाहता हूं कि उन्होंने कौन सी ऐसी परिस्थिति पेश की है। एक बात जरूर की है कि देश के संविधान का उल्लंघन करके,

[श्री बूटा सिंह]

देश की न्याय व्यवस्था को तोड़कर जो मनमानी उत्तर प्रदेश में की है वह नई बात है। अगर उसके लिए आपको अविश्वास है तो हमारे अर्जुन सिंह जी कल कह चुके हैं। उन्होंने कहा कि हमने अपना पिंड छुड़ा लिया। मैं उनको कहना चाहता हूं कि पिंड छूटा नहीं, देश के एक-एक प्रान्त में साम्प्रदायिकता की भावना फैला दी गई है और जब साम्प्रदायिकता का वृक्ष फल देता है, फूलता है तो उसकी जड़ से जातिवाद के सांप निकलते हैं। इसी के फलवरूप आज पूरे देशभर में जातिवाद से प्रेरित होकर सम्पन्न लोग दलितों के ऊपर, आदिवासियों के ऊपर, उपेक्षित लोगों के ऊपर भयंकर किस्म के अत्याचार करते जा रहे हैं।

जसवन्त सिंह जी ने अपने मुख्य भाषण में तीन मुद्दे हमारे सामने पेश किया। एक मुद्दा यह पेश किया कि देश में आवश्यक वस्तुओं के भाव बढ़े हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। आज हम देखते है कि गरीब व्यक्ति, खेत मजदूर, किसान को खाने की वस्तु बहुत मंहगें भाव पर मिलती है। मगर इसके लिये हम खुद भी तो दोषी हैं। इसी सदन में प्रक्योरमेंट प्राइस बढ़ाये। उसके साथ-साथ हम चाहते हैं कि किसानों को मुआवजा मिले। उसके साथ ही साथ क्या खेत में मजदूरी करने वाले मजदूर के वेतन में वृद्धि हुई, क्या गरीब जो मार्जिनल फार्मर था, उसकी आय में वृद्धि हुई, क्या किसान को दी जाने वाली सहूलियत में कोई उसको फायदा दिया? जो बोझा हमने लादा वह सीधा हमारे देशवासियों के ऊपर आया। इस वितरण प्रणाली से हट कर इस देश के अन्दर जो कंज्यूमर्स गुड्स हैं, उनका जो लोग व्यापार करते हैं, वे सारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। अपनी पार्टी की ओर से क्या आप ऐसा समझते हैं कि शासक ही देश के ढांचे को चला सकता है? यदि शासक ही चला सकता है तो कोई भी पुलिस का स्टेशन आफिसर, कोई भी इंसपैक्टर इनके ऊपर नियंत्रण कर लेता। मगर भारतीय जनता पार्टी उनकी तर्जुमानी करती है जो घोटाले करते हैं, जो दाम बढ़ाते हैं, जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से अनाज निकाल कर लोगों को मंहगे दामों में देते हैं। क्या भातीय जनता पार्टी ने इस पर चिंतन किया? अपने माध्यम से या पार्टी के माध्यम से कभी देशभक्ति का उसने उपदेश दिया? यह बहुत आसान है इस सदन में आकर हर छोटी और बड़ी चीज के लिये, चाहे लिपस्टिक हो, चाहे जख्म पर लगाने वाली पट्टी हो, उन्हीं पर श्री नरसिंह राव जी को कह देना कि आप इसकी कीमत के ऊपर काबू करें। इनके लिये नैतिकता की जरूरत है।

श्री चन्द्रशेखर जी के भाषण से एक ही हमें सदुपदेश मिलता है और उन्होंने कहा कि हमारे यहां नैतिकता का अभाव आ रहा है। उन्होंने ज्यादा नजर हमारे ऊपर रखी। थोड़ी सी नजर उधर भी वह रखते। आज नैतिकता की जरूरत है। इस देश में, चाहे वह किसी भी दल के हों।

अध्यक्ष महोदय, हमारे प्रधान मंत्री ने प्रधान मंत्री पद सम्भालते ही तीन दिन के अन्दर-अन्दर तमाम दलों के नेताओं को बुला कर देश की स्थिति के बारे में बातचीत की थी। उस वक्त देश की हालत बहुत चिन्ताजनक थी, चाहे वह आर्थिक स्थिति थी, चाहे सामाजिक स्थिति थी, चाहे देश के भीतर सुरक्षा की बात थी। उन्होंने उनके सामने स्पष्ट शब्दों में उस समय की स्थिति खुल कर रखी। उसी मीटिंग में हमारे वित्त मंत्री महोदय ने कुछ ऐसे कदम उठाने के प्रस्ताव किये थे कि मुझे अच्छी तरह से याद है उस वक्त विपक्ष के नेताओं को बताया गया कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था छिन्न-भिन्न हो चुकी है, कोलैप्स हो चुकी है, इनफ्लेशनरी सिचुवेशन हद से ज्यादा बढ़ गई है, बैलेंस ऑफ पेमेंट काबू से बाहर हो गया है, लैवल ऑफ फौरेन एक्सचेंज बिल्कुल नीचे जा चुका है वह था ही नहीं, सिर्फ दो हफ्तों के लिये हम इम्पोर्ट को सस्टेन कर सकते थे। उसके साथ-साथ फौरेन कमर्शियल बैंक ने हिन्दुस्तान को कर्ज देना बंद कर दिया था।

माननीय चन्द्रशेखर जी ने जो आंकड़े देकर कहा, मेरा अनुभव इनसे कम है, मैं आंकड़े नहीं जानता हूं, अर्थ नीति की पेचिदगियां नहीं जानता हूं मगर क्या यह सत्य नहीं है कि श्री वी०पी० सिंह के वक्त में आई० एम० एफ० से लोन लिये गये, श्री चन्द्रशेखर के वक्त में आई० एम०एफ० से लोन लिये गये, उस समय उनकी भी

कुछ मजबूरियां रही होंगी और आज वर्तमान परिस्थिति को सामने देखते हुए श्री पी०वी० नरसिंह राव जी की सरकार ने यदि उस परिस्थिति को सम्भालने के लिये सबसे बड़ा त्याग, सबसे बड़ी कुर्बानी करके, देश का सोना रख कर, देश को बचा कर, उस सोने को वापस किया तो क्या इसके लिये हम इतने कम्मजर्फ हैं कि हम शुक्रिया भी नहीं कर सकते हैं जिन्होंने इस देश की अर्थव्यवस्था को बचा लिया।

श्रीमान् यह कटु सत्य है कि इनको लेकर हम भाषण तो बहुत अच्छे कर सकते हैं, मगर जो उपलब्धियां हैं, वह हम नहीं कहते हैं। आज से साल, डेढ़-दो साल पहले ऐसा मौका आया कि हमारी हालत अन्तर्राष्ट्रीय जगत में शून्य हो गई थी, कोई हमें पूछता नहीं था। आज चाहे हमारे प्रधानमंत्री रियो जायें, चाहे इज्राइल और पैलेस्टियन का मसला लेकर अन्तर्राष्ट्रीय बातचीत करने की बात हो, तो उसमें सुझाव दिया जाए कि यदि इस मसले को, इस पेचीदगी को कोई सुलझा सकता है तो इसमें भारत का हस्तक्षेप अति आवश्यक है। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है कि हमारे प्रधान मंत्री और हमारी सरकार ने पण्डित जवाहर लाल नेहरू, श्रीमती इन्दिरा गांधी और श्री राजीव गांधी की वक्त की दी हुई देश की गरिमा का वह मार्ग, जिससे हमारे देश की पहचान विश्व में होती थी, अन्तर्राष्ट्रीय बड़े-बड़े मंचों पर होती थी, उसको फिर से बहाल किया।

दो साल के अंदर तो हम आठवीं योजना को भी हाथ नहीं लगा पाये। पहले जिसको रोल करके रखा हुआ था, उसको भी रोल करके रखा हुआ है। फिर से, नये सिरे से हमारे देश के प्रधान मंत्री ने, वित्त मंत्री ने दोबारा कोशिश करके आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंदर जान डाल दी। उसको फिर से लागू करने का प्रयास किया। फिर से हमारे देश के अन्दर गरीबों के लिए, उपेक्षित वर्गों के लिए, किसानों के लिए योजना बननी शुरू हुई, जिसका अभाव हो चुका था, जो खत्म हो चुकी थी। हमें उम्मीद भी नहीं थी कि हमें कभी नैक्स्ट फाइव ईयर प्लान मिलेगा। आज उस फाइव ईयर प्लान के ऊपर सारे देश के अन्दर के मुख्यमंत्रियों ने नेशनल डवलपमैंट काउंसिल में अपनी मोहर लगाई है। बहुत से मुद्दे उसमें हैं, जिनको हम चाहते थे, हमारी अपनी जो कन्वेंशन हुई थी, पूरे देश भर के पार्लियामैन्टेरियंस की और लेजिस्लेटर्स की, जिसमें शैड्यूल्ड कास्ट्स और शैडयूल्ड ट्राइब्स के लोगों ने हिस्सा लिया था, हमने उसमें एक मांग की थी, प्रधान मंत्री जी से । जहां तक प्रश्न है गरीबों के साथ जुड़े हुए जितने भी प्रोजैक्ट्स हैं या ग्रामीण विकास के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, जिनका सीधा संबंध आदिवासी और अनुसूचित जाति के लोगों के साथ है, उसमें हमारे साथ मशविरा करके आठवें फाइव ईयर प्लान को फिर से नया स्वरूप दिया जाय और सभी लोग उनके निवास स्थान पर गये, अपना प्रस्ताव हमने दिया और उन्होंने उस बात को माना कि आप लोगों को पूरी तरह से मौका दिया जायेगा। आपके प्रश्नों को, आपकी समस्याओं को, आपके विचारों को ध्यान में रखते हुए फिर आगे की योजना का काम शुरू किया जायेगा, हमें इस बात की खुशी है।

इस सदन में चर्चा उठती है, गरीबों के बारे में, अत्याचारों के बारे में, यह पहले प्रधान मंत्री थे, जब हमें राष्ट्रपति भवन से निकाल दिया गया तो हम इस सदन में आये। हमने इस प्रश्न को यहां रखा। अध्यक्ष जी, आपकी कृपा से प्रधान मंत्री जी ने तुरंत उसी दिन देश के गरीबों के प्रतिनिधियों को अपने घर बुलाया, ढाई घंटे हमारे साथ बातचीत की गई और उसके बाद नेशनल इण्टीग्रेशन काउंसिल की बैठक बुलाई गई। उसके बाद देश के सभी मुख्यमंत्रियों का दो दिन का इजलास बुलाया गया और उस इजलास में बड़ी गम्भीरता के साथ उन प्रश्नों के ऊपर विचार हुआ, कुछ मुद्दे तय हुए, कुछ फैसले लिये गये। उन फैसलों पर कहां तक अमल हुआ, कहां तक नहीं हुआ, जसवंत सिंह जी को इससे मतलब क्या। यह तो गरीबों की बात है, वह अपने भाषण में क्यों कहें। उनके भाषण में एक शब्द तक नहीं आया कि इन गरीबों की क्या हालत है, इन गरीबों के लिए क्या करना चाहिए। हां, बोफोर्स की बात बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, लच्छेदार भाषण कर सकते हैं। बोफोर्स में किसी एक अपराधी या एक तथाकथित अपराधी का कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया तो जिम्मेदार कौन है, श्री पी०वी नरसिम्हाराव । मैं पूछना चाहता हूं कि आपने आज तक, आप भी उस सरकार में बैठे रहे, उस सरकार का आपने साथ दिया और पूरा साथ दिया, पूरा हिस्सा लिया, उस सरकार में आपके बड़े-बड़े गवर्नर हुए। आप कहते हैं हम सरकार में नहीं थे लेकिन आपके गवर्नर तो आज तक भी चल रहे हैं, वह तो आपने नहीं हटाये, आपने खाली समर्थन उठा लिया। उस समय की सरकार के अन्तर्गत आप के हाथ में पूरा नियंत्रण था, इस

[श्री बूटा सिंह]

सदन का नियंत्रण था, भारत सरकार का नियंत्रण था, विदेश मंत्रालय का नियंत्रण था, आप इतनी बड़ी तोप चलाकर भी किसी भी दोषी को पकड़ नहीं पाये इसलिए मैं चाहता हूं कि हमें विवेक के साथ काम लेना चाहिए। यह राष्ट्रीय मुद्दे हैं, इन पर हमें दलगत नीति को छोड़कर ऊपर उठना चाहिए। मुझे याद है, जिस दिन पहली बार विपक्ष के नेता श्री लालकृष्ण आडवाणी बने थे तो मैंने उनको अपनी ओर से धन्यवाद देते हुए, मुबारकबाद देते हुए यह कहा था कि आडवाणी जी, मैं ऐसी भी उम्मीद करूंगा कि आप बी०जे०पी० का नेतृत्व तो करें जरूर, मगर साथ ही साथ विपक्ष के नेता होते हुए इस देश के सामने कैसा विकल्प होगा, उसकी बात भी करें। अफसोस, आज तक वह केवल बी०जे०पी० का ही नेतृत्व करते चले आ रहे हैं और उसमें भी फण्डामेण्टलिज्म को बढ़ावा देते चले जा रहे हैं। गांधीनगर में जाकर गांधी के चरण पकड़ने से तो गांधी जी का सिद्धान्त नहीं अपनाया जा सकता। आपने कह दिया कि हम स्वदेशी का प्रचार करेंगे, बड़ी अच्छी बात है, आज तो जो कुछ भी देश में बनता है स्वदेशी है चाहे कम्प्यूटर ही बनता हो, कम्प्यूटर भी यही बनता है वह भी स्वदेशी है और जब आप प्रधानमंत्री थे तो आपके दफ्तर में भी था, आपने उसको उठा कर फेंका नहीं। मैं चाहूंगा कि आप भी सीख लें, मुझे नहीं आता मुझे तो नार्मल टाइपिंग भी नहीं आती।

इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने गांधी नगर में अधिवेशन किया, स्वदेशी अपनाया, बड़ी अच्छी बात है और गांधी जी का बहुत बड़ा पताका उठा कर देशवासियों को यह भी बताने की कोशिश की गई कि हम जेनुअन सेक्युलरिज़म लाएंगे। अब जेनअुन सेक्युलरिज़म अहमदाबाद में में आ गया, देखा है आपने कितने मासूम लोगों की जानें चली गई, खाली इस बात के लिए कि एक जुलूस जाना था और एक बकायदा योजनाबद्ध ढंग से उसके ऊपर हमला कर दिया गया। **(व्यवधान)**

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): किसने?

श्री बूटा सिंह: साम्प्रदायिओं ने। मैं साम्प्रदायिकता की बात कर रहा हूं। गांधी नगर से निकल कर यदि इस देश में आप अंत्योदय की सेवा की बात करते हो तो बड़ी अच्छी बात है, होना चाहिये, हम चाहते हैं, यही तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था तिरूपति में, मैं चाहता हूं कि हमारे देश की राजनीति सम्प्रदाय से उठ कर, धर्म से उठ कर इस देश की समस्याओं को लेकर, इस देश के लोगों को लेकर के और इस देश के भविष्य को लेकर यदि सभी पार्टियां अपने-अपने मेनिफेस्टों में, अपने-अपने प्रोग्राम में केवल भारतवर्ष का प्रोग्राम रखें और एक बहुत कांस्ट्रकटिव ढंग से रखें तो हमें उस बात के लिए खुशी होगी, बहुत हद तक श्री राव जी उसमें कामयाब हुए। आज भारतीय जनता पार्टी में बहुत भारी संख्या में नेता लोग ऐसे हैं जिनसे हमारा सम्पर्क होता है। हम रोज सुबह से शाम तक एक ही नारा सुनते आए हैं जरा देश के लिए भी कुछ करके देखें।

आज बहुत से मान्यवर सदस्यों ने, मैं तो चाहता था कि जब अयोध्या के ऊपर बात हो तब मुझे गुलाम नबी आजाद साहब मौका दें। बहुत से सदस्यों ने आज इस बात को उठाया मैं कहता हूं कि किसी ने इस सदन में राम मन्दिर का विरोध नहीं किया, कभी भी। वहां बड़ी लम्बी-चौड़ी बातचीत चली, नेगोसिएशंस हुई और दोनों पक्षों की ओर से बड़ी लम्बी-लम्बी नेगोसिएशंस हुई, 10-10, 12-12 मीटिंगस हुई और उसमें कुछ फैसले हुए, उसमें एक फैसला यह भी हुआ, उस वक्त देश की परिस्थिति क्या थी, उस वक्त परिस्थिति यह थी कि पूरे देश की सारी की सारी पुलिस फोर्स डेपलायड थी, गांव में पहुंच चुकी थी। किसी थाने में तीन-चार से ज्यादा कांस्टेबल नहीं थे। इलैक्शन का माहौल था, सब जगह पर पुलिस तैनात हो चुकी थी। जिस वक्त यह शिलान्यास का प्रश्न उठा था, हमलोग लॉ एंड आर्डर के प्रश्न को लेकर विचार कर रहे थे कि किसी तरह से देश के कोने-कोने में आगजनी से बचा जा सके, देश के अंदर खून की नदियां न बहें। सब ने मिलजुल कर, बैठ कर बातचीत की थी और ठीक ढंग से परिस्थिति को सुधारने के लिए हम लोगों ने एकजुट होकर फैसला किया और उसका नेताप्रद संचालन हो रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी उस वक्त केबिनेट समिति के चेयरमैन थे वे रोज उसकी समीक्षा करते थे, मीटिंग होती थी और एक फैसला हुआ कि बड़े शांतिपूर्वक ढंग से सरकार के माध्यम से जो देश के लाखों गांवों में शिलाएं पूजी गई हैं उनको इकट्ठा किया जाए, इकट्ठा किया गया और बहुत सी सरकारों ने, जिसमें केवल कांग्रेस की सरकार नहीं थी बल्कि दूसरी सरकारें भी थीं, सहयोग दिया। शिला वहां पर आ गई, वहां एक फैसला हुआ और बकायदा विश्व हिन्दू परिषद के सर्वोच्च पांच अधिकारियों ने उस फैसले के ऊपर दस्तखत किए। उस वक्त इलैक्शन था इसलिए हम लोग तो अच्छी तरह से प्रचार नहीं कर पाए, उसके पूर्व श्री विश्वनाथ जी की सरकार ने उस संधि को, उस समझौते को देश के सारे अखबारों में,

आधा-आधा पेज किराए पर, पैसा खर्च करके उसको छापा गया लेकिन अफसोस कि जो फैसला हुआ था उससे विश्व हिन्दू परिषद् ने हमें धोखा दिया वे उस फैसले के खिलाफ जाकर, फैसला यह हुआ था कि शिलान्यास के बाद वहां से चले जाएंगे और जब कचहरी का फैसला आएगा उसके बाद इस प्रश्न को फिर हाथ लगाएंगे। उसकी एक लाइन है, जिसमें यह लिखा हुआ है। विश्व हिन्दू परिषद् के नेताओं ने दस्तखत करके दिया हुआ है:

[अनुवाद]

"हम न्यायालय के निर्णय का पालन करेंगे।"

[हिन्दी]

मैं इतनी अच्छी आंग्ल भाषा नहीं जानता आडवाणी जी मेरे से अच्छी जानते हैं, वे इसका हिन्दी में अनुवाद करेंगे तब भी यही निकलेगा कि कचहरी का फैसला आखिरी होगा और हम उसके साथ होंगे, जो भी फैसला होगा, उसके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। उस कचहरी के फैसले की बात छोड़ दीजिए, आज ही कचहरी के फैसले की धज्जियां उड़ा दी गई, उत्तर प्रदेश सरकार कुछ कहती है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कुछ कहते हैं, विश्व हिन्दू परिषद के प्रवक्ता कुछ कहते हैं यहां के माननीय सदस्य कुछ कहते हैं इस बात का स्पष्टीकरण होना चाहिए।

एक माननीय सदस्य: आपका क्या कहना है।

श्री बूटा सिंह : मैंने जो कहना था वह प्रधानमंत्री जी ने कल कह दिया है। मुझे खुशी है कि जो शिक्षा हमने ली थी, आज उस शिक्षा की तस्दीक प्रधानमंत्री जी ने की है, यह राष्ट्र-हित में है। आज जरूरत अविश्वास की नहीं है, जसवंत सिंह जी आप यदि एक मुद्दे पर नाराज हो गए तो यह मुद्दा कोई ऐसा नहीं है कि देश को दांव पर लगा दिया जाए। आज देश के कोने कोने में एक ही बात के लिए इस सदन को देख रहे हैं-मैं केवल अपने दल की बात नहीं कर रहा हूं, इतनी गम्भीर स्थिति में देश के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, कुछ अमीर लोगों ने मेरिट के लोग जिनको कहा जाता है, जो कहते हैं कि मेरिट्स के लोग होने चाहिए, देख लिया मेरिट के लोगों का किरदार क्या है, देशभक्ति क्या है, हजारों-अरबों रुपए खा कर देशभक्ति का सुबूत देकर चले गए हैं। यह गरीब किसानों और मजदूरों का देश है, जब बलिदान की बात आती है तो खून किसान और गरीब की रग से निकलता है, किसी धनी आदमी ने खून नहीं दिया। इसलिए आज इस देश को जरूरत है अखंडता की, एकता की, एक साथ मिलकर चलने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी आज इस परिस्थिति में है, भारतीय जनता पार्टी के साथ समय-समय पर हमारे प्रधान मंत्री जी ने कुछ मद्दों पर कोशिश की है कि देश की हालत को सुधारने के लिए, देश की प्रभुसत्ता और अखण्डता को बचाने के लिए सभी दलों को साथ लें।

आपने कल जिक्र किया पंजाब का, अभी-अभी चन्द्रशेखर जी ने पंजाब का जिक्र किया, मैं ज्यादा नहीं जाना चाहता, पंजाब की हालत बहुत खराब है, इसलिए उसको हम दलगत नीति में नहीं डालना चाहते। हम चाहते हैं कि पंजाब के लोग फिर से खुश हों, बहाल हो, इस देश की सेवा में पंजाब का हिस्सा हो, उस हिस्से को पंजाब अपने हाथ में ले। चुनाव की बात की गई, ठीक है, उस वक्त चुनाव का बहिष्कार किया गया था, जब यह प्रस्ताव किया गया कि पंजाब का चुनाव प्लेबीसाइट माना जाएगा, क्या आप तैयार हैं। क्या आज तैयार हैं, कश्मीर में आप तैयार नहीं हैं तो पंजाब में कैसे तैयार हो सकते हैं। हमने इसलिए बहिष्कार किया था, कांग्रेस पार्टी ने कि प्लेबीसाइट मानकर दुनिया में उछाला जाएगा तो हम इस चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। अब जो उन्होंने बायकाट किया है, उसके बारे में बताता हूं। चुनाव की घोषणा होते ही मुक्तसर में एक बहुत बड़ा जलसा हुआ, उसमें नामवर आतंकवादियों ने भाग लिया, वार्निंग दे दी कि जो अकाली दल, छोटा-बड़ा नेता, जो इसमें हिस्सा लेगा और उसमें यह भी पास किया गया कि जो अकाली दल इसमें हिस्सा लेगा, उसको तो हम सोद कर रख देंगे, जो हिस्सा लेगा उसको गद्दार माना जाएगा। लोग डर गए, जान सब को प्यारी है, इसलिए

[श्री बूटा सिंह]

बहिष्कार कर दिया। यह अंतर है देखिए, कांग्रेस ने सिद्धांत पर बहिष्कार किया, उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए बहिष्कार किया। हम मानते हैं कि पंजाब में चुनाव हुए, जिस प्रकार से होने चाहिए थे, उस प्रकार से नहीं हुए, कोई इस बात का दावा नहीं करता है। हम मानते हैं कि बंदूक के नीचे जो चुनाव हुए, लोग सीमित मात्रा में आये, फिर भी उन लोगों की बहादुरी और हिम्मत देखिए कि वे बंदूक की गोली होते हुए उठे, लोकतंत्र और जम्हूरियत के लिए आगे आए और उन्होंने एक आवाज से कहा कि हमें अपनी चुनी हुई सरकार चाहिए। अब वहां चुनी हुई सरकार आ गई और चुनी हुई सरकार ने जो वातावरण पंजाब में कायम किया है, फिर से लोगों को एक साथ जोड़ा है, गांवों में जाकर लोगों से बातचीत हुई है और आतंकवादियों को अलग किया गया है बहुत हद तक और लोगों का मनोबल बढ़ा है। लोग चाहते हैं कि पंजाब का विकास हो। आप देखिए कि जिस तरह से पंजाब में कृषि का उत्पादन हुआ है, पिछले हफ्ते पंजाब में एक बहुत बड़ी रैली हुई, बलराम जाखड़ जी ने उस रैली को संबोधित किया था, यह रैली पंजाब के संदर्भ में एक नई चेतना है, एक नई भावना है लोगों के प्रति।

इसलिए मैं चाहता हूं कि जो भी उपलब्धि पंजाब में हुई है, उसको देखते हुए हम तुरंत फैसला करें और जम्मू कश्मीर में भी लोगों के सहयोग से चुनाव कराएं, वहां के लोगों को देश के साथ लें जिनका इस देश के साथ अटूट प्यार है। जम्मू कश्मीर के लोग सच्चे देशवासी हैं, सच्चे देशभक्त हैं। यदि वे नहीं उठते तो जम्मू कश्मीर हमारे साथ नहीं होता। आसाम की बात की गयी। अभी पिछले हफ्ते मैं जब कलकत्ता में था, मुझे पता चला कि उल्फा के सभी मेजर ग्रुप्स ने फैसला किया है और शायद आज या कल फैसला हो जाए, नई संधि हो रही है जिससे उल्फा जैसी बीमारी हमेशा के लिए आसाम से खत्म हो जाएगी। जिसने भी यह की है मैं उसको मुबारकबाद देता हूं।

अध्यक्ष जी, आज खतरा है देश के अन्दर, जसवन्त सिंह जी, खतरा सरहदों के पार से तो है ही, इसमें कोई सन्देह नहीं, खतरा देश के अन्दर बहुत बढ़ा है। जिस प्रकार का भयानक साम्प्रदायिकता का प्रचार चल रहा है वह बाहर के खतरों से कहीं ज्यादा अधिक है। मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, करबद्ध प्रार्थना करता हूं, भारतीय जनता पार्टी से, विश्व हिन्दू परिषद से कि आज इस नाजुक परिस्थिति में देश का साथ दीजिए, अविश्वास नहीं विश्वास की जरूरत है। यदि आप अविश्वास पर अटल रहे तो इस सदन को आपका विश्वास उठा कर सड़क पर फैंकना पड़ेगा और फिर से श्री पी० वी नरसिंह राव से प्रार्थना करनी पड़ेगी कि देश को जोड़ने वाले लोगों को साथ रखो, बराबरी सबके साथ करो।

जिस बात के लिए अर्जुन सिंह साहब ने कहा है पिण्ड छूट गया है, पिण्ड नहीं छूटा। जो साम्प्रदायिकता का ज़हर फैल चुका है, जब तक यह गांव में चलता है तब तक हमारा पिण्ड नहीं छूटा। जितने भी प्रोग्रेसिव, सैक्यूलर विचारों के नेता बैठे हैं, दल बैठे हुए हैं, कांग्रेस पार्टी है, सबको चाहिए कि देश के कोने-कोने में जा कर महात्मा गांधी, पं० जवाहर लाल नेहरू, मौलाना आजाद और सरदार पटेल के विचारों का प्रचार कर के देश में फैली हुई भयानक साम्प्रदायिकता को खत्म कर के देश में एकता और एकमत पैदा करें तभी हम अपने देश को बचा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं जसवन्त सिंह जी के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर): अध्यक्ष महोदय, निःसंदेह मैं अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं जिसे इस पक्ष के कुछ सदस्यों ने प्रस्तुत किया है। मेरे विचार से तथ्य को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताया जाना चाहिए— कुछ लोग उसे इस तरह से बताने का प्रयास कर रहे हैं— कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया है और हम वामपंथी दल और जनता दल सभी ने ऐसे ही प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। ये प्रस्ताव एक जैसे ही हैं क्योंकि यह सदन का नियम है परन्तु इसका इससे अधिक अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। यह एक संसदीय हथियार है जिसे कभी-कभी प्रयोग में लाया जाना चाहिए और इसका किसी भी

तरह से यह आशय नहीं है कि उन प्रस्तावों के पीछे अभिप्राय एक ही हो चाहे वे एक जैसे हों। मेरे मित्र श्री जसवंत सिंह ने अपने भाषण में जो भी कहा है उसकी कई बातों से मैं पूर्णतः सहमत हूं और कई बातों से मैं सहमत नहीं हूं। परन्तु प्रश्न यह है कि मेरे मित्र श्री संतोष मोहन देव के कथन से लगता है कि वह अपने अंतर्विरोधी वक्तव्यों में स्वयं ही उलझ गए हैं एक ओर तो उन्होंने बहुत ही खतरनाक स्थिति का चित्रण किया है कि यदि यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो इस देश का क्या होगा? दूसरी ओर थोड़ी ही देर बाद उन्होंने कहा कि इसके पारित होने की कोई संभावना नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और हम जोकि सरकार के पक्ष में हैं एक दूसरे के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान नहीं कर रहे हैं। अतः वे दोनों तरफ नहीं जा सकते। जो भी हो, मैं समझता हूं कि यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है तो कोई खतरनाक स्थिति पैदा नहीं हो जाएगी।

एक ओर चुनाव होगा इससे कतिपय लोगों का भविष्य खतरे में हो सकता है। एक और चुनाव होगा, और निःसंदेह यह बहुत खर्चीला होगा अतः कोई भी व्यक्ति इसका इस तरह से स्वागत नहीं करता और इस देश के लोग अपना पुनः अधिमत देंगे और यह निर्णय करेंगे कि किन लोगों को सरकार बनानी चाहिए और शासन करना चाहिए।

महोदय, बहुत सी बातें कहीं गई हैं जिन्हें दोहराने का मेरा कोई विचार नहीं है क्योंकि इसका अर्थ होगा कि और समय लेना। मेरे कुछ दूसरे मित्रों ने यहां पर बदकिस्मत माधवसिंह सोलंकी प्रकरण का उल्लेख किया है। मैं तो प्रधानमंत्री से केवल इतना जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने कभी श्री सोलंकी से इस पूरे प्रकरण और इसमें उनकी भूमिका के बारे में पूछताछ की थी। क्या कभी उनसे पूछताछ की गई थी हमें अभी भी इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। हमें इतना पता है कि उन्होंने इस बात के अतिरिक्त जिससे उस अवसर पर प्रधान मंत्री और सरकार के लिए परेशानी की बात उत्पन्न हो गई थी कुछ तो जरूर किया जैसाकि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है जिसकी मंत्रिमंडल के किसी वरिष्ठ सदस्य से करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। लेकिन क्या हमें उस पर विश्वास करना चाहिये? क्या यह बात विश्वसनीय है कि विदेश मंत्री, जोकि मंत्रिमंडल के एक वरिष्ठ सदस्य हैं, स्वयं इस प्रकार का व्यवहार कर सकते हैं? यह एक ऐसा मामला है, जिस पर विश्वास नहीं होता। हम यह चाहते है कि इन सभी बातों के पीछे जो उद्देश्य था उसका पता लगाया जाना चाहिए। हम जिस जांच की मांग कर रहे हैं, इसका उद्देश्य यही है। हम यह नहीं मान सकते कि उन्होंने अपनी इच्छा से यहां कार्य किया। तथापि, ऐसी बात नहीं हुई। वस्तुतः प्रधानमंत्री जी ने उस दिन जो कुछ कहा उसका यही अर्थ है कि केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने पूरे मामले से अपने को अलग कर लिया है क्योंकि किसी भी बात का पता नहीं चल सकता। उस व्यक्ति का पता नहीं चल सकता जिसने वह नोट सौंपा था। मैं यह जानना चाहता हूं कि किस प्रकार की जांच की गई थी।

खैर बात यह है कि मंत्रिमण्डल के ऐसे वरिष्ठ मंत्री के इस प्रकार के रहस्यपूर्ण आचरण के बावजूद, सरकार के लिए उत्पन्न हुई परेशानी और अनुचित ढंग से व्यवहार करने के बावजूद ऐसा लगता है कि प्रधान मंत्री का अभी भी उनमें अत्यधिक विश्वास है, क्योंकि तिरुपति में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सम्मेलन में प्रधान मंत्री को विदेशी मामलों के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए श्री माधव सिंह सोलंकी के अतिरिक्त कोई अन्य व्यक्ति नहीं मिला। उन्हें इस प्रकार प्राथमिकता दी गई। लेकिन पूरा मामला रहस्य की परतों में है। मुझे विश्वास है कि अंतिम सच्चाई का अभी पता नहीं चला है।

उसके बाद प्रश्न यह आता है कि क्या ऐसे प्रतिष्ठित मंत्री का इस प्रकार मजाक किया जाना चाहिए, उन्हें इस प्रकार संकट में डाल देना चाहिए। मेरा मुद्दा यह है कि ऐसी बात पहले कभी नहीं हुई है। हम यह अविश्वास प्रस्ताव कतिपय अभूतपूर्व चूकों और गलत कार्यों के कारण प्रस्तुत कर रहे हैं। ऐसे गलत कार्य पहले कभी नहीं हुए हैं।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

मेरा यह विश्वास है कि किसी भी देश की वित्तीय प्रणाली अथवा बैंकिंग प्रणाली अंततः लोगों के भरोसे पर टिकी होती है। जैसाकि कहीं डा० मनमोहन सिंह ने ठीक ही कहा है कि देश के यदि सभी लोग किस दिन विशेष—ऐसी कल्पना करते हैं बैंकों में अपनी जमा-राशियों को वापस लेने की मांग करते हैं बैंक इतनी धनराशि नहीं दे सकते। सभी कुछ विफल हो जाएगा, लेकिन वस्तुतः ऐसा कभी नहीं होगा। अतः यह तंत्र अंतः लोगों के भरोसे और विश्वास पर टिका हुआ होता है। यह उनका धन होता है जोकि बैंकों में सुरक्षित अभिरक्षा में रखा जाता है। मैं इस सरकार को जन-विश्वास को पूरी तरह से खण्डित करने और खत्म कर देने का दोषी ठहराता हूं। यह ऐसी बात है जो पहले कभी नहीं हुई है। डा० मनमोहन सिंह ने हमें अनेको बार यह बताया है कि विदेशी निवेशकों ने विश्वास का संचार करने के लिए कतिपय कदम और उधार आवश्यक है मुझे पता नही है कि यह घोटाला होने के बाद वह विदेशी निवेशकों में किस हद तक विश्वास पैदा कर पाये हैं। लेकिन जहां तक इस देश में निवेशकों का संबंध है, छोटे-छोटे व्यक्तियों का संबंध है—मेरा अभिप्राय यहां पर अम्बानी, बिरला, टाटा और ऐसे लोगों से नहीं है—वे निश्चित रूप से मैं तो उन छोटे व्यक्तियों, पेशन भोगियों, मध्यवर्गीय कर्मचारियों, छोटे दुकानदारों, छोटे व्यावसायियों के बारे में बातें कर रहा हूं जिन्हें मुनाफा कमाने के लिए प्रलोभन भी दिया गया था। इस प्रकार उन्होंने शेयर खरीदे थे। क्या आप के विचार से इससे लोगों का विश्वास इस प्रकार की प्रणाली में बाकी रह गया है? वह खत्म हो गया है और कुछ करना पड़ेगा। उन्हें हमें यह बताना होगा कि बिना किसी को बख्शे यह विश्वसनीयता और भरोसा कैसे शीघ्रातिशीघ्र और बिना किसी हिचक के बहाल किया जायेगा। अन्यथा, इस बैंकिग और वित्तीय प्रणाली को ऐसा जबरदस्त झटका लगा है कि व्यावहारिक रूप से काफी लम्बे समय तक इसमे सुधार करना असम्भव होगा।

इस पुनःनिर्माण के समूचे उद्देश्य से—इस संकट प्रबन्धन के समग्र उद्देश्य से—जब पिछले वर्ष शुरू में विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक में इसका उल्लेख किया गया था जिसमें हमारे सामने संकट प्रबन्धन मुख्य विषय था और यह सच भी है कि हमें यह बताया गया था कि संकट कितना गम्भीर है, देश की अर्थव्यवस्था कितनी ठप्प हो गई है और जब तक हम इन कदमों को नहीं उठाते, जब तक हम ऋण नहीं लेते, जब तक रुपये का अवमूल्यन नहीं करते, जोकि दो बार थोड़े-थोड़े अन्तराल पर किया जा चुका है और जब तक बैंक आफ इंडिया के वाल्ट से काफी मात्रा में सोना लंदन नहीं भेजते हमें परिणाम भुगतने होंगे और विश्व में अपनी ऋण देयता स्थापित करने के लिए शीघ्र ही ये चीजे की गई। उस बैठक में मैंने एक छोटी सी बात बल्कि कहना चाहिए कि एक बेवकूफी की बात कही थी। मैंने प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री से कहा था कि "हम सुधारों के विरुद्ध नहीं है।" हमारी अर्थव्यवस्था में कई चीजों में सुधार करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि आप इस संकट की घड़ी में बलिदान करने और कमर कसने की बात करते हैं, लेकिन आप किसकी कमर कसना चाहते है? हमें कमर कसने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसकी कमर? क्या ये बड़ी गैर-सरकारी निगमित कर्मचारियों की कमर कसने की बात है? क्या अपनी कमर उन बड़े लोगों, जोकि प्रतिदिन काला धन बना रहे है उसे इस देश से बाहर भेज रहे हैं तथा गुप्त खातों मे रख रहे हैं तथा जो आदतन करापयंक है को कसनी है? उनके नाम अक्सर इस सभा में बताए जाते हैं। क्या इस सुधारों की कीमत उन्हें देनी होगी अथवा इनका समूचा बोझ वे वर्ग उठाएंगे जोकि इन्हें उठाने में कतई सक्षम नहीं है? यही उत्तर हम चाहते हैं। ठीक है, हमें आश्वासन दिया गया था कि सभी लोगों आम लोगों निर्धन लोगों के हितों और सभी चीजों को ध्यान में रखा जाएगा। हमें यही बात बताई गई थी। अब इस सरकार को कार्य करते हुए एक वर्ष हो गया है। मुद्रास्फीति मूल्य वृद्धि तथा निर्धनतम लोगों की स्थिति, विशेषतौर पर ग्रामीण लोगों में, इत्यादि के बारे में मेरे मित्रों ने जो कुछ भी कहा है मैं उसके अलावा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। किन्तु हम देख सकते है कि किसे लाभ हो रहा है तथा किसे हानि हो रही है और पूरे मामले की विडम्बना यह है कि ऐसे

लोगों के वर्ग जिन्हें इस उदार नीति से सबसे अधिक-लाभ-होता है, उन्होंने ही घोटाला करके वित्त मंत्री की पीठ में छुरा घोपा है।

हम नहीं हैं। हमने ऐसे घोटाले नहीं करते हैं। यह उन लोगों ने किया है आपकी नीति का सर्वाधिक लाभ उठाते हैं। यह स्थिति की विडम्बना है क्योंकि जिस सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया है वह यह है कि आप इसे जितनी उदार करेंगे बेहतर लोगों को इसका उतना ही स्वतः लाभ होगा। वे और अधिक ईमानदार होंगे, वे और अधिक निष्कपट होंगे वे और अधिक स्पष्ट होंगे और सब कुछ बता देंगे। वे कुछ भी छिपाने का प्रयास नहीं करेंगे। यह सिद्धान्त लागू नहीं होता यदि आप उदारीकरण के सिद्धान्त को लागू करना चाहते हैं, तो आपको अधिक अनुशासित होना पड़ेगा। किन्तु हमारे वित्त मंत्री महोदय अर्थ-व्यवस्था पर पूरा नियंत्रण रखे बिना इसे उदार बनाना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि इस अर्थ व्यवस्था पर किसी प्रकार का नियंत्रण रखे बिना इसे नौकरशाही से मुक्त किया जाये और कोई कठोर अनुशासन भी लागू न किया जाये।

इसके अलावा, क्या हो रहा है? आपने देखा है कि क्या हो रहा है इस प्रकार सुधारों के अविनियमित उपायों से देश में सर्वनाश तथा विध्वंस होगा। मैं उनकी इस बात से सहमत नहीं हूं जब वे यह कहते हैं कि यह सब प्रणाली की असफलता है, एक प्रणाली गत असफलता प्रणाली गत असफलता का तात्पर्य है कि किसी व्यक्ति को दोष नहीं दिया जा सकता केवल प्रणाली को ही दोष दिया जा सकता है। अतः उन लोगों का उत्तरदायित्व जवाबदेही तथा नैतिक जिम्मेदारी, जो उतने बड़े घोटाले के जिम्मेदार हैं महत्व नहीं रखती केवल प्रणाली का ही महत्व है। मैं यह कह रहा हूं कि इस प्रणाली में कई कमियां अथवा गल्तियां हो सकती हैं इसमें कोई संदेह नहीं है। किन्तु जो लोग इस प्रणाली को लागू करते हैं जिन लोगों को इस प्रणाली के लागू करने का कार्यभार सौंपा गया है और जिन लोगों के कारण इस प्रकार के घोटाले की स्थिति आयी—कृपया उनके किए पर लीपापोती न करें और उनकी गल्तियों को छुपाने का प्रयास न करें। कुछ लोगों को उनके पद से हटा दिया गया है और उन्हें छुट्टी पर जाने के लिए कहा गया है। कुछ लोगों पर न्यायालयों में मुकद्दमा चलाया गया है। किन्तु मैं पूरे मामले के स्त्रोत अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के लिए चिन्तित हूं।

महोदय, 50 वर्ष पहले जब हम अर्थशास्त्र के विद्यार्थी थे मुझे याद है जब मैं कालेज में अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहा था तो हमें एक परिभाषा बतायी जाती थी कि भारतीय रिज़र्व बैंक, बैंकों का बैंक है, यह बैंककारियों का बैंक है। यह स्वतंत्रतापूर्व की बात है जब हमें सारी बातें प्राध्याताओं द्वारा बताई जाती थी। इसके अलावा, मैं एक बात जानना चाहूंगा। कृपया हमें ठीक ठीक बताये कि इस समय इस भारतीय रिज़र्व बैंक की क्या भूमिका तथा कृत्य हैं क्योंकि आपके गर्वनर श्री वेंकिटारमणन जिनका संरक्षण आप प्रति दिन कर रहे हैं ने कहा है:— "वास्तव में यह भारतीय रिज़र्व बैंक का कार्य नहीं है— कि वह एक गुप्तचर एजेंसी के रूप में कार्य करे।"

किसी ने भी यह नहीं कहा है कि उसे एक गुप्तचर एजेंसी के रूप में कार्य करना चाहिए मैं 'सन्डे आब्जर्वर' को उनके द्वारा दिए गए एक साक्षात्कार से उद्धरण दे रहा हूं। उन्होंने कहा है:—

> "भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका पर्यवेक्षण करने की है। यह प्रत्येक बैंक के प्रत्येक कार्य संचालन को नहीं देख सकता....."

उन्हें किसने कहा कि वे यह कार्य करे? इसके अलावा, उन्होंने कहा:—

> 'उनकी स्वयं की नियंत्रण प्रणाली तथा उचित लेखा परीक्षा व्यवस्था आदि होनी चाहिए। .....जब तक कोई धोखा घड़ी नही हो जाती तब तक कोई भी इसका पूर्वानुमान नहीं लगा सकता।"

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

क्या यह सत्य है? कृपया बतायें कि इस समग्र प्रणाली के बारे में आपकी क्या अनुभूति है। निश्चय है, श्री वेंकिटारमणन ने उन लोगों जो उन्हें बाहर खींचना चाहते है के बारे में जो कहा उसके लिए वे प्रसिद्ध हो गये है। उन्होंने बताया है।

"वे लोग जो मुझे बाहर खींचना चाहते हैं, वे अपराधियों को सहायता पहुंचाने के लिए चल रही जांच को रोकना चाहते हैं....."

उसके बाद आप उनके साथ तर्क नहीं कर सकते। आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ तर्क वितर्क कैसे कर सकते हैं। जो यह कहता है कि जो व्यक्ति मेरी आलोचना करता है, वह अपराधी है तब बहस के लिए कुछ नहीं बचता ऐसे लोगों के पास भारतीय रिजर्व बैंक का प्रभार है। अब मैं कह रहा हूं कि—मैं एक बात जानना चाहूंगा। जब एक बैंक से दूसरे बैंक लेने देन के लिए बैंक मौजूद हैं और प्रतिभूतियों के लिए बैंकों में परस्पर व्यवसाय होता है, तो क्या होता है? मैं प्रतिभूतियों के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि मैं नहीं समझता कि इतनी अधिक प्रतिभूतियों वाली कोई ऐसे अव्यावहारिक गड़बड़ी इससे पहले कभी हुई हों। स्टाक तथा शेयरों के बारे में स्थिति सदैव अनिश्चित रहती है। किन्तु यह प्रतिभूतियों में है जब प्रतिभूतियों मे अन्तर-बैंक लेनदेन होता हैं। आप जानते हैं कि वास्तव में पैसा अन्तरित नहीं होता केवल एक कागज का पुर्जा प्रतिभूति प्रमाणपत्र अन्तरित होता है; पैसा जहां का तहां रहता है और बैंकर की रसीद दी जाती है। जब यह लेनदेन होता है तो क्या उनसे यह अपेक्षा नहीं की जाती कि भारतीय रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी है मैं एक ही बैंक की दो शाखाओं में होने वाले अन्तरण की बात नहीं कर रहा हूं मैं अन्तः बैंक अन्तरण की बात कर रहा हूं। क्या भारतीय रिज़र्व बैंक को उन अन्तरणों की जानकारी रखनी चाहिए अथवा नहीं? यदि यह उनकी जानकारी रख रहा था तो या तो इसे यह नहीं पता था कि क्या चल रहा है तो उस मामले में इसकी पूरी अक्षयता सिद्ध हो जाती है और गर्वनर को हटा दिया जाना चाहिए अथवा यदि यह इसके बारे में जानता था और फिर भी कुछ नहीं कर सका तो इसका तात्पर्य है कि इस प्रणाली पर यह अपना नियन्त्रण-पूरी तरह खो चुका है।

उन्होंने सभी अधिकार खो दिए। यह बात किसी भी तरह से मेरी समझ में नहीं आती कि रिजर्व बैंक का गर्वनर इस तरह से अन्जान कैसे बना रह सकता है।

मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। लेकिन काफी बातें उभर कर आई हैं। श्री महादेवन जो भारतीय स्टेट बैंक के प्रबन्ध-निदेशक हैं, ने जो कहा है मैं उसे उद्धृत कर रहा हूं। वह पहले यह स्पष्ट करते है कि यह घोटाला कैसे हुआ। वह कहते है, "तथापि घोटाला तो संभव था। इस कारण कि बांच बही खातों का कुछ समय के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के सरकारी जहाज कार्यालय के बही खातों से मिलान नहीं किया गया था।" इन बही खातों का भारतीय रिजर्व बैंक के बही खातों से मिलान करना होता है।

यदि ऐसा लगातार महीनों तथा वर्षों तक नहीं किया जाता, तो फिर इसकी पूरी संभावना हैं। तथा जो बड़े घोटाले करना चाहता है वह इसका लाभ उठा सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंककारी कार्य तथा विकास विभाग के मुख्य अधिकारी, श्री एम० डी० परमेश्वरन ने भारतीय स्टेट बैंक के भूतपूर्व चेयरमैन श्री गौपुरिया को एक पत्र भेजा था जिसमें उन्होंने बताया था कि स्टेट बैंक ने 707 करोड़ रुपये के भुगतान के केवल दस चैक स्वीकार किए थे तथा उनको श्री हर्षद मेहता के खाते में जमा किया गया था। ये सभी 707 करोड़ रुपये थे "खातेदार को देय" चैक थे—केवल दस चैक जिनको जमा किया गया तथा तुरन्त श्री हर्षद मेहता के निजी खाते

में डाल दिया गया था। क्या मैं यह समझूं कि इस घटना के बारे में रिजर्व बैंक को कुछ नहीं जानना चाहिये? यह कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें 700 करोड़ रुपये के दस चैक अन्तर्ग्रस्त हैं ---(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): यह जमा विशेष रिजर्व बैंक ने नहीं किया था ऐसा स्टेट बैंक ने किया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: जमा स्टेट बैंक ने किया था। मैं यही बात बता रहा हूं। लेकिन रिजर्व बैंक की पर्यवेक्षणीय भूमिका क्या है? (व्यवधान)

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): वे कहते हैं कि ऐसा स्टेट बैंक ने किया था। आप भी कहते है कि स्टेट बैंक ने क्या किया था तो फिर रिजर्व बैंक ने क्या किया?

श्री इन्द्रजीत गुप्त: स्टेट बैंक ने उक्त धन प्राप्त किया तथा श्री हर्षद मेहता के खाते में उसे जमा किया था। मैं यह पूछता हूं कि ऐसे लेने देन में.....

श्री मनमोहन सिंह: मैं यह कह रहा हूं कि जब रिजर्व बैंक को इसकी जानकारी मिली तो रिजर्व बैंक ने उससे पूछा, "आपने यह क्यों किया" इस तरह सारी बातें सामने आई। ---(व्यवधान)

श्री इन्द्रजीत गुप्त: मेरे पास आप के द्वारा गठित इस समिति की दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट है। उसमें कहा गया है, "(1 अप्रैल, 1991 तथा 23 मई, 1992 के बीच की 14 माह की अवधि के दौरान, बैंकों द्वारा की गई संविदाओं की संख्या 58000 से अधिक हो गई तथा इन प्रतिभूतियों का अंकित मूल्य 9 करोड़ रुपये था दो तिहाई से भी अधिक लेन-देन केवल चार विदेशी बैंकों द्वारा किया गया था जो लेन-देन पुनर्नवीकरण का 70 प्रतिशत था। इन लेन-देनों का 40 प्रतिशत से भी अधिक हिस्सा केवल चार दलालों के माध्यम से हुआ था। मेरा प्रश्न यह है कि क्या इतनी अधिक धन राशि के लेन-देनों के मामलों में रिजर्व बैंक की कोई भूमिका होती है अथवा नहीं। इसका पता लगाने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है; यह जानने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। आपका गवर्नर यह कहता है कि घोटाला होने से पूर्व उसका अनुमान लगाने का कोई साधन नहीं है। फिर रिजर्व बैंक का क्या कार्य है? यह किसलिए है? इसका क्या कार्य है? यह बही खातों का मिलान नहीं कर सकता। यह इस बारे में पता नहीं लगा सकता कि एक अत्यधिक कम समय में शेयर के मूल्यों में इस तरह के अप्रत्याशित उछाल का स्टाक बाजार में क्या संकेत हैं। उनको कोई संकेत अथवा चेतावनी नहीं मिलती। मैं इस प्रश्न पर अधिक नहीं बोलना चाहता क्योंकि इसकी सभी समाचार पत्रों तथा प्रत्येक स्थान पर चर्चा है। हमें कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिलते।

3.00 म०प०

अब, मैं एक अन्य प्रश्न पर आ रहा हूं जो मेरे विश्वास न करने का एक कारण है। सभी पक्षों के माननीय सदस्यों द्वारा इस सदन में विरोध किए जाने के बावजूद भी वित्त मंत्री पहले उसके बारे में सदन को जानकारी दिए बिना अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय, उधार देने वाले अभिकरणों को निरन्तर आश्वासन तथा वचन दे रहे हैं।

महोदय उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबन्ध निदेशक, श्री माइकल केम डेसस, को एक पत्र लिखा है तथा उसमें उन्होनें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा है कि वह सेवाओं को कर के दायरे में लाना चाहते हैं। अब मुझे इस बात का पता नहीं है कि कौन सी सेवाओं को? वे यहां निर्दिष्ट नहीं की गई हैं। लेकिन यह नई बात है— सेवाओं को कर के दायरे में लाना। परन्तु क्या उन्हें उसे ऐसे पत्र अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को लिखने से पहले सदन को इसके बारे में नहीं बताना चाहिए? इसमें कई अन्य बातें भी हैं; मैं ऐसे कार्यों की गिनती करा सकता हूं जो वह करना चाहते हैं जैसे कि उपभोक्ता वस्तुओं सहित वस्तुओं पर आयात शुल्क कम करना। पत्र में कहा गया है कि सरकार का अन्तिम उद्देश्य आयातों की नकारात्मक सूची को सीमित करना है फिर दोहरी परिवर्तन के एकीकरण सहित चालू खातों की परिवर्तनशील स्थापित करने के

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

और प्रस्ताव। मेरे विचार से यह उन्होंने सदन में कहा है। हां, यह सदन में कहा गया है। मुझे इस पर खेद है। आपने सदैव यह आश्वासन दिया है कि परिवर्तनयिता थोडे से समय में ही कर दी जायेगी।

लेकिन सैद्धांतिक प्रश्न यह है कि संसद यहां है; संसद का सत्र समय-समय पर चलता रहता है और आप उन्हें कतिपय आश्वासन देते हुए पत्र लिखे जा रहे हैं जिसके बिना, ऐसा प्रतीत होता है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष प्रयोजन के प्रति आपकी ईमानदारी और आपके निष्पादन को लेकर संतुष्ट ही नहीं होने वाला है और उन्हें आश्वस्त करने के लिए, दोबारा आश्वस्त करने के लिए आप पत्र पर पत्र लिखे जा रहे हैं। और वे पत्र यहां सभा-पटल पर नहीं रखे जा रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह: इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह पत्र सभा पटल पर नहीं रखा गया है।

श्री मनमोहन सिंह: इसे सभा पटल पर रखा जा चुका है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: सभा पटल पर इसे कब रखा गया था? खैर, मेरी बात यदि कोई संशोधन हो तो उसके अध्याधीन है।

श्री मनमोहन सिंह: इसे सभा पटल पर रख दिया गया है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम): उसके कितने दिनों बाद पत्र लिखा गया था।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): लेकिन प्रश्न यह है कि भारत सरकार को उन्हें पत्र उनकी अनुकम्पा प्राप्त करने के लिए लिखना होता है। असली मुद्दा तो यही है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त: यह सरकार पूर्ण रूपेण उल्टा काम कर रही है, मैं यह नहीं कहता कि हमें किसी सुधार अथवा परिवर्तन की आवश्यकता नहीं थी लेकिन यह सरकार तो उन नीतियों के बिल्कुल विपरीत कार्य रही है जिनका अनुसरण यह देश इतने लम्बे समय तक करता रहा है। उदाहरण के लिए सार्वजनिक क्षेत्र को लीजिए। श्री चिदम्बरम, मेरे ख्याल से कल उन्होंने यहां यह कहते हुए एक टिप्पणी की थी कि यह देश काफी लम्बे समय से अपने मूल उद्योगों को सुरक्षा प्रधान करने की नीतियों का ही अनुसरण करता रहा है, न कि उन्हें प्रतियोगिता के मैदान में उतारने की। इसने उन्हें एक संरक्षित बाजार के भीतर ही कारोबार करने की अनुमति दी है आदि आदि इत्यादि। मुझे उनकी इस बात पर कोई आपत्ति नहीं है, बशर्ते उन्होंने यह भी कहा होता कि एक समय, एक अवधि में, यह नीति मूल रूप से बहुत आवश्यक थी। यह बात उन्होंने नहीं कहीं। यह वह नीति है जिसकी रूपरेखा पंडित जवाहर लाल नेहरू के समय में तैयार की गई थी। यह नीति पहले की पंचवर्षीय योजनाओं का एक हिस्सा थी। यदि हमने इस नीति का अनुसरण न किया होता और प्रारम्भ से ही इसे विदेशी प्रतियोगिता का सामना करने लिए उद्दिष्ट किया होता तो जो कुछ भी औद्योगिक विकास और औद्योगिक आधार भूत सुविधाएं हमारे पास है; और जिन पर आज हमें गर्व है, वे कुछ भी नहीं होतीं।

आज आप उन्हें विदेशी बाजारों में उतारना चाहते हैं। लेकिन कृपया उन नीतियों को भी कुछ श्रेय दीजिए जिनका अनुसरण पहले से किया गया है और अब सारी चीजों को विखंडित मत कीजिए। हम विदेशी निवेश के विरुद्ध नहीं हैं। बल्कि हमारा विरोध उस नीति से है जिसके दरवाजे खुले हैं; हमारा विरोध उस नीति से है जिसके दरवाजे किसी भी ऐसे व्यक्ति के लिए अथवा प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के लिए पूरी तरह खोले जा रहे हों जो जब जहां चाहें आए, फिर चाहे ये आलू चिप्स हों, अथवा पेप्सी कोला अथवा ऐसी अन्य आवश्यक वस्तुओं का क्षेत्र हो जिसके बिना हम जीवित नहीं रह सकते। हम इस प्रकार की मुक्त अर्थव्यवस्था वाली नीति के खिलाफ हैं। हां, उन क्षेत्रों में तो यह बात समझ में आती है जहां उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता

हो अथवा वे क्षेत्र जिनमें हमारे पास विशेषज्ञता नहीं है। लेकिन विदेशी निवेश और उत्पादन के लिए यहां हर एक चीज को अब लिया जा सकता है और इसे विदेशी निवेशकों में विश्वास के लिए प्रेरणा माना जाता है।

मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री शरद पवार जी यहां हैं। मैं इस सरकार को हमारी पारम्परिक रक्षा नीति, जो हमारी विदेशी नीति के साथ बिल्कुल जुड़ी हुई है, में विलोमतः परिवर्तन करने के लिए पुनः दोषी ठहराता हूं। आर्थिक उदारीकरण तथा उससे संबंधित अन्य सब बातों पर डा० मनमोहन सिंह के साथ तर्क-वितर्क किया जा सकता है क्योंकि उस क्षेत्र के वह विशेषज्ञ हैं। लेकिन रक्षा तथा विदेश नीति के बारे में क्या स्थिति है! मैं जानता हूं कि श्री पवार अभी कहेंगे कि हमने अमेरिका के साथ हाल ही में संयुक्त नौ सैन्य अभ्यास करने प्रतीकात्मक रूप से बहुत कुछ किया है। वह इसी तरह की और भी बातें कहेंगे। केवल इतना ही नहीं हम दीर्घकालीन रक्षा सहयोग का बन्दोबस्त भी करने जा रहे हैं, जिसका विवरण अभी यहां तैयार नहीं किया गया है क्योंकि हमारे विवेकानुसार, इस बार बजट सत्र में, संसद को रक्षा बजट पर चर्चा करने का एक भी अवसर नहीं मिला। मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना। मैं यहां काफी लम्बे समय से, लगभग 30 वर्षों से हूं। मुझे पिछला कोई भी ऐसा अवसर याद नहीं आता है जब रक्षा मंत्रालय की अनुदान राशि, जो अन्य मंत्रालयों की तुलना में सर्वाधिक है, पर सदन में चर्चा भी न की गई हो। वह बिना चर्चा की पारित हो जाती है। हजारों करोड़ रुपए सरकार को बिना किसी चर्चा के बहुमत से दे दिए जाते है। यह क्या व्यय किया जा रहा है? यह किस उद्देश्य के लिये है? आपकी रक्षा नीति क्या है? आपकी नीति क्या होगी? हम उस बारे में कुछ भी नहीं जानते। अब यह कहना उचित है कि हमारे पुराने मित्र नहीं रहे हैं, उनके हाथ में अब कुछ नहीं है। अतः हमें आत्मनिर्भर बनने और अन्य बातों के लिये दूसरे साधनों के बारे में सोचना पड़ेगा लेकिन क्या इसका यह अर्थ है कि हम बिल्कुल ही विपरीत दिशा में जायें? नही! मैंने एक बैठक में रक्षा मंत्री से यह पूछा था कि इस संयुक्त सहयोग और संयुक्त नौ सेना अभ्यास के लिये पहल किसने की थी। क्या अमेरिका वालों की तरफ से से यह प्रस्ताव दिया गया था और हमने उसे स्वीकार कर लिया था हमने ही पहल की थी? यदि मैं गलत न कह रहा हूं तो उन्होंने कहा था कि हमने ही पहल की थी!

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): मैंने कहा था कि यह अमरीका के कुछ लोगों की ओर से प्रस्ताव था!

श्री इन्द्रजीत गुप्तः मुझे अफसोस है कि मैंने वह ठीक तरह से नहीं सुना जब आपने ऐसा कहा और मैंने सोचा कि आपने यह कहा है कि "हमने ही पहल की थी।"

मैं नहीं जानता कि हमने इन कार्यों को उस समय कभी क्यों नहीं किया जब एक बड़ी महाशक्ति हमारी मित्र थी और जिसके साथ रक्षा मामलों में भी हमारा घनिष्ठ सहयोग था जिसके साथ हमने कभी भी कोई संयुक्त अभ्यास नहीं किया! हमने सोवियत रक्षा बलों के साथ कभी भी कोई संयुक्त नौसेना अभ्यास, संयुक्त वायुसेना अभ्यास संयुक्त थल सेना अभ्यास नहीं किया! हमने कभी भी यह नहीं कहा कि आपको ऐसा करना चाहिये। आपने ऐसा नही किया। आपने प्रशिक्षण के लिये कुछ लोगों को वहां भेजा और हमने वहां से उपस्कर प्राप्त किये। यह उचित था। लेकिन अब एक वर्ष के अन्दर ही आप कुल मिलकर बिल्कुल उल्ट दिशा में चल पड़े हैं। मंत्री महोदय ने कहा कि इस सम्बन्ध में यह पहला कदम है। हम उन काफी बातों को पढ़ते हैं जो **इण्डियन डिफैंस रिव्यू** नामक पत्रिका जो वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है, में आती हैं तथा जिसमें सैन्य बलों के बहुत वरिष्ठ सेवा निवृत्त अधिकारी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहे हैं निःसन्देह उन्हें इस पत्रिका में लिखने की अनुमति तब तक नहीं दी जाती जब तक वे सेवानिवृत्त नही हो जाते! श्री पवार, मुझे आशा है कि आपने इसे पढ़ा होगा! सैन्य मामलों में अमरीका के साथ सहयोग के नाम पर उस स्थिति को बढ़ावा मिलता है जिसमें कम से कम हमें बहुत डर है क्योंकि हम जानते हैं कि इन मामलों में वे हम से बहुत आगे हैं, वे हमसे बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। उन्होंने पिछले वर्ष खाड़ी युद्ध में अपने सैन्य बल का प्रदर्शन किया है उस शक्ति

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

का प्रयोग लोगों को डराने और उन पर दबाव डालने के लिये भी किया जा सकता है। इससे आवश्यक रूप से हमारी विदेश नीति और विदेशी सम्बन्धों में कदम-कदम पर मूल परिवर्तन होगा। इसीलिए मैं इस बारे में चिंतित हूं। इस समय हमारी विदेश नीति एक ऐसे समुद्री जहाज की तरह है जो बिना किसी दिशा के उफनते समुद्र में आगे बढ़ रहा है तथा जिसके पास न तो कोई पतवार है और न ही कोई कम्पास अथवा अन्य कोई चीज है और जो यह भी नहीं जानता कि वह कहां जा रहा है। शायद यही वह कम्पास है जिसकी आप आपूर्ति चाहते हैं जिससे कि इसका रुख अमरीका की ओर हो सके। लेकिन भारत के इर्द-गिर्द सम्पूर्ण विश्व के कई ऐसे देश भी हैं जिन्होंने हमें कई वर्षों तक अपना नेता माना है, जिसने उन्हें प्रेरणा प्रदान की है, जिसे सम्पूर्ण तीसरी दुनिया और गुट-निरपेक्ष देशों में ऐसी प्रतिष्ठा भी प्राप्त की है। मुझे नहीं मालूम कि जब उन्हें यह पता चलेगा कि हम वाशिंगटन के सैन्य तन्त्र के साथ गठबन्धन कर रहे हैं तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। ये ऐसी बातें नहीं हैं जो सरकार में विश्वास भर सकें। मैं विश्वास दिलाने वाला कोई प्रस्ताव नहीं ला सकता।

प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आने वाले समाचार पर केन्द्रित है। एक तरफ तो उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ, ने अन्तरिम आदेश दिया है। दूसरी तरफ अयोध्या से यह समाचार आ रहा है कि निर्माण कार्य न केवल जारी है बल्कि इसमें और तेजी लाई जा रही है। इसका अर्थ है कि श्री अशोक सिंघल ने जो कुछ कहा है अथवा जो बताया गया है कि उसने यह कहा है कि वह न्यायालय के किसी भी आदेश का पालन नही करेगा अथवा किसी भी हस्तक्षेप को सहन नही करेगा, सत्य है। वह कहता है कि यदि कोई हस्तक्षेप करने का प्रयास करेगा तो यह देश के लिये अच्छा नही होगा। अब क्या किया जा रहा है? जब प्रधान मंत्री इस चर्चा का उत्तर दें तो इस संबंध में हम कुछ जानना चाहेंगे।

कल तक स्थिति यह थी कि गृह मंत्री ने यह कहते हुए एक वक्तव्य दिया था कि उन्हें प्रथम दृष्टया यह लगा था कि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन हुआ है।

अब सर्वोच्च न्यायालय की पूरी बैंच ने लिखित रूप में एक अन्तरिम आदेश दिए हैं जिसमें यह कहा गया है कि जब तक सर्वोच्च न्यायालय पूरे आदेश नहीं दे देता है तब तक उन्हें निर्माण कार्य बंद करना चाहिए तथा रोक देना चाहिए। परन्तु कोई भी इसकी परवाह नही कर रहा है निर्माण कार्य ऐसे ही चल रहा है। यदि विश्व हिन्दू परिषद् के लोग इसी तरह न्यायालय के आदेशों की अवज्ञा करते रहेंगे तो मैं केन्द्र सरकार से स्पष्ट तथा बिना किसी आनाकानी के यह जानना चाहूंगा कि उनके पास निमार्ण स्थल का अधिग्रहण करने के अलावा और क्या विकल्प है। और क्या किया जा सकता है? श्री सिंघल महोदय का यह कहना है कि न्यायालय जनता के ऊपर नहीं है। जनता न्यायालय के ऊपर है। परन्तु इसका क्रियान्वयन किसी और मौके पर कुछ भिन्न होगा तब वे इसे पसंद नहीं करेंगे।

अतः बड़ी ही विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है। टकराव की स्थिति पैदा कर दी गई है। अतः मैं आशा करता हूँ कि प्रधान मंत्री जी बिना किसी आनाकानी के, जो विकट स्थिति उत्पन्न हो गई है, वास्तविकता को बताने में कोई हिचकिचाहट नहीं करेंगे। अन्तरिम आदेश केवल पाँच दिनों तक लागू रहा। सर्वोच्च न्यायालय के अन्तिम आदेश मिलने कि आशा में उन्हें निर्माण कार्य को केवल पांच दिनों तक स्थगित रखने के लिए कहा गया है। जबकि वास्तव में ऐसा नहीं हुआ, इसमें और भी देरी हो सकती है। तब, पता नहीं क्या होगा। स्थिति और जटिल हो जायेगी।

परन्तु इस सदन में, भा०ज०पा० के कुछ मित्रों के अलावा, सभी लोग वहां क्या हो रहा है, उसे जानने के लिए उत्सुक तथा चिन्तित भी हैं, क्योंकि वहां कि स्थिति सरकार जो कि दृढ़ नहीं है, की अर्कमण्यता तथा निष्क्रियता के कारण से तथा वास्तविकता को स्वीकार नहीं कर रही है, उसके नियंत्रण बाहर हो सकती है। हम लोग उत्तर प्रदेश सरकार को बर्खास्त करने के लिए नहीं कह रहे हैं। कम से कम मैं तो इसके पक्ष में नहीं हूँ।

मैं श्री आडवाणी को ज्यादा अधिक लोकप्रिय नहीं बनाना चाहता। यह आवश्यक नहीं है, कम से कम अभी तो आवश्यक नहीं है। इस स्थिति में जो जरूरी है वह यह है कि सरकार को एक दम स्पष्ट कर देना चाहिए कि यदि न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन किया गया तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी, हां उत्तर प्रदेश सरकार की बरखास्तगी के अतिरिक्त और कार्यवाही करेगी। ऐसी कई कार्यवाहियां हैं, जो की जा सकती हैं। उनके पास, इसके लिए अत्यधिक प्राधिकार हैं। परन्तु क्या वह करेगी? क्या उसमें करने का साहस है? सरकार को देश में धर्मनिर्पक्षता की रक्षा करनी है। परन्तु सरकार जिस प्रकार से व्यवहार कर रही है उससे हमें उन पर विश्वास नहीं है।

अन्त में, पंजाब के बारे में दो शब्द कहूंगा। पंजाब संकट के बारे में मेरे मित्र श्री चन्द्र शेखर ने विस्तार से बताया है। कम से कम सरकार को इस तथ्य से कि चुनाव कराने के बावजूद वहां की जनता में जो परायापन आ रहा है, उससे उन्हें चिन्तित होना चाहिए। हमने उस चुनाव में भाग लिया था। उन्होंने कहा, "हमने एक गलत काम किया है।" हमने चुनाव में इस विश्वास से भाग लिया कि पंजाब में किसी न किसी स्तर पर प्रजातांत्रिक प्रक्रिया शुरू होनी चाहिए। भ्रष्ट राष्ट्रपति शासन, जिसका अर्थ पुलिस, लाठी, डंडे की हुकुमत के अतिरिक्त कुछ नहीं, से कोई अन्य और शासन बेहतर हो सकता है। अतः शायद हमारा अनुमान गलत निकला कि इस प्रकार की प्रजातांत्रिक चुनाव प्रक्रिया की ओर आगे स्थगित नहीं किया जाना चाहिए। परन्तु उसके बाद वहां क्या हुआ, हम सभी जानते हैं। प्रधान मंत्री महोदय ने बताया था कि हम लोग वहां के लिए कुछ पैकेज, जो कि चुनाव के पहले दिया जाना था, जिसमें कई बातें होंगी तथा जो कि पंजाब की जनता को दिये गए आश्वासन के अनुरूप रहेगा, की बात कर रहे हैं। कुछ हद तक वह उनके अनुकूल होगा। परन्तु उसके बाद उन्होंने कहा "यह एक गलत विचार है, हमने किसी भी पैकेज का आश्वासन नहीं दिया "उन्होंने कहा" मुझे जिस एक मात्र पैकेज का पता है वह है लोंगवाल-राजीव पैकेज है, मुझे किसी और पैकेज की जानकारी नहीं है।" तब आप उसका कार्यान्वयन क्यों नहीं करते? यह इसलिए, क्योंकि कुछ कांग्रेस शासित राज्य उस पर आपत्ति कर रहे हैं तथा इसमें अड़चने डाल रहे हैं। किसी खास राज्य अथवा मुख्यमंत्री की इतनी संकीर्ण रुचि के लिए आप बार-बार लोंगवाल-राजीव पैकेज की रट लगा रहे हैं। परन्तु आप कुछ नहीं करते, आप उसका कार्यान्वयन नहीं कर रहे हैं।

अन्त में, मैं कश्मीर के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मैं यह नहीं जानता कि सरकार, कश्मीर के लोगों को क्यों गलत संकेत देने पर तुली हुई है। कल अथवा परसों उसने एक विधेयक रखा था। आप उसके बारे में जानते हैं। चूंकी वहां कोई विधान सभा नहीं है, वह विधेयक शक्तियों के प्रत्यायोजन के बारे में था। उसमें एक नई बात, जो कि पहले कभी इसमें नहीं थी, शामिल की जा रही है, और वह यह है कि राष्ट्रपति शासन के दौरान, शक्ति संसद के पास न होकर राष्ट्रपति के पास होंगी, जिनकी मदद के लिए एक सलाहकार समिति होगी, जिनसे वे परामर्श कर सकते हैं तथा नहीं भी। ऐसा वहां लिखा हुआ है। यदि वे आवश्यक समझते है तो उनसे परामर्श कर सकते हैं और अन्यथा नहीं। यदि वे आवश्यक नहीं समझते हैं तो वे समिति से भी विचार विमर्श नहीं करेंगे। "जब कभी व्यवहार्य हो" शब्दों का प्रयोग किया गया है। यह व्यवहार्य है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? सारी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं। पहले कम से कम ये शक्तियां संसद के पास होती थीं।

श्री जैकब, जो कि विधेयक पेश कर रहे थे, ने एक कमजोर दलील देते हुए यह कहा कि हमने यह देखा कि संसद के पास इन लंबित पड़े विधेयकों को पुनः वैध बनाने हेतु समय नहीं रहता है। मुझे पता नहीं है कि इन्होंने कभी भी अन्य दलों से यह पता लगाने के लिए कि क्या उनके पास समय है या नहीं, क्या वे देर तक संसद में बैठने के लिए सहमत हैं या नहीं, क्या वे इन लंबित विधेयकों को वैध करने हेतु अतिरिक्त समय देने के लिए सहमत हैं या नहीं, कभी परामर्श किया है। किसने उन्हें बताया है? हमें इस बात का पता नहीं है।

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

किंतु कश्मीर में समस्त जनता इसे किस प्रकार लेगी? कृपया मुझे बतायें। इससे पहले, कम से कम राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत ये मामले संसद को सौंपे गए थे। अब वे पूर्णतः राष्ट्रपति के हाथ में सौंपे गए हैं। यह एक मनमानी बात है। यह एक प्रकार से तानाशाहीपूर्ण कार्यवाही है जो कश्मीर में स्थिति को सामान्य बनाने में कभी भी सहायक नहीं होगी। कश्मीर में जो हुआ है उन सबसे हटकर, वे और अधिक शंकित और दुःखी होंगे।

मैं इस संबंध में और कुछ नहीं कहना चाहता। मैं सरकार से अंततः यह जानना चाहूंगा कि क्या वह सभी दलों के साथ किसी भी समय एक साथ बैठने को तैयार है मैं नहीं जानता कि सभी दल सहमत हैं या नहीं, मैंने उनसे नहीं पूछा है, मेरा तो बस सुझाव है कि सरकार और सभी दल एक साथ मिलकर और खुले आम कश्मीर की जनता को यह विश्वास दिलायें कि चुनाव कराने के लिए स्थिति जब भी पर्याप्त रूप से सामान्य होगी अभी नहीं, क्योंकि अभी मैं नहीं समझता कि कोई चुनाव हो सकता है और होना चाहिए; किंतु जब भी यह संभव होगा; हम आशा करते हैं कि स्थिति में सुधार होगा निष्पक्ष रूप से चुनाव कराये जायेंगे और किसी प्रकार की गड़बड़ी अथवा झांसा नहीं दिया जायेगा जैसाकि विगत में हुआ है। ऐसे समय में सरकार के साथ-साथ सभी दलों को संयुक्त रूप से जिम्मेदारी लेकर यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसा हो। मैं समझता हूं कि यदि हरेक व्यक्ति इससे सहमत है तो ऐसा होना चाहिए। अन्यथा हम इसी प्रकार कार्य करते रहेंगे। संपूर्ण विश्व देख रहा है कि जिसे उन्होंने गलती से एक मुक्ति युद्ध समझा था, जो कि काश्मीर में चल रहा था, हमें कोई नेकनामी नहीं दिला रहा है। किंतु अंततः मेरा यही कहना है कि इस सरकार की नीति के पूर्णतः दिवालियेपन के कारण ही यह अविश्वास जागा है। इसके पास पंजाब और कश्मीर के संबंध में अभी तक कोई नीति नहीं है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि उनकी नीति क्या है। उनकी कोई नीतियां नहीं हैं।

मेरे विचार से, श्री जाखड़ अब खड़े होने को तैयार हैं। वे हमें बताये कि अधिप्राप्ति में असफलता क्यों हो रही है, पिछले वर्ष की तुलना में खरीद इतनी कम क्यों हो गई है और खरीद में असफल होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली किस प्रकार टिक सकेगी।

एक माननीय सदस्यः और सूखा भी।

श्री इन्द्रजीत गुप्तः निःसंदेह, मैं सूखे के लिए दोष नहीं देता। उन्होंने सूखे की स्थिति उत्पन्न नहीं की है। सूखाग्रस्त क्षेत्रों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए उन्हें तत्काल उपाय करने होंगे। अन्यथा, हमें कई राज्यों में अकाल के कारण मौतें देखनी पड़ेंगी। किंतु हमें ऐसा नहीं लगता कि सरकार इन मुद्दों पर सदन के साथ-साथ चिंतित है।

अतः, इन सभी कारणों से और इससे भी कहीं अधिक कारणों से जिन पर गहराई से मैंने विचार नहीं किया था मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और इसे सदन के सुपुर्द करता हूं।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़): अध्यक्ष महोदय, माननीय हमारे सांसद और परम मित्र, श्री जसवंत सिंह जी, ने यह अविश्वास प्रस्ताव रखा है। ...(व्यवधान)... मित्र तो हैं लेकिन विचारों में टकराव हो सकता है और उससे मित्रता में कभी फर्क नहीं पड़ सकता है। प्रजातन्त्र शायद इसी का नाम है। उसके साथ-साथ दोनों पक्षों से अपने-अपने विचार रखे गए। जसवन्त सिंह जी सदन में नहीं है, उनको चिन्ता हुई, जैसे अभी हमारे बड़े भाई गुप्त जी ने बोला, प्रोक्योरमेंट कैसे कम हुआ और सूखे का क्या हुआ-ये सारी बातें हैं। उनका उत्तर भी देना पड़ेगा और उत्तर है भी। मैं जसवन्त सिंह जी से इतना कहना चाहता हूं, वे चिन्तित हैं और उन्होंने बहुत कुछ कहा, उसका जवाब मैं दूंगा कुछ। लेकिन चिन्ता का कारण ज्यादा तब बनता है, जब देश में अशान्ति ज्यादा हो। अगर सूखा होगा, तो शान्ति के साथ उसका मुकाबला कर सकते हैं, जैसे हमने 1987-88

में किया। ऐसा भयंकर सूखा पहले कभी नहीं पड़ा था, लेकिन हमने फिर भी उसका डट कर मुकाबला किया था। जो कुछ देश में हो रहा है...

श्री राम विलास पासवान (रोसेडा): जब आपका राज आता है, तब सूखा क्यों पड़ता है?

श्री बलराम जाखड़: भगवन, आपकी कृपा रहती है। प्रश्न यह पैदा होता है कि आज आसार क्या है और इस अविश्वास प्रस्ताव के पीछे क्या है? यह कैसी विडम्बना है कि सब कुछ अनदेखा किया जाता है। इतिहास के पन्ने शायद कोई नहीं देखता है। इतिहास, कहते हैं कि अपने आपको दोहराता है और अगर इतिहास अपने आपको दोहराता है, तो सब को पता है कि इतिहास दोहराता है। आज 45 वर्ष का कमोबेश हमारी आजादी आने के पश्चात् का इतिहास है। इस इतिहास में तकरीबन चार साल ऐसा हुआ है दो साल चार महीने और डेढ़ साल कुछ—जहां सिवाय कांग्रेस के दूसरा पक्ष सत्ता में आया। 77 में आया और फिर 89 में।

दूसरा पक्ष है विपक्ष, जिसमें आज आप बैठे हैं। पहले में आप साझीदार थे...

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण-दिल्ली): ढाई और डेढ—चार साल।

श्री बलराम जाखड़: मैं चार साल ही बता रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि पहले में तो आप साझीदार थे और दूसरे में आप मदद करने वाले। **(व्यवधान)** नहीं, मदद करने वाले थे। आप सहायता दे रहे थे, कन्धा लगाये हुए थे। सीधी सी बात है कि उसमें भी आप भागीदार थे। ...**(व्यवधान)**... वह तो चलता रहता है, कन्धा तो बरतने के लिए होता है। तो प्रश्न यह पैदा होता है कि कुछ उससे सीखना चाहिए, कुछ देखना चाहिए कि क्या ऐसी बात हो गई ...**(व्यवधान)**...कश्मीर नहीं, पंजाब के बारे में मैं ज्यादा बोलूंगा। सुनिएगा जरा।

मैं यह कहना चाहता हूं और सच बात यह है, जब आप देखें, किस प्रकार से है, देखने की बात सिर्फ इतनी है कि ऐसी क्या बात हो गई कि आप जब भी सत्ता में आये, तब पहले ही सफाया हो गया। कुछ तो कारण होगा। क्यों वापस देश को पहुंचना पड़ता है, कांग्रेस के पास, क्यों कांग्रेस को विश्वास दिया जाता है, क्यों वापस लाया जाता है? क्योंकि, आप असफल रहे, आप अपनी असफलताओं को भूल जाते हैं। यह नहीं देखते कि लोगों ने आपको विश्वास दिया, आपने उस विश्वास की बात पूरी नहीं की और जो हमें दिया था, हमने पूरा किया हम पहले बीच में कभी नहीं गये और न जाने की इच्छा है और न जाएंगे, यह विश्वास भी प्राप्त करेंगे। मैं जानता हूं, इस बात को इसी हिसाब से करना पड़ेगा।

देखने की बात यह है, आप जो कुछ वातावरण पैदा कर रहे हैं, आज, अब जसवन्त सिंह जी आ जायें तो मैं बोलूं कि किस तरीके से वे वातावरण पैदा कर रहे हैं, मुझे विचारों के टकराव में कोई बुराई नजर नहीं आती लेकिन एक बात जरूर देख लीजिएगा कि आप कर क्या रहे हैं, देश किस तरफ जा रहा है, आप किस जगह ले जाना चाह रहे हैं। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गौड जो भी है, मेरे ख्याल से वह सर्वशक्तिमान है। वह आपको जीवन देता है, वह आप को जीवन से मुक्त कर सकता है। वह विकल्प भी है, वह भीषण भी है, कुछ का कुछ कर सकता है। क्या हम किसी को जीवन दे सकते हैं, क्या हम किसी की उत्पत्ति उस तरीके से करवा सकते हैं कि हम कोई बहुत बड़ा काण्ड कर दें, इस तरीके से नहीं वह सिर्फ उसके पास है, उसकी रक्षा करना, उसके नाम को लेकर हम भगवान की रक्षा कर रहे हैं, यह बहुत बड़ी एक अजीब किस्म की बात है, एक गलत किस्म की बात है। इसको लेकर आप जो कुछ करना चाहते हैं ...**(व्यवधान)**... बता रहे हैं, सुनिये तो सही। हमने कब कहा कि नहीं करवाया। हम करेंगे और मन्दिर भी बनाएंगे, हमने कब कहा, हमने कभी यह नहीं कहा कि मन्दिर नहीं बनेगा। कभी विचार नहीं डाला। शिलान्यास मन्दिर के लिए किया था, विनाश के लिए नहीं। शिलान्यास लड़ाई करवाने के लिए नहीं, सद्भावना के लिए किया था और आज भी वही बात है और मैं इतना ही कहना चाहता हूं। जसवन्त सिंह जी से पूछना चाहता था, कहते वह बार-बार यह हैं कि मस्जिद को कोई खतरा नहीं है, मस्जिद नहीं तोड़ी जायेगी, अगर मस्जिद नहीं तोड़ी जायेगी तो आपके और

[श्री बलराम जाखड़]

हमारे विचार में कोई फर्क नहीं। राम विलास जी कह रहे थे कि आपका और इनका दृष्टिकोण एक है। अगर हमारा और इनका दृष्टिकोण एक है तो थोड़ी सी बात आप करवा दीजिए, मैं आपको भी मान जाऊंगा। सिर्फ इतनी सी बात है न कि यह कहते हैं कि मस्जिद नहीं तोड़ी जायेगी, हम कहते हैं कि मस्जिद नहीं तोड़ी जायेगी, वह कहते हैं, मन्दिर बनाएंगे, हम भी कहते हैं, मन्दिर बनना चाहिए, फर्क कहां है? आ जाइये, बैठ जाइये साथ में, सारे मिलकर मन्दिर बनाएंगे। मस्जिद की सुरक्षा करेंगे, मस्जिद भी वहीं रखेंगे और मन्दिर भी बनाएंगे, तकलीफ किस बात की है। आप दो बातें मान लीजिए कि मस्जिद नहीं टूटेगी, मन्दिर बनेगा। दूसरी बात, विधान की रक्षा करेंगे, विधान के अनुसार चलेंगे, कोई झगड़ा नहीं। विधान के अनुसार चलेंगे, विधान को मानेंगे ...(व्यवधान)... *आप बैठिये।*

श्री राजवीर सिंह (आंवला): मैं कोई ऐसी बात नहीं कहने वाला हूं। मैं आपकी बात को ही बढ़ाना चाहता हूं। आपने उसको मस्जिद कहा, हम उसको भगवान का मन्दिर कहते हैं, उस ढांचे को, हम भी उसको सुरक्षित रखना चाहते हैं, आप भी सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम भी उसको तोड़ने की बात नहीं कह रहे, क्योंकि, उसमें हमारे रामलला विराजमान हैं, वह भगवान का मन्दिर है, हम उसको तोड़ना नहीं चाहते। आप बार-बार तोड़ने की बात ही क्यों करते हैं? हम भी चाहते हैं कि वह ऐसा ही बना रहे, आपको तकलीफ किस बात की है, फिर झगड़ा किस बात का है?

श्री बलराम जाखड़: हमारे विचारों में अभी तक मतभेद नहीं आया। आप बैठिये। सुन लिया। आपकी बात हो गई, अब बैठिये। आप सुनिये तो सही।

श्री राजवीर सिंह: अभी कोई फैसला नहीं हुआ और आप उसे मस्जिद कहते चले जा रहे हैं, वह विवादास्पद स्थान है। अभी किसी अदालत ने उसका फैसला नहीं किया कि वह मन्दिर है कि मस्जिद है। हम उसे मन्दिर मानते हैं, आप उसे मस्जिद कह रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा? अभी अदालत ने भी फैसला नहीं दिया है...

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी): मस्जिद है, जहां मूर्तियां जबरदस्ती रखी गई हैं। वहां मन्दिर बनाया जा सकता है?

श्री रामविलास पासवान: आपने बहुत अच्छी बात कही, क्या जहां आपने शिलान्यास करवाया था, वहां आप मन्दिर बनाने की इजाजत दे रहे हैं?

श्री बलराम जाखड़: जहां शिलान्यास करवाया गया, वहां मन्दिर बनाना है।

श्री रामविलास पासवान: वहां मन्दिर बनाने के लिए कहते हैं?

श्री बलराम जाखड़: दूसरी बात मैं कह रहा हूं। सीधी सी बात है ...(व्यवधान)... सीधी सी बात है कि जो मन्दिर है उसको बिल्कुल सुरक्षित रखा जाए। (व्यवधान) आप मेरी बात को सुनिए तो सही, मैं तो ठीक बात कह रहा हूं आप सुनिए तो सही। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बार-बार बीच में क्यों बोल रहे हैं, यह ठीक नहीं है।

श्री बलराम जाखड़: मैं जो कुछ कह रहा हूं उसको मैं अपनी जिम्मेदारी से कह रहा हूं जैसा कि मैंने कहा कि मन्दिर बनाएं और मस्जिद भी कायम रहे, सीधी सी यह बात है। (व्यवधान)

श्री रामविलास पासवान: मैं आपकी सहायता के लिए कह रहा हूं, अध्यक्ष जी, मंत्री जी थोड़ा सा फंस रहे हैं मैं इनको निकालना चाहता हूं कि जहां मस्जिद है वहां शिलान्यास नहीं है शिलान्यास

उसके बगल में है और शिलान्यास विवादित जमीन पर है और मंत्री जी कहते हैं जहां शिलान्यास था वहां मन्दिर बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। मैं कहता हूं कि डिसप्यूटिड लैंड है वहां कोई कंस्ट्रक्शन नहीं हो सकता है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाएं।

श्री बलराम जाखड़: आप बैठ जाइए, आप पहले मेरी बात को सुन तो लीजिए। सीधी सी बात है कि अगर मस्जिद बनी रहे और मन्दिर सब मिल कर बनाएं तो कोई झगड़ा नहीं है। (व्यवधान) सिर्फ नीयत का फर्क है, नीयत ठीक होनी चाहिए और विधान मान लें .....(व्यवधान) जो विधान नहीं मानते और कहते हैं मेरा अपना विधान है मैं तो कानून की बात नहीं मानता, हाई कोर्ट की बात नहीं मानता तो कहां जाएंगे, देश कैसे चलेगा, किस प्रकार देश चलेगा। (व्यवधान)

अगर यही हालत रहती है तो फिर देश में गड़बड़ी होती है और मैंने देखा है इस गड़बड़ को होते हुए, बहुत जगह देखा है और जहां कुछ भी नहीं था वहां दंगे हुए, वहां बेचारे गरीब बच्चे मारे गए। इस बात का कोई अर्थ नहीं था, क्यों हुआ, सिर्फ एक धारणा से कि यह हम करना चाहते हैं। लेकिन भगवान, कब तक आप करना चाहते हैं, कब तक चलाएंगे—कभी गंगा जल के नाम से, कभी गऊ माता के नाम से, कभी राम के नाम से। अब एक और बात मैं आपको बताता हूं मैं अहमदाबाद गया था तो मुझे बताया गया कि बापू की मूर्ति, प्रतिमा भी आपने अपने नेशनल कनवेंशन में लगाई थी। (व्यवधान) आप मेरी बात को तो जरा सुनिए। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि क्यों लगाई। (व्यवधान)

श्री राम नाईक (मुम्बई उत्तर): जाखड़ जी, आप जरा मेरी बात को सुनिए। अगर आप अपनी बात को ठीक शब्दों में कहें तो लोगों की समझ में आएगा। हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि महात्मा गांधी जी की प्रतिमा, आपको ऐसा लगता है कि पहली दफा हमने गांधीनगर में लगाई है, ऐसा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के जहां-जहां कार्यक्रम होते हैं वहां महात्मा गांधी जी की, छत्रपति शिवाजी की और डा० बाबासाहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा हम लगाते हैं यह कोई नयी बात नहीं है।

श्री बलराम जाखड़: मैं तो चाहता हूं कि आप अंतर-आत्मा में उतार लें। (व्यवधान)

श्री दाऊ दयाल जोशी (कोटा): आपके लोगों ने गांधी को भुला दिया है। बी०जे०पी० के 95 प्रतिशत लोग खादी पहनने वाले हैं, आपके तो मंत्री भी खादी नहीं पहनते हैं। राजेश पायलट जी खादी का कुर्ता पहनते हैं, लेकिन नीचे बनियान दूसरी पहनते हैं।

श्री बलराम जाखड़: यह तो अच्छी बात है, भगवान ने आपको सदबुद्धि दी है, लेकिन उसके दिए हुए उपदेशों को भी अंतर में उतार लें तो कल्याण हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा, शांति हो जाएगी, उस शांति-दूत के कहने के अनुसार आप चलें, लेकिन ऐसा न हो कि अगली दफा उनका नाम लेकर आप कुछ और शुरू कर दें। सिर्फ इतनी ही बात है, यह मैं कहना चाहता हूं।

श्री बलराम जाखड़: यह तो अच्छी बात है, भगवान ने आपको सदबुद्धि दी है, लेकिन उसके दिए हुए उपदेशों को भी अंतर में उतार लें तो कल्याण हो जाएगा, देश का कल्याण हो जाएगा, शांति हो जाएगी, उस शांति-दूत के कहने के अनुसार आप चलें, लेकिन ऐसा न हो कि अगली दफा उनका नाम लेकर आप कुछ और शुरू कर दें। सिर्फ इतनी ही बात है, यह मैं कहना चाहता हूं।

अगर देश में शांति रहेगी तो हम सूखे का मुकाबला भी आसानी से कर सकेंगे। भगवान न करे कि सूखा पड़े, मैं प्रार्थना करता हूं कि बरसात हो, आशा ही जीवन है चन्द्रशेखर जी, आशा के बगैर कुछ

[श्री बलराम जाखड़]

नहीं है, अभी हम यह नहीं कह सकते हैं कि सूखा पड़ेगा, लेकिन हमें बंदोबस्त करना है, सूखे से निपटने के लिए सोचना है कि किस प्रकार से क्या उपक्रम किए जाएंगे। **(व्यवधान)**

मैं तो एक बात जानता हूं—

यह रिश्ता-ए-दीवारोदर तेरा भी है, मेरा भी है,
न गिरा इस घर को, यह घर तेरा भी है, मेरा भी है।

इस घर को गिराने की आवश्यकता नहीं है, इसको बनाने की आवश्यकता है, साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, साथ-साथ चलेगें, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी।

मैं सूखे के मुत्तलिक जानता हूं कि जब सूखा पड़ता है, बहुत गड़बड़ होती है। पिछले साल आखिरी वक्त में आ कर कुछ नुकसान हुआ, अगस्त-सितंबर में बरसात नहीं हुई, बहुत अच्छी फसल थी, किसानों के वारे-न्यारे होने वाले थे, लेकिन गड़बड़ हुई, फसल तबाह हुई, उससे कम से कम 6 मिलियन टन का नुकसान खरीफ में हुआ, 176 के बजाए 170.5 मिलियन टन उत्पादन हुआ, लेकिन रबी में हमें कुछ लाभ हुआ, चावल, गेहूं, आइल-सीड की पैदावार अच्छी हुई। काम बराबर ठीक आ गया है।

सूखे के लिए हम कंटीजेंसी क्राप प्लानिंग करते हैं, सारी फसलों का किया है। अल्प समय में होने वाली फसलों के लिए बीजों का प्रबंध करते हैं। तोरिया और सूरजमुखी इत्यादि बोने की चेष्टा करते हैं, जैसे इस साल सूरजमुखी 2 सूबों में हमने तकरीबन 5 लाख एकड़ में लगवा दी है। आईसीएआर सूखे वातावरण में होने वाली फसलों का ईजाद करता है, उन फसलों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं। सूखे से प्रभावित प्रदेशों को अग्रिम सहायता देते हैं और अगर जरूरत पड़ जाए तो एक किश्त के बजाए 2-3 किश्तें भी दे देते हैं। तभी राज्यों के राहत आयुक्तों की जून में मीटिंग बुलाई गई थी और विचार किया गया था कि किस प्रकार से सूखे से निपटना है। कृषि विभाग के संयुक्त सचिव स्तर के पदाधिकारियों को सारे प्रदेशों से बुलाकर कंटीजेंसी प्लान बनाने के लिए बात की गई। कृषि विभाग में वैदर-वाच लगा रखा है, जिससे पता लगाते रहते हैं कि किस प्रकार से कहां क्या हो रहा है। क्राइसेस मेनेजमेंट, सूखे से निपटने के लिए बैठकें करते हैं और सभी राज्यों को सारी की सारी चालू योजनाओं से पैसा दिलाने की चेष्टा करते हैं।

श्री दाऊ दयाल जोशी: इस साल हमको गेहूं किस भाव मिलेगा, यह बता दीजिए। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ठीक नहीं कर रहे हैं। हमने काफी देर तक यह बरदाश्त किया है। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब हम जिस नियम का अनुसरण कर रहे हैं वह यह है कि यदि आप कोई हस्तक्षेप करना चाहते हैं, तो आप खड़े होकर अपनी बात कहें बशर्ते मंत्री जी इसके लिए मान जायें। मंत्री जी बोल रहे हैं और आप सब अपनी-अपनी बात कह रहे हैं। यह ठीक नहीं है। कृपया, ऐसा मत कीजिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जोशी जी, यह हाऊस में बोलने का तरीका नहीं है। **(व्यवधान)**

श्री बलराम जाखड़: कुछ सीखिए, आप बोलते जा रहे हैं। आपका वक्त भी आएगा, गेहूं का भाव भी आएगा। आप क्या चाहते हैं। ...**व्यवधान**...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जोशी जी, आपका इस प्रकार व्यवधान डालना उचित नहीं है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़: आप गेहूं का भाव कौन सा चाहते हैं। किसान को गेहूं का भाव दिलवाना चाहते हैं या दूसरा मार्किट में गेहूं का भाव जानना चाहते हैं। गेहूं का भाव निर्धारित करती है फसल और आप फसल की कीमत तय करते है।..**व्यवधान**..

श्री मदन लाल खुराना (दक्षिण दिल्ली): आपने एक्सपोर्ट किस भाव पर किया? **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: अब आप क्यों बोल रहे हैं खुराना जी?

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़: आप शान्ति नहीं रखते तो मैं क्या कर सकता हूं। मैं बता रहा हूं। आप सुनेंगे तो मैं बताऊंगा, आप तो शोर करते चले जा रहे हैं। क्या करते हैं आप?..**व्यवधान**.. देखिए, दुनियां में काम चलता है तो सारा हिसाब भी चलता है। इस प्रकार से चलता है। आपने कल कहा था जसवन्त सिंह जी कि 6.30 रुपये गेहूं बिकता है बाजार में। मैंने पता करवाया, तीन-चार जगह से पता करवाया। नजफगढ़ में 3.70 रुपये का भाव, सदर बाजार में 3.80 का भाव है और अबोहर में 3.80 का भाव है। ..**व्यवधान**..

श्री मदन लाल खुराना: अच्छा गेहूं इस रेट पर आप दिलवा दीजिए। ..**व्यवधान**..

श्री बलराम जाखड़: किसान को भाव देना पड़ता है और किसान को हिसाब से भाव देना पड़ता है। उसके साथ नाइन्साफी न हो, उसको पैदावार का भाव ठीक मिले। अगर पैदावार का भाव ठीक नहीं मिलेगा तो वह उत्पत्ति क्यों करेगा। अगर उसको ठीक भाव नहीं देंगे तो वह दूसरी फसल क्यों नहीं बोएगा, गेहूं ही क्यों बोएगा।.. **व्यवधान**.. आप भले आदमी हैं, आप बोलने क्यों नहीं देते? क्या करते हैं आप। आप माननीय सदस्य हैं, मैं साफ कह रहा हूं आपको, लेकिन आप क्या कर रहे हैं। ..**व्यवधान**.. अध्यक्ष महोदय दंगा-फसाद करना हो तो कोई बात नहीं हो सकती। ..**व्यवधान**.. हमने प्रोक्योरमेंट नहीं रखा, हमने स्पोर्ट प्राईस रखा है। अध्यक्ष महोदय, हम किसान को स्पोर्ट प्राईस देते हैं। **(अनुवाद)** आपको जबरदस्ती नहीं करनी पड़े। आपको यह नहीं करना है मैं अपने किसानों को यह प्रोक्योरमेंट आधार पर बेचने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। मैं उन्हें केवल समर्थन मूल्य दे सकता हूं। यह बात है। **(हिन्दी)** अब बेचें न बेचें उनकी मर्जी है। लेकिन मैं उनको फोर्स नहीं करूंगा और न ही उन पर दवाब डालूंगा। हमने 2.25 रुपये से लेकर 2.80 रुपये का भाव दिलवाया।

श्री राम विलास पासवान: अध्यक्ष महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं मंत्री महोदय से आग्रह करुंगा कि नो-कांफीडैंस मोशन है इस पार जो पॉलिसी का मामला है, 2 रुपये 2.50 रुपये या 3.00 रुपये में आप जायेंगे तो उतना ही विवाद होगा। मैं आग्रह करुंगा कि इस विवाद को हल करने के लिए नो-कांफीडेंस पर ही बोलें तो ज्यादा बेहतर है।

अध्यक्ष महोदय: देखिए, नोकांफीडैंस भी है और अनाज का तथा खाद्य का प्रश्न भी बहुत अहम है। इस प्रश्न को उठाया भी गया है। मंत्री महोदय जो बोल रहे हैं, वह सुन लें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग एक ही वक्त सब बोलते रहेंगे तो आपको अपने प्वाइंट की जानकारी नहीं मिलेगी। मंत्री महोदय से ज्यादा और कौन अथान्टीकेट बात बतायेगा।

अध्यक्ष महोदय: यह कोई इन्टैलिजैन्स.....**(व्यवधान)** की बात नहीं है कि कोई बोल रहा है तो आप बीच में बोलेंगे इन्टैलिजैन्स की बात वह है कि आप अपने भाषण में कुछ बोल सकते हो। आपको कुछ पूछना है तो आप उठकर पूछ सकते हैं। अगर उन्होंने इन्कार किया तो वे करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बलराम जाखड़: अध्यक्ष महोदय, एक तो बरसात नहीं हुई और उस पर भी किसान ने घर पूरा किया तो उसको शाबाशी देनी चाहिए। 1988-89 सबसे बढ़िया वर्षाकाल वाला समय था। जितना होना चाहिए था तो कम नहीं हुआ, लेकिन छह मीलियन कम हुआ। जसवन्त सिंह जो अभी नहीं थे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हमने रबी में पूरा करने की चेष्टा की। तिलहन, कपास और गन्ना बढ़ाया व अन्य सारी चीजें बढ़ाई। खरीफ में भी कमी आई....(**व्यवधान**) पता नहीं बीच में यों बोल रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री खिरंजी लाल शर्मा (करनाल): मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय: आप समझते हैं कि यह प्रक्रिया के बारे में है आपको पहले मुझे यह बताना होगा कि किस नियम का उल्लंघन हुआ है?

श्री खिरंजी लाल शर्मा: माननीय सदस्यों श्री जसवन्त सिंह चीजों के मूल्यों में सम्बन्धित आंकड़ों का हवाला देते हुए कल बोल रहे थे। हमने उन्हें पूरी तन्मयता से सुना।

अब क्या सरकार का उत्तरदायित्व और कर्तव्य नहीं बनता कि वह आकड़ों को प्रस्तुत करे? क्या यह मंत्री जी की जिम्मेदारी नहीं बनती कि वह पूछे गए सवालों का जवाब दें?

अध्यक्ष महोदय: मैंने उनसे ठीक नहीं कहा है।

श्री खिरंजी लाल शर्मा: फिर वह वैसा क्यों नही कर रहे हैं? उन्हें वास्तविकता का सामना करना चाहिए। वह आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं। तब आपको सदन का संचालन करना है हर स्तर पर विपक्ष की ओर से व्यवधान हो रहा है क्या हम मूक दर्शक बने रहे? क्या सत्तापक्ष के किसी सदस्य ने विपक्ष के सदस्यों के समक्ष व्यवधान पैदा किये जाने के बारे में सोचा है?

अध्यक्ष महोदय: आप भी मेरे आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। कृपा करके आप पहले बैठ जाइयें। वहां क्या हो रहा है? यह आपकी तरफ से भी ठीक नहीं हो रहा है।

[हिन्दी]

श्री बलराम जाखड़: जब सवाल उठाया गया है तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय: आप बोल रहे हैं तो वे समझ रहे हैं कि आप उन्हीं को बोल रहे हो। आप मेरी मार्फत हाऊस को बोल रहे हैं।

श्री बलराम जाखड़: मैं आपकी मार्फत सदन को बोल रहा हूं।.....(**व्यवधान**) किसान ने जितना कुछ किया, अगर उसकी सराहना नहीं करेंगे तो कैसे बात बनेगी। .....(**व्यवधान**) एक तरफ कहते हैं कि भाव ज्यादा बढ़ रहा है और यह भी कहते हैं कि किसान को पैसा दिलाओ, किसान की क्षतिपूर्ति हो और उसकी जेब में पैसा जाए, ऐसा होने से दूसरी तरफ इन्फलेशन आ जायेगा और भाव बढ़ जायेंगे। दोनों हाथ में लड्डू नहीं रह सकते, एक हाथ में लड्डू रह सकता है। आपको वितरण ठीक करना पड़ेगा।

मैं आपको आश्वासन देता हूं कि इसके लिए पी०डी०एस० में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हमने तीस लाख टन एलाट कर दिया है और वह उठना शुरू हो गया है। उसमें कमी नहीं आयेगी। हमने 1700 ऐसे प्वाइंट ढूंढ लिए हैं जो पिछड़े वर्ग में, ट्राइबल एरिया में हैं तो किसी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और तीस किलो प्रति परिवार की योजना बना ली है। यह सारी बातें आपको दृष्टिगोचर करने के लिए कह रहा था। हमने जो कुछ किया है उसके लिए आगे भी वैसा ही करना चाहते हैं जिससे किसान का भाव उसकी जेब में कुछ पड़े। अगर ज्यादा भाव वाली चीज होगी तो दूसरी क्यों बोयेगा। अगर कोई इंसेंटिव देना है तो और उसको आग्रह करना है कि यह करो तो उसको कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसकी तरफ देखिये कि उसने कितना

किया है, कितना नहीं किया है। फिर बात बनेगी। हमने कृषि अनुसंधान के लिए डाइवर्सिफिकेशन प्लान बनाया है, इस सरकार ने बनाया है। पिछले सालों से हार्टिकल्चर के लिए हमारे पास कुछ नहीं था, न ग्रेडिंग का था, न पैकेजिंग का था, न मार्केटिंग का है, न प्रोसेसिंग का है, न ट्रांसपोर्टेशन का है और न कोल्ड स्टोरेज का है। हम नींव डाल रहे हैं। मैं आपकी कृपा से और सदन की मर्जी से चाहता हूं कि किसान की जेब में पैसा जाये। वह कैसे जायेगा, जब आप उसको पैसे वाली चीज पैदा करने देंगे और उसमें एडीशनल वेल्यू एड नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा। किस तरीके से उसका काम बने इसीलिए हमने सात सौ करोड़ रुपये की योजना बनाई है। और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है सारी मिनिस्ट्रीज की मीटिंग बुलाकर मैं कैबिनेट के पास ले जा रहा हूं। यही नहीं, हमने चौदह सौ करोड़ रुपये जल संसाधन के लिए दिये हैं, पिछले साल चार सौ करोड़ थे। आजकल ड्राउट की समस्या है, पीने का पानी नहीं है। आप राजस्थान से आते हैं, आपको पता है कि वहां लोग मीलों दूर से पानी लाते हैं, पानी नहीं मिलता है। उस पानी को सिंचित नहीं करेंगे, कुओं में जल नहीं होगा तो दुबारा क्या करेंगे। साथ ही उसके लिए बीसियों करोड़ रुपये बूंद-बूंद सिंचाई योजना, ट्रिक्लर के लिए है और ड्रिप इरीगेशन के लिए देना चाहते हैं जिससे उसका काम हो। नई चीज पैदा करके देना चाहते हैं। 64 करोड़ रुपये सिर्फ हार्टिकल्चर के लिए थे, उसके लिए अब एक हजार करोड़ रुपये नये प्लान के लिए रखवाये हैं, क्योंकि इससे ऐसा काम होगा जिससे गरीब आदमी, थोड़ी जमीन वाला पैदा करके दे सकेगा। यह सारा सिंचित करके आगे बढ़ सकेंगे। पहली दफा देश में ऐसा हुआ है जब देश से एक हजार किलोग्राम यानि दस करोड़ का अंगूर हमने इंग्लैंड को दिया है, अगले साल इसको हम एक सौ करोड़ तक करना चाहते हैं। यह तभी होगा जब साधन होंगे, कोल्ड स्टोरेज हो, कंटेनर सेंटर हो, प्रिक्यूरिंग स्टेशन हो तब बात बनेगी। इस तरीके से मैं कहना चाहता हूं। और ये सारी बातें आपको बताना चाहता हूं। इसलिए ऐसी चिन्ता की आवश्यकता नहीं है। पी०डी०एस० को चलाने की बात हमारे पास है। असिंचित के लिए 70 करोड़ आपके पास हैं। उसमें ऐसा है कि जब बरसात नहीं होती है तो गड़बड़ हो सकती है। सिंचाई को बढ़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। जैसे नर्मदा योजना है, टिहरी योजना है या अन्य नई योजनायें हैं, इन सबको बनाना पड़ेगा तब जाकर सिंचित का काम होगा, तब बढ़ोत्तरी होगी।

आज सुबह बिहार के लिए बात हो रही थी। बिहार में मैं नई चीज ले जाकर एक्सटेंशन प्रोग्राम के साथ और आप लोगों की सहायता से उसकी नई रूपरेखा बनाना चाहता हूं, क्योंकि बिहार में यदि यह चीज हो जायेगी तो बिहार का भी कल्याण होगा और देश का भी कल्याण होगा। उड़ीसा का भी है, उसके लिए भी करना पड़ेगा। हमने नई चीज सोची है, एक तरकीब लड़ाई है वह है मछली पालन की योजना। उसके लिए काफी कुछ काम किया है। पिछले साल 800 करोड़ था, अब 1400 करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट किया है। हम उसका उत्पादन 39 लाख से 46 लाख तक ले गये, अगले साल तक 50 लाख तक ले जाना चाहते हैं। इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। जिस तरीके से हम सोच रहे हैं, वह अगर होता चला जायेगा तो फिर सब ठीक हो जायेगा। यह सारी बातें मैं आपको बताना चाहता हूं।

4.00 म० प०

विश्व बैंक की योजना है, वैस्ट बंगाल में 100 करोड़ रुपये की योजना चालू करवाई है। उसमें फिश कल्चर होगा, गोवा में भी चालू करवाई है, आंध्र में है, बिहार में है, यू०पी० में भी है, उड़ीसा में भी है। सारी बातें जिस तरीके से नजर आ रही हैं उनके आधार पर मैं कहना चाहता हूं कि आपका भी कल्याण होगा, हमारा भी होगा, सबका कल्याण हो जायेगा। मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार सूखे के मुतल्लिक जागरूक है, उसका मुकाबला करने के लिए तदबीरें तैयार की जा रही हैं और पी०डी०एस० के लिए मामला तैयार है।

[श्री बलराम जाखड़]

पंजाब के मुतल्लिक भी यहां बात हुई। चन्द्रशेखर जी और गुप्त जी चले गये, लेकिन उनकी जो कुछ धारणा थी मैं उनको पंजाब ले जाना चाहता हूं और दिखाना चाहता हूं कि आज पंजाब क्या है। आपने कहा कि फ्राड हो गया पंजाब में, नहीं ऐसी बात नहीं है। फ्राड हुआ है तो हम और आप सब उसमें भागीदार हैं। फ्राड नहीं है, वह देखने की बात है कि कौन सी ऐनक लगाकर देखता है, तब पता लगता है कि क्या होने वाला है। जिस वक्त इलेक्शन होने वाला था, उस समय नोटिस दिया था, मीटिंग की गयी और यह ऐलान किया गया कि जो पहले पांच आदमी वोट डालने के लिए जायेंगे, उनके खानदान को खत्म कर दिया जाएगा। जिस ने वोट डाला, जिसकी उंगली पर निशान देखा, उसकी उंगली काट दी जायेगी। इस प्रकार से सारा वातावरण आतंकित बना दिया गया और ऐसे वातावरण में वोट डालने वालों की हिम्मत थी कि उनको नमस्कार करना चाहिये, उनको सलाम करना चाहिये कि जिन लोगों ने अपनी जान पर खेलकर वोट दिया। लोग तो वोट देना चाहते थे। आज आप जाकर देखो कि वहां क्या हो रहा है? आज मेरे साथ श्री जसवन्त सिंह जी, चन्द्रशेखर जी, इन्द्रजीत गुप्ता जी चलें तो उनको बताऊंगा कि आज पंजाब क्या है? पंजाब को अपने तरीके से जीने दो। लोगों को पता है कि उनकी बात सुनने वाले बैठे हैं, उनके नुमाइन्दे यहां पर बैठे हैं, इसलिए उनको पता है कि उनकी बात सुनी जायेगी। मैं तो पहले भी कहता था और आज भी कहता हूं कि इस सरकारी तंत्र में चाहे कमजोर से कमज़ोर सरकार हो, निकम्मी से निकम्मी सरकार हो फिर भी प्रजातांत्रिक सरकार ज्यादा फायदेमंद है।

अध्यक्ष महोदय, अभी गोविन्दवाल के जलसे में गया था। वहां मांझे का एक बहुत बड़ा एरिया है जहां सब से बड़ा आतंक था। वहां पर एक जर्नलिस्ट आया, उसने एक बात कही, वह मेरे दिल में बैठ गयी। उसने कहा कि इससे पहले एमपीज़ का दल आया था जिसने पूछा कि कैसा माहौल है बताओगे तो मैंने दो शब्दों में उत्तर दिया कि मैं जीना चाहता हूं पर कुछ कहना नहीं चाहता हूं लेकिन उस जलसे में उस जर्नलिस्ट ने कहा कि आज वह अब जीना भी चाहता है और कुछ कहना भी चाहता है, तो कहकर रहेगा। तो यह आज का वातावरण है जिसमें हमें मदद करनी चाहिये कि आगे किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। इन सारी बातों को देखने की जरूरत है।

अध्यक्ष महोदय, मैं सब लोगों से इस हाउस के माध्यम से विनती करना चाहता हूं कि हम कहते भी हैं कि खाद्यान्न की कमी हो गयी है और इससे आतंकवाद फैल जायेगा, लोग भुखमरी का शिकार हो जायेंगे, लोग मर जायेंगे तो बुरा होगा। मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रहा हूं कि जमीन तो बढ़ नहीं रही है, जो क्षेत्र भगवान ने एक दफा बना दिया, वही रहेगा लेकिन हमारी आबादी प्रतिवर्ष दो करोड़ के हिसाब से बढ़ रही है। यद्यपि हमने इस हाउस में एक दफा गलती की थी या वह सही काम था जब हमने 1977 में मार खायी थी लेकिन उसके बाद किसी पार्टी ने खुले रूप में इस समस्या को हाथ नहीं लगाया। यदि यह हाउस सोचे तो यह बात समझ लें कि यह देश हित की बात है। अगर आज नहीं सोचेंगे तो कल जवाबदेही हम पर होगी। हमारे आने वाले बच्चों के बच्चे होंगे तो वे क्या कहेंगे? यही कि हम लोगों ने कभी अपने लिए सोचा होगा उनके लिए नहीं सोचा। इससे यह देश बंट जायेगा। यदि हम सांझे होकर इस बात को सोचें तो सारी बात बिलकुल ठीक हो जायेगी। ये सही बाते हैं। मैंने आपसे कहा कि इतिहास के पन्ने पलटिये। आपने इनकी मदद की, सरकार किसी और की थी। उन्होंने ऋण माफी किया था इससे हमारा सारा बैंकिंग सिस्टम खराब है कि मैं आज ऋण नहीं दे पा रहा हूं। मेरे सारे बैंक अभी ऐसे बैठे हैं। आप उनसे पूछें कि क्या हुआ? अब हर्षद मेहता की बात सामने आ गयी और जे०पी०सी० भी .....(व्यवधान)..... आप हर्षद मेहता की बात कर रहे हैं। अभी जे०पी०सी० बनी है। सरकार ने आपके कहने के मुताबिक किया है। उससे कुछ छिपा नहीं रहेगा। मैं तो चाहता हूं कि जिसने बेईमानी की है, चाहे वह कितना बड़ा लाटसाहब हो, उसको छोटी सी बात के लिए भी फांसी लगनी चाहिये। या तो यहां लिखकर दे और उसके खिलाफ जो कहें या कोई लांछन लगाना चाहे तो सामने

खड़ा होकर लगाये और उसको भी बड़ी सजा होनी चाहिये। यदि वह झूठ बोलता है, असत्य वचन कहता है तो वह गाली किसी को नहीं लगनी चाहिये। यह देखने की बात है क्योंकि यदि वह विश्वास खो देता है या विश्वासघात किया है तो जीवन कैसा रहेगा? क्या मुंह लेकर घर जाता है या क्या मुंह लेकर किसी को अपनी शक्ल दिखायेगा? मां-बाप पैदा करने वाले हैं क्या कहेंगे कि हम हराम की कमायी खा रहे हैं, यह देखने की बात है। जिसने जैसा भी किया, उसको सजा मिले। मैं किसी की वकालत नहीं करता हूं और न किसी पर इलज़ाम लगाता हूं क्योंकि उसको पता होना चाहिये कि वह क्या कह रहा है? जो वह करना चाहता है, यह देखने की बात है। मेरे ख्याल से जे०पी०सी० हाउस से बड़ी नहीं है। यह हाउस फैसला करेगा। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि हिम्मत होनी चाहिये कि मैं यह कहता हूं और डटकर कहता हूं। यह सही बात है। ...(व्यवधान)... अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कह रहा हूं, वह बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जसवंत सिंह जी से मैं अपील करता हूं कि आप सोचिएगा और इतिहास के पन्नों पर नज़र डालिएगा और अपने लिए नहीं ...(व्यवधान)... अरे! मैं क्या सोचूं—तेरा मेरा कांच का घर मैं भी देखूं तू भी देख तेरे मेरे हाथ में पत्थर, मैं भी सोचू तू भी सोच।" यही एक तरीका है और इसको सोचने की ज़रूरत है और हम यही कर सकते हैं। अपने भाषण में जिस तरीके से वह कहते हैं कि प्रधान मंत्री मौनी बाबा हो गए, अरे! मौन तो सबसे बड़ा अस्त्र है। जो मौन धारण कर सकता है वह सोच सकता है और शांति से सोच सकता है। जो उतावला होता है वह रोचता नहीं और जो सोचकर काम करता है वह ठीक काम करता है। यह देखने की बात है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आप बाद में सोचकर देख लेना। अगर ये चीजें हो जाती हैं तो हमारे देश में कहीं कोई आशांति नहीं रहेगी और शांति हो जाएगी और हमें अपने देश में प्रजातांत्रिक मनुष्य पैदा करने हैं जिससे हम आगे बढ़ सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़ (मुजफ्फपुर): अध्यक्ष जी, कल से इस अविश्वास के प्रस्ताव पर बहस चल रही है और बहस को शुरू करते हुए हमारे मित्र श्री जसवंत सिंह जी ने यह कहा कि एक साल के बाद इस प्रस्ताव को लाने का काम इसलिए हो रहा है क्योंकि इस एक साल में सरकार ने ऐसी कोई विश्वास की बात नहीं बताई कि जिससे आज हम इस प्रस्ताव के अलावा दूसरी कोई बात कह सकें। उनकी बोली में ऐसी भी एक बात आ गई कि कुछ अपेक्षाएं उन्हें इस सरकार से थीं। मैं अपने बारे में इसलिए सबसे पहले यह खुलासा करूं कि मुझे इस सरकार से कभी कोई भी अपेक्षाएं नहीं थीं और मेरी यह मान्यता है कि इस सरकार को यहां पर आना ही नहीं चाहिए था। यह सरकार यहां पर अगर आई तो कोई लोगों को दिए हुए फैसले को लेकर नहीं आई। जिस मैन्डेट की बात ये लोग कहते हैं, उस मैन्डेट को लेकर यहां पर पहुंचे, वह बात नहीं है। यह सरकार अगर यहां पर पहुंची तो वह एक ही कारण से कि विपक्ष विभाजित था और वह विपक्ष आज भी विभाजित है। इसलिए यही एक शक्ति है इस सरकार की, इस के अलावा इस सरकार के पास दूसरी कोई भी पूंजी नहीं है। अगर ये लोग इसे नहीं समझते हैं तो उनकी गलती नहीं है। चूंकि जब तक विपक्ष इस बात को नहीं समझेगा कि विपक्ष का विभाजन, इस सरकार को, जिसकी बुराइयों पर, जिसके कुकर्मों पर इस सदन में और इस सदन के बाहर हम सभी लोग अलग-अलग चर्चा करते हैं, तो केवल एक ही कारण को लेकर वे यहां पर हैं क्योंकि हम इसे यहां पर रहने दे रहे हैं। इसलिए आज यहां पर इस सदन में इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोलते हुए हम बहुत परेशान हैं। हम जानते हैं कि चाहे जो हो, हम लोग यहां पर चाहे जिन बातों को कहे, लेकिन जहां तक इस सरकार को हटाने का प्रश्न है, तो कहीं न कहीं विपक्ष का यह विभाजन फिर बाधक बन जाता है और जो विवाद हैं जो बीच-बीच में सदन के अंदर और सदन के बाहर खड़े हो जाते हैं और ऐसे विषयों पर खड़े हो जाते हैं जिनका लोगों के पेट से, उनके जीवन से संबंध है, इस सरकार के चलते उनके साथ होने वाले जुल्म से कोई मतलब वह नहीं रखते हैं। मगर चूंकि उन विवादों को विपक्ष भी अपने अपने दल की तरफ से या सामूहिक रूप से हल करने में असमर्थ साबित हुआ है, इसलिये देश को आज इस सरकार को बर्दाश्त करने की नौबत आई है।

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि अगर विपक्ष चाहता तो इस सरकार को पिछले साल भर में अनेक सवालों के ऊपर हटा देने का काम उसे करना चाहिये था और वे कर सकते थे। नई आर्थिक नीति, पिछले साल के जुलाई महीने में, अगस्त महीने में, सितम्बर महीने में, जो चलाने का काम शुरू हुआ, जिसको लेकर देश की आर्थिक आजादी ही नहीं। बल्कि देश की राजनैतिक आजादी और एक तरह से देश की सार्वभौमिकता को खत्म करने का काम इस सरकार ने किया, उसे इस देश ने बर्दाश्त किया। उसके जो दुष्परिणाम हुए, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं, जैसे अभी रक्षा मंत्री से पूछा गया कि पिछले कल क्या था कि हिन्दुस्तान और अमेरिका की जल सेना संयुक्त एक्सरसाइज हिन्द महासागर में करेंगे तो उन्होंने कहा कि अमेरिकी सरकार का यह प्रस्ताव था। हम लोगों को परेशानी होती है कि अमेरिकी सरकार कोई प्रस्ताव करती है और भारत सरकार जी-हुजूरी करके, अपने दो जहाजों को लेकर हाजिर रहती है और यह एक उदाहरण चूंकि सदन के अंदर आ गया, मैं ऐसे कितने उदाहरण दूं कि जहां हम लोगों की सार्वभौमिकता के ऊपर आघात पहुंचा है और हम लोगों के चलते, नई आर्थिक नीति, यह सरकार इस देश के ऊपर लाद पायी। इसे नजरअंदाज करने से कोई मतलब नहीं है लेकिन मेरी यह मान्यता है कि अगर स्थिति ऐसे ही बनी रही तो कहां ये लोग देश को पहुंचा देंगे, जिसका कोई ठिकाना नहीं है।

इस सरकार को हम लोगों को हटाना चाहिये था बोफोर्स के मामले पर, लेकिन सरकार बनी रही। इस सदन के भीतर ऐसी बातें प्रधान मंत्री की तरफ से कही गयीं कि हमें चाहे जो करना पड़े हम सच्चाई को सदन के सामने लाकर रखेंगे लेकिन आज भी हम लोग उसकी चर्चा यहां पर छेड़ते हैं और हम भी कुछ तथ्य इसके बारे में प्रधानमंत्री से फिर सुनना चाहेंगे। कहां तक सच्चाई को खोजने के लिये प्रधानमंत्री आगे बढ़े हैं, कहां वे पहुंचे, हम इसको भी जानना चाहेंगे।

लेकिन अध्यक्ष जी, वह एक मामला था। उसके बाद, इतना बड़ा यह बैंकों और स्टॉक एक्सचेंज का मामला आ गया, जिसमें 10 हजार करोड़ या 15 हजार करोड़ न जाने कितना आंकड़ा इन्वाल्व है। वित्त मंत्री उस पर क्या भूमिका लेते हैं, प्रधानमंत्री उस पर क्या कहते हैं, इसकी चर्चा परसों या मंगल को यहां पर होनी है, मैं उस पर आज कोई बात कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि हम नहीं चाहेंगे कि वे लोग सरकार की तरफ से सारे मामलों का एक साथ ऐसा कोई जवाब दें कि विश्वास हमें मिल चुका है और बात अभी खत्म हो गयी है। यह बात बनी रही, अब हम उस पर बहस चाहेंगे, वह मंगल को होगी या बुध को होगी, जब आप समय देंगे, अध्यक्ष जी, शायद आपने तय किया है मंगलवार का, तो उस दिन बहस इस पर होगी और उस पर अलग जवाब मांगने का, उस पर अलग बहस करने का काम हम लोग करेंगे।

मगर वह एक ऐसा विषय था, जिस पर दुनिया के किसी भी मुल्क में सरकार को हटा देने का काम विपक्ष कर देता, मगर सरकार बनी रही और मस्ती में है। केवल एक मंत्री का अभी तक इस्तीफा हो गया, अनेक लोगों को जाना चाहिये लेकिन बड़ी मस्ती में हैं, घबराये भले हों, लेकिन मस्ती में हैं। देश अपेक्षा करता है विपक्ष से कि इन सारी बातों का सरकार से न केवल जवाब मांगने का काम करे बल्कि जिस स्थान पर आज बैठकर ये सारी चीजें चला रहे हैं, वहां से उनको हटाने का काम करे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि एक ऐसी अजीब सी स्थिति में हम लोग हैं। इसीलिये मैंने कहा कि एक परेशानी में मैं खड़ा हूं लेकिन शुरुवात हम करेंगे कुछ आर्थिक सवालों को लेकर, और वह भी बैंकों से जुड़े हुए मामले को लेकर। और एक विशेष मामले को आज वित्त मंत्री के सामने और सरकार के सामने रखकर। वह आज के बम्बई के मामले से जुड़ा नहीं है, मगर जुड़ा है आपके आंध्रा बैंक और हैदराबाद बैंक की अनेक शाखाओं से और वह जुड़ा है एक कम्पनी की बात से लेकर, जिसकी आज छोटी-छोटी 50 कम्पनियां हैं। जिस प्रश्न को प्रधान मंत्री के सामने, इस सदन के अनेक सदस्यों ने लिखितरूप में पिछले छः महीनों में एक बार नहीं दो बार रखने का काम किया है, वह है "प्रोप्रेसिव

कंस्ट्रक्शन कम्पनी ने किया है। बैंक से 60 करोड़ रुपए का कर्जा लेकर घपला किया है। 60 करोड़ रुपए की केवल इन्कम टैक्स की चोरी की है। इसके सुबूत आपके पास हैं। आपके रिजर्व बैंक का ही कहना है। आपके रिजर्व बैंक ने 1985 में इसकी जांच करते हुए यह कहा कि गड़बड़ है और 7 मार्च, 1986 को इस सदन में, आज से छः साल पहले, आपके वित्त मंत्रालय के एक राज्य मंत्री ने इस मामले पर सदन को कहा कि रिजर्व बैंक ने जो जांच की है, उसकी रपोर्ट से मैं उद्धरण दे रहा हूं—

[अनुवाद]

इससे प्रोग्रेसिव कंस्ट्रक्शन कम्पनी (प्रा०) लिमिटेड द्वारा की गई भारी अनियमितताओं का पता चला है।

[हिन्दी]

रिश्तेदारों की बात नहीं है, उसके जो मालिक हैं, वे एक जमाने में इस सदन के सदस्य थे, इस पार्लियामेंट के सदस्य थे।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : क्या वे कांग्रेस के थे (व्यवधान)

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: हां कांग्रेस के ही हो सकते हैं और कौन हो सकता है। (व्यवधान)

अनेक सदस्य होते हैं, जिनके धंधे होते हैं, लेकिन एक सदस्य, हम उसका नाम भी नहीं ले रहे हैं, हम केवल इतना कह रहे हैं अध्यक्ष जी की एक कम्पनी के मामले को लेकर इस सरकार के पास 1985 में शिकायत आ गई, सदन में एक नहीं, अनेक बार, बहस चली, लेकिन किसी भी प्रकार की कार्रवाई आज तक नहीं हुई और अभी आप हम से कह रहे हैं—

[अनुवाद]

प्रतिभूति घोटाले में अन्तर्ग्रस्त किसी भी व्यक्ति को हम नहीं बख्शेंगे।

[हिन्दी]

प्रधान मंत्री ने परसों हमसे कह दिया कि कोई भी मंत्री का कोई भी सम्बन्ध हो हम उसको नहीं छोड़ेंगे।

श्री राम नाईक: यह तो स्कैम के बारे में कहा है। इसके बारे में नहीं।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: तो स्कैम की शुरूआत इन्हीं चीजों से होती है। (व्यवधान)

अध्यक्ष जी, हम केवल इसलिए इस बात को छेड़ रहे हैं कि यह सारी आज कोई नयी चीज पकड़ी गई है, नया घोटाला है, ऐसा नहीं है, लेकिन वित्त मंत्री जी क्या कुबूल नहीं करेंगे कि एक अरसे से जो सिलसिला था कर के, कहा जाता है कि मंत्रियों के हाथ कहां हैं, नेताओं और राजनीतिक लोगों के हाथ कहां हैं, इसकी खोज केवल हर्षद मेहता को पकड़ कर आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं केवल इस एक कम्पनी की जांच करते हो, कितने राजनीतिक नेताओं का और कितने मंत्रियों का, कहां-कहां इसका रिश्ता है, क्यों नहीं इसका पता लगाते हो? आपको बहुत जानकारी मिलेगी।

एक माननीय सदस्य: जानकारी तो इनके पास है।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: नहीं हो, तो मिलेगी।

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय श्री जार्ज फर्नांडीज ने एक विशेष कम्पनी का मामला उठाया है। मुझे माननीय श्री अटल बिहारी बाजपेयी सहित अन्य कई सांसदों से इस विषय पर पत्र प्राप्त हुए हालांकि कल मैंने इन माननीय सदस्यों को उत्तर दे दिया है कि मैंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कम्पनी के लेखाओं की विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया है।

प्राप्त हुए हालांकि कल मैंने इन माननीय सदस्यों को उत्तर दे दिया है कि मैंने भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस कम्पनी के लेखाओं की विशेष लेखा परीक्षा करने का आदेश दिया है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: हमें खुशी है कि इन्होंने स्पेशल आडिट का आर्डर दिया है 1985-86, जवाब है अन्य लोगों के आपकी सरकार के.....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

श्री चन्द्रशेखर (बलिया):अध्यक्ष महोदय क्या मैं कम्पनी कानून के संबंध में मन्त्री महोदय से यह जान सकता हूं कि उन्हें इसके बारे में कुछ सूचना प्राप्त है? श्री मनमोहन सिंह जी, उन मामलों में बचाव करने का प्रयास मत कीजिए जिनका बचाव आप नहीं कर सकते है जांच पड़ताल चल रही है तथ्य आपके सामने है आप कार्यवाही करने में असमर्थ है इसलिए आप इस मामले में देर लगा रहे हैं।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा):60 करोड़ रुपये बिना जमानत के दे दिये गए। उसका क्या हुआ है? (**व्यवधान**)

श्री जार्ज फर्नान्डीज :अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर मामला है। हमने इसको इसलिए उठाया है। यह एक केस स्टडी है कि किस तरह से राजनैतिक नेताओं के रिश्ते, सरकारी लोगों के मंत्रियों के बच्चों के रिश्ते, कम्पनी को बैंक का रिश्ता बनाकर बैंक को लूटने का काम करते हैं, यह इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वित्त मंत्री हमको क्या जवाब दे रहे हैं। इनके विभाग के अंडर सैक्रेटरी ने लैटर लिखा है श्री अम्ल दत्ता को *वे लिखते है कि आर०बी०आई० की जांच हुई है लेकिन हम आपको जानकारी नहीं देंगे क्योंकि इसमें गुप्तता का क्लॉज है, फैडेलिटी क्लाज़ है। फैडेलिटी क्लाज़ कब खत्म होगा, जब हर्षद मेहता आ जाएगा, जब बैंक आफ कराड का कांड होगा, जब दलाल बीच में आ जाएंगे, तब फैडेलिटी क्लाज़ खत्म हो जाता है। तब जानकी रमण सब लिखकर हमारे सामने रख सकते हैं। एक कम्पनी, 60 करोड़ की लूट, इस कम्पनी ने एक बार खरीदी हुई मशीनरी पांच जगहों पर मौरटगेज की है। जो मशीनरी बिक चुकी है उसे मौरटगेज करके आपके बैंकों से रुपया लिया है....(**व्यवधान**)

मेरी आज प्रधानमंत्री जी से प्रार्थना है, वित्त मंत्री जी से मैंने केवल बात कही है, वित्त मंत्री की चिट्ठी से बात हल नहीं होगी, आपके स्पैशल आडिट से बात हल नहीं होगी, मैं आपको 500 पेज की पूरी कमेटी की रिपोर्ट देने को तैयार हूं, शाम को आपके दफ्तर में भेजने को तैयार हूं, आप कल एक्शन लेकर हमको बता दें अगर आप में हिम्मत है।....(**व्यवधान**) मैं कल सदन के पटल पर उस रिपोर्ट को रखने को तैयार हूं, आप हिम्मत कीजिए एक्शन लेने की। आप नहीं करेंगे क्योंकि सात साल से उन्होंने इसको दबाकर रखा है और कम्पनी पैसा लेती जा रही है, कम्पनी इनकम टैक्स की चोरी करती रही है, कम्पनी बैंकों को लूट रही है, सब गलत है। जो चीज जानकी रमण ने बताई है उससे दस गुना ज्यादा गलत है।....(**व्यवधान**)

एक माननीय सदस्य: ग्यारह महीने में आपने क्या किया?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: हमारे ग्यारह महीने के लिए ही हम अभी यहां हैं। आप तो वहां पर बैठकर बारह हो गए, आप अभी भी क्या कर रहे हैं।...(**व्यवधान**)

अध्यक्ष जी, यही इस बात को छेड़ने का कारण है। कारण यह है कि प्रधान मंत्री का वह बयान कि हम सख्त कार्रवाई करेंगे और उन सभी लोगों पर जिन्होंने किसी भी प्रकार का स्कैम किया है। हम सख्त कार्रवाई की उनसे अपेक्षा रखते हैं और आपके शब्द को लेकर और आपको पकड़ कर आज आपसे इस मामले में जवाब मांगना चाहते हैं। (**व्यवधान**)

*अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

श्री तेजसिंहराव भोंसले (रामटेक): जिस प्रकार से यह सब हुआ है, उन 11 महीनों में उस वक्त के फाइनांस मिनिस्टर कौन थे.....**(व्यवधान)**

संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): अध्यक्ष महोदय, इनको काफी समय मिला। माना कि 1989 से 1990 तक इनको काफी समय मिला। जब खबर जार्ज फर्नान्डीज के पास थी तब इन्होंने 11 महीने तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की। यह कौंसिल के मैम्बर थे। आज मेरी गवर्नमैंट में कुछ हो और मैं मैम्बर हूं और मैं कुछ नहीं करता हूं तो मुझे 1-2 साल के बाद बोलने का हक नहीं है। इस परम्परा को हमें जारी रखना चाहिये। यह नहीं कि जब जिम्मेवारी पर हों तो कुछ नहीं कहें।

श्री चन्द्रशेखर: मैं राजेश पायलट को इसका एक ही जवाब देना चाहता हूं जिन कारणों से मनमोहन सिंह जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं कारणों से वी०पी० सिंह नहीं कर पाये।.....**(व्यवधान)**

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राजेश पायलट): मनमोहन सिंह जी यहां हाजिर हैं, कोई कारण नहीं है, खुली बात है.....**(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर: कारण एक ही है कि जब बड़े लोगों के संबंधी ऐसे मामलों में फंसे होते हैं तो वह अपनी हुकूमत की गद्दी को बचाने के लिये उन चीजों को नजर अंदाज करते हैं। जो काम बड़े दुख के साथ मेरे मित्र मनमोहन सिंह कर रहे हैं वह बड़े उल्लास के साथ वी० पी० सिंह पहले कर रहे थे।

(व्यवधान)

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री जी कल इसका जवाब दें आप कल मुझे इजाजत दें। कि मैं सारे दस्तावेज सदन के पटल पर रखूं ताकि मामला एक बार हल होने की दिशा में आ सके। किस की कितनी जिम्मेदारी है, वे सारी चीजें उसी के साथ इस सदन में, सदन के बाहर जिन के पास जो जानकारी है, वे सब उसे रखने का काम करें। सरकार कैसे चलती है, आप जानते ही हैं। लोग आते हैं, जाते हैं, मंत्री आते हैं जाते हैं लेकिन परमानेंट सरकार होती है। जब परमानेंट सरकार का मंत्रियों और राजनीतिक नेताओं से रिश्ता बन जाता है तो फिर वे देश को कहां तक पहुंचा देते हैं वह बम्बई और देश के दूसरे भागों में आप देख ही रहे हैं। उसकी जड़ जहां पर है, उसे आप पकड़ने का काम करें।

मैंने जो मामला यहां पर रखा है, उसके दस्तावेज आप इस सदन के पटल पर रखने की इजाजत दीजिये और प्रधान मंत्री से जवाब दिलाने का काम करिये। मैं मामला इसलिये छेड़ रहा हूं क्योंकि मुझे इस सरकार पर विश्वास नहीं है। कोई भी मसला यह सरकार हल नहीं करना चाहती है।

अब मैं बोफोर्स का सवाल इनकी ओर ले जाना चाहता हूं। सदन के भीतर चर्चा हो गई। जब सोलंकी का मामला आ गया तो प्रधान मंत्री जी ने यहां पर सार्वजनिक तौर पर जो बातें कहनी थीं वे कहीं, चिट्ठियों में जो बातें कहनी थी, वे कहीं, मौखिक तौर पर जो बातें कहनी थी। वे कहीं मगर हर जगह पर उनका एक वाक्य हमेशा रहा कि जो सत्य है, वह सत्य लोगों के सामने रखने के लिये जो भी हमें करना पड़ेगा, वह हम करेंगे।

अध्यक्ष जी, मामला दो जून का है। दो जून को इंडियन एक्सप्रेस में खबर छपी। कुछ लोगों को इंडियन एक्सप्रेस से परेशानी होती है, लेकिन वह इसलिये नहीं होनी चाहिये कि इंडियन एक्सप्रेस प्रधान मंत्री को बोफोर्स से अलग रखने की मदद कर रहा है।

तो इसलिए आप लोगों को उससे परेशान नहीं होना चाहिए। मेरी उस अखबार से उसको लेकर शिकायत हो सकती है लेकिन आप लोगों को नहीं होनी चाहिए, चूंकि वह आपको बचाने का कि प्रधान मंत्री का इसमें कोई हाथ नहीं है, यह बताने में वह मदद कर रहा है। दो जून को खबर आती है और खबर क्या एक मुलाकात है, जिसकी चर्चा इस सदन में अनेक रूप से छेड़ने का प्रयास हमने किया है, आगे फिर करेंगे। आपके सामने मेरा

....(व्यवधान).....नोटिस नहीं, प्रिवलेज मोशन है।

अध्यक्ष महोदय: अब इन सारी चीजों के जवाब यहीं चाहिएं?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: वह अलग है, अभी मैं इसको नहीं छेड़ रहा। यहां कैसे छेड़ सकता हूं। लेकिन वह मामला अखबार छापता है, स्विटजरलैण्ड के विदेश मंत्री के एक बयान को, एक मुलाकात को, हम उस दिन बंगलौर में थे। अखबार में यह छपा, मैंने प्रधान मंत्री को एक चिट्ठी वहां से भेजी। अध्यक्ष जी, उस चिट्ठी में मैंने प्रधान मंत्री से अपेक्षा की कि वे कुछ कदम बढ़ायें, जो वचन उनका था, उस वचन को पूरा कर लें और मैंने उनसे यह कहा कि, दो जून का पत्र है:

[अनुवाद]

माननीय प्रधान मंत्री जी, आज के इंडियन एक्सप्रैस ने मुख पृष्ठ पर चित्रा सुब्रहमण्यन द्वारा दिया गया एक समाचार छापा है जिसमें स्वीडन के विदेश मंत्री रेने फैलवर का हवाला देते हुए कहा गया है कि "श्री सोलंकी ने मुझे केवल एक नोट दिया था जो कि संक्षेप में था—यह पूरा प्रकरण 2 मिन्ट तक चला।"

[हिन्दी]

और आपको मालूम है, अध्यक्ष जी , इस सदन में ही उनका ब्यान हुआ था और उन्होंने अपने बयान में यह कहा था कि विदेश मंत्री से मेरी मुलाकात थी और उस मुलाकात के लिए मैं वहां पर गया था। जाते-जाते किसी ने मुझे एक चिट्ठी दी थी। लेकिन हकीकत कुछ और थी, मुलाकात थी नहीं। हमारे विदेश मंत्री स्विटजरलैण्ड के विदेश मंत्री, किस दरवाजे से कहां जा रहे हैं, इसकी खोज में एक जगह पर खड़े हुए और जब स्विटजरलैण्ड के विदेश मंत्री अपनी अगली मीटिंग के लिए जा रहे थे उस दिन 30 से अधिक उनके कार्यक्रम थे, उनका अपना कहना है, तो एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग के लिए जब वह जा रहे थे, तब हमारे विदेश मंत्री एक कोने में खड़े होकर उनको बुलाते हैं, आपसे कुछ बात करनी है....(व्यवधान)... जो भी भाषा वह कहे हों। स्विटजरलैण्ड के विदेश मंत्री इनसे मिलते हैं, बगल के कमरे का दरवाजा खुलवाते हैं, वहां जाते हैं, खड़े-खड़े, उन्हीं के शब्दों में दो मिनट की बात है, चिट्ठी देते हैं, उसकी समरी जुबानी तौर पर कहते हैं और उनके शब्दों में

[अनुवाद]

पूरा प्रकरण 2 मिनट तक चला

[हिन्दी]

और इस सदन में आपके विदेश मंत्री** कहने का काम किया, उनका लिखित ब्यान यहां पर उन्होंने पढ़ा और उसको लेकर मैंने प्रधान मंत्री को कोई लम्बा पत्र नहीं लिखा। पिछली बार उन्होंने शिकायत की, जार्जियन क्वचंस, तो इस बारे मैंने उनसे कोई प्रश्न नहीं पूछा, मैंने उनसे केवल एक अपेक्षा व्यक्त की, अपनी चिट्ठी में और कहा कि यह सारी घटनाएं है। इस प्रकार की बातें हों चुकी हैं और मेरी आपसे प्रार्थना है:

[अनुवाद]

"प्रधान मंत्री महोदय, मैं यह नहीं जानता कि क्या श्री सोलंकी ने इस घृणित कांड के सभी मुद्दों पर आप से बातचीत की थी यदि उन्होंने की थी तो यह आप की देश के प्रति जवाब देही बनती है कि इस व्यक्ति को अलग करके उस पर अभियोग चलाने का आदेश दें। यदि उन्होंने बात नहीं की तो आप उन पर अभियोग चलाने का आदेश देने के साथ-साथ उनसे स्पष्टीकरण मांगे और उन्हें उस कांग्रेस पार्टी से निष्काषित करें जिसके आप अध्यक्ष हैं।

आपने बार-बार कहा है कि आप बोफोर्स की दलाली के बारे में सच्चाई का पता लगाएंगे। आप मेरी इस बात से सहमत होंगे कि श्री सोलंकी को इस घोटाले में शामिल लोगों की जानकारी है, और उसके नाम

**पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

काम पता जो इसे रफा-दफा करने में लगे हैं यदि आप सच्चाई का पता लगाना चाहते हैं तो आप अब ऐसा कर सकते हैं। मुझे आशा है कि आप यह काम करेंगे।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष, जी, आपको आश्चर्य होगा, प्रधान मंत्री को जब किसी भी मामले की चिट्ठी जाती है तो दो दिन में, चार दिन में, एक हफ्ते में जवाब तो निश्चित ही आ जाता है लेकिन इस चिट्ठी का अभी तक मुझे जवाब नहीं आया है।....(व्यवधान)...नहीं, कुछ नहीं आया। तो हो सकता है कि सोलंकी का कोई आदमी वहां पर बीच में बैठा हो और प्रधान मंत्री तक चिट्ठी पहुंचने में भी रुकावट लगाने का उसने काम किया हो, मुझे नहीं मालूम। लेकिन मेरे उस पत्र का जवाब अभी तक नहीं आया और एक ** इस सदन में हुआ। बोफोर्स के तथ्यों को खोलने की जिनके हाथों में इस वक्त पूरी ताकत है और वह व्यक्ति अपना तो काम कर रहे हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): समरी में क्या बोला था?

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: समरी तो उनको प्रधान मंत्री जी को कहना चाहिए था यह हम लोगों को बताना चाहिए था। जब प्रधान मंत्री जी के सामने इतने सारे तथ्यों को रहने के बाद अपनी प्रैस कान्फ्रेंस में 30 जून को इस राजधानी में कहते हैं कि हमने सी बी आई से कहा कि जांच करो। सी बी आई बोलता है—कोई वकील था, उसका नाम-निशान कुछ पता ही नहीं लग रहा है। कुछ शब्द प्रयोग करते हैं प्रधान मंत्री कि उनको पढ़ कर हम को बहुत ही परेशानी हो गई। वे कहते हैं—हमारा आदमी कहीं जाता है, कोई उस को पत्र देता है और वह उस पत्र को किसी को देता है विदेश में, हमें कैसे पता लगेगा कि किसने पत्र दिया था। यह प्रधान मंत्री जी का जिन्होंने इस सदन को वचन दिया था कि हम तथ्यों को बाहर लायेंगे। वी-विल-अनकवर-दि-ट्रूथ, तो वह ट्रूथ, अनकवर करने की इनकी यह वचन की पूर्ति है। फिर उसी इंडियन एक्सप्रैस में दस तारीख और इसी महीने की दस तारीख, छः रोज पहले, ** की बातें छपीं। ** ....(व्यवधान)..... उसके इतिहास में मैं क्यों जाऊं। * * * * *और उसकी जानकारी सार्वजनिक हो गई।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि आपने अन्य लाभ नहीं बताये है तो क्या आप यह नाम बतायेंगे।

[हिन्दी]

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, यह इस लिए कि यह तो फंसा हुआ आदमी है। इसके ऊपर एफ आई आर है। अगर नहीं हो, तो करनी चाहिए। जहां तक मेरी जानकारी है, अभी तक नहीं किया गया होगा, लेकिन करना चाहिए ...(व्यवधान)... हम उसको अभी चीप वगैरह नहीं बोलेंगे, क्योंकि उससे बढ़ कर लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है। इसलिए हम उसका नाम क्यों रखें। अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि दस तारीख को यह अखबार छप कर आ जाता है और ऐसे अखबार में छपकर आ जाता है, जो प्रधान मंत्री का बचाव करना चाहती है और उसके बावजूद प्रधान मंत्री जी इस पर एक शब्द नहीं कहेंगे, कोई मुकद्दमा दायर करने के लिए आदेश नहीं देंगे। इसकी चर्चा अभी तक सदन में नहीं हो पाई, उसके कारण अब अलग हैं। ये सारे कांड जब हो रहे हैं, हम लोगों का यहां इस सदन में उस स्कैम की सच्चाई को पकड़ने का संकल्प है, उस संकल्प का क्या अर्थ बच जाता है—यह मैं जानना चाहूंगा? इस लिए हम कोई

**पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

अपेक्षा नहीं कर रहे हैं इस सरकार से, कि देश में कोई भी एक नई सभ्यता के निर्माण की चर्चा, जो अभी आपने की और बलराम जी ने अभी की, उसके पहले सरदार बूटा सिंह जी ने कहा कि देश में कैसे नए चरित्र का निर्माण होना चाहिए, इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया प्रवचन दिया, की कोई अपेक्षा नहीं है। जब बहुत सी बातें आपके सामने हैं, 1985 से लेकर इस महीने की दस तारीख की, बोफोर्स से लेकर और आपके विदेश मंत्री के मामले से लेकर, बोफोर्स कांड में उस घूस लिए हुए और उस पैसे को स्विस बैंक में रखे हुए व्यक्ति से लेकर आपके प्रोग्रेसिव-कन्सट्रक्शन की, तो हम कैसे अपेक्षा करें कि कोई नई चीज़ अभी आप इस सदन में लायेंगे या लाने का काम करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष जी, दो रोज पहले इस सदन में हम लोगों ने एक सियासी मसले पर बहस की, जिसका ज़िक्र अभी इन्द्रजीत जी ने किया और वह मसला था जम्मू-काश्मीर के मसले को लेकर। उस विधेयक को यहां पर नहीं लाना चाहिए था। आपसे हमें शिकायत है। उस दिन आप यहां नहीं थे, वरना मैं उसी दिन करता, लेकिन अभी मैं करना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे बारे में शिकायत आप चैम्बर में करिए।

श्री जॉर्ज फर्नान्डीज: आपके बारे में शिकायत नहीं है, लेकिन हमारी अपनी शिकायत है कि उसको आपने आने के लिए नहीं देना चाहिए था। क्योंकि हम लोगों पर इतना भारी लांछन का काम हुआ कि हमारे पास समय नहीं है। गृह मंत्रालय तय करता है, राष्ट्रपति के नाम से तो गृह मंत्रालय का कोई सेक्रेट्री चलाएगा न कश्मीर* को अभी, लेकिन सरकार का सोच कितना बिगड़ा है। मैं और कठिन शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा, कितना बिगड़ा है जम्मू-कश्मीर के बारे में, इसके बारे में एक जो विधेयक परसों यहां पर पारित किया गया, जल्दबाजी में, केवल वही एक सबूत नहीं है। उस विधेयक को यहां पर रखने के समय गृह मंत्रालय के राज्य सचिव की ओर से, राज्य मंत्री की ओर से यहां पर एक लम्बा भाषण हुआ, अध्यक्ष जी, उन्होंने कहा कि स्थिति अब बहुत सुधर गई है। यह समरी है लेकिन इससे और सख्त है उनका भाषण—

[अनुवाद]

"कश्मीर घाटी तथा जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था और पर्यावरणीय स्थिति में सामान्य रूप से सुधार हुआ है"

[हिन्दी]

फिर आगे बोलते हैं—

[अनुवाद]

"कश्मीर की स्थिति में आ.र परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमें वहां पर किसी भी मूल्य पर चुनाव कराने होंगे क्योंकि हम प्रजातंत्र में विश्वास रखते हैं। हमें काश्मीर की अर्थव्यवस्था में सुधार लाने और लोगों में आत्मविश्वास पैदा करने के रास्ते ढूढ़ने होंगे....."

[हिन्दी]

हमने यहां पर उस विधेयक के थर्ड रीडिंग के वक्त मंत्री को चुनौती दी, दोनों बातों पर, मैंने चुनौती दी कि जो स्थिति के बारे में आप कहते हो ऐसी स्थिति नहीं है और दूसरा मैंने मंत्री जी से कहा कि आप स्थिति के बारे में सुधार और विकास की क्या बात कर रहे हो कश्मीर में तो लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है।

*पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

**पीठासीन अधिकारी के आदेश से कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल नहीं किया गया।

जम्मू-कश्मीर में आज ओवर-ड्राफ्ट वहां की राज्य सरकार को नहीं दे रही है और आप यहां पर ऐसी बातों को कह रहे हो, तो यह उनके अन्तिम भाषण में, अन्तिम वाक्य जो छपा है वह यह है कि—

[अनुवाद]

वेतन के संबंध में मुझे बताया गया है कि वेतन दिया जाता है। मैं पुनः इसकी जांच करूंगा...."

[हिन्दी]

और यह कल का अखबार है। केवल एक अखबार नहीं है दिल्ली का हर अखबार और देश का हर अखबार को आप उठाइए—

[अनुवाद]

"जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों को कोई वेतन नहीं"

[हिन्दी]

और केवल सेलेरी की बात नहीं है, जम्मू-कश्मीर बैंक को दिल्ली की सरकार ने सौ करोड़ रु० जो भेजा था राज्य सरकार को, चूंकि वह पहले का ओवर-ड्राफ्ट था, उस ओवर-ड्राफ्ट की तरफ एडजस्ट करके उस पैसे को देने से जम्मू कश्मीर बैंक ने इनकार किया। (**व्यवधान**) अरे भई, दिल्ली की सरकार तो ओवर-ड्राफ्ट पर ही जी रही है। जम्मू कश्मीर आखों के सामने खड़ा हो जाता है। केरल की, बिहार की सरकार खड़ी हो जाती है और दिल्ली की सरकार जब देश भर से और दुनिया भर से कर्ज लेकर अपने को बनाए रखती है तब तो उसकी चिन्ता आपको नहीं होती है।

अध्यक्ष जी, कश्मीर का सवाल तो मैं इसलिए छेड़ रहा हूं कि प्रधान मंत्री ने कश्मीर पर भी अपनी कुछ बात कही है जिस बात से मुझे बड़ी परेशानी है। चूंकि यहां जो बात कही गई गृह मंत्री की ओर से, वह बात, प्रधान मंत्री का जो वाक्य, 30 जून का एक जुलाई की अखबारों में छपा हुआ है, जहां प्रधान मंत्री कहते हैं:—

[अनुवाद]

"आज हमारी स्थिति बेहतर है। सरकार ने जो राजनैतिक कदम उठाए थे उससे हमारी स्थिति में मूल रूप से परिवर्तन आया था।"

[हिन्दी]

और अभी हम चुनाव करने के लिए जा रहे हैं, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं और आज के अखबार में कश्मीर के गवर्नर का, कल का जो कंसलटेटिव कमेटी है, जो भी एडवायजरी कमेटी है उस एडवायजरी कमेटी के सामने किया हुआ ब्यान, आप अभी हमसे कहेंगे....(**व्यवधान**)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि आप संदर्भ दे रहे हैं; उद्धत नहीं कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अगर आप आथन्टीकेट करने के लिए बोलेंगे तो मैं उसको आथन्टीकेट करने के लिए भी तैयार हूं।

अध्यक्ष महोदय: ये न्यूजपेपर्स रिपोर्ट आथन्टीकेट नहीं होते हैं।

श्री जार्ज फर्नान्डीज: आज के हिन्दुस्तान भर के अखबारों में छप कर आया है जहां गवर्नर साहब कहते हैं कि—

[अनुवाद]

"उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है कि यद्यपि हाल ही में कश्मीर ऊंचे दर्रों पर बर्फ पिघलने के साथ ही आतंकवादी गतिविधियों में तेजी आई थी और सरकार इन आतंकवादियों के साथ प्रभावी रूप से निपट रही थी..."

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

[हिन्दी]

और हम यहां पर चर्चा कर रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर का मामला सुलझ गया है, अब केवल चुनाव करना बाकी है। कौन सा चुनाव आप वहां पर करोगे, जैसे पंजाब में चुनाव किए वही करोगे?

पंजाब के बारे में भी यही आप लोगों की भूमिका रही।

श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई): आप तो डर के मारे भाग गए, हमने आपको निमंत्रण दिया था कि आप चुनाव लड़िए, आप चुनाव लड़ते। अब भी हिम्मत दिखाइए, कश्मीर में चुनाव लड़िए। आपके मंत्री तो भाग कर मुजफ्फरनगर आ गए और आप कह रहे हैं कि चुनाव कैसे हो सकते हैं। जब आप भाग नहीं लेंगे तो चुनाव कैसे होंगे। **(व्यवधान)**

श्री नीतीश कुमार (बाढ): आप फोतेदार जी को और गुलाम नबी जी को भेज दीजिए वहां।

श्री जार्ज फर्नाण्डीज: प्रधान मंत्री जी की पंजाब के बारे में यही भूमिका रही। पंजाब और कश्मीर के मसलों को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि पिछले एक साल में इस सरकार ने इन समस्याओं को हल करने के बजाए बिगाड़ने का काम किया है। कल इस सदन में श्री जगमीत सिंह बरार ने पंजाब की हालत और वहां की भयावह स्थिति का वर्णन यहां किया, मैं उस पर कुछ नहीं कहूंगा, सिवाए इसके कि जिन लोगों ने, जिन अधिकारियों ने ऐसी स्थिति का निर्माण किया, जहां पर पति-पत्नी को जान से मार देते हैं, गोली से उड़ा देते हैं और एक बच्चे को आसमान में फेंक कर उसको गोली से उड़ा देते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कोई कार्यवाही होगी, सरकार की तरफ से कोई छोटा, उचित कदम उठाया जाएगा या केवल इतना ही छप कर आ जाएगा, जैसे परसों के अखबारों में ऊपर था कि 27 किल्ड इन कश्मीर, नीचे था 27 किल्ड इन पंजाब और गृह मंत्री जी यहां खड़े होकर उसी क्षण बोल रहे थे कि पंजाब और कश्मीर में स्थिति सुधर रही है। प्रधान मंत्री जी 30 जून को प्रेस कान्फ्रेंस में ब्यान देकर छुट्टी करके बैठे हैं, उन्होंने कहा कि हमारी स्थिति बहुत सुधर रही है और फिर प्रधान मंत्री की इस मुलाकात की चर्चा के सिवाए इनके पास बचाव करने की और कोई चीज नहीं है, किसी ने कुछ नहीं कहा है।

पंजाब और कश्मीर की जब बात होती है तो पाकिस्तान की बात भी आ जाती है। उन्होंने बताया पाकिस्तान से हम लोगों के रिश्तों के बारे में कि वहां के प्रधान मंत्री से बातचीत चलती रही है। पाकिस्तान के प्रधान मंत्री और हमारे प्रधान मंत्री की पिछले 12 महीनों में 5 बार मुलाकात हुई है और हर मुलाकात के बाद यह कहा गया कि स्थिति सुधर रही है, बातचीत बहुत अच्छी रही। हम जानना चाहते हैं कि कौन सी स्थिति सुधारने का काम आपने किया है। पाकिस्तान के साथ कश्मीर का विवाद है वह अपनी जगह पर है, लेकिन कश्मीर के विवाद के हल होने तक आप किसी मसले को हल नहीं करेंगे, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा है।

अध्यक्ष महोदय, आज 10 महीने हो गए, हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो सेक्रेटरी लेवल की बातचीत चलती थी, वह आपने खत्म कर दी। पाकिस्तान के साथ जो हम लोगों के विवाद के मुद्दे हैं, हम जानना चाहते हैं, और प्रधान मंत्री जी कल जब बोलेंगे तो हम इस बात का जवाब चाहेंगे कि इस समस्या को लेकर क्या प्रगति हुई है। कच्छ के सरक्रीक में एक विवाद है और उस विवाद को लेकर आज हम लोगों के और पाकिस्तान के बीच में समुद्र की सीमा को बांधने का काम रुका पड़ा है। पिछले एक साल से बातचीत ऐसे ही पड़ी है। प्रधान मंत्री और पाकिस्तान के प्रधान मंत्री के बीच में जो चर्चा हुई है, उससे क्या कोई उपाय निकालने का काम किया गया है।

[अनुवाद]

रक्षा मंत्री (श्री शरद पवार): यह उचित नहीं है। यह सही आंकड़े नहीं हैं। मैं आकंड़े देने को तैयार हूं। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांण्डीज: तो आप बताईये कि क्या हकीकत है। कितना है, क्या दो करोड़ है?

[अनुवाद]

श्री शरद पवार: यह एक करोड़ रुपये से कम है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: पैसे की कोई बात नहीं है।

(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़): महोदय आपकी अनमुति से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय रक्षा मंत्री जी का दावा कि यह एक करोड़ रुपये से कम है, वास्तव में समस्या की गम्भीरता को कम कर देता है।*

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ उनहोंने कहा हम उसका गलत अर्थ न लें।

श्री जसवन्त सिंह: महोदय, मैं गलत व्याख्या नहीं करूंगा।

अध्यक्ष महोदय: वह तो मात्र दिये गये आंकड़ों का उत्तर दे रहे थे। वह आंकड़ों को कम नहीं बता रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह: मेरे मित्र श्री जार्ज फर्नान्डिज द्वारा कही गई बात के उत्तर में माननीय रक्षा मंत्री जी कह रहे थे; "आप गलत बोल रहे हैं, यह राशि 5 करोड़ रुपये नहीं है। यह तो एक करोड़ से भी कम है। मैं आकंड़ो के बारे में शिकायत नहीं कर रहा हूं कि उन्होंने क्या कहा अथवा रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा।"

अध्यक्ष महोदय: इसका उत्तर नहीं दिया गया था। यह रक्षा मंत्री जी के लिये ठीक नहीं होगा। वह मसले के महत्व का उत्तर नहीं दे रहे थे; वह अंतर्गस्त धनराशि का उत्तर दे रहे थे। जी हां, श्री जार्ज फर्नान्डीज:

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अध्यक्ष जी, मेरी शिकायत है। इन मुद्दों पर आपकी क्या बहस हो गयी। आप मिल रहे हैं, रिओं में मिले, हरारे में मिले और कोलम्बो में दो बार मिले, आप मिल रहे हैं, हमारा सवाल यह है कि मिल कर आप क्या हल कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। क्योंकि दिखावे के लिए हम मिलें और कहें कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन बात ठीक नहीं होती है। क्योंकि आप नीति नहीं बना पा रहे हैं। इसको ले कर किसी परेशानी में इस देश को जाना पड़ रहा है, क्या यह प्रधान मंत्री को मालूम नहीं?

जे० के० एल० एफ० के लोगों ने उस तरफ से कहा था कि हम लोग अभी पैदल यात्रा कर के हिन्दुस्तान के अन्दर घुसेंगे। आपकी कौन सी विदेशी नीति थी कि जिस नीति ने आपको सिक्योरिटी काउंसल के परमानेंट मैम्बर्स को बुला कर उनकी मदद मांगने के लिए मजबूर किया? हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बीच विवाद का मामला हो, मैम्बर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसल को बुला कर इस मुद्दे को अन्तर्राष्ट्रीय मंच पर पहुंचाने का काम आप करते है। यह बुद्धि किसने दी मेरी शिकायत यह है अध्यक्ष जी, कि पिछले सालभर जिस क्षेत्र पर आप नज़र डालिए, सरकार की तरफ से जो नीति हम देख रहे हैं वह देश की समस्याओं को हल करने वाली नीति नहीं है।

हम लोगों के पड़ौसियों के साथ रिश्तों में जहां सुधार हो सकता है वहां सुधारे और जहां सख्ती से पेश आना है वहां सख्ती, इसके बारे में कोई नीति नहीं है। मुलाकातें हो रही हैं और देश को यह बताया जा रहा है कि सब कुछ ठीक है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि हमारे दूतावास के एक कर्मचारी की पिटाई की जाती है। उस पर भी हमारे प्रधान मंत्री की तरफ से तत्काल कोई बात पाकिस्तान के प्रधान मंत्री से कर उस मामले को सुलझाने का काम नहीं होता है। इसलिए भी मेरी शिकायत है, वह शिकायत किसी जगह पर कौन सी बात हो

*कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री जॉर्ज फर्नान्डीज]

कहते है, अपनी मुलाकात में, पत्रकार परिषद् में जब उनसे पूछा जाता है कि आर्थिक नीतियों के मामले में आपने जो कदम उठाए हैं ये कहां तक हम लोगों को ले जाने वाले हैं, वे कहते हैं हमारे दो उद्देश्य थे, जिनको ले कर हमने ये कदम उठाए एक (राष्ट्र की इज्जत, यह शब्द इनका है, "इज्जत" शब्द का इन्होंने इसतेमाल किया कि राष्ट्र की इज्जत को बचायेंगे। दूसरा, जो देश की आज की लाचारी है उससे देश को मुक्त करने का काम करेंगे। उसके बाद इन्होंने यह कहा कि 15000 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा भी हमने कमा कर रखी है, या बना कर रखी है, "कमा कर" इनका शब्द नहीं है। लेकिन 15000 करोड़ की विदेशी मुद्रा हमने बनायी, हमारी आर्थिक स्थिति जो बहुत बिगड़ी थी उसको सुधारने का काम हमने किया है। इस बात को प्रधान मंत्री बार-बार कहते हैं।

अभी इसी महीने के प्रथम सप्ताह में जब ये आसाम गए थे तो वहां जा कर उन्होंने फिर यह कहा कि 14 महीने देश को तबाह करने की आर्थिक नीतियां चलीं और हमने उसको सुधारने का काम किया। देश, दुनियां में जहां मौका मिला वहां पर कैसे 14 महीने सब कुछ बिगड़ा था, अब कैसे ठीक करने का काम हमने किया है, यह बात प्रधान मंत्री जी करते हैं।

मैं दो मुद्दो को कहता हूं कि आपकी कैसी बात सही है। पहली बात यह है कि वित्त मंत्री इस बात को कबूल करेंगे कि 1991 के जून महीने में "स्टेण्डर्ड एंड पूअर" जो विश्व में राष्ट्र का रेटिंग देता है और जिसके आधार पर विश्व के लोग तय करते हैं कि किस मुल्क में जाकर पूंजी लगानी है या नहीं। "स्टैण्डर्ड एंड पूअर" ने हमारे लोगों की रेटिंग को गिरा दिया है। "पीबीबी" से हटाकर "बीबी-प्लस" किया था। 12 महीने आपने नीतियां चलाई। आई०एम०एफ० के हर शब्द को आपने कबूल किया। विश्व के हर पैसे के बाजार में कोशिश की कि हमें विदेश से पैसा मिले और विदेश से पूंजी आए। "स्टैण्डर्ड एंड पूअर" ने 1992 के जून महीने में पहले रेटिंग के एक साल बाद इनकी नीतियों का पूरे दस महीने तक व्यवहार देखने के बाद यह कह दिया:

[अनुवाद]

"हमारा आपकी रेटिंग में परिवर्तन करने का विचार नहीं है, आप अभी तक बी बी प्लस में हो।"

[हिन्दी]

और "बी-प्लस" का अर्थ वित्त मंत्री खुद कह सकते हैं, नहीं कहेंगे तो मैं कहता हूं और "बीबी-प्लस" का अर्थ यह है- "नॉन इन्वेस्टमेंट ग्रेड", पूंजी नहीं लगायेंगे। यह देश पूंजी लगाने लायक नहीं है।

[अनुवाद]

आप अभी तक इन्वेस्टमेंट ग्रेड में नहीं आए हैं। आप अभी तक नान-इनवेस्टमेंट ग्रेड में हैं।

[हिन्दी]

अगर यह बात नहीं बतानी है कि इज्जत है और देश की इज्जत हमने दुनिया में लगा दी और इतनी लगा दी कि बारह महीनों में आप "बीबी-प्लस" पर आकर बैठ गए। .....(**व्यवधान**) दूसरी, हमारी इज्जत कितनी बढ़ी है। विश्व में इसका उदाहरण है, यूरो मार्किट में जाकर वहां से खुले बाजार में पैसा लाने का प्रयास। इस प्रयास में स्वाभाविक है कि आपकी निजी कंपनियां जायेंगी। आपका "रिलायंस" गया। रिलायंस ने हिन्दुस्तान को कैसे डुबो दिया और इस देश की इज्जत को कहां बनाकर रखा। प्रधान मंत्री, अगर इसका जवाब देने में कोई तकलीफ महसूस करें.....(**व्यवधान**) वित्त मंत्री इसका जवाब देने का काम करें। मामला चूंकि रिलायंस का नहीं है, मामला देश की इज्जत का है। पिछले महीने के प्रथम सप्ताह में विश्व के मार्किट में यूरो मार्किट के बाजार में रिलायंस का शेयर बेचने का काम हुआ, दस रुपए का शेयर आठ डालर और 17 सैंट्स में गया यानी 250 रुपए में गया। उसमें से दस रुपए प्रति शेयर के तौर पर 240 रुपया कंपनी के हिसाब में गया। दस दिनों

में यूरो मार्किट में उस शेयर का दाम 35 प्रतिशत घट गया। दो कारणों को लेकर घटा। एक तो जिन लोगों ने इस सारे काम को चलाया था तो उन्होंने देर से महसूस किया कि दरअसल इस कंपनी के शेयर का दाम यह नहीं है। हर्षद मेहता और रिलायंस के मालिक के रिश्ते को विश्व के लोगों को पहचानने में समय लग गया और उन लोगों ने महसूस किया कि किस तरह से उनको बेवकूफ बनाने का काम हुआ है। जनवरी महीने में रिलायंस का शेयर 130 रुपए पर था। उसे मेनिपुलेट करके 450 रूपये तक मार्च महीने में पहुंचाया गया । लेकिन विलायत के लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। उन लोगों ने स्टाक मार्केट का जो भी मोटा-मोटा हिसाब-किताब था, उस पर विश्वास रखा और शेयर को खरीद लिया और फिर महसूस किया कि हम लोग कहां पहुंच गये। उसके दस दिन में ही दाम गिर गये। दूसरी वजह है कि रिगिंग कहां तक हिन्दुस्तान में होती है, यह विदेशी लोगों ने बहुत ठोस ढंग से महसूस किया। ये दो कारण है, क्या इनकी वजह से देश की बहुत इज्जत है यह कहा था...

एक माननीय सदस्य: क्या शेयर में भी रिगिंग होती है?

जार्ज फर्नान्डीज: जी हां, शेयर बाजार भी रिग्ड होता है। यह महसूस करके रिलायंस का दाम घट गया और अभी भी वही लगभग 30 प्रतिशत घटा हुआ है। लेकिन नुकसान कहां हुआ यह मैं बताता हूं। भारत सरकार ने तीन कम्पनीज को विदेश में अपने शेयर बेचने की इजाजत दी थी। एक ग्रासिम को दी थी, दूसरे एस० आर० गुजरात को दी थी तीसरी टिस्को को दी थी। आज ऐसी स्थिति बन गई है कि ये तीनों कम्पनीज विदेश नहीं जा सकती हैं, विदेश के मार्केट में पैसा उठाने की स्थिति में नहीं हैं और जो आपके वहां पर अंडर राइटर्स थे उन लोगों ने कहा कि क्षमा कीजिये तीन महीने तक बात ही न करिये। यहां कोई भी आपको एक भी पैसा नहीं देगा, और प्रधान मंत्री हमारी इज्जत बढ़ा रहे हैं।

फारेन एक्सचेंज में 15 हजार करोड़ रुपये हमने कैसे सुरक्षित रखे हैं इसकी यहां पर सदन में और सार्वजनिक तौर पर चर्चा चलाई गई। यह सही है और वित्तमंत्री भी इस पर खूब बोलने का काम करेंगे। लेकिन यह 15 हजार करोड़ रुपये आपने कमाये थे क्या ? यह बात बार-बार कही जाती है, यह सदन को गुमराह करने और देश को गुमराह करने का इनका प्रयास है। इसको खत्म करना चाहिए। मेरी अध्यक्ष जी आपसे प्रार्थना है कि सदन और देश को गुमराह करने के लिए आपको नहीं छोड़ना चाहिए। 15 हजार करोड़ रुपया हम लोगों ने जमा किया है या कमाया है, यानि क्या किया है? पिछले साल 1 हजार 600 मिलीयन डालर्स ट्रेड में आपको घाटा हुआ था...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मेरे विचार से आप अध्यक्ष पीठ को बीच में ला रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नांडीज: आपके माध्यम से उनसे पूछना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: माध्यम ठीक है पर चेयर को डॉक पर न रखें।

श्री जार्ज फर्नांडीज: 1991-92 के साल में आपका फारेन ट्रेड में 1,600 मिलियन डालर्स का घाटा हुआ। यानि कमाई का कोई रास्ता नहीं था तो फिर 15 हजार करोड़ रुपये हम कहां से लाये, यानि कर्ज लिया, तो फिर देश को बताइये कि हम कर्ज लेकर देश को चला रहे हैं, क्यों इस बात को छिपाते हैं। यह बात इसलिए महत्व रखती है कि जब पिछले साल यह सवाल इस सदन में आया कि कितना विदेशी कर्ज हमारे ऊपर है तो लोगों ने पूछा कि पैसा कहां गया था, किससे लिया था और कब लिया था। मैं देश को और सदन को आगाह करना चाहता हूं इस साल 1992-93 में ये लोग 25 हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्ज ले रहे हैं।

[श्री जॉर्ज फर्नांडीज]

[अनुवाद]

अगले पांच सालों में उनका 40 बिलियन अमरीकी डालर उधार लेने का विचार है।

[हिन्दी]

फैसला तो हो गया, पैरिस में मीटिंग हो गई, वित्त मंत्री जी 7.2 बिलियन डालर्स का कमिटमेंट हो गया, इसका मतलब 22 हजार करोड़ रुपये का कमिटमेंट तो हो गया।

[अनुवाद]

अगले पांच वर्षों में उनका 40 बिलियन डालर उधार लेने का विचार है।

5.00 म०प०

[हिन्दी]

आज हमारे ऊपर 74 हजार बिलियन अमरीकी डालर का विदेशी कर्जा है यानि दो लाख करोड़ से अधिक की रकम आज विदेशी कर्ज की हमारे देश के ऊपर है और अगर यह सरकार और चार साल तक बनी रही तो और हजार करोड़ रुपये का विदेशी कर्जा हम लोगों पर कर्जे के तौर पर लादने का काम यह सरकार करने वाली है। केवल इसी एक कारण को लेकर हम लोगों को इस सरकार को हटा देने का काम करना चाहिये लेकिन आप मानते हैं कि वह कुछ बात होनी नहीं है। अध्यक्ष जी, इस सरकार का जो एक साल का काम है, उसने देश के भीतर हम लोगों के ऊपर जितना कर्जा लादा हो लेकिन उसने हमारे ऊपर 25 हजार करोड़ का विदेशी कर्ज लादने का काम तो किया है जो बढ़ता जायेगा और हम लोगों को परेशानी में डालता जायेगा।

अध्यक्ष जी, मैं सरकार से 2-3 बातों का जवाब भी चाहूंगा कि जब आप एक साल के बाद सदन के सामने इस पहले अविश्वास प्रस्ताव को लेकर खड़े हैं तो यह बता दो कि इस देश के किसानों के लिए आपने इस सालभर में कौन सा भला काम किया है? श्री बलराम जी ने अभी लम्बा भाषण दिया लेकिन उन्होंने यह नहीं कहा कि इस साल विदेश से एक मिलियन टन गेहूं खरीद रहे हैं जो 450 रु० क्विंटल के हिसाब से विदेश से खरीद रहे हैं। यहां तक आते आते वह 500 रु० प्रति क्विंटल हो जायेगा और हमारे किसानों को 280 /- रु० देने में आप रोते हैं। तो यह आपकी खेती की नीति है। उधर आपने खाद का दाम बढ़ाने का काम किया है। आपने उनको क्या दिया? इसे लेकर आप सदन में कहते हो कि लोगों का आप पर विश्वास है। आपने मजदूरों के लिए क्या किया? आपने 47 पब्लिक अंडरटेकिंग्ज बंद करने का ऐलान किया। नेशनल टैक्सटाईल्स कार्पोरेशन में 65 हजार मजदूरों को निकालने की योजना का आपने ऐलान किया। आपने पब्लिक सैक्टर के अनेक क्षेत्रों में तनख्वाह रोक रखने का काम किया और गोल्डन हैंडशेक में कोई गोल्ड है ही नहीं।

अध्यक्ष जी, मैं कल अपने दल के अध्यक्ष श्री बोम्मई, दल के नेता श्री वी०पी० सिंह के साथ भिलाई गया था। वहां पर पिछले दो सालों से एक संघर्ष चला हुआ है और यह संघर्ष केवल न्यूनतम वेतन का है, और कुछ नहीं है। कानून का अमल हो। हम सरकार से जानना चाहते हैं, मैं राष्ट्रपति जी का नाम नहीं लूंगा लेकिन प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री, उद्योग मंत्री जी से हमने बात की है और उनको सारी बात बताने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के लोगों ने कहा है लेकिन उनकी उस मामूली सी एक मांग को पूरा करने के लिए वहां की सरकार अगर अक्षम साबित हो जाती है—जैसाकि हो चुका है—लेकिन आपकी सरकार के ऊपर कुछ तो दायित्व है। भिलाई में स्टील का कारखाना है। मैंने प्रधानमंत्री जी, श्रम मंत्री से कहा कि केवल एक आदेश आप दे दो कि भिलाई के कारखाने से ऐसे किसी भी कारखाने को पुर्जे नहीं देंगे जो कारखाने अपने कर्मचारियों को न्यूनतम

वेतन नहीं देते हों, जो ठेकेदारी प्रथा को खत्म नहीं करते हों, इनसानियत के तौर पर मजदूरों के साथ जो व्यवहार नहीं करते हों लेकिन कोई भी कदम आपसे नहीं उठता है। आप चाहें तो एक घण्टे में वहां के मामले को हल कर सकते हो और आज 80 हजार मजदूर वहां पीड़ित हैं। 4000 लोग सड़कों पर हैं। 80000 मजदूर पीड़ित हैं जिन्हें न्यूनतम वेतन भी नहीं मिलता। 10-12 और 15 रुपए पर वहां के मजदूर जी रहे हैं लेकिन आपको इस बारे में कोई भी चिंता नहीं है। मजदूरों की केवल छतीसगढ़ की बात नहीं बल्कि देश भर के मजदूरों की हालत के बारे में आपको कोई परवाह नहीं और ऐक्विजट पालिसी की तरफ आप बढ़ रहे हैं जिसमें अमेरिका जिस प्रकार की शर्त आपके सामने लगाएगा, उस शर्त को कुबूल करके आप मजदूरों की जिन्दगी को बरबाद करना चाहते हैं।

आप नई पीढ़ी के लिए क्या दे रहे हैं? इस देश के युवाजनों के लिए पिछले साल भर में उनकी आशा-आकांक्षाओं के लिए उनके भविष्य के लिए क्या किया? क्या है आपके पास? अध्यक्ष जी, पिछले साल हिन्दुस्तान में 50 लाख बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हुई है। मैं उनकी संख्या नहीं गिन रहा हूं जो कारखाने बंद होने से सड़कों पर आए। जो नए नौजवान रोजगार की खोज में आए वे 50 लाख हैं। कहां है रोजगार? तो फिर किस बात को लेकर यह विश्वास और अविश्वास की बात है। प्रधान मंत्री ने कहा है और प्रेस कॉन्फ्रेन्स में आते आते वित्त मंत्री ने मुझे नोट दिया है कि—

[अनुवाद]

अब मुद्रास्फीति दर 11.4 प्रतिशत हो गई है। जब मैं प्रैस संवाददाता सम्मेलन में आ रहा था तो वित्त मंत्री ने मुझे नोट दिया।

[हिन्दी]

मैंने इस सदन में वित्त मंत्री को कहा था, मैंने इस सरकार से कहा था कि लोगों के पेट के साथ इस तरह का खिलवाड़ मत करो। क्यों खिलवाड़ करते हो? कौन से दाम की चर्चा आपने की? वित्त मंत्री जी, मैं आपको एक बार फिर कह दूं कि ये आपके आंकड़े हैं, आपके सरकारी दस्तावेज हैं, कि पिछले 12 महीनों में चावल के दाम 29.6% बढ़े हैं, गेहूं के दाम 29.1% बढ़े हैं, गरीबों के खाने वाली ज्वार के दाम बढ़े हैं 77.8%, बाजरा के दाम 39.4% बढ़े हैं। फल और अन्य चीजों के जो दाम बढ़े हैं वह अपनी जगह पर हैं। डबलरोटी के दाम 26.6% बढ़े हैं। साधारण आदमी की रोजमर्रा की आवश्यकता की वस्तुओं के दामों पर इनका कोई नियंत्रण नहीं है लेकिन एक जगह पर इन्होंने दामों पर काबू रखा है और वह है—शराब।...(व्यवधान)... शराब का दाम मात्र 2.6% बढ़ा है और बीयर के दाम 5.9% बढ़े हैं लेकिन आपने जीवनोपयोगी रोज़मर्रा की वस्तुओं के दाम बढ़ाए हैं 50% से 100% । यह है आपका दाम, यह है सरकार का काम।

अध्यक्ष महोदय: फर्नान्डीज जी, इसके बाद पीने वालों की संख्या ज्यादा हो गई है या कम हो गई है?

श्री जार्ज फर्नान्डीज: अब वह तो प्रधान मंत्री या वित्त मंत्री ही खुलासा करेंगे कि कैसे लोगों को पिलाकर उन्हें सुस्त करने की उनकी साजिश है। मैं नहीं जानता हूं लेकिन कुछ तो जरूर होगा कि पेट में जाने वाली खाने-पीने की चीजों के दाम आपने बढ़ा दिए हैं और शराब के दामों को काबू में रखने का काम किया। अध्यक्ष जी, हमारी सदन से प्रार्थना है कि ऐसी* सरकार को....

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह शब्द कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: मेरा कहने का मतलब था निकम्मी सरकार को इस वोट में हराने का प्रयास विपक्ष करे और देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने में सफल हो।

श्री चन्द्रशेखर: मेरा एक निवेदन है। माननीय जार्ज फर्नान्डीज़ और शरद पवार से और आपसे भी कि सियाचीन के बारे में यहां पर जो ज़िक्र हुआ, अगर उसका प्रचार न हो तो ज्यादा अच्छा है। मेरा निवेदन है कि जार्ज फर्नान्डीज जी और डिफेन्स मिनिस्टर साहब उस पोर्शन को प्रसारित न करें तो ज्यादा अच्छा है। हम ऐक्सपंज करने को नहीं कहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं चन्द्रशेखर जी से सहमत हूं और इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नान्डीज़: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया जायेगा।

वित्त मंत्री (श्री मनमोहन सिंह): इस वाद-विवाद में उठाए गए विभिन्न मुद्दों को मैंने बहुत दिलचस्पी से सुना है। मैं नहीं सोचता कि कोई भी इस बात से असहमत होगा कि हमारे देश ने कई चुनौतियों का सामना किया है। आज हमारे पास जो अर्थव्यवस्था है वह संकट में है—यह संकट कम हो सकता है; इस अर्थव्यवस्था में उन्नति के अच्छे आसार भी हैं। किस ओर अर्थव्यवस्था जाती है यह बहुत कुछ दिशा-बोध, उद्देश्य बोध पर निर्भर करता है जो यह सरकार और यह सभा हमारी भावी आर्थिक नीतियों को दे सकती है।

हमारे सामने कठिन वित्तीय परिस्थिति है और हम अभी भी भुगतान संतुलन की कठिन स्थिति का सामना कर रहे हैं, बेरोजगारी की समस्या जिसका कई माननीय सदस्यों ने उल्लेख किया है, उसे केवल चाहने से दूर नहीं किया जा सकता है, महंगाई की समस्याएं जो सभा के सभी सदस्यों को उत्तेजित करती हैं, जिन्दगी की वास्तविकता है और क्षेत्रीय असंतुलन की समस्याएं जिस पर सभा में कई बार चर्चा हुई थी वह भी जिन्दगी का सत्य है, ये वे समस्याएं हैं जिसकी ओर इस देश को ध्यान देना है। हमें इन समस्याओं के अर्थपूर्ण समाधान का पता लगाने के लिए सामूहिक विवेक इस्तेमाल करना चाहिए।

मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ रहा है कि इस चर्चा में, जो अभी हुई कई प्रश्न किए गए हैं परंतु इसके अंत में कोई रोशनी अथवा रचनात्मक विचार नहीं दिया गया। मैं रूरवा रवैया नहीं अपनाना चाहता हूं। परंतु मैं सोचता हूं कि कोई भी चर्चा की स्थिति का वर्णन कर सकता है:

[हिन्दी]

बहुत शोर सुनते थे पहलू में दिल का, जब काटा तो कतरा ऐ खून न निकला।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय, मैं इन तर्कों में नहीं पड़ना चाहता कि कैसे के ये समस्याएं और चुनौतियां, जिसका हमारा देश सामना कर रहा है, उत्पन्न हुई, सभी दल इसके लिए जिम्मेदार हैं। मैं यह नहीं कहता कि ये समस्याएं एक रात में उत्पन्न हो गई हैं। परंतु सभी पर दोष लगाने से कोई समाधान निकलने वाला नहीं है।

मैं महसूस करता हूं कि हमारे देश के सम्मुख चुनौती यह है कि हम इन समस्याओं का विश्वसनीय समाधान के लिए अपना सारा विवेक, हमारे सारे संसाधन लगा दें। महोदय, मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि यह वह भावना है जिसके साथ प्रधानमंत्री और हमने यह कार्य अपने हाथ में लिया है।

इस सरकार के कार्यभार संभालने के तत्काल बाद विपक्ष के वरिष्ठ नेताओं के साथ व्यापक विचार-विमर्श किया गया। उन्हें संक्षेप में बताने पर कि हम रुपये का अवमूल्यन करने जा रहे हैं, हमने सभी बातों को प्रकट किया जिन्हें किया जाना था, जोकि अन्य मामलों के संबंध में करने का हमार इरादा था। उदाहरण के लिए, हमने औद्योगिक नीति के क्षेत्र में कई पहल की। मैं निष्ठापूर्वक कह सकता हूं कि हमारे देश में यह सत्तारूढ़ दल और वामपंथी दल का प्रश्न नहीं है। मैंने कई माननीय सदस्यों के भाषणों को देखा था। मैंने माननीय चन्द्रशेखर जी के भाषणों को देखा है। मुझे उनके साथ कार्य करने का सौभाग्य मिला है। मैंने श्री वी॰ पी॰ सिंह के भाषणों को देखा है। मैंने श्री वाजपेयी के भाषणों को देखा है। मैं सोचता हूं कि सभी इस बात से सहमत हैं कि इस देश को आर्थिक ढांचे का पुनर्गठन करने की आवश्यकता है। श्री इन्द्रजीत गुप्त ने नौकरशाही से मुक्त शब्द की आलोचना की। मैंने देखा कि श्री चन्द्रशेखर के कई भाषणों में भी इसे दोहराया गया। मेरा विचार है कि यह सही बात है क्योंकि हमारे देश ने खास तरीके से शुरूआत की थी। उस समय हमने क्या किया अर्थात् सरकार को आर्थिक नीति को मुख्य रूप से चलाने वाले की भूमिका देना, सही था। ये सभी नियंत्रण, एहतियात जो उस समय लिए गए एक सही प्रतिक्रिया थी। परंतु अब हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विकसित हो गई है, उसमें इतनी अधिक विविधता आ गई है कि यदि आप नौवें दशक की अर्थव्यवस्था का संचालन करने के लिए पांचवें दशक तकनीक का उपयोग करेंगें तो, मेरे विचार से आपको निराशापूर्ण परिणाम मिलेंगे। भ्रष्टाचार बढ़ेगा, तस्करी और कालाबाज़ारी बढ़ेगी। यदि कोई समाजवाद की बात करता है तो हमारे देश में सीमान्त कर दर 1971 में 97 प्रतिशत बढ़ गई। अब, इस प्रकार के कर से, जो हर एक ने दिया है, हमें बहुत पहले आय की असमानताओं को दूर करना चाहिए था और हम सब जानते हैं कि कराधान के राज्यसात् संबंधी दरों से साम्यता नहीं आई। हमारे देश में स्थिति ठीक उल्ट है। अतः, हमें विचार करना है कि क्या हमारी समस्याओं के साथ निपटने के ये पुराने तरीके स्थिति की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। पुनर्गठन के कार्यक्रम के पीछे प्रेरक भावना यही रही है; चाहे वह पुनर्गठन औद्योगिक नीति से संबंधित है या वित्तीय क्षेत्र की व्यापार नीति के पुनर्गठन और कर ढांचे से संबंधित है।

यह कहा गया है कि यह सब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक के इशारे पर किया जा रहा है। मैं विनम्र निवेदन करूंगा कि इस स्थिति में जिसमें हमारा देश जून, 1991 में था, मुझे यह विश्वास है कि उस समय हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पास जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था। हमारे सामने ऐसी स्थिति थी जहां पूंजी का बड़ा भाग देश से बाहर जा रहा था। निर्यातक जिन्होंने निर्यात किया था हमारे देश में धन वापस नहीं ला रहे थे क्योंकि हर एक को उम्मीद थी कि जिस देश के समक्ष ऐसी कठिन परिस्थिति हो तो वह देश अपनी विनिमय दर का बचाव नहीं कर सकता और कोई भी हमें धन उधार देने को तैयार नहीं था। उस पृष्ठभूमि में, यदि आप उसे माने तो मेरे विचार से, श्री चन्द्रशेखर जी ने ठीक ही आयात पर बहुत कठोर प्रतिबंध लगाए। वह प्रतिबंध आवश्यक था परंतु इससे औद्योगिक उत्पादन प्रभावित हो रहा था। और प्रतिबंध से बड़ी संख्या में बेरोजगारी, कीमतों में भारी वृद्धि हो जाती और इसलिए वह विकल्प हमारे लिए खुला नहीं था। अतः उस समय हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के पास जाने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं था।

महोदय, मैं इस सभा को विश्वास दिलाता हूं कि हमारी नीति विदेशी ऋण पर निर्भरता बढ़ाने की नहीं है। हम इन संस्थानों के सदस्य हैं। हम उनके संसाधनों को प्रयोग करेंगे परंतु हम उन संसाधनों का प्रयोग अपने

[श्री मनमोहन सिंह]

आत्मसमान; भारत की प्रभुसत्ता अनुरूप करेंगे। परंतु, यह वह रास्ता नहीं जिस पर हम चलना चाहते हैं। हम इस देश को ऋण जाल में नहीं फंसाना चाहते।

पिछले एक वर्ष के दौरान भारत का विदेशी ऋण 70 बिलियन डालर से बढ़कर 73 बिलियन डॉलर हो गया है। परंतु मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने इस धन को भारत के विदेशी मुद्रा भण्डार की स्थिति सुधार करने पर लगाया है। हमनें उस धन की फिजूलखर्ची नहीं की है और आने वाले वर्षों में हमारा इरादा चालू वित्तीय घाटे को निरंतर कम करना है ताकि यह देश ऋण के चंगुल में न फंसे जिसके बारे में माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है कि हम ऋण चंगुल में फंसते जा रहे हैं।

हमारी नीति में मुख्य बल आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने पर दिया गया है। और आत्मनिर्भरता क्या है? आप तीसरी पंचवर्षीय योजना के, दूसरी पंचवर्षीय योजना और चौथी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज को पढ़ें; आत्मनिर्भरता की संकल्पना यह नहीं थी कि भारत स्वयं को विश्व अर्थव्यवस्था से अलग कर ले। लेकिन बात यह है कि भारत को स्वावलंबी होना चाहिए; भारत को अन्तर्राष्ट्रीय उप विभाजन का लाभ उठाना चाहिए लेकिन रियायती सहायता पर इस कृत्रिम अवलम्बन को कम किया जाना चाहिए। आप इस रियायती सहायता पर अवलम्बन को कैसे कम कर रहे हैं? मेरा इस गरिमायुक्त सभा से यह सुझाव है कि यदि इस सभा के सामूहिक संकल्प से ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लिया जाए कि हम सकल घरेलू उत्पाद के अपने निर्यात को दो प्रतिशत तक बढ़ा लें, तो मेरे विचार से हम इस रियायती सहायता अवलम्बन को समाप्त कर सकते हैं। अगले तीन से चार वर्षों में इस अर्थव्यवस्था के समक्ष यह चुनौती होगी कि स्थिति उत्पन्न की जाए, ऐसी आर्थिक स्थिति पैदा की जाये जिसमें भारत अपने निर्यात को सकल घरेलू उत्पाद के कम से कम दो प्रतिशत तक बढ़ा सके। उस स्थिति में हमें यहां पर और अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर भी आवाज उठानी चाहिए और रियायती सहायता देने वालों को बता देना चाहिए कि, महानुभावों हम आपके बहुत आभारी हैं, कि आपने हमारी उस समय सहायता की जबकि हम मुश्किल में थे, लेकिन अब हम अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। यह एक ऐसा स्वप्न है जिसे देखने की योग्यता हमारी सरकार में होनी चाहिए और मेरे विचार से भारत के परावलम्बन को स्थायी बनाने की बात नहीं सोची जानी चाहिए। यह स्वप्न ऐसा हो कि भारत सभी अर्थों में स्वावलंबी हो और इस बढ़ते हुए अन्तर अवलम्बी विश्व में ही स्वावम्बन की कल्पना और उपयोग किया जाना चाहिए। निस्संदेह यह पूर्णपक्षीय आन्दोलन नहीं है। हमें यह बात माननी चाहिए कि जीवन स्तर उच्च उत्पादकता का ही मामला नहीं है लेकिन कतिपय सदस्यों ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि सामाजिक कार्यों पर व्यय में वृद्धि नहीं हो रही है, कतिपय महत्वपूर्ण क्षेत्रों को उनका उचित हिस्सा नहीं मिला है। मैं इस बात में उनसे सहमत हूं। लेकिन ऐसी स्थिति में, जहां आपको 17,000 करोड़ रु० का राजस्व घाटा हो वहां आप अधिक व्यय कैसे कर सकते हैं इसे करने का ढंग यही है कि आप रिजर्व बैंके में जाये और अधिकाधिक नोट मुद्रित करायें। लेकिन उसके परिणाम क्या होंगे? मुद्रास्फीती बढ़ जाएगी। इस मुद्रास्फीती से सर्वाधिक कौन लोग प्रभावित होंगे? वे हमारे देश के निर्धनतम व्यक्ति होंगे। अतः यदि हम वास्तव में सामाजिक न्याय हितों को गम्भीरतापूर्वक लेते हैं, यदि हमें गरीबों की वास्तव में चिंता है, तो हमारी पहली और प्रमुख प्राथमिकता उन रेखांकित लक्ष्यों से निपटना है जिन्होंने हमारे देश में मुद्रा-स्फीती संबंधी भारी संभावनाएं पैदा कर दी हैं।

इसके अलावा ये मुद्रास्फोती संबंधी संभावनायें रात-भर में ही पैदा नहीं हुई हैं। मैं इस बात को मानता हूं कि भारत का व्यय इतना अधिक रहा है कि हमारा घरेलू और विदेशी ऋण बहुत अधिक हो गया है कि हमें इस प्रक्रिया को रोकना पड़ेगा। और मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि वह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है यह प्रक्रिया एक वर्ष में ही पूरी नहीं हो सकती है; लेकिन मैं यह भी अनुरोध करना चाहता हूं कि राजस्व घाटे को 8.5% सकल घरेलू उत्पाद से घटाकर 6.5% कर देना कोई कम उपलब्धि नहीं है। इस वर्ष हमारा इस प्रक्रिया

को और आगे ले जाने का विचार है। यदि हम राजस्व घाटे को घटा कर पांच प्रतिशत कर दें, और इसके अतिरिक्त यदि मौसम भी हमारा साथ दे, तो मुझे भरोसा है कि आप माह दर माह अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीती दर में कमी पायेंगे।

मैं इस सभा में यह बात स्वीकार करता हूं कि हम मूल्यों को जुलाई, 1990 के स्तर पर पुनः लाने का चुनावी घोषणा-पत्र में कांग्रेस दल द्वारा दिया गया वचन पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। लेकिन जिस स्थिति में हमने सत्ता संभाली थी हमें पिछले एक वर्ष के दौरान अपने आयातों में 5 बिलियन डालर की कटौती करनी पड़ी। हमने भारत के मौजूदा खाते घाटे को कम किया। पिछले बीस वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ है। हमने 1990-91 में 3.3 बिलियन डालर के मौजूदा खाता घाटे को 1991-92 में घटाकर 2.2 बिलियन डालर कर दिया था। यदि आप मौजूदा खाते घाटे को कम करते हो, तो इसके बदले में हमें माल और सेवा उपलब्ध नहीं होंगे। यदि बैंक का दबाव बना रहता है, तो मूल्य बढ़ते रहेंगे।

इसके अलावा, आयात में भारी कटौती के कारण भी औद्योगिक उत्पादन पर प्रभाव पड़ा। भुगतान संतुलन के दबावों के कारण, हमें रुपये का अवमूल्यन करना पड़ा। इन सभी कारणों से मूल्यों और मुद्रा स्फीती को नियंत्रण में नहीं लाया जा सका।

मैं इस सभा को यह बात भी स्मरण कराना चाहता हूं। यदि आप अधिकतर विकाशसील देशों की समस्याओं को देखें, तो मेरे विचार से आपको पिछले वर्ष जिस स्थिति में भारत था, इस जैसा एक भी देश देखने को नहीं मिलेगा और हमे मुद्रास्फीती की दर को लगभग 1990 के स्तर पर रखने के लिए अभी भी वित्तीय अनुशासन और भुगतान संतुलन को बनाए रखना पड़ेगा।

मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह स्थिति अच्छी है। हमें मुद्रास्फीती दर को घटाकर चार से पांच प्रतिशत तक करने के लिए कार्य करना चाहिए। मुझे भरोसा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विशेकर उन क्षेत्रों, जहां पर हमारी जनसंख्या का अधिकतर कमजोर वर्ग निवास करता है, में मजबूत करने के साथ हम जिस रास्ते पर चल रहे हैं; और यदि उस पर चलते रहें, तो इसके परिणाम सकारात्मक होंगे। अतः मुद्रास्फीती को नियंत्रण में लाने के हमारे वचन पर किसी को शक करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन वित्तीय असंतुलन और वित्तीय घाटा सिक्के का केवल एक ही पहलू है। हमें कम उत्पादकता के रेखांकित कारणों की ओर ध्यान देना होगा।

उल्लेख किए गए हैं—मेरे विचार से श्री इंद्रजीत गुप्त ने इसका उल्लेख किया है कि अपने विकास की नीति में सार्वजनिक क्षेत्र को जो महत्व दिया गया था हम उसे परिवर्तित कर रहे हैं। हमारे विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी? मैंने अपने देश की सभी योजनाओं का अध्ययन किया है। मैंने भारत की दो पंचवर्षीय योजनाओं को तैयार किया है। अतः मुझे पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा अपने सार्वजनिक क्षेत्र की परिकल्पित भूमिका की जानकारी है। सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुखता देकर पंडित जवाहरलाल नेहरू एक तीर से दो शिकार करना चाहते थे। उन्होंने कहा था, हमारे समाज मे मुनाफा न केवल संचय का ही स्रोत है, बल्कि वह आय और सम्पत्ति के वितरण का निर्धारक होता है। यदि आप मुनाफे का समाजीकरण कर दें, तो आप विकास की गति को बढ़ा सकते हैं और आय की असमानता को कम कर सकते हैं। लेकिन यह प्रक्रिया केवल तभी प्रभावी हो सकती है, जबकि मुनाफा हो, यदि सार्वजनिक क्षेत्र को उसी प्रकार चलाया जाए जिस प्रकार इसे अभी तक चलाया गया है। यदि वर्ष दर वर्ष घाटा होता रहे, तो मुझे यह डर है कि सार्वजनिक क्षेत्र उस ऐतिहासिक भूमिका का निर्वहन ही कर सकता था जिसकी कल्पना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। हमारी सरकार सार्वजनिक क्षेत्र को सामाजिक और आर्थिक नीतियों का महत्वपूर्ण माध्यम बनाने के लिए वचनबद्ध है। हम सार्वजनिक उद्यम को मजबूत बनाएंगे ताकि वह स्वावलंबी बन सके, ताकि यह आगे विकास करने का

[श्री मनमोहन सिंह]

माध्यम बन सके, लेकिन जहां पर सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम इस भूमिका का निर्वहन न कर सके, तो मेरा इस सामान्य सभा से निवेदन है कि हमारा प्रथम कर्तव्य उन्हें इस भूमिका के निर्वहन करने के लिए सक्षम बनाना होना चाहिए। जहां कहीं पर पुनर्गठन की अवश्यकता है, हम वहां पर इन उद्यमों का पुनर्गठन करेंगे, जहां पर इनका पुनर्गठन नहीं किया जा सकता तो मैं आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि हमें श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के उपाय ढूंढने चाहिए, लेकिन साथ ही, कुछ उद्यमों को बन्द कर दिए जाने की अनुमति भी दी जाए। यदि आप शुरू से ही गैर-अर्थक्षम एककों को चलाए रखने की कोशिश करते रहे हैं, तो आपको कुछ लोगों का रोजगार बचाए रखने में भी सक्षम होना चाहिए और उनके बच्चों, उनके पौत्र-पौत्रियों के भविष्य के बारे में सोचना चाहिए।

श्री निर्मल कांति चटर्जी (दमदम): आपके प्रमुख प्रस्तावक/प्रेरक कौन हैं? बहु-राष्ट्रीय कम्पनियां और भारत सरकार के एम० आर० टी० पी०? **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर): इन मामलों पर हम सभी उद्वेलित हैं। अभी हाल ही में हमने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि चार सरकारी उपक्रमों ने अपने प्रयासों से काया पटल की है और अब वे मुनाफा कमा रहे हैं। यह वचन दिया गया था कि बी०आई०एफ०आर० को भेजने से पूर्व इन सभी उपक्रमों की एकक-वार पुनरीक्षा की जाएगी। एक समिति गठित की गई थी और यह कार्य करने के बाद, फालतू श्रमिकों, अर्थक्षमता और गैर-अर्थक्षमता के प्रश्न पर निर्णय किया जाएगा। हमने इस सिद्धान्त को पूरी निष्ठा और गम्भीरता से मान लिया था। लेकिन श्रीमन, यहां तक की श्रमिक सलाहकार समिति के सदस्यों की भी स्थायी रूप से नहीं बने रहने दिया गया है संसद सदस्य इस उप-समिति में नहीं रह पाए हैं। और बार-बार के वायदों के बावजूद इसे पूरा नहीं किया जा रहा है। हमने श्री पी० ए० संगमा श्रम मंत्री के साथ बातचीत की थी अब वह पूर्ण श्रम मंत्री हैं; वह अभी भी अपना वचन पूरा नहीं कर पाए हैं, यह सब कैसे किया जाएगा। इससे पूर्व कि यह सब किया जाए, उन्होंने अपने भाषण में कहा है कि इन्हें समाप्त होने की अनुमति दी गई है। **(व्यवधान)** हमने यह बात की है यदि सभी कार्य कर लिए जाएं, यदि सभी प्रयास ईमानदारी से किए जाएं, यदि किसी के नियंत्रण से बाहर के कारणों के फलस्वरूप कतिपय एककों को चालू नहीं रखा जा सके, तो आप इस बारे में सोच सकते हैं, बशर्ते कि आप श्रमिकों को वैकल्पिक रोजगार दे सकें; आप उनके लिए कुछ व्यवस्था कर सकें।

लेकिन यह व्यवस्था करने से पूर्व हम प्रतिदिन एक मुश्त धनराशि देने, बन्द करने, वेतन का भुगतान न करने, की बात कर रहे हैं। जो धारणा बनाई जा रही है, वह क्या है?

कल ही की बात है हिन्दुस्तान स्टील कंस्ट्रक्शन लि० के श्रमिकों को बताया गया है कि आराम से बैठिए; 14000 श्रमिकों की छंटनी की जाएगी, कोई भी कार्य नहीं किया जा रहा है।

इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में समिति की बैठक हुई थी। उन्होंने आदेश दिया है कि 800 श्रमिकों की छंटनी की जायेगी। मेरे विचार से यह कार्यवाही सारांश है **(व्यवधान)**

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): यह बिल्कुल गलत है। हम लोगों की एक बैठक हुई थी। श्री दिपेन घोष उस बैठक में थे। इसके अलावा श्री गुरुदास दास गुप्त भी उसमें मौजूद थे। मैंने एक समिति का गठन किया है। मैंने उनको बता दिया है कि यदि वे कोई विकासक्षम परियोजना प्रस्तुत करते हैं तो मैं उस पर विचार करूंगा। कोई छटनी नहीं होगी, केवल स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति होगी। मैंने सभी चीजों को स्थगित कर दिया है। मैंने आज 10.30 बजे एक बैठक की थी, इसे लागू नहीं किया जा रहा है। उन लोगों ने इसे स्वीकार नहीं किया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी: मैं, उनके द्वारा हस्ताक्षरित कार्यवाही सारांश लेकर आऊंगा **(व्यवधान)**। अतः मैं माननीय वित्त मंत्री से यह अनुरोध करता हूं कि वे स्थिति स्पष्ट करें तथा अपनी वचन बद्धता को कायम रखें। अन्यथा कोई विकट समस्या उत्पन्न हो जायेगी।

जहां तक श्री संतोष मोहन देव का संबंध है, मैं कार्यवाही सारांश लाऊंगा तथा आपको दूंगा। यदि कल से उन्होंने अपना मन बदल लिया है तो उसका मुझे पता नहीं है **(व्यवधान)** मेरे पास आपके हस्ताक्षरित कार्यवाही सारांश है। **(व्यवधान)** वे एक अस्थिरमानस मंत्री हैं, मैं क्या कर सकता हूं। **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह: मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं। यह कहना बिल्कुल गलत है कि हमारी सरकार विकास के कार्यों को द्रुतगति प्रदान करने हेतु बहुराष्ट्रीय निगमों पर आश्रित होगी। इसमें सार्वजनिक क्षेत्रों का सातवीं, आठवीं तथा छठी पंचवर्षीय योजनाओं मे पूंजी निवेश के अनुपात के संबंध में अनेक योगदान में अधिक अन्तर नहीं रहा है। मुझे यह स्पष्ट करने दीजिए कि, हमारी यह कल्पना करना पूर्णतः मूर्खता है कि देश की समस्याओं को सुलझाने का कोई अन्तर्राष्ट्रीय समाधान है। उस के बावजूद यदि हम बहुराष्ट्रीय निगमों को आमंत्रित करना चाहते हैं यदि हम चाहते है कि इस देश का भविष्य, मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि इसे स्वीकार करने वाला कोई नहीं है। हमें भी विचार करने की जरूरत है। **(व्यवधान)**

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी: विश्व बैंक ने भी यह कहा है कि आपकी योजनाएं तथा नीतियां स्थिर नहीं है। यह आज की रिपोर्ट है। **(व्यवधान)**

श्री मनमोहन सिंह: हमें अपनी अर्थव्यवस्था को बिना अधिक तकलीफ तथा समस्याओं के पुनःनिर्मित करने हेतु दो या तीन वर्षों की आवश्यकता है, जिसके लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता है। परन्तु यह हमारी नीतियों का अंग नहीं है कि* हम इस देश के भविष्य हेतु या तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, अन्यथा विश्व बैंक या फिर बहुराष्ट्रीय निगमों अथवा विदेशी व्यापारिक बैंकों पर निर्भर रहें।

जहां तक श्री सोमनाथ चटर्जी के दूसरे मुद्दे का संबंध है मैं, सरकार ने जो इस सदन के समक्ष कहा है, उसके प्रति वचनबद्ध हूं। हमारी नीतियों में नैतिकता है, जिनमें छटनी करना नहीं अपितु पुनःसरचना करना है। हम यह भरसक प्रयास करेंगे कि प्रत्येक सक्षम कार्मिक कार्य कर सकें, हम उन्हें पुनः प्रशिक्षित करने तथा पुनः रोजगार प्रदान करने की सुविधा उपलब्ध करायेंगे और हम यह सब करेंगे।

इसके अलावा राष्ट्रीय नवीकरण कोष को संचालित किया गया है। मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं कि उसे हम राष्ट्रीय आर्थिक विकास में एक विश्वसनीय उपकरण बनायेंगे। **(व्यवधान)**

श्री चन्द्रशेखर (बलिया): अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है और मैं उस स्थिति को समझ सकता हूं जिस स्थिति में माननीय वित्त मंत्री हैं, परन्तु अभी-अभी उन्होंने एक वाक्य कहा है, मेरे विचार से वह वाद विवाद में है। उन्होंने कहा है कि यदि हम चाहते हैं भी तो* इस देश का भविष्य, कोई लेनदार नहीं है क्या हमारे देश की यह स्थिति है? मैं नहीं समझता कि वित्त मंत्री को इस प्रकार की बात कहनी चाहिए। मैं उनकी ओर से क्षमा मांगता हूं, वे हमारी आलोचना कर सकते हैं, हमें बुरा-भला कह सकते हैं परन्तु यदि वे कहते हैं, "यदि आप उसके लिए तैयार भी है तो "इस देश का भविष्य", मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश की स्थिति इतनी असहाय नहीं है। आप असहाय हो सकते हैं परन्तु आपकी असहायता देश की असहायता नहीं हो सकती। अध्यक्ष महोदय कुछ नियंत्रण होना चाहिए।

श्री मनमोहन सिंह: मेरे विचार से यदि यह अनुचित है तो मैं उसे वापस लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

*कार्यवाही वृत्तांत में शामिल नहीं किया गया।

श्री मनमोहन सिंह: मैं जो कुछ कहना चाहता हूं वह यह है कि मेरे विचार से कोई भी व्यक्ति नहीं है जो भारत के विकास को कम करना चाहता हो।

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जायेगा। वह अपने शब्द वापस ले रहे हैं।

श्री मनमोहन सिंह: भारत के विकास का दायित्व भारत के लोगों पर है। भारत जैसे विशाल देश की समस्या का कोई अन्तर्राष्ट्रीय समाधान नहीं है। अतः मैं जो कुछ भी कह रहा हूं, इसमें यदि एक भी शब्द अनुचित है, तो मैं उसके लिए क्षमाप्रार्थी हूं, मैं उन शब्दों को वापस लेता हूं।

इसके अलावा कुछ प्रश्न उठाये गये हैं, श्री जार्ज फर्नान्डीज ने पूछा है कि "आप गरीब लोगों के लिए क्या कर रहे हैं? किसानों के लिए आप क्या कर रहे हैं?"

मेरे विचार से हमारे देश में उद्योगों को अत्यधिक सुरक्षा प्रदान करना, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए सबसे अधिक पक्षपात पूर्ण रहा है। एक समय जब हमारे उद्योग अपनी आरंभिक अवस्था में थे, तब उनको सुरक्षा देना, उचित लगता था। इससे उद्यमियों के लिए एक माहौल बना। परन्तु जिन स्तरों पर पिछले 45 वर्षों से सुरक्षा प्रदान की जा रही है, मेरे विचार से ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में असमानता का बुनियादी स्रोत रहा है। वे हमारे देश में आय तथा सम्पत्ति की असमानता को बढ़ाने के बुनियादी कारण रहे हैं। यदि इन विभिन्न स्तरों पर निर्भरता को धीरे-धीरे कम किया जाये जो कि हम करना चाहते हैं, मेरे विचार से इस सरकार की ग्रामीण तथा कृषि क्षेत्र के विकास के लिए सबसे बड़ी सेवा होगी।

इसके अलावा सामाजिक कार्यों के विभिन्न मदों पर किए गए व्यय की ओर ध्यान दिलाया गया है **(व्यवधान)**।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह (फतेहपुर): मैं इस संबंध में वित्त मंत्री जी से बातचीत करूंगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रमुख उद्देश्यों का उचित तथा बहुत ही सरसरी तौर पर उल्लेख किया गया है। हम औद्योगिक नीतियों का नहीं अपितु आर्थिक नीतियों का उल्लेख कर रहे हैं। हमारी समझ के अनुसार आज भी भारतीय अर्थव्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य कृषि तथा ग्रमीण क्षेत्र है।

श्री मनमोहन सिंह: मैं उस पर आ रहा हूं।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: वह आज भी सर्वाधिक नियोक्ता है। और यदि वास्तव में हम उद्योगों की पुनःसंरचना करना चाहते हैं तो हमें क्रय शक्ति को बढ़ाना होगा, जिससे उद्योगों में संरचनात्मक परिवर्तन आ सकें, जिससे उन उत्पादन में पूंजी निवेश करना लाभप्रद हो सके तथा जिससे अधिक जनसंख्या के कारण भूमि पर जो दवाब है उसे कम किया जा सके तथा अभी भी गांवों में रोजगार दिया जा सके। वित्त मंत्री द्वारा इस प्रकार के उल्लेख से कि यदि हम ऐसी सुरक्षा को हटाते हैं तो केवल तभी ही कृषि क्षेत्र लाभकारी हो सकता है, मेरे विचारों से हमारी अर्थव्यवस्था के उद्देश्यों के अनुकूल नहीं हैं।

श्री मनमोहन सिंह: मेरे विचार से मैं उस पर आ रहा था। मैं उसी पर बोलने लगा था; मैं मानता हूं कि हमारे देश के 67 प्रतिशत लोग गांवों में रहते है; देश के राष्ट्रीय सकल उत्पादन का 34 प्रतिशत उत्पादन कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होता है, यह कि हमारा देश तब तक समृद्धशाली नहीं हो सकता, जब तक कि कृषि क्षेत्र को समृद्धशाली नहीं बनाया जाता। मैंने कार्यसूची की पहली मद पर बोलना प्रारम्भ किया था जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य योजना के बारे में है।

इसके अलावा, ग्रामीण क्षेत्रों की दूसरी समस्या यह है कि पिछले एक वर्ष अथवा एक दशक के दौरान कृषि विकास के लिए अपर्याप्त पूंजी निवेश किया गया है और मेरा यह तात्पर्य नहीं है कि मैं सदन के किसी माननीय सदस्य का अनादर करूं। मैं सविनय, यह अनुरोध करना चाहता हूं कि 1990 में ऋणों को माफ करने के परिणामस्वरूप हमारे देश में कृषि क्षेत्र की ऋण व्यवस्था पूरी तरह से लड़खड़ा गई है तथा देश के जो सबसे अधिक समृद्धशाली राज्य, महाराष्ट्र तथा गुजरात हैं, मेरे विचार से वहां पर भी जो ऋण दिया गया है उसका भुगतान न करने कि कोशिश की जा रही है जिसके परिणामस्वरूप कृषि क्षेत्र में पूंजी बढ़ाने की जो कोशिश की जा रही है, उसमें सर्वाधिक अड़चन आ रही है। हम इस समस्या पर स्वयं विचार करेंगे। यह दूसरा मुद्दा है। **(व्यवधान)**

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: महोदय,मैं आपका तथा वित्त मंत्री जी का अनुग्रह चाहूंगा **(व्यवधान)**।

श्री ए० चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : यह प्रति परीक्षण नहीं है **(व्यवधान)**।

अध्यक्ष महोदय: बहुत अच्छे मुददे उठाये गये हैं और मैं उनके लिए अनुमति देता हूं। कृपया उनके लिए बाधा उत्पन्न न करें।

श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह: मैं वित्त मंत्री जी का आभारी हूं कि उन्होंने कृषि की ओर ध्यान दिए जाने पर बल दिया है। यदि हम कृषि क्षेत्र की ओर ध्यान दें तो किसानों को जो कीमतें मिल रही हैं, तथा मुद्रास्फीती को ध्यान में रखते हुए जो निर्धारित की गई हैं वे स्थिर रही हैं। यदि वास्तव में हम देखें तो न केवल सार्वजनिक क्षेत्र में अपितु निजी क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में पूंजी निवेश लगभग अवरुद्ध हो गया है। वास्तव में व्यापार शर्तों के परिणामस्वरूप ही किसानों की यह स्थिति है वास्तव में ऋणों को माफ करना कोई बड़ी बात नहीं है परन्तु किसानों के लिए हमने जो प्रतिकूल व्यापारिक शर्तें रखी हैं, उनके लिए हमें खेद व्यक्त करना चाहिए तथा हमें उसी परीप्रेक्ष्य में देखना चाहिए न कि बैंकिंग परिप्रेक्ष्य में।

श्री मनमोहन सिंह: महोदय, मैं श्री वी० पी० सिंह की बात से पूर्णतः सहमत हूं और मैं भी यही बात कह रहा था। व्यापार की क्या शर्तें हैं संरक्षण जहां एक मामले में भार है तो दूसरे मामले में प्रतिस्थापन रूप में है। उद्योगों के लिए संरक्षण कम करके मैं कृषि क्षेत्र की व्यापारिक शर्तों में सुधार लाने में सहायता करना चाहता हूं। यदि आप गत तीन वर्षों के सहायता के आकंड़ों को देखें तो मैं सम्मानपूर्वक यह बताना चाहता हूं कि इस संबंध में अनेक समस्याएं रही हैं विशेष रूप से गेहूं के मामले में। मेरे विचार से गेहूं के व्यापार में सुधार नहीं हुआ है और इसीलिए यह स्थिति उत्पन्न हुई है जिसका माननीय कृषि मंत्री संदर्भ दे रहे हैं। पिछले एक वर्ष के दौरान कृषि व्यापार में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। मैं आपकी बात से सहमत हूं। हम चाहते हैं कि कृषि एक व्यापार साध्य बने न कि जीने का एक तरीका हमें व्यापार की शर्तों पर ध्यान देना चाहिए। इस प्रश्न पर कोई मतभेद नहीं है। मैं यह भी महसूस करता हूं कि कृषि क्रांति के पहले स्तर पर, हमारे कृषि विश्वविद्यालयों ने, यदि सभी नहीं तो कम से कम कुछ विश्वविद्यालयों ने बहुत अच्छा कार्य किया है, कृषि संबंधी विस्तार से सेवाओं को आधुनिक बनाया गया है। परन्तु एक लंबे अन्तराल के पश्चात् इन संस्थानों में से अनेकों की स्थिति अच्छी नहीं रही और नई प्रौद्योगिकियों का विकास हुआ है। यह विश्व व्यापी धारणा है जबकि हरित क्रांति के पहले स्तर पर कृषि संबंधी नई प्रौद्योगिकियां सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत हैं। आज कृषि के क्षेत्र में हुई प्रगति, विशेषकर जैव-प्रौद्योगिकी गैर-सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत है। विश्व में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के निजीकरण में वृद्धि हुई है। यह हमारे लिए बहुत ही जोखिमपूर्ण है और इसलिए हमें, कृषि अनुसंधान और कृषि विस्तार की स्थिति की ओर ध्यान देना होगा। मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं कि यह एक कर्त्तव्य है और मेरा यह विचार है कि हम कृषि के आधुनिकीकरण की ओर ध्यान देने जा रहे हैं।

[श्री मनमोहन सिंह]

अन्ततः हमें ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के अतिरिक्त अन्य रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने होंगे ताकि शहरी क्षेत्रों की ओर लोगों का समयपूर्व पलायन न हो। इस प्रकार ढांचे में अत्यधिक निवेश के बिना हम विकास करेंगे। इसीलिए मैंने अपने बजट भाषण में एक नई योजना की घोषणा की है जिसे हमारे कई कृषि वैज्ञानिकों के साथ विचार विमर्श करने के पश्चात् तैयार किया गया है। इसकी श्री सी० सुब्रह्मण्यम ने अगुवाई की। डा० स्वामीनाथन और अन्य भी उनके साथ थे। यदि कृषि व्यापार संघ की योजना प्रचलित हो जाय तो मुझे विश्वास है कि आप ग्रामीण विकास में एक नई लहर पायेंगे, जो कृषि के लिए सहायक होगी और साथ ही उस पर जन संख्या का दबाव कम होगा। अब मैं अन्य क्षेत्रों की ओर आता हूं **(व्यवधान)**।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसुकरा): महोदय, आपने सभी नेताओं को वित्त मंत्री से स्थिति के स्पष्टीकरण की अनुमति दी है। परंतु हम असहाय सदस्यों को जो नेता नहीं हैं, कोई ऐसी अनुमति नहीं दी जाती है। **(व्यवधान)**।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह मामला आपके और मंत्री के बीच है। अब उन्होंने इस बात को मान लिया है। आप उनसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्रीमती गीता मुखर्जी: मैं वित्त मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगी कि क्या वे इससे विदित हैं कि कच्चे पटसन के मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आयी है। ऐसा क्यों हुआ है जूट उत्पादों से हमें विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। हो यह रहा है कि राष्ट्रीयकृत मिलें भी संकट में हैं? ऐसा क्यों है? सरकार ने पटसन को खरीदने और राष्ट्रीयकृत मिलों को संकट से बचाने के संबंध में कोई कदम क्यों नहीं उठाया ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह न तो धोखाधड़ी है और न ही वित्तीय अथवा औद्योगिक अथवा कृषि संबंधी नीति से संबंधित है।

श्री मनमोहन सिंह: पटसन उद्योग की समस्याओं के बारे में मुझे जानकारी नहीं है।

मेरा प्रश्न यह था कि यह सरकार ग्रामीण गरीबी की समस्याओं, सामाजिक अव संरचना में पर्याप्त निवेश के अभाव संबंधी मामले में क्या कार्यवाही करने जा रही है? मेरे विचार से, एक राष्ट्र के रूप में हमारे लिए यह शर्म की बात है कि हमारे देश में स्वतंत्रता के 45 अथवा उससे भी अधिक वर्षों के पश्चात् भी साक्षरता दर 52 प्रतिशत से अधिक नहीं है और साथ ही शिशु मृत्यु दर अभी भी अधिक है तो 85 अथवा 90 के करीब है। अब हम इसमें किस प्रकार सुधार लाने जा रहे हैं? हमारे पास सीमित संसाधन हैं। यदि हम शिक्षा पर और अधिक व्यय करना चाहते हैं—तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने विश्व का भ्रमण किया है— विदेशों में बच्चों की शिक्षा का इस तरह से आधुनिकीकरण किया जा रहा है कि आज कम्प्यूटर शिक्षा तो प्रत्येक स्कूली बच्चे के लिए आम हो गई है। हमारे देश में, स्कूली बच्चे स्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। जिस प्रकार की शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं, मेरे विचार में यदि हम भारत के भविष्य को देखें, यदि हम अन्य देशों की तुलना में भारत की स्थिति को देखें तो पायेंगे कि हमें शिक्षा के स्तर को और अत्याधिक ऊंचा करने की आवश्यकता है। इसी प्रकार की स्थिति हमारी स्वास्थ्य सेवाओं की है। हम यह कैसे कर पायेंगे? यदि आप यह चाहते हैं कि सरकारी उपक्रम घाटे पर चलने वाली अपनी इकाइयों पर अधिक से अधिक धन लगायें तो स्वास्थ्य रक्षा प्रणाली के लिए शैक्षिक विकास के लिए हमारे पास संसाधन नहीं हैं। इसीलिए हम वित्तीय प्रणाली की पुनःसंरचना करना चाहते हैं। इसीलिए हम यह चाहते हैं कि सरकारी उपक्रम आत्मनिर्भर बने ताकि हम अधिक से अधिक संसाधन गरीबी-उन्मूलन, स्वास्थ्य रक्षा, शिक्षा पर इस्तेमाल कर सकें।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज (मुजफ्फरपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं केवल एक प्रश्न करना चाहता हूं। अभी मंत्री महोदय शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में बोल रहे है, जैसे कि ये हिन्दुस्तान की शक्ल को जानते ही नहीं है, खैर छोड़िये, उसके लिए माफ करते हैं, लेकिन क्या इस साल के बजट में आपने स्वास्थ्य और शिक्षा, दोनों के लिए पैसा कम आवंटित नहीं किया है?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह: इस क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार की बहुत ही सीमित जिम्मेदारी है।

[हिन्दी]

श्री जार्ज फर्नाण्डीज: फिर यह सब भाषण किसके लिए देते हैं?

[अनुवाद]

श्री मनमोहन सिंह: नहीं मेरा तात्पर्य यह नहीं है। यदि आप इस वर्ष केन्द्रीय बजट द्वारा किये गए पूंजी निवेश, परिवर्तनों की ओर ध्यान दें तो मैं समझता हूं कि आप इस कार्यक्रम को मजबूत बनाने की हमारी इच्छा से सहमत होंगे। वित्तीय कठिनाइयों के बावजूद हमने राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता में काफी वृद्धि की है। यह हमारी इस बात की सूचक होनी चाहिए कि हम समाजसेवाओं में क्या करना चाहते हैं न कि वह जो कि केन्द्रीय बजट की शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में सूचीगत है क्योंकि ये ऐसे क्षेत्र नहीं हैं जिनके लिए केन्द्रीय सरकार की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी हो।

इसके अलावा अनेक माननीय सदस्यों ने प्रतिभूति घोटाले का उल्लेख किया है। मैंने पिछले सप्ताह में सदन में एक वक्तव्य दिया था और कहा था कि मैं आपकी व्यथा में, क्रोध में, इस सभा में व्यक्त की गई गहरी चिंता में शामिल हूं। मैं आपको यह आश्वासन दे सकता हूं कि हम इस मामले में शामिल किसी भी व्यक्ति को दण्डित करने के लिए दृढ संकल्प हैं चाहे यह कितना भी बड़ा अथवा शक्तिशाली क्यों न हो। यदि आपके पास एक वित्त मंत्री के रूप में मेरे खिलाफ पर्याप्त प्रमाण हैं तो आप उसे पूर्णतया सी०बी०आई० को सौंप दें। सी०बी०आई० वित्त मंत्री के रूप में मेरे आचरण की जांच करने के लिए स्वतंत्र होगी। **(व्यवधान)**

मुझे यह कहना है कि इसमें छिपाने वाली कोई बात नहीं है। हमने स्वेच्छा से और अपनी इच्छानुसार इसमें शामिल होना स्वीकार किया है अर्थात् संयुक्त संसदीय समिति के निर्णय को सभी लोगों ने वित्त मंत्री ने स्वीकार किया है। हमें इस समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिये। हमें इस समिति के निष्कर्षों की प्रतीक्षा करनी चाहिए। अतः मैं इस सभा का समय बर्बाद करना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैंने इन शब्दों से कहना आरम्भ किया था कि हमारे देश को विकट समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। चुनौतियां भयावहपूर्ण हैं और इनका प्रतिरोध करने के लिए अवसर भी अनेक हैं। यदि देश संगठित होकर कार्य करेगा तो मैं समझता हूं कि 1990 में एक नये भारत का उद्भव होगा। और इसी के लिए हम कार्य कर रहे हैं। इस मामले पर हम सभा के सभी वर्गों से सहयोग चाहते हैं। यह पक्षपात का मामला नहीं है। मुझे आपसे यह कहना है कि मुझे विदेशियों के कथन पर इस सरकार के लिए कोई प्रमाण-पत्र नहीं चाहिए; जिसकी अधिक आवश्यकता है, वह है इस देश की सरकार के प्रति जनता के प्रेम, स्नेह और सम्मान का प्रमाणपत्र। जो भी विचार प्राप्त किए गए हैं वे इन तथ्यों के निर्णायक प्रमाण हैं कि देश की रचनात्मक सेवा में एक वर्ष की अवधि व्यतीत हो गई है। हम यह दावा नहीं कर सकते कि हमने सभी समस्याओं का समाधान कर लिया है परन्तु हमने एक अच्छी शुरूआत की है। इसके लिए हमें सभा के समर्थन की आवश्यकता है, हमें देश के समर्थन की आवश्यकता है और मेरा विश्वास है कि एक साथ कार्य करते हुए हम भारत के इतिहास में एक सुनहरा अध्याय लिखेंगे।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है कल शुक्रवार है और हम गैर-सरकारी सदस्यों का कार्य दोपहर पश्चात् 3.30 बजे शुरू करेंगे। अतः चर्चा के लिए उपलब्ध समय बहुत ही सीमित है। अब लगभग 6 बजने जा रहे हैं। तो सभा का क्या सुझाव है?

कुछ माननीय सदस्य: आज हमें जारी रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, मेरा विचार है कि हम इसे जारी रखेंगे और तत्पश्चात् हम उन सदस्यों को मौका देंगे जो बोलना चाहते हैं। आज हम एक अथवा दो सदस्यों को कल के लिए छोड़कर चर्चा समाप्त करेंगे और उसके बाद हम कल इसे जारी रखेंगे।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम: कल इसे कब आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय: यदि कल भी सभा सहयोग करेगी तो हम गैर-सूचीबद्ध कार्य नहीं करेंगे।

श्री राम विलास पासवान: कल नियम 377 के अधीन भी कोई मामला नहीं होना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है हम यह भी देखेंगे। और भोजनावकाश के लिए क्या किया जाए? भोजन तो आप करेंगे परन्तु आपको भोजनावकाश छोड़ना होगा।

श्री मोहम्मद यूनुस सलीम (कटिहार): महोदय, कल शुक्रवार होने के कारण हमें लगभग पौने एक बजें प्रार्थना के लिए जाना होगा। अतः दो बजे तक कोई कार्य नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात् आप इसे जारी रख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री चन्द्रजीत यादव: महोदय, मेरा विचार है कि 3 बजे से पहले मतदान पूरा हो जायेगा।

अध्यक्ष महोदय: इस पर हमें निर्णय लेना होगा कि हमें किस प्रकार गैर सरकारी सदस्यों के कार्य को सम्पादित करना है।

[हिन्दी]

श्री पीयूष तीरकी (अलीपुरद्वार): अध्यक्ष महोदय, एक बात का ख्याल करें कि हम लोगों को भी चांस मिले। यहां पर बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा हो रही है हमें भी बोलने का मौका दिया जाए। शैडयूल्ड कॉस्ट और ट्राइब्स के मैम्बर को कम बोलने का मोका दिया जाता है। हम लोग 40 वर्षों से सुनते चले आ रहे हैं।...

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको ही चांस दे रहा था।...

[अनुवाद]

कृपया अब आप अपना आसन ग्रहण कीजिए। हम आपकी भावनाओं की कद्र करते हैं लेकिन इसी के साथ हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इन मुद्दों को इस प्रकार मत उठाइये क्योंकि श्री बूटा सिंह जी ने श्री पासवान जी ने और कई अन्य सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है और मैं आपको भी बोलने का अवसर दे रहा हूं। क्या मैं सदन के सभी सदस्यों की ओर से अनुरोध कर सकता हूं कि कृपया इन मुद्दों को इस तरीके से मत उठाइये। अब आप अपना भाषण जारी रखिये.....। **(व्यवधान)**

श्री पीयूष तीरकी: अध्यक्ष महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। इतने दिनों से जो आपकी अर्थव्यवस्था थी आजादी के बाद तो उसी समय से हमारी बात इनको सुनने की आदत नहीं है। .....**(व्यवधान)** अगर कोई दलित वर्ग का या शेडयूल्ड कास्ट का कोई आदमी बोले तो इनको सुनने की जरूरत नहीं है। उनका कहना है कि सबसे कमजोर वर्ग का आदमी है और इतने दिनों से शोषण किया जा रहा है और शोषण के जरिए इनको रखा गया है। .....**(व्यवधान)** जितने भी हमने मैरिट वालों को देखा है

और जो अपर-कास्ट से आए हैं तो इनकी मैरिट क्या है। कितना घपला हुआ और स्वीस बैंक में कितना रुपया रखा हुआ है। क्या एस०सी०एस०टी० का रुपया वहां पर है। जो पूंजीपति या देश भक्त यहां पर हैं तो वे कौन सी जाति से बिलांग करते हैं और विदेशों के बैंकों में रुपया रखा हुआ है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर को गारन्टी करना चाहिए कि किस-किस आदमी का रुपया विदेशों के बैंकों में रखा हुआ है। उनकी लिस्ट होनी चाहिए और उनको नागरिकता से हटा देना चाहिए। वे देश के गद्दार हैं जो देश का रुपया लेकर विदेशों में रखते हैं और यहां पर राजनीति करते हैं, यहां पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। यहां पर करप्शन कौन कर रहा है। करप्शन करने वाले शासन करने के नालायक हैं और इन नालायकों को शासन की सत्ता नहीं मिलनी चाहिए। हर डिपार्टमेंट में कौन हैड है। सब जगह ब्राह्मण के लोग बैठे हुए हैं। हर पार्टी में और हर धर्म के नेता ब्राह्मण हैं। .....**(व्यवधान)** मुसलमान भी शायद ही हो क्योंकि ब्राह्मण ही होगा। हर मंदिर में मर्यादा है। लेकिन हम लोगों की मर्यादा को नहीं रखा। इन लोगों ने देश को लूटा।.....**(व्यवधान)** अभी वित्त मंत्री जी बस्ते की बात कर रहे थे। गरीबों का घर उजाड़कर विकास के नाम से जानवरों की तरफ फेंका जा रहा है। उनको बसाने की कोई चेष्टा नहीं है। बड़े-बड़े बांध और कारखाने बन रहे हैं, यह किसके लिए हैं। क्या हर इन्सान हिन्दुस्तान का नहीं है।

क्या उसको समान अधिकार नहीं है। क्या उसको मनुष्य की तरह जीने का अधिकार नहीं है। पर्लियामेंट में कहा जाता है कि कहां किसने चोरी की, डकैती की और किसने खून किया और गरीबों को शोषित करने का अधिकार है। आज दस लाख आदमी दिल्ली में हैं, इसमें बड़ी जाति वाले हैं। लेकिन हमारे सारे आदमी देश को चला रहे हैं जो पहाड़ों में और दूसरी जगह काम कर रहे हैं। दस लाख आदमी दिल्ली और बंबई में हैं तो ये कौन है। इनका जीवन झाड़ू लगाने के काम में लगा हुआ है.....**(व्यवधान)** लेकिन आज हमको पार्लियामेंट में बोलने का समय नहीं मिलता है। .....**(व्यवधान)** ये जो सो-काल्ड मैरिट वाले हैं तो हमको कहते हैं कि अंग्रेजी नहीं बोल सकते तो क्या शासन करेंगे। अंग्रेजी क्या हमारी मां की भाषा है जो हम अंग्रेजी नहीं जानते हैं। अंग्रेजी नहीं जानते तो छोटे हो गए और जानते हैं तो बहुत बड़े हो गए। इन लोगों ने चोरी की और चोरी करने की वजह से बड़ा काम नहीं किया है। इन्होंने पहले सीखा है कि किस तरह से चोरी करना है और किस तरह से लूटना है। जितने भी व्यवसायी हैं, ये सब नेता बन गए हैं। हम लोग बच्चों को दूध में पानी नहीं मिला सकते हैं और खाने की वस्तुओं में एडल्ट्रेट नहीं कर सकते। मानवता के विरुद्ध काम करने वाले ब्लैक मार्किटियर देश के नेता बने हुए हैं। ये लोग चाहते हैं कि हर जगह कैसे रुपया लूटा जाए और कैसे विदेशों में रखा जाए, लेकिन वित्त मंत्री उसका जायजा नहीं लेते हैं। हमारे पास जो जर्मन थी.....**(व्यवधान)** झारखंड का आंदोलन हो रहा है, लेकिन उसकी कोई चर्चा नहीं है।

6.00 म० प०

इस लिए हमारा आन्दोलन हो रहा है। अगर कोई बड़ी जाति वाले होते तो स्थिति उलट होती, कल ही सरकार उनको बुला सकती थी और उस पर विचार कर सकती थी। झारखंड आन्दोलन हमने अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए शुरू किया है। हम आदिवासी हैं, हरिजन हैं। हमारे आदमी दिल्ली जैसे शहरों में दूर-दूर से काम की तलाश में आ रहे हैं और उनकी इनमें संख्या बढ़ती जा रही है। आप उनके लिए क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है। यहां पर सरकार बोलती है कि देश को सिर्फ कांग्रेस सरकार ही चला सकती है, कोई दूसरी नहीं। यह सरकार बड़े लोगों की है, स्वार्थी लोगों की है। लोगों के लिए राशन की व्यवस्था नहीं है। नौकरियों में जाति में भेद किया जाता है। इसलिए इस सरकार को बदलना होगा, तभी हम देश को सम्भाल सकेंगे। अगर आपने इस देश को बचाना है तो चोरी-अन्याय को मिटाना होगा। इस विषय पर सबको पूरी शक्ति से जोर लगाना होगा। हमारे देश में जितनी बड़ी चोरी करो उतनी बड़ी प्रमोशन होती है, आज भ्रष्ट लोग बड़े-बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं। जब उनसे किसी काम के लिये जाओ तो कहते हैं यह करो, वह करो, यहां दरख्वास्त दो, वहां दो, होता

[श्री पीयूष तीरकी]

क्या है मेरे जैसा गरीब आदमी इधर-उधर चक्कर लगाता रहता है और अपने कार्य में सफल नहीं होता, फेल हो जाता है। जितने भी अंग्रेजी पढ़ने वाले लोग हैं वे सब चोर, डकैत हैं। यही लोग विलायत जाते हैं और वहां से शिक्षा पाकर हिन्दुस्तान आते हैं और यहां हमारे ऊपर शासन करते हैं। ऐसे लोगों को शासन और प्रशासन से हटाना पड़ेगा। इसलिए व्यवस्था में बहुत कुछ सुधार करना है। नहीं करेंगे तो भारत की जनता आपको माफ नहीं करेगी। आज एक मंत्री के पीछे कितने ही पहरेदार हैं और हरिजनों को मारा जा रहा है, उनके लिए सुरक्षा का, पुलिस का कोई प्रबंध नहीं है।

श्री नीतीश कुमार (बाढ़): हम जानकर अंग्रेजी अनुवाद सुन रहे हैं, ठीक नहीं हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: बाद में आपके पास ट्रांसलेशन करके भेज देंगे।

श्री पीयूष तीरकी: प्रशासन और शासन को बचाना है तो गिरिजनों और हरिजनों को समाज में उच्च स्थान देना होगा, समान नौकरी के अवसर देने होंगे और उनके लिए समाज शिक्षा की व्यवस्था करनी होगी। आजादी मिले हुए आधी शताब्दी होने जा रही है, लेकिन हमारी आस्था मनुष्य के स्तर से नीचे गिर गई है। आडवाणी जी ने हम लोगों को एक नया नाम देना चाहा है। उन्होंने कहा कि आदिवासी कहने में इनको शर्म आती है, इसलिए इनको वनवासी कहना चाहिए। वनवासी का दूसरा शब्द क्या हो सकता है, वन-मानुष भी हो सकता है। इसलिए वनवासी का मतलब वनमानुष, ये हमें आदमी कहने का अधिकार भी नहीं देना चाहते हैं..

(व्यवधान)

श्री हीरेन पाठक (अहमदाबाद): आडवाणीजी ने यह नहीं कहा, आप गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं।

श्री पीयूष तीरकी: यहां पर इस किस्म के नेता हैं। महात्मा गांधी ने हरिजन कहकर हमें ऊपर उठाया और दूसरे लोग हमें पता नहीं कहां पहुंचाना चाहते हैं।

मेरा निवेदन है कि शहरों में जैसे अंग्रेजी माध्यम के स्कूल हैं, वैसे ही गांवों में भी होने चाहिए। यह यदि नहीं हुआ तो हमारे साथ अन्याय होगा और इम्बैलेंस होगा। यहां एयर कंडीशनर्स कमरों में बैठे अधिकारी जो कुछ परिकल्पना गांवों के लिए करते हैं वे सही नहीं होती हैं। इसके लिए आपको गांवों के लोगों से पूछना चाहिए कि किस तरह से गांव की उन्नति हो सकती है। नहीं तो हुकम लगा दिया कि वहां से दिल्ली चले जाओ। यहां यह करना होगा, यहां बांध होगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप वहां के लिए जो काम करने जा रहे हो, वहां के आदमी को कांफिडेंस में लेना पड़ेगा। कौन सा काम बहुत जरूरी है, उसकी ओर ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा और जो कुछ करेंगे, उसको जल्दी-जल्दी करेंगे तो आप पांच वर्ष में एक नये रूप में हिन्दुस्तान को देखोगे।

अध्यक्ष जी, इनको हिन्दुस्तान की संस्कृति मालूम नहीं है, हमेशा अंग्रेजी की बात करते हैं, इससे डेवलपमेंट होने वाला नहीं है। आप गांव के आदमी से पूछो कि क्या चाहिये? किधर का पानी किधर चलता है। इससे हमारा देश सुरक्षित नहीं बन सकता है। हमारा सुन्दर देश बिगाड़ रहे हैं। जिस तरीके से ये काम कर रहे हैं, उससे जनता का विश्वास घटता जा रहा है। क्या हम लोग हिन्दुस्तान में रह सकेंगे? जितने भी हमारे बड़े नेता और प्रशासन के अधिकारी हैं, उनके विदेशी बैंकों में पैसा है, उनको जब्त करें। चाहे वे इंगलैंड में हों या स्विटजरलैंड में हो लेकिन हिन्दुस्तान में उन गद्दारों को नहीं रखना होगा। उनको न प्रशासन में रखें और न ही मंत्रिमण्डल में रखें। इस तरह से यदि आप काम करेंगे तो सही रूप से वह जनता की पार्लियामेंट होगी और गरीबों की बात पार्लियामेंट में सुनी जायेगी। यदि ऐसा नहीं कर सके तो जितनी जल्दी हो, यह सरकार सुधार कर ले या रिज़ाईन देकर चली जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट (पोन्नानी): अध्यक्ष महोदय मैं मन्त्रिपरिषद् के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की चर्चा में भाग लेने के लिए खड़ा हुआ हूं मैं समझता हूं कि सदन को अवगत है कि यह हमारे इतिहास का एक नाजुक दौर है और इसलिए हमें जान लेना चाहिए कि हमें बहुत रचनात्मक तरीके से स्थिति से निपटना होगा ताकि हम देश को घोर विपत्ति से बचा सकें।

महोदय, मेरी हार्दिक इच्छा है कि हमारे देश में जटिल, विस्फोटक और संवेदनशील मुद्दों का सामना करने और इनसे निपटने के लिए शक्तिशाली और स्थिर सरकार होनी चाहिए ताकि देश में शान्ति स्थापित की जा सके और देश की अखण्डता पर आंच न आने दी जाए। इस महान् उद्देश्य के लिए मैं इस बात पर बल देता हूं कि सरकार मजबूत और न्यायिक आदेशों, कानून के शासन और संवैधानिक दायित्वों को बनाए रखने के लिए साहसपूर्वक, अविलम्ब और प्रभावशाली तरीके से कार्य करे। अकर्मण्य और शिथिल निष्क्रिय और अनिर्णय की स्थिति में रहने वाली सरकार समस्याओं को सुलझा नहीं सकती बल्कि राष्ट्र के भविष्य को भी क्षति पहुंचाएगी। इसलिए हमें सरकार का समर्थन अथवा विरोध आंख भींचकर नहीं करना है और जबकि हम इस अविश्वास प्रस्ताव पर बोल रहे हैं तो हर एक को सकारात्मक और रचनात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। हालांकि वहां भूल-चूक हो सकती है। कई क्षेत्रों में सरकार ने उत्कृष्ट कार्य किया है और कुछ क्षेत्रों में उसके कार्य निष्पादन बहुत सन्तोषजनक नहीं है।

महोदय, देश में बैंक-घोटाले, विद्यमान भ्रष्टाचार, बढ़ती कीमतों को रोक पाने में विफलता, अल्पसंख्यकों और अनुसूचित जातियों को पूर्ण सुरक्षा प्रदान करने में विफलता और अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों को सामाजिक न्याय से वंचित रखने आदि जैसे मुद्दों को छोड़ा नहीं जा सकता। मैं अवश्य कहना चाहूंगा कि अगर आर्थिक क्षेत्र में कुछ कठोर निर्णय लिये गए थे तो वह इस देश में व्याप्त घोर वित्तीय संकट के कारण लिये गये थे। लेकिन इसके साथ-साथ मैं यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि कठोर निर्णय राष्ट्रीय सम्मान को ताक पर रखकर नहीं किये जाने चाहिए। उपरोक्त जैसे उपनिवेशी ताानाशाह पर आर्थिक निर्भरता की, जिसके कारण सरकार को फासीस्ट इजराइल के साथ राजनयिक सम्बन्ध कायम करने के लिए सरकार को बाध्य किया गया, हम सराहना नहीं करते। इसके साथ-साथ मैं श्री नरसिंह राव सरकार की इस बात के लिए प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने 15 अगस्त 1947 की स्थिति के अनुसार सभी धार्मिक स्थलों की यथापूर्व स्थिति को बनाए रखने का विधेयक प्रस्तुत और पारित कराने के वचन को पूरा किया।

अभी हाल ही में अल्पसंख्यक आयोग को वैधानिक दर्जा प्रदान किये जाने की मैं सराहना करता हूं। मैं कहना चाहूंगा कि मूल्यवृद्धि और मुद्रास्फिति को रोकने के लिए सरकार को प्रभावी कदम उठाने चाहिए। (सरकार को दृढ़तापूर्वक कार्य करना चाहिए) ताकि आम आदमी यह महसूस करे कि उसकी तकलीफों को कम किया जा रहा है।

आसाम और पंजाब में चुनाव कराये गए हैं लेकिन कश्मीर के सम्बन्ध में यह नहीं देखा गया कि क्या वहां पर शान्तिपूर्वक और निष्पक्ष चुनाव कराए जाने सम्भव हैं अथवा नहीं?

अब मैं आज की सबसे ज्वलन्त समस्या पर आता हूं जोकि बाबरी- मस्जिद-रामजन्मभूमि का मामला है। आप सभी भली भांति जानते हैं कि यह मामला एक अर्न्तराष्ट्रीय मामला बन गया है। श्री चन्द्रशेखर जी ने कल ठीक ही कहा था कि आज इस पर पूरे विश्व की निगाह है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर हमारी नीति है कि हम देश की अखण्डता और शान्ति को कायम रखेंगे और देश को टुकड़ों में नहीं बंटने देंगे और विध्वंसक स्थिति का सामना करेंगे। अखण्डता और शान्ति कायम रखने का उत्तरदायित्व हम सभी का है, देश की सरकार का है

[श्री इब्राहिम सुलेमान सेट]

धर्मनिरपेक्ष ताकतों का, अल्पसंख्यकों का और भारतीय जनता पार्टी जैसी फासीस्ट ताकतों का भी है। उन्हें उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता है। देश की अखण्डता की रक्षा करने का उत्तरदायित्व भारतीय जनता पार्टी जैसी फासिस्ट ताकतों का भी है जो कुछ राज्य में सत्ता में हैं। भारतीय जनता पार्टी न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन कर रही है जब भी यह मामला उठाया जाता है वह कहते हैं कि वह न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं करते हैं।

6.12 म०प०

(श्री शरद दिघे पीठासीन हुए)

लेकिन मैं उनसे सामने आने और घोषणा करने की मांग करता हूं कि वह न्यायिक आदेश का पालन करेंगे। यह देश को तबाही से बचाएंगा। यदि वह ऐसा नहीं करते हैं तो इस सदन में उनकी ईमानदारी को शक की नजर से देखा जाएगा। इस बारे में मुझे बस यही कहना है।

कल प्रधानमन्त्री ने इस सदन में एक वक्तव्य दिया था प्रधानमन्त्री ने इस सदन में कल जोरदार घोषणा की थी कि अयोध्या में सरकार बाबरी मस्जिद को नहीं गिराने देगी। इस वक्तव्य की सराहना की जानी चाहिए लेकिन इसके बारे में कुछ और स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता है। क्या मन्दिर की योजना में बाबरी मस्जिद कम्पलैक्स सम्मिलित है अथवा नहीं है? यही वह मुख्य समस्या है जिसको हमें समझना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को यह स्पष्ट करना है और उन्हें सदन में राम मन्दिर के निर्माण की योजना को स्पष्ट करना चाहिए।(**व्यवधान**)

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार: क्या बी०जे०पी० के अलावा आप और कुछ नहीं कहेंगे। केन्द्र सरकार से भी पूछिए कि कोर्ट ऑर्डर का वॉयलेशन हो रहा है तो वह क्या कर रही है और आप भी कल इनके खिलाफ वोट डालिए। आप इसके लिए सरकार गिराइए।

...(**व्यवधान**)...

श्री दाऊ दयाल जोशी: ये कुछ भी कहते रहें आखिर परनाला तो वहीं गिरेगा न!

...(**व्यवधान**)...

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेट: प्रधानमन्त्री जी ने आगे कहा कि शिलान्यास मन्दिर के निर्माण के लिए किया गया था। और न कि सिंहद्वार के लिए किया गया था। इस प्रकार प्रधानमन्त्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के खेल का भांडा फोड़ा। हम वास्तव में प्रधानमन्त्री जी के वक्तव्य की सराहना करते हैं। लेकिन आपने जानबूझ कर जहां मन्दिर का निर्माण किया जाना था उस स्थल पर सिंहद्वार का निर्माण कर रहे हैं ताकि मन्दिर को उस स्थान तक सीधा बढ़ाया जा सके जहां बाबरी मस्जिद बनी हुई है। यही वह स्थिति है जिसे हमें समझना चाहिए।

गृह मन्त्री जी ने स्थिति का अध्ययन करने के लिए अयोध्या का दौरा किया। पूरी स्थिति का अध्ययन करने के उपरान्त उन्होंने क्या कहा? उन्होंने इस सदन में स्पष्ट तौर से कहा मैं उसे वक्तव्य को उद्धृत करता हूं: "प्रथम दृष्टया मेरी राय है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिगृहीत स्थान पर कार्य करने की आज्ञा देकर न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया है जब गृह मन्त्री जी ने स्पष्ट तौर में घोषणा की है कि यह प्रथम दृष्टया मामला है और न्यायालय के आदेश का उल्लंघन किया गया है मुझे हैरानी होती है कि तब भी मौके पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। गृह मन्त्री जी वहां जाते हैं और अपनी आंखों से सब कुछ देखते हैं, कि निर्माण कार्य चल रहा है

और वह घोषणा करते हैं कि यह प्रथम दृष्टया उल्लंघन का मामला है। और गृह मन्त्री जी में इतना साहस नहीं है कि वह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ कोई कार्यवाही कर सकें। इस सब से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस सरकार में इतना साहस नहीं कि वह कार्यवाही कर सके और मैं यह अवश्य कहना चाहूंगा कि इस सरकार ने एक के बाद एक अवसर खोये हैं। श्री नरसिंह राव सरकार ने एक के बाद एक अवसर खोये हैं।

एक समय वह था जब मन्दिर तोड़े गए थे एक समय वह था जब कब्रिस्तानों पर बुलडोजर चलाए गए थे। तब सरकार को कार्यवाही करनी चाहिए थी लेकिन उसने कोई कार्यवाही नहीं की।

गृह मन्त्री ने उस स्थान का दौरा किया और स्वयं देखा कि निर्माण कार्य जारी है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई। निष्क्रिय नीतियों के कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है।

यह सरकार की अकर्मण्यता और निष्क्रियता का प्रमाण है। इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता अथवा इस तथ्य पर विवाद नहीं किया जा सकता है कि भारत सरकार ने ही भारतीय जनता पार्टी और विश्व हिन्दू परिषद् को मन्दिर के निर्माण कार्य को चालू रखने के लिए प्रोत्साहित किया था।

सरकार और देश के लिए यह परीक्षा की घड़ी है सरकार की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है उनकी सत्ता को ललकारा जा रहा है।

मैं चाहता हूं कि प्रधान मन्त्री आगे आएं और भारत में स्पष्ट तौर से घोषणा करें कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश का सम्मान किया जाएगा।

यहां मैं अवश्य कहूंगा कि यह बहुत जटिल समस्या है और मैं अनुरोध करता हूं कि मुझे थोड़ा समय दें।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ के आदेश यहां हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार को अयोध्या में राम-जन्म-भूमि-बाबरी मस्जिद परिसर में राम मन्दिर निर्माण को रोकने का निर्देश दिया। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ का आदेश स्पष्ट है। परन्तु इससे क्या हुआ? निर्माण कार्य चालू है। यह आदेश 15 तारीख को दिया गया था। 15 तारीख बीत गयी। 16 तारीख आ गई। निर्माण कार्य चालू है। हमारे साथ महासचिव श्री सिंघल हैं। यहां पर हैं। उन्होंने फैजाबाद में घोषणा की कि राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद परिसर के निकट अधिगृहीत भूमि पर शुरू किया गया निर्माण कार्य बन्द नहीं होगा। यह अदालती निर्णय और केन्द्र सरकार के निदेशों की अवज्ञा है। जब वहां पर ऐसी स्थिति है तो यह देखने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाता कि क्या न्यायालय के आदेश कार्यान्वित किए गए हैं और न्यायालय द्वारा निर्णय लिए जाने तक सुरक्षा की दृष्टि से बाबरी मस्जिद सहित सम्पूर्ण अधिगृहीत क्षेत्र को अधिकार में लिया जाए। यही एक रास्ता है जो अपनाया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

[हिन्दी]

प्रो॰ रासा सिंह रावत (अजमेर): शाहबानो के केस में कोर्ट कहां गया?

[अनुवाद]

श्री इब्राहिम सुलेमान सेठ: यह धार्मिक प्रश्न नहीं है। यह स्पष्टतः एक राजनैतिक और ऐतिहासिक प्रश्न है।

(व्यवधान)

मैं इस बात को सदन के ध्यान में अवश्य लाना चाहूंगा कि सम्पूर्ण राष्ट्र विशेष रूप से सही दिशा में सोचने वाले व्यक्ति, अल्पसंख्यक, धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति इससे स्तब्ध हैं और उच्च न्यायालय द्वारा निर्णय दिये जाने के बावजूद भी निर्माण कार्य चालू रहने पर देश की सरकार द्वारा की जाने वाली कार्यवाही की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

[श्री सुलेमान सेट]

वे सरकार की ओर एकटक देख रहे हैं और अपने को नियंत्रित रखे हुए हैं। अतः मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी इस बात की स्पष्ट घोषणा करें कि यदि राज्य सरकार उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को कार्यान्वित करने में असफल रहती है तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश को कार्यान्वित करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएंगे और इस प्रयोजन से बाबरी मस्जिद परिसर सहित सम्पूर्ण भूमि को अधिकार क्षेत्र में लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के बाद 24 घंटे बीत गए हैं और अभी तक निर्माण कार्य चालू है। इस प्रकार की स्थिति असहनीय है। इसलिए मैं चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को उत्तर देते समय आगे आकर हमें स्थिति पूर्णतः स्पष्ट करनी चाहिए कि बाबरी मस्जिद परिसर में मन्दिर निर्माण की योजना शामिल नहीं की जाएगी।

दूसरा उन्हें यह भी बताना चाहिए कि वह यह सुनिश्चित करने का हर संभव प्रयास करेंगे कि न्यायालय के आदेश लागू किए जाएं और उन्हें बाबरी मस्जिद परिसर सहित अधिगृहीत भूमि को अपने अधिकार क्षेत्र में लेना होगा और यदि ऐसा करने में उन्हें कठिनाई प्रतीत होती है तो इस संबंध में संविधान के अनुच्छेद 356 का आश्रय लेना होगा। **(व्यवधान)** अतः हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं **(व्यवधान)** हम देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और तत्पश्चात् अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान संबंधी कार्यवाही करने का निर्णय लेंगे। **(व्यवधान)**

हम केवल यह देखेंगे कि प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं और प्रधानमंत्री जी क्या आश्वासन देने जा रहे हैं और सरकार क्या कार्यवाही करने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री जी का उत्तर सुनने के बाद हम इस बात का निर्णय करेंगे कि हमें क्या कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री पी० जी० नारायणन (गोविचेट्टिपालयम): सभापति महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

महोदय, लोकतंत्र में अविश्वास प्रस्ताव बहुत बड़े और महत्वपूर्ण मामलों के सामने लाया जाता है, विपक्ष के शस्त्रागार का यह अंतिम शस्त्र तब काम में लाया जाता है जबकि उसका सरकार की आर्थिक, विदेशी और सामाजिक नीतियों से पूर्णतः मतभेद हो। इसका इस्तेमाल केवल तभी किया जाता है जब राजनीतिक और आर्थिक स्थिति ऐसे चरण पर पहुंच जाती है कि विपक्षी दल यह महसूस करते हैं कि सरकार का पुर्नाहवान किया जाना चाहिए तथा उससे दुबारा चुनाव कराने की मांग की जानी चाहिए। सामान्यतः मामला आंकड़ों तथा औचित्य पर आधारित होता है। यह प्रस्ताव ठीक एक वर्ष के बाद आया है और स्वाभाविक रूप से हर किसी ने यह आशा की होगी कि इस प्रस्ताव में कोई चेतावनी, कुछ दृष्टिकोण, कुछ दिशानिर्देश अवश्य होंगे तथा विशेषकर माननीय सदस्यों की ओर से जो सदन द्वारा प्रस्ताव को स्वीकार किए जाने का अनुरोध कर रहे हैं।

महोदय, यह निस्संदेह रूप से सच है कि भारत के लोगों ने यद्यपि पूर्ण बहुमत से नहीं, किन्तु पूरी शक्ति के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरसिंह रावजी को और कांग्रेस दल को जनादेश दिया था। लोगों ने ऐसा इसलिए किया था की राष्ट्र की अखंडता कायम हो, राष्ट्र की उन्नति हो तथा उनकी आशाओं और आंकाक्षों की पूर्ति हो और इस माननीय सदन में कोई भी इस जनादेश की खिल्ली न उड़ाए।

महोदय, पिछले एक वर्ष के दौरान क्या सुधार हुआ है? सरकार ने किस प्रकार कार्य किया है? क्या सरकार ने उस सीमा तक कार्य किया है जहां इस प्रकार के प्रस्ताव पर विचार करने का भी औचित्य बनता हो?

महोदय, मैं पिछले एक वर्ष की मुख्य बातों के संबंध में संक्षेप में बताऊंगा। यदि देश की आर्थिक स्थिति देखी जाए तो इस वर्ष हमारे वित्त मंत्री ने आर्थिक स्थिति तथा जिस आर्थिक संकट का सामना अब हमारा देश कर रहा है, से निपटने के लिए काफी संतुलित बजट दिया है। इस देश में पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है कि सिर्फ आठ-नौ माह की अवधि में इतनी अधिक अर्थपूर्ण नीतियां प्रदान की गई हों। सरकार को तो इस बात के

लिए शाबाशी दी जानी चाहिए कि उसने इस प्रकार का बजट प्रस्तुत किया है, जो गरीबों के प्रति अति संवेदी है, उद्योग की आवश्यकताओं के प्रति अनुक्रियाशील है तथा इससे बुनियादी सुधार की गुंजाइश है। यह कोई कम उपलब्धि नहीं थी कि इसने वित्तीय घाटे को जो वर्ष 1990-91 में 44,640 करोड़ रु० था, वर्ष 1991-92 में घटकर 37,792 करोड़ रु० आ गया। पिछली सभी सरकारों ने घाटे में कमी किए जाने के वचन दिये थे किंतु कोई भी वर्तमान सरकार की भांति सफल नहीं हुई।

सरकार जिसने जून 1991 में शासन की बागडोर संभाली थी उसने भुगतान शेष की स्थिति को व्यवहार्य बनाने के लिए कई सुधारात्मक कदम उठाए हैं। इन उपायों में उसे कुछ सफलता मिली है। विदेशी मुद्रा कोष में भी पर्याप्त वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा निधि जो जून, 1991 में 2383 करोड़ रु० थी, बढ़कर 15,260 करोड़ रु० हो गई। इससे निश्चित रूप से निर्यात और आयात प्रतिस्थापन बढ़ा है। व्यापार घाटा भी मार्च, 1992 के अंत तक घटकर लगभग 63 प्रतिशत रह गया है।

मुद्रा स्फीति की दर जो जून, 1991 में बहुत तेजी से बढ़ी थी, अगस्त, 1991 में 16.7 प्रतिशत पर पहुंच गई थी। हाल ही में सरकार द्वारा किए गए विभिन्न नीतिगत उपायों के परिणाम स्वरूप, पिछली विदेशी मुद्रा की खराब स्थिति के बावजूद, मुद्रा स्फीति की दर जून, 1992 के तीसरे सप्ताह में घटकर 11.4 प्रतिशत आ गई तथा यह आशा की गई थी कि चालू वित्त वर्ष के अंत में मुद्रा स्फीति की दर इकाई पर आ जाएगी।

अगस्त 1991 में नई औद्योगिक नीति और उदारवादी उपायों की घोषणा के बाद विदेशी निवेश में भारी वृद्धि हुई है। नीति लागू होने के बाद की अवधि (अगस्त 1991—फरवरी 1992) में विदेशी सहयोग में तीन गुणा वृद्धि हुई। अनुमोदित विदेशी निवेश भी जो वर्ष 1990-91 में 85 करोड़ रु० था वर्ष 1991-92 में बढ़कर 1142 करोड़ रु० हो गया। जनवरी-फरवरी 1992 के दौरान 1228 करोड़ रु० की असाधारण वृद्धि हुई।

वे परिस्थितियां जिनके अंतर्गत पिछले वर्ष यह सरकार बनाई गई थी, सर्वविदित है। देश कठिन वित्तीय समस्याओं का सामना कर रहा था, साथ ही साथ यह राष्ट्र के सामाजिक सम्बद्धता तथा सामंजस्य का परीक्षण काल भी था। इसमें कोई संदेह नहीं है कि पिछले 12 माह में राष्ट्र का मनोबल और विश्वास बड़ी मात्रा में पुनः कायम किया गया है।

व्यापार, वाणिज्य और श्रम पक्ष में किए गए परिवर्तन निर्यात उत्पादन, लोगों की आय में वृद्धि तथा नौकरी के और अवसर प्रदान करने से संबंधित है। पूरा नीति पैकेज अर्थव्यवस्था को मजबूत और जनता के अनुकूल बनाने के लिए था। अतः नीति परिवर्तनों का एक वर्ष के पूरा होने पर देखते हैं कि पर्याप्त उन्नति हुई है। फिर भी प्रमुख समस्याएं बनी हुई हैं तथा उनसे उत्साहपूर्वक निपटना है।

एक वर्ष अथवा उससे अधिक के अंतराल के बाद आठवीं योजना रोजगार और आय संसाधन जुटाने के मूल लक्ष्य के साथ आरंभ हुई थी। अत्यधिक संकट के बावजूद आठवीं योजना में सातवीं योजना की तुलना में परिव्यय को दुगुना करने का प्रावधान किया गया था।

श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व में वर्तमान सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था, राजनीति, विदेशी मामलों और सामाजिक सेवाओं में पर्याप्त सुधार किया है। पंजाब, जम्मू और कश्मीर और असम के संबंध में हम आज बेहतर स्थिति में हैं। सरकार ने जो राजनीतिक कदम उठाए हैं उससे स्थिति में आमूल परिवर्तन आया है। पंजाब में लोकप्रिय सरकार स्थापित की गई जबकि जम्मू और कश्मीर में विदेशी उकसाहट अभी भी जारी है तथा स्थिति चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। माननीय प्रधानमंत्री ने पंजाब पैकेज के संबंध में निश्चयपूर्वक कहा है कि राजीव-लोंगोवाल समझौते के अतिरिक्त कोई अन्य पैकेज नहीं था। पंजाब के एक निर्वाचित सरकार बनने के साथ लोगों में एक नया उत्साह था।

[श्री वी॰वी॰ नारायणन]

विदेशों में अपनी यात्राओं के दौरान, माननीय प्रधानमंत्री ने विदेशों में भारत के आर्थिक तथा वाणिज्यिक हितों को संवर्द्धन को अपेक्षित महत्व दिया था। हमने इजराइल के साथ अपने कूटनीतिक संबंधों को बढ़ाया है। अब हमें मध्य पूर्व शान्ति वार्ताओं में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया है। हमने पूर्व सोवियत संघ के कुछ गणतन्त्रों के साथ, उन सभी को मान्यता प्रदान करने के पश्चात् निकट संबंध स्थापित किए हैं।

विदेशी संबंधों में, पाकिस्तान को छोड़कर पड़ोसी देशों से हमारे संबंध बहुत मधुर थे। जहां तक पाकिस्तान का संबंध है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा पहल करने पर, भारत तथा पाकिस्तान के प्रधानमंत्री वार्ता आगे जारी रखने पर सहमत हुए हैं। अपनी वार्ताओं के दौरान, प्रधानमंत्री ने पंजाब तथा जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों की गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा समर्थन दिए जाने पर चिन्ता व्यक्त की थी। मुझे आशा है कि इन वार्ताओं के द्वारा यह संभव है कि पाकिस्तान अपना मार्ग बदले तथा अच्छे पड़ोसी संबंधों का मार्ग प्रशस्त करे।

महोदय, मैं वर्तमान स्टाक मार्किट घोटाले का एक संक्षिप्त में उल्लेख करना चाहता हूं। हम सब इस बात से अवगत हैं कि हमारे देश में पूंजी बाजार का आठवें दशक में अत्यधिक विकास हुआ तथा अब यह एक अत्यधिक गतिशील तथा महत्वपूर्ण क्षेत्र बन गया है जो लाखों निवेशकों को आकृष्ट कर रहा है। पूंजी बाजार 10,000 करोड़ रूपये से भी अधिक की निधियों को आकर्षित कर रहा है तथा 12 मिलियन निवेशक पूंजी बाजार में भाग ले रहे हैं। भारतीय पूंजी बाजार ने जो अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय निगम द्वारा एक उभरता हुआ स्टाक बाजार बताया गया है, इसके इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला हुआ है।

स्टॉक मार्किट में यह घोटाला उस समय हुआ है जब सरकार वित्तीय क्षेत्र, विशेष कर बैंककारी क्रियाकलापों में सुधार कर रही है तथा पूंजी बाजार गतिविधियों का विस्तार कर रही है। 1991-92 के लिए संघीय बजट प्रस्तुत करने के पश्चात् सरकार की नीतियों तथा नई औद्योगिक नीति पूंजी बाजार के पक्ष में थी। एक अग्रणी दलाल श्री हर्षद मेहता ने इस अवसर का लाभ उठाया तथा बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों से अपनी निकटता तथा अधिक लाभ शीघ्र कमाने की बैंक की उत्सुकता का लाभ उठाते हुए अपने लाभों को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार तथा स्टाक बाजार में सांठगांठ की। अब माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि एक संयुक्त संसदीय समिति सारे मामले की जांच करेगी। तथापि मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि यह देखना हमारा प्रमुख कर्तव्य है कि नियोजक का विश्वास पूंजी बाजार से न उठे। यह विश्वास केवल तभी बनाए रखा जा सकता है जब सरकार लोगों को इस बात का विश्वास दिलाए कि वह बिना विलम्ब के न्याय प्रदान करेगी तथा सरकार अपराधियों को दण्डित करेगी। सरकार को यह देखना चाहिए कि कुछ भी छिपाया न जाए, करोड़ों के स्टाक घोटाले में किसी को न बचाया जाऐ तथा जिसने भी गलती की है उसे अपनी गलतियों की सजा मिले। सरकार को समस्त बैंकिंग प्रणाली में सुधार के लिए उपचारी उपायों पर दृढ़ रुख अपनाना चाहिए।

अब, मैं सरकार का ध्यान वर्तमान कावेरी जल विवाद की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। जब सभी को यह जानने की आवश्यकता है कि जल एक राष्ट्रीय परिसम्पत्ति है तथा जल से संबंधित मसलों पर उस दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है, तो यह देखना केन्द्र का प्रयास होगा कि कावेरी जल अधिकरण का कार्य सरल हो। जब माननीय प्रधानमंत्री ने स्वयं यह कहा कि अधिकरण के अन्तिम आदेश शीघ्र दिलाने में सहायता करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। अब अधिकरण ने अपना निर्णय दे दिया है। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री यह आश्वासन प्राप्त करने की आशा कर रही थी कि कर्नाटक सरकार निर्णय को मानेगी तथा उसको क्रियान्वित करेगी। परन्तु हमें आश्चर्य है कि केन्द्र सरकार चुप है तथा केन्द्र ने इस मुद्दे पर कोई आश्वासन अथवा कोई कार्यवाही नहीं की है। तमिलनाडु के लोग यह आशा कर रहे हैं कि केन्द्र एक निदेश जारी करेगा कि कावेरी जल अधिकरण के निर्णय का सम्मान किया जाये तथा इसे शीघ्र लागू किया जाये।

[अनुवाद]

जहां तक मेरे राज्य तमिलनाडु का संबंध है, एक वर्ष पहले राज्य में लिट्टे छापामारों द्वारा फैलाई गई अत्यधिक अव्यवस्था, राष्ट्र-विरोधी विघटनकारी और विद्रोही गतिविधियों के कारण बिल्कुल भी शांति नहीं थी।

लेकिन मुख्य मंत्री का पदभार संभालने पर डा० पुरात्ची थलाईवी ने ऐसे कठोर उपाय किये जिनके कारण लिट्टे छापामारों की इन गतिविधियों पर रोक लग गई और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति की पुनः प्रतिष्ठा हो गई। अभी भी छापामारों की गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है क्योंकि श्रीलंका के साथ मेरे राज्य का एक लंबा समुद्री तट है। सरकार ने समुद्री सीमा की समस्या की पहचान की है। हमें काफी कम सहायता प्राप्त हुई है। छापामारों के अनधिकार प्रवेश पर रोक लगाने के लिए राज्य द्वारा वहन किए जा रहे अत्यधिक खर्च को ध्यान में रखते हुए राज्य निरंतर केन्द्रीय सहायता की मांग कर रहा है। लेकिन केन्द्र ने इस पर अभी तक स्वीकृति प्रदान नहीं की है। अतः मेरा सरकार से आग्रह है, कि जैसाकि केन्द्र ने जम्मू और कश्मीर तथा असम जैसे सीमावर्ती राज्यों के साथ विशेष व्यवहार किया है, वैसा ही तटवर्ती राज्यों की समस्या को भी भूमि सीमावर्ती क्षेत्र के समतुल्य मानते हुये विशेष सहायता दी जानी चाहिए।

अब दसवें वित्त आयोग का गठन किया गया है। मेरे राज्य, तमिलनाडु को नौवें वित्त आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तमिलनाडु अत्यधिक गैर-योजनागत घाटे का सामना कर रहा है, यद्यपि नौवें वित्त आयोग ने गैर-योजनागत अधिशेष प्रक्षिप्त किया था। राज्यों की बढ़ती हुई ऋण देयता काफी चिंता का कारण बना हुआ है। ऐसी स्थिति में, यह अनिवार्य है कि सभी राज्यों को राहतोपाय के रूप में, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अंशदायी को बढ़ाकर 50 प्रतिशत कर दिया जाये जिससे सभी राज्यों को 5 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क प्राप्त हो सके। दसवें वित्त आयोग का गठन राज्य के लिए सर्वाधिक महत्व का है।

जहां तक बाढ़ और सूखाग्रस्त क्षेत्रों के लिए राहत कोषों के आंवटन का संबंध है, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह बाढ़, सूखा, चक्रवात आदि जैसी प्राकृतिक आपदाओं के परिणामस्वरूप अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए एक आवर्ती योजना बनाये।

अब मैं राज्यों के लिए कतिपय केंद्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अंतरण के प्रश्न पर आता हूं। आठवीं योजना के दौरान यह आश्वासन दिया गया था कि राज्यों को और अधिक योजनाओं का अंतरण किया जायेगा केंद्र को यह देखना चाहिए कि योजनाओं के अंतरण के साथ-साथ इन योजनाओं के लिए दी गई पूरी सहायता का भी अंतरण होना चाहिए।

जहां तक राज्य की योजनाओं का प्रश्न है जो कि अब बाह्य सहायता पर आधारित संसाधन पर अत्यधिक निर्भर करती है, राज्य परियोजनाओं के मूल्यनिर्धारण और स्वीकृति में सुस्पष्ट कमी आई है। जहां तक मेरे राज्य, तमिलनाडु का संबंध है, यहां दो दशकों से भी अधिक समय से केंद्र द्वारा बड़े पैमाने पर कोई भी निवेश नहीं किया गया है। आठवीं योजना के लिए केंद्रीय सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं में तमिलनाडु की हिस्सेदारी के संबंध में वहां की जनता को काफी अधिक निराशा हुई है। तथापि, तमिलनाडु की जनता मद्रास में संयुक्त क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली ऐरोमेटिक्स मेगा परियोजना हेतु स्वीकृति देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी की काफी आभारी है। इस अच्छी शुरुआत के साथ, हम आशा करते हैं कि समय बदलेगा और केंद्र सरकार आठवीं योजना में तमिलनाडु में केंद्रीय निवेश का स्तर बढ़ाने के हमारे निरंतर अनुरोध पर ज्यादा ध्यान देगी। बाह्य सहायता पर आधारित राज्यों को दी जाने वाली सहायता को भी सरल और कारगर बनाया जाना चाहिए। 100 प्रतिशत प्राप्त बाह्य सहायता कुछ क्षेत्रों में राज्यों को अभी तक नहीं पहुंचाई गई है।

तमिलनाडु में वर्षों से केंद्रीय निवेश में कमी आई है और इसमें कुल केंद्रीय निवेश से केवल 5 प्रतिशत की गिरावट आई है। इस प्रवृति को तुरंत सुधारना होगा। तमिलनाडु में केंद्रीय परियोजनाओं को तुरंत स्वीकृति देने की आवश्यकता है। तमिलनाडु सरकार इन परियोजनाओं के तीव्र क्रियान्वयन में सभी प्रकार की बाधाओं को दूर करने में पूरा सहयोग देगी। स्वीकृति हेतु लंबित पड़ी कुछ महत्वपूर्ण परियोजनाएं इस प्रकार हैं: (1) सेतु समुद्रम

[श्री पी०जी० नारायणन]

परियोजना जो पोतों के मार्ग को सुकर बनाने के लिए पाल्क स्ट्रेट को मनार की खाड़ी से जोड़ेगी जिसका केंद्रीय क्षेत्र में माल सहायता के लिए आर्थिक कार्य विभाग द्वारा पता लगाया जा रहा है और (2) भारत में 'फ्री पोर्ट' की स्थापना। मुझे आशा है कि केंद्र उन सभी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को यथाशीघ्र स्वीकृति प्रदान करेगा जो लंबित पड़ी हैं।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं सरकार का ध्यान दूरदर्शन की एक गंभीर चूक की ओर दिलाना चाहूंगा जिसमें उसने मेरे राज्य तमिलनाडु में 28 और 29 जून 1992 को हुई एक ऐतिहासिक घटना को पर्याप्त कवरेज नहीं दिया गया था। 28 जून को अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कषगम पार्टी ने तमिलनाडु में अपनी सत्ता का एक वर्ष सफलतापूर्वक पूरा करने पर मदुरई में 'विजय सम्मेलन' आयोजित किया था। इस अवसर को ऐतिहासिक बनाने के लिए एक बड़ा जुलूस निकाला गया था। एक जन सागर उमड़ पड़ा था जो 28 को मदुरई की सड़कों पर एक जुलूस के रूप में निकला जोकि मध्याह्न लगभग एक बजे शुरु हुआ और यह जुलूस अगले दिन सुबह 7 बजे तक चलता रहा अर्थात सोमवार, 29 जून की सुबह तक। यह जुलूस लगभग 20 घंटे तक चला। उस जुलूस में 50 लाख से भी अधिक लोगों ने भाग लिया। यह एक ऐतिहासिक जुलूस था और एक गिन्नीज रिकार्ड है।

[अनुवाद]

तमिलनाडु के इतिहास में यह एक ऐतिहासिक घटना थी और हमारी मुख्य मंत्री डा० पुराची थलुइवी के लिए यह एक व्यक्तिगत विजय थी तथा तमिलनाडु में उनकी सरकार में विश्वास का एक स्पष्ट प्रदर्शन था। लेकिन यह बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि इस ऐतिहासिक घटना को पर्याप्त प्रकाश में नहीं लाया गया जबकि इसे राष्ट्रीय नेटवर्क में दिया जाना चाहिए था। यह पता चला कि 29 को दूरदर्शन पर केवल कुछ क्षणों के लिए इसके बारे में दिया गया था और यह भी मद्रास के मैट्रो चैनल पर। 29 अथवा उसके अगले दिन राष्ट्रीय नेटवर्क में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया। अतः मैं सरकार से यह अनुरोध करूंगा कि वह दूरदर्शन की ओर से हुई इस गंभीर चूक की जांच करे तथा यह भी देखे कि ऐसी चूकें भविष्य में पुनः न हो।

महोदय मैंने पर्याप्त समय लिया है और मैं और अधिक समय नहीं लेना चाहता। अंततः मैं इस बात से सहमत हूं कि राष्ट्र आजकल कठिनाई के दौर से गुजर रहा है लेकिन इसके लिए न केवल सत्तारूढ़ दल अपितु विपक्ष भी उत्तरदायी है। मैं यह कहना चाहूंगा कि नीति में मूलतः कोई परिवर्तन नहीं किया गया। लेकिन समय बीतने के साथ-साथ उन नीतियों के कार्यान्वयन की पुनर्चर्या करनी ही होगी। और इसलिये अविश्वास प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है। तथापि मैं सौत्सुक्य आशा करता हूं कि सरकार मूल्यों की वृद्धि को रोकने के लिए भरसक प्रयास करेगी और यह जनता द्वारा सौंपे गये उत्तरदायित्व से मुंह नहीं चुरायेगी। अतः मैं मंत्री परिषद में अविश्वास के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और इसे रद्द करने का अनुरोध करता हूं।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा): महोदय समय देने के लिए धन्यवाद देती हूं। मैं प्रयास करूंगी कि जिन मुद्दों पर मेरे प्रतिष्ठित नेता तथा सहयोगियों ने विस्तार से बोला है, उन्हें न दोहराऊं।

अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, मैं सरकार की जानकारी में यह बात लाना चाहती हूं कि राष्ट्र की कुल आबादी का 50 प्रतिशत महिलायें हैं। सरकार ने उनके कागजों पर नहीं वास्तविक रूप में क्या किया है। पहले सबसे बड़ी परेशानी है मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि। दूसरे यह कि अत्याचारों में वृद्धि हो रही है। राजधानी क्षेत्रों में भी इसके लिए कुछ विशेष नहीं किया गया है। आप राष्ट्रीय आयोग के बारे में कह सकते है। (व्यवधान) एक मिनट ठहरें इससे आप में से किसी के बारे में भी कुछ अच्छा प्रतीत नहीं होता। कृपया इस बात को समझें कि जो कुछ मैं कहने जा रही हूं यदि आप महिलाओं के हितों के प्रति ईमानदार हैं तो उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी: पिछली सरकार के कार्यकाल के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना के बाद सभा में यह आश्वासन दिया गया था कि इसमें हर प्रकार के सभी महिला संगठनों के आयोग के सदस्य के रूप में शामिल किया जायेगा जिसके लिए कोई वेतन या भत्ता नहीं दिया जायेगा। किन्तु आयोग का गठन तो कर दिया गया लेकिन क्या यह नियम बनाया गया है? नहीं श्रीमान बार-बार हमारे अनुरोध करने पर भी नहीं। यदि नहीं, तो क्यों नहीं, इसमें हमें सभी राजनीतिक विचारणों से ऊपर उठने का अवसर मिलता।(व्यवधान)

श्रीराम कापसे: (आणे) महोदय, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न पूछना चाहता हूं। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की जा रही है। मंत्रीमंडल का एक भी मंत्री उपस्थित नहीं है। यह गंभीर मामला है।(व्यवधान)

श्री रमेश चेन्नीतला (कोट्टायम): दो मंत्री हैं।

श्री राम कापसे: मैं कबीना मंत्रियों की बात कर रहा हूं। कम से कम कबीना एक मंत्री तो होना चाहिए (व्यवधान)

श्री पवन कुमार बंसल (चण्डीगढ़): कृपया ऐसी टिप्पणी मत कीजिए।

सभापति महोदय: यहां व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। कृपया अपनी बात जारी रखें।(व्यवधान) यह मर्यादा का प्रश्न है न कि व्यवस्था का प्रश्न।

श्री राम कापसे: उस मर्यादा को कायम रखना चाहिए। कृपया यह देखें कि यहां मर्यादा कायम रहे सभापति ने एक विनिर्णय दिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी: महोदय, यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, परंतु वस्तुतः मर्यादा का प्रश्न है जिसका पालन मंत्रिमंडल द्वारा नहीं किया जा रहा है। मैं स्पष्ट रूप से आपको बताती हूं।

अब दूसरा प्रश्न कृषकों के बारे में है। मैं उस समय श्री मनमोहन सिंह से एक बात पूछने की कोशिश कर रही थी। लेकिन या तो वह बात नहीं समझे थे या उसका उत्तर टाल गए। हमारे देश में आर्थिक विकास का प्रश्न वस्तुतः स्वदेशी बाज़ार के विस्तार से संबंधित है जिसका विस्तार कतिपय बातों के द्वारा किया जा सकता है। क्या यह सरकार उस ओर कोई ध्यान दे रही है।

पहले मैं भूमि सुधारों को लेती हूं। आप कह सकते हैं कि भूमि सुधार राज्य का विषय है। तब भी, क्या मैं जान सकती हूं कि आपके नेता लोग प्रत्येक राज्यों में आपके दल के नेता-लोग आज या तो बेनामी अथवा किसी अन्य के नाम पर या परिवार के किसी सदस्य के नाम पर कितनी एकड़ भूमि के मालिक हैं?

इस अवधि के दौरान आपने क्या कदम उठाये हैं ताकि आपकी पार्टी के अन्दर और साथ ही साथ आपकी सरकारों द्वारा और केन्द्रीय नेताओं द्वारा भी भूमि की अधिकतम सीमा का पालन किया जा सके। आपने कुछ नहीं किया है। यदि ऐसा है तो कैसे बाज़ार का विस्तार होगा?

मैं जूट मूल्यों में गिरावट के बारे में कह रही थी। जूट मूल्यों में गिरावट पूरे पूर्वी क्षेत्र में एक अत्यधिक गंभीर बात है। सरकार ने इसके संबंध में क्या किया है? भारतीय पटसन निगम जूट नहीं खरीद रहा है। परिणामस्वरूप, पटसन की कीमतों के गिरने के कारण पटसन व्यापारियों द्वारा अवसर का लाभ उठाया जा रहा है जो पटसन मिल मालिकों को पटसन बाद में देने के लिए कम दर का भुगतान कर रहे हैं। अतः राष्ट्रीयकृत पटसन मिल संकट में है। केवल एक क्षेत्र का मैंने समय की कमी के कारण उल्लेख किया है। परंतु यह पूरे पूर्वी इलाके में बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। क्या सरकार ने वास्तव में कुछ किया है। क्या सरकार ने भारतीय पटसन निगम को पटसन खरीदने के लिए कहा है? क्या उन्होंने इन गरीब पटसन उगाने वालों को अन्य कोई

[श्रीमती गीता मुखर्जी]

साधन प्रदान किया है? उत्तर है 'नहीं'। ऐसा कई अन्य क्षेत्रों के बारे में भी कहा जा सकता है। परंतु मेरे पास **उन सब बातों को उठाने का समय नहीं है। अतः मैं, स्त्रियों की** ओर से गरीब खेतीहर मजदूरों में से सबसे **गरीब की ओर से और गरीब कृषक वर्ग की ओर से इस 'अविश्वास प्रस्ताव'** का समर्थन करती हूं। मैं ऐसा नहीं **समझती हूं कि सरकार की नीति के क्रियान्वयन से गरीब** लोग लाभान्वित हुए हैं जैसा कि किया जाना चाहिए **था। अतः, अन्य सभी क्षेत्रों के अतिरिक्त, इन दो क्षेत्रों में जहां बहुसंख्यक** जनसंख्या शामिल **है** वहां सरकार **बुरी तरह से विफल हुई है। इसलिए, इस** 'अविश्वास प्रस्ताव' का निश्चित रूप से समर्थन किया गया है और मेरे विचार से यह पास हो जायेगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे (विजयवाड़ा): सभापति महोदय, मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद। इस सरकार को सत्ता में आए लगभग एक वर्ष से अधिक हो गया है। महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि लगभग सभी क्षेत्रों में सरकार का कार्यनिष्पादन अत्याधिक निराशाजनक है। ऐसा विशेष रूप से कीमतों की मूल्य वृद्धि में रोक न लगाने के संबंध में है। वे अपना वादा नहीं निभा सके। 100 दिन की बात तो जाने दीजिए लेकिन एक वर्ष के बाद भी वे अपना वादा नहीं निभा सके। माननीय वित्त मंत्री ने बताया है कि मुद्रास्फीति दर केवल 11.4 प्रतिशत है। वास्तव में, जब एक गृहिणी अथवा एक आम आदमी विभिन्न खाद्यान्नों, सब्जियों, खाद्य तेल अथवा कुछ भी खरीदने के लिए बाज़ार जाता है, तो वह व्यक्ति अथवा गृहिणी पाती है कि कीमतें कई गुणा बढ़ गई हैं और मूल्य वृद्धि जारी है जिसके कारण आम आदमी की जिन्दगी काफी दयनीय हो गई है।

वित्तीय नीतियों के संबंध में, सरकार ने कई परिवर्तन किए हैं। औद्योगिक क्षेत्र अथवा व्यापार क्षेत्र में सरकार ने कई परिवर्तन किए हैं। हस्तक्षेप करते समय, श्री चिदम्बरम कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी उनकी नीति **का समर्थन कर रही है। यह तो ठीक है, लेकिन मुझे आश्चर्य है** कि कांग्रेस दल को वह सत्य जानने में, जो कि **महान स्वर्गीय राजाजी ने कहा था, तीन दशक से भी** अधिक का समय लगा। वह सदैव यही वकालत करते रहे कि इस लाइसेंस परमिट-ठेका प्रणाली को समाप्त किया जाना चाहिए और इससे इस देश को उचित समयावधि में समृद्धि प्राप्त नहीं होगी। कांग्रेस द्वारा अपनाई गई नीतियों ने उन लोगों की सहायता की है जो कि राजनैतिक नेतृत्व के अत्याधिक, निकट है। वे व्यक्ति जिनके पास पहले कुछ भी नहीं था अब करोड़पति और खरबपति बन गए हैं।

कई अन्य बड़ी हस्तियों से तुलना करें तो श्री रामाराव कुछ भी नहीं हैं। जैसा कि आप जानते हैं यह सरकार की इन्हीं नीतियों के कारण हैं केवल 10 वर्ष की अवधि में ही कुछ उद्योगपतियों ने अपनी परिसम्पति को 4,000 रुपये तक **बढ़ा लिया है। इस पर भी सरकार और कांग्रेस पार्टी कह रही है कि वे समाज में समाजवाद** को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन असलियत यह है कि कुल राष्ट्रीय आय में 34 प्रतिशत से भी ज्यादा भाग पर देश के केवल 10 प्रतिशत शीर्ष लोगों का हिस्सा है। हालांकि संयुक्त राज्य अमरीका जहां स्वतन्त्र उद्यम और पूर्ण पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाता है में भी शीर्ष के 10 प्रतिशत लोगों का हिस्सा मुश्किल से 22 प्रतिशत है। फ्रांस अथवा जर्मनी अथवा ब्रिटेन में भी यही स्थिति है। कई अन्य विकसित देशों में भी शीर्ष के 10 प्रतिशत लोगों का हिस्सा उनकी राष्ट्रीय आय का 22 से 24 प्रतिशत से अधिक नहीं होता है जबकि हमारे देश में यह 34 प्रतिशत है। और इसके साथ ही गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसलिए, हम अब जान गए हैं कि कांग्रेस की नीतियां हमें किस दिशा में ले गई हैं। महोदय, मैं इस देश में आम लोगों, विशेषकर गरीब लोगों द्वारा महसूस की जा रही कठिनाईयों के विस्तार में नहीं जाऊंगा।

हालांकि, कुछ सीमा तक हम प्रसन्न हैं कि सरकार ने अर्थव्यवस्था को अनियंत्रित करने और नौकरशाही को कम से कम करने अथवा प्रक्रियाओं और औपचारिकताओं के रूप में नौकरशाही की दखलअंदाजी जिसे एक उद्यमी को उद्योग स्थापित करने के लिए पिछले सभी वर्षों में सामना करना पड़ रहा है कम करने के लिए नितियों में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की है। हम ऐसे प्रयासों का स्वागत करते हैं और हमें ऐसी नीतियों पर कोई आपत्ति नहीं है।

लेकिन हमें वर्तमान प्रवृत्ति से डर है। हम महसूस करते हैं कि इस प्रकार की वर्तमान कार्यपद्धति हमें एक बहुत खतरनाक स्थिति की ओर ले जा रही है। एक से भी अधिक अवसरों पर, सरकार ने स्वयं कहा है कि सरकार विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियन विकास बैंक अथवा कुछ अन्य वित्तीय संस्था से जो हमें वित्तीय सहायता या ऋण दे रही है, द्वारा दिए गह सुझावों को लागू करने की कोशिश कर रही है जिससे सरकारी नीतियां प्रभावित हो रही हैं। इसके अलावा, अभी हाल ही में सरकार द्वारा लिये गये कुछ निर्णय राष्ट्र को बहुत विकट स्थिति की ओर ले जा रहे हैं। मैं केवल तीन उदाहरण दूंगा।

जैसाकि आप जानते हैं कि इनमें से एक विवाद पर आंशिक चर्चा हो गई है इस पर पूर्ण चर्चा अभी होनी है। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा। रेल मंत्रालय जोकि एक सरकारी विभाग है, ने कहा है कि 'भेल' वर्ग (1) के अन्तर्गत नहीं आता है जिसे 400 करोड़ रूपये के मूल्य का विद्युत इंजन का ठेका दिया जा सके। हालांकि निविक्षा समिति ने 'भेल' को एक बार नहीं बल्कि दो बार स्वीकार किया है भारत सरकार के विभाग, रेल मंत्रालय ने स्वयं कहा है कि 'भेल' वर्ग(1) के अन्तर्गत नहीं आता। हालांकि 'भेल' ने उन मदों का ब्यौरा दिया है जिसे वह भारत में उत्पादित करने जा रहे हैं। उसे इस आधार पर ठेका नहीं दिया गया कि उसने देर नहीं की थी। लेकिन किन्हीं खास कारणों से, रेल मंत्रालय ने बड़ी आसानी से एशिया ब्राउन बावेरी की खामियों को नजर अंदाज कर दिया। इसमें बहुत गंभीर त्रुटियां हैं और इसे ठेका नहीं दिया जाना चाहिए था। लेकिन रेल मंत्रालय की सिफारिश पर इसे अन्ततः ठेका मिल गया।

दूसरी 1200 करोड़ रुपये के मूल्य की गंधार में 615 मेगावाट की मिश्रित आरक्षित गैस टरबाइन पावर परियोजना है जो सीमेन्स और 'भेल' को न देकर मारुबनी एशिया ब्राउन बावेरी संघ को प्रदान किया गया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी कि इस 1200 करोड़ रुपये की परियोजना को मारुबनी एशिया ब्राऊन बावेरी संघ को प्रदान करने में केवल एक दिन लगा। आप मुझे केवल कुछ वाक्यों को उद्धित करने की अनुमति दें। 26 मार्च, 1992 को 3.30 बजे और अगली सुबह 5 बजे के बीच एक सार्वजनिक क्षेत्र के एकक ने अपने सेवानिवृत चेयरमैन और प्रबन्ध निदेशक, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, के मार्गनिर्देश के अन्तर्गत वास्तव में कोई औपचारिक पत्र जारी किये बिना ही मारुबनी एशिया बावेरी संघ को ठेका देने हेतु चर्चा के लिए बुलाया। उनके साथ देने ठेका देने से पूर्ण चर्चाएं हुई और उन्होंने मात्र सौ पृष्ठों वाला पत्र जारी किया जिसमें संघ को ठेका प्रदान किया गया था। पंचाट से पूर्व जो चर्चाएं हुई थीं वे स्वयमेव इस पत्र में सम्मिलित कर दी गई हैं तथा उन लोगों ने ठेके की स्वीकृति का पत्र भी प्राप्त कर लिया है। यह सभी कुछ केवल 24 घंटों के भीतर हो गया था।

इसी बात पर हम काफी उत्तेजित महसूस कर रहे हैं। अब तक 'भेल' की ताप विद्युत संयंत्रों की स्थापना तथा मशीनों की आपूर्ति, में प्रमुख भूमिका रही है। लेकिन अब इस सरकार की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम तथा ए०बी०बी० चहेती फर्में हैं। महोदय, हमें पता है कि सरकार के इस प्रकार के निर्णय के कारण इन प्रमुख संस्थानों जैसे 'भेल' जिसमें हजारों लोग काम करते हैं तथा जिसमें हजारों करोड़ रूपये का सार्वजनिक धन का निवेश किया हुआ है, का भविष्य क्या रहेगा। हमें पता है कि उन लोगों का क्या भविष्य कैसा रहेगा, जिन्होंने इस संस्थान की काफी लम्बे समय तक सेवा की है।

7.00 म० प०

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव]

मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। कर्नाटक सरकार ने हाल ही में 69 करोड़ रुपयों की लागत वाली परियोजना अपर कृष्णा परियोजना के अन्तर्गत एक नहर खुदाई का ठेका एक नीजि फर्म नामतः गायत्री इंजिनियरिंग कन्सट्रक्शन कम्पनी को दिया है, जिसने केन्द्रीय सरकार की फर्मों की अपेक्षा 2.5 करोड़ रुपया अधिक भाव लगाया था इतना ही नहीं कर्नाटक के मुख्य मंत्री ने सभी नियमों तथा शर्तों को ताक पर रखते हुए एशियाई विकास बैंक को सिफारिश की है कि वे इस ठेके को स्वीकार कर ले। हालांकि, जनता के एक प्रतिनिधि ने, जो कि राय की भलाई में रूचि रखता था, मामले को न्यायालय में उठाया तथा एशियाई विकास बैंक को भी लिखा है। परन्तु यह एक अलग मामला है।

मैं सदन में इस बात पर बल देना चाहता हूं कि ऐसे निर्णय न केवल उन व्यक्तियों को सुविदित कारणों की वजह से लिए जाते हैं जो इस प्रकार के ठेके देने से संबंधित होते हैं अपितु विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, एशियाई विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं, जो कि ऋण देती हैं को खुश करने के लिये दिये जाते हैं।

इस समय सभा में कृषि मंत्री उपस्थित नहीं है तथा वित्त मंत्री भी उपस्थित नहीं हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार को कार्यभार संभाले एक वर्ष हो गया है, परन्तु अब तक यह कृषि नीति बनाने में असफल रही है। ये लोग आश्वासन देते रहे हैं कि वे एक कृषि नीति बनाने वाले हैं परन्तु ऐसी कोई नीति नहीं है। इससे यह स्पष्ट दिखता है कि इस सरकार की कृषि क्षेत्र की ओर कोई रुचि नहीं हैं। शुरू से, जब से हमें स्वतंत्रता मिली है, कृषि हमारे देश की मेरुदण्ड रही है। परन्तु दुर्भाग्य शुरु से ही जवाहर लाल नेहरु के कार्यकाल से कृषि के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। कृषि तथा सिंचाई के विकास हेतु जितनी धन राशि की आवश्यकता थी, वह नहीं दी गई। हमारे देश में कुल भूमि का 51 प्रतिशत खेती के लायक है जबकि विश्व औसत केवल 11 प्रतिशत है। यदि सरकार शुरु से ही कृषि को आधारभूत सुविधाएं प्रदान करती तथा कृषि को एक प्रमुख क्षेत्र समझती तथा जो सुविधाएं उसने औद्योगिक क्षेत्रों को प्रदान की हैं वे इसे मिलती तो हमारे कृषि क्षेत्र का अच्छा विकास हो जाता था और हमारा देश कृषि विकास के क्षेत्र में अग्रणी देश बन जाना था। दुर्भाग्यवश यह नहीं हुआ।

आज, न्यूनतम खपत स्तरों को भी प्राप्त नहीं किया जा रहा है। जबकि हर व्यक्ति के लिये प्रतिदिन खाद्यान्न की 2600 केलोरी की आवश्यकता होती है परन्तु हमारे देश में प्रति व्यक्ति 2100 केलोरी ही उपलब्ध हैं। जहां प्रतिवर्ष न्यूनतम आवश्यकता 180 किलोग्राम है वहीं पर प्रति व्यक्ति 173 किलोग्राम ही उपलब्ध है। यह इसीलिए हुआ है, क्योंकि सरकार द्वारा कृषि क्षेत्र को जिस प्रकार का व्यवहार मिलना चाहिए उसे मिला नहीं। आप लोग विभिन्न क्षेत्रों में परिवर्तन लाना चाहते हैं, परन्तु आपने यह उचित नहीं समझा कि कृषि नीति में कुछ परिवर्तन लाया जाए जिसके लिए आप शुरु से प्रयास कर रहे हैं। और इस पर भी आप कृषि क्षेत्र को मुक्त नहीं करना चाहते हैं। अभी भी, व्यापार की शर्तें कृषि क्षेत्र के विपरीत हैं यह कई वर्षों से लगभग 0.8 है। इसके कारण, किसानों द्वारा जो भी थोड़ा-बहुत आय अर्जित की गई, वह औद्योगिक क्षेत्र को दी जा रही है। इसके परिणामस्वरूप, कृषि क्षेत्र में निजी पूंजीनिवेश दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र भी निवेश, अपेक्षानुसार नहीं हो रहा है—चाहे वह सिंचाई का क्षेत्र हो अथवा अन्य आधारभूत सुविधाओं का।

मैं आज के 'इण्डियन एक्सप्रेस' से सिर्फ दो अथवा तीन वाक्य ही पढ़ना चाहूंगा। निसंदेह यह सरकार विश्व बैंक के प्रति अधिक सम्मान और आदर रखती है। प्रेस में आज ही इसके बारे में छपा है और मैं उसे उद्धरित करता हूं:

> "सदन को दिखाने से पूर्व ही योजना पर विश्व बैंक की टिप्पणी: निवेश लक्ष्य सकल योजना लक्ष्यों के अनुरुप नहीं लगते हैं। इसी प्रकार, विश्व बैंक ने कहा है कि योजना यद्द रही समस्याओं

(घटता हुआ सरकारी निवेश, ग्रामीण ऋण संकट मिथ्या प्रोत्साहन, निवेश और निर्गत बाजारों....में व्यापक सरकारी हस्तक्षेप से निपटने के लिए नई रणनीतियां तैयार करने पर भी कोई जोर नहीं दे रही है।"

अंततोगत्वा बैंक ने योजना दस्तावेज की इस बात के लिए आलोचना की है कि इसमें लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपेक्षित वित्तीय वचनबद्धता अपघटित तथा अस्पष्ट है।

महोदय, वित्त मंत्री जी कृषि के बारे में बहुत कुछ बोल रहे थे। मैं कहना चाहूंगा कि उन्होंने आठवीं योजना में जिस धनराशि के आवंटन का प्रस्ताव किया है वह सातवीं योजना की तुलना में पर्याप्त नहीं है।

महोदय, सातवीं योजना के दौरान, कृषि क्षेत्र को 5.9 प्रतिशत तथा सिंचाई क्षेत्र को 9.4 प्रतिशत दिया गया था, जो कुल मिलाकर 15.3 प्रतिशत होता है। लेकिन 8-7-1992 को लोक सभा को दिए गए उत्तर में इस सरकार ने बताया था कि केन्द्र, राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा एक साथ किया गया निवेश तथा कृषि और सम्बद्ध गतिविधियों, जिसमें सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण भी शामिल है, के लिए आवंटित की गई, कुल धनराशि 54,992.50 करोड़ रुपए थी जो मुश्किल से 12.6 प्रतिशत है। इस बार यह सरकार न तो भूमि क्षेत्र के आवंटन में वृद्धि कर रही है और न ही इन कृषकों को आवश्यक निधियां उपलब्ध करा रही है जिन्हें ऋण की बहुत ही आवश्यकता है लेकिन वे इसे समय पर नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। उन्होंने जैव-प्रौद्योगिकी और इसके विस्तार के संबंध में बहुत कुछ कहा है। मैं इस सरकार से पूछता हूं कि उसने इस संबंध में क्या किया है? क्या उन्होंने कृषि संबंधी विस्तार कार्यक्रम के लिए आवश्यक निधियां आवंटित कर दी हैं? इस वर्ष आप कितने कृषि विज्ञान केन्द्र स्थापित करने जा रहे हैं? आप प्रौद्योगिकी के परिणामों को गांवों में किसानों तक ले जाने के लिए क्या करने वाले हैं?

अतएव, महोदय, मैं महसूस करता हूं कि कृषि क्षेत्र के प्रति इस सरकार ने अपने रवैये तथा संदर्शन में कोई परिवर्तन नहीं किया है। और जब तक वह मूल परिवर्तन सरकार के संदर्शन में नहीं होता है, देश को नुकसान होता रहेगा और भविष्य में भी हमारी यही गति होगी।

अब मैं इस सरकार को एक चेतावनी देना चाहता हूं। यदि आप अंतर्राष्ट्रीय मुद्राकोष अथवा विश्व बैंक अथवा ऐसी अन्य संस्थाओं के परामर्श के आधार पर कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली राज-सहायता हटाने जा रहे हैं तो यह किसानों के प्रति एक घोर अन्याय होगा। यह व्यापार की उल्टी शर्तों के कारण है कि हमारे किसानों को इतना कुछ गंवाना पड़ रहा है। चीन जैसे देश में भी व्यापार शर्तें सोचसमझकर कृषकों के पक्ष में रखी गई है। वे इसमें अर्थात् कृषि उत्पादन में वृद्धि करना चाहते हैं। हमारे देश में 140 मिलियन हेक्टेयर उपजाऊ भूमि के होते हुए हम केवल 173 मिलियन टन खाद्यान्न का ही उत्पादन कर पाने में सक्षम हैं।

चीन 100 मिलियन हेक्टेयर भूमि में 3160 मिलियन टन खाद्यान्न का उत्पादन करता है जबकि भारत 140 मिलियन हेक्टेयर भूमि में केवल 173 मिलियन टन खाद्यान्न का ही उत्पादन कर पाता है इससे यह बात प्रदर्शित होती है कि हमें निश्चित रूप से आमूल परिवर्तन लाने की आवश्यकता है।

विकसित देशों, जैसे—अमेरिका अथवा यूरोपीय आर्थिक समुदाय अथवा जापान ने अपने किसानों को दी जाने वाली राजसहायता को पूर्ण रूपेण हटा लिया है। हमारे देश में, खाद्य अथवा उर्वरक अथवा सिंचाई अथवा विद्युत तथा सिंचाई पर दी जाने वाली कुल राज सहायता सब मिलाकर केवल 7 बिलियन अमेरिकी डालर की होती है; प्रति व्यक्ति यह केवल 4.4 डालर है लेकिन अमेरिका में किसानों को दी जाने वाली प्रति व्यक्ति सहायता 150 डालर है और यूरोपीय आर्थिक समुदाय में यह 240 डालर है।

यदि आप राज सहायता हटाते हैं तो इससे हमारे किसानों को बहुत बड़ी क्षति होगी न केवल किसानों को बल्कि स्वयं देश को इससे बहुत बड़ी हानि होगी क्योंकि आप कृषि उत्पादों का निर्यात कर पाने तथा अधिक

[श्री शोभनाद्रीश्वर राव]

विदेशी मुद्रा अर्जित कर पाने में सक्षम नहीं होंगे।

अंत में मैं, प्रतिभूति घोटाले पर ज्यादा विस्तार से नहीं बोलूंगा। मैं केवल इस सरकार को यह चेतावनी देना चाहूंगा कि जब एक आम आदमी, एक किसान, एक हरिजन किसी वाणिज्यिक बैंक में ऋण प्राप्त करने जाता है तो उन्हें ऋण नहीं दिया जाता है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा पहचान किए गए क्षेत्रों और जिन पर और बल दिया जाता है में एक क्षेत्र झींगा मछली खेती पालन है। पिछले वर्ष हमने 1400 करोड़ रुपए मूल्य के समुद्री और मत्स्य उत्पादों का निर्यात किया। हमने अपने समुद्री उत्पादों के निर्यात से विदेशी मुद्रा अर्जित की है। जब एक झींगा मछली पालने वाला किसान वाणिज्यिक बैंक के पास जाता है, तो वे 300 प्रतिशत प्रतिभूति राशि की मांग करते हैं। उसके लिए यह गारंटी दे पाना कैसे संभव हो सकता है? सरकार की ओर से इसकी मांग करना अच्छी बात नहीं है, विशेषरूप से ऐसी अवस्था में जब उन्होंने श्री हर्षद मेहता और अन्य व्यक्तियों को बिना किसी गारंटी के और किसी कागज पर हस्ताक्षर करवाए बिना के करोड़ों रुपए दिए हैं।

मैं यह महसूस करता हूं कि यह सरकार त्यागपत्र देने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। अपने साथी द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय: श्री चित्त बसु।

[हिन्दी]

डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर): सभापति जी, बीजेपी की तरफ से हमारे साथी श्री जसवन्त सिंह जी बोले हैं। दूसरी पार्टियों से लोग बोल रहे हैं। बीजेपी को और समय नहीं दिया है। इस प्रकार जनता दल और सीपीएम की तरफ से भी दो दो सदस्य बोल चुके हैं। मेरा आग्रह है हमें भी ओर टाईम दीजिये। हमारा समय भी शेष है। श्री जसवंत सिंह जी भी प्रस्तावक हैं। और सदस्य भी बोलने की अपेक्षा रखते हैं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब मैं छोटे दलों को समय देने जा रहा हूं जिनका केवल एक ही सदस्य है। मैं आपको भी बोलने के लिए समय दूंगा। पहले छोटे दलों के सदस्यों के नामों को स्पष्ट कर देना ठीक रहेगा।

(व्यवधान)

श्री राम नाईक (उत्तरी मुम्बई): हम भी गए थे और अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया है तब भी हमारे दल का नहीं बोल पाएंगे।

सभापति महोदय: पहले मैं इन दो नामों को पुकारूंगा। मैं आपको भी बोलने का अवसर दूंगा।

श्री चित्त बसु (सेरामपुर): मैं मंत्री परिषद् में विश्वास की कमी, विश्वास की आवश्यकता को व्यक्त करते हुए प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा होता हूं।

मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा और उन कारणों को स्पष्ट करते हुए कि मैं अविश्वास प्रस्ताव का किस लिए समर्थन करता हूं, केवल कुछ महत्वपूर्ण बातों को ही रखूंगा।

यह सरकार सभी मोर्चों—राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक मोर्चों पर वास्तव में असफल रही है। इस सरकार ने राष्ट्रीय हितों को बहुराष्ट्रीय निगमों और पाश्चात्य साम्राज्यवादियों की अभिजात उपनिवेशी नीति के हाथों बेचना आरंभ कर दिया है और यह सब कार्य अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कहने पर उसी के दबाव और इशारे पर किया गया है।

महोदय यह सरकार देश की प्रभुसत्ता की सुरक्षा करने और उसे सुरक्षित रखने में अर्थात आर्थिक प्रभुसत्ता और देश की राजनीतिक प्रभुसत्ता की सुरक्षा करने में भी पूर्ण रूप से असफल हो रही है। यह सरकार कानून शासन बनाए रखने में असफल रही है। यह सरकार आर्थिक उन्माद में हुई बेतहासा वृद्धि पर काबू पाने में भी

असफल रही है जिससे सामाजिक एकता और अखण्डता तथा अंततः देश की स्वतंत्रता के मूल ढांचे को ही आघात पहुंचता है।

यह सरकार ज्वलंत समस्या से निपटने में असफल रही है जिससे हमारे देश की आम जनता के हित जुड़े हुए हैं। यह सरकार राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत हमारे देश की धर्म निरपेक्षता और शांति पर आधारित विदेश नीति को जारी रख पाने और साम्राज्यवाद और अभिजात उपनिवेशवाद के विरुद्ध सुदृढ़ स्थिति बना पाने में असफल रही है।

ये सभी सिद्धान्त हैं। मुझे देश के प्रधानमंत्री के विरुद्ध मंत्री परिषद के किसी भी सदस्य की तो बात ही नहीं है कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं है। मेरी पार्टी ने यह अविश्वास प्रस्ताव केवल सिद्धान्त के आधार पर ही पेश किया है और इसी व्यापक सिद्धान्त के आधार पर ही मैं यह कहता हूं कि इस सरकार को हट जाना चाहिए और तुरन्त हट जाना चाहिए।

महोदय जहां तक राजनीतिक मुद्दों का प्रश्न है, उनका पहले ही उल्लेख किया जा चुका है। मैं उनके साथ केवल अपनी आवाज को मिला रहा हूं। यह सरकार पंजाब समस्या को हल करने में असफल रही है जो कि एक राष्ट्रीय समस्या है और सरकार इस समस्या के साथ निपटने में बुरी तरह से असफल है। यह सरकार जम्मू और कश्मीर की समस्या का भी, जो कि एक राष्ट्रीय समस्या है, राजनीतिक समाधान निकाल पाने में भी असफल रही है और जिसके राष्ट्रीय हितों के विचार से भी राष्ट्रीय समाधान की आवश्यकता है।

यह सरकार देश की विभिन्न भागों में विशेष रूप से उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में बगावत को दबा पाने में असफल रही है।

यह सरकार मंदिर-मस्जिद विवाद का हल खोजने में बुरी तरह से असफल रही है और यह न केवल असफल ही रही है बल्कि इसने समस्या को और अधिक जटिल बना दिया है। अंतिम अवस्था में भी जब भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के निर्णय का उल्लघंन किया तब यह सरकार निर्णय लेने में बेकार, कमजोर और कुंठा से पीड़ित साबित हुई जिससे साम्प्रदायिक ताकतों को बल मिला और देश के अधिकांश अल्पसंख्यक समुदाय के दिमाग में आतंक और तनाव की स्थिति पैदा हुई।

इसलिए इस सरकार को एक क्षण भी बने रहने के नैतिक और राजनीतिक अधिकार नहीं हैं इसे जाना ही चाहिए और इसके सिवाय कोई अन्य रास्ता ही नहीं है।

जहां तक आर्थिक मोर्चे पर इसकी उपलब्धि का प्रश्न है, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहता। आपको यह पता है कि मैंने संक्षिप्त रूप में अपनी बात कही है और मैं अपने विचार संक्षिप्त में तथा स्पष्ट रूप से व्यक्त करना चाहता हूं। श्री चिदम्बरम इस सरकार से अपनी विश्वसनीयता के बारे में बाहर बड़ी चतुराई से बता रहे थे। हमारे देश की जनता के प्रति इस सरकार की क्या विश्वसनीयता है? हमारे देश में कामकाजी वर्ग का आपके प्रति विश्वास घटा है, यहां पर आपकी संख्या चाहे कितनी भी हो पर यह विश्वास घटा है आपकी विकास नीति, आपकी औद्योगिक नीति, आपकी उस नीति के कारण जो आपने इस देश तथा बाहर के एकाधिकार वादियों तथा पूंजीपतियों के स्वार्थों, इरादों तथा लाभेच्छाओं को संतुष्ट करने के लिए अपनायी गरीब किसानों, कृषि कामगारों, महिलाओं, अध्यापकों सहित सभी कामगार वर्गों का इस सरकार के प्रति विश्वास घटा है। यह हो सकता है कि पंजाब में 10% वोट तथा यहां पर बारह स्थान प्राप्त करके आपने अपनी सामर्थ्य बना ली या बढ़ा ली हो। जहां तक जम्मू तथा कश्मीर का संबंध है आप उन्हीं सिद्धान्तों को अपनाना चाहते हैं। इस प्रकार का अंकगणित...(व्यवधान) श्री मनोरंजन भक्त, आपके पास इतनी राजनीतिक बुद्धि तो है। केवल संख्या ही मायने नहीं रखती बल्कि सरकार का कार्य करने का ढंग, लोगों से सरकार का संपर्क, विचारधारा, दर्शन, जिसे सरकार अपनाती है, सरकार की स्थिरता के मूल हैं और आपकी संख्या अधिक होने के बावजूद आपमें कोई

[श्री चित्त बसु]

स्थिरता नहीं है श्री संतोष मोहन देव, संख्या नहीं नीति कार्यक्रम, ईमानदारी, सरकार की चारित्रिक निष्ठा ही उसे स्थिर अथवा अस्थिर बनाती है। उस दृष्टि से आप कोई दावा नहीं कर सकते। आपके खाते में एक बड़ा सा जीरो है। मि० बुश, मि० जौन मेजर अथवा बाहर विश्व में किसी भी अन्य व्यक्ति के समक्ष आपकी विश्वसनीयता कितनी भी क्यों न हो, हमारे इस देश में समाज के एक बड़े हिस्से में आप अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं।

महोदय, अब मैं आर्थिक स्थिति की बात करूंगा। महोदय, मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा मैं आर्थिक कार्यनिष्पादन की प्रगति के बारे में पढ़ूंगा। मैं वित्त मंत्रालय द्वारा ही तैयार मासिक आर्थिक रिपोर्ट (जून) पढ़ूंगा इसमें लिखा है:

> "कम मानसून, पूर्व वर्षा, खाद्यान्न भंडार में कमी, अधिप्रापण तथा लदान, स्थिर औद्योगिक उत्पादन, आधारभूत ढांचे तथा निवेश में मिश्रित प्रवृत्ति, धन आपूर्ति में अधिक वृद्धि, मुद्रास्फीति का जारी रहना और डालर की दृष्टि से निर्यात में कमी।"

महोदय एक अन्य रिपोर्ट है जो प्रेस के एक अन्य अनुभाग में आज ही प्रकाशित हुई है जोकि भारतीय अर्थव्यवस्था के निगरानी केंद्र (सेंटर आफ मानिटरिंग इण्डियन इकानामी) द्वारा किया गया एक अध्ययन है। इसमे लिखा है:

> " सर्वेक्षण से पता चला है कि वर्ष के दौरान मूल्य निर्बाध रूप से बढ़े हैं इसके साथ ही औद्योगिक तथा कृषिगत क्षेत्र में वास्तविक कुल घरेलू उत्पाद डालर की दृष्टि से व्यापार तथा पूंजी निर्माण की दर में कमी भी आयी है...."

यह उस आर्थिक स्थिति का विश्लेषण है जो आज विद्यमान है और वह भी आपके तथाकथित आर्थिक सुधार के बाद जो एक आर्थिक सुधार एक ऐसी औद्योगिक नीति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है जिसे इस सरकार ने नहीं बल्कि विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अधिकारियों ने बनायी थी।

सबसे बड़ी बात तो यह है कि उद्योग मंत्री श्री थुंगन, कोयला मंत्री तथा प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि कामगारों की छंटनी का कोई सवाल ही नहीं है और सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को निजी क्षेत्र में परिवर्तित करने का कोई प्रश्न नहीं है। महोदय, कल अथवा परसों श्री थुंगन ने कहा था कि सरकारी उपक्रमों के लगभग 4.5 लाख कर्मचारी फालतू पाये गये हैं जबकि सरकारी उपक्रमों में कुल 23 लाख कर्मचारी हैं। अर्थात् चार में से एक कर्मचारी (व्यवधान) महोदय, क्या उनके हिसाब से आपकी सरकार विश्वास के काबिल है? क्या उन कर्मचारियों के परिवारों का आपकी सरकार में विश्वास है इसके अलावा, रुग्ण उद्योगों की सूची में 13 और सरकारी उपक्रमों को जोड़ दिया गया है। आपने पहले ही बी आई एफ आर को बहुत से उद्योग दिए हुए हैं। वे सब निश्चित रूप से बंद कर दिए जायेंगे।

महोदय, यह सरकार सदैव गरीबों के लिए होती है और नकली आंसू बहाती है। कृपया जवाहर रोजगार योजना के बारे में योजना आयोग की रिपोर्ट पढ़ें।

जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989-90 और 1990-91 के दौरान केवल 11.44 और 15.68 दिनों की औसत संख्या में एक व्यक्ति को काम दे सकी है। इस प्रकार पूरे वर्ष में आप एक कृषि कामगार को 11, 12 अथवा अधिक से अधिक 15 दिन के लिए काम दे सके हैं मेरा आपसे कोई झगड़ा नहीं है जरा उस ओर देखिए कि गावों में आजकल क्या हो रहा है। कृषि में लगे कामगारों को पूरे वर्ष में केवल 11, 12 अथवा 15 दिनों के लिए काम मिला।

नवीनतम गणना के अनुसार जैसा कि हाल ही में संसद में बताया गया कि हमारी 23.76 जनता जोकि हमारी जनसंख्या की लगभग 30 प्रतिशत है, अभी भी गरीबी रेखा से नीचे है। यह नोट किया जाना चाहिए कि

सरकार ने 1989 में केवल दो वर्ष पहले यह दावा किया था कि वर्ष 1984-85 से 1989-90 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन कर रहे लोगों की प्रतिशतता 36.9 प्रतिशत से घटकर 25.6 प्रतिशत पर आ गई है। दो वर्षों के बाद हमने पाया कि यह 25 प्रतिशत नहीं 30 प्रतिशत है। यह आशा की जाती है कि समय बीतने के साथ अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा से ऊपर आ जायेंगे। यहां ठीक इसके विपरीत सच हुआ है। अधिक से अधिक लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए हैं। यह विरोधाभास है।

पुनः वे अप्रवासी भारतीयों के निवेशों पर निर्भर कर रहे हैं। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। केवल 2-3 दिन पहले यह कहा गया है कि वर्ष 1992-93 के पहले दो महीनों में, अप्रवासी भारतीयों द्वारा जमा कराई गई 800 करोड़ रुपये की राशि देश से बाहर चली गई है। क्या यही आपकी उपलब्धि है।

मुझे लज्जा महसूस हो रही है कि प्रधानमंत्री राजस्थान जाते हैं और कहते हैं कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का नवीकरण किया जाएगा। इसके संबंध में सच्चाई क्या है। इस तथाकथित नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत 250 करोड़ रु० की राजसहायता 16.7 करोड़ लोगों में बांटी जायेगी और इस प्रकार प्रति व्यक्ति 14.97 रु० की राजसहायता प्राप्त होगी। क्या यह जनता की सरकार है? क्या हमारे देश के दूर-दराज क्षेत्रों के ये लोग जिन्हें खाद्यान्न के लिए केवल 15/- रु० की राजसहायता प्राप्त होती है, आपकी सरकार का समर्थन करेंगे? **(व्यवधान)** । एक कृषि कामगार को इस तथाकथित नवीकृत सार्वजनिक वितरण प्रणाली से क्या अतिरिक्त राहत मिलेगी? यह प्रति माह केवल एक कि०ग्रा० से भी कम होगी। ऐसी तो आपकी सरकार है और समाज के सबसे गरीब लोगों के लिए यह आपकी चिंता है।

महोदय, आपने दो बार घंटी बजाई है। अतः मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। इस सरकार को पांच मुद्दों के आधार पर, जो मैंने पहले बताए हैं, एक क्षण के लिए भी बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं है।

इस सरकार को शीघ्र चले जाना चाहिए और यह जितना शीघ्र जाती है, देश के लिए उतना ही अच्छा है।

मुझे याद दिलाया जाता है कि भविष्य का क्या होगा, यदि आप चले जाते हैं कौन आता है। यह मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता, यह लोगों के लिए भी मायने नहीं रखता क्योंकि यह जनता ही है जो राष्ट्र की नियति का निर्णय करेगी, न कि आप। न तो आप और न ही हम राष्ट्र की नियति का निर्णय कर सकते हैं, और न ही मैं कुछ अधिक कर सकता हूं। जनता अपने संघर्ष द्वारा इस देश की नियति और नेतृत्व के संबंध में निर्णय करेगी। संघर्ष जारी है तथा यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जायेगा। वे केनयूट (इंग्लैंड का एक राजा) बनकर नहीं रह सकते। यदि उन्हें केनयूट बनने में खुशी मिलती है तो उन्हें बने रहने दीजिए लेकिन लोगों के आक्रोप की लहरें उन्हें बहाकर ले जायेंगी।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी (गढ़वाल): महोदय, मैं सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में खड़ा हुआ हूं।

इस सरकार को सत्ता में आए हुए अब एक वर्ष से ऊपर हो गया है तथा जब आप उसके कार्यनिष्पादन का लेखा-जोखा करते हैं, तो झूठी आशाओं और टूटे हुए वायदों की निराशाजनक और धुंधली तस्वीर सामने आती है।

जब श्री नरसिंह राव जी ने 12 माह पूर्व शासन की बागडोर संभाली थी तो राष्ट्र ने साफ सुथरे और ईमानदार शासन के नए युग की ओर दृष्टिपात किया था। प्रधानमंत्री ने एक खुली, पारदर्शी और साफ-सुथरी सरकार का वचन दिया था। उन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि सभी राष्ट्रीय मामले परामर्श और सर्वसम्मति द्वारा सुलझाए जायेंगे और राष्ट्रीय हित को दल के हित से ऊपर रखा जायेगा।

राष्ट्र ने इस सब पर उच्च आशाओं के साथ विश्वास किया था। श्री नरसिंह राव जी की व्यक्तिगत पृष्ठ-भूमि, उनकी शालीनता, कार्य करने की अहंकार-विरहित शैली और उनकी स्पष्ट तौर पर उदेश्य

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी]

के प्रति ईमानदारी ने मूल्यों पर आधारित और चरित्रोन्मुखी शासन प्रणाली के एक नये युग की उज्जवल आशाओं के साथ शासन की शुरूआत की थी। हमने यह आशा एवं अपेक्षा की थी कि हमारे उस सड़े-गले निरंतर गिरावट वाले तथा लज्जाजनक शासन में जो पिछले कई वर्षों से चला आ रहा है कुछ परिवर्तन आएगा। सबसे बढ़कर यह आशा की गई थी कि कांग्रेस दल की सत्ता तोड़क वर्चस्व और भ्रष्टाचार नियंत्रित राजनीतिक स्वभाव वाली संस्कृति समाप्त होनी आरंभ हो जाएगी।

राष्ट्र उत्तेजित, आशान्वित और उच्च आशाओं से भरा हुआ था। लेकिन बड़े ही दुःख की बात है कि बहुत ऊंची आशाएं जगाने के बाद राष्ट्र को बेइज्जत किया गया है। हम पहले की तरह काम पर वापस आ गये हैं।

मैं राजनीतिज्ञ नहीं हूं किन्तु यदि मैं उन बाधाओं और विवशताओं को समझ नहीं सकता तो महसूस अवश्य करता हूं जो प्रधान मंत्री को इन सत्ता के दलालों और भ्रष्टाचार उन्मुख राजनीतिज्ञों, जो उनकी अपनी पार्टी में ही बड़ी संख्या में मौजूद हैं, से पीछा छुड़ाने में हो सकती हैं, हो सकती थीं। मुझे उनके साथ सहानुभूति है।

किन्तु सत्य यही है कि एक वर्ष के शासन के बाद, भ्रष्टाचार और अधिक फैल गया है और इससे भी बुरी बात यह है कि यह और अधिक आदरणीय बन गया है। 'राष्ट्रीय हित से बढ़कर दल हित' की प्रवृति और अधिक सुदृढ़ हो गई है और सत्ता के दलाल न केवल पूर्णतया सक्रिय हो गये हैं अपितु वे बड़े कामों में लग गये हैं।

तथापि, मेरी सबसे बड़ी चिन्ता यह है कि उन चारित्रिक-विशेषताओं और नैतिक मूल्यों जैसे कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्र का पतन हो रहा है जिन पर इस राष्ट्र को किसी समय काफी गर्व था। यह सरकार कह सकती है कि वे यह गिरावट नहीं लाये थे, मैं इससे सहमत हूं, किंतु हम आशा करते हैं कि श्री नरसिम्हा राव जी की सरकार इस गिरावट को बंद करने की शुरूआत करेगी। मुझे दुःख के साथ यह कहना पड़ रहा है कि पिछले एक वर्ष के दौरान इस सरकार ने हमारे चरित्र और मूल्यों को भ्रष्ट करने में सक्रिय रूप से उकसाया है। इस सरकार का काम निराशाजनक रहा है।

अब हम कुछ बड़े कार्यक्षेत्रों में इस सरकार के कार्य की जांच करते हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री जसवंत सिंह ने पिछले एक वर्ष के दौरान इस सरकार द्वारा की गई भारी चूकों और लूट-खसोट पर पर्याप्त और प्रभावशाली रूप से प्रकाश डाला है। मैं केवल कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को दोहराऊंगा जिन्हें मेरे विचार से दोहराने की आवश्यकता है और कुछ मुद्दों का उल्लेख करूंगा जो मुझे चिंतित करते हैं।

सबसे पहले हम आंतरिक सुरक्षा पहलू पर विचार करेंगे। मेरे विचार से आज देश में स्थिति स्वतंत्रता प्राप्ति के दौर से भी बदतर हो गई है। पूरा देश अशांत है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में कहीं भी ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां आप यह कह सकें कि मामले शांत हैं और इससे भी बदतर यह है कि यह अशांति अपनी तीव्रता और संचालन क्षेत्र दोनों में ही बढ़ रही है।

कश्मीर के संबंध में काफी कुछ कहा जा चुका है और मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि मेरे विचार में यह सरकार एक असहाय दर्शक और निष्क्रिय बन गई प्रतीत होती है। आपने थोड़ी-बहुत जो भी कार्यवाही की है, आपके द्वारा की गई कम-ज्यादा वह अनियमित कार्यवाही केवल आपके अपने दल के हितों पर आधारित है। आप सबसे पहले यह देखते हैं कि पार्टी को किस प्रकार फायदा होगा और तब वे समाधान निकालने का प्रयास करते हैं। यह काम करने का तरीका नहीं है। स्थितियां खराब हैं। पिछले अध्यक्षों ने ऐसा कहा है। मैं केवल इस बात पर पुनः जोर डाल रहा हूं कि आप कृपया इस दलहित की भावना से ऊपर उठें और राष्ट्र हित को ध्यान में रखें, तभी आप समस्या का समाधान कर पायेंगे।

पंजाब के संबंध में यह कहा गया है—किंतु इसे दोहराने की आवश्यकता है कि आप लोगों ने बड़ी बेशर्मी के साथ पिछले वर्ष जून में चुनाव स्थगित करा दिये थे। इसके पीछे कोई कारण नहीं था। वर्तमान सरकार, वर्तमान प्रधान मंत्री उस दिन कार्यालय में नहीं थे किंतु वे वास्तव में वहां थे—और इस प्रकार यह आपके शासन से पूर्व आपका राष्ट्र को उपहार था। राष्ट्र और हम—मेरे जैसी जनता—इसे इस आशा के साथ अपधगमन के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक थे कि प्रधान मंत्री स्थान ग्रहण करेंगे और एक नया अध्याय आरंभ करेंगे तथा इस प्रकार की प्रवृत्ति को समाप्त करेंगे। किंतु हमें पुनः निराशा हुई। तथाकथित नकली चुनाव कराये गये। कुछ लोगों का कहना है कि यह अच्छा है कि हमारे साथ पंजाब से कुछ चुने हुये लोग भी हैं। आपने लोक सभा में कुछ और सीटें प्राप्त की हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्राप्त किया है किंतु राष्ट्र ने खोया है। कृपया इसे ध्यान में रखें और इसे समझें।

जहां तक अन्य क्षेत्रों का संबंध है तमिलनाडु में लिट्टे का भूत अभी भी हम पर छाया हुआ है। मैं सेना में हूं और मैं यह जानता हूं कि कितने हजार लोगों को अपंग बनाया गया था और मारे गये, आज तक कितनी विधवायें उस मिशन पर हमारी सेना के प्रति वचनबद्ध होने के प्रति हमारे लापरवाह असावधानीपूर्ण और उदासीन व्यवहार के कारण कष्ट उठा रही हैं जो निरर्थक था उस मिशन के लिए जिसके लिए हम तैयार नहीं थे। और आज इसी प्रकार की घटनायें देश के दूसरे भागों में भी हो रही हैं।

असम के संबंध में, लोग कह रहे हैं श्री संतोष मोहन देव ने कहा है कि स्थितियों में सुधार आ रहा है। मैं आशा करता हूं और चाहता हूं कि स्थितियों में सुधार आये। किंतु यदि हमें इसी प्रकार सभी जगहों पर सेना का प्रयोग जारी रखना होगा तो यह देश के लिए दुखद दिन है।

मुझे दो बड़ी चिंतायें हैं। आंतरिक समस्याओं के समाधान के तौर-तरीकों में किसी प्रकार की विकृति आई है जिसके परिणामस्वरूप दो मूल समस्यायें उत्पन्न हुई हैं। पहली यह कि जब हमें कोई समस्या होती है तो सबसे पहले हम यही देखते हैं कि मेरी पार्टी को किस प्रकार लाभ हो सकता है। सबसे बड़ी दोषी कांग्रेस पार्टी रही है क्योंकि आप इस देश पर सबसे अधिक समय चालीस वर्षों से शासन कर रहे हैं। आप इस देश में इस प्रकार की संस्कृति लाये हैं। आप सबसे पहले यह देखते हैं कि आपकी पार्टी को किस प्रकार लाभ होगा। आप यह नहीं देखते कि उससे राष्ट्र कैसे लाभान्वित होगा। और तब आप समाधान खोजना आरंभ करते हैं। आप इस प्रकार कैसे समाधान खोज सकते हैं?

दूसरी समस्या भी इतनी ही बदतर है। आप उस समय समस्या से निपटते नहीं हैं उस पर ध्यान नहीं देते हैं जब वह प्रारंभिक अवस्था में होती है। आप एक भी शर्त छोड़ना नहीं चाहते। धीरे-धीरे आप समाधान खोजने में तब तक विलंब करते रहते हैं जब तक कि समस्या बड़ी नहीं हो जाती और तब आपको उससे अधिक देना पड़ता है जितना प्रारंभिक अवस्थाओं में अपेक्षित था। आप केवल हिंसा की भाषा समझते हैं।

आप केवल तभी कार्यवाही करते हैं जब लोग हड़ताल करते हैं, जब लोग आपको धमकी देते हैं, जब लोग सड़कों पर जाकर कानून को अपने हाथ में लेते हैं। उसी समय आप इसका समाधान निकालने की सोचते हैं और उस समय तक आप इस बारे में चिन्ता नहीं करते हैं। यह एक बहुत ही दुखद स्थिति है।

मैं दो उदाहरण दूंगा जो मेरे क्षेत्र पर प्रभाव डालते हैं। हमारे यहां 'उत्तरांचल' की समस्या है। यह एक चिरमालिक भाग है, लोग अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से इसकी मांग करते रहे हैं और इसके लिए कानूनी और प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है। राज्य सरकार को इसके लिए सिफारिश करने की आवश्यकता है और राज्य सरकार ने पिछले वर्ष 17 नवम्बर को केन्द्रीय सरकार को अपनी सिफारिश भेजी थी इस पर केन्द्रीय सरकार ने हिचकिचाहट की, प्रश्न पूछे, स्पष्टीकरण और औचित्य की मांग की। इस वर्ष 5 मार्च को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक और यहां तक की सीमा सुरक्षा जैसे मुद्दों के संबंध में सभी वैध कारण बताते हुए एक विस्तृत औचित्य पत्र भेजा गया है। परन्तु यह सरकार क्या कर रही है? यह कोई कार्यवाही नहीं कर रही है। मैंने

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी]

इस संसद में तीन बार प्रश्न पूछे हैं। प्रत्येक बार मुझे क्या उत्तर प्राप्त होता है? उत्तर है 'इसकी जांच की जा रही है।' जांच के लिए आठ महीने बीत गये हैं आप इसकी जांच नहीं कर रहे हैं, आप केवल हमारे हिंसक होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि हम हिंसक हो जाएं?

महोदय, मैं 38 साल से सेना में हूं और अनुशासन की भावना के कारण मैं लोगों से कहता रहा हूं कि कृपया कुछ और धैर्य रखिए। अनुशासनहीन मत बनिये। परन्तु यह कितने लम्बे समय तक चल सकता है? आप लोग यह महसूस क्यों नहीं करते कि इस प्रकार समस्याओं का समाधान नहीं निकल सकता? आप मुझे कहते हैं कि जांच की जा रही है। हर समय यही एक उत्तर दिया जाता है। तीन दिन पहले मुझे उत्तर प्राप्त हुआ है जिसमे कहा गया है कि मामले की जांच की जा रही है। उसके बाद आठ महीने बीत गए हैं। महोदय, आपकी सरकार को निष्क्रियता की छानबीन करने की बीमारी है, इस बीमारी को आप और आगे मत बढ़ने दीजिए। यह निष्क्रियता तभी दूर होती है जब हिंसा होती है। आप चाहते हैं कि हम हिंसक बन जायें? क्या इसी प्रकार समस्याओं का समाधान किया जाता है? क्या इस देश में पर्याप्त हिंसा नहीं हो रही है? क्या देश में कम अशान्ति है? आप समस्याओं को और क्यों बढ़ाना चाहते हैं? आप कोई वक्तव्य भी नहीं दे रहे हैं। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि आप संबंधित व्यक्तियों की बैठक क्यों नहीं करते हैं? तो मुझे उत्तर मिला कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यदि झारखंड के लोग हड़ताल करके आवागमन रोक देते हैं तो आप उनकी बैठक बुलाते हैं। यदि राज्य सरकार कोई प्रस्ताव नहीं भेजती है तो आप उन्हें बैठक के लिए बुलाते हैं क्योंकि आपको उनकी हिंसा का भय है। क्या समस्या के समाधान का यही तरीका होता है? क्या आप इसी प्रकार इस देश को समृद्ध बनाना चाहते हैं। क्या पिछले एक वर्ष से जो उत्पादन हुआ है आप उसी से समृद्धि लाना चाहते हैं? क्या विचार-विमर्श और सर्वसम्मति से समस्याओं का समाधान करने का यही तरीका है? यह निराशाजनक है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

7.42 मध्य०

[अनुवाद]

'निष्क्रियता का विश्लेषण' करने की आपकी बीमारी का एक दूसरा उदाहरण टिहरी बांध है। आप अभी मांगों और विभिन्न प्रस्तावों के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रहे हैं। परन्तु मामले को बीच में ही घसीटा जा रहा है। कुछ भूख हड़तालें होती हैं, कभी-कभी कोई हड़ताल कर रहा है तो उस समय आप अपनी प्रतिक्रिया भर ही व्यक्त करते हैं। दो परस्पर विरोधी दल एक-दूसरे का विरोध करते हैं तो आप सज्जन बन कर देखते हैं और आनन्द उठाते हैं। महोदय, टिहरी बांध के संबंध में जो मांग की गई है वह एक तकनीकी आवश्यकता है—बांध अत्यधिक ऊंचा है, नदी योजना को पूरा करने के लिए इसकी ऊंचाई कम की जाए और तत्पश्चात् इसका निर्माण किया जाए। इसके निर्माण की लागत दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है परन्तु कोई भी इसमें दिलचस्पी नहीं लेता। क्या राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान करने का यही तरीका है? महोदय, इसे मैं आपके समक्ष रखता हूं। और पिछले एक वर्ष में आपने हमें यही दिया है।

महोदय, इसके बाद मैं बाहरी खतरों पर चर्चा करूंगा। हमारी बहुत ही लम्बी सीमा है। यह ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों, पर्वतीय क्षेत्रों, मैदानों, रेगिस्तानी क्षेत्र में फैली हुई है और यह बहुत ही दुर्गम सीमा है। परन्तु हमारे पास हमारी सीमाओं की रक्षा करने के लिए बहुत ही सक्षम सशस्त्र सेना है। परन्तु केवल सेना ही बाहरी खतरों का सामना नहीं कर सकती। आपके पास विदेश मंत्रालय है, जो राजनैतिक कार्यवाही और अन्य विभिन्न कार्य कर सकता है। मैं विदेशी मामलों के बारे में अधिक नहीं कहना चाहूंगा क्योंकि सदस्य इसके संबंध में कह चुके हैं, परन्तु मैं आपको केवल यह याद दिलाना चाहता हूं कि हमारे मंत्री जी बोफोर्स मामले में अधिक चिंतित रहते थे। परन्तु इस समय हमारे पास ऐसा कोई भी मंत्री नहीं है।

महोदय, इसके अलावा हमारे यहां राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद है। हमने उसके बारे में कुछ भी नहीं सुना है, हमें इसके कार्यों के बारे में जानकारी नहीं है। दूसरे दिन यहां पर दो बहुत ही गंभीर प्रश्न उठाए गए थे। एक प्रश्न पूर्वी क्षेत्र में म्यांमार की सेना द्वारा अनधिकृत घुसपैठ करने के बारे में था और दूसरा प्रश्न राजस्थान क्षेत्र में पाकिस्तान द्वारा हमारे देश के लोगों की हत्या करने के बारे में था। यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद अब कहां है? यह अपना कार्य क्यों नहीं करती है? उसका कोई उत्तर नहीं मिला। हम प्रश्न पूछते हैं परन्तु इस सरकार ने हमें पिछले एक वर्ष से यह नहीं बताया कि यह राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद क्या कार्य करती है। इस प्रकार हम अपने राष्ट्र की सुरक्षा कर रहे हैं।

अब कुछ रक्षा मंत्रालय के बारे में श्री इन्द्रजीत गुप्त से यह सुनकर मुझे प्रसननता हुई कि इस वर्ष रक्षा मंत्रालय की अनुदान मांगों को बिना चर्चा किए ही स्वीकार किया गया था। यह अच्छा नहीं है कि रक्षा मंत्रालय को सुरक्षा के बहाने चर्चा के लिए पर्याप्त समय न मिले। इस वर्ष इस पर बिना चर्चा के ही इन्हें स्वीकार किया गया हमारे राष्ट्रीय बजट का लगभग 13 प्रतिशत रक्षा पर खर्च किया जा रहा है जो उस धनराशि के बराबर है जो योजना निधियों के अन्तर्गत जा रही है तथा फिर भी इस सरकार की इस पर यहां चर्चा करवाने में रुचि नहीं है यदि विस्तार में नहीं तो कम से कम औपचारिक रूप से तो इस पर चर्चा की जानी चाहिए। रक्षा सेवाओं तथा रक्षा सेनाओं की ओर आप का यह दृष्टिकोण है।

जहां तक रक्षा मंत्रालय का संबंध है, वही पुराना ढीला-ढाला दृष्टिकोण है। परिवर्तन करने की कोई इच्छा नहीं है। मैं यहां केवल एक या दो मुद्दों का उल्लेख करना चाहता हूं। इस बारे में अरूण सिंह रिपोर्ट है। इसमें रक्षा मंत्रालय की कमियों के बारे में विस्तार से बताया गया है तथा इसमें काफी सुझाव दिए गये हैं। मैं इसके बारे में विगत एक वर्ष से पूछ रहा हूं, लेकिन कोई उत्तर नहीं दिया जाता। उत्तर यह दिया जाता है कि 'हम इसकी जांच कर रहे हैं; यह विचाराधीन है।' आप की स्थिति में सुधार करने की रुचि नहीं है तथा यह सरकार हमें बता रही है कि इसमें शीघ्रता से सुधार होगा। जहां तक युद्ध सम्बन्धी तैयारी के अन्य पक्ष का संबंध है, आज सेना का दुरुपयोग इतना अधिक है कि मैं इस पर प्रकाश डालना, बल देना चाहता हूं तथा सरकार को सचेत करना चाहता हूं आप सेना का इस सीमा तक दुरुपयोग कर रहे हैं कि इसकी लड़ाई सम्बन्धी तत्परता बुरी तरह प्रभावित हो रही है तथा सबसे बुरी बात यह है कि राजनीतिक तथा प्रशासनिक स्तर पर यह नित्यकर्म बन गया है तथा हम इसके कुप्रभावों के प्रति असंवेदनशील हो गये हैं। आज जब भी गड़बड़ी होती है, तो हमारी सेना को उसी तरह से बुलाने की आदत हो गई है जैसे हम एक टैक्सी को बुलाते हैं। कोई भी इसके कुप्रभावों की चिन्ता नहीं करता। मैं इस सरकार को अत्यधिक सावधान होने के लिए सचेत करता हूं।

महोदय, रक्षा के बारे में अगला मामला समान रैंक-समान पैंशन के सम्बन्ध में सरकार द्वारा पूरा न किये गये वायदे के बारे में है। 'एक मुश्त वृद्धि' नामक दस्तावेज है। यह बड़ी शर्म की बात है कि कई योग्य व्यक्तियों को छोड़ दिया गया है। मैं समय की कमी के कारण आपको केवल एक उदाहरण दूंगा। यदि एक सिपाही ने सेना में 25 वर्षों तक कार्य किया है और यदि उसने सेवानिवृत्त होने के पश्चात तीन या चार महीने कार्य किया है तो उसे इस 'एक मुश्त वृद्धि' से वंचित कर दिया जाता है। मैं सरकार से इसकी जांच करने के लिये अनुरोध करूंगा। एक समाचार पत्र की रिपोर्ट में यह कहा गया है कि आप नौकरशाहों की एक समिति नियुक्त कर रहे हैं। कृपया हमें इस नौकरशाही के खेल से मूर्ख न बनायें। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो एक ऐसी समिति बनाएं जिसमें सिपाही और उनके संगठन और कई संसदविज्ञ भी शामिल हो। नौकरशाहों की समिति द्वारा मात्र जांच करने से कुछ नहीं होगा।

रक्षा का दूसरा पहलू जवाबदेही और उत्तरदायित्व की भावना है। यह केवल रक्षा मंत्रालय में ही नहीं है। नौकरशाहों के पास सभी प्राधिकार हैं लेकिन उनकी कोई, जवाबदेही नहीं है और तीनों सेना अध्यक्षों की सारी की सारी जवाबदेही है लेकिन उनके पास कोई अधिकार नहीं हैं। वित्तीय अधिकार के सम्बन्ध में रक्षा मंत्रालय

[मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी]

में एक डेस्क अधिकारी के पास सेवा अध्यक्ष से अधिक शक्तियां हैं। क्या आप इसी तरह राष्ट्र की सुरक्षा करेंगे? क्या आप इसी तरह रक्षा दलों को प्रोत्साहन देंगे और उनकी सहायता करेंगे? मैं इस सरकार से इसकी जांच करने का अनुरोध करता हूं।

महोदय, सार्वजनिक वितरण प्रणाली और इसमें किये गये सुधार के बारे में कृषि मंत्री ने कुछ उल्लेख किया था। मैं उस प्रश्न पर चर्चा नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं कृषि मंत्री की बात को सही करना चाहता हूं। उन्होंने यह बताया था कि प्रधान मंत्री जी द्वारा पता लगाए गए 1700 खण्डों में लगभग 20 किलो गेहूं दिया जा रहा है। मैं सभा को यह बता दूं तथा कोई अन्य सदस्य कृषि मंत्री जी को यह सूचित कर दे कि मेरे जिले में प्रति व्यक्ति प्रतिमाह 500 ग्राम चावल मिल रहा है जबकि ये 20 कि॰ गेहूं देने की बात कर रहे हैं हमें प्रतिमाह अधिक से अधिक 2-3 किलो गेहूं दिया जा रहा है तथा मेरे निर्वाचन क्षेत्र के सभी 26 खण्डों में यही स्थिति है जिन्हें पूरे देश में 1700 खण्डों में शामिल किया गया है। मेरा क्षेत्र पहाड़ी है जहां खाद्य उत्पादन अत्यधिक कम है। यह सरकार हमें मूर्ख बना रही है। वे बता रहे हैं कि वे 20 किलोग्राम गेहूं दे रहे हैं। जब मैंने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि आवंटन राज्य सरकार करती है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार भारतीय खाद्य निगम से प्रतिमाह प्रति व्यक्ति केवल 687 ग्राम प्राप्त कर रही है। वे हमें 6-7 किलो कैसे दे सकते हैं। आप स्वयं को इस बात की शाबासी देते हैं कि आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बना लिया है और एक गरीब आदमी को पर्याप्त रूप से अनाज मिल रहा है। इस तरह की गलत जानकारी देकर पहले प्रतिमाह एक कि॰ग्रा॰ से भी कम अनाज देकर आप हमें आहत करते हैं और उसके बाद आप यह कह कर कि आपने हमें काफी बड़ी मात्रा में अनाज दिया है, कटे पर नमक छिड़कते हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कोई भी सुधार नहीं किया गया है। मेरे क्षेत्र में कुछ भी नहीं हो रहा है। आज वहां लोग इस बात से त्रस्त हैं और सुधार कार्य केवल कहने भर के लिए ही हो रहा है। इस संबंध में मैं पहले ही प्रधान मंत्री, खाद्य मंत्री और सार्वजनिक वितरण प्रणाली को देखने वाले मंत्री को लिख चुका हूं। हर कोई यही कहता है कि हम देखेंगे। लेकिन कोई कुछ भी नहीं कर रहा है।

आपने अपने सिर पर भ्रष्टाचाररूपी कोई जड़ित ताज पहन रखा है। भ्रष्टाचार के संबंध में मैं, ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि इस संबंध में पहले ही काफी कुछ कहा जा चुका है।

धर्म निरपेक्षता के बारे में पुनः कांग्रेस की ओर से काफी लम्बे-चौड़े भाषण दिए जा चुके हैं। मैं कुछ शब्द, विशेष रूप से अपने कांग्रेसी मित्रों से कहना चाहूंगा। आप हमें धर्म निरपेक्षता पर भाषण देते हैं। क्या आप कभी अपने अतीत में झांकते हैं कि आपने किस तरह का व्यवहार किया है। आप मिजोरम जाते हैं। अपने चुनाव घोषणा-पत्र में आप इसाइयों से कहते हैं कि वे आपको वोट दें और आप शिक्षा प्रणाली तथा प्रशासन इसाई धर्मानुसार शुरू कर देंगे। आप शाहबानो का मामला लीजिए। हर कोई न्यायालय के आदेश की बात कर रहा है। और आपका दल ही ऐसा है जिसने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को रद्द करने के लिए संविधान ही बदल डाला। आपके नेता अयोध्या जाते हैं और कहते हैं: हम आपको राम-राज्य देंगे। यदि आप राम-राज्य की बात करते हैं तो यह धर्म निरपेक्षता है और यदि हम राम राज्य की बात करते हैं तो यह साम्प्रदायिकता हो जाती है। आज आप की पार्टी केरल में मुस्लिम लीग के साथ गठजोड़ किए हुए है। यदि आप इसे धर्मनिरपेक्षता कहते हैं तो फिर, आप यह कहने का साहस कैसे करते हैं कि हम साम्प्रदायिक हैं। मैंने 38 वर्षों तक एक ऐसे संगठन में सेवा की है जिसकी धर्म निरपेक्षता बहुत ही विश्वसनीय है। हम यहां केवल साम्प्रदायिक लोगों का एक समूह नहीं हैं। हमारा एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है। यदि आप सही मायने में धर्म निरपेक्षता का तात्पर्य समझना चाहते हैं तो आइए और मेरे साथ चर्चा कीजिए। मेरी इच्छा है कि इस पर चर्चा हो। यद्यपि, मैं राजनीति में नया हूं फिर भी मेरी इच्छा है कि धर्म निरपेक्षता पर चर्चा हो। मैं धर्मनिरपेक्षता को लेकर किसी भी व्यक्ति को चुनौती देने तथा यह सिद्ध करने के लिए तैयार हूं कि आप हमसे ज्यादा साम्प्रदायिक हैं।

मैं उत्तर काशी में भूकम्प के शिकार हुए लोगों के बारे में उल्लेख करना चाहता हूं। यदि आप रिकार्ड देखें तो पिछले सत्र के दौरान चर्चा के लिए इस विषय को चार बार कार्य-सूची में शामिल किया गया लेकिन चारों बार आपकी पार्टी ने गड़बड़ करके चर्चा नहीं होने दी क्योंकि उसमें कई तरह के आरोप थे। आप निधियों की बात करते हैं, जिसे भूकम्प प्रभावित लोगों के लिए दिया गया है। आज भी मेरे प्रश्न के उत्तर में सरकार ने कुछ विचित्र सा कहा है। मैंने जल आपूर्ति योजना की मरम्मत के लिए कुछ धन की मांग की थी जो भूकम्प के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी तथा जिसके लिए 3½ करोड़ रुपए की आवश्यकता है। सरकार हमें बताती है कि यह धनराशि विपदा राहत कोष (कैलमिटी रिलीफ फन्ड) से खर्च की जानी है। यह कैसे पर्याप्त होगी? हम इस विषय पर चर्चा करना चाहते थे लेकिन आप इसे टाल रहे हैं। हमें और भी बहुत सारी बातें कहने की आवश्यकता है।

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): मैंने प्रभावित लोगों के लिए 'सेल' से सौ टन जी०आई० शीटें प्रदान की हैं।

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खण्डूरी: मैं आपका आभारी हूं। लेकिन कृपया मुझे यह भी विनम्रतापूर्वक बताने दीजिए कि जो हम चाहते हैं वह केवल धन और सहायता ही नहीं है बल्कि हम यह भी चाहते हैं कि आप स्थिति को समझें। हम चाहते हैं कि आप सामने आएं और अपने कार्यों की ईमानदारी को बताएं। मंत्रीगण वहां गए और उन्होंने कहा कि "हम कई हजार टन नालीदार लोहे की चादरें भेज रहे हैं।" वे हमें एक वर्ष बाद भी नहीं प्राप्त हुई हैं। कुल मिलाकर जो कुछ आपने किया वह सिर्फ यह है कि आपने प्रचार मिशन पर अपना एक संसद सदस्य भेज दिया। हम वहां काफी समय तक रहे। दूरदर्शन पर इस बारे में समाचार नहीं प्रसारित किया गया। आपका एक संसद सदस्य वहां केवल दो मिनट के लिए गया और उसे दूरदर्शन पर दो मिनट तक दिखाया गया। आपने केवल इतना ही किया है। यह वही संस्कृति है जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। यह बहुत ही दुखद है। सज्जनों, यह मैं पूर्णतया राष्ट्रीय हित की दृष्टि से कह रहा हूं, न कि पार्टी हित के लिए। कृपया इस तुच्छ प्रवृत्ति को त्याग दीजिए। आप कांग्रेस पार्टी के हैं। आप दावा करते हैं कि आपकी पार्टी स्वतंत्रता आन्दोलन से जुड़ी रही है। आप वे लोग हैं जिन्हें मिसाल कायम करनी चाहिए। आप वे लोग हैं जिन्हें नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। इस समय आप सत्ता में हैं। आपका यह कर्तव्य है कि आप राष्ट्रीय चरित्र तथा भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रणाली स्थापित करें। आप देश में प्रेम और भाईचारा स्थापित कीजिए। पहले आप अपना घर साफ कीजिए और तब हमसे बात कीजिए।

नरसिंह राव के प्रति काफी सम्मान होते हुए भी मैं महसूस करता हूं कि इस सरकार से बड़ी-बड़ी आशाओं के बावजूद पिछले एक वर्ष के दौरान यह सरकार असफल रही है। अतः, मैं इस सरकार में विश्वास के अभाव का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

श्री रवि राय (केन्द्रपारा): उपाध्यक्ष महोदय, अगले माननीय सदस्य को बुलाने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि कल मैंने म्यांमार (बर्मा) के बारे में सवाल उठाया था, आप उस समय चेयर पर थे, जैकब साहब ने वचन दिया था कि कल इस बारे में बयान देंगे, लेकिन अभी जैकब साहब उपस्थित ही नहीं हैं और न ही उस बात का कोई जिक्र किया गया है, पता नहीं भूल गए हैं या क्या हुआ है, कोई पता नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में आपके समक्ष बाकायदा हाउस को वचन दिया गया था और कहा गया था कि इस पर बयान दिया जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल था।

[अनुवाद]

श्री संतोष मोहन देव: उन्होंने कहा है कि वे जितना शीघ्र संभव होगा, एक वक्तव्य देंगे। मुझे यह याद नहीं है कि क्या उन्होंने आज ही यह वक्तव्य देने का वायदा किया है। मुझे याद नहीं है कि उन्होंने ऐसा

[श्री संतोष मोहन देव]

कोई वचन दिया था। फिर भी जब माननीय सदस्य श्री रविराय यह कह रहे हैं, तो मैं इस पर विश्वास करता हूं। मैं इस मामले की ओर गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री एम० एम० जैकब का ध्यान आकृषित करूंगा।

श्री रवि राय: ठीक है तो आकर कहना चाहिए।

श्री संतोष मोहन देव: मैं आपको बता दूंगा।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव (मछलीपटनम): माननीय उपाध्यक्ष महोदय, श्री जसवंत सिंह द्वारा रखे गए अविश्वास प्रस्ताव पर वाद-विवाद में भाग लेने के लिए मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करते हुए, सभा के समक्ष कतिपय वास्तविकताएं रखना चाहता हूं।

विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों की ओर से व्यक्त किए गए विचारों को हमने सुना है और अपने स्कूल के दिनों से मेरा यह मत था कि इस देश में ऐसी केवल दो ही पार्टियां हैं जो इस देश पर शासन करेंगी और वे हैं कांग्रेस या फिर कम्युनिस्ट पार्टियां किन्तु अब हर चीज़ बदल गई है। विपक्ष बंट गया और श्री जार्ज फर्नांडीस ने कहा है कि आज कांग्रेस, विपक्ष के असंगठित होने के कारण शासन कर रही है। यह एक वास्तविकता है। लेकिन प्रधानमंत्री जी हैं जिसमें सारे राष्ट्र को विश्वास और भरोसा है और वे देश के लोगों द्वारा व्यक्त किए गए विश्वास की पुष्टि करते हैं।

8.00 म०प०

महोदय, मुझे एक बहुत बड़ी शंका हो रही है जिसका विपक्ष को स्पष्टीकरण करना चाहिए। हमारा विपक्ष, विश्व के सभी प्रजातांत्रिक देशों में से सबसे अच्छे विपक्षों में से एक है। लेकिन एकमात्र अन्तर यह है कि अन्य देशों में विपक्ष इस प्रकार कार्य करता है जिससे सरकार अपनी शक्ति का दुरुपयोग न करे और अपनी शक्ति के बल पर जनता के धन को न लूटे अथवा देश के निर्दोष लोगों का शोषण न करे। किन्तु यहां पर विपक्ष की कार्यप्रणाली में अंतर है कि वह थोड़ा देर से कार्यवाही करता है। निस्संदेह वे अन्य देशों के विपक्ष से अच्छा कार्य भी कर रहे हैं। किन्तु यहां एकमात्र अंतर यह है कि वह तब कार्यवाही करता है जब कुछ लुट चुका होता है और सरकार द्वारा कुछ कार्य कर दिया जाता है। केवल उसके बाद ही वे लोग शोरगुल मचाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि विपक्षी दलों की कार्यवाही का देश के लोगों को कोई लाभकारी परिणाम नहीं मिलता है। पांच वर्षों से हम अयोध्या पर चर्चा कर रहे हैं; पांच वर्ष से ही हम बोफोर्स पर भी चर्चा कर रहे हैं। क्या हमें इससे कुछ मिला? यहां एक जिम्मेदार और प्रजातांत्रिक प्रधान मंत्री हैं जो 24 घंटे और 365 दिन विपक्ष से बातचीत करने और आप जो भी मुद्दा लाना चाहें, उस पर सलाह-मशविरा करने के लिए तैयार है। बैंक घोटाले के मामले पर जब इस देश के प्रधान मंत्री इस मामलों में राजनीतिज्ञों और अफसरशाही के बीच संबंधों के सभी पहलुओं पर मामले की पूर्ण जांच की चर्चा का प्रस्ताव लाते हैं, तो यह हमारा विपक्ष ही है जो चर्चा के लिए प्राथमिकता वाले मुद्दों का निर्धारण कर पाने में पूर्ण रूप से असफल रहा है। उन्होंने नाटकीय ढंग से मुद्दे को नया मोड़ दे दिया है। उन्होंने अयोध्या मुद्दे को उठा दिया जो मुद्दा है ही नहीं; उन्होंने राजस्थान में हरिजनों को परेशान किए जाने का मुद्दा उठाया है जो उस दिन और उस समय मुद्दा हो नहीं था। हम हरिजनों पर अत्याचारों के मामले पर पिछले एक वर्ष से चर्चा कर रहे हैं। पूरा विपक्ष न तो आंध्र प्रदेश और न ही कर्नाटक में दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करवाने के लिए सरकार को तैयार कर पाया है। हमने क्या पाया है? इसलिए, मैं इस क्षण, इस सरकार को सत्ताच्युत करने की बात से असहमत हूं।

महोदय, अब मैं सरकार और इसके साथ-साथ विपक्ष की कतिपय असफलताओं का उल्लेख करूंगा न केवल मैं ही, बल्कि इस देश के सभी लोग सरकार को अपनी उंगलियों पर रखने के

लिए श्री जार्ज फर्नांडीस, श्री रवि राय और श्री वाजपेयी जैसे नेताओं के आभारी हैं। किन्तु एकमात्र अंतर यह है कि जब सब कुछ लुट चुका होता है तब ही वे हरकत में आते हैं। एक प्रजातांत्रिक ढांचे में विपक्ष के क्या कार्य हैं? विपक्ष का कर्त्तव्य निगरानी करने के अतिरिक्त यह भी देखना होता है कि सरकार अथवा सत्ताधारी दल इस देश के निर्दोष लोगों का शोषण न करे और न ही उन्हें लूट पाए। यह काम उन्होंने कभी नहीं किया। यदि इस देश में कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल दोनों ने ही ठीक प्रकार से कार्य किया होता तो अफसरशाहों और राजनीतिज्ञों का 60,000 करोड़ रुपए का धन स्विटजरलैण्ड और अन्य देशों में जमा नहीं हो सकता था। विपक्ष दल के नेताओं, विपक्ष दलों की अनदेखी के कारण ही कोई भी सत्तारूढ़ दल देश के धन अथवा देश की जनता को लूट सकता है। तभी ऐसा करना संभव है।

महोदय, तुसुन्दर में, हरिजन समुदाय के 20 लोगों की निर्मम हत्या की गई थी, उन्हें बोरों में रख कर नदी में फेंक दिया गया। यहां-वहां कांग्रेस सरकार है। कई विपक्षी नेता हैं। परन्तु आज तक, प्रथम सूचना रिपोर्ट तक दायर नहीं की गई है। क्यों? विपक्षी दल वोट बैंक के उद्देश्य के लिए कमजोर वर्गों को आकर्षित करने हेतु मात्र शोरशराबा करेंगे। वे कभी भी हरिजनों अथवा अल्पसंख्यकों की ओर से संघर्ष नहीं करते। अयोध्या की चिंता किसे है? वास्तव में, इस देश के हिन्दू और मुस्लिम जिन्हें एक दिन का भोजन प्राप्त करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ रहा है, अयोध्या के बारे में चिंतित नहीं है। यह तो केवल राजनीतिक नेताओं, राजनीतिज्ञों, बुद्धिजीवियों तथा नौकरशाहों का संगठन है जो अयोध्या अथवा राम मंदिर, बाबरी मस्जिद मुद्दे में दिलचस्पी रखता है। आप कब तक बिना किसी ठोस परिणामों के इस मुद्दे को जारी रखेंगे। इस मुद्दे को हमेशा के लिए समाप्त करने की आवश्यकता है। मैं इस मामले में नहीं जाना चाहता। मैं एन०आई०सी० दल के सदस्यों में से एक था जो अयोध्या गया था। मैंने अयोध्या के लोगों के चेहरे देखें। हिन्दू और मुसलमानों दोनों में असंतोष का भाव नहीं था। वे तभी हमें देखने आए जब हेलिकॉप्टर जमीन पर उतरे। कोई भी, चाहे वह हिन्दू था अथवा मुसलमान लड़ाई करने अथवा हमारा रास्ता रोकने की मनःस्थिति से नहीं आया था। जब कुछ होता है तो क्या कांग्रेस अथवा विपक्षी दल का काम लोगों को भड़काने का है? यदि ऐसा होता है तो पूरा देश आग की लपटों में होगा। आप कृपया चुप रहें। दोनों भाई निश्चित रूप से हंसी मजाक करेंगे और कभी भी लड़ाई नहीं करेंगे। जब लगभग इस देश की 80 प्रतिशत जनसंख्या अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रही है तो वह कैसे अयोध्या मुद्दे पर एक-दूसरे के साथ लड़ सकती है? क्या आप ऐसा समझते हैं कि आंध्र प्रदेश से एक मुसलमान और पंजाब से एक हिन्दू अयोध्या जाएगा और बाबरी मस्जिद पर लड़ेगा? ऐसा भारतीय जनता पार्टी अथवा कांग्रेस अथवा अन्य दल के लोगों के कारण वे लड़ाई करते हैं। अन्यथा वे लड़ाई नहीं करते हैं। हम 20 रुपये तब तक प्राप्त नहीं कर सकते जब तक हम 24 घंटे कड़ी मेहनत नहीं करते। अब चावल 8 रुपये अथवा 9 रुपये पर उपलब्ध है। गेहूं 6 रुपये पर उपलब्ध है। मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं।

श्री जसवंत सिंह ने आर्थिक क्षेत्र, निजीकरण, कृषि क्षेत्र, खाद्य क्षेत्र, अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति के लोगों के हितों की रक्षा करने, बाबरी मस्जिद मुद्दे, पंजाब, कश्मीर और इस प्रकार के अन्य मुद्दों को लेकर सरकार को विफल करार दिया था। मैं एक बात के बारे में विश्वस्त हूं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने देश के सभी राजनैतिक, आर्थिक और सामाजिक संस्थानों का लोकतंत्रीकरण करने का पूरा अवसर दिया है और हम ही हैं जो इन संस्थानों का लोकतंत्रीकरण करने के लिए पुरजोर सहयोग नहीं दे रहे हैं। विपक्षी दलों ने कहा है कि प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष अथवा विश्व बैंक के दबाव के आगे झुक रहे हैं। दूसरे दिन उन्होंने कहा, "चाहे सोवियत संघ से इंजन आए या न आएं, चाहे अमरीका और सोवियत संघ से हमारी हैट तकनीक के लिए कोई सहयोग दिया जाता है अथवा नहीं, मैं संधि पर हस्ताक्षर करने नहीं जा रहा हूं।" क्या यह काफी नहीं है, पिछले वर्ष विश्व बैंक की सलाह के बावजूद वे उर्वरकों पर से राजसहायता हटाने के दबाव के आगे नहीं झुके। ऐसा

[श्री के०पी० रेड्डय्या यादव]

कहना सही नहीं है कि प्रधानमंत्री दबाव के आगे झुक गए हैं। जुलाई, 1991 में, जब उन्होंने प्रधानमंत्री का पद संभाला, तब क्या स्थिति थी? हमारे पास कच्चा तेल केवल एक हफ्ते के लिए था। कोई भी देश एक डॉलर देने के लिए तैयार नहीं था और वे कह रहे थे "कृपया आप पहले हमारी शेष राशि का भुगतान करें और तभी नए ऋण के लिए आएं", ये सभी नेता ट्रांसपोर्टरों की हड़ताल के भी साक्षी हैं जो कि केवल चार दिन के लिए थी। उस अवधि के दौरान पूरी अर्थव्यवस्था चरमरा गई। उस अवधि के दौरान हमारे पास भोजन नहीं था, सब्जियां नहीं थीं, परिवहन सुविधा नहीं थी। मान लीजिए, प्रधानमंत्री चुप रहते तो क्या हुआ होता? मान लीजिए, विपक्ष सत्ता में है, उन्होंने कहा होता "नहीं, हमारी प्रतिष्ठा कम होगी; हम उनके पास बात करने नहीं जाएंगे हम विश्व बैंक अथवा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में नहीं आएंगे।" ऐसे समय में, हमारी क्या स्थिति रही होती? पूरा पेट्रो-काम्पलैक्स गड़बड़ा जाता; परिवहन, उद्योग और हमारी अर्थव्यवस्था पंगु हो सकती थी, ऐसा हमारी उत्तरोत्तर सरकार, सभी दलों द्वारा की गई निरंतर भूलों और पापों के कारण था क्योंकि सभी दलों ने कभी न कभी इस देश पर शासन किया है।

हमारे माननीय प्रधानमंत्री, सभी गुनाहों को अपने सिर पर लेकर नई आर्थिक नीति और औद्योगिक नीति के रूप में ठोस प्रस्ताव साथ आए हैं। निःसंदेह, औद्योगिक नीति पर मैं सरकार के विचार से सहमत नहीं हूं। सरकारी उपक्रम, प्रबंधन की विफलता के कारण लगातार घाटा उठा रहे हैं। इस बात को मैंने दोनों, परामर्शदात्री समिति की बैठकों तथा सदन में, संबंधित लोगों की जानकारी में ला दिया है।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव: महोदय मैं एक नया सदस्य हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: आप, केवल आज तक ही नए सदस्य हो?

श्री के० पी० रेड्डय्या यादव: माननीय उपाध्यक्ष महोदय, एक बात सुनिश्चित है कि मैं लोगों के विचार उन्हीं की भाषा में रखूंगा। मैंने कई बार बताया है कि सरकारी उपक्रम इसलिए घाटे में चल रहे हैं क्योंकि वहां पर आफिस-सह-एजेंट प्रणाली; आफिसर-सह-ठेकेदार प्रणाली है। प्रबंध निदेशकों तथा कार्यकारी निदेशकों, की मंत्रियों से सांठ-गांठ रहती है और उनकी अपनी एजेंसियां रहती हैं तथा अपनी बहनों एवं पुत्रियों के नाम पर बेनामी भी होती हैं।

मजदूर संघ क्या कर रहे हैं? जब उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं कहा जाता है तब वे मजे नही करेंगे। मैंने बोट क्लब पर कई लाल झण्डे फहराते हुए देखे हैं। वहां लाल झण्डे लगाने के बजाए उन्हें मंत्रियों के घरों पर जाना चाहिए, वे प्रबंध निदेशक के घर जा सकते थे, वे राष्ट्रीय बैंक के चेयरमैन के घर जा सकते थे और तब उसका कुछ परिणाम निकल सकता था। यह हमारे मजदूर संघों तथा देश के विपक्ष की विफलता है।

महोदय, उन्हें पूरी तरह पता है कि कौन-सा प्रबंध निदेशक ऐसा कर रहा है, बैंक का कौन सा चेयरमैन बैंकिंग मामलों को चालबाजी से चला रहा है क्या आप सोचते हैं कि श्री जार्ज फर्नान्डीज, तथा श्री जसवंत सिंह को उन चेयरमैनों के नाम पते मालूम नहीं हैं जो चालबाजी से ऐसा कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। सारी धोखाधड़ी करके बाद वे सामने आना चाहते हैं ताकि उससे उन्हें राजनैतिक लाभ एवं वोट खरीदने में सहायता मिल जायेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको सारे तथ्य बता रहा हूं मेरे चुनाव क्षेत्र में इस वर्ष विश्व बैंक के 750 करोड़ रुपयों का कोष निर्धारित किया गया था तथा यह सारी योजना इंजीनियरों, ठेकेदारों, तथा राजनीतिज्ञों द्वारा उस

धन को लूटने के लिए बनाई गई थी। मैं, सब कुछ लूटे जाने के बाद विलाप नहीं कर रहा हूं। परन्तु मछलीपट्टनम चुनाव क्षेत्र से एक संसद सदस्य होने के कारण, मैंने इस मामले को आई०डी०बी०आई० में उठाया; मैंने इस मामले को मुख्य मंत्री के पास भी उठाया, उनसे लड़ा भी, और जब मैं वहां कुछ नहीं कर सका, मैं उसे माननीय अध्यक्ष महोदय की जानकारी में लाया तथा मैंने इस मामले को यहां भी उठाया।

मैं केन्द्रीय सतर्कता आयोग, सी०बी०आई० के पास गया था लूट का मामला उनके समक्ष रखा। विपक्ष के नेताओं को इस देश में इस तरह कार्य करना चाहिए तथा सभी कुछ लुटने के उपरान्त चिल्लाना नहीं चाहिए। हमारे देश के विपक्षियों की कार्यशैली में यह मूलभूत कमी है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों को स्थिरता प्रदान की। उन्होंने कभी भी किसी भी विपक्षी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश नहीं की। उदाहरण के तौर पर बिहार राज्य को ही लीजिए। वहां एक स्केन्डल उठा था, उत्तर प्रदेश में भी एक स्केन्डल उठा था। प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश गए तथा मुख्य मंत्री का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि वह उनके सभी अच्छे कार्यों का समर्थन करेंगे। श्री वी०पी० सिंह ने कुछ राज्यपालों को नियुक्त किया। क्या उन्होंने उन्हें हटाने की कोशिश की? श्री सुब्रमण्यम तथा श्री सत्यनारायण रेड्डी की नियुक्ति उन्होंने की थी। आप समझ सकते हैं कि वह कितने लोकतंत्रात्मक तरीके से कार्य कर रहे हैं। वह इस देश के राजनैतिक नक्शे को, देश प्रत्येक भाग में लोकतंत्रात्मक प्रणाली लाकर पूरी तरह बदलना चाहते हैं।

यह दुर्भाग्य की बात है कि मैंने कई स्केन्डलों की जानकारी, मंत्रियों को पत्र द्वारा दी है। परन्तु कुछ मंत्रियों को यह पता नहीं है कि मैं क्या लिखता हूं। मैं जो लिखता हूं वे समझ नहीं सकते हैं। वे, उनके सचिव क्या रख रहे हैं, उसको भी पढ़ नहीं सकते हैं तथा समझ सकते हैं। ऐसे तो हमारे मंत्री हैं। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता। ऊर्जा क्षेत्र किसके अधीन है? उर्वरक तथा रसायन किसके अधीन है?

कल सुबह मुझे मत्स्य पालन विभाग से एक प्रश्न मिला था। इस वर्ष 21 टन झींगों का निर्यात कर हमने 1375 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा अर्जित की। आठवीं पंचवर्षीय योजना में 50 लाख टन झींगों तथा मछलियों के निर्यात को निर्धारित किया गया है। इससे हमें हर वर्ष 20,000 करोड़ रुपयों की विदेशी मुद्रा प्राप्त होगी। परन्तु कृषि मंत्रालय क्या कर रहा है? पिछले 1 मई को विश्व बैंक ने झींगा पालन हेतु 330 करोड़ रुपये दिये थे। आज तक उन्हें यह पता नहीं है कि इन पैसों का क्या करना है। उन्हें यह पता नहीं है कि क्या योजना बनानी है। उन्हें आज तक यह ध्यान नहीं है कि उन्हें किन परियोजनाओं को स्वीकृति देनी है। हम कुछ वैज्ञानिकों को देख रहे हैं जो झींगों तथा झींगा मछली के पालन को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, परन्तु उनके पास आधारभूत सुविधाएं नहीं हैं।

परन्तु ये मंत्री, जो कुछ नौकरशाह कहते हैं उसे हां कर देते हैं। 50 प्रतिशत मंत्रियों को यह पता नहीं है कि उन्हें अपने नौकरशाहों को क्या प्रश्न पूछने हैं।

[हिन्दी]

"रिहन्द के एक हिस्से पर जाकर तीन दिन बैठते हैं लेकिन ये क्या करते हैं?"

[अनुवाद]

एन०टी०पी०सी० बड़ी ही अच्छी तरह कार्य कर रही थी विश्व बैंक ने भी उनके कार्यकरण दक्षता तथा लाभ अर्जित करने की क्षमता की प्रशंसा की है। परन्तु इन महानुभाव ने केवल कुछ चेयरमैनों, तथा कार्यकारी निदेशकों को इसमें जगह देने हेतु इसे तीन भागों में बांट दिया। क्या हम इन लोगों के लिए जवाब देह नहीं है? क्या हम इस पर शर्मिंदा नहीं है? जब कोई संस्था शत-प्रतिशत अच्छा काम कर रही है और लाभ कमा रही है तो आप उसे तीन भागों में बांटना चाहते हैं। अब आप जाकर देख सकते हैं कि कर्मचारियों, इंजीनियरों और अन्य लोगों में असन्तोष व्याप्त है (व्यवधान) महोदय हमें वक्तव्यों के गुणों और अवगुणों पर ध्यान नहीं देना चाहिए? इनसे कोई भी समाधान नहीं निकलेगा। अयोध्या और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मुद्दों पर दिये गए वक्तव्यों में समाधान नहीं निकलेगा। आप चीजों का स्वदेशीकरण नहीं करना चाहते हैं। आप

[श्री के०पी० रेड्डय्या यादव]

कश्मीर को भारत में विलय करना नहीं चाहते और फिर भी आप कहते हैं कि कश्मीर जल रहा है। आप पंजाब में चुनाव नहीं कराना चाहते। आप इसमें भाग नहीं लेना चाहते और आप कहते हैं कि किसी ने उसमें भाग नहीं लिया और केवल 5 प्रतिशत वोटों की प्राप्ति पर वह चुने गए हैं। आपने घोषणा की कि आप पूरी तरह तैयार हैं और अब यहां हमारे लोकतंत्रवादी प्रधानमंत्री वहां चुनाव करवाएंगे।

मैं एक किसान हूं और जनवरी में 210 रुपये के लिए मैंने 75 किलो धान बेचा। तीन माह पश्चात् मुझे वहीं 75 किलो धान 300 रुपये में खरीदना पड़ा। इस प्रकार की चोजों को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार का तन्त्र हमारे पास है? तीन माह की अवधि में, हमारी राजनीतिक प्रणाली और नौकरशाही पद्धति से पनपे बिचोलिये 100 रु० का लाभ कमा रहे हैं और बेचारा किसान, जो धान पैदा करता है, को केवल 20 रुपये अथवा 40 रुपये ही प्राप्त हो रहे हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यह है। आप अधिक माल गोदाम सुविधाएं सुलभ कर सकते हैं आप चावल अथवा गेहूं अथवा किसान की दिसम्बर-जनवरी के महीने की कोई भी उपज वहां रख सकते हैं। किसान की अत्यावश्यक जरूरतों के समय आप चावल अथवा अनाज ले सकते हैं और उस पर 80 प्रतिशत ऋण दे सकते हैं, कृपा करके आप इसे बिचौलिये को न दें, न ही इसे मिलमालिक को दें, न ही इसे जमाखोरों को दें।

महोदय, में अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं। अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने से पूर्व मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे इस पर बोलने का मौका दिया। हमें अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने और राष्ट्रों के बीच हमारे झण्डे की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये श्री पी०वी० नरसिंह राव सरकार का समर्थन करना चाहिए। वह ऐसा करने के लिए कटिबद्ध हैं चाहे हम उन्हें समर्थन दें अथवा न दें। लेकिन लोगों के समर्थन से वह यह कार्य करने के लिए दृढ़संकल्प हैं, धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री भोगेन्द्र झा (मधुबनी): उपाध्यक्ष जी, जो बातें की गई हैं मैं उनका जिक्र नहीं करूंगा। कुछ बातें जो छूट गई हैं, उनका ज़िक्र मैं करूंगा।

उपाध्यक्ष जी, यह सरकार बने एक वर्ष बीता है। हमारे देश की आबादी का 70 प्रतिशत देहातों में है। भूमि-सुधार का काम, हदबंदी से फ़ाज़िल ज़मीन 2 करोड़ एकड़ के करीब है सरकारी आंकड़ों के मुताबिक। सरकारी बंजर ज़मीन करीब 12 करोड़ एकड़ है। जंगल के इलाके में बिना वृक्ष वाली ज़मीन करीब 10 एकड़ है। 6 लाख एकड़ ज़मीन भूदान की है। ता लगभग साढ़े चौबीस करोड़ एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसको बेज़मीनों में, कम ज़मीन वालों में बांटकर देश का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है।

उपाध्यक्ष जी, सामाजिक न्याय के लिये भी यह आवश्यक है। नौकरी मिलेगी या नहीं यह तो अलग बात है मगर इस ज़मीन के वितरण से जो बेज़मीन हैं और जो नाममात्र की ज़मीन वाले हैं, उनको ज़मीन मिलेगी। आज किसी को उद्योगों के लिये जो कच्चा माल चाहिये वह उत्पादन बढ़ने से हमारे कारखानों के लिये मिलेगा और जो कारखाने हमारा माल तैयार करेंगे, अगर गांवों के गरीबों में क्रय-शक्ति न होगी तो वह माल बिक नहीं पाएगा। किसानों दुकानों में माल तो देखेंगे, मगर उनकी खरीदने की सामर्थ्य नहीं होगी, खरीद नहीं पायेंगे। अभी अमेरिका और अन्य औद्योगिक सात देशों की बैठक हुई थी। वे मुद्रास्फिति और मंदी दोनों का हमारे देश में निर्यात करना चाह रहे हैं। आज जो वित्तीय नीति सरकार ने अपनाई है, उसके जरिये वे दोनों चीजें एक साथ आयेंगी-महंगाई भी बढ़ेगी और जो दुनियाभर के इजारेदारों की नीति है कि पैदावार घटाओं और कीमतें बढ़ाकर मुनाफा बढ़ाओं-तो कीमतें भी बढ़ेंगी, जिससे महंगाई भी बढ़ेगी, उत्पादन घटेगा क्योंकि क्रयशक्ति लोगों की कम है।

भारत के अंदर अपने औद्योगिक विकास के लिये, औद्योगिक नीति चाहे जो भी रखी जाये, लोगों में क्रय शक्ति का होना आवश्यक है लेकिन भूमि वितरण के सवाल पर, भूमि सुधार को पूरा करने के लिये भारत

सरकार एक साल से चुप रही है। कई बार हमने प्रश्न उठाये लेकिन सरकार चुप रही। कृषि मंत्री के दिमाग में यह मामला धंसता ही नहीं है। आप इसके विरोधी हैं, ऐसा मैं नहीं कहूंगा, समर्थक तो नहीं हैं, मगर यह बात आपके दिमाग में धंसती नहीं है और सरकार इस पर चुप है। कई इलाकों में हिंसात्मक उपद्रव हो रही हैं, सामाजिक अत्याचार हो रहे हैं। जिनके पास भूमि भी ज्यादा है, वे आर्थिक शोषण भी करते हैं, सामाजिक उत्पीड़न भी करते हैं और जहां शांतिपूर्ण संघर्ष चलाने की हालत में हम नहीं हैं, वहां अशांतिपूर्ण, हिंसात्मक खूनखराबा चल रहा है। अतः मैं इस बात पर सरकार की विफलता के लिये, जहां 100 फीसदी विफलता इस सरकार की है, यदि ऐसी सरकार के प्रति सदन में अविश्वास जाहिर करने का प्रस्ताव आता है, भूमि सुधार के मामले में ..... **(व्यवधान)**....

8.27 म०प०

[श्री पीटर जी० मरबनिआंग पीठासीन हुये।]

मैं नये सभापति महोदय का स्वागत करता हूं।

इसलिये सभापति जी भूमि सुधार के मामले पर, जो जोतने वाले हैं, उनको अधिकार देने के सवाल पर, ऐसे सवालों पर 1985 ई० में, 1986 ई० में और 1987 ई० में देशभर के भू-राजस्व मंत्रियों की एक बैठक हुई थी। उसमें एकमत से कुछ सुझाव दिये गये थे। फिर वही बैठक 1990 ई० में भी हुई लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि वह सरकार जो हमारे द्वारा समर्थित थी, उसने कुछ और उल्टा-पुल्टा कर दिया, कुछ बड़े भूस्वामियों के पक्ष में। अभी इस साल फिर राज्यों के राजस्व मंत्रियों की बैठक हुई थी परन्तु उसके सुझावों को अभी तक अमल में नहीं लाया गया है।

अतः मैं कहना चाहता हूं कि इस मामले में हम चुप न रहें। देश के बेजमीन लोग चुप नहीं रहेंगे। सरकार यदि कानून लागू नहीं कर सकेगी तो जो जमीन चुराए हुये अमीर लोग हैं, उनके कब्जे से, हदबंदी से काज़िल या भूदान की जो जमीन है, या जो सरकारी जमीन जंगलों के अंदर, बिना जंगल की जमीन है, नाजायज रूप से हमारे जंगल के अधिकारी जिसमें विघ्न पैदा करते हैं, मैं आज इस सदन में, आपके जरिये, देश के गरीबों की ओर से कहना चाहता हूं कि यदि सरकार कानून को लागू नहीं करेगी तो किसान लागू करेंगे। चोरी से कब्जा की गयी जमीन पर वे फिर से कब्जा करेंगे, जमीन वितरण भी करेंगे। अतः जो कानून हमारे देश में बना है, उसे हम अमल में लायें, उसको हम लागू करें। जब इस मामले में यह सरकार विफल रही है, इस नाते सरकार में जो अविश्वास जाहिर करने का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन कर रहा हूं।

सभापति जी, एक मामला जो ग्रामीण विकास के लिये है, हमारे वित्त मंत्री ने सही कहा कि बैंकों के पास लगभग दिवालियेपन की हालत है, ग्रामीण बैंकों के क्षेत्र में, जो व्यवस्था हम उनके जरिये करना चाहते हैं वह हो नहीं रही है, अब किस की गलती के चलते हुई हो, उसमें मैं नहीं जाऊंगा, हालांकि यह विचार मैंने उस समय भी रखा था, मगर जो स्थिति है, क्या इंतजाम आप करने जा रहे हैं, नौकरी आप सभी को दे नहीं सकेंगे, वस्तुओं के उत्पादन के लिये, स्वनियोजित उत्पादक कार्यों के लिये, गांव की औरतों और मर्दों को, घरेलू उद्योग के लिये, अति-लघु उद्योग के लिये, आप धन और साधन नहीं देंगे तो इस देश में वस्तुओं का उत्पादन नहीं बढ़ेगा। बेकारी का सवाल हल नहीं होगा, खुशहाली बढ़ने का सवाल नहीं होगा।

वित्त मंत्री ने संकट तो बता दिया कि संकट है, वसूली बैंकों के जरिये नहीं हो रही है। मगर समाधान तो आपको निकालना है। नहीं तो आप कह दीजिये कि पहले की सरकारों ने इतनी गड़बड़ कर दी कि हम सरकार नहीं चला सकते हैं, हम इस्तीफा दे दें या इलाज निकालें। मैं जानता हूं कि बहुत से बैंकों में 10 फीसदी वसूली नहीं हो रही है, 12 फीसदी वसूली नहीं हो रही है। बहुत से नेता हम लोग ऐसे हैं, जो जाकर कह देते हैं कि अगले चुनाव में और भी माफ कर देंगे। ये गैर-जिम्मेदारी की बातें हैं। वित्त मंत्री ने, प्रधान मंत्री ने इन सवालों के ऊपर सभी के बीच में कोई सामंजस्य बैठाने की कोशिश नहीं की। मैं इसलिये कह रहा हूं कि मैं नौकरी के

[श्री भोगेन्द्र झा]

लिये पैरवी में नहीं जाता हूं और मैं लोगों से कहता हूं कि मालिक बनो, उत्पादक बनो अपने सामान के, क्योंकि बैंक दिवालिया हो गये हैं, वे बैंक लोन देने की हालत में नहीं हैं और वित्त मंत्री अपनी असहायता बता रहे हैं और पुरानी सरकार को दोष देने के अलावा कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर इलाज नहीं निकाल सकते हैं, तो आप किसके लिये हैं, आप किस काम के लिये हैं, आप किस इलाज के लिये यहां पर हैं।

सभापति जी, जो हमारा कृषि संकट पड़ने वाला है, एक जो पिछली साल डंकल प्रस्ताव, जो बीच में आया है, जो युरूग्वे की वार्ता के बीच में सुझाव आया था कि आप अनुदान किसानों को न दें, उसमें थोड़ी सी छूट थी कि गरीब लोगों को। आप दे सकते हैं। पिछली साल ऐसी स्थिति में जोरदार आवाज के बाद लघु और सीमांत किसानों के लिये, 100 एकड़ से कम भूमि वाले किसानों के लिये 40 फीसदी की छूट उर्वरक में कायम रखी गई, वह अनुदान कायम रखा गया, उसके ऊपर के लिये 10 फीसदी। बार-बार मैंने यह सवाल किया है कि किन-किन राज्यों ने यह अनुदान लोगों को दिया, आज तो भारत सरकार ने जवाब नहीं दिया। बिहार सरकार का मुझे मालूम है, बिहार सरकार ने अनुदान नहीं दिया। हाल ही में मालूम हुआ है कि पहले 8 करोड़, और बाद में 25 करोड़ और 35 करोड़ बिहार सरकार को आपने दिया है और हमने जोर दिया है कि अगले साल आप उनको दीजिये, भारत सरकार करे या न करे। तो आपने डंकल प्रस्ताव को बिना माने, उर्वरक की नीति में उसको लागू कर दिया है। वह अमरीका जो हमको कहता है कि किसानों को अनुदान मत दो, वह अपने यहां अनुदान दे रहा है। ऐसी स्थिति में वह इस समय है कि वह खड़ी फसल में जो लाखों एकड़ में खड़ी है, जलाने के लिये तैयार है, ताकि उनका जो गल्ला बचे वह महंगे दामों पर बाजार में बिके। वह अपने यहां अन्न को जलाने के लिये अनुदान दे रहा है और हमें उत्पादन बढ़ाने के लिये अनुदान देने से मना कर रहा है और आपने बिना माने हुये, भारत सरकार ने उसको लागू करना शुरू कर दिया। यह भारत की कृषि के लिये संकट है।

सभापति जी, इसी सदन ने इंडियन पेटेंट ला को पारित किया था जिसके मुताविक प्रक्रिया को पेटेंट किया गया कि किस तरीके से, किस प्रक्रिया से हम कर सकते हैं, लेकिन अमरीका चाहता है, प्रक्रिया नहीं, तरीका नहीं, जो नतीजा हो, उसी को पेटेण्ट कर दो। अपने देश के जो भी वैज्ञानिक हैं, उन्होंने विफलताओं के बावजूद बहुत तरक्की की है। सब पर लगाम लग जाएगी। संसार के 100 से अधिक विकासशील देशों पर वह लगाम लग जाएगी, जो हमारी ओर देख रहे हैं। भारत सरकार मानने की हिम्मत नहीं कर रही है, इंकार करने की हिम्मत नहीं कर रही है, नालूम पड़ रहा है कि देश की सरकार असहाय हो गई है, जब दुनिया में 100 से अधिक देश हमारी तरफ देख रहे हैं कि भारत क्या रुख लेता है, तो इस प्रकार भारत की कृषि पर वह भी एक खतरा है।

हमारे कृषि मंत्री बोले हैं, मैं बड़े गौर से उनको सुन रहा था कि वे इनके ऊपर कुछ कहेंगे, लेकिन मुझे खेद है कि वे इस बारे में एक शब्द भी नहीं बोले। इस मामले में सरकार की विफलता हमारे सामने मौजूद है।

सभापति जी, सामाजिक न्याय का मामला है, हमारे देश में दुर्भाग्य से छुआछूत का मामला चल रहा है। हम लोगों की बचपन से लड़ाई हुई है आर्थिक शोषण के खिलाफ सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ हरिजन और गैर-हरिजन के बीच में। समाज में अगर दो-तीन जातियां होतीं, हरिजन और गैर-हरिजन होते, पिछड़ी और अगड़ी जातियां ही होतीं, तो मामला आसान होता, मगर हमारे देश में तो छः हजार से ऊपर जातियां हैं और एक जाति दूसरे से ऊपर है। जहां जो जाति ऊंची है, धन में, जाति में, वह अपने से कम वालों पर अत्याचार करती है। हमारे यहां मध्य बिहार में जब हत्याओं का हिसाब ले लें, कौन मारे गये, हत्या करने वाले कौन हैं, ऐसी स्थिति में जो छुआछूत का कलंक है, वह बहुत खराब है। हमारे यहां कानून तो है, उसको लागू करने के लिये एक राष्ट्रीय अभियान क्या हम शुरू नहीं कर सकते, कानून को लागू करने के लिये, दंडित नहीं कर सकते हैं जो इंसान, इंसान में छुआछूत की बातों को कर रहे हैं। मालूम पड़ता है कि सरकारी नीति में इसके लिये

जगह ही नहीं है, वह कानून केवल रखा हुआ है। भविष्य में काम आये या न आए। सामाजिक न्याय के सवाल पर लड़ाई दूसरे अखाड़े में हो रही है मगर समाज में जो अत्याचार का अखाड़ा है उस लड़ाई में लोग भले ही लड़ते हों, मुकाबला करते हों, करते हैं। गलत या सही मुकाबला हो रहा है मगर सरकारी तंत्र, सरकारी कानून बन्द हो कर बैठा है। इस मामले में देश का ग्रामीण क्षेत्र एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा है।

आंध्र प्रदेश में पीपल्स वार ग्रुप को आप गैर-कानूनी कहते हैं। मैं अपनी ओर से कहता हूं, हम जो दावा करते हैं क्रांतिकारी आंदोलन का, वह हमारी विफलता का सबूत है। क्योंकि हम गरीबों के संघर्ष का सही नेतृत्व नहीं करते हैं इसलिये वह विकृत होकर व्यक्तिगत हत्या के रास्ते पर जाते हैं। जहां तक इस सरकार का सवाल है, यह सरकार इस सवाल पर कहां है? भूमि चोरों के साथ है या भूमि कानून लागू करने वालों के साथ है। सामाजिक अत्याचार करने वालों के साथ है या जो उसका मुकाबला करते हैं उनके साथ है। इस मामले पर एक राष्ट्रीय नीति को लेकर आने की आवश्यकता थी जो अभी तक नहीं आई है।

हमारे वित्त मंत्री नई आर्थिक नीति, औद्योगिक नीति पर जोर देते हैं। हमारे विरोधी पक्ष के लोग उसका विरोध करते हैं। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी जानना चाहता हूं कि कोई मंत्री बता दे कि भारत में एक भी उद्योग ऐसा है जो सिर्फ अपने पैसे से निजी क्षेत्र का उद्योग चला रहा है। राजकीय क्षेत्र का पैसा लेकर उद्योग चलाता है और उसी के पैसे से अखबारों में बातें छपती हैं। राजकीय क्षेत्र विफल हो गया, निजी क्षेत्र सफल हो गया। हमारे ही पैसे से उद्योग चलाता है, हमारे ही पैसे से थोक व्यापार करता है। महंगाई बढ़ी है, किसानों को पैसा नहीं मिल रहा है। इस साल अन्न की उगाही कम हुई है और एक राष्ट्रीय कलंक हमारे माथे पर यह सरकार लगाने जा रही है कि हम विदेश से गल्ला मंगाएगें।

8 मई को अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से एक प्रतिनिधिमंडल के रूप में हम प्रधानमंत्री जी से मिले थे। प्रधानमंत्री जी ने सही वातावरण में बातें कीं और कहा कि रास्ता बताइये, पंजाब में उगाही कैसे पूरी होगी जबकि वहां के आतंकवादी कहते हैं कि मत दो। 9 तारीख को हमने सुझाव दिया और कहा कि साढ़े तीन सौ रुपये क्विंटल गेहूं का दाम दें, आपका कोटा पूरा हो जाएगा, विदेश से गल्ला लाना नहीं पड़ेगा। उसे आज तक सरकार ने लागू नहीं किया। मैं अभी भी कह रहा हूं, बहुत से किसानों के हाथ से गल्ला निकल गया है, व्यापारियों ने ले लिया है बैंक के पैसे के बल पर। लेकिन आपको गल्ला नहीं मिल रहा है। आज भी आप हिम्मत करें तो बहुत उम्मीद है आपका कोटा पंजाब से पूरा हो जाएगा। विदेश से विदेशी मुद्रा खर्च करके मंगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

एक बात जो छूट गई है उसका जिक्र करना चाहता हूं । हमारे देश की एक बड़ी सम्पदा पानी है। हमारे मित्र टेहरी की बात कह रहे थे। हिमालय पर बर्फ पड़ने से जब वह पिघलकर मैदानों की तरफ आती है तो बाढ़ आ जाती है और अगर पानी कम आता है तो सूखा पड़ जाता है। इस कारण बिजली का उत्पादन कम होता है और हम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। इस मामले में नेपाल के साथ वार्ता में धीमी रफ्तार रही है। कोसी, कमला बागमती, पंचेश्वर, करनाली नदियों का जहां तक मामला है, इससे जो बिजली आएगी वह हमारे देश के लिये आवश्यकता से फाजिल विद्युत दे पाएगी। लेकिन हैरत की बात है कि हमारे जल संसाधन मंत्री ने मेरी पहले की लिखी किताबें ली थीं। मगर इस बार भारत, नेपाल की जो संयुक्त वार्ता हुई उसमें वराज क्षेत्र में स्टीमर भेजने की जांच की नेपाल की मांग थी, जो भारत के हित में है, लेकिन पता नहीं हमारी ओर से कौन से अधिकारी गये थे जिन्होंने इसका विरोध कर दिया कि नहीं, स्टीमर जाने की बात को अभी छोड़े दीजिये। जल संसाधन का उपयोग वह नहीं कर पाते हैं जिसके चलते बिजली का संकट, पानी का संकट, सूखा और बाढ़ तो है ही। ऐसे ही तमिलनाडु और कर्नाटक का नदी के पानी को लेकर झगड़ा है। लेकिन वह नदी 3-4 जगह ऊंचाई से गिर रही है। 3-4 जगह जल भण्डार बन सकता है। फाजिल वर्षा के दिनों में वह जल भंडारित रहेगा

[श्री भोगेन्द्र झा]

और सूखे के दिनों में वह पानी जायेगा जिससे तमिलनाडु या कर्नाटक को झगड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह जल संचय करने में, जल भण्डारण करने में इस सरकार की विफलता भयंकर है। इन विफलताओं को देखते हुये इस सरकार के विरुद्ध जो अविश्वास का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं। हिचक थोड़ी सी है। मैं अभी भी प्रस्तावक श्री जसवंत सिंह जी से आशा करूंगा कि कल तक इसको जरा कह दें, जैसा कि हमारे मित्र ने कहा और कांग्रेस दल पर सही इल्जाम लगाया कि सम्प्रदायवाद के साथ यह समझौता करते आये हैं, चाहे शाहबानो का मामला हो, इन्होंने वोट के लोभ में सर्वोच्च न्यायालय का फैसला बदलवाया। यह गलत काम इसी सदन में बहुमत के बल पर इन्होंने कराया और क्रिश्चयन कानून के मुताबिक मिजोराम में बातें की। क्या उसी की नकल करके हमारे बी०जे०पी० के बन्धु उनकी मदद कर रहे हैं। एक पिता की बात मुझे याद है। दो भाई थे। एक भाई ने पिता के हाथ को काट दिया। दूसरे भाई ने कहा कि तुमने उनका हाथ क्यों काटा। उसने कहा कि मैंने अपने बाप के हाथ को काटा है। दूसरे भाई ने कहा कि मेरा भी बाप है, मैं भी काटता हूं। उसने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। कांग्रेस और बी०जे०पी० के बन्धु क्या यही लड़ाई करके भारत माता के दोनों हाथों को काट रहे हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि जसवंत सिंह जी कल ही ऐलान करें कि कांग्रेस ने गलती की, उससे हम लड़ेंगे लेकिन कोर्ट का जो फैसला हुआ है, अयोध्या पर उसको हम लागू करेंगे और कोर्ट के फैसले का उल्लघंन नहीं होने देंगे। वह कल कम से कम यह कह दें ताकि अविश्वास के प्रस्ताव में हम एक साथ मिलकर वोट दे सकें। हम इस सरकार के खिलाफ हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस हमने भी दिया था लेकिन वह इनके नाम पर आया। मैं चाहूंगा कि वह कल तक साहस बटोर कर इस सदन में इस बात का ऐलान करें। यही कहते हुये मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक (बुलदाना): महोदय मैं, श्री जसवन्त सिंह जी द्वारा प्रस्तावित अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऐसे समय में जब देश कई चुनौतियों का सामना कर रहा है हम आज इस अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। इन चुनौतियों का समग्र रूप से, संयुक्त रूप से एक जुट प्रयास करने के बजाय हम इस प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। हम उस प्रस्ताव पर विचार विमर्श कर रहे हैं जिसे उसके प्रस्तावकों ने ही उचित महत्व नहीं दिया है। विपक्ष की खाली बैंचों को हम देख सकते हैं जिससे यह पता चलता है कि विपक्ष ने गंभीरतापूर्वक विचार किये बिना इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया है, मैं व्यक्तिगतरूप से महसूस करता हूं कि यह प्रस्ताव पूरे देश भर में विपक्ष के नेताओं, उनके सदस्यों और कार्यकर्ताओं की राजनीतिक अधीरता और असंतोष का परिणाम है, यह अनुभव करने के पश्चात् कि राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस अच्छा कार्य कर रही है।

विपक्ष से बोल चुके लगभग सभी सदस्यों ने कहा कि लोग इस सरकार के साथ भी है, लोग नाराज है और वे सरकार का समर्थन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाल के लोक सभा और विधान सभा के लिये हुये उपचुनावों से तो दूसरी ही तस्वीर उभरती है। लोगों ने एक बार फिर से कांग्रेस में अपना विश्वास व्यक्त किया है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव को लोगों का समर्थन प्राप्त नहीं है बल्कि यह साफतौर से व्यग्रता का परिणाम है जो श्री जसवन्त सिंह जी और उनके मित्रों के दिमाग में व्याप्त है जिन्होंने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

महोदय, इस प्रस्ताव को प्रस्तावित करके कल यह कहा गया था कि पिछले एक वर्ष से "हम इस सरकार का समर्थन कर रहे थे और हमने उन्हें अनुग्रह के रूप में कुछ और समय दिया" और एक वर्ष के पश्चात् वह कर रहे हैं कि "हमें आगे समर्थन देना नहीं चाहते है" मुझे श्री जसवंत सिंह जी से यह स्पष्ट करने दीजिये कि यह सरकार भारतीय जनता पार्टी की इच्छा के कारण यहां नहीं है। यह सरकार यहां इसलिये थी कि उसे भारतीय

जनता पार्टी का समर्थन प्राप्त है यह सरकार इसलिये यहां है कि इसे जनादेश प्राप्त है। हम यहां जनता के समर्थन से है जो पिछले चुनावों में हमें प्राप्त हुआ है।

आज हम अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं उस स्थिति से स्मरण करना बहुत महत्वपूर्ण होगा जो 1990 और 1991 में व्याप्त थी। उन दिनों स्थिति क्या थी? उन दिनों के हमने दो सरकारें देखीं एक तो श्री वी०पी० सिंह की और दूसरे श्री चन्द्रशेखर की, लेकिन उन पन्द्रह अथवा सोलह महीनों के दौरान क्या हुआ? पूरे देश में अस्थिरता और अव्यवस्था विराजमान थी। किसी भी महत्वपूर्ण मुद्दे पर कोई नीति नहीं थी कश्मीर, पंजाब, असम पर कोई नीति नहीं थी, अर्थव्यवस्था पर कोई नीति नहीं थी और पूरे देश भर में हर समय लोग सोचते रहे थे कि यह सरकार ज्यादा नहीं टिकेगी। उस समय लोग लोक सभा और तेजी से गिरती हुई स्थिति के बारे में चिन्तित और व्यथित थे।

उन प्रारंभिक दिनों में, सांप्रदायिक मनोभाव उत्पन्न हुये; जाति-विरोध पैदा हुआ। औद्योगिक उत्पादन में कमी आई और इसके साथ ही विदेशों में भारत की प्रतिष्ठा में भी कमी आई। महोदय बारह महीनों तक कार्यभार संभालने के पश्चात् हमें यह मूल्यांकन करना होगा कि वर्ष 1990 के दौरान और वर्ष 1991 के कुछ समय तक जो स्थिति थी, क्या वह और बिगड़ गई है अथवा उसमें कुछ सुधार हुआ है?

मेरा दृढ़ विश्वास है कि श्री नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में यह सरकार स्थापित प्रदान करने में सक्षम रही है। यह सरकार सांप्रदायिक और जाति विरोध और उनके मनोभावों को कम करके सामान्य स्थिति लाने में सक्षम रही है। इस सरकार ने अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिये भी प्रयास किये हैं जो बड़ी तेजी से बिगड़ रही थी और यह सरकार विदेशों में भारत की छवि सुधारने में सफल रही है।

महोदय, पिछले कई वर्षों से हमारी नियंत्रण, विनियमन, और लाइसेंस देने की ऐसी नीति थी जिससे उद्यमियों को आगे बढ़ने के अवसर प्रतिबंधित हो गये थे। लेकिन सत्ता प्राप्त करने के तुरंत बाद ही हमने यह देखा कि अर्थव्यवस्था को विनियमित, नियंत्रित और लाइसेंस मुक्त करने की आवश्यकता है और अर्थव्यवस्था को स्थायी बनाने के लिये उपाय किये गये थे जिसके परिणाम आने आरंभ हो गये हैं। फिर भी मैं यही कहूंगा कि यदि हम यह आशा करें कि परिणाम तुरंत आ जायेगें, तो यह हमारी गलती होगी। प्रक्रिया आरंभ हो चुकी है। सही दिशा में एक प्रक्रिया और हमें परिणामों की प्रतीक्षा करनी होगी। ऐसा इसलिये है कि जिस समय हमें सत्ता प्राप्त हुई थी, स्थितियां अत्यधिक कठिन थीं।

देश में जून, 1991 में संचित विदेशी मुद्रा कितनी थी? विदेशी बैंक में सोना क्यों गिरवी रखा गया था? आयात पर अत्यधिक कठोर प्रतिबंध क्यों लगाये गये थे? इससे पहले कि हम इस सरकार के कार्यों का विश्लेषण आरंभ करें, ये सभी अत्यधिक महत्वपूर्ण प्रश्न है। चूंकि अब विदेशी मुद्रा संचय की स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसलिये उस सोने को भी छुड़ा लिया गया है जिसे विदेशों में गिरवी रखा हुआ था; और धीरे-धीरे आयात पर लगाये गये प्रतिबंधों को भी छूट दी जा रही है ताकि घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके।

ऐसी स्थिति में यह आशा नहीं थी कि श्री जसवंत सिंह जैसे व्यक्ति, जो एक विद्वान, अनुभवी और भा०ज०पा० के वाक्पटु नेता हैं, उन आंकड़ों के आधार पर कांग्रेस सरकार पर प्रहार करेंगे जो उस समय गलत साबित हो गये जबकि श्री चिदम्बरम ने नवीनतम आंकड़े प्रस्तुत किये।

श्री जसवंत सिंह ने यह कहा था कि श्री नरसिम्हा राव सरकार ने प्रारम्भ में सर्वसम्मति दृष्टिकोण अपनाने की बात कही थी और अब "सर्वसम्मति" दृष्टिकोण चतुराई में परिवर्तित हो गया है। यह ठीक नहीं है। प्रधान मंत्री ने बार-बार यह बहुत स्पष्ट किया है कि सर्वसम्मति दृष्टिकोण किसी कमजोरी के परिणामस्वरूप नहीं है बल्कि वे इसमें दृढ़ता से विश्वास करते हैं। उन्होंने यह भी कहा था कि समय आ गया है जबकि चुनौतियों का

[श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक]

प्रभावशाली ढंग से सामना करने के लिये केवल संख्या ही महत्वपूर्ण नहीं है। समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से और शीघ्रता से हल करने के लिये यह आवश्यक है कि सभी संबंधित व्यक्ति एक साथ मिलकर कार्य करें और देखें कि समाधान खोज लिये गये है। हमने यह कभी नहीं सोचा कि सर्वसम्मति दृष्टिकोण का तात्पर्य मतैक्य है। विचार भिन्न भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी जिस किसी भी ओर से सकारात्मक सुझाव दिये जाते हैं हमें उन्हें स्पष्ट रूप से प्राप्त करना होगा। स्वस्थ लोकतंत्र के लिये यही एक उपाय है। लेकिन यह कहना कि सर्वसम्मति दृष्टिकोण अब चतुराई में परिवर्तित हो गया है, इस दृष्टिकोण के पीछे विवेक की सराहना नहीं है। यह दृष्टिकोण अभी भी विद्यमान है। दुर्भाग्यवश विपक्ष की ओर से समस्याएं उत्पन्न की गई हैं।

भा०ज०पा० ने एक बार फिर अयोध्या मसले को उठाया है। क्या मैं उनसे यह पूछ सकता हूं कि उन्होंने पिछले 12 महीनों में यह मुद्दा क्यों नहीं उठाया? इसका क्या कारण है? मैं समझता हूं कि राजनीतिक स्वार्थपरायणता ने उनकी नीति बदल दी है केवल यही एक कारण है; और यह वास्तव में ही दुर्भाग्य है कि ऐसे समय मैं जब हमें मिलकर कार्य करना है और जाग्रत मनोभावों को शांत करना है, भा०ज०पा० ने एक बार फिर अपना पुराना खेल शुरू कर दिया है।

मैं इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि श्री वी०पी० सिंह, जो इस बात का दावा कर रहे थे कि वे धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय के पक्ष में हैं वे भा०ज०पा० की सहायता से अपनी सरकार बनी थी। वे भा०ज०पा० के खिलाफ आरोप लगाते रहे हैं लेकिन जब वे भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते थे तो उन्होंने उनकी सहायता ली और तब तक सत्ता में रहे जब तक कि श्री लालकृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों से रथयात्रा निकाली गई जिसके परिणामस्वरूप सांप्रदायिक मनोभाव जाग्रत हुये और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई जो कि एक भयानक स्वप्न जैसी थी।

महोदय, वामपंथी दलों और जनता दल ने भी राम जन्मभूमि मुद्दे पर और भा०ज०पा० के रवैये के प्रति अपनी चिंता व्यक्त की है जबकि विश्व हिन्दू परिषद, बजरंग दल जैसे मुख्य संगठन न्यायालय के आदेशों का उल्लघंन कर रहे हैं। उन्होंने सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही करने की पुनः मांग की है। अतः, क्या मैं जान सकता हूं कि वामपंथी दल और जनता दल इस प्रस्ताव के संबंध में भा०ज०पा० के साथ क्यों मिल गये हैं?

सभापति महोदय: आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: मैं सिर्फ दो मिनट का समय और लूंगा। मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या वामपंथी दलों और भा०ज०पा० के बीच वैचारिक मतभेद समाप्त हो गये हैं। क्या उनके बीच की दूरी खत्म हो गई है?

श्री भोगेन्द्र झा: वे हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: तब इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए वे भा०ज०पा० के साथ क्यों मिल गये हैं?

श्री भोगेन्द्र झा: आपकी सरकार द्वारा टाल-मटोल करने के कारण।

सभापति महोदय: कृपया विघ्न मत डालिए। हमने आपके काम में बाधा नहीं डाली थी। किसी ने भी आपके काम में बाधा नहीं डाली। उन्हें अपनी बात कहने दीजिए। आप अपनी बात कह चुके हैं।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: श्री इन्द्रजीत गुप्त ने भी इस मसले पर बोलते हुए इस बात की पुनः मांग की थी कि सरकार को एक दृढ़ और कठोर कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि वे उत्तर प्रदेश सरकार को बरखास्त करने के पक्ष में नहीं हैं। कोई भी व्यक्ति एक निर्वाचित सरकार को भंग करने से खुश नहीं है। लेकिन यदि कोई सरकार न्यायालय के आदेशों का उल्लंघन करती है, जैसाकि उत्तर प्रदेश में हो

रहा है, तब केन्द्र सरकार को ठोस कार्यवाही करनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर इसे उत्तर प्रदेश की सरकार को बरखास्त करने में भी हिचकना नहीं चाहिए।

ऐसी अनेक बातें हुई हैं लेकिन मैं केवल एक बात ही कहना चाहूंगा।

सभापति महोदय: आपके पास केवल एक मिनट है।

श्री मुकुल बालकृष्ण वासनिक: श्री जार्ज फर्नांडीज अनेक कांडों की बात करते रहे हैं। पिछले एक वर्ष में उन्होंने कई कांड सामने रखे हैं और जब कभी वे इस सदन में बोलने के लिए उठते हैं, वे एक और कांड साथ लेकर आते हैं। प्रतिभूति घोटाले के मामले में उन्होंने वक्तव्य दिया था कि उन्हें उन मंत्रियों के नाम मालूम है जो इसमें शामिल है। प्रधान मंत्री ने यह काफी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इसमें शामिल सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने में अडिग रहेगी। अतः मैं श्री जार्ज फर्नांडीज से यह अपेक्षा करता हूं कि यदि उनके पास उन लोगों के नाम और इसमें उनका हाथ होने का कोई सबूत है तो उन्हें नाम बताने चाहिए, हिचकिचाना और पीछे नहीं हटना चाहिए। केवल इस सरकार को बदनाम करने के लिए आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं होगा।

इसी प्रकार का कार्य विपक्षी दल ने बोफोर्स के मामले में श्री राजीव गांधी को बदनाम करने के लिए किया था। लेकिन आज तक उस संबंध में कुछ भी प्रमाणित नहीं हो पाया है। आज इसी प्रकार की नीति श्री नरसिम्हा राव की सरकार को बदनाम करने के लिए विपक्षी दल द्वारा अपनाई जा रही है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के प्रयास बरदाशत नहीं किए जाएंगें।

चूंकि समय मुझे अपनी बात जारी रखने की अनुमति नहीं दे रहा है, बोलने के लिए मुझे यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं और मैं एक बार फिर श्री जसवंत सिंह द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री पी० सी० थामस (मुवत्तुपुजा): सभापति महोदय, मैं महसूस करता हूं कि यह प्रस्ताव विपक्ष गंभीरता से नहीं लाया है। मैं नहीं समझता कि चर्चा के बाद भी वे इस प्रस्ताव का कोई सकारात्मक परिणाम प्रस्तुत कर सकेंगे।

एक माननीय सदस्य: तो इस प्रस्ताव का विरोध न करें।

श्री पी० सी० थामस: मैं नहीं समझता कि मुझे कुछ भी कहना है क्योंकि दूसरे पक्ष के वक्ता भी जब सरकार के विरोध में कड़ी बातें कह रहे थे तो वे भी यह कह रहे थे कि कुछ मामलों पर अगले सप्ताह चर्चा की जायेगी।

9.00 म०प०

मुझे विशेष तौर पर याद है कि माननीय सदस्य श्री सोमनाथ चटर्जी कह रहे थे कि अगले सप्ताह जब इसके बारे में चर्चा होगी तो वह घोटाले के बारे में बोलेंगे। यह बहुत स्पष्ट है कि वे भी ऐसा नहीं समझते थे कि यह अविश्वास प्रस्ताव वास्तव में पारित हो। मुझे विश्वास है कि इस सभा में कोई जिम्मेदार व्यक्ति यह चाह सकता है कि इस समय यह प्रस्ताव वास्तव में पारित हो, जब हम गंभीर मामलों के बारे में विचार कर रहे हैं। जब देश को कई तनावों विशेषकर सामुदायिक तनावों से गुजरना पड़ रहा है। धर्मनिरपेक्ष ताकतों को एक जुट होकर सरकार की गतिविधियों को बल देना चाहिये। अब विपक्ष की भूमिका सृजनात्मक सुझाव देने, सृजनात्मक आरोप लगाने तथा सरकार की उचित कार्यवाही को बहुत सृजनात्मक समर्थन देने की है। मैं नहीं समझता कि विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा किए गए प्रस्तुतिकरण वास्तव में इन अर्थों में सार्थक थे कि वे वास्तव में इस सरकार का विरोध करते है और आगे आने वाले दिनों में भी करेंगे।

[श्री पी०सी० थामस]

इस देश की स्थिति जैसाकि हम देखते हैं, कुछ बहुत महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में उचित परिणाम लाने के लिए कुछ सख्त कदम उठाने की मांग करती है। उदाहरणार्थ, मूल्यवृद्धि जो आम आदमी को बहुत हद तक प्रभावित करती है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसकी आलोचना की जानी चाहिए और इसके परिणामस्वरूप एक उचित समाधान निकालना चाहिए। अब एकमात्र समाधान, जो हम सोच सकते है वह हैं उत्पादन-दक्षता को बढ़ाना है। इस सरकार ने वास्तव में इस संबंध में कुछ किया है। सरकार ने सभी क्षेत्रों कृषि, उद्योग तथा अन्य में दक्षता को बढ़ाने के लिए कदम उठाये हैं। अब इस सरकार ने आर्थिक क्षेत्र में एक नई नीति प्रस्तुत की है। यदि यह नीति सामने नहीं लायी जाती तो इस समय क्या नीति होती? आर्थिक क्षेत्र एक ऐसे चरण पर पहुंच जाता जहां हम राष्ट्र मंडली में राष्ट्र के कार्यनिष्पादन के लिए भी कहीं से भी एक भी पैसा पाने के लिए विश्वसनीय नहीं होते। हम कई क्षेत्रों में आत्मनिर्भर नहीं है, जो हम सभी जानते हैं। हमें उधार लेकर अर्थ-व्यवस्था बनानी थी। देश को सामने लाने अथवा आगे ले जाने के लिए हमें कुछ करना था। स्थिति यह थी हमारी विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम था और हम बहुत अविश्वसनीय स्थिति में थे। कुछ ने एक सुदृढ़ कदम उठाया। अब मैं समझता हूं कि परिणाम सामने आयेगा और कुछ मामलों में परिणाम आये भी हैं। निर्यातों में सुधार हुआ है। और हमें विश्वास है कि कई क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ रहा है।

अब हम सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों की बात करेंगे। सरकार की यह नीति नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को बंद करके वहां के कर्मचारियों को सड़क पर ला पटके। सरकार की नीति यह नहीं है। यह आरोप लगाया गया है कि सरकारी क्षेत्र के उपक्रम उचित ढंग से कार्य नहीं कर रहे क्योंकि प्रबन्धकों की कुछ समस्यायें हैं। क्या हमें समस्याओं का सामना नहीं करना चाहिए? क्या हमें इस समस्या के समाधान का कोई रास्ता नहीं निकालना चाहिए? अतः, इस संबंध में कुछ करना होगा। दक्षता को बढ़ाना होगा। दक्षता को कैसे बढ़ाना है? केवल प्रतिस्पर्धा से दक्षता बढ़ेगी। विगत सप्ताह हमें एक एयरलाइन, ईस्ट-वेस्ट-एअरलाइन्स को देखने का अवसर मिला था। मैं किसी सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का समर्थन नहीं कर रहा हूं। वे कह रहे थे कि इंडियन एअर लाइन्स की उड़ानें ठीक से नहीं चल रही थीं। वे कह रहे थे कि कई त्रुटियां हैं उन्हें सुधारा जाना चाहिए। इण्डियन एअरलाइन्स के बारे में वे बहुत सी बातें कह रहे थे। लेकिन क्या इंडियन एअरलाइन्स के साथ किसी तरह की प्रतिस्पर्धा नहीं होनी चाहिए? मैं समझता हूं कि इस स्थिति के समाधान का एक ही तरीका है प्रतिस्पर्धा। निश्चित ही व्यापक अर्थों में कुछ प्रतिबंध भी होंगे। मैं समझता हूं कि उस दिशा में सरकार विचार कर रही है। कृषिगत उत्पादन के संबंध मैं समझता हूं कि हमें बहुत कुछ करना है और मैं समझता हूं कि इस सरकार ने कुछ आधार तैयार किए हैं। अब मैं खुश हूं कि यह सरकार कृषि क्षेत्र की बहुत सी समस्याओं के प्रति प्रतिक्रिया कर रही है। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जो कुछ समय से अपने राज्य के छोटे किसानों के लिए बहस करता आ रहा था। ये अपने राज्य के छोटे किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए काफी समय से श्री वी०पी०सिंह जी की सरकार से बहस करता रहा था। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं। यह रबड़ के बारे में एक मामला था। मैं केरल के सभी संसद सदस्यों के साथ श्री वी०पी० सिंह जी की सरकार को यह समझाने का प्रयास कर रहा था कि हमारा उत्पादन अब काफी है। अब यह बात हम पर है कि आयात को बंद करके निर्यात आरंभ करें। यही समय है जब हमें इसके बारे में सोचना है लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया। उस सरकार ने उस दिशा में सोचा ही नहीं! लगभग 40 हजार टन रबड़ बिना विचारे आयत किया गया ताकि कुछ बड़े उद्योगपतियों के प्रयोजन सिद्ध हो सकें। हुआ क्या? यह कच्चा रबड़ जो किसान एक बड़ी मात्रा में उत्पादित करते हैं, यहां किसानों को बिना किसी कीमत मिले पड़ा रहा। यह वहां काफी समय तक पड़ा रहा और किसानों को कुछ भी मूल्य नहीं मिला। इसके बाद यह सरकार आयी उन्होंने किसानों की चीत्कार को समझा और मैं खुश हूं कि आयात बंद कर दिए गये और मैं इस बात से भी खुश हूं कि सरकार रबड़ का निर्यात करने के लिए तैयार थी। हमने भारत से इस वस्तु का निर्यात भी किया **(व्यवधान)** मैं और विस्तार में नहीं जा रहा क्योंकि समय कम है।

मैं सरकार का समर्थन करता हूं और सरकार को समर्थन देने की बात दोहराता हूं तथा अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

अब मैं केवल एक या दो बातें कहना चाहता हूं। अब हम विज्ञान तथा प्रौद्योगिक की तथा अन्तरिक्ष कार्यक्रमों की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे अफसोस है कि किसी ने भी इन्सेट-दो की सफलता की बात नहीं की। हम प्रसन्न हैं तथा हमें गर्व है। मैं सरकार को इस संबंध में दृढ़ कदम उठाने के लिए बधाई देता हूं। मैं सरकार को पिछड़े क्षेत्रों में परियोजना आरंभ करने की भी बधाई देता हूं लेकिन, मैं केवल यह बात कहूंगा कि जहां तक केरल राज्य का संबंध है, कायमकुलम में तापीय संयंत्र के संबंध में हमारा एक महान सपना है। इस तापीय संयंत्र पर पहले ही 6.2 करोड़ रु० व्यय किए जा चुके हैं। यह परियोजना लगभग 7000 करोड़ रु० की है। केरल राज्य इसकी प्रतीक्षा कर रहा है। एक बहुत बड़ा विद्युत संकट आने वाला है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह केरल के कायमकुलम में इस परियोजना का आरंभ करने के लिए तुरंत कार्यवाही करे। मैं सरकार से पूयमकुट्टी परियोजना को स्वीकृत करने का भी अनुरोध करता हूं, जो मेरे चुनाव क्षेत्र में कहीं है।

अंततः, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस अवस्था में यह प्रस्ताव प्रस्तुत करना अनुचित था जबकि साम्प्रदायिक ताकतें इस देश में तनाव पैदा कर रही हैं। मुझे समय देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

[हिन्दी]

श्री तेज नारायण सिंह (बक्सर): आदरणीय सभापति महोदय, मैं अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं, इसलिए समर्थन करता हूं कि सरकार देश की हरेक समस्या को हल करने में असफल रही है। इस देश के 70 प्रतिशत किसान कृषि पर ही जिंदा रहते हैं। लेकिन 44 वर्ष की आजादी के बाद भी सिंचाई की व्यवस्था नहीं हो सकी। सावन महीने में बारिश हुई लेकिन आषाढ़ महीने में बारिश नहीं हुई। सारा देश सूखे की चपेट में है और सरकार सिंचाई का इंतजाम करने में असफल रही है। कोई भी राज्य प्रकृति के अलावा दूसरी सिंचाई का इंतजाम करने में असफल है। जो पुरानी चीजें थीं, वे बर्बाद हो गई। बिहार में एक सोन नहर अंग्रेजों के द्वारा बनायी गई थी। सोन नहर से करीब 32 लाख एकड़ की पटवन होती थी। वह नहर बेकार हो गई। सरकार ने 22 करोड़ रुपया देने के लिए कहा था। लेकिन सरकार केवल एक करोड़ रुपया देकर ही बैठ गई और काम अधूरा रह गया। अगर सिंचाई का इंतजाम किया गया होता तो मैं समझता हूं आज देश सूखे की चपेट में नहीं रहता। केवल बिहार का सवाल नहीं है बल्कि उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश हो, तमाम राज्य सूखे की चपेट में हैं। सरकार सिंचाई की व्यवस्था करने में असफल रही है इसलिए मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

दूसरा सवाल बेरोजगारी का है। एक साल से सरकार चल रही है लेकिन कोई भी बेरोजगारी की समस्या को हल नहीं किया है। जो हमारे देश के सबसे नीचे वर्ग के लोग हैं जिनमें हरिजन-आदिवासी आते हैं उनको भी एक साल में नौकरी देने के मामले में सरकार असफल रही है। सरकार ने सामान्य लोगों को भी नौकरी नहीं दी बल्कि हरिजन-आदिवासियों को भी नौकरी नहीं दी, इसलिए मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। सरकार शिक्षा के क्षेत्र में भी असफल रही है। शहरों में ही नहीं बल्कि आप देहातों में जाकर देखेंगे कि जिन विद्यालयों में गरीब किसानों के बेटे पढ़ते हैं तो कहीं भी भवन नहीं है। बिहार, उत्तर प्रदेश, आन्ध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश जैसे किसी भी राज्य में प्राथमिक विद्यालय के लिए कहीं भी भवन नहीं है। एक साल के दरम्यान भी किसी विद्यालय के लिए भवन नहीं दिया है। जितने दिन कांग्रेस की हुकूमत रही है तो देहातों में जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं तो कहीं भी भवन नहीं बना है। गरीबों के बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ते हैं और अमीरों के बेटे आलीशान मकानों में पढ़ते हैं। सरकार 90 प्रतिशत किसानों को शिक्षा देने में असफल रही है, इसलिए मैं इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

[श्री तेज नारायण सिंह]

कांग्रेस के लोगों ने मेनीफेस्टों में लिखा था कि 90 दिन के अंदर हम महंगाई समाप्त कर देंगे। कितने 90 दिन गुजर गए, लेकिन महंगाई घटने के अलावा बढ़ती जा रही है। अगर इसकी सीमा नहीं बांधी तो मंहगाई बढ़ती जायेगी। मैं समझता हूं कि जिस चीज का दाम एक पैसे था वह दो पैसे हो गया। धनी आदमी जिंदा रह सकता है लेकिन गरीब आदमी कैसे जिंदा रहेगा।

जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है तो नीचे से ऊपर तक भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जिस समय प्रधान मंत्री जी ने गददी संभाली थी तो उहोंने कहा था कि हम देश में भ्रष्टाचार समाप्त कर देगें। पहले तो इसमें कर्मचारी ही लिप्त थे लेकिन आज अखबारों में पढ़ने को मिलता है कि सरकार में रहने वाले लोग भी इसमें लिप्त हैं। कांग्रेस के सदस्यों ने कहा था कि गलत कहा जा रहा है। किस अखबार वाले पर आपने मुक़दमा दायर किया है। कोई मुकदमा इसलिए नहीं किया कि जिस अखबार के सत्ता में रहने वाले आदमी का बेटा हो, वाईफ हो और उसमें उसके बच्चे का शेयर आता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार भ्रटाचार रोकने में असफल रही है इसलिए मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

देश में आज बिजली का संकट है चाहे कोई भी राज्य हो वहां बिजली नहीं है। बिजली मंत्री जी कहते हैं कि हम बिजली का अधिक इंतजाम कर रहे हैं। मैं बिहार से आता हूं वहां जो भी पावर हाउसेज हैं तमाम के तमाम समाप्त हो गये हैं। हमारे इलाके में बिजली मंत्री को पांच करोड़ रुपया देना है, आज तक इनको रुपया देने की फुर्सत नहीं है। अगर वह चला जाये तो हमारे यहां करीब एक लाख गांवों में बिजली पहुंच जायेगी। लेकिन सरकार को रुपया भेजने की फुर्सत नहीं है। भले ही हर्षद मेहता जैसे लोग बैंकों से अरबों रुपयों निकालकर दूसरे काम में लगा दें, लेकिन किसानों को बिजली का इंतजाम कराने के लिए पैसा नहीं है। इसलिए मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

जहां तक साम्प्रदायिक शक्तियों का सवाल है। इनके राज में कानून और व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। सिविल प्रोसिजर कोड की अभी तक रक्षा होती थी। कोर्ट का आदेश 39(1) या (2) आदि से दे दिय जाता था तो उसकी पालना होती थी, लेकिन आज हम क्या देखते हैं कि उसका उल्लंघन होता है और परकार चुपचाप बैठी हुई है। हाई कोर्ट का फैसला हुआ है और उसको लागू कराने के लिए सरकार तैयार नहीं है। इसका मतलब है कि सरकार भी कानून का उल्लंघन कराने में साझेदार है। अभी अयोध्या के मामले में कोर्ट का आदेश हुआ, वहां गृह मंत्रीजी भी गये थे और उन्होंने कहा था कि कोर्ट के आदेश का उल्लंघन हुआ है, लेकिन आप चुपचाप बैठे हैं। क्यों नहीं कानून की रक्षा करते। इस सरकार में कानून की रक्षा करने की हिम्मत नहीं है। जिस सरकार में कानून की रक्षा करने में हिम्मत नहीं है उसको एक मिनट भी गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है। जो कानून की अवहेलना हो रही है उससे देश टूटेगा और इस सवाल पर तो देश टूटेगा ही नहीं, खण्ड-खण्ड में बंट जायेगा। इसलिए यह सरकार गद्दी पर रहने लायक नहीं है। इसलिए मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। एक पाइंट सामाजिक न्याय का है। भले ही हम भाषण देते हैं, लेकिन गले से नीचे उतारना बहुत मुश्किल काम है। जहां गरीबों की बात होती है, जहां संविधान के मुताबिक हरिजनों को या पिछड़ों को आरक्षण देकर ऊपर उठाने की बात होती है तो आन्दोलन किये जाते हैं ऊंची जातियों द्वारा और आत्मदाह जैसी बातें होती हैं। जब तक सरकार कठोरता से नियमों का पालन नहीं करायेगी, तब तक इस देश का उद्धार नहीं होगा और देश में रहने वाले गरीबों का, हरिजनों का विकास नहीं हो सकता। अगर सरकार चाहती है कि कानून की रक्षा हो तो मुस्तैदी से कानून की रक्षा करे तभी देश का भला हो सकता है, वरना यह देश टूटने से बचने वाला नहीं है। इन्हीं बातों के साथ मैं इस अविश्वास के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने सहयोग दिया। अब सभा शुक्रवार, 17 जुलाई, 1992 को 11.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

9.19 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 17 जुलाई, 1992 / 26 आषाढ़, 1914 (शक) के 11 म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एल० एस०—48/16/7/92 (एच०)

250—1993—DSK—III

© 1992 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों (सातवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और प्रबंधक, भारत सरकार मुद्रणालय (पी०एल०यू०) द्वारा मुद्रित।